साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम)

34वां वार्षिक प्रतिवेदन
2019-20

सशक्त भारत

सक्षम जीवन

विषय सूची

कार्पोरेट सिंहावलोकन

ध्येय एवं संकल्पना	2
एसईसीएल एक दृष्टि में	3
निगमित सूचना	4
निदेशक मण्डल	5
वर्ष एक दृष्टि में	6
कार्य-निष्पादन की प्रवृत्ति	7
अध्यक्ष का पत्र	10
पुरस्कार एवं सम्मान	14
संचालनीय कार्य सांख्यिकीय	15
निदेशकों का परिचय	21
हमारा प्रबंधन दल	32
हमारी उपस्थिति	36

सांविधिक रिपोर्ट

बोर्ड की रिपोर्ट	37
अनुषंगियों के कार्य निष्पादन पर रिपोर्ट	99
सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट	105
सचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	114
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अधीन सूचना	118
कार्पोरेट गवर्नेस पर रिपोर्ट	121
कार्पोरेट गवर्नेस पर प्रमाण-पत्र	139
प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण प्रतिवेदन	140

वित्तीय विवरण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	155
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	156
तुलन पत्र	172
लाभ व हानि का विवरण	174
इक्वीटी में परिवर्तन का विवरण	176
रोकड़ प्रवाह विवरण	178
वित्तीय विवरण की टिप्पणी	180
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां (समेकित वित्तीय विवरण पर)	256
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (समेकित वित्तीय विवरण पर)	257
तुलन पत्र (समेकित)	268
लाभ व हानि का विवरण (समेकित)	270
इक्वीटी में परिवर्तन का विवरण (समेकित)	272
रोकड़ प्रवाह विवरण (समेकित)	274
वित्तीय विवरण की टिप्पणियां (समेकित)	276
अनुषंगियों के वित्तीय संबंधी मुख्य बिन्दुओं में शामिल विवरण (एओसी-I)	354
सेबी (एलओडीआर) नियमन के नियमन 33 के अधीन अनुलग्नक I एवं IX	355
सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणीकरण	359
34-वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	360

संकल्पना

खदान से बाजार तक उत्कृष्ट कार्य प्रणाली एवं उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए देश में अग्रणी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में से एक होना है।

ध्येय

सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता पर यथोचित ध्यान देते हुए दक्षता और मितव्ययिता के साथ पर्यावरण अनुकूल तरीके से योजनाबद्ध परिमाण में कोयला एवं उनके उत्पादों का उत्पादन एवं विपणन करना है।

एसईसीएल एक दृष्टि में

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) भारत की सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी है, जिसने वर्ष 2019-20 में **150.55 मिलियन टन** कोयला उत्पादित किया।

एसईसीएल का कोयला संचय **छत्तीसगढ़** एवं **मध्य प्रदेश** राज्य में फैला हुआ है तथा कंपनी में **70 खदानें** (43 खदानें छत्तीसगढ़ में तथा 27 खदानें मध्य प्रदेश) संचालित हैं ।

रू. 27,086.06 करोड़

समग्र विक्रय

रू. 2,521.47 करोड़

कर पूर्व लाभ

11.65 टन

आउटपुट-प्रति-मैनशिफ्ट (ओएमएस)

रू. 2,421.23

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रति शेयर लाभांश

निगमित सूचना

निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) : यू10102सीटी1985जीओआई003161

पंजीकृत कार्यालयः

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495006
दूरभाष- 07752-246379-399
फैक्स- 07752-246451
वेबसाईट : www.secl-cil.in

निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक
श्री ए.पी. पण्डा, अध्यक्ष प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालन अधिकारी (28.12.2018 से)
डा. आर.एस. झा, निदेशक (कार्मिक) (30.09.2014 से)
श्री आर.के. निगम, निदेशक (तकनीकी) संचालन (01.05.2019 से)
श्री एम.के. प्रसाद, निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना (18.06.2019 से)
श्री एस.एम.चौधरी, निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्त अधिकारी (12.10.2019 से)
श्री एन.के.अगरवाला,निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्त अधिकारी (16.08.2019 से 11.10.2019 तक)
श्री संजीव सोनी,निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्त अधिकारी (04.04.2019 से 10.07.2019 तक)

सरकार नामित निदेशक
श्री आर.के. सिन्हा,आईएएस,संयुक्त सचिव (कोयला मंत्रालय) (29.11.2019 से 09.07.2020 तक)
श्री आशीष उपाध्याय,आईएएस,संयुक्त सचिव (कोयला मंत्रालय) (11.01.2019 से 29.11.2019 तक)
श्री संजीव सोनी,निदेशक (वित्त),सीआईएल (29.10.2019 से)
श्री एस.एन.प्रसाद,निदेशक(विपणन),सीआईएल(10.12.2018 से 29.10.2019 तक)

स्वतंत्र निदेशक
सीए श्री एस.के. देशपाण्डे (25.07.2019 से)
डा. सुनील कुमार,(सेवानिवृत्त आईएएस) (17.11.2018 से 16.11.2019 तक)
डा. बी.एस. सहाय,निदेशक(आईआईएम जम्मू)(17.11.2018 से 16.11.2019 तक)
सीए श्री विनोद जैन (19.02.2019 से 16.11.2019 तक)

स्थाई आमंत्रित
श्री छत्रसाल सिंह(प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक,एसईसीआर) (02.03.2020 से)
श्री पी.के. जेना (प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक,एसईसीआर) (25.02.2019 से 01.03.2020 तक)

कम्पनी सचिव
श्री एस.एम. युनुस

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स ओ.पी. तोतला एंड कम्पनी, रायपुर

शाखा लेखा परीक्षक

मेसर्स महेश्वरी एंड एसोसिएट्स,कोलकाता
मेसर्स केजीआरएस एंड कंपनी, कोलकाता
मेसर्स भुतारिया गणेशन एंड कम्पनी, भोपाल

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी, हैदराबाद
मेसर्स एन.डी.बिरला एंड कम्पनी, अहमदाबाद
मेसर्स आर.एस. तिवारी एंड कंपनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
मेसर्स एस.डी.के.एंड एसोसिएट्स, कोलकाता

सचिविक लेखा परीक्षक

मेसर्स डी. हनुमंता राजु, हैदराबाद

अनुषंगियां

छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर

छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर

खदानों का स्थल :

राज्य : छत्तीसगढ़

जिला : कोरबा
रायगढ़
सरगुजा
कोरिया
सूरजपुर
बलरामपुर

राज्य : मध्य प्रदेश

जिला: शहडोल
अनूपपुर
उमरिया

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूको बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
एक्सिस बैंक
केनरा बैंक
ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
कार्पोरेशन बैंक
सिंडिकेट बैंक

निक्षेपागार

मेसर्स नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट(आरटीए)

मेसर्स वेंचर केपिटल एंड कार्पोरेट इंवेस्टमेंट्स प्राय. लिमिटेड, हैदराबाद

आईएसआईएन

आईएनई02जीएफ01011

निदेशक मण्डल

निदेशक मण्डल अवधि (2019-20)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी

श्री ए.पी. पण्डा (28.12.2018 से)

पूर्णकालिक निदेशक

डा. आर.एस. झा निदेशक (कार्मिक) (29.09.2014 से)
श्री आर.के. निगम, निदेशक (तकनीकी) संचालन (01.05.2019 से)
निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना
(28.12.2018 से 30.04.2019 तक,अतिरिक्त प्रभार 18.06.2019 तक)
श्री कुलदीप प्रसाद, निदेशक (तकनीकी) संचालन (30.04.2019 तक)
श्री एम.के. प्रसाद, निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परि. (18.06.2019 से)
श्री एस.एम. चौधरी, निदेशक(वित्त)/मुख्य वित्त अधिकारी, (12.10.2019 से)
श्री एन.के. अगरवाला, निदेशक(वित्त)/मुख्य वित्त अधिकारी,
(16.08.2019 से 11.10.2019 तक)
श्री संजीव सोनी, निदेशक(वित्त)/मुख्य वित्त अधिकारी,
(04.04.2019 से 10.07.2019 तक)

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री आर.के.सिन्हा
(29.11.2019 से 09.07.2020 तक)
आईएएस, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
श्री आशीष उपाध्याय
(11.01.2019 से 29.11.2019 तक)
आईएएस, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
श्री संजीव सोनी (29.10.2019 से)
निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड

श्री एस.एन. प्रसाद (10.12.2018 से 29.10.2019 तक)
निदेशक (विपणन), कोल इंडिया लिमिटेड

स्वतंत्र निदेशक

सीए श्री एस.के. देशपाण्डे (25.07.2019 से) अधिकृत लेखाकार

डा सुनील कुमार (17.11.2018 से 16.11.2019 तक)
सेवानिवृत्त आईएएस, पूर्व उपाध्यक्ष, छ.ग. राज्य योजना आयोग

डा. बी.एस. सहाय (17.11.2018 से 16.11.2019 तक)
निदेशक आईआईएम जम्मु

सीए श्री विनोद जैन (19.02.2019 से 16.11.2019 तक)
अधिकृत लेखाकार

स्थाई आमंत्रित

श्री छत्रसाल सिंह (02.03.2020 से)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
साऊथ ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे (एसईसीआर)
बिलासपुर (छ.ग.)

श्री पी.के. जेना (25.02.2019 से 01.03.2020 तक)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
साऊथ ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे (एसईसीआर), बिलासपुर (छ.ग.)

निदेशक मण्डल (18.08.2020 को)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी

श्री ए.पी.पण्डा

पूर्णकालिक निदेशक

डा. आर.एस.झा, निदेशक (कार्मिक)
श्री आर.के. निगम, निदेशक (तकनीकी) संचालन
श्री एम.के. प्रसाद, निदेशक (तकनीकी) योजना-परि.
श्री एस.एम.चौधरी, निदेशक(वित्त)/मुख्य वित्त अधिकारी

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री संजीव सोनी,
निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड

स्वतंत्र निदेशक

सीए श्री एस.के. देशपाण्डे,
अधिकृत लेखाकार

स्थाई आमंत्रित

श्री छत्रसाल सिंह
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
साऊथ ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे (एसईसीआर)
बिलासपुर(छ.ग.)

कम्पनी सचिव

श्री एस.एम. युनुस

वर्ष एक दृष्टि में

विवरण	इकाई	2019-20	2018-19
कच्चा कोयले का उत्पादन			
i. खुली खदानों से कोयला उत्पादन	मि.टन	136.46	142.58
ii. भूमिगत खदानों से कोयला उत्पादन	मि.टन	14.09	14.77
कुल कोयला उत्पादन	मि.टन	150.55	157.35
कोयले की बिक्री	रू. करोड़ में	27086.06	31368.72
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	रू. करोड़ में	2521.47	5570.67
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	रू. करोड़ में	1734.92	3611.55
लाभांश	रू. करोड़ में	1617.52	2326.61
लाभांश कर	रू. करोड़ में	332.49	478.24
प्रतिधारित लाभ	रू. करोड़ में	330.21	984.48
निवल स्थाई परिसम्पत्ति	रू. करोड़ में	6009.14	6043.95
निवल कीमत-दाम	रू. करोड़ में	3064.35	3631.87
दीर्घकालिक ऋण	रू. करोड़ में	0.00	0.00
नियोजित पूंजी	रू. करोड़ में	12346.77	11254.35
सवंर्धित मूल्य	रू. करोड़ में	14588.38	17466.62
वर्ष के दौरान नियोजित औसत श्रमशक्ति	संख्या में	53265	56624
प्रति कर्मचारी सवंर्धित मूल्य	रू. करोड़ में	0.27	0.31
निवल कीमत पर ऋण	अनुपात	0.00	0.00
नियोजित पूंजी पर आय (रिटर्न)	%	20.42	49.50
प्रति शेयर अंकित मूल्य	रू	1000.00	1000.00
प्रति शेयर लाभांश	रू	2421.23	3331.61
प्रति शेयर बही मूल्य	रू	4586.97	5436.47
प्रति शेयर अर्जन	रू	2596.97	5086.13

***टिप्पणी :** पिछली अवधि के आंकड़े को तुलना की दृष्टि से जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया, पुनःएकत्रित व पुनःव्यवस्थित किया गया ।*

कार्य निष्पादन की प्रवृत्ति

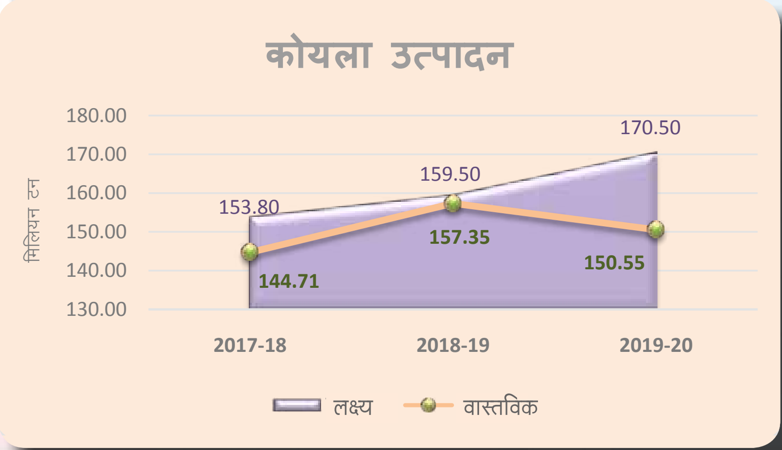

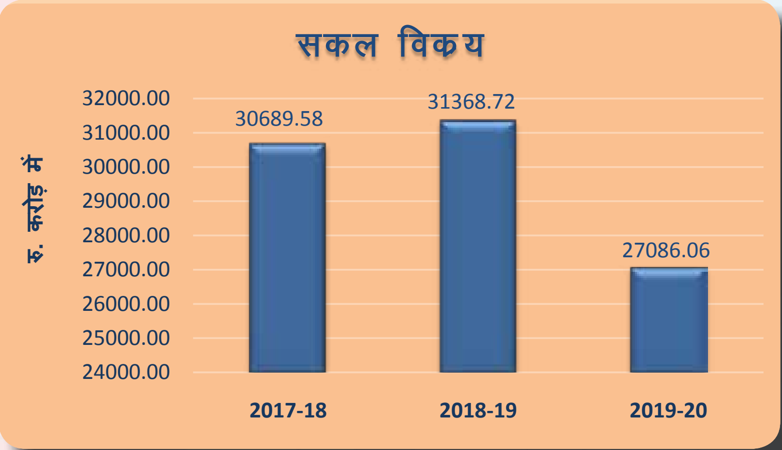

कार्य निष्पादन की प्रवृत्ति

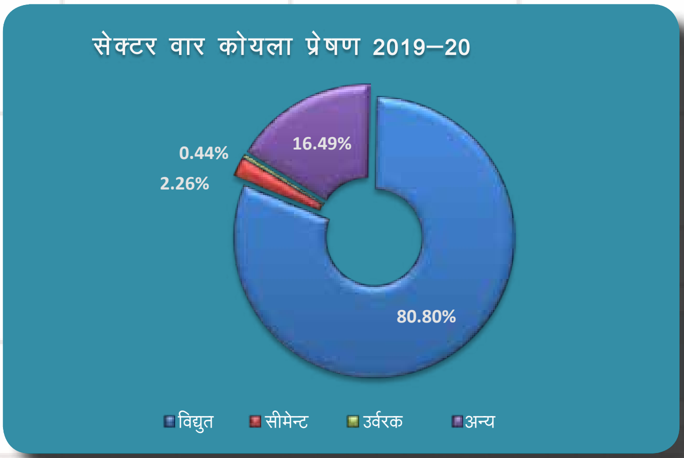

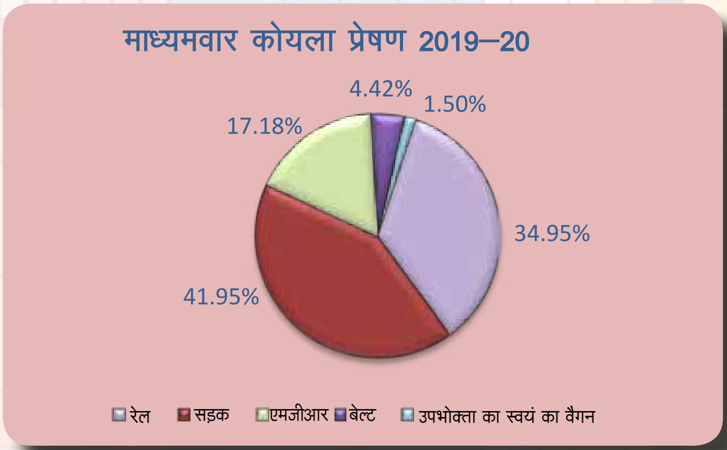

कार्य निष्पादन की प्रवृत्ति

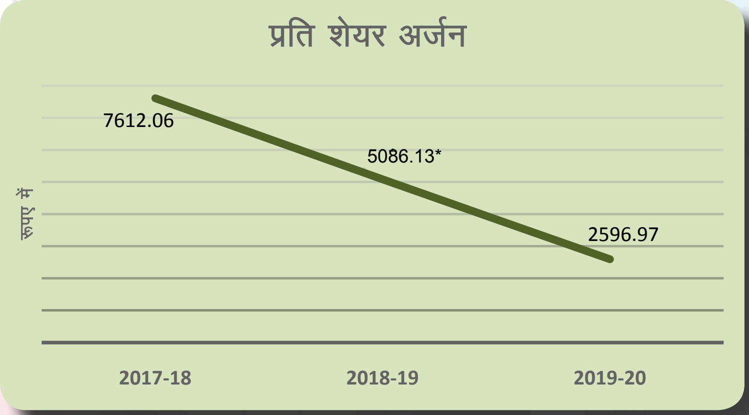

* वर्ष 2017–18 के दौरान, कंपनी ने वर्तमान इक्विटी शेयर धारकों को 7:5 अनुपात में 41,82,850 बोनस इक्विटी शेयर जारी किए।

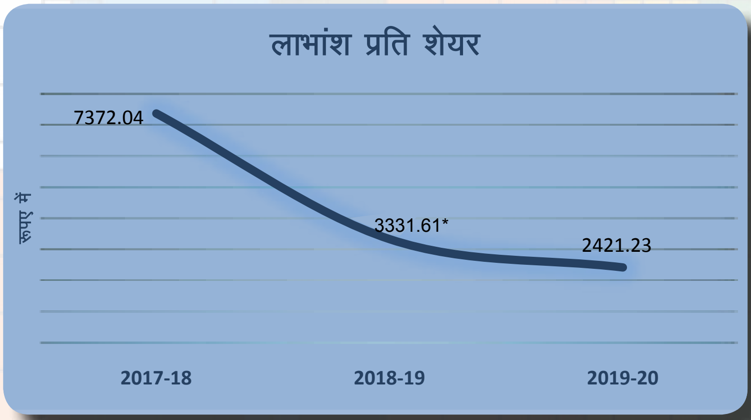

*वर्ष 2017–18 के दौरान, कंपनी ने वर्तमान इक्विटी शेयर धारकों को 7:5 अनुपात में 41,82,850 बोनस इक्विटी शेयर जारी किए।

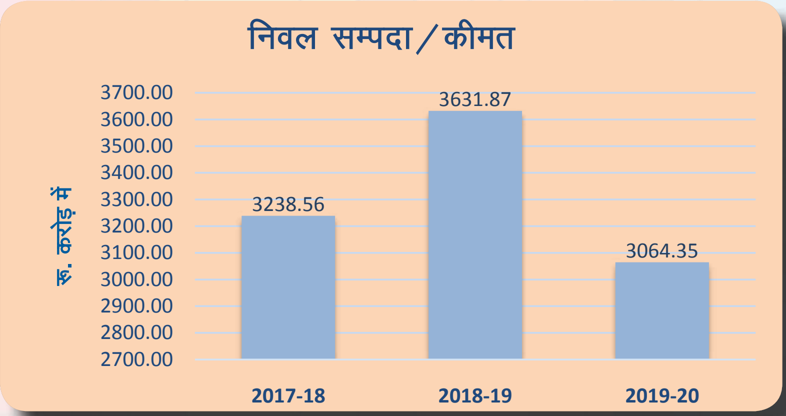

अध्यक्ष का पत्र

प्रिय अंशधारक,

मुझे लगातार दूसरे वर्ष भारत में 150 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादित प्रतिष्ठित कोयला कंपनी की ओर से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपनी कंपनी के कार्य-निष्पादन को प्रस्तुत करने में अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आपकी कंपनी राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा के प्रति अपनी वृहत जिम्मेदारी को समझती है एसईसीएल प्रतिवर्ष सीआईएल के कुल कोयला उत्पादन का एक-चौथाई और घरेलू कोयला उत्पादन के लगभग पांचवें हिस्से के रूप में अपना योगदान देती है। कामगारों की पूर्ण प्रतिबद्धता, सकारात्मक वातारण और बोर्ड व वरिष्ठ अधिकारियों के सामूहिक मार्गदर्शन की संकल्पना द्वारा श्रमिकों के सामूहिक निर्धारण ने कंपनी के लक्ष्य को शिखर तक पहुंचाया है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, सभी अंशधारकों को पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। आपकी अनुमति हो तो मैं यह मान लेता हूं कि आप सभी ने इसका पठन कर लिया है।

एक चुनौतीपूर्ण वर्ष

कंपनी के लिए यह वर्ष काफी उतार-चढ़ाव से भरा रहा। पिछले वर्ष उच्चतम उत्पादन प्राप्त करने के बाद, वित्त वर्ष 2020 की प्रथम तिमाही के दौरान, सीमित संख्या में उपलब्ध एचईएमएम को निर्दिष्ट स्थानों पर नियोजित किया गया था। किंतु उत्पादन (आउटपुट) के मामले में परिणाम कम उत्पादकता और कमतर अधिभार निष्कासन युक्त रहा। फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान खुली खदानों में कोयला उत्पादन का वांछित स्तर तुलनात्मक दृष्टि से संकुचित रहा। यह 29 सितंबर, 2019 को न्यूनतम स्तर पर पंहुच गया, जब अत्यधिक वर्षा के कारण दीपका खदान (35 मि.टन प्रतिवर्ष) के परिचालन पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला। "यदि कुछ गलत हो सकता है, तो यह होगा" जैसा कि मर्फी का नियम कहता है, जो साबित भी हुआ। लीलागर नदी की बाढ़ ने 1998 के एच.एफ.एल. को तोड़ दिया एवं खदान के कुछ एचईएमएम मशीनों के साथ-साथ परिचालन क्षेत्र को डूबा दिया। इसने पिटहेड संयंत्रों आदि को आपूर्ति की सुधार की संभावना और उसे जारी रखने पर सवाल खड़ा करते हुए इस मुद्दे को सुर्खियों में रखा, जोकि दीपका खदान देश की दूसरी सबसे बड़ी खदान होने के नाते स्वाभाविक था। किंतु सामूहिक प्रयासों ने परिचालन को सामान्य स्थिति में लाने में मदद की तथा दीपका खदान ने वित्तीय वर्ष के शेष दिनों में कंपनी को वांछित उत्पादन दिया।

वर्ष के दौरान, विशेष रूप से, संविदा/ठेका प्रबंधन से संबंधित कानूनी मुद्दे को, विभिन्न खनन कार्यकलापों के लिए निविदा आमंत्रित/जारी करने हेतु प्राक्कलन तैयारी का आधार, अधिक भागीदारी के साथ प्रतिस्पर्धी बोली लगाने के लिए पात्रता मापदंड को विस्तार देने एवं अनुसूची की दरों (एसओआर) को अंतिम रूप देने के द्वारा कम किया गया। इसने पूरी कंपनी के सभी खनन कार्यकलापों के लिए निविदाएं आमंत्रित करने से पहले कार्यो के मूल्य का आकलन करने में एकरूपता और पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त किया। परिणामस्वरूप, कई निविदाओं को अधिकाधिक भागीदारी और प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों के साथ एच2 के दौरान अंतिम रूप दिया गया। वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान, खुली खदानों में कोयला उत्पादन और अधिभार निष्कासन में गति मिली। आपकी कंपनी ने 27 मार्च 2020 को एक ही दिन में 1-मि.टन से अधिक कोयला उत्पादन किया। यद्यपि 150 मि.टन को पार करते हुए कोयला उत्पादन के वांछनीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिचालन को सामान्य रूप से फिर से चालू किया गया, किंतु आपदा ने वार्षिक कार्य-निष्पादन पर अमिट छाप छोड़ा, जिसकी भरपाई रिपोर्टिंग अवधि के दौरान नहीं की जा सकी।

एच2 के दौरान, नई खानों और कोयला निकासी की बुनियादी ढांचे को शुरू करने के प्रयासों से परिणाम प्राप्त हुए। दो खुली खदानों बिजारी (2 मि.टन प्रतिवर्ष) और जगन्नाथपुर (3 मि.टन प्रतिवर्ष) में खनन परिचालन शुरू किया गया। कुसमुंडा से सीएसपीजीसीएल के कोरबा

पश्चिम संयंत्र को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पुरानी प्रणाली को बदलकर नई कन्वेयर प्रणाली को चालू किया गया। साथ ही खरसिया से कोरिछापर (लगभग 45 किमी) के बीच बहुप्रतीक्षित ईस्ट-कोरिडोर का एक हिस्सा परीक्षण के आधार पर कोयला यातायात/परिवहन के लिए खोला गया। ईस्ट रेल कॉरिडोर काफी महत्व रखता है क्योंकि ईस्ट-वेस्ट रेल कोरिडोर के माध्यम से भारत के उत्तर और पश्चिम दिशाओं की ओर जाने वाले कोयला परिवहन के लिए कोरबा से पेण्ड्रा-रोड तक कनेक्टिविटी की अनुमति देने का मार्ग प्रशस्त करने के अलावा उत्तरी दिशा पर, दुर्गापुर व पूर्वी दिशा पर पेल्मा तक कोयला उत्पादकों द्वारा सड़क निकासी के कारण होने वाली गंभीर बाधाओं को पार करते हुए माण्ड-रायगढ़ कोलफील्ड्स के विभिन्न क्षेत्रों से कोयला उत्पादन को बढ़ाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने की संभावना है ।

कोविड-19 और बदलते परिदृश्य

कोरोना वायरस रोग-2019 (कोविड-19) एक वायरल महामारी है, इसकी उत्पत्ति समाचार रिपोर्टों के अनुसार, दिसम्बर, 2019 में चीन देश के वुहान शहर में हुई थी। इस रोग ने पूरी तरह से सभी देशों को अपनी चपेट में ले लिया है और इसके फैलाव को रोकने तथा हताहत/नुकसान को नियंत्रित करने के लिए दुनिभा भर में अर्थ-व्यवस्थाओं को बंद करने के लिए मजबूर किया है। हालांकि, इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम-कोरोना वायरस 2 (एसएआरएस-सीओवी2) जूनोटिक नहीं है, रिसेप्टर एंजियोटेंसिन-कनवर्टिंग इंजाइम (एसीई) 2 का उपयोग मानव पर हानिकारक प्रभाव के कारण लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश के लिए किया जाता है। अब तक वैक्सीन के न होने से वायरस ने तबाही मचाई है और इसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में भय के लक्षण या भय, चिंता, संक्रमण और भारी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। लगभग सभी देशों ने कोरोना संचरण को रोकने, सामाजिक दूरी बनाए रखने तथा शारीरिक सम्पर्क से बचने के लिए त्वरित उपायों के रूप में सभी कार्यकलापों को पूर्णतः स्थगित कर दिया है।

भारत ने भी इसके फैलाव को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं तथा सभी मोर्चों पर अभूतपूर्व लॉकडाउन को चार चरणों अर्थात लॉकडाउन 1.0 दिनांक 25 मार्च, 2020 से, लॉकडाउन 2.0 दिनांक 14 अप्रैल, 2020 से, लॉकडाउन 3.0 दिनांक 3 मई, 2020 से तथा लॉकडाउन 4.0 दिनांक 18 मई, 2020 से लागू किया गया और राष्ट्र इस तरह के वैश्विक महामारी से निपटने के लिए संक्रमण के फैलाव की व्यापकता और पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी को ध्यान में रखते हुए कष्टदायक ठहराव की स्थिति में आ गया। अभी अनलॉक के लिए लॉकडाउन 5.0 के दिशानिर्देश 1 जून, 2020 से लागू हो गए हैं और कुछ निर्दिष्ट अंचलों और वर्जित क्षेत्रों में सीमित आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है ।

अर्थ-व्यवस्था को पुनर्जीवित करने में ऊर्जा एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है एवं इस मामले में थर्मल ऊर्जा सेक्टर में इसकी भूमिका के पुनःपरिभाषित होने की संभावना है। आवश्यक सेवा के रूप में, कोल माईनिंग ने कोरोना प्रभावित व कांट्रेक्टेड अर्थ-व्यवस्था को सतत् ऊर्जा आपूर्ति हेतु अपना समर्थन बढ़ाया है। कोयले की मांग को पुनः चालू/जीवित करने के क्रम में, आपकी कंपनी द्वारा आपूर्ति में ट्रिगर स्तर की बाधाओं को दूर करने, ई-नीलामी में आरक्षित मूल्यों में कमी लाने, सस्ती कीमतों पर आयात स्थानापन्न के लिए ऑफर देने, वित्तीय प्रबंधनों में सरलीकरण जैसे कई तरह के उपाय किए गए हैं, जिसने इस तरह के सेक्टरों को फिर से खोलने की आशा जगाते हुए पूरे मल्टी इंडस्ट्रीयल उपभोक्ताओं में मांग सृजित करने में सकारात्मक प्रभाव डाला है ।

नियामक रियायतें

बिजली उत्पादन की अतिरिक्त लागत पर निर्णायक समग्र पर्यावरणीय लाभों के अभाव में, हाल ही के सरकारी अधिसूचना ने बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति में राख की मात्रा को कम करने हेतु कोल वाशिंग को अनिवार्य नहीं माना है। यह क्रमशः खनिक (माईनर्स) एवं उत्पादक (जनरेटर्स) के मध्य कोयला आधारित थर्मल ऊर्जा की आपूर्ति व परिरक्षण में पर्यावरण के मामले में अधिक स्पष्ट हिस्सेदारी बनाएगा। यह पर्यावरणीय चिंताओं को संतुलित (बैलेंस) करने के लिए प्रस्ताव (ऑफर) के अनुरूप आकार एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने में आपूर्तिकर्ताओं की भूमिका को बढ़ाएगा। इससे स्रोत से आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए मांग में जोर पकड़ने की संभावना है, जिस हेतु कोयले की निकासी के लिए अवसंरचना को बहुत समर्थ/ सक्षम बनाने की आवश्यकता होगी ।

प्रसंगवश, आपकी कंपनी विशेष रूप से प्रस्तावित एक बिलियन टन प्लान के अनुसार विशाल वृद्धिशील उत्पादन के कोयले की निकासी के क्रम में, फ्रर्स्ट माईल कनेक्टिविटी (एफएमसी) के तहत कई कोयला निकासी परियोजनाओं को निष्पादित कर रही है। गेवरा, दीपका एवं कुसमुंडा में नए साईलोयुक्त रैपिड लोडिंग सिस्टम, इन-पिट कन्वेयर, सर्ज बिन, उच्च क्षमता वाले बंकर और रेल लिंकेज आदि उत्पादन के उच्च स्तर के अनुरूप पर्याप्त निकासी अवसरंचना सुविधा उपलब्ध कराएंगे। रू. 3100.00 करोड़ से अधिक की अनुमानित पूंजी परिव्यय वाली एफएमसी प्रोजेक्ट्स (8-नग) निष्पादित किए जाएंगे। इसके अलावा, यह 1400-कि.मी. से अधिक दूरी के लिए हाल ही में अधिसूचित रेल रियायतों का लाभ उठाने हेतु उत्तरी व पश्चिमी भारत के अपेक्षाकृत दूर स्थानों पर बिजली संयंत्रों को मदद करेगा। दोनों अधिसूचनाएं उत्पादक स्तर (जनरेटर इंड) पर कोयले के लेंडेड कीमत की लागत को कम करने एवं प्रचुर घरेलू आपूर्ति के साथ कोयले के आयात में कमी लाकर विदेशी मुद्रा को बचाने का दोहरा लाभ पहुंचाएगा ।

व्यवसाय चुनौतियां और नवीकरणीय ऊर्जा

हालांकि सभी देशों में नवीकरणीय ऊर्जा के पक्ष में तर्कों को बल मिलता जा रहा है, लेकिन मांग को पूरा करने के लिए प्राथमिक ऊर्जा की आपूर्ति में सहज रूप में पहुंच और उपलब्धता से संबंधित आधारभूतों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह बात भी लोकप्रिय हो रही है कि हवा, ज्वार आदि व न्यूक्लीयर बेस जैसे स्रोतों के अलावा सूर्य की चमक और गर्मी को

एकत्र कर भंडारित किया जा सकता है। ये सभी वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत कोयला सेक्टर के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, जो न केवल स्थानापन्न के तौर पर खतरे के रूप में है, बल्कि हमारे ऊर्जा अभाव राष्ट्र के लिए पूरक के रूप में भी है। इसलिए, कमतर हिस्सेदारी के साथ पर्याप्त प्राथमिक ऊर्जा उपलब्ध कराने का बोझ कोयला सेक्टर पर बढ़ सकता है।

सीआईएल के 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन कार्यक्रम के प्रति योगदान के क्रम में, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 तक खदान के विस्तार, नई खान परियोजनाओं, अवसंरचना, रेल लाइनों और साइडिंग आदि में रू. 26,033 करोड़ निवेश की योजना पर प्रतिबद्धता जताई है। चूंकि कई परियोजनाएं पहले ही प्रारंभ की जा चुकी हैं, अतः इन परियोजनाओं में समग्र निष्पादन निवेश योजना के 60-प्रतिशत से अधिक हो सकता है। चूंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अनुसार, अधिकांश खान परियोजनाओं को आंतरिक संसाधनों के माध्यम से निष्पादित किया जाना है, अतः उपलब्ध अधिशेष और कोयले की बिक्री पर कम प्राप्ति/उगाही के कारण विशिष्ट मार्जिन को ध्यान में रखते हुए इन परियोजनाओं को निधि देने में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। खदान विस्तार योजनाओं और उत्पादन बढ़ाने के लिए नई खदानों को खोलने के अतिरिक्त, आपकी कंपनी सोहागपुर में संभावित स्थान पर कोल बेड मीथेन (सीबीएम) एवं भटगांव में सरफेस कोल गैसीफिकेशन जैसे कोयला आधारित संसाधनों का उपयोग करने के लिए नए रास्ते तलाश रही है जिसके लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन प्रगति पर है। आगे, कोयला सेक्टर में वाणिज्यिक खनन उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर कोयला उपलब्ध कराने हेतु दूसरे देशों से उन्नत खनन प्रौद्योगिकी और संसाधन आमंत्रित कर सकता है।

कार्य-निष्पादन

कार्य-संचालन को सीमित करने वाली चुनौतियों और अभूतपूर्व स्थितियों के बावजूद, आपकी कंपनी ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां (माईल-स्टोन) हासिल करने और भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक कंपनी के रूप में नेतृत्व की स्थिति को बनाए रखने के लिए वित्तीय वर्ष में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। कार्य-निष्पादन की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार प्रदर्शित हैं:-

परिचालन स्थितिः

- 150.55 मि.टन कोयला उत्पादन (लगातार दूसरे वर्ष 150 मि.टन को पार किया)
- कोयला प्रेषण 141.93 मि. टन रहा।
- आउटपुट प्रति मैन शिफ्ट (ओएमएस) 11.65 टन रहा।

वित्तीय स्थिति

- कंपनी का समग्र टर्न ओवर रू. 27,086.06 करोड़ ।
- वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ (पीबीटी) रू. 2,521.47 करोड़ ।
- 242.123% लाभांश की राशि रू. 1,617.52 करोड़ ।
- 31.03.2020 को निवल-सम्पदा रू. 3,064.35 करोड़ ।
- राजकोष में योगदान रू. 12,823.47 करोड़ ।

निगमित अभिशासन

सभी हितधारकों का विश्वास हासिल कर संगठन के संचालन को सतत बनाए रखने के लिए व्यवसाय प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना तथा कार्यकलापों का पर्यवेक्षण/निगरानी करना प्रत्येक अधिकारी (फंक्शनरी) के लिए अति-आवश्यक है। विभिन्न हितधारकों को प्रभावित करने वाले व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए अभिशासन नीतियों, दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं और अन्य कार्य-विधियों के स्तर को प्रदर्शित/प्रस्तुत करने हेतु, इसे कंपनी की वेबसाइट में सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में, कॉर्पोरेट लोकाचार बाह्य हितधारकों के साथ व्यवहार पर विश्वास विकसित करने के लिए संगठन के भीतर अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता और आंतरिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। कारपोरेट गवर्नेस के स्तर को उठाकर कॉर्पोरेट के विकास को सुनिश्चित करना हमारा हमेशा प्रयास रहा है। तदनुसार, सभी हितधारकों के बेहतर हित में वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी में पारदर्शिता, व्यावसायिक कार्य-व्यवहार में विनियोजन, उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए पर्याप्त/समुचित कोयला और कोयला आधारित उत्पादों की आपूर्ति, सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षा के उपायों को सुनिश्चित करने के अलावा व्यथा/शिकायतों इत्यादि के समय पर निवारण पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही, कोल इंडिया लिमिटेड की एक महत्वपूर्ण अनुषंगी कंपनी के रूप में कम्पनी अधिनियम के अधीन विभिन्न दशाओं व विषयान्तर्गत सीआईएल के सूचीबद्ध अनुबंध के युक्तियुक्त मानकों का अनुपालन सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) नियमन 2015 के निबंधन में किया गया है। आगे, सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीपीएसई के लिए निगमित अभिशासन पर जारी दिशानिर्देशों का भी कार्यान्वयन किया गया है। निगमित अभिशासन पर पृथक रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट का एक भाग है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में, आपकी कंपनी न केवल समय-समय पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित अनिवार्य दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराती है, बल्कि सामाजिक महत्व, शैक्षिक महत्व, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण संबंधी व्यवस्था भी करती है। वर्तमान महामारी आदि के दौरान आपकी कंपनी ने आपदा प्रबंधन भी निष्पादित किया है। आपकी कंपनी खनन क्षेत्रों के आसपास निवासरत लोगों के उत्थान के लिए सुविधा प्रदान करने और सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बड़े कॉर्पोरेट के नाते, आपकी कंपनी खनन परियोजनाओं के आसपास सतत और समावेशी विकास के लिए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में हमेशा अग्रणी रही है। सीएसआर के तहत उठाए गए कदम

समाज के कल्याणकारी उपायों को बढ़ाने में राज्य के कार्यों की दशा को संपूरक प्रदान करते है। समाज से परस्पर जुड़ाव व उनके समग्र विकास के लिए कार्य करना हमारे खनन कार्य संचालन का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारी उक्त परियोजनाएं व्यापक सेक्टरों जैसे- पेयजल आपूर्ति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व पर्यावरणीय संपोषणीयता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं खेलकूद को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति की संरक्षा, ग्रामीण विकास, स्वच्छता सहित स्वच्छ भारत अभियान, दिव्यांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण इत्यादि कार्यों के सुचारू रूप से संचालन पर केन्द्रित हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए सीएसआर कार्यकलापों पर विस्तृत रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट का एक भाग है।

पर्यावरण प्रबंधन एवं सुरक्षा

हमारे व्यवसाय की योजना में इसे वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं के संरक्षण के साथ पारिस्थितकी संतुलन को बनाए रखकर पर्यावरण की सुरक्षा के माध्यम से टिकाऊ विकास के लिए व्यावसायिक प्रक्रिया में अंतःस्थापित किया गया है। आपकी कंपनी ने पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) के क्रियान्वयन के माध्यम से कोयला खानों एवं आसपास स्वच्छ पर्यावरण मुहैया कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए बहु-प्रजाति पौधों के रोपण के सहभागी के रूप में, आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान 6.85 लाख पौधे रोपित किए है। शुद्ध पानी के दुलर्भ संसाधनों के संरक्षण के लिए, आपकी कंपनी ने सभी खदानों में अवसादन टेंकों/सेटलिंग तालाबों की कमीशनिंग के अलावा अपनी खानों और कालोनियों में जल संरक्षण व वर्षा जल संचयन का भी काम किया है, जो जल पुनर्भरण बेसिन के रूप में कार्य करता है।

सुरक्षा आश्वासन के साथ सभी खनन कार्यों का संचालन इसका अभिन्न अंग है। प्रबंधन खुली एवं भूमिगत खदानों के लिए सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) एवं पृथक एसओपी का विकास कर इसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सभी मार्गदर्शन, गैजेट्स, अलार्म सिस्टम, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, उपकरणों में सेफ्टी डिवाइस के बावजूद, एसओपी के उल्लंघन और चूक के कारण प्राथमिक रूप से दुर्घटनाएं एवं उसकी वजह से मृत्यु होती हैं, जिसके लिए गलती करने वाले कर्मियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती हैं। सुरक्षा नीति, खानों में जीवन और मशीनरी को कोई क्षति न पहुंचे, इस हेतु सक्षम वातावरण भी बनाती है।

अभियोग्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट

अंशधारकों के प्रति वचनबद्धता को सशक्त बनाने के क्रम में, यह सुनिश्चित किया गया कि लेखा मानकों का पालन करते हुए कंपनी की लेखा नीतियां के अनुरूप वित्तीय विवरणी तैयार की जाए, जो कंपनी के कार्य प्रणाली के संबंध में सही व स्पष्ट विचार निरूपित करते हैं। कंपनी की वर्तमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता को विधिवत स्वीकार किया गया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वर्ष 2019-20 के लिए कम्पनी के लेखा पर अभियोग्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट (अनक्वालीफाइड आडिट रिपोर्ट) दिया है, जबकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कम्पनी के लेखा पर ''निरंक टिप्पणी'' दी है।

आभार :

मैं प्रतिबद्ध श्रमिकों के समेकित प्रयासों, ट्रेड यूनियनों के समग्र सहयोग, नियामक निकायों से प्राप्त मार्गदर्शन तथा कार्य संचालन क्षेत्रों में राज्य प्रशासन के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

मैं, निदेशक मण्डल की ओर से कोयला मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कार्पोरेट कार्य मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, निवेश एवं सार्वजनिक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश राज्य सरकार व सांविधिक प्राधिकारियों तथा कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

मैं, प्रबंधन पर भरोसा बनाए रखने के लिए अंशधारकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं तथा अपने सम्मानित ग्राहकों, विक्रेताओं एवं व्यावसायिक भागीदारों के माध्यम से ऊर्जा की मूल्यवान कड़ी को मजबूती प्रदान करने हेतु हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

शुभकामनाओं के साथ ।

(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06664375

पुरस्कार एवं सम्मान

एसईसीएल ने प्राप्त किया सीएसआर पर कार्पोरेट अवार्ड

एसईसीएल ने प्राप्त किया पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अवार्ड (आर एंड आर)

संचालनीय सांख्यिकीय

उत्पादन कार्य निष्पादन

	वित्तीय वर्ष के लिए	2019-20	2018-19
1.	**उत्पादन (कच्चा कोयला) (मि.टन)**		
	भूमिगत	14.09	14.77
	खुली खान	136.46	142.58
	कुल	150.55	157.35
2.	**अधिभार निष्कासन (मि.घन मीटर)**	164.74	183.44
3.	**ढुलाई (कच्चा कोयला) (मि.टन)**		
	बिजली	114.69	128.14
	फर्टिलाईजर	0.63	0.73
	सीमेंट	3.21	2.82
	कालरी खपत	0.01	0.01
	अन्य	23.40	24.33
	कुल	141.94	156.03
4.	**प्रेषण का माध्यम (कच्चा कोयला) (मि.टन)**		
	रेल	49.61	49.10
	सड़क	59.54	70.72
	एमजीआर	24.38	27.03
	बेल्ट	6.27	6.97
	उपभोक्ता का स्वयं का वैगन	2.13	2.20
	कुल	141.93	156.02
5.	**उत्पादकता :**		
	आउटपुट प्रति मैनशिफ्ट (ओएमएस)		
	भूमिगत (टन)	1.69	1.72
	खुली खदान (टन)	29.91	31.46
	समग्र (टन)	11.65	11.99
6.	**श्रमशक्ति**	51426	54816
7.	**पूंजीगत व्यय (रू. करोड़ में)**	982.84	1045.55

वित्तीय स्थिति

इंड एएस के अनुसार

रू. करोड़ में

वित्तीय वर्ष के लिए			2019-20	2018-19
परिसम्पत्तियां				
(1)	**गैर-चालू परिसम्पत्तियां**			
	(क)	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	6,009.14	6,043.95
	(ख)	पूंजीगत कार्य में प्रगति	760.27	787.88
	(ग)	अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसम्पत्तियां	1,457.26	1,174.29
	(घ)	अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	10.27	10.27
	(ड.)	विकास के अधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	-	-
	(च)	निवेश सम्पत्ति	-	-
	(छ)	वित्तीय परिसम्पत्तियां		
		1. निवेश	746.07	624.60
		2. ऋण	110.2	60.47
		3.अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	1,769.52	1,892.58
	(ज)	आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	305.60	544.08
	(झ)	अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	226.59	17.99
		कुल गैर-चालू परिसम्पत्तियां (क)	**11,394.92**	**11,156.11**
(2)		**चालू परिसम्पत्तियां**		
	(क)	सम्पत्ति सूची	1,253.04	935.85
	(ख)	वित्तीय परिसम्पत्तियां		
		1. निवेश	0.29	0.20
		2. व्यापारिक प्राप्य	1,653.80	387.67
		3. नकद एवं नकद समकक्ष	39.49	159.43
		4. अन्य बैंक शेष	3,966.50	4,631.85
		5. ऋण	0.89	0.58
		6. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	1,064.23	869.23
	(ग)	चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	8,457.72	6,989.70
	(घ)	अन्य चालू परिसम्पत्तियां	1,287.34	939.89
		कुल चालू परिसम्पत्तियां (ख)	**17,723.30**	**14,914.40**
		कुल परिसम्पत्तियां	**29,118.22**	**26,070.51**
इक्विटी एवं देयताएं				
इक्विटी				
	(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	668.06	668.06
	(ख)	अन्य इक्विटी	2,396.29	2,963.81
		कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को रोप्य इक्विटी	3,064.35	3,631.87
		गैर-नियंत्रित ब्याज	-	-
		कुल इक्विटी (क)	**3,064.35**	**3,631.87**

वित्तीय स्थिति (क्रमशः)

इंड एएस के अनुसार

रू. करोड़ में

वित्तीय वर्ष के लिए			2019-20	2018-19
देयताएं				
(1)	**गैर-चालू देयताएं**			
	(क)	वित्तीय देयताएं		
		1. उधार	-	-
		2. व्यापारिक देय	-	-
		3.अन्य वित्तीय देयताएं	846.18	809.81
	(ख)	प्रावधान	13,821.62	11,924.37
	(ग)	अन्य गैर-चालू देयताएं	0.40	0.46
	(घ)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	-	-
		कुल गैर-चालू देयताएं (ख)	14,668.20	12,734.64
(2)	**चालू देयताएं**			
	(क)	वित्तीय देयताएं		
		1.उधार	1,724.93	730.47
		2.व्यापारिक देय	2,015.92	1,611.62
		3.अन्य वित्तीय देयताएं	855.82	878.78
	(ख)	अन्य चालू देयताएं	5,747.34	5,413.14
	(ग)	प्रावधान	1,041.66	1,069.99
	(घ)	चालू कर देयताएं (निवल)	-	-
		कुल चालू देयताएं (ग)	11,385.67	9,704.00
		कुल इक्विटी एवं देयताएं (क+ख+ग)	**29,118.22**	**26,070.51**

टिप्पणीः *पिछली अवधि के आंकड़े को तुलना की दृष्टि से जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया, पुनःएकत्रित व पुनःव्यवस्थित किया गया।*

आय और व्यय

इंड एएस के अनुसार
रू. करोड़ में

वित्तीय वर्ष के लिए	2019-20	2018-19
(क) निम्नलिखित से अर्जित		
1. समग्र विक्रय	27,086.06	31,368.72
घटाईए : सांविधिक लेवी	10,235.98	11,606.73
निवल विक्रय	16,850.08	19,761.99
2. अन्य संचालनीय राजस्व		
क) निवल लदाई व अतिरिक्त परिवहन प्रभार एवं निकास प्रभार एवं अनुदान	1,329.32	1,483.53
अन्य संचालनीय राजस्व	**1,329.32**	**1,483.53**
संचालन से राजस्व (1+2)	18,179.40	21,245.52
3. अन्य आय		
क) जमा/म्यूचुअल फण्ड आदि पर ब्याज	546.32	452.72
ख) अन्य गैर-संचालनीय आय	286.14	158.48
कुल (क)	**19,011.86**	**21,856.72**
(ख) प्रदत्त/उपलब्ध कराया गया		
1) कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ (क से ग)		
क) वेतन,मजदूरी,भत्ते,बोनस आदि	5,776.54	5,832.04
ख) पीएफ एवं अन्य निधि में अंशदान	1,650.35	1,558.96
ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	756.71	784.10
2) भण्डार में वृद्धि/कमी	-318.40	45.39
3) सीएसआर व्यय	84.65	83.55
4) स्टोर्स एवं स्पेयर्स	1,483.85	1,548.63
5) बिजली एवं ईंधन	777.85	746.74
6) ठेकेदार (परिवहन एवं मरम्मत सहित)	2,785.30	2,762.08
7) वित्त लागत	121.51	-3.78
8) अवमूल्यन/परिशोधन/कमी-हानि	760.85	790.78
9) प्रावधान एवं राईट-ऑफ	94.44	-110.31
10) अधिभार निष्कासन समायोजन	1,636.66	1,345.97
11) अन्य व्यय	880.08	901.9
12) पूर्व अवधि समायोजन/अपवादित मदें/असाधारण मदें	-	-
13) उत्पाद शुल्क	-	-
कुल (ख)	16,490.39	16,286.05
कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (क-ख)	2,521.47	5,570.67
लाभ पर कर	786.55	1,959.12
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	**1,734.92**	**3,611.55**
(ग) अन्य व्यापक आय (निवल कर)	-352.43	12.89
कुल व्यापक आय (पीएटी+ओसीआई)	1,382.49	3,624.44
लाभांश	1,617.52	2,326.61
लाभांश पर कर	332.49	478.24
सामान्य संचय में अंतरण	86.75	180.58
सीएसआर संचय में अंतरण	0	0
टिकाऊ विकास संचय में अंतरण	0	0
तुलन पत्र में लाया गया लाभ	-654.27	639.01
पिछले वर्षों से संचित लाभ	**984.48**	**345.47**

टिप्पणी : *पिछली अवधि के आंकड़े को तुलना की दृष्टि से जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया, पुनःएकत्रित व पुनःव्यवस्थित किया गया ।*

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना

(रू. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष के लिए	2019-20	2018-19
(क) परिसम्पत्तियों एवं देयताओं से संबंधित		
(1) (i) प्रत्येक रू. 1000 के इक्विटी शेयरों की संख्या	66,80,561	66,80,561
(ii) अंशधारकों की निधि		
क) इक्विटी	668.06	668.06
ख) संचय	2,066.08	1,979.33
ग) संचित लाभ/हानि	330.21	984.48
घ) विविध व्यय	0.00	0.00
(2) दीर्घकालिक उधार	0.00	0.00
(3) नियोजित पूंजी	12,346.77	11,254.35
(4) (i) निवल स्थाई परिसम्पत्ति	6,009.14	6,043.95
(ii) चालू परिसम्पत्तियां	17,723.30	14,914.40
(iii) चालू देयताएं	11,385.67	9,704.00
(5) (क) व्यापारिक प्राप्य (निवल)	1,653.80	387.67
(ख) नकद एवं अधिकोश	4,005.99	4,791.28
(6) निम्नलिखित का इति भण्डार :		
(क) स्टोर्स एवं स्पेयर्स (निवल)	281.65	292.93
(ख) कोयला,कोक आदि (निवल)	806.70	469.67
(7) स्टोर्स एवं स्पेयर्स का औसत भण्डार (निवल)	287.29	288.87
(ख) लाभ/हानि से संबंधित		
(1) (क) समग्र मार्जिन	3,403.83	6,357.67
(ख) समग्र लाभ	2,642.98	5,566.89
(ग) कर पूर्व लाभ	2,521.47	5,570.67
(घ) निवल लाभ (कर पश्चात)	1,734.92	3,611.55
(ड.) निवल लाभ (कर एवं लाभांश पश्चात)	(215.09)	806.70
(2) (क) समग्र विक्रय	27,086.06	31,368.72
(ख) निवल विक्रय (लेवी व कोयले की गुणवत्ता के समायोजन पश्चात)	16,850.08	19,761.99
(ग) उत्पादन का विक्रय मूल्य	17,168.48	19,716.60
(3) विक्रय की लागत (विक्रय-लाभ)	14,328.61	14,191.32
(4) (क) कुल व्यय	16,490.39	16,286.05
(ख) वेतन एवं मजदूरी	8,183.60	8,175.10
(ग) स्टोर्स एवं स्पेयर्स	1,483.85	1,548.63
(घ) बिजली एवं ईंधन	777.85	746.74
(ड.) वित्त लागत एवं अवमूल्यन	882.36	787.00
(5) प्रतिमाह स्टोर्स एवं स्पेयर्स की औसत खपत	123.65	129.05
(6) (क) वर्ष के दौरान नियोजित औसत श्रमशक्ति	53,265	56,624
(7) (क) संवर्धित मूल्य	14,588.38	17,466.62
(ख) प्रति कर्मचारी सवंर्धित मूल्य	0.27	0.31

टिप्पणी : *पिछली अवधि के आंकड़े को तुलना की दृष्टि से जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया, पुनःएकत्रित व पुनःव्यवस्थित किया गया ।*

महत्वपूर्ण वित्तीय सापेक्ष अनुपात

रू. करोड़ में

वित्तीय वर्ष के लिए	2019-20	2018-19
(क) लाभदायिता अनुपात		
(1) निवल विक्रय प्रतिशत के रूप में		
(क) समग्र मार्जिन	20.20	32.17
(ख) समग्र लाभ	15.69	28.17
(ग) निवल लाभ	10.30	18.28
(2) कुल व्यय प्रतिशत के रूप में		
(क) वेतन एवं मजदूरी	49.63	50.20
(ख) स्टोर्स एवं स्पेयर्स	9.00	9.51
(ग) बिजली एवं ईंधन	4.72	4.59
(घ) ब्याज एवं अवमूल्यन	5.35	4.83
(3) नियोजित पूंजी प्रतिशत के रूप में		
(क) समग्र मार्जिन	27.57	56.49
(ख) समग्र लाभ	21.41	49.46
(ग) कर पश्चात लाभ	14.05	32.09
(4) ऑपरेटिंग अनुपात (विक्रय-लाभ)/विक्रय)	0.85	0.72
(ख) तरलता अनुपात		
(1) चालू अनुपात (चालू परिसम्पत्ति/चालू देयता)	1.56	1.54
(2) त्वरित अनुपात (त्वरित परिसम्पत्ति/चालू देयता)	0.50	0.53
(ग) टर्न ओव्हर अनुपात		
(1) पूंजीगत टर्नओवर अनुपात (निवल विक्रय/नियोजित पूंजी)	1.36	1.76
(2) व्यापारिक प्राप्य (निवल)माह की संख्या के अनुसार		
(क) समग्र विक्रय	0.73	0.15
(ख) निवल विक्रय	1.18	0.24
(3) निवल विक्रय के अनुपात रूप में		
(क) व्यापारिक प्राप्य	0.10	0.02
(ख) कोयले का भण्डार	0.05	0.02
(4) स्टोर्स एवं स्पेयर्स का भण्डार		
(क) औसत भण्डार/वार्षिक खपत	0.19	0.19
(ख) खपत माह की संख्या के अधीन इति भण्डार	2.28	2.27
(5) कोयला, कोक आदि का भण्डार		
(क) उत्पादन का मूल्य माह की संख्या के अनुसार	0.56	0.29
(ख) विक्रय की लागत माह की संख्या के अनुसार	0.68	0.40
(ग) निवल विक्रय माह की संख्या के अनुसार	0.57	0.29
(घ) संरचनात्मक अनुपात		
(1) ऋण : इक्विटी	0.00	0.00
(2) ऋण : निवल कीमत	0.00	0.00
(3) निवल कीमत : इक्विटी	4.59	5.44
(4) निवल स्थाई परिसम्पत्ति : निवल कीमत	1.96	1.66
(ड.) अंशधारक का हित/ब्याज		
(1) प्रति शेयर बही-मूल्य (रू.) (निवल कीमत/इक्विटी की संख्या)	4,586.97	5,436.47
(2) प्रति शेयर लाभांश (रू.)	2,421.23	3,331.61

टिप्पणी :पिछली अवधि के आंकड़े को तुलना की दृष्टि से जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया, पुनःएकत्रित व पुनःव्यवस्थित किया गया ।

निदेशकों का परिचय

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

श्री अम्बिका प्रसाद पण्डा

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (01.07.2018 एवं 28.12.2018 से)

श्री अम्बिका प्रसाद पण्डा (52 वर्ष) ने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पदभार दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को ग्रहण किया। इस पद के पूर्व, आप अगस्त 2013 से निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यरत रहे तथा पद की रिक्तता के कारण जुलाई 2018 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया । आप एसईसीएल की दो अनुषंगी कम्पनी यथा-छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) एवं छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल) के अगस्त 2013 से जनवरी 2019 तक चेयरमेन भी थे ।

इस अवधि के दौरान, दोनों सहायक कंपनियों को सीईआरएल द्वारा ईस्ट रेल कॉरिडोर (फेज-I) परियोजना के लिए प्रारंभिक अवस्था से वित्तीय क्लोजर की प्राप्ति तक और सीईडब्लूआरएल द्वारा ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरिडोर के मामले में सारभूत/प्रभावशाली प्रगति के लिए विकसित किया गया था। दोनों ही कंपनियों को कोयला निकासी के लिए 9700 करोड़ रुपये का निवेश करते हुए एसईसीएल के मांड-रायगढ़ तथा कोरबा कोलफील्ड्स होते हुए लगभग 300 किलोमीटर रेल मार्ग बिछाने के लिए अधिकार-पत्र दिया गया है, जो सीआईएल के 1-बिलियन टन कोयला उत्पादन योजना के लिए एसईसीएल के योगदान की दिशा में लाभकारी होने की संभावना है । एसईसीएल में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व, आप राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापटन्म स्टील प्लान्ट में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। आपको वित्तीय योजना एवं नियंत्रण, लेखा व लेखा परीक्षा, कास्टिंग एवं बजटिंग, राजकोष व फॉरेक्स प्रबंधन, वाणिज्यिक व कर मामले आदि के क्षेत्र में दो दशक से भी अधिक का गहन अनुभव है।

आपके वार्ता-कौशल, समन्वय स्थापित करने की योग्यता व असाधारण संबंध प्रबंधन के फलस्वरूप संस्थान काफी लाभदायक स्थिति में रहा। फॉरेक्स प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण, लागत कम करने, संविदा प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आपके योगदान ने वित्तीय कार्यों को मजबूती प्रदान की। आप इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य है तथा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हैं। आप एक प्रखर व्यावसायिक विश्लेषक व एक प्रतिबद्ध प्रबंधन पेशेवर हैं तथा आपको चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स (सीआईएमए) द्वारा ''मोस्ट इन्फलूएंसियल सीएफओ ऑफ इंडिया'' अवार्ड से सम्मानित किया गया।

सरकार नामित निदेशक

श्री राजेश कुमार सिन्हा

आईएएस, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय (29.11.2019 से 09.07.2020 तक)

श्री राजेश कुमार सिन्हा (54 वर्ष), आईएएस, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने 29.11.2019 को एसईसीएल के बोर्ड में अंशकालिक कार्यालयीन निदेशक/सरकार नामित निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री आर.के. सिन्हा केरल कैडर से संबंधित 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में आप संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पद पर पदस्थ हैं। इसके पूर्व, श्री आर.के. सिन्हा ने कलेक्टर, इडुक्की एवं महाप्रबंधक, केरला वित्त निगम, निदेशक, शहरी विकास मंत्रालय, रजिस्ट्रार दिल्ली विश्वविद्यालय, सचिव, वित्त (व्यय) केरला सरकार के पद पर भी काम किया है। आपको 20.04.2015 से 09.06.2017 तक एनसीएल बोर्ड में कार्यालयीन अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आपको एमसीएल बोर्ड में कार्यालयीन अंशकालिक निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया था। श्री सिन्हा का कोयला मंत्रालय में उनका कार्यकाल पूरा होने पर 10.07.2020 से एसईसीएल बोर्ड से सदस्यता समाप्त हो गया ।

श्री संजीव सोनी

निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड (29.10.2019 से)

श्री संजीव सोनी (58 वर्ष), निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 29.10.2019 को एसईसीएल के निदेशक मण्डल में अंश-कालिक कार्यालयीन निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। श्री सोनी ने दिनांक 10.07.2019 को कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का प्रभार ग्रहण किया। इसके पूर्व, श्री सोनी दिनांक 19.06.2018 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य करने के साथ-साथ दिनांक 04.04.2019 से 09.07.2019 तक निदेशक (वित्त) एसईसीएल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाले हुए थे ।

श्री सोनी ने सेंट जेवियर्स कालेज, कोलकाता से कामर्स में स्नातक किया । आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एकांटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं । श्री सोनी को 32 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है तथा आपने कोयला उद्योग में विभिन्न क्षमताओं में अपनी सेवाएं दी है।

श्री सोनी ने दिनांक 27.05.1986 को सीएमपीडीआई में कार्यभार ग्रहण किया। अपने पेशेवर कैरियर के दौरान, श्री सोनी ने सीएमपीडीआई में विभिन्न पदों पर कार्य किया । आप यूएनडीपी/जीईएफ/जीओआई-कोल बेड मीथेन की प्राप्ति एवं उपयोगिता परियोजना जिसे संयुक्त रूप से सीएमपीडीआई/बीसीसीएल/जीओआई/यूएनडीपी द्वारा क्रियान्वित किया गया है, के वित्त कार्यकलापों के इन्चार्ज थे। निदेशक (वित्त), ईसीएल के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व, आपने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में, महाप्रबंधक (वित्त) आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के पद पर कार्य किया। श्री सोनी ने डब्लूसीएल में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए मजबूत आंतरिक नियंत्रण निर्मित करने की दिशा में कई पहल किए। आपने सीबीएम परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2004 में वियना, आस्ट्रिया तथा सीआईएल प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में पीडीएसी 2019 के लिए टोरोंटो, कनाडा का दौरा किया। आपने कोकिंग कोल संपत्तियों की गहन वित्तीय देयता को पूरा करने के लिए रूस का दौरा किया।

कार्यकारी निदेशक

डा. रामा शंकर झा

निदेशक (कार्मिक) (30.09.2014 से)

डा. रामा शंकर झा (59-वर्ष) ने दिनांक 30.09.2014 को एसईसीएल में निदेशक (कार्मिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया तथा निदेशक (कार्मिक), एसईसीएल के पद पर उनका कार्यकाल दिनांक 31.01.2021 तक बढ़ाया गया। डा. झा ने श्रम एवं समाज कल्याण में एमए (टॉपर), एलएलबी एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आपने अभी तक बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित जिन संस्थानों में श्रम-कल्याण अधिकारी, कार्मिक अधिकारी से महाप्रबंधक पद तक अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी है, उनमें बिहार राज्य सुगर कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (अनुसूची-ए सीपीएसयू), वेदांता/स्टरलाईट ग्रुप ऑफ कम्पनीज, एनएमडीसी (नवरत्न कम्पनी) प्रमुख है।

आपने कोल इंडिया लिमिटेड के वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (मुख्यालय), नागपुर में दिनांक 21.06.2011 को महाप्रबंधक (कार्मिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। तत्पश्चात आपने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड,संबलपुर में दिसम्बर, 2011 से महाप्रबंधक (कार्मिक/प्रशासन) पद पर कार्य किया, जहां आप श्रमशक्ति, भर्ती, अधिकारी- स्थापना, कौशल विकास, सामान्य प्रशासन आदि विभाग के प्रमुख रहे। आपने कम्पनी के मुख्य लोक सूचना अधिकारी/शिकायत निवारण अधिकारी के पद पर भी कार्य किया ।

आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक उत्कृष्ट मानव संसाधन अधिकारी है। आपको विभिन्न उद्योगों में कार्मिक कार्यकलापों के समस्त पहलुओं का व्यापक अनुभव है । आपने हर अवसर पर सर्वत्र कार्यनीतिज्ञ कौशल अधिकारी होना सिद्ध किया है जो द्रुतगामी रूप में विविध कार्यदल में सहभागिता प्रबंधन की शैली को प्रदर्शित करता है। आपने श्रमशक्ति सुव्यवस्थीकरण, कौशल विकास पहलकर्ता तथा मानव संसाधन विभाग के अन्य चुनौतिपूर्ण कार्यों के निष्पादन में भी अपनी बेहतर सहभागिता निभायी हैं। आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,कोलकाता में कोल इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधकों के लिए आयोजित उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम,फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ फाईनेंस एंड मैनेजमेंट,जर्मनी तथा स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनामिक्स, स्वीडन में भी भाग लिया है।

डा. झा एसईसीएल की दो अनुषंगी अर्थात छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) तथा छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल) के बोर्ड-सदस्य भी हैं । आप कोल माईंस प्रोविडेंट फंड आर्गनाईजेशन (सीएमपीएफओ) के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (बोओटी) सदस्य भी हैं ।

श्री झा ने फरवरी, 2019 में वर्ल्ड एचआरडी कंग्रेस के 27-वें संस्करण में ''प्राईड ऑफ एचआर प्रोफेशन (पीएसयू में)'' अवार्ड प्राप्त किया तथा सितम्बर, 2015 में एशिया पेसिफिक एचआरएम कांग्रेस द्वारा ''50 मोस्ट इंफ्लूएंसियल एचआर प्रोफेशनल इन एशिया'' के लिए अवार्ड प्राप्त किया तथा फरवरी, 2016 में वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा ''100 मोस्ट इफ्लूएंसियल एचआर लीडर्स इन इंडिया'' के लिए अवार्ड प्राप्त किए।

श्री आर.के. निगम

निदेशक (तकनीकी) संचालन (28.12.2018 से)

श्री रवीन्द्र कुमार निगम (59 वर्ष) ने 28 दिसम्बर, 2018 को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) (योजना एवं परियोजना) का पदभार ग्रहण किया और श्री कुलदीप प्रसाद, पूर्व निदेशक (तकनीकी) (संचालन), एसईसीएल के अधिवर्षिता के फलस्वरूप दिनांक 01.05.2019 से निदेशक (तकनीकी) (संचालन), एसईसीएल का प्रभार ग्रहण किया। श्री निगम बी.ई. (माईनिंग) में स्नातक है तथा खान अधिनियम के अधीन फ्रर्स्ट क्लास माईन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ काम्पीटेंसी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। श्री निगम ने वर्तमान पदधारी श्री मनोज कुमार प्रसाद की नियुक्ति पर दिनांक 18.06.2019 को निदेशक (तकनीकी) (योजना एवं परियोजना), एसईसीएल का प्रभार त्याग दिया ।

श्री निगम ने कोल इंडिया में वर्ष 1981 में अपने कैरियर की शुरूआत की। आपने कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनियों यथा-बीसीसीएल एवं एसईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों/ परियोजनाओं/ कार्पोरेट मुख्यालय में विभिन्न क्षमताओं/ पदों पर कार्य किया। निदेशक (तकनीकी) (योजना एवं परियोजना), एसईसीएल का पदभार ग्रहण करने के पूर्व, आपने एसईसीएल बिलासपुर के कार्पोरेट कार्यालय में विभागाध्यक्ष/महाप्रबंधक (उत्पादन) के पद पर कार्य किया। आपको भूमिगत के साथ-साथ खुली खदानों में आधुनिक यंत्रीकरण में कार्य करने का उच्च तकनीकी दक्षता प्राप्त है ।

आपने चीन, फ्रांस और स्वीडन जैसे देशों के प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एडवांस मैनेजमेंट प्रशिक्षण में भाग लिया तथा वर्ष 2009 में चीन में लांगवाल माईनिंग पर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। श्री निगम के क्षमताओं के परिणामस्वरूप, एसईसीएल आधुनिकीकरण, अवसंरचना विकास और अनुसंधान व विकास कार्यों इत्यादि के क्रियान्वयन के माध्यम से योजना, उत्पादन, उत्पादकता, लाभदायिता के क्षेत्र में नई ऊंचाईयों को अर्जित कर सका है ।

निदेशक (तकनीकी) संचालन, एसईसीएल के पद पर अपनी वर्तमान क्षमता के अतिरिक्त, श्री निगम दिनांक 28.01.2019 से एसईसीएल की संयुक्त उद्यम कम्पनीं एवं अनुषंगी यथा- छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) तथा छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन भी हैं ।

श्री एम.के. प्रसाद

निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना (18.06.2019 से)

श्री मनोज कुमार प्रसाद (57 वर्ष), ने दिनांक 18 जून, 2019 को साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। श्री प्रसाद ने दिनांक 14.08.2019 से 29.04.2020 तक निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना, नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) का अतिरिक्त प्रभार भी ग्रहण किया। श्री प्रसाद आईआईटी-बीएचयू वाराणसी से बी.टेक (माईनिंग) आनर्स की योग्यता अर्जित की, साथ ही आपने फ्रर्स्ट क्लास माईन मैनेजर्स काम्पीटेंसी एक्जामिनेशन एवं बीआईटी, मेसरा से एमसीए की योग्यता भी अर्जित की है। श्री प्रसाद एक उत्कृष्ट माईनिंग इंजीनियर हैं, आपको खनन उद्योग से संबंधित कार्यों के अन्य पहलुओं यथा- आई. टी. जैसे विविध कार्यक्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। आप एक पेशेवर खनन अभियंता है तथा आपको 35-वर्षों से भी अधिक का अनुभव है ।

श्री प्रसाद को खनन उद्योग में व्यापक अनुभव है तथा आपने सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,रांची, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर तथा नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली (मध्य प्रदेश) में विभिन्न पदों पर कार्य किया। श्री प्रसाद को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के विभिन्न क्षेत्रों यथा-बरकाकाना क्षेत्र, सौंडा-डी कालरी (जून, 1985 से नवम्बर, 2002), पिपरवार ओसीपी, एक इंडो आस्ट्रेलियन संयुक्त उद्यम (मई, 1994 से नवम्बर, 2001), अशोका ओसीपी (नवम्बर, 2001 से नवम्बर, 2002) में कार्य करने का गहन अनुभव है तथा आपने सीसीएल मुख्यालय में सिस्टम एनालिस्ट व डिजाईनर के रूप में भी कार्य किया है एवं आप मुख्य रूप से पे-रोल, वित्तीय लेखांकन, यूजीएमआईएस, ओसीएमआईएस, एमआईएनएमएस और सॉफ़्टवेयर यथा-डीबीएमएस, ओराकल, यूएनआईएफवाय तथा डी-बेस के अनुप्रयोग के माध्यम से विभिन्न प्लेटफार्मों (मैनफ्रेम, मिनी, डेस्कटॉप कम्प्यूटर) पर वार्षिक कार्य योजना में दक्ष माने जाते हैं।

पिपरवार ओसीपी, जो इंडो आस्ट्रेलियन संयुक्त उद्यम है, में आपके कार्यकाल के दौरान नई प्रौद्योगिकी यथा-वाशरी के साथ एकीकृत मोबाईल इनपिट क्रशिंग एवं कन्वेयिंग टेक्नोलॉजी जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत में पहली बार आरंभ की गई थी, को शुरू करने का श्रेय आपको जाता है । श्री प्रसाद ने साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण किया तथा गेवरा ओसीपी में प्रबंधक (नवम्बर, 2002 से जुलाई, 2008 तक) के पद पर कार्य किया, जहां आपने एसईसीएल में सर्वप्रथम सरफेस माईनर की शुरूआत की तथा 42 घन मीटर शॉवेल, 240 टन डम्पर्स एवं अधिभार के आउटसोर्सिंग की भी शुरूआत की ।

श्री प्रसाद ने नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली (मध्य प्रदेश) में कार्यभार ग्रहण किया तथा बीना खुली खदान परियोजना के मुख्य खनन अभियंता/अपर महाप्रबंधक (मार्च, 2013 से फरवरी, 2015 तक) के पद पर कार्य किया तथा तत्पश्चात दुधीचुआ ओसीपी में महाप्रबंधक के पद पर (फरवरी, 2015 से मई, 2015 तक) कार्यभार ग्रहण किया तथा आपने महाप्रबंधक (सिस्टम) का अतिरिक्त प्रभार भी ग्रहण किया, जिस दौरान आपने कम्पनी में कोलनेट, ओआईटीडीएस, सीसीटीवी एवं जीपीएस आधारित वाहन ट्रेकिंग सिस्टम जैसी विभिन्न ऑन-गोईंग आई.टी. की पहल की। आप मई, 2018 से एसईसीएल में कार्यभार ग्रहण करने तक खादिया परियोजना में क्षेत्रीय महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत रहे।

श्री प्रसाद, एमजीएमआई के आजीवन सदस्य और एमजीएमआई-सिंगरौली चेप्टर के सचिव हैं। आपके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फोरम/सभाओं में 9 तकनीकी पेपर प्रकाशित हुए । आपने 1994, 2017 एवं 2019 के दौरान आस्ट्रेलिया में तकनीकी प्रशिक्षण में भाग लिया ।

निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना, एसईसीएल के रूप में अपने वर्तमान पदभार के अतिरिक्त, श्री प्रसाद दिनांक 19.07.2019 से एसईसीएल की संयुक्त उद्यम कम्पनीं एवं अनुषंगी यथा-छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) तथा छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निदेशक भी हैं ।

श्री एस.एम. चौधरी

निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (12.10.2019 से)

श्री श्याम मुरारी चौधरी (58-वर्ष), ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के पद पर दिनांक 12.10.2019 को कार्यभार ग्रहण किया । श्री चौधरी एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट, कास्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटेंट तथा कम्पनी सचिव हैं तथा आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एक फैलो सदस्य हैं। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से आईएफआरएस एवं अप्रत्यक्ष कर पर प्रमाणित पाठ्यक्रम भी पूरा किया है। आपको 30 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है तथा आपने कोयला उद्योग में विभिन्न पदों पर सेवाएं दी है।

श्री चौधरी ने सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) से अपने कैरियर की शुरूआत की तथा आपने विभिन्न वित्तीय कार्यों यथा-लेखा एवं लेखा परीक्षा, कास्टिंग एवं बजटिंग, आंतरिक लेखा परीक्षा, ट्रेजरी एवं फॉरेक्स मैनेजमेंट इत्यादि में विभिन्न पदों/क्षमताओं में कार्य किया। आपने कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय, कोलकाता में ट्रेजरी प्रमुख की हैसियत से भी कार्य किया। श्री चौधरी एक प्रखर विश्लेषक व कार्यनीतिज्ञ हैं तथा आपको विकास/वृद्धि, राजस्व, परिचालन कार्य-निष्पादन तथा लाभदायिता के क्षेत्र में असाधारण परिणाम देने में महारथ हासिल है ।

श्री चौधरी को माईन क्लोजर प्लान से संबंधित अद्वितीय वित्तीय योजना की औपचारिकताओं के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा विशेष उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री चौधरी को वर्ष 2017 में चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स (सीआईएमए) द्वारा सार्वजनिक उद्यम में ''मोस्ट इन्फलूएंसियल सीएफओ ऑफ इंडिया'' अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री चौधरी विभिन्न क्षमताओं में कई व्यावसायिक निकायों से जुड़े हुए हैं।

स्वतंत्र निदेशक

श्री एस.के. देशपांडे

अधिकृत लेखाकार (25.07.2019 से)

सीए श्री श्रीराम केशव देशपांडे (54 वर्ष), 25.07.2019 से एसईसीएल बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल हुए। श्री देशपांडे ने पूना विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर किया। आपने 1986 में कॉमर्स (बी. कॉम) स्नातक परीक्षा फ्रर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ उत्तीर्ण की। 1988 में, आपने अपनी स्नातकोत्तर (एम.कॉम) परीक्षा पुनः फ्रर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ उत्तीर्ण की और पूना यूनिवर्सिटी में मेरिट में आए। 1989 में, आपने चार्टर्ड एकाउंटेंट की योग्यता प्राप्त की और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य बने। 2004 में, आपने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से डिप्लोमा इन सिस्टम ऑडिट (डीआईएसए) की परीक्षा उत्तीर्ण किया।

श्री देशपांडे 1989 में मेसर्स पी. डी. दलाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, जो 67 वर्षों से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के रूप में प्रतिष्ठित है, में भागीदार के रूप में शामिल हुए। आपको लेखा परीक्षा, कराधान, परियोजना वित्त, सहकारी आदि के क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। आपके परामर्श के फलस्वरूप अब तक धुले की दो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई प्लेटफार्मों पर अपने आईपीओ के साथ आई हैं। आप 1989 से 2006, 16-वर्षों तक एम.डी. पलेशा कॉमर्स कॉलेज, धुले में अंशकालिक व्याख्याता भी थे, जहां आप स्नातक छात्रों को एकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और टैक्सेशन पढ़ाया करते थे। श्री देशपांडे उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगाँव की लेखा, लेखा परीक्षा एवं निवेश समिति में भी हैं।

आप जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, जो 2500 करोड़ रुपये से अधिक के व्यापार के साथ उत्तरी महाराष्ट्र में एक अग्रणी अनुसूचित सहकारी बैंक है, में दो बार निदेशक के रूप में (2004 और फिर 2009 में) चुने गए । आपने बैंक की क्रेडिट और आईटी समितियों का नेतृत्व किया तथा आपके कार्यकाल के दौरान, बैंक ने कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) को सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित कर डेटा सेंटर की स्थापना की। आप 2009 से 2012 तक बैंक के उपाध्यक्ष भी रहे।

वर्ष 2000 से, आप प्रत्येक वर्ष धुले और अन्य शहरों में केंद्र सरकार के बजट पर सार्वजनिक उद्बोधन दे रहे हैं। आपने पूरे भारत में सहकार भारती, सीए संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों व कार्यशालाओं में कई व्याख्यान दिए। श्री देशपांडे के भारतीय अर्थव्यवस्था पर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर कई लेख प्रकाशित हुए। आपने दो पुस्तकें भी लिखी हैं, एक पुस्तक कराधान विषय पर है, जो उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा वाणिज्य स्नातक के लिए निर्धारित है और दूसरी धर्मार्थ प्रबंधन ट्रस्ट पर मराठी में है।

श्री देशपांडे ने सामाजिक कल्याण और सामुदायिक विकास के मोर्चे पर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, आप वर्तमान में स्वर्गीय के.एम. दुगल स्मृति समिति, धुले, जो वृद्धाश्रम का संचालन करते हैं, के सचिव हैं। आप लायंस क्लब तथा अन्य सांस्कृतिक व खेल क्लबों में भी सक्रिय सदस्य हैं। आपको पोलाड समूह, जालना द्वारा ''धुले आईकान'' और दैनिक भास्कर समूह द्वारा ''प्राउड महाराष्ट्रियन 2019'' से सम्मानित किया जा चुका है।

स्थाई आमंत्रित

श्री छत्रसाल सिंह

प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, साउथ ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे (02.03.2020 से)

श्री छत्रसाल सिंह 02.03.2020 को एसईसीएल बोर्ड में स्थायी आमंत्रित के रूप में शामिल हुए। श्री सिंह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर)/बिलासपुर के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक हैं और आप 1989 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) अधिकारी हैं। आपने आईआईटी/रुड़की से बी.ई. (इलेक्ट्रिकल) किया है। आपने भारतीय रेलवे में, विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है तथा दक्षिण पूर्व रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे व उत्तर रेलवे में परिचालन, वाणिज्यिक और सुरक्षा विभागों में काम करते हुए व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। आपने निदेशक (कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रणाली) रेलवे बोर्ड के पद पर भी काम किया है। इसके अलावा, आपने सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम, नई दिल्ली में महाप्रबंधक के रूप में भी काम किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व, आप दक्षिण पूर्व रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक/चक्रधरपुर डिवीजन के रूप में नियुक्त थे।

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री बी.पी. शर्मा

आईटीएस अधिकारी (04.09.2017 से)

श्री बी.पी. शर्मा, भारतीय टेलीकॉम सेवा अधिकारी ने दिनांक 04.09.2017 को मुख्य सतर्कता अधिकारी, एसईसीएल बिलासपुर का प्रभार ग्रहण किया । आप 1999 बैच के भारतीय टेलीकॉम सेवा (आईटीएस) से हैं। आप महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी है। आपको कम्युनिकेशन सिस्टम एवं टेलीकॉम तथा सतर्कता में विशेषज्ञता प्राप्त है। इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व, आप टेलीकॉम विभाग के सतर्कता विभाग में निदेशक के पद पर अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। आपने शासकीय इंजीनियरिंग कालेज, कोटा से इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक किया है।

पूर्व बोर्ड सदस्य/अधिकारी
(वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एसईसीएल बोर्ड में सेवाएं दी)

श्री आशीष उपाध्याय

आईएएस, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय (29.11.2019 तक)

श्री आशीष उपाध्याय (55-वर्ष), आईएएस, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 11.01.2019 को एसईसीएल के बोर्ड में अंशकालिक कार्यालयीन निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया तथा श्री आर.के. सिन्हा,आईएएस,संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के एसईसीएल बोर्ड में अंशकालिक कार्यालयीन निदेशक के पद पर नियुक्ति उपरांत दिनांक 29.11.2019 से प्रभार त्याग दिया। श्री उपाध्याय 1989 बैच के मध्य प्रदेश केडर के आईएएस अधिकारी है । सेंट जॉन कालेज, आगरा से मध्यकालीन भारतीय इतिहास में स्नातकोत्तर करने के उपरांत, आपने सिविल सेवाओं में प्रवेश लिया और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार में विभिन्न क्षमताओं में 28 से अधिक वर्षों तक अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी, जिसमें अनूपपुर, शहडोल और उमरिया के कोयला धारित क्षेत्रों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर आपका कार्यकाल शामिल हैं । आप मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के तीन जिलों में 5-वर्षो तक कलेक्टर रहे ।

श्री श्याम नंदन प्रसाद

निदेशक (विपणन), कोल इंडिया लिमिटेड (29.10.2019 तक)

श्री श्याम नंदन प्रसाद (60-वर्ष), निदेशक (विपणन), कोल इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 10.12.2018 को एसईसीएल के बोर्ड में अंशकालिक कार्यालयीन निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया तथा श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त), सीआईएल के एसईसीएल बोर्ड में अंशकालिक कार्यालयीन निदेशक के पद पर नियुक्ति उपरांत दिनांक 29.10.2019 से प्रभार त्याग दिया। श्री प्रसाद ने निदेशक (विपणन), कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के पद पर दिनांक 01 फरवरी, 2016 को कार्यभार ग्रहण किया। श्री प्रसाद एमबीए (मार्केटिंग) है तथा आपने कोल इंडिया लिमिटेड में वर्ष 1982 में प्रबंधन प्रशिक्षु (विपणन) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

आप विपणन के क्षेत्र में 33 से अधिक वर्षो से कार्य कर रहे हैं और आपने माईन्स-पिटहेड, कोल स्टॉक यार्ड, सीएचपी इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करने का व्यापक अनुभव ग्रहण किया, साथ ही साथ अनुषंगी कम्पनियों के कार्पोरेट कार्यालय में भी कार्य करने का गहन अनुभव अर्जित किया। श्री प्रसाद कोल इंडिया लिमिटेड में निदेशक (विपणन) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व, सीआईएल की अनुषंगी कम्पनी सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में विभिन्न पदों समेत महाप्रबंधक (विपणन एवं विक्रय) के पद पर कार्य किया। आप नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में सीआईएल के नामित निदेशक भी हैं ।

डा. सुनील कुमार

सेवानिवृत्त आईएएस, पूर्व उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग (16.11.2019 तक)

डा. सुनील कुमार (66-वर्ष) ने दिनांक 17.11.2015 से एसईसीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया तथा दिनांक 17.11.2018 को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुनःनियुक्त किए गए। डा. कुमार नियुक्ति का उनका कार्यकाल पूरा होने के उपरांत दिनांक 16.11.2019 को प्रभार त्याग दिए। डा. कुमार ने यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, कोचिन, हार्वर्ड एवं जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली से शिक्षा ग्रहण की है तथा आपने भौतिक शास्त्र में स्नातक डिग्री एवं प्रबंधन व लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि और मीडिया स्टडीज में पीएचडी किया है। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा (1979-2014) के सदस्य रहे और 28.02.2014 को सेवा से सेवानिवृत्ति हुए। आप जून, 2014 से छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के माननीय उपाध्यक्ष थे तथा आपको राज्य सरकार में केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था।

डा. कुमार विभिन्न सिविल प्रशासनिक पदों पर कार्यरत रहे, जिसमें छ.ग.शासन में मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में अपर सचिव, संयुक्त सचिव व उप सचिव प्रमुख है । आप जिला व अनुभाग स्तरों पर लोक प्रशासनिक क्षेत्रीय पदों के अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना व जनसम्पर्क, पंचायत, सामाजिक कल्याण, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में विविध लोक नीतियों एवं कार्यक्रमों का निष्पादन भी किया।डा. कुमार ने आईएएस कार्यकाल के दौरान ईडीसीआईएल इंडिया लिमिटेड में अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन माडर्न फूड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, म.प्र. राज्य सिविल आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश माध्यम के प्रबंध निदेशक एवं मध्य प्रदेश राज्य को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन में अपर प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य करने के साथ-साथ आपको बोर्ड स्तर पर भी व्यापक प्रबंधकीय अनुभव है।

डा. बी.एस. सहाय

निदेशक, आईआईएम (जम्मु) (16.11.2019 तक)

डा. बी.एस. सहाय (61 वर्ष) ने दिनांक 17.11.2015 को एसईसीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया तथा कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.11.2018 को पुनःनियुक्त किए गए। डा. सहाय नियुक्ति का उनका कार्यकाल पूरा होने के उपरांत दिनांक 16.11.2019 को प्रभार त्याग दिए। श्री सहाय ने बीआईटी सिंदरी से बी.टेक, तथा आईआईटी दिल्ली से एम.टेक व पीएचडी पूरा किया है। डा. सहाय भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू के संस्थापक निदेशक हैं। आप एक शिक्षक, शोधकर्ता, परिवर्तनकारी पथ-प्रदर्शक और संस्था निर्माता हैं, जो वैश्विक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय फोकस के साथ विश्व स्तर के संस्थानों के निर्माण के लिए उच्च मानक निर्धारित करते हैं। आप भारत में तीन शीर्ष राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम),रायपुर, प्रबंधन विकास संस्थान(एमडीआई) गुड़गांव व इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (आईएमटी) गाजियाबाद के निदेशक रहे। आप कुलाधिपति, एन.एम.आई.एम.एस. विश्वविद्यालय, मुम्बई के सलाहकार भी हैं और एनएमआईएमएस के पांच कैम्पसों की मेंटरिंग भी करते हैं।

आपको शिक्षण, अनुसंधान, परामर्शता, अधिशासी शिक्षा के क्षेत्र में तीन दशक से भी अधिक तथा उद्योग के क्षेत्र में 12 वर्षों से भी अधिक का व्यापक अनुभव है। आपने निर्माण एवं सेवा उद्योगों में विभिन्न पदों पर देश व विदेश दोनों में कार्य किया है। आपके शिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्शता अभिरूचि में लॉजिस्टक व आपूर्ति कार्य प्रबंधन, उत्पादन व कार्य-संचालन प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, उत्पादकता प्रबंधन, व्यवसाय प्रतिरूपण, उच्च शिक्षा व प्रत्यायन सन्निहित है ।

सीए विनोद जैन

अधिकृत लेखाकार (16.11.2019 तक)

सीए विनोद जैन (63 वर्ष), ने दिनांक 14.03.2017 को एसईसीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया तथा दिनांक 16.11.2018 को उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद, कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 19.02.2019 को पुनःनियुक्त किए गए। श्री जैन नियुक्ति का उनका कार्यकाल पूरा होने के उपरांत दिनांक 16.11.2019 को प्रभार त्याग दिए। श्री जैन 1976 में श्रीराम कालेज ऑफ कामर्स से ऑनर्स के साथ वाणिज्य में स्नातक है । श्री जैन चार्टर्ड एकाउंटेंट, कम्पनी सचिव, कास्ट एकाउंटेंट तथा एलएलबी की योग्यता भी अर्जित किए हैं । आप आईसीएआई से इन्फरमेशन सिस्टम आडिट (डीआईएसए) में डिप्लोमाधारक भी हैं। सीए विनोद जैन को कराधान, लेखा परीक्षा, लेखा, वित्त, बैंकिंग, कानूनी शिक्षा और कार्य-नीतिक योजना और व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्र में 38 से भी अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है। श्री जैन ने कोल इंडिया लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के पद पर भी अपनी सेवाएं दी है ।

श्री विनोद जैन फरवरी 1980 से आज तक विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के प्रबंध-भागीदार हैं। आप सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (एसएटी), बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीयल एंड फाईनेंसियल रिकंस्ट्रक्शन (बीआईएफआर), सिक इंडस्ट्रीयल कंपनीज एक्ट के अधीन अपीलेट प्राधिकारी, कंपनी लॉ बोर्ड और आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) के समक्ष असामी के कानूनी प्रतिनिधि और अटार्नी के रूप में भी कार्य किया।

श्री जैन 1998 से 2004 तथा 2007 से 2013 तक आईसीएआई के केन्द्रीय परिषद के सदस्य रहे और चार्टर्ड एकाउंटेंट के काउंसिल, इन्वेस्टीगेशन और डिसिप्लीनिंग के सदस्य के रूप में भी पर्यवेक्षण-कार्य निष्पादित किया । श्री जैन ने वर्ष 2010 से 2011 तक चेयरमेन, बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ आईसीएआई के रूप में और प्रभारी होने के नाते देश में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एजुकेशन के समग्र दायित्वों का भी भलीभांति निर्वहन किया। आपने वित्तीय बाजार और निवेशक संरक्षण समिति, व्यावसायिक विकास समिति, प्रबंधन लेखा समिति और आईसीएआई के विशेषज्ञ सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में और लेखा मानक बोर्ड, लेखा परीक्षा व प्रत्याभूति मानक बोर्ड, लोक लेखा समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, बीमा समिति आदि के सदस्य के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी ।

श्री एन.के. अगरवाला

निदेशक (वित्त) (16.08.2019 से 12.10.2019 तक)

श्री एन.के. अगरवाला (58 वर्ष) ने निदेशक (वित्त), सीसीएल के प्रभार के साथ निदेशक (वित्त), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार 16.08.2019 को ग्रहण किया और श्री एस.एम. चौधरी के निदेशक (वित्त), एसईसीएल के रूप में नियुक्ति के बाद 12.10.2019 को पदभार त्याग दिया। श्री निरंजन कुमार अगरवाला ने 18.07.2019 को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाला। श्री अगरवाला ने बीसीसीएल और सीसीएल में वित्त कार्य-निष्पादन के क्षेत्र में विभिन्न क्षमताओं में कोयला उद्योग में लगभग 35 वर्षों की सेवाएं दी हैं। आपने रांची विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1985 में चार्टर्ड एकाउंटेंसी कोर्स पूरा किया। आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस, कैपिटल मार्केट, फंड मैनेजमेंट, टैक्सेशन आदि के क्षेत्र में विशेष कौशल हासिल हैं। आपके नेतृत्व में, कठिन समय में, कंपनी को वित्तीय प्रबंधन और कोयला विक्रय में स्थिरता मिली है। आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में, कंपनी ने उत्कृष्ट वित्तीय परिणाम हासिल किया हैं।

श्री पी.के. जेना

प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, साऊथ ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे (01.03.2020 तक)

श्री पी.के. जेना ने दिनांक 25.02.2019 को एसईसीएल के बोर्ड में स्थायी आमंत्रित के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । श्री जेना 1987 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) अधिकारी हैं तथा आपने साउथ ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे (एसईसीआर), बिलासपुर के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में सेवाएं दी। आपने जेएनयू से एम.ए.(अर्थशास्त्र) किया है। आपने भारतीय रेलवे में, विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया और साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, मेट्रो रेलवे तथा साउथ ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे में कार्य करते हुए व्यापक अनुभव प्राप्त किया। साउथ ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे, बिलासपुर के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व, आप इस रेलवे में प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे । श्री जेना ने दिनांक 02.03.2020 को एसईसीएल बोर्ड में स्थाई आमंत्रित के रूप में श्री छत्रसाल सिंह, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, एसईसीआर की नियुक्ति उपरांत प्रभार त्याग दिया ।

हमारा प्रबंधन दल (31.03.2020 को)

स.क्रं.	ईआईएस सं.	नाम (वर्णमाला क्रम में)	जन्म-तिथि	पदनाम	शाखा
1	90140476	ए.के. पटेरिया	28 मार्च, 61	प्रमुख चिकित्सा सेवाएं	चिकित्सा
2	90133687	ए.के. प्रसाद	18 फरवरी, 62	महाप्रबंधक	उत्खनन
3	90156225	ए.के. सक्सेना	17 जून, 63	महाप्रबंधक	कार्मिक एवं प्रशासन
4	90113333	अक्षय श्रीकांत बापट	18 नवम्बर, 64	महाप्रबंधक	खनन
5	90098104	अमित सक्सेना	18 अगस्त, 64	महाप्रबंधक	खनन
6	90151234	अनिल कुमार झा	19 नवम्बर, 63	महाप्रबंधक	वि.यां.
7	90125626	अरूण कुमार झा	25 मई, 61	महाप्रबंधक	खनन
8	90192576	अरूप दत्ता चौधरी	08 फरवरी, 64	महाप्रबंधक	वि.यां.
9	90072851	अरविंद कुमार	1 जनवरी, 61	महाप्रबंधक	खनन
10	90089715	असित कुमार पाढी	11 जुलाई, 61	महाप्रबंधक	कार्मिक एवं प्रशासन
11	90156878	अतुल कुमार सिन्हा	01 नवम्बर, 60	महाप्रबंधक	वि.यां.
12	90176298	बबन सिंह	14 नवम्बर, 61	महाप्रबंधक	खनन
13	90127341	बी.के. जेना	1 सितम्बर, 69	महाप्रबंधक	खनन
14	90112517	बाल किशन चंदोरा	16 अगस्त, 60	महाप्रबंधक	खनन
15	90134339	बसंत कपूर कुर्रे	30 अगस्त, 65	महाप्रबंधक	उत्खनन
16	90074246	बिद्यानाथ झा	20 मई, 66	महाप्रबंधक	खनन
17	90151887	बिमल कुमार झा	30 जून, 60	महाप्रबंधक	वित्त
18	90159989	बी.पी. सिंह	20 जनवरी, 64	महाप्रबंधक	खनन
19	90107244	बी.चौधरी	14 नवम्बर, 61	महाप्रबंधक	खनन
20	90102955	बी.गंगाधर	2 अगस्त, 63	महाप्रबंधक	प्रणाली
21	90151374	दीपक पंडया	6 दिसंबर, 65	महाप्रबंधक	खनन
22	90112475	डी.के. चन्द्राकर	23 नवम्बर, 62	महाप्रबंधक	खनन
23	90153719	दिलीप कुमार सिंह	31 दिसम्बर, 61	महाप्रबंधक	वि.यां.
24	90183609	दीपक कुमार	2 फरवरी, 61	महाप्रबंधक	कार्मिक एवं प्रशासन
25	90119033	डा. उमेश एस. साठे	30 नवम्बर, 64	प्रमुख चिकित्सा सेवाएं	चिकित्सा
26	90119058	डा.(श्रीमती) गुरविंदर कौर	15 अगस्त, 60	प्रमुख चिकित्सा सेवाएं	चिकित्सा
27	90117656	डा.(श्रीमती) मीनाक्षी रंजन देब	19 अगस्त, 60	प्रमुख चिकित्सा सेवाएं	चिकित्सा
28	90088725	डा. ए .के. बेहरा	27 मई, 62	प्रमुख चिकित्सा सेवाएं	चिकित्सा
29	90108911	डा. अनुराग गर्ग	24 जून, 63	महाप्रबंधक	विपणन एवं विक्रय
30	90121880	डा. दिलीप बी. सोनकुसरे	21 जुलाई, 63	प्रमुख चिकित्सा सेवाएं	चिकित्सा
31	90140385	डा.(श्रीमती) चित्रलेखा बोस	17 दिसम्बर,60	प्रमुख चिकित्सा सेवाएं	चिकित्सा

स.क्रं.	ईआईएस सं.	नाम (वर्णमाला क्रम में)	जन्म-तिथि	पदनाम	शाखा
32	90122110	डा. मधुकर टी. टिकास	6 जुलाई, 62	प्रमुख चिकित्सा सेवाएं	चिकित्सा
33	90140740	डा.यू.एस.कोंदापुरकर	19 मार्च, 60	प्रमुख चिकित्सा सेवाएं	चिकित्सा
34	90101296	इलियास हुसैन शेख	1 जुलाई, 67	महाप्रबंधक	खनन
35	90123035	जी.एस.तोपागी	2 नवम्बर, 61	महाप्रबंधक	पर्यावरण
36	90176264	घनश्याम सिंह	8 दिसम्बर, 62	महाप्रबंधक	खनन
37	90113671	हरजीत सिंह मदान	26 सितम्बर, 64	महाप्रबंधक	खनन
38	90122185	हेमंत शरद पाण्डे	28 मार्च, 68	महाप्रबंधक	खनन
39	90133406	इन्द्र शेखर	31 दिसम्बर,61	महाप्रबंधक	उत्खनन
40	90115718	जे.अमलानाथन	2 मई,64	महाप्रबंधक	उत्खनन
41	90175480	जय गोविंद सिंह	15 दिसम्बर,60	महाप्रबंधक	खनन
42	90188285	जय प्रकाश सिंह	26 जनवरी,63	महाप्रबंधक	वि.यां.
43	90111147	के.आर. राजीव	4 जुलाई,61	महाप्रबंधक	वि.यां.
44	90120163	के.राजाशेखर	14 अगस्त,66	महाप्रबंधक	खनन
45	90129792	कल्याणजी प्रसाद	20 जून,68	महाप्रबंधक	खनन
46	90165184	के. मेरे	12 दिसंबर,66	महाप्रबंधक	खनन
47	90154287	के.के.गुप्ता	2 मई,61	महाप्रबंधक	वि.यां.
48	90266875	के. प्रवीण कुमार	6 अप्रैल, 62	महाप्रबंधक	कार्मिक एवं प्रशा.
49	90183096	कुमार राजीव रंजन	19 फरवरी, 61	महाप्रबंधक	कार्मिक एवं प्रशा.
50	90027053	ललित कुमार चौधरी	24 मई, 61	महाप्रबंधक	खनन
51	90158098	एम.के. ठाकुर	22 जनवरी, 63	महाप्रबंधक	वि.यां.
52	90186446	मनोज कुमार अग्रवाल	29 जुलाई, 63	महाप्रबंधक	खनन
53	90127549	एन.श्रीवास्तव	20 अक्टूबर, 65	महाप्रबंधक	खनन
54	90185695	नीलेन्दु कुमार सिंह	24 जुलाई, 68	महाप्रबंधक	खनन
55	90128547	निर्मल कुमार	14 सितम्बर, 64	महाप्रबंधक	खनन
56	90125741	नितिन फिलिप	15 जून, 61	महाप्रबंधक	खनन
57	90131699	ओ.पी. सिंह	9 अगस्त, 62	महाप्रबंधक	वि.यां.
58	90133893	पी.रामा राव	15 फरवरी, 63	महाप्रबंधक	उत्खनन
59	90115460	पी.मधुसूदन राव	21 अप्रैल, 66	महाप्रबंधक	उत्खनन
60	90029075	प्रदीप कुमार	3 दिसंबर, 64	महाप्रबंधक	खनन
61	90027517	प्रदीप कुमार पोद्दार	10 जनवरी, 61	महाप्रबंधक	खनन
62	90185901	प्रकाश चन्द्र	15 नवम्बर, 64	महाप्रबंधक	खनन
63	90083403	आर.पी. साह	3 मई, 63	महाप्रबंधक	खनन
64	90125402	राघवेन्द्र प्रताप सिंह	7 दिसम्बर, 63	महाप्रबंधक	खनन

स.क्रं.	ईआईएस सं.	नाम (वर्णमाला क्रम में)	जन्म-तिथि	पदनाम	शाखा
65	90180878	राजीव रंजन कुमार	28 दिसम्बर, 61	महाप्रबंधक	वि.यां.
66	90134305	राजेन्द्र कुमार खोटे	5 मार्च, 62	महाप्रबंधक	उत्खनन
67	90137977	आर.पी.शुक्ला	1 जनवरी, 62	महाप्रबंधक	वित्त
68	90086752	राकेश साव	11 जनवरी, 64	महाप्रबंधक	उत्खनन
69	90176413	रामजी कुमार सिंह	1 जनवरी, 63	महाप्रबंधक	खनन
70	90103177	आर.पी.के. रेड्डी	2 मई, 61	महाप्रबंधक	सामग्री प्रबंधन
71	90137829	एस.के.गुप्ता	7 अक्टूबर, 60	महाप्रबंधक	वित्त
72	90126889	एस.के. मोहंती	12 जून, 65	महाप्रबंधक	खनन
73	90083981	एस.के. रानु	29 मार्च, 60	महाप्रबंधक	खनन
74	90048364	एस.वेंकटेश्वरलु	1 मार्च, 1962	महाप्रबंधक	कार्मिक एवं प्रशा.
75	90081068	एस.पी. दास	17 अक्टूबर, 61	महाप्रबंधक	कार्मिक एवं प्रशा.
76	90114372	संजय डे	16 जनवरी, 62	महाप्रबंधक	वि.यां.
77	90084039	एस.के. पाल	15 सितम्बर, 63	महाप्रबंधक	खनन
78	90125527	सतीश कुमार श्रीवास्तव	17 जनवरी, 60	महाप्रबंधक	खनन
79	90128125	एस.एन. कापरी	1 जनवरी, 65	महाप्रबंधक	खनन
80	90159609	सत्यपाल सिंह भाटी	10 अक्टूबर, 63	महाप्रबंधक	खनन
81	90138108	एस.एम. युनुस	14 नवंबर, 62	महाप्रबंधक	वित्त
82	90113960	एस. नागाचारी	22 फरवरी, 66	महाप्रबंधक	खनन
83	90126749	एस.के. देवांगन	28 दिसम्बर, 62	महाप्रबंधक	खनन
84	90075847	शशांक मोहन झा	22 फरवरी, 62	महाप्रबंधक	खनन
85	90195231	श्रीमती अनुरेखा नाथ	26 मार्च, 61	महाप्रबंधक	वित्त
86	90120619	श्रीकृष्ण परलापल्ली	10 जून, 65	महाप्रबंधक	खनन
87	90175498	सुब्रत शेखर सिन्हा	28 सितंबर, 62	महाप्रबंधक	खनन
88	90185968	सुधीर कुमार	4 अप्रैल, 65	महाप्रबंधक	खनन
89	90086737	तनु लाल चक्रवर्ती	5 नवम्बर, 61	महाप्रबंधक	उत्खनन
90	90158023	यू.के.सिंह	27 फरवरी, 61	महाप्रबंधक	वि.यां.
91	90112426	यू.टी. कंझरकर	9 मई, 63	महाप्रबंधक	खनन
92	90067182	उमाशंकर शर्मा	7 जनवरी, 62	महाप्रबंधक	उत्खनन
93	90107483	विभाष कुमार झा	25 अक्टूबर, 60	महाप्रबंधक	उत्खनन
94	90070624	विनोद कुमार सिंह	20 दिसंबर, 66	महाप्रबंधक	खनन
95	90086034	वीरेन्द्र पाल सिंह भल्ला	22 जून, 60	महाप्रबंधक	सिविल

हमारी उपस्थिति (कोल माईन्स)

क्षेत्र

1. गेवरा
2. दीपका
3. कुसमुंडा
4. कोरबा
5. रायगढ़
6. बिश्रामपुर
7. बैकुंठपुर
8. भटगांव
9. चिरिमिरी
10. हसदेव
11. सोहागपुर
12. जमुना व कोतमा
13. जोहिला

बोर्ड की रिपोर्ट

1.0 कार्य-निष्पादन की उपलब्धियां :

कम्पनी के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 पिछले वर्ष की तरह सतत् कार्य-निष्पादन, सफलता और संवृद्धि के क्षेत्र में अपने प्रयास में उत्कृष्ट रहा तथा कंपनी ने नई ऊंचाईयों को छुआ।

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की गई, जिसका सार नीचे दर्शित है-

- वर्ष में 150.55 मि.टन (एमटी) कोयला उत्पादन ।
- वर्ष में 141.93 मिलियन टन (एमटी) कोयला प्रेषण।
- रू. 27,086.06 करोड़ का समग्र विक्रय मूल्य।
- रू. 2521.47 करोड़ का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) ।
- 242.12% (अर्थात रू.2,421.23 प्रति शेयर) की दर से रू. 1,617.52 करोड़ राशि के रूप में लाभांश का भुगतान।

ये उपलब्धियां टिकाऊ विकास तथा उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के संबंध में आपकी कम्पनी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित व प्रमाणित करती है। आपकी कम्पनी ने सुस्पष्ट समृद्ध कार्यनीति के संगत उपयोग द्वारा अपने स्वयं के पिछले रिकार्ड को वर्ष-प्रति-वर्ष मात देते हुए कार्य-निष्पादन में प्रगति की है ।

2.0 संगठन :

एसईसीएल का कोयला संचय दो राज्यों, छत्तीसगढ़ (छ.ग.) एवं मध्यप्रदेश (म.प्र.) में फैला हुआ है तथा वर्तमान में कम्पनी में संचालित 70 खदानों में 43-खदानें छत्तीसगढ़ राज्य में तथा 27-खदानें मध्यप्रदेश राज्य में स्थित हैं। इन 70-खदानों में 47-भूमिगत खदानें,23-खुली खदानें समेत दो कस्टोडियम माईन्स हैं।

कम्पनी कोल इंडिया से लीज आधार पर लिये गये कोल कार्बोनाईजेशन प्लान्ट अर्थात दानकुनी कोल काम्पलेक्स (डीसीसी), दानकुनी जिला-हुगली (पश्चिम बंगाल) का कार्य-संचालन भी करती है।

प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण एवं कार्य-संचालन के लिये, खदानों को तीन कोलफील्ड्स अर्थात-'सेन्ट्रल इंडिया कोलफील्ड्स' (सीआईसी), 'कोरबा कोलफील्ड्स' एवं 'माण्ड-रायगढ़ कोलफील्ड्स' में वर्गीकृत किया गया है, जो प्रशासनिक रूप से कुल 13 खनन संचालन क्षेत्रों में विभक्त हैं ।

31 मार्च, 2020 को एसईसीएल की भूमिगत एवं खुली खदानों का क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार हैः-

(आंकड़े खदानों की संख्या प्रदर्शित करते हैं)

स.क्रं.	एसईसीएल के क्षेत्र	भूमिगत		खुली खदान		कुल
		छ.ग.	म.प्र.	छ.ग.	म.प्र.	
क.	**सेन्ट्रल इंडिया कोलफील्ड्स (सीआईसी) :**					
1	सोहागपुर		5		2	7
2	जोहिला		6		1	7
3	जमुना-कोतमा		5		1	6
4	हसदेव	2	6		1	9
5	चिरिमिरी	5		1		6
6	बैकुंठपुर	4				4
7	बिश्रामपुर	4		3		7

(आंकड़े खदानों की संख्या प्रदर्शित करते हैं)

स.क्रं.	एसईसीएल के क्षेत्र	भूमिगत		खुली खदान		कुल
		छ.ग.	म.प्र.	छ.ग.	म.प्र.	
8	भटगांव	3		3		6
	उप-योग (सीआईसी)	18	22	7	5	52
ख.	**कोरबा कोलफील्ड्स :**					
9	कोरबा	7		2		9
10	कुसमुंडा			1		1
11	गेवरा			1		1
12	दीपका			1		1
	उप-योग (कोरबा कोलफील्ड्स)	**7**		**5**		**12**
ग.	**माण्ड-रायगढ़ कोलफील्ड्स :**					
13	रायगढ़			6		
	उप योग (मांड-रायगढ़ कोलफील्ड्स)	0		6		6
	योग (क+ख+ग)	**25**	**22**	**18**	**5**	**70**
	महायोग	**47**	**23**	**70**		

2.1 पूंजीगत ढांचा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी की अधिकृत अंशपूंजी एवं प्रदत्त अंश पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो रू. 1,300.00 करोड़ एवं 668.06 करोड़ थी। सम्पूर्ण प्रदत्त अंशपूंजी कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसके नामिनी के पास है ।

2.0 अनुषंगियां

एसईसीएल की 02 (दो) अनुषंगी कम्पनियां, अर्थात छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) एवं छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल) दो रेल कॉरिडोर अर्थात ईस्ट कॉरिडोर एवं ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर की स्थापना के लिए, एसईसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के निबंधनों के अनुसार इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी, छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिनिधि) के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में गठित हुई है ।

एमओयू के अनुसार प्रत्येक कम्पनी में प्रवर्तक कम्पनी का इक्विटी शेयर-होल्डिंग पैटर्न नीचे दर्शित है -

प्रवर्तक कम्पनी का नाम	**शेयर होल्डिंग पैटर्न**
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	64 प्रतिशत
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन)	26 प्रतिशत
छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी)	राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन का मूल्य या 10% जो भी अधिक हो

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (क्यू) सहपठित कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(1) के अनुसरण में, प्रत्येक अनुषंगी कम्पनियों, सहयोगियों व संयुक्त उद्यम कम्पनियों के कार्य-निष्पादन व वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट **(अनुलग्नक-I)** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

3.1 छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) :

छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) दिनांक 12.03.2013 को निगमित हुई। ईस्ट रेल कोरिडोर को रेल मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.12.2013 को "विशेष रेलवे परियोजना" का दर्जा प्रदान किया गया। यह रेल कोरिडोर एसईसीएल के माण्ड-रायगढ़ कोलफील्ड्स से कोयला परिवहन की सुविधा के साथ-साथ यात्री सेवाओं के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा।

परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 18.01.2014 को सीईआरएल एवं इरकॉन के मध्य परियोजना निष्पादन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। ईस्ट रेल कोरिडोर दो चरणों अर्थात चरण-I: खरसिया से धरमजयगढ़ (0 से 74 कि.मी) और गारे-पेलमा ब्लॉक की खदान को जोड़ने के लिए सहायक लाईन (स्पर) सहित तथा चरण-II: धरमजयगढ़ से कोरबा (लगभग 62 कि.मी.) में पूरा होने की संभावना है।

3.1.1 पूंजीगत ढांचा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अधिकृत पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि कंपनी की प्रदत्त पूंजी व अभिदत्त पूंजी दिनांक 06.01.2020 को राईट बेसिस पर एसईसीएल में कंपनी का प्रत्येक रू. 10/- के 3,20,00,000-नग इक्विटी शेयरों के राईट इशु के माध्यम से रू. 441 करोड़ से बढ़कर रू. 473 करोड़ हो गई। शेयर पूर्णतः अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त हैं। प्रवर्तक कम्पनियों का इक्वीटी शेयरहोल्डिंग पैटर्न नीचे दिया गया है -

कंपनी का नाम	31.03.2020 को शेयरहोल्डिंग पैटर्न	31.03.2019 को शेयरहोल्डिंग पैटर्न
साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	70.56%	68.42%
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	25.91%	27.79%
सीएसआईडीसीएल (छत्तीसगढ़ शासन की प्रतिनिधि)	3.53%	3.79%
कुल	**100%**	**100%**

टिप्पणी : *रू. 89.47 करोड़ की राशि राईट-इशु के विरूद्ध एसईसीएल से शेयर विनियोग राशि के रूप में प्राप्त हुई, जिसके लिए शेयरों को दिनांक 31.03.2020 को आबंटित किया जाना है ।*

3.1.2 कार्य-निष्पादन की झलक

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी की प्रथम चरण की परियोजना के अंतर्गत खरसिया से कोरिछापर (सिंगल लाईन) तक प्रथम 45-कि.मी. का परिचालन माल यातायात के लिए चालू हो गया है। इस खण्ड में सिग्नलिंग एवं टेलीकॉम (एसएंडटी) का कार्य पूरा होने की स्थिति में है । कंपनी ने साउथ ईस्टर्न सेन्ट्रल रेलवे (एसईसीआर) के साथ रियायत-अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार एसईसीआर से राजस्व का अपना अंश (शेयर) प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है ।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंसोर्टियम से रू. 510.76 करोड़ का टर्म लोन प्राप्त किया तथा इस प्रकार 31 मार्च, 2020 तक कुल टर्म लोन रू. 1760.04 करोड़ है। कंपनी ने इक्विटी शेयरों के राईट्स-इशु के द्वारा (सीईआरएल के द्वितीय चरण की परियोजना के लिए रू. 32 करोड़ तथा प्रथम चरण की परियोजना के लिए रू. 89.47 करोड़) रू. 121.47 करोड़ की राशि जुटाई है तथा प्रथम चरण की परियोजना के लिए प्राप्त शेयर विनियोग राशि के विरूद्ध शेयरों को जारी किया जाना है ।

विर्दिष्ट ऋण के अनुपालन में इक्विटी इन्फ्यूजन : इक्विटी अनुपात सीईआरएल की प्रथम चरण की परियोजना को पूरा करने हेतु आगे टर्म ऋण प्राप्त करने तथा सीईआरएल की द्वितीय चरण की परियोजना में प्रारंभ की गई गतिविधियों के लिए देयताओं/देनदारियों से मुक्त करने के लिए इसे समर्थ बनाती है।

31 मार्च, 2020 तक 0-74 कि.मी. में विभिन्न खण्डों के लिए एवं 0-28 कि.मी. स्पर लाईन में बड़े और छोटे पुलों के निर्माण, सड़क मार्ग की तैयारी तथा स्टील गर्डर्स की आपूर्ति, फेब्रिकेशन इरेक्शन, प्रारंभन, और गिट्टी, स्लीपर की आपूर्ति एवं ढेर, तथा रेल डिजाईन, कर्षण उप-केन्द्र की आपूर्ति, इरेक्शन, टेस्टिंग तथा कमीशनिंग, ओएचई कार्य, सिग्नलिंग और दूर-संचार केबल की आपूर्ति, तथा इंडोर व आउटडोर सिग्नलिंग उपस्कर के लिए निविदाएं अवार्ड की जा चुकी है। कोरिछापर से धरमजयगढ़ के मध्य मुख्य लाईन का शेष भाग तथा घरघोड़ा से भालुमुड़ा तक स्पर लाईन में प्रथम ब्लाक खण्ड का कार्य पूरा होने की स्थिति में है।

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियों (माईलस्टोन) का सार नीचे दिया गया है-

प्रथम चरण की परियोजना :

1) कंपनी के प्रथम चरण की परियोजना का खरसिया से कोरिछापर (सिंगल लाईन) तक प्रथम 45-कि.मी. का परिचालन चालू हो गया है। सिग्नलिंग एवं टेलीकॉम (एस एंड टी) कार्य प्रगति पर है ।

2) कंपनी ने रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार एसईसीआर से राजस्व का अपना शेयर प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है ।

3) कंपनी ने एसईसीआर के साथ रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ऑपरेशन एवं अनुरक्षण ठेकेदार के रूप में मेसर्स इरकान इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस लिमिटेड (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) को नियुक्त किया है ।

4) कोरिछापर से धरमजयगढ़ के मध्य मुख्य लाईन का शेष भाग और घरघोड़ा से भालुमुड़ा तक स्पर लाईन में प्रथम ब्लाक खण्ड का कार्य भी पूरा होने की स्थिति में है । भालुमुड़ा से डोंगा-महुआ तक द्वितीय ब्लॉक खण्ड कार्य के संबंध में एलाईनमेंट का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लंबित रखे जाने के कारण रोक दिया गया है ।

5) रू. 3055.15 करोड की कुल परियोजना लागत में से 31.03.2020 तक लगभग रू.2180.00 करोड़ व्यय हुआ ।

6) कोयला निकासी के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेल कनेक्टिविटी की सुविधा हेतु एसईसीएल की खदान सीमा क्षेत्र के अंदर रेल अवसंरचना के साथ तालमेल करते हुए छाल, बारोद एवं दुर्गापुर फीडर लाईन के संरेखण (एलाईनमेंट) कार्य को अंतिम रूप दिया जा चुका है। छाल, बारौद एवं दुर्गापुर फीडर लाईनों के लिए भू-सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। फीडर लाईन के लिए भूमि अधिग्रहण व वन अनुमति प्रारंभिक स्थिति में है ।

7) भूमि अधिग्रहण, वन अनुमति से संबंधित कतिपय कार्यकलाप एवं निर्माण कार्यकलापों को कोविड-19 महामारी की वजह से रोकथाम के उपायों के रूप में रोकना पड़ा ।

द्वितीय चरण की परियोजना :

1) लगभग 61.533 कि.मी. (मार्ग किलोमीटर) की धरमजयगढ़ से कोरबा तक की द्वितीय चरण की परियोजना,उरगा सिंगल लाईन में 9.073 कि. मी. फ्लाई ओवर, 6-कि.मी. वाय (Y) कनेक्शन सहित 135.30 कि.मी. लम्बाई के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सीईआरएल, एसईसीएल तथा सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई, जिसकी कुल परियोजना लागत रू. 1686.22 करोड़ है। डीपीआर को 80:20 की ऋण-इक्विटी अनुपात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। परियोजना के निर्दिष्ट समय सीमा में पूरा होने की संभावना है ।

2) रेल मंत्रालय (एमओआर) ने धरमजयगढ़ से कोरबा तक परियोजना की बैंक क्षमता को स्थापित करने के लिए आवधिक समीक्षा की शर्त पर प्रथम पांच वर्षों की वाणिज्यिक संचालन हेतु 60-प्रतिशत इनफ्लेटेड माईलेज का अनुमोदन प्रदान किया है ।

3) धरमजयगढ़ से कोरबा तक द्वितीय चरण की परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सर्वेक्षण, सत्यापन एवं संबंधित कार्यकलापों का कार्य पूर्ण हो चुका है । परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण एवं वन अनुमति का कार्य प्रारंभिक स्थिति में है ।

4) रू. 32.00 करोड़ की इक्विटी को परियोजना के लिए मिलाया (इनफ्यूज्ड) गया है ।

5) भूमि अधिग्रहण, वन अनुमति से संबंधित कतिपय कार्यकलापों को कोविड-19 महामारी के प्रभाव की वजह से रोकथाम के उपायों के रूप में रोकना पड़ा है ।

3.2 छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल)

छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल) दिनांक 25.03.2013 को निगमित हुई। ईस्ट-वेस्ट रेल कोरिडोर अर्थात गेवरा रोड-पेण्ड्रा रोड नई लाईन परियोजना 135.30 कि.मी. को रेल मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.12.2013 को ''विशेष रेलवे परियोजना'' का दर्जा प्रदान किया गया। यह रेल कोरिडोर एसईसीएल के गेवरा कोलफील्ड्स से कोयला परिवहन की सुविधा के साथ-साथ यात्री सेवाओं के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा। परियोजना के अमलीकरण हेतु दिनांक 05.04.2014 को सीईडब्लूआरएल और इरकॉन के मध्य परियोजना निष्पादन करार/अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए।

3.2.1 पूंजीगत ढांचा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की अधिकृत पूंजी एवं प्रदत्त अंश पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो 1110.00 करोड़ और 504.05 करोड़ क्रमशः थी। प्रवर्तक कम्पनियों का इक्विटी शेयरहोल्डिंग पैटर्न नीचे दिया गया है -

कंपनी का नाम	31.03.2020 को शेयरहोल्डिंग पैटर्न	दिनांक 31.03.2019 को शेयर होल्डिंग पैटर्न
साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	64.06%	64.06%
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	26.02%	26.02%
सीएसआईडीसीएल (छत्तीसगढ़ शासन की प्रतिनिधि)	9.92%	9.92%
कुल	**100%**	**100%**

3.2.2 कार्य-निष्पादन की मुख्य झलक

कंपनी की ईस्ट-वेस्ट रेल कोरिडोर परियोजना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एवं कोरबा जिला में फैला हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कम्पनी द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण प्रगति का संक्षिप्त रूप नीचे दर्शित है :

1. कंपनी ने परियोजना के लिए वित्तीय क्लोजर में विलम्ब के कारण एसईसीआर से दिनांक 31.03.2023 तक एक वर्ष हेतु परियोजना को पूरा करने के लिए समय-सीमा के विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया है ।
2. कंपनी ने समस्त ऋण-उधार राशि के लिए अपेक्षित ऋण दस्तावेजों को पूरा करते हुए बैंक से टर्म लोन की स्वीकृति प्राप्त की है, वित्तीय दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए कोविड-19 के कारण लाकडाउन के हटने की प्रतीक्षा की जा रही है ।
3. कंपनी ने परियोजना के लिए आवश्यक व्यय को पूरा करने की दिशा में वर्ष के दौरान एसईसीएल से 45 करोड़ रूपए का शेष टर्म लोन प्राप्त किया है ।
4. वर्ष के दौरान उरगा-कुसमुंडा खण्ड में एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में एक बड़े बृज का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है ।
5. विभिन्न कनेक्टिविटी एवं फीडर लाईनों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अपेक्षित भूमि एवं विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है ।

4.0 उत्पादन कार्य-निष्पादन

4.1 कोकिंग कोयला एवं नान-कोकिंग कोयला का उत्पादन

पिछले वर्ष 2018-19 के लक्ष्य व उपलब्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये एसईसीएल का उत्पादन कार्य-निष्पादन नीचे दर्शित है -

(आंकड़े मिलियन टन में)

कच्चा कोयला उत्पादन	2019-20		2018-19	लक्ष्य-विरूद्ध उपलब्धि	पिछले वर्ष से वृद्धि
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक		
कोकिंग कोल	0.25	0.25	0.25	100.00%	0.00%
नान-कोकिंग कोल	170.25	150.30	157.10	88.28%	(-) 4.33%
कुल	**170.50**	**150.55**	**157.35**	**88.30%**	**(-) 4.32%**

***टिप्पणी** : बेहतर व निरंतर प्रयासों के बावजूद, कंपनी में कोयला उत्पादन में आई बाधाएं इस प्रकार हैं :*

1. *विभिन्न स्तरों पर अनुमति प्राप्त होने में विलम्ब के कारण नई परियोजनाएं अर्थात-सरईपाली खुली खदान परियोजना, रामपुर बतुरा खुली खदान परियोजना, अम्बिका ओसीपी प्रारंभ नहीं हो पाई एवं जगन्नाथपुर खुली खदान परियोजना एवं बिजारी खुली खदान परियोजना विलम्ब से प्रारंभ हो पाई, जिसके लिए इस वित्तीय वर्ष में पहले ही लक्ष्य नियत कर दिये गये थे।*
2. *ई.सी. परिसीमन के कारण मानिकपुर खुली खदान से कोयला उत्पादन सीमित रहा।*

4.2 भूमिगत एवं खुली खदानों से उत्पादन

वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान भूमिगत खदानों एवं खुली खदानों से कोयला उत्पादन नीचे तालिकाबद्ध है-

(आंकड़े मिलियन टन में)

कच्चा कोयला उत्पादन	2019-20		2018-19	लक्ष्य-विरूद्ध उपलब्धि	पिछले वर्ष से वृद्धि
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक		
भूमिगत खदानें	15.09	14.09	14.77	93.37 %	(-) 4.60 %
खुली खदानें	155.41	136.46	142.58	87.81 %	(-) 4.29 %
कुल	**170.50**	**150.55**	**157.35**	**88.30 %**	**(-) 4.32 %**

4 3̣ खुली खदानों से अधिभार निष्कासन

वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान खुली खदानों से अधिभार निष्कासन नीचे तालिकाबद्ध है-

(आंकड़ा मिलियन घन मीटर में)

पैरामीटर	2019-20		2018-19	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि	पिछले वर्ष से वृद्धि
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक		
अधिभार निष्कासन	268.00	164.74	183.44	61.47 %	(–)10.19%

4.4 मशीनीकृत भूमिगत कोयला उत्पादन :

वर्ष 2019-20 के दौरान भूमिगत खदानों से मशीनीकृत कोयला उत्पादन पिछले वर्ष 2018-19 के 14.08 मिलियन टन की तुलना में 14.09 मिलियन टन हुआ ।

4.5 उत्पादकता :

प्रति मैन-शिफ्ट आउटपुट (ओ.एम.एस) के अनुसार उत्पादकता निम्नानुसार है :

उत्पादकता	2019-20 वास्तविक (टन में)	2018-19 वास्तविक (टन में)	पिछले वर्ष से वृद्धि
भूमिगत खदानें	1.69	1.72	(-) 1.74%
खुली खदानें	29.91	31.46	(-) 4.93%
सकल	11.65	11.99	(-) 2.84%

4.6 कोयला भंडार :

31 मार्च, 2019 को 9.26 मिलियन टन इति भण्डार की तुलना में 31 मार्च 2020 को कच्चा कोयले का भण्डार 17.87 मिलियन टन है ।

5.0 वित्तीय निष्पादन :

5.1 वित्तीय परिणाम

वर्ष 2019-20 का कार्यगत परिणाम पिछले वर्ष (2018-19) की तुलना में नीचे दिया गया है:

(रू. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
सकल विक्रय	27086.06	31368.72
घटाइए : उगाही	10235.98	11606.73
निवल विक्रय	16850.08	19761.99
घटाइए : निवल आय-व्यय	13446.25	13404.32
समग्र मार्जिन	3403.83	6357.67
घटाइए : अवमूल्यन	760.85	790.78
समग्र लाभ	2642.98	5566.89
घटाइए : वित्त लागत	121.51	- 3.78
आपवादिक,असाधारण मदें एवं कर पूर्व लाभ	2521.47	5570.67
घटाइए: असाधारण मदें	-	-
पूर्व अवधि समायोजन	-	-

विवरण	2019-20	2018-19
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	2521.47	5570.67
घटाइएः कराधान के लिए प्रावधान :		
(क) आयकर	615.15	1792.93
(ख) आस्थगित कर	238.48	353.01
घटाइए- निम्नलिखित के प्रावधान का समायोजन		
(क) पूर्वतम वर्षों का आयकर	-67.08	-186.82
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	1734.92	3611.55
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-352.43	12.89
अग्रनीत लाभ	984.48	345.47
अवमूल्यन के लिए समायोजन	0.00	0.00
वितरणीय अधिशेष	**2366.97**	**3969.91**
विनियोग :		
सामान्य संचय	86.75	180.58
अंतरिम लाभांश	1617.52	2326.61
लाभांश पर कर	332.49	478.24
कुल	2036.76	2985.43
तुलन पत्र में लाया गया शेष	330.21	984.48

टिप्पणी : *पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलना की दृष्टि से जहां भी आवश्यक समझा गया पुनःएकत्र व पुनःव्यवस्थित किया गया ।*

5.2 लाभ वृद्धि/कमी में योगदान देने वाले कारकः

कम्पनी ने वर्ष 2019-20 में रू. 2521.47 करोड़ ''कर पूर्व लाभ'' (पीबीटी) अर्जित किया है। वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 के लाभ में वृद्धि/कमी में योगदान देने वाले कारक नीचे दर्शित है :

(रू. करोड में)

क्र.	विवरण	राशि	राशि
1	वित्तीय वर्ष 2018-19 का कर पूर्व लाभ (पुनःवर्णित)		5570.67
2	लाभ में कमी में योगदान देने वाले कारक :		
i)	एफएसए एवं ई-ऑक्शन विक्रय की मात्रा व मूल्य में कमी	2911.91	-
ii)	एसटीसी वसूली एवं निष्कासन सुविधा प्रभार शीर्ष के अधीन संचालनीय आय में कमी	154.21	-
iii)	कर्मचारी लाभ व्यय, संविदा व्यय, बिजली, सीएसआर व्यय, मरम्मत, वित्त लागत एवं अन्य प्रावधानों में वृद्धि ।	393.97	-
iv)	स्ट्रीपिंग कार्यकलापों के समायोजन में वृद्धि ।	290.69	3750.78
3	लाभ वृद्धि में योगदान देने वाले कारक		
i)	आयकर एवं लायबिलिटी राईट बैक इत्यादि से ब्याज प्राप्त होने के कारण अन्य आय में वृद्धि	221.26	-
ii)	सामग्रियों की लागत, अवमूल्यन एवं विविध व्यय में कमी ।	116.53	-
iii)	सम्पत्ति सूची में परिवर्तन में वृद्धि	363.79	701.58
4	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कर पूर्व लाभ		2521.47

5.3 लाभांश

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक रू. 1,000.00 (रू. एक हजार मात्र) के 66,80,561 (छैसठ लाख अस्सी हजार पांच सौ इकसठ) इक्वीटी शेयरों के रूप में रू. 668,05,61,000.00 (छै सौ अड़सठ करोड़ पांच लाख इकसठ हजार) की प्रदत्त इक्वीटी शेयर पूंजी पर 242.123 प्रतिशत (रू. 2421.23 प्रति शेयर) का अंतरिम लाभांश घोषित किया गया, इस प्रकार अंतरिम लाभांश के रूप में रू. 1617,51,74,710.00 व उस पर लाभांश वितरण कर के रूप में रू. 332,48,54,740.00 व्यय/वहन किया गया।

वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 के लिए प्रदत्त लाभांश का विवरण नीचे तालिकाबद्ध है-

विवरण	2019-20	2018-19
लाभांश दर	242.12%	333.16%
प्रति शेयर लाभांश	रू. 2421.23	रू. 3331.61
कुल लाभांश	रू. 1617.52 करोड़	रू. 2326.61 करोड़
लाभांश कर	रू. 332.49 करोड़	रू. 478.24 करोड़

चूंकि पिछले वर्ष न तो कोई अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश घोषित किया गया और न ही भुगतान किया गया, अतः कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 का प्रावधान प्रयोज्य नहीं है ।

5.4 पूंजीगत व्यय

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, उत्पादन को बनाए रखने एवं उसमें वृद्धि के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा वर्तमान खदानों/इकाइयों पर पूंजीगत व्यय के रूप में रू.982.84 करोड़ व्यय किया गया ।

5.5 अप्रतिभूति ऋण :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई राशि उधार स्वरूप में नहीं ली, अतः वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष ''शून्य'' है ।

5.6 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक का कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया था, इसलिए उक्त प्रावधान प्रयोज्य नहीं है।

5.7 जमा :

कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लोगों से न तो कोई जमा स्वीकार किया है और न ही नवीनीकृत किया है।

5.8 विविध देनदार

31.03.2019 की तुलना में 31.03.2020 को विविध देनदारों (सकल), डेब्टर टर्न-ओवर तथा संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान की स्थिति नीचे दी गई है :

विवरण	इकाई	31.03.2020	31.03.2019
विविध देनदार (सकल)	रू. करोड़ में	2039.50	680.57
डेब्टर टर्न-ओवर	माह की संख्या	0.60	0.33
संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	रू. करोड़ में	385.79	292.90
विविध देनदार (निवल)	रू. करोड़ में	1653.80	387.67

5.9 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अधीन सम्बद्ध पार्टियों के साथ निष्पादित करार- संविदा या समझौता-व्यवस्था का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की सीमाओं-कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले सम्बद्ध पार्टियों के साथ कोई करार-संविदा या समझौता-व्यवस्था नहीं किया गया।

5.10 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के मध्य हुए वस्तुगत बदलाव व प्रतिबद्धता, यदि कोई हो, जिससे कम्पनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई हो व जिसका वित्तीय विवरणी तथा रिपोर्ट की तिथि से सम्बंध हो :

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के मध्य ऐसा कोई वस्तुगत बदलाव व प्रतिबद्धता नहीं हुई, जिसका वित्तीय विवरण तथा इस रिपोर्ट की तारीख से संबंध हो, व जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई हो ।

5.11 राजकीय राजकोष में अंशदान :

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राजकीय राजकोष में कुल रू. 12,823.47 करोड़ अंशदान दिया। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, रू. 2024.56 करोड़ के प्रत्यक्ष करों के अतिरिक्त, कम्पनी ने केन्द्र व राज्य दोनों के राजकोष में नीचे दिये गये विवरण के अनुसार रायल्टी, विक्रय कर, उत्पाद-शुल्क,जीएसटी, उपकर/अन्य कर इत्यादि के तौर पर रू.10,798.91 करोड़ भुगतान किया :

(रू. करोड़ में)

स.क्रं.	राजकोष में अंशदान का माध्यम	2019-20	2018-19
क	रायल्टी		
	- छत्तीसगढ	2328.37	2491.80
	- मध्यप्रदेश	296.70	343.64
	योग	**2535.07**	**2835.44**
ख	राज्य-विक्रयकर/वैट/प्रवेश कर/वाणिज्यिक कर :		
	- छत्तीसगढ	4.48	3.69
	- मध्यप्रदेश	0.00	0.00
	- पश्चिम बंगाल	0.00	0.00
	योग	**4.48**	**3.69**
ग	**जीएसटी (सीजीएसटी + आईजीएसटी + राज्य क्षतिपूर्ति उपकर)**		
	- छत्तीसगढ	5516.14	5890.71
	- मध्यप्रदेश	515.85	583.34
	- पश्चिम बंगाल	0.00	5.15
	योग	**6031.99**	**6479.20**
घ	जीएसटी (एसजीएसटी)		
	- छत्तीसगढ	256.60	287.75
	- मध्यप्रदेश	35.93	45.62
	- पश्चिम बंगाल	0.00	0.06
	योग	292.53	333.43
ड,	डीएमएफ/एनएमईटी		
	- छत्तीसगढ	678.33	696.65
	- मध्यप्रदेश	95.51	90.83
	- पश्चिम बंगाल	0.00	0.00
	योग	773.84	787.48
च	उपकर/अन्य कर	1161.00	1219.33
छ	प्रत्यक्ष कर (अग्रिम कर, स्व निर्धारण कर, डीडीटी, इत्यादि)	2024.56	3326.97
	कुल योग	**12,823.47**	**14,985.54**

6.0 कोयले का विपणन :

6.1 मांग संतुष्टि

थर्मल कोयले की बढ़ती मांग के विरूद्ध एसईसीएल ने उत्पादन को बढ़ाकर मांग को पूरा करने के लिए निम्नानुसार प्रयास किया है-

(आंकड़ा मिलियन टन में)

उत्पादन			ढुलाई (ऑफ-टेक)		
2019-20	2018-19	वृद्धि (प्रतिशत)	2019-20	2018-19	वृद्धि (प्रतिशत)
150.55	157.35	(-) 4.32 %	141.94	156.03	(-) 9.03 %

अवधि 2019-20 के दौरान पावर सेक्टरों को 114.68 मिलियन टन कोयला प्रेषित किया गया, जो कुल ऑफटेक का 80.79 प्रतिशत है ।

6.2 परिवहन के विविध साधनों द्वारा प्रेषण :

वर्ष 2019-20 के दौरान, परिवहन के विभिन्न माध्यमों द्वारा 141.93 मिलियन टन कोयला प्रेषण हुआ,जबकि 2018-19 के दौरान 156.02 मिलियन टन कोयला प्रेषण हुआ था । साधनवार प्रेषण पिछले वर्ष सहित निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है-

(आंकड़े मिलियन टन में)

परिवहन का माध्यम	प्रेषण		पिछले वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)
	2019-20	2018-19	
रेल	49.61	49.10	1.04 %
सड़क	59.54	70.72	-15.81 %
बेल्ट	6.27	6.97	-10.04 %
एमजीआर	24.38	27.03	-9.80 %
उपभोक्ता का स्वयं का वैगन	2.13	2.20	-3.18 %
कुल	141.93	156.02	-9.03 %

6.3 वैगनों की आपूर्ति और लदान :

वर्ष 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान वैगनों की आपूर्ति एवं लदान का विवरण नीचे दिया गया है :-

(आंकड़ा रैक/प्रतिदिन में)

वैगनों की आपूर्ति और लदान	2019-20	2018-19	वृद्धि (प्रतिशत)
दैनिक औसत लक्ष्य	40.00	40.00	-
दैनिक औसत प्रस्ताव	54.40	54.80	-0.73 %
दैनिक औसत आपूर्ति	35.84	35.75	0.25 %
दैनिक औसत लदान(कच्चा कोयला)	35.84	35.75	0.25 %

रेलवे सायडिंग, गेवरा क्षेत्र में लोडिंग

गेवरा क्षेत्र में रेपिड लोडिंग सिस्टम - साइलो

6.4 राष्ट्रीय कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) :

क. कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन सं.-23011/4/2007-सीपीडी दिनांक 18.10.2007 के माध्यम से नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) सुस्पष्ट कर परिचालित की गई थी। तदन्तर, कार्यालय ज्ञापन सं.-23011/90/2013-सीपीडी दिनांक 26.07.2013, कार्यालय ज्ञापन संख्या- 23011/ 57/2013-सीपीडी दिनांक 04.09.2013 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या-23011/ 90/ 2013-सीपीडी दिनांक 27.09.2016 के माध्यम से एनसीडीपी के लिए दिशानिर्देश/संशोधन परिचालित किए गए थे। एनसीडीपी के अनुसार, कोयला वितरण की पिछली लिंकेज प्रणाली को कोयला कम्पनियों व वैद्य रूप से जुड़े हुए पूर्व उपभोक्ताओं के मध्य यथा-निष्पादित ईंधन आपूर्ति अनुबंध के माध्यम से कोयला वितरण प्रणाली के साथ बदल दिया गया तथा उसके बाद लघु एवं मध्यम सेक्टर/नए उपभोक्ताओं/ई-आक्शन इत्यादि उपभोक्ताओं के लिए कोयला वितरण हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये ।

ख. आर्थिक मामलों की केबिनेट कमेटी ने, दिनांक 3 फरवरी, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि अब से गैर-विनियमित क्षेत्रों के लिए कोयला लिंकेज/आश्वासन पत्र (एलओए) का आबंटन नीलामी आधारित क्रियाविधि के माध्यम से किया जाएगा। तदनुसार, कोयला मंत्रालय द्वारा उनके पत्र सं.- 23011/51/2015-सीपीडी (PT-I) दिनांक 15.02.2016 के माध्यम से परिचालित लिंकेज नीलामी नीति के अनुसार, सीआईएल ने विभिन्न सब-सेक्टरों के अधीन गैर-विनियमित सेक्टर के उपभोक्ताओं के लिए लिंकेज आक्शन निष्पादित किया। तदनुसार,सफल बोलीकर्ताओं के साथ एफएसए निष्पादित किये जा रहे हैं।

गैर-विद्युत उपभोक्ताओं के साथ निष्पादित एफएसए	**वर्ष के दौरान (2019-20) मौजूद/वैद्य एफएसए**					
	पूर्व एनसीडीपी	पश्चातवर्ती एनसीडीपी	लिंकेज आक्शन			
			ट्रेंच-1	ट्रेंच-2	ट्रेंच-3	ट्रेंच-4
एफएसए की संख्या	4	29	143	191	175	568
वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एमटी)	1.85	3.63	7.91	7.59	3.13	9.59

ग. कोयला मंत्रालय (एमओसी) ने उनके पत्र दिनांक 22 मई, 2017 के तहत थर्मल पावर संयंत्रों के आश्वासन पत्र (एलओए) धारकों के साथ ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफएसए) के हस्ताक्षर करने से संबंधित दिशानिर्देश - वर्तमान एलओए-एफएसए की प्रचलित व्यवस्थाओं के धीरे-धीरे समाप्त होने तथा पावर सेक्टर, 2017 के लिए नई अधिक पारदर्शी कोयला आबंटन नीति को प्रारंभ करने - शक्ति (भारत में कोयला (कोल) पारदर्शी रूप में आबंटित करने व अमलीकरण के लिए योजना) नीति जारी किया है, जिसे एमओसी द्वारा उनके पत्र दिनांक 25 मार्च, 2019 के माध्यम से संशोधित किया गया। तदनुसार, एफएसए को सीआईएल स्तर पर कोल इंडिया द्वारा नीलाम करने के बाद आश्वासन पत्र समिति (सीएलओए) की अनुशंसा शक्ति नीति के अधीन निष्पादित/क्रियान्वित की जा रही है ।

विद्युत उपभोक्ताओं के साथ निष्पादित एफएसए	वर्ष 2019-20 के दौरान मौजूद/वैद्य एफएसए				
	पूर्व एनसीडीपी	पश्चातवर्ती एनसीडीपी	शक्ति		
			योजना ए(1)	योजना बी (1)	योजना बी (2)
एफएसए की संख्या	19	39*	1	2	10**
वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एमटी)	63.60	94.23#	2.75	3.71	10.98

टिप्पणी -

* *वर्ष के दौरान वैध 39 पश्चातवर्ती एनसीडीपी एफएसए में से, 33 एफएसए प्रभावी हैं तथा 6 एफएसए जिसका 12.16 एमटी का एसीक्यू है, 31.03.2000 तक प्रभावी रहा ।*

\# *आश्वासन पत्र के अनुसार मात्रा।*

** *शक्ति बी(।।) योजना के अधीन 10-एफएसए में से, 1-नग अभी तक प्रभावी हैं, जिसका दिनांक 31.03.2020 को 0.38 एमटी का एसीक्यू है ।*

6.5 कोयले की ई-मार्केटिंग

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा-अनुमोदित एनसीडीपी के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड ने ''ई-आक्शन योजना 2007'' (स्पॉट ई आक्शन) संसूचित किया, जिसके अनुसार इस योजना के अधीन नियोजित उत्पादन का लगभग 10-प्रतिशत की सीमा तक कोयला विक्रय किया जाना है। उपर्युक्त के अलावा, कोयला मंत्रालय/सीआईएल द्वारा तीन नई ई-आक्शन योजनाएं प्रारंभ की गई है । एसईसीएल ने अवधि 2019-20 के दौरान ई-आक्शन के माध्यम से कोयले की बिक्री के लिए सफलतापूर्वक 163.52 लाख टन कोयले का आफर दिया, स्थल ई-आक्शन, विशेष फारवर्ड ई-आक्शन, तथा एक्सक्लूसिव ई-आक्शन का निष्पादन नीचे दर्शित है -

ई-आक्शन योजना	2019-20		2018-19	अंतर (लाख टन)
	पेशकश मात्रा (लाख टन)	बुक की गयी मात्रा (लाख टन)	बुक की गयी मात्रा (लाख टन)	
स्थल	78.03	67.57	53.98	13.60
विशेष फारवर्ड	81.78	72.22	53.66	18.56
एक्सक्लूसिव	3.71	3.71	9.60	5.89
महायोग	163.52	143.50	117.24	38.05

6.6 उपभोक्ता संतुष्टि :

आयातित कोयला एवं कोयला व ईंधन के अन्य वैकल्पिक स्त्रोत की उपलब्धता अब एक वास्तविक प्रतिस्पर्धा बन गई है। इस बदले हुए परिदृश्य में, कोयले की गुणवत्ता एवं उपभोक्ता संतुष्टि, पूर्व की अपेक्षा काफी प्रासंगिक हो गई है। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, कुल 141.93 मिलियन टन कोयला प्रेषित किया गया।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से दिनांक 26.11.2015 को जारी स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार पावर हाउस को प्रेषित किए जाने वाले कोयले की तृतीय पक्ष सेम्पलिंग (थर्ड पार्टी सेम्पलिंग), स्वतंत्र थर्ड पार्टी सेम्पलर (इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सेम्पलर) अर्थात सीएसआईआर-सीआईएमएफआर द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। इस उद्देश्य से कोयला कम्पनी, सीएसआईआर-सीआईएमएफआर एवं पावर यूटिलिटीस के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध हस्ताक्षरित हुए। एफएसए के अधीन आने वाले/शामिल पावर हाऊस को 100-प्रतिशत नमूनायुक्त (सेम्पल्ड) कोयला प्रेषित किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र तृतीय पक्ष सेम्पलिंग के प्रावधान को एफएसए-नॉन पावर समेत राज्य नामित एजेंसियों तथा स्पॉट ई-आक्शन, स्पेशल स्पॉट ई-आक्शन व एक्सक्यूसिव ई-आक्शन के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं के कोयले की सेम्पलिंग के लिए बढ़ाया/विस्तारित किया गया, जिसमें तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) के रूप में आईआईटी-आईएसएम-धनबाद/क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। गैर-पावर के लिए लिंकेज उपभोक्ता, सीपीपी एवं स्पंज आयरन उपभोक्ता तथा ''शक्ति'' के अधीन कोयले की आपूर्ति किए जाने वाले पावर उपभोक्ता तथा ई-आक्शन जैसी कोयला आपूर्ति की अन्य योजनाओं के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को स्वतंत्र तृतीय पक्ष सेम्पलर (क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एवं आईआईटी-आईएसएम, धनबाद) द्वारा तृतीय पक्ष सेम्पलिंग करने का प्रावधान किया गया है।

एसईसीएल ने नान-कोकिंग कोयले की ग्रेडिंग एवं मूल्य निर्धारण हेतु कोयला मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन सं0-2440 दिनांक 30.12.2011 के अनुसार पूर्णतः परिवर्तनशील सकल कैलोरीफिक मूल्य (जीसीवी) आधारित सिस्टम, जिसे दिनांक 01.01.2012 से अपनाया गया है, तदनुसार बिल तैयार कर वसूली की जा रही है। कोयले की ग्रेडिंग के लिये जीसीवी आधारित पद्धति कोयले के व्यापार की अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति है जिसे कई उच्च स्तरीय समिति के साथ-साथ एकीकृत ऊर्जा नीति समिति ने भी अपनाने की अनुशंसा की थी।

जीसीवी का निर्धारण बॅम कैलोरीमीटर के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि उच्चशः परिशुद्धता हासिल कर उपभोक्ताओं का विश्वास इस प्रणाली में कायम किया जा सके। यह प्रणाली कोयला आपूर्ति की गुणवत्ता में उच्च स्तर को बनाए रखने एवं तदनुरूप महत्तम उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करता है। जहां तक सेम्पलिंग व विश्लेषण का संबंध है, कोयले की जीसीवी विश्लेषण के लिए बी.सी. उपयोग में लाया जाता है, चूंकि बम कैलोरीमीटर एक स्वचालित मशीन है, जिसमें ईंधन को चार्ज करने के उपरांत परिणाम (जीसीवी) स्वतः एलसीडी स्क्रीन में प्रदर्शित हो जाता है ।

7.0 बडे/प्रमुख उपकरणों का कार्य निष्पादन :

7.1 एचईएमएम की संख्या एवं कार्य-निष्पादन :

वर्ष 2019-20 के दौरान सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) मानकों की तुलना में अर्जित एचईएमएम (प्रतिशत में) की उपलब्धता और उपयोगिता निम्नानुसार हैः

(क) एचईएमएम की संख्या और उपलब्धता व उपयोगिता :

एचईएमएम का नाम	संख्या		उपलब्धता (प्रतिशत में)			उपयोगिता (प्रतिशत में)		
	2019-20	2018-19	सीएमपीडी आईएल मानक	2019-20	2018-19	सीएमपीडी आईएल मानक	2019-20	2018-19
ड्रेग लाईन	4	4	85	81	82	73	64	67
शावेल	81	84	80	73	77	58	39	40
डम्पर	438	427	67	83	82	50	34	35
डोजर	156	165	70	71	68	45	30	30
ड्रिल	112	111	78	86	83	40	23	24

1. वर्ष 2019-20 के दौरान डम्पर, डोजर एवं ड्रिल की उपलब्धता प्रतिशत सीएमपीडीआईएल मानकों की तुलना में अधिक रही।
2. ड्रेगलाईन एवं शॉवेल की उपलब्धता सीएमपीडीआईएल मानकों के अनुसार क्रमशः 95-प्रतिशत एवं 91- प्रतिशत रही ।
3. ड्रेगलाईन, शॉवेल, डम्पर, डोजर एवं ड्रिल की उपयोगिता सीएमपीडीआईएल मानकों के अनुसार क्रमशः 88-प्रतिशत, 67-प्रतिशत, 68-प्रतिशत, 67-प्रतिशत एवं 58-प्रतिशत रही।
4. रोल पर 04-ड्रेगलाईनों में, चिरिमिरी ओसीएम की 02-ड्रेगलाईन को अस्थाई रूप से सर्वे-ऑफ कर दिया गया तथा बिश्रामपुर ओसीएम की 01-ड्रेगलाईन का निर्धारित कार्यशील जीवन उसकी वर्ष व घंटे के निबंधन में पूरी हो चुकी है, जो बारम्बार खराब हो रही है तथा जिसके कारण ड्रेगलाईन की उपयोगिता प्रभावित रही।
5. बिश्रामपुर ओसीएम एवं धनपुरी ओसीएम में ड्रेगलाईन के परिचालन हेतु भूमि की अत्यधिक कमी एवं ड्रेगलाईन काफी पुराना होने के कारण ड्रेगलाईन की उपयोगिता प्रभावित रही ।
6. शावेल की उपलब्धता व उपयोगिता निम्नलिखित कारणों से कम रही -
   - क) कुछ उपकरणों का काफी पुराना होना एवं 10 घन मीटर शॉवेल की अविश्वसनीयता।
   - ख) कुसमुंडा, गेवरा एवं सोहागपुर में शॉवेल की बेहतर उपयोगिता के लिए डम्पर ऑपरेटरों की कमी।
   - ग) दिनांक 29.09.2019 को दीपका ओसीएम में अत्यधिक वर्षा व नदी में बाढ़ के कारण 03-नग (तीन) 10 घन मीटर शॉवेल एवं 01-नग (एक) 42 घनमीटर शॉवेल का जल में डूबना/ जलमग्नता।
   - घ) ओईएम जैसे बूसायरस/केट एवं एचईसी से पीएंडएच शॉवेल के स्पेयर्स की देशज स्रोतों से आपूर्ति की अनुपलब्धता व अपर्याप्त सेवा और उत्पाद सहयोग ने शॉवेल की कम उपलब्धता में योगदान दिया।
   - ङ.) वर्ष 2019-20 के दौरान मानसून की अवधि का बढ़ना।
7. निम्नलिखित तथ्यों की वजहों से सीएमपीडीआईएल मानदण्डों की तुलना में डम्पर की उपयोगिता कम रही-
   - क) कुसमुंडा ओसीएम के लिए पहले से ही चालू/प्रतिस्थापित 100टी डम्पर्स हेतु मिलते-जुलते 10-घनमीटर शॉवेल की खरीदी एवं आपूर्ति में विलम्ब।
   - ख) कुसमुंडा, गेवरा एवं सोहागपुर क्षेत्र में डम्पर ऑपरेटरों की कमी।
   - ग) दिनांक 29.09.2019 को खदान में बाढ़ के कारण दीपका में डम्पर्स का बिना उपयोग के खड़ा रहना, जिसमें 01-नग 42 घनमीटर शॉवेल एवं तीन-नग 10 घनमीटर शॉवेल जल में डूब गए थे।
   - घ) आमाडांड ओसीएम में भूमि की समस्या ।
   - ङ.) अवधि 2019-20 के दौरान मानसून की अवधि का बढ़ना ।

गेवरा क्षेत्र में परिचालन में 42 घनमीटर शावेल

गेवरा ओसी में परिचालन में 240 टन डम्पर

गेवरा ओसी में परिचालन में 850 एचपीडोलर

गेवरा ओसी में परिचालन में ड्रिल

(ख) मार्क के अधीन एचईएमएम का कार्य-निष्पादन :

वर्ष 2019-20 के दौरान गारंटीयुक्त उपलब्धता के विपरीत मार्क के अधीन एचईएमएम की उपलब्धता और उपयोगिता नीचे दर्शित है :-

एचईएमएम का नाम	संख्या		मार्क में गारंटीयुक्त उपलब्धता (प्रतिशत में)	मार्क के अनुसार उपलब्धता (प्रतिशत में)		उपयोगिता (प्रतिशत में)	
	2019-20	2018-19		2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
42.0 घनमीटर 495 एचडी शावेल	3	3	85	85	87	55	57
42.0 घन मीटर 4100सी शावेल	2	2	85	93	89	51	64
15.0 घन मीटर आरएच 120 (एचएस) एक्सकवेटर	2	2	85	93	92	50	44
240 टन कैट 793डी डम्पर	22	22	85	88	89	35	30
*850 एचपी कैट डी11टी डोजर	1	2	78	61	79	16	12

टिप्पणीः

1. 850 एचपी डी 11 डोजर का मार्क दिनांक 22.03.2020 को समाप्त हुआ ।

* 850 एचपी डी11टी डोजर की उपलब्धता विभिन्न कारणों जैसे-इंजिन में समस्या, इंजिन का अधिक गर्म होना, कूलेन्ट लीकेज, हाईड्रोलिक समस्या इत्यादि के कारण मार्क धारक की वजह से 3322.5 घंटे के लिए चूंकि मशीन खराब/बिगड़ी अवस्था में रही, इस तरह मार्क के अनुसार गारंटीयुक्त उपलब्धता कम रही ।

(ग) खुली खदानों की प्रणालीकृत क्षमता उपयोगिता :

वर्ष 2019-20 (वर्ष के 1 अप्रैल को क्षमता पर आधारित) साथ ही साथ वर्ष 2018-19 के दौरान खुली खदानों की प्रणालीकृत क्षमता उपयोगिता नीचे तालिका में दी गई है :

क्षमता उपयोगिता (प्रतिशत में)	2019-20	2018-19
विभागीय क्षमता उपयोगिता	61.70	66.94
प्रणालीकृत क्षमता उपयोगिता (ठेका-संविदा क्षमता सहित)	61.07	71.13

टिप्पणी :

- सीएमपीडीआईएल द्वारा खुली खदानों (संविदा क्षमता सहित) की दिनांक 01.04.2019 को यथा-निर्धारित प्रणालीकृत क्षमता व विभागीय क्षमता क्रमशः 136.06 मिलियन घनमीटर व 408.204 मिलियन घनमीटर थी।
- वर्ष 2019-20 के दौरान खुली खदानों की विभागीय क्षमता उपयोगिता निम्नलिखित तथ्यों की वजहों से प्रभावित हुई-

क) कार्य करने का स्थल/भूमि की कमी के कारण ड्रेगलाईन की कम-उपयोगिता से क्षमता उपयोगिता प्रभावित हुई ।

ख) बढ़ी मानसून अवधि के परिणामस्वरूप पिट एवं हॉल रोड की दशा काफी खराब रही ।

ग) राजनगर एवं आमाडांड के शॉवेल की उपयोगिता भूमि की समस्या के कारण प्रभावित हुई तथा मानिकपुर ओसीएम का आरपीआर ठेका प्रथा से चलाना है ।

घ) 10 घनमीटर शावेल का काफी पुराना होना तथा अविश्वसनीयता ।

ड.) कुसमुंडा, गेवरा एवं सोहागपुर क्षेत्र में डम्पर ऑपरेटरों की कमी के कारण क्षमता उपयोगिता भी प्रभावित हुई ।

च) दिनांक 29.09.2019 को दीपका ओसीएम में अत्यधिक बारिश व नदी में बाढ़ के कारण 03 (तीन) नग 10-घनमीटर शॉवेल तथा 01-नग (एक) 42 घनमीटर शावेल के जलमग्न होने की वजह से उपयोगिता क्षमता कम रही ।

7.2 कोल हैण्डलिंग प्लान्ट (सीएचपी) :

वर्ष 2019-20 के दौरान बड़े एवं छोटे कोल हैण्डलिंग प्लान्ट की क्षमता और उपयोगिता का विवरण नीचे दर्शित है :-

सीएचपी	2019-20				2018-19			
	संख्या	वार्षिक क्षमता (मि.टन)	कोल हैण्डल्ड (मि.टन)	क्षमता उपयोगिता (प्रतिशत)	संख्या	वार्षिक क्षमता (मि.टन)	कोल हैण्डल्ड (मि.टन)	क्षमता उपयोगिता (प्रतिशत)
बड़े सीएचपी	13	69.25	59.99	86.62	13	71.23	61.70	86.62
छोटे सीएचपी	14	12.35	10.74	86.96	14	13.14	17.57	133.74
योग	**27**	**81.60**	**70.73**	**86.67**	**27**	**84.37**	**79.27**	**93.96**

सीएचपी, एसईसीएल गेवरा क्षेत्र

सीएचपी, एसईसीएल दीपका क्षेत्र

8.0 आयोजना एवं परियोजना प्रबोधन

8.1 परियोजना का सूत्रीकरण/पूंजीगत परियोजनाएं/योजनाएं :

क. वर्ष के दौरान पीआर का सूत्रीकरण

1. बरौद विस्तार खुली खदान (10 मि.टन प्रतिवर्ष)
2. केतकी यूजी का आरपीआर (0.42 - 0.88 मि.टन प्रतिवर्ष)
3. बतुरा वेस्ट खुली खदान (0.80 मि.टन प्रतिवर्ष)
4. पोरदा-चिमटापानी खुली खदान (10 मि.टन प्रतिवर्ष)

ख. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एसईसीएल/सीआईएल बोर्ड द्वारा बड़ी-प्रमुख योजनाओं/परियोजनाओं का अनुमोदन :

1. रामपुर बतुरा खुली खदान (सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित)

ग. परियोजनाओं की पूर्णताः कुछ नहीं

घ. वर्ष के दौरान छोड़ी गई/बंद की गई/अवरोधित परियोजनाएं : कुछ नहीं

ड.. परियोजनाओं की कमीशनिंगः जगन्नाथपुर खुली खदान

8.2 परियोजना का प्रबोधन एवं क्रियान्वयन की स्थिति :

एसईसीएल में, कुल 263.52 मि. टन प्रतिवर्ष की क्षमतायुक्त 118 बड़ी कोयला परियोजनाएं (79 भूमिगत परियोजनाएं एवं 39 खुली खदान परियोजनाएं) अनुमोदित की गई है, जिनकी स्वीकृत पूंजी रूपये 37078.07 करोड़ (राष्ट्रीयकरण पूर्व खदानें एवं छोड़ी गई/ताक पर रखी गई परियोजनाओं को छोड़कर) है। 31 मार्च, 2018 को 118 परियोजनाओं में से 31 परियोजनायें (06 भूमिगत एवं 25 खुली खदान) चलित (ऑन गोईंग) परियोजनाएं, तथा 61 परियोजनायें (49 भूमिगत एवं 12 खुली खदान) पूर्ण परियोजनाएं हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान, दो परियोजनाएं पूरी हुई और चलित (आन-गोईंग) से पूर्ण खदानों के समूह में शिफ्ट हुई तथा दो नए पीआर (महामाया खुली खदान और झिरिया पश्चिम खुली खदान) अनुमोदित की गई और चलित (आन-गोईंग) समूह में शामिल की गई । कुछ भूमिगत खदानें एवं खुली खदानें संचित कोयले की निकासी और वित्तीय व्यवहार्यता मुद्दे के कारण बंद हुई । बंद खदानों (संचय की निकासी और वित्तीय व्यवहार्यता के कारण) पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इसका योगदान शून्य है। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान बंद हुई ऐसी खदानों से बुनियादी ढांचे, मशीनरी, अन्य उपकरण आदि की शिफ्टिंग का कार्य और जनशक्ति का स्थानांतरण प्रगति पर है ।

दिनांक 01.04.2020 को, एसईसीएल में 85-प्रमुख कोयला परियोजनाएं (50-भूमिगत परियोजनाएं और 35- खुली खदान परियोजनाएं सहित 03 कस्टोडियन प्रोजेक्ट यथा-गारे-पेलमा IV/1, IV/2व3 तथा IV/7) हैं। इनमें से 70 परियोजनाएं कार्य-संचालन में है (छोड़ी गई/बंद की गई परियोजनाओं को छोड़कर) जिसकी निर्धारित क्षमता 207.41 मिलियन टन प्रतिवर्ष तथा स्वीकृत पूंजी रू. 28,353.08 करोड़ है। 85 परियोजनाओं में से, 34 परियोजनाएं (06 भूमिगत एवं 28 खुली खदान सहित 03 कस्टोडियन प्रोजेक्ट) चलित (ऑन-गोईंग) परियोजनाएं, 46 परियोजनाएं (39 भूमिगत एवं 07 खुली खदान) पूर्ण परियोजनाएं (31.03.2019 को पूर्ण हुई) तथा 05-भूमिगत खदानें वर्तमान/विद्यमान खदानें हैं।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2020 को 85 कोयला परियोजनाओं के निवेशवार/प्रौद्योगिकीवार कियान्वयन की स्थिति प्रदर्शित करती है, जिसमें आन गोईंग परियोजनाएं,पूर्ण खदानें तथा विद्यमान खदानों का समावेशन है :

केटेगरी	परियोजनाओं की कुल संख्या	क्षमता (मि. टन प्रतिवर्ष)	स्वीकृत पूंजी (रू.करोड में)	परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति			
				पूर्ण खदान	विद्यमान खदान	आन गोईंग परियोजनाएं	
						अनुसूची पर	विलंबित
(क)-निवेश आधार पर							
i) रू.100 करोड़ व अधिक	32	231.85	35649.23	05	-	21	06
ii) रू. 50 करोड़ व अधिक किन्तु 100 करोड़ से कम	11	9.20	830.69	10	-	-	01
iii) रू.20 करोड़ व अधिक किन्तु 50 करोड़ से कम	20	7.90	739.54	17	-	01	02
iv) रू. 20 करोड़ से कम	14	4.97	188.52	14	-	-	-

केटेगरी	परियोजनाओं की कुल संख्या	क्षमता (मि. टन प्रतिवर्ष)	स्वीकृत पूंजी (रू.करोड में)	परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति			
				पूर्ण खदान	विद्यमान खदान	आन गोईंग परियोजनाएं	
						अनुसूची पर	विलंबित
v) वर्तमान/विद्यमान खदानें	05	-	-	-	05	-	-
vi) कस्टोडियन खदानें	03	13.45	-	-	-	03	-
योग	**85**	**267.37**	**37407.98**	**46**	**05**	**25**	**09**
(ख)-प्रौद्यौगिकी आधार पर :							
i) खुली खान	35	248.10	34960.84	07	-	22	06
ii) भूमिगत	50	19.27	2447.14	39	05	03	03
योग	**85**	**267.37**	**37407.98**	**46**	**05**	**25**	**09**

8.3 विलंबित परियोजनायें/योजनाएं-

i. अमेरा खुली खदान (1 मि.टन प्रतिवर्ष) :

भू-अधिकार के कारण परियोजना विलंबित हुई। भूमि के मुआवजा/क्षतिपूर्ति वितरण का कार्य प्रगति पर है। तीन गावों की 575.93 हेक्टर काश्तकारी भूमि के लिए रू. 50.97 करोड़ मुआवजा/ क्षतिपूर्ति राशि अवार्ड की गई है, जिसमें से दिनांक 31.03.2020 तक 242.142 हेक्टर के लिए रू. 12.40 करोड़ की राशि वितरित की गई है ।

ii. बारौद खुली खान विस्तार (3.0 मि.टन प्रतिवर्ष)

भूमि के अधिकार में विलम्ब और एफसी में विलम्ब के कारण परियोजना में देरी हुई । मुआवजा वितरण का कार्य प्रगति पर है। 331 काश्तकारी की 335.89 हेक्टेयर भूमि में से 221 काश्तकारी को 81.07 करोड़ में से रू. 69.04 करोड़ की राशि वितरित की गई है । फरवरी, 2013 में पंजीकृत 238.373 हेक्टर वन भूमि के लिए एफसी का आवेदन किया गया। विभिन्न स्तरों पर सूक्ष्म जांच उपरांत, छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने एमओईएफ व सीसी को दिनांक 03.12.2019 को प्रस्ताव अग्रेषित किया । एमओईएफ एवं सीसी ने दिनांक 23.12.2019 को राज्य शासन से 10-बिन्दुओं पर पर जानकारी चाही । आंचलिक कार्यालय, नागपुर द्वारा दिनांक 06.01.2020 को स्थल का निरीक्षण पूरा किया गया। एमओईएम को प्रस्ताव भेजने के लिए राज्य शासन के अधिकारियों से अनुरोध किया गया ।

iii. करताली ईस्ट खुली खदान (2.50 मि.टन प्रतिवर्ष) :

भूमि-अधिग्रहण एवं वानिकी अनुमति में विलम्ब के कारण परियोजना में देरी हुई। जीरो डेट अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है । भूमि-अधिग्रहण एवं वानिकी अनुमति प्रक्रियाधीन है। परियोजना के 2022-23 में पूरा होने की संभावना है ।

iv. मानिकपुर खुली खान विस्तार (3.50 मि.टन प्रतिवर्ष):

परियोजना, सीईपीआई-मोराटोरियम के कारण पर्यावरणीय अनुमति मिलने में विलंब के फलस्वरूप विलंबित हुई। पर्यावरणीय अनुमति दिनांक 22.08.2014 को प्राप्त हुई। वन-भूमि का अधिकार मिलने में विलम्ब के कारण परियोजना निर्माण कार्यकलाप जैसे : इन-पिट क्रशिंग तथा बेल्ट कन्वेयर आदि द्वारा परिवहन आदि में विलंब हुआ। इन-पिट क्रशिंग एवं परिवहन (कन्वेयिंग) के लिए सीएमपीडीआईएल में एनआईटी को अंतिम रूप दिया जा रहा है । निर्धारित उत्पादन क्षमता अर्जित कर लिया गया है। परियोजना के 2020-21 में पूरा होने की संभावना है ।

v. बगदेवा यूजी आरपीआर (0.75 मि.टन प्रतिवर्ष)

निर्धारित उत्पादन अर्जित न करने एवं भूमि के अधिकार में विलम्ब के कारण परियोजना में विलम्ब हुआ। भूमि : सतही अधिकार प्राप्त करने के लिए सीबीए की धारा 11(।) के अधीन दिनांक 30.03.2016 को 204.71 हेक्टर भूमि अधिसूचित की गई । भूमि का प्रत्यक्ष अधिकार मिलने के पश्चात, डिपलरिंग प्रारंभ किया जाएगा, जिसके द्वारा निर्धारित क्षमता अर्जित की जाएगी ।

vi. केतकी यूजी (0.42 मि.टन प्रतिवर्ष)

परियोजना भूमि अधिग्रहण एवं एफसी के कारण विलंबित हुई। भूमि : 3.14 हेक्टर काश्तकारी भूमि अधिकार में है । एफसी : एमओईएफ द्वारा दिनांक 28.02.2019 को 207.99 हेक्टर भूमि हेतु चरण-2 एफसी प्रदान की गई है । वन भूमि को सौंपे जाने की प्रतीक्षा की जा रही है । वन भूमि का प्रत्यक्ष अधिकार मिलने के उपरांत खदान से कोयला उत्पादन प्रारंभ किया जाएगा ।

vii. रानी अटारी भूमिगत (0.48 मि.टन प्रतिवर्ष)

आवासीय कालोनी के निर्माण एवं ईएमपी अनुमति में विलम्ब के कारण परियोजना में देरी हुई। 0.48 मि.टन प्रतिवर्ष के लिए अप्रैल, 2010 में ईएमपी प्राप्त हुई। आवासीय कालोनी के निर्माण के लिए भूमि का अधिकार जनवरी, 2017 में प्राप्त हुआ। परियोजना को अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त करना है। हालाकि, परियोजना को पहले ही विजय वेस्ट खुली खदान में शामिल किया जा चुका है।

viii. विजय वेस्ट भूमिगत (0.50 मि.टन प्रतिवर्ष)

भूमि-अधिग्रहण, सीएचपी, कोयला परिवहन सड़क के निर्माण तथा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छ.ग. से संचालन के लिए सहमति प्राप्त होने में विलम्ब के कारण परियोजना में देरी हुई। परियोजना ने अपनी निर्धारित क्षमता को प्राप्त नहीं किया है। हालाकि, परियोजना को पहले ही विजय वेस्ट खुली खदान में शामिल किया जा चुका है ।

8.4 कार्य-निष्पादन/उपलब्धियां :

वर्ष 2019-20 के लिए कार्य-निष्पादन/उपलब्धि को प्रदर्शित करने वाले बड़े पैरामीटर नीचे दर्शित है-

स.क्रं.	कार्य-निष्पादन के पैरामीटर्स	इकाई	वास्तविक उपलब्धि
1	भूमि अधिग्रहण		
1.1	सीबीए की धारा 9(i) के अधीन भूमि का अधिग्रहण	हेक्टर	221.05
1.2	सीबीए की धारा 11(i) के अधीन भूमि का अधिग्रहण	हेक्टर	465.86
1.3	भूमि का अधिकार (वन भूमि सहित)	हेक्टर	1288.43
2	परियोजनाओं/आरसीई का अनुमोदन : कुछ नहीं	-	-

9.0 अन्वेषण :

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, अन्वेषण की स्थिति इस प्रकार है :

- एसईसीएल/सीआईएल ब्लॉक्स में सीएमपीडीआई के माध्यम से 307536.50 मीटर ड्रिलिंग की गई।
- सीआईएल ब्लॉक्स अर्थात - कोतेया, बगरा एवं मानपुर ब्लाक्स, बिश्रामपुर कोलफील्ड्स (सीआईसी कोलफील्ड्स), मांड-रायगढ़ सीएफ के दुबा ब्लाक, ताता-पानी रामकोला सीएफ एवं बसीन फतेहपुर बी के पश्चिमी एवं बसीन फतेहपुर ए ब्लॉक के पश्चिम का भू-विज्ञान रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसके द्वारा 1865.55 मि.टन (प्रमाणित : 1765.37 मि.टन, सांकेतिक :82.88 मि.टन तथा अनुमानित : 17.30 मि.टन) की वृद्धि हुई है ।

10.0 अनुसंधान और विकास :

कोयला सेक्टर में अनुसंधान व विकास (आर एंड डी) कार्यकलाप, "मानक वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) नामक एक शीर्ष वैज्ञानिक निकाय द्वारा प्रशासित-प्रबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एण्ड टी) कार्यकलापों के माध्यम से किए जाते हैं । इस उच्च स्तरीय समिति को कोयला सेक्टर में एसएंडटी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अध्ययन करने व योजना बनाने, प्रोग्रामिंग, बजट तैयार करने आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्यो की जिम्मेदारी सौपी गई है। सीएमपीडीआईएल, कोल/लिग्नाईट सेक्टरों में एसएंडटी कार्यकलापों में समन्वय बनाए रखते हुए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। उपर्युक्त के अलावा, कोल इंडिया लिमिटेड का आरएंडडी बोर्ड भी कोल सेक्टरों के लिये कुछ आरएंडडी परियोजनाओं/ योजनाओं को अनुमोदित कर रहा है। एसईसीएल का भी अपना एक आरएंडडी प्रकोष्ठ है,जो छोटे आरएंडडी परियोजनाओं/योजनाओं पर कार्य कर रहा है ।

10.01 विशेष क्षेत्र जिसमें कंपनी द्वारा आर एंड डी का पालन किया जा रहा है : कुछ नहीं ।

11.0 खनन में आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी का आत्मसातीकरण :

11.1 सरफेस माईनर :

सरफेस माईनर्स को किराया आधार पर गेवरा खुली खदान विस्तार, दीपका खुली खदान विस्तार, कुसमुंडा खुली खदान विस्तार, छाल खुली खदान, बारौद खुली खदान एवं महान-।। खुली खदान में कोयला उत्पादन हेतु नियोजित किया गया । वर्ष 2019-20 में सरफेस माईनर से कुल 95.711 मिलियन टन कोयला उत्पादित हुआ। सरफेस माईनर्स से खानवार कोयला उत्पादन नीचे सारणीबद्ध है-

(आंकड़ा लाख टन में)

स.क्रं.	खदान	2019-20	2018-19
1	गेवरा खुली खदान विस्तार	37.547	36.663
2	दीपका खुली खदान विस्तार	20.721	33.022
3	कुसमुंडा खुली खदान विस्तार	31.153	27.449
4	छाल खुली खदान	0.442	1.193
5	बारौद खुली खदान	1.762	1.305
6	जामपाली खुली खदान	0.6858	2.018
7	महान-।। खुली खदान	2.0	0.625
8	बिजारी ओसी	1.401	-
	कुल	**95.711**	**102.275**

गेवरा ओसी में परिचालन में सरफेस माईनर

11.2 कंटीन्यूअस माईनर

भूमिगत खनन कार्य संचालन को आधुनिक बनाने के कंपनी के प्रयासों के परिणामस्वरूप कंटीन्यूअस माईनर (सीएम) कई भूमिगत खदानों यथा-कुरजा-शीतलधारा खदान, कपिलधारा खदान, पिनौरा भूमिगत खदान, चरचा भूमिगत, विजय वेस्ट भूमिगत, हल्दीबाड़ी भूमिगत एवं खैरहा भूमिगत में सफलतापूर्वक संचालित है। रानी अटारी भूमिगत खदान में कम क्षमतायुक्त कंटीन्यूअस माईनर परिचालन में है। वर्ष 2019-20 में कंटीन्यूअस माईनर से कुल 35.93 लाख टन कोयला उत्पादित हुआ।

कंटीन्यूअस माईनर से खदानवार कोयला उत्पादन नीचे सारणीबद्ध है :

(आंकड़ा लाख टन में)

स.क्रं.	खदान	2019-20	2018-19
1	खैरहा सीएम	8.19	7.01
2	रानी अटारी एलसीसीएम	-	1.73
3	कुरजा सीएम	-	0.90
4	कपिलधारा सीएम	1.98	4.38
5	विजय वेस्ट सीएम	4.99	5.00
6	हल्दीबाड़ी सीएम	5.81	6.06
7	चरचा सीएम	8.48	9.30
8	विंध्या सीएम	1.35	6.26
9	बंगवार सीएम	5.11	-
	कुल	**35.93**	**40.63**

विंध्या यूजी जोहिला क्षेत्र में कंटीन्यूअस माईनर

कम्पनी ने अन्य भूमिगत खदानों जैसे केतकी यूजी, गायत्री यूजी, रेहर यूजी, शिवानी यूजी एवं रजगामार भूमिगत खदान में कंटीन्यूअस माईनर को भविष्य में व्यवहार में लाने हेतु कदम उठाए हैं ।

11.3 हाईवाल खनन प्रौद्योगिकी

यह पद्धति उन पतली सीम या खुली खदान के हाईवाल में अन्तर्निहित (अंडरलाईंग) कोल सीम से कोयला निकालने की दूरस्थ संचालित पद्धति (रिमोटली ऑपरेटेड सिस्टम) है जो गैर-आर्थिक स्ट्रीपिंग अनुपात या सतही बाधाओं के कारण अंतिम हाईवाल स्थिति में पहुंच चुका है,या जिसका आगे खनन संचालन सीमित है। हाईवाल प्रौद्योगिकी को कोल इंडिया लिमिटेड में पहली बार एसईसीएल के सोहागपुर क्षेत्र की शारदा खदान में अप्रैल, 2011 में सफलतापूर्वक चालू किया गया।

वर्ष 2019-20 के दौरान, शारदा खदान में इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से 5.683 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ। एक और नई परियोजना यथा-बतुरा में हाईवाल क्रियान्वित किया जाना है।

शारदा खदान, सोहागपुर क्षेत्र में हाईवाल परिचालन

11.4 मैन-रायडिंग प्रणाली

लम्बी या कठिन यात्रायुक्त विशेष भूमिगत खानों में लोगों के यातायात की व्यवस्था के लिए इसका व्यवहार किया गया है। मैन-रायडिंग प्रणाली कंपनी की चरचा (तीन सेट), सिंघाली, बगदेवा, बहेराबंद, पिनौरा, शीतलधारा-कुरजा, कपिलधारा, बंगवार, शिवानी एवं नवापारा (प्रत्येक खदान में 2-सेट), झिलिमिली, झिरिया, राजेन्द्रा एवं कटकोना भूमिगत खदान में संचालित है ।

इसके साथ ही ढेलवाडीह यूजी एवं कटकोना यूजी 1 व 2 (2 सेट) में मैन-रायडिंग सिस्टम की खरीदी के लिए प्रस्ताव निविदा आमंत्रित करने हेतु प्रक्रियाधीन है, जबकि खैरहा यूजी में अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है।

हसदेव क्षेत्र में मैन रायडिंग

12.0 खान सुरक्षा एवं बचाव

कम्पनी का यह मानना है कि बेहतर सुरक्षा निष्पादन, दक्ष एवं लाभदायक व्यवसाय प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है तथा कम्पनी अपने कार्य-संचालन के सभी परिप्रेक्ष्यों में सम्पूर्ण सुरक्षा हेतु पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कम्पनी कर्मचारियों की सुरक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण मानती है और इस हेतु किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करती है ।

12.1 खान सुरक्षा उपाय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एसईसीएल की खदानों में खान सुरक्षा मानकों में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये :

01. कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए मापदण्ड के अनुसार, सितम्बर-अक्टूबर, 2019 अवधि के दौरान सभी 69-खदानों (अर्थात यूजी-46 एवं ओसी-23) का जोखिम निर्धारण आधारित खान सुरक्षा लेखा परीक्षा बहु-शाखा अंतर-क्षेत्रीय लेखा परीक्षण दल द्वारा किया गया ।

02. जमीनी स्तर पर जुडे हुए कामगारों, कर्मचारियों, खान सुरक्षा अधिकारियों एवं प्रबंधकों को शामिल कर एसईसीएल की सभी खदानों के लिए खान सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार कर निष्पादित/क्रियान्वित किया गया। तदानुसार विभिन्न कार्यकलापों के लिए एसओपी/सीओपी बनाकर क्रियान्वित किया गया।

03. डीजीएमएस के सहयोग से एसईसीएल के सभी क्षेत्रों में शून्य क्षति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए खान सुरक्षा प्रबंधन योजना एवं कार्य-योजना की समीक्षा व अद्यतनीकरण पर कार्यशाला आयोजित की गई।

04. खान अधिनियम,1952 एवं नियम-1955, कोयला खान विनियम-2017 इत्यादि के समस्त प्रावधानों तथा इस संबंध में इसके अधीन जारी परिपत्रों का अनुपालन कार्यस्थलों में कर्मचारियों/कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है ।

05. खदानों में सुरक्षित, प्रभावी व उत्पादनकारी वातावरण सृजित करने के लिए विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं पर कार्य-आधारित प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण के साथ-साथ पिट-टाप व ठेकेदारों के शिविरों में प्रचार प्रसार व प्रदर्शन पर विशेष जोर दिया गया ।

06. शून्य दुर्घटना लक्ष्य की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए दुर्घटनाओं के कारणों को समुचित रूप में पारिभाषित करने के लिए प्रत्येक खदान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये। असावधानी से प्रेरित एवं असुरक्षित कार्यों व व्यवहारों या किसी पर्यवेक्षीय चूक व भूल से बचने के लिए सभी कार्मिकों को खदानों में निष्पादित कार्यकलापों के संबंध में सुरक्षित संचालनीय कार्यविधियों की जानकारी दी गई।

07. भूमिगत खदानों में स्ट्राटा कार्य-व्यवहार की सूक्ष्मतापूर्वक मानिटरिंग करने के लिए पारम्परिक कार्य व्यवहार के अतिरिक्त सर्व संबंधितों के मध्य वैज्ञानिक रूप में स्ट्राटा की मानिटरिंग संबंधी कार्यकलापों पर जागरूकता का विकास किया गया ।

08. जोखिम वाले क्षेत्रों में कामगारों/व्यक्तियों की कमी के लिए कंटीन्यूअस माईनर तथा हाईवाल खनन का व्यवहार कर यंत्रीकरण के माध्यम से छत एवं साईड फाल के खतरों से संबंधित उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में नियोजन में कमी पर जोर दिया गया। भूमिगत खदानों में कंटीन्यूअस माईनर, खुली खदानों में सरफेस माईनर तथा शारदा ओसीपी में हाईवाल माईनिंग का व्यवहार ब्लास्टिंग कार्य को समाप्त करने के लिए किया गया, जिसके द्वारा मानव व मशीन को जोखिम से बचाने में कमी आई है ।

09. रूफ स्ट्राटा के सुरक्षित सपोर्ट हेतु भूमिगत खदानों में रूफ बोल्टिंग के लिए रेजिन केप्सूल को व्यवहार में लाया गया ।

10. कोयला खदानों में सुरक्षा पर मानक समिति, राष्ट्रीय खान सुरक्षा सम्मेलन, कोर्ट-ऑफ-इंक्वारी, खान सुरक्षा-बोर्ड, त्रिपक्षीय, द्विपक्षीय एवं सेफ्टी समिति द्वारा दिये गये सभी सुझावों/अनुशंसाओं का क्रियान्वयन किया गया है ।

11. खदानों में नियोजित कामगारों के लिए सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित व सवंर्धित करने के लिए सुरक्षा फोरम जैसे इकाई स्तर पर कामगार निरीक्षक व सुरक्षा समिति, क्षेत्रीय स्तर पर सुरक्षा समिति/बोर्ड, क्षेत्रीय स्तर व कार्पोरेट स्तर पर द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति को जिम्मेदारियों के साथ प्रभावशाली बनाया गया है ।

12. उपकरणों-उपस्करों से पूर्णतः सुसज्जित व पूर्ण स्थापित बचाव केन्द्र/कक्ष चौबीसो घंटे आपातकालीन सेवाओं के लिए उपलब्ध कराए गए ।

12.2 खान सुरक्षा प्रशिक्षण

01. कामगारों के मध्य खान-सुरक्षा जागरूकता बनाए रखने एवं उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिये एसईसीएल की खदानों में खान सुरक्षा पखवाड़ा मनाया गया तथा विशेष खान सुरक्षा अभियान चलाये गये। विभिन्न कार्य-संचालनों/व्यवहारों के लिए ''कोड ऑफ सेफ प्रेक्टिसेस'' के तहत सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु प्रत्येक पाली में जागरूकता व सुरक्षा-चर्चा,नियमित आधार पर करने की प्रक्रिया है।

02. सभी नये प्रवेशी को प्रारंभिक प्रशिक्षण तथा सभी कर्मचारियों को नियमानुसार पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया । भूमिगत व खुली खदानों तथा खदानों के सरफेस में आलस्य/असावधानी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु कार्यनीतिक रूप में पर्यवेक्षकों, सहयोगी कार्मिक, एचईएमएम आपरेटर्स एवं संविदा-कामगारों के प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया।

03. सुरक्षा मानकों का सम्यक ध्यान रखते हुए कामगारों सहित ठेकेदार-कामगारों को बदलती नई प्रौद्योगिकियों व कार्य-पद्धति से अवगत/परिचित कराने के लिए आवश्यकता आधार पर वीटीसी में प्रशिक्षित/पुनः प्रशिक्षित किया गया ।

12.3 दुर्घटनाओं का विवरण-आंकड़ा :

समीक्षाधीन वर्ष का दुर्घटना आंकड़ा नीचे सारणीबद्ध है-

विवरण	2019-20	2018-19
सांघातिक दुर्घटनाएं	7	9
मृत्यु	8	12
गंभीर दुर्घटनाएं	21	21
गंभीर चोटें	23	21
उत्पादन (मि.टन)	150.545	157.349
मैन-शिफ्ट (लाख में)	124.318	131.170
प्रति मिलियन टन आउटपुट पर मृत्यु-दर	0.053	0.076
प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट पर मृत्यु दर	0.193	0.274
प्रति मिलियन टन आउटपुट पर गंभीर चोट दर	0.153	0.133
प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट पर गंभीर चोंट दर	0.555	0.480

टिप्पणी : *वर्ष 2019-20 के आंकड़े डीजीएमएस से समाधान के अधीन हैं ।*

12.4 बचाव सेवाओं की स्थिति

कम्पनी में संविधि के अनुसार (347 अपेक्षा विरूद्ध 513 बचाव प्रशिक्षित कामगार-कर्मचारी मौजूद हैं) सुरक्षा एवं बचाव संचालन कार्य के लिए आपातकालीन बुलावे में सेवा हेतु प्रशिक्षित व सक्रिय बचाव कार्मिकों (फील्ड वालिंटियर) का दल है। खदानों में कार्यरत कामगार, जो स्वैच्छिक रूप से आवेदन देकर शारीरिक रूप में योग्य पाए गए, उन्हें हसदेव क्षेत्र की खान बचाव केन्द्र (एमआरएस), मनेन्द्रगढ़ में बचाव एवं पुनर्लाभ कार्य के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान, 09 लोगों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया। बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों (आरटीपी) को बचाव एवं उद्धार कार्य के लिए हसदेव क्षेत्र की खान बचाव केन्द्र (एमआरएस) मनेन्द्रगढ़ एवं विभिन्न क्षेत्रों की पांच अन्य आरआरआरटी में नियमित पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया ।

कम्पनी में पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने के लिए 05-पुनश्चर्या प्रशिक्षण सुविधा युक्त बचाव कक्ष (जोहिला, सोहागपुर, बिश्रामपुर, बैकुंठपुर एवं कुसमुंडा क्षेत्र में एक-एक) तथा 05-बचाव कक्ष (चिरिमिरी, भटगांव, जमुना-कोतमा, रायगढ़ एवं कोरबा क्षेत्र में एक-एक) संचालित है। प्रत्येक भूमिगत खदान से 35-कि0मी0 की सीमा के भीतर नियमानुसार बचाव स्टेशन/बचाव केन्द्र अवस्थित है,ताकि आपातिक स्थितियों में बचाव एवं लाभ-कार्य की सुविधा यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जा सके ।

सभी एमआरएस, आरआरआरटी एवं आरआर में संविधि अनुसार बचाव उपकरणों से सुसज्जित यथाः सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग उपस्कर (एससीबीए), विशेषतः बीजी-174, बीजी-4, पुनः क्रियाशील होने वाले उपकरण जैसे-मेक्सामैन तथा शॉर्ट ड्यूरेशन ब्रीथिंग उपस्कर की व्यवस्था कायम की गई है। खदानों में अचानक नाक्सीयस गैस या आग लगने के कारण निर्मित होने वाले वातावरण के मामलों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिये सेल्फ कंटेंड सेल्फ रेस्क्यूअर्स (एससीएसआर) की भी व्यवस्था की गई है। कार्डियो-पल्मोनरी रेस्क्यूसाईटेशन पर प्रारंभिक व व्यावहारिक प्रदर्शन मुहैया कराने के लिए एमआरएस में सीपीआर मैनिकिन उपलब्ध है ।

एसईसीएल की माइन्स रेस्क्यु स्टेशन, मनेन्द्रगढ़ तथा अन्य बचाव इकाईयों की सेवाएं न केवल खनन संबंधी गतिविधियों अपितु आम लोगों एवं अन्य सरकारी व निजी सम्पत्तियों को बचाने संबंधी कार्यकलापों में भी ली जाती हैं। एसईसीएल की बचाव सेवाएं खान कर्मियों को अग्निशमन में प्रशिक्षण, प्रथमोपचार, गैस-टेस्टिंग, सेल्फ कंटेंड सेल्फ रेस्कूअर के उपयोग एवं गैस क्रोमाटोग्राफ द्वारा खदान की वायु के विश्लेषण जैसे अन्य कार्यों में भी नियमित रूप से ली जाती हैं।

बचाव वाहिनी (ब्रिगेड) की बचाव तैयारी को बनाए रखने व बचाव सेवाओं में नए प्रवेशी को प्रेरित करने के लिए हर वर्ष अंतर क्षेत्रीय खान बचाव प्रतियोगिता आयोजित की जाती है ।

एसईसीएल की बचाव-टीम ने माईन्स रेसक्यू स्टेशन, बृजराजनगर, एमसीएल में 10-13 दिसंबर, 2019 के दौरान आयोजित 50-वीं अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता में भाग लिया तथा साविधिक, बचाव व रिकवरी (संयुक्त) तथा समग्र केटेगरी में क्रमशः द्वितीय, तृतीय व पांचवा स्थान प्राप्त किया।

12.5 वर्ष 2019-20 के दौरान उपलब्धियां :

(क) सितम्बर-अक्टूबर, 2019 अवधि के दौरान एसईसीएल के सभी 69-खदानों की खान सुरक्षा लेखा परीक्षा कार्य बहु-शाखा अंतर-क्षेत्रीय दल द्वारा किया गया तथा तत्पश्चात नवम्बर-दिसम्बर, 2019 के दौरान समीक्षा की गई ।

(ख) 30-टन हाईड्रोलिक क्रेन में ब्रेक की खराबी से बचने के लिए, इलेक्ट्रिकली संचालित इमरजेंसी ब्रेक को एक्यूम्यूलेटर सहायक सर्विस ब्रेक सिस्टम में परिवर्तन करने के कार्य को विकसित कर इसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया ।

(ग) ट्रांसपोर्ट मशीनरी के खतरे को समाप्त करने के लिए इन-पिट बेल्ट का व्यवहार किया गया।

(घ) अग्रिम पंक्ति (फ्रंटलाईन) के अधिकारियों एवं कामगारों को सिमुलेटर पर आंतरिक (एमडीआई, बिलासपुर एवं आईआईसीएम, रांची) एवं बाह्य विभिन्न तकनीकी एवं वैज्ञानिक संस्थानों में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया ।

(ड.) खुली खदानों में वाहनों की संख्या-घनत्व को कम करने के लिए 240 टन डम्पर संयोजित 42 घनमीटर शॉवेल जैसे वृहत आकर की लोडिंग एवं परिवहन मशीनरी को व्यवहार में लाया गया।

(च) वर्ष 2019 में क्षेत्र स्तरीय त्रिपक्षीय एवं द्विपक्षीय समिति की सभी बैठक आयोजित की गई।

(छ) शून्य हानि संभाव्य लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए खान सुरक्षा पर एक व्यापक नीति बनाई गई ।

(ज) रिफ्रेक्टिव हार्नेस- खान में नियोजित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया ।

13.0 पर्यावरण प्रबंधन : संरक्षण व संपोषणीयता

टिकाऊ विकास हेतु स्वच्छ पर्यावरण एसईसीएल का मुख्य उद्देश्य है तथा यह प्रत्येक कर्मचारियों के योगदान एवं उत्तरदायित्वों से पर्यावरणीय निष्पादन के तहत प्राप्त किया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न सहभागिता पहल प्रक्रिया में है तथा उसे बढ़ावा दिया गया है। एसईसीएल की दृष्टि "निदान/नियंत्रण की अपेक्षा रोकथाम बेहतर है" पर केन्द्रित है तथा एसईसीएल ने पर्यावरणीय सुधार के लिए अग्र-सक्रिय कदम उठाए हैं। पर्यावरणीय बचाव नियम के अनुपालन में पर्यावरणीय मानिटरिंग एवं लेखा परीक्षा के लिये थ्री-टियर पद्धति का पालन योजना से लेकर उत्पादन तक तथा सभी माईन क्लोजर तक किया जाता है। एसईसीएल का ट्रेक रिकार्ड पर्यावरणीय प्रबंध योजना (ईएमपी) के क्रियान्वयन में निरंतर उत्कृष्ट रहा है। परियोजना-आयोजना के समय पर्यावरणीय उपायों को खान प्रबंधन के एकीकृत सब-सिस्टम के रूप में अन्तःस्थापित/सन्निहित किया जाता है।

कोयला क्लोस्ड कन्वेयर के माध्यम से परिवहन किया जाता है तथा बड़ी खदानों यथा-गेवरा व दीपका खुली खदान परियोजनाओं में साइलो के माध्यम से वैगनों में लदाई किया जाता है। कुसमुंडा खुली खदान परियोजना के लिए साईलो का निर्माण कार्य 80-प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है। हालांकि, वर्तमान में कोयले का परिवहन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल) को सटे बेल्ट कन्वेयर्स के माध्यम से किया जाता है।

नई क्लीन कोयला प्रौद्योगिकी जैसे खुली खदानों में सरफेस माईनर का व्यवहार, हाईवाल टेक्नोलाजी का व्यवहार, भूमिगत खदानों में कंटीन्यूअस माईनर इत्यादि का व्यवहार सतत विकास के लिए एसईसीएल द्वारा की गई एक बड़ी पहल है।

सरफेस माईनर ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग से मुक्त होता है और पतली परतों में कोयले की कटिंग करने के लिए किया जाता है। सरफेस माईनर में धूल को शमन करने वाला सिस्टम लगा होता है, यह सीएचपी में कोयले की ग्राईंडिंग व क्रशिंग को भी हटाता है। एसईसीएल ने, अपने सभी पणधारकों के लिये स्वच्छ वायु के महत्व पर ध्यान देते हुए अपने खनन क्षेत्रों में धूल के शमन हेतु विभिन्न उपाय किये हैं। हॉल रोड एवं कोयला परिवहन सड़कों पर धूल के शमन के लिये 140 से भी अधिक मोबाईल जल-छिड़काव यंत्र/उपकरण लगाये गये हैं। धूल शमन के लिये स्थिर जल छिड़काव की व्यवस्था (फिक्सड वाटर स्प्रेइंग) कोल हैण्डलिंग प्लान्ट, कोल स्टॉक यार्ड एवं परिवहन रोड व उसके आसपास की गई है। लम्बी दूरी को साधने वाली 07-नग ट्रक पर स्थापित फागिंग मशीनें गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, जोहिला, सोहागपुर, जमुना-कोतमा एवं हसदेव क्षेत्र में प्रभावी रूप से धूल पर नियंत्रण करने के लिए खरीदी गई हैं। धूल के स्तर को कम करने के उद्देश्य से,06-क्षेत्रों यथा गेवरा,दीपका,कुसमुंडा,सोहागपुर,जमुना-कोतमा,जोहिला एवं हसदेव क्षेत्र के लिए यांत्रिक सड़क सफाई मशीन (मेकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन) खरीदे गए हैं।

आसपास के वायु गुणवत्ता की निरंतर मानिटरिंग करने के लिए डिजिटल डिस्पले व्यवस्थायुक्त कंटीन्यूअस एम्बीयंट एयर क्वालिटी मानिटरिंग सिस्टम (सीएएक्यूएमएस) को चार खुली खान परियोजनाओं यथा- गेवरा, दीपका, कुसमुंडा एवं मानिकपुर ओसी में लगाया गया। द्वितीय चरण में अन्य खदानों के लिए 05-सीएएक्यूएमएस खरीदे गए तथा जिसके स्थापन का कार्य प्रगति पर है।

रीयल टाईम ऑनलाईन एफ्लूएंट मानिटरिंग सिस्टम (आरटीओईएमएस) को खदानों/परियोजनाओं से बहिस्राव की दक्ष मानिटरिंग के लिए एसईसीएल की 09-परियोजनाओं/खदानों में स्थापित किए गए। आगे, 10-नग आरटीओईएमएस की खरीदी प्रक्रियाधीन है।

13.1 वनरोपण/पौधारोपण :

एसईसीएल द्वारा जैव-विविधता संरक्षण के लिये वृहद बहुजातीय वृक्षारोपण, उपरी मृदा (टॉप स्वाईल्ड) प्रबंधन आदि प्रारंभ किए गए हैं।

प्रदूषण में कमी लाने एवं स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिये,कम्पनी ने वर्ष 2019-20 के दौरान 6.85 लाख पौधे रोपित किये और इस तरह एसईसीएल की स्थापना से अब तक 2.70 करोड़ से भी अधिक पौधे रोपित किए गए। एसईसीएल ने छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (सीजीआरवीवीएन) लिमिटेड, रायपुर तथा मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम (एमपीआरवीवीएन) लिमिटेड, भोपाल के साथ 05-वर्षों अर्थात वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक वन-रोपण कार्यों के लिए एमओयू निष्पादित किया है।

कंपनी ने कोयला खनन क्षेत्रों एवं इसके आसपास प्रदूषण को कम कर व स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए अधिभार ढेर, ढ़ेर के ढलानों, अवसंरचना व आवासीय कालोनियों इत्यादि पर पौधारोपण कार्य तथा सड़क के दोनों ओर पौधारोपण किए हैं।

13.2 पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु समारोह/संगोष्ठियां :

05.06.2019 को एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर में विश्व पर्यावरण दिवस समारोह

कंपनी ने अपने पर्यावरण विभाग के माध्यम से एसईसीएल मुख्यालय एवं अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों में विश्व पर्यावरण दिवस एवं जागरूकता कार्यक्रम (5-7 जून, 2019 तक) मनाने के लिये कार्यक्रम आयोजित किए। बिलासपुर में आयोजित समारोह में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, निदेशकगण, विभागाध्यक्ष, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे । उपस्थित पदाधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिये शपथ दिलाया कि ''हमारे खनन कार्यक्रलाप विशेषकर वायु, जल और अन्य पर्यावरणीय कारकों के द्वारा इस पृथ्वी की सुंदरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।''

शपथ के अनुसरण में, पूरे कम्पनी में पौधारोपण एवं पर्यावरणीस जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किये गये। कंपनी के निर्णयकर्ता/परियोजना पदाधिकारी विशेषकर पर्यावरण के संबंध में सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन को सुग्राही बनाना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। कार्यक्रम के क्रम में, औषधि एवं फलदार पौधे कर्मचारियों, लोगों एवं ग्रामीणों को निःशुल्क वितरित किए गए ।

13.3 जल संरक्षण :

जल के दुर्लभ संसाधन के संरक्षण के लिये, एसईसीएल ने अपने खदानों एवं कालोनियों में जल संरक्षण एवं वर्षाजल संरक्षण का बीड़ा उठाया है। कंपनी ने वर्षाजल संरक्षण योजना को चालू करते हुए सतही जल स्तर में वृद्धि करने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। एसईसीएल ने खान निस्सारी उपचार के लिए सभी खुली खदानों में अवसादन टैंक/तलछट तालाब, जो जल को पुनः प्रयोग में लाने के लिए कार्य करती है, बनाए हैं। जलधारा के जैविक संदूषण को कम करने के लिये, एसईसीएल में 8.17 एमएलडी क्षमतायुक्त 07 (सात)-नग घरेलू निस्सारी उपचार संयंत्र (डोमेस्टिक इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लान्ट) (डीईटीपी) कार्य कर रही हैं।

14.0 पर्यावरणीय एवं वानिकी अनुमति

14.1 पर्यावरणीय अनुमति (ईसी) :

पर्यावरण प्रभाव का निर्धारण तथा इसका प्रबंधन करना कम्पनी की प्राथमिकता है । ईएमपी एक व्यापक कार्य योजना है, जिसमें रोकथाम के उपायों के कार्यान्वयन के लिए प्रौघोगिकी, श्रमशक्ति, उपकरण, पूंजी परिव्यय तथा संगठनात्मक ढांचा का अपेक्षित योगदान-निवेश शामिल है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) से 123 पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए पर्यावरण अनुमति सुनिश्चित की गयी है। अनुमोदित ईएमपी के तौर पर 222.85 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता के लिए पर्यावरणीय अनुमति है ।

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, कुसमुंडा ओसी (40 से 62.50 मि.टन प्रतिवर्ष) के पर्यावरणीय अनुमति क्षमता में वृद्धि, गेवरा ओसी (45 मि.टन प्रतिवर्ष), दीपका ओसी (35 मि.टन प्रतिवर्ष), खैरहा यूजी (0.819 मि.टन प्रतिवर्ष) के पर्यावरणीय अनुमति की वैधता का विस्तार समेत कुल 22.50 एमटीपीए प्राप्त हुआ था। कुसमुंडा वाशरी (25 मि.टन प्रतिवर्ष) के लिए पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त हुई । आमाडांड ओसी (2.15 से 4.00 एमटीपीए) एवं अम्बिका ओसी (1.00 एमटीपीए) के लिए दो जन-सुनवाई हुई । पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), भारत सरकार द्वारा झिरिया वेस्ट ओसी एवं अम्बिका ओसी के लिए टर्म ऑफ रिफरेंस (टीओआर) प्रदान किया गया । अधिक पर्यावरणीय अनुमति एक बैंक के रूप में कार्य करती है, जो समय पर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती है, जब कुछ परियोजनाएं भू-विज्ञान अवरोध, भूमि-अधिग्रहण, औद्योगिक संबंध जैसी समस्याओं-बाधाओं के कारण कम कार्य निष्पादित करती हैं।

दीपका ओसी में इनपिट कवर्ड बेल्ट कन्वेयर युक्त साइलो

मानिकपुर आवासीय कालोनी में घरेलू निस्सारी उपचार संयंत्र

जल छिड़काव प्रणाली से सुसज्जित सरफेस माईनर

चलित जल छिड़काव यंत्र

14.2 वानिकी अनुमति

वर्ष 2019-20 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वानिकी अनुमति प्राप्त हुई :

चरण-I पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त परियोजनाओं की सूची -

स.क्रं.	राज्य	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टर)	एमओईएफ एवं सीसी आदेश सं. व दिनांक
1	छत्तीसगढ़	आमगांव ओसी	93.58	एफ.नं. 8-74/2018-एफसी दिनांक 15.04.2019

चरण-II पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त परियोजनाओं की सूची -

स.क्रं.	राज्य	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टर)	एमओईएफ एवं सीसी आदेश सं. व दिनांक
1	मध्य प्रदेश	बतुरा ओसी	76.84	एफ.नं. 8-33/2015-एफसी दिनांक 16.07.2019
2	मध्य प्रदेश	न्यू झिरिया यूजी	747.92	एफ.नं. 8-72/2002-एफसी दिनांक 06.12.2019

15.0 दूरसंचार :

कोयले की मांग में भारी वृद्धि की वजहों से वर्तमान में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न कार्य- संचालन पहलुओं यथा-फ्लीट नियंत्रण, तौल, सुरक्षा एवं डेटा संसाधन का प्रबंधन पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हुए नहीं की जा सकती। इसलिए कोयला उद्योग ने समग्र कार्य-संचालन की क्षमता में सुधार हेतु इष्टतम श्रमशक्ति को नियोजित करने के लिए ईएंडटी/आईटी तथा आईटी समर्थित सेवाओं के अनुप्रयोग को अनुकूल बनाने, कार्य-संचालन में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने, वास्तविक समय के आधार पर सभी संचालनीय कार्यो की निरंतर निगरानी, ई-निगरानी के माध्यम से सुरक्षा, डेटा सम्प्रेषण के लिए समर्पित नेटवर्क की व्यवस्था का निर्णय लिया है ।

ईएंडटी विभाग ने नई प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों और अन्य आई.टी. संबंधी अनुप्रयोगों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन और उसे बनाए रखने में अपनी बेहतर भूमिका का निर्वहन किया है। वर्ष 2019-20 के दौरान ईएंडटी विभाग द्वारा किए गए प्रमुख व विशेष कार्य नीचे दर्शित है -

1. **जीपीएस-जीपीआरएस(वैश्विक स्तरीय प्रणाली-सामान्य पैकेट रेडियो सेवा) आधारित वाहन ट्रेकिंग प्रणाली :**

   जीपीएस डिवाईस युक्त जीपीआरएस समर्थित मोबाईल सीम को समस्त आंतरिक कोयला परिवहन करने वाले वाहनों में लगाया गया हैं तथा जीपीएस डिवाईस युक्त वाहन की अवस्थिति को वाहन ट्रेकिंग प्रणाली (वीटीएस) के माध्यम से पूरे सप्ताह भर चौबीसों घंटे वास्तविक समय आधार पर ट्रेक किया जाता है। वाहन की अवस्थिति का नेविगेशन उपग्रहों से प्राप्त संकेतो के द्वारा पता लगाया जाता है और वाहन की अवस्थिति का डेटा जीपीआरएस के माध्यम से एसईसीएल मुख्यालय स्थित वीटीएस सर्वर को भेजा जाता है। वीटीएस सॉफ्टवेयर के उपयोग द्वारा वाहन की वास्तविक अवस्थिति डिजिटल मानचित्र पर प्रदर्शित होती है ।

2. जियो-फेंसिंग

सभी खदान सीमा, आंतरिक कोयला परिवहन मार्ग और अन्य महत्वपूर्ण स्थान यथा-तौलघर, रेलवे सायडिंग, कोयले का ढेर/भण्डार को डिजिटल मानचित्र (मैप) पर चिन्हित किया जाता हैं तथा वाहनों की वास्तविक स्थिति को वाहन ट्रेकिंग सिस्टम (व्हीटीएस) के माध्यम से इस मानचित्र पर अध्यारोपित किया जाता है। सीमा (बाउण्ड्री) का कोई भी उल्लंघन, मार्ग के विचलन और/या मार्ग के लिए निर्धारित सीमा से अधिक लगने वाले समय का पता इस प्रणाली द्वारा लगता है तथा जिसकी रिपोर्ट वीटीसी सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रदर्शित/तैयार होती है। उल्लंघन/विचलन से संबंधित मामलों पर रिपोर्ट अनुसार संबंधित क्षेत्र द्वारा समुचित सुधार/दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है । इस उद्देश्य के लिए मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में सातो दिन चौबीसो घंटे वीटीएस नियंत्रण कक्ष संचालित रहती है ।

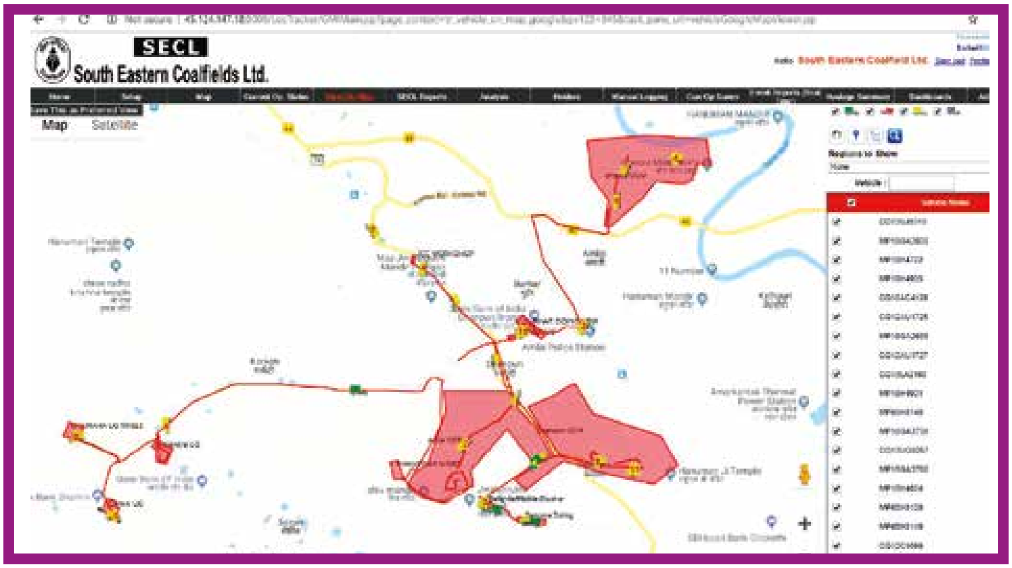

3. अभिगम नियंत्रण के लिए आरएफआईडी आधारित स्वचालित बूम बैरियर्स :

आरएफआईडी आधारित स्वचालित बूम बैरियर्स को रेलवे सायडिंगों व खदानों के सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं पर स्थापित किया गया हैं, ताकि केवल अधिकृत वाहन/टिपर्स ही इन स्थलों पर जा सके तथा यह वाहन यातायात को नियंत्रित करने में भी मदद कर सके ।

डेटा यथा- वाहन पंजीयन संख्या, ट्रांसपोर्टर का विवरण, लोडिंग व अनलोडिंग स्थल इत्यादि को आरएफआईडी राईटर का उपयोग करते हुए स्थाई आरएफआईडी टैग पर लिखा जाता है तथा ये टैग आंतरिक कोयला परिवहन वाहनों/टिपर्स पर चिपकाया जाता हैं। बूम बैरियर्स गेट के पास आने वाले वाहनों का विवरण बी.बी. गेट में स्थापित आरएफआईडी रीडर्स के द्वारा आरएफआईडी टैग से पढा जाता है और सर्वर में संग्रहित डेटा के साथ मिलान किया जाता है। सर्वर से प्रमाणीकरण होने पर, बूम बैरियर स्वचालित रूप से उठता है और टिपर को प्रवेश की अनुमति देता है। यही प्रक्रिया कोयला उठाव के बाद बाहर जाने वाले टिपरों के लिए भी अपनाई जाती है ।

अधिकृत वाहन के आरएफआईडी टैग को सेंस करते समय बैरियर पर वाहन खड़ी अवस्था में (लाल प्रकाश)

मार्ग की बैरियर को अधिकृत वाहन के लिए पूरी तरह से खोली गई स्थिति (हरा प्रकाश)

4. आईपी आधारित इलेक्ट्रानिक निजी स्वचालित ब्रांच एक्सचेंज (ईपीएबीएक्स) :

आईपी इपीएबीएक्स सिस्टम को आंतरिक संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे एसईसीएल में 75 स्थानों (मुख्यालय, क्षेत्रों एवं परियोजनाओं) पर लगाया गया है। इस एक्सचेंज का आर्किटेक्चर, इंटरनेट प्रोटोकाल (आईपी) पर आधारित है ।

एसईसीएल मुख्यालय में स्थापित आई पी आधारित टेलीफोन एक्सचेंज एवं मुख्य डिस्ट्रीब्युशन फ्रेम (एमडीएफ)

5. सीसीटीवी निगरानी प्रणाली :

(क) सीसीटीवी सिस्टम युक्त विडियो रिकार्डिंग सुविधा को खदानों के विभिन्न स्थलों यथा- कोयले के ढेर/भण्डार, तौलघर (केबिन के अंदर और बाहर), खदान प्रवेश-गमन गेट, रेलवे सायडिंग, विस्फोटक मैगजीनों, कोयला सेम्पलिंग/क्रशिंग स्थलों आदि में ई-निगरानी के लिए लगाया गया है ।

(ख) तौलघरों एवं प्रवेश-गमन (बी.बी.) स्थलों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित नेटवर्क विडियो रिकार्डर्स (एनवीआर) में एकीकृत किया गया हैं तथा विडियो फूटेज को मानिटर किया जा सकता है और जरूरत के अनुसार किसी भी समय वापस लाया जा सकता है। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय एनवीआर का एकीकरण/संयोजन एसईसीएल मुख्यालय के साथ कर लिया गया है ।

(ग) पीटीजेड केमरा को गेवरा खदान के ओ.बी. टाप पर लगा दिया गया हैं। इन कैमरों की मदद से क्षेत्रीय महाप्रबंधक, महाप्रबंधक (संचालन), महाप्रबंधक (परियोजना) द्वारा अपने कार्यालयों से खदान गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। खान प्रबंधन और शिफ्ट-इंचार्ज भी मोबाइल ऐप के जरिए इसकी निगरानी कर रहे हैं। इसने चौबीसों घंटे सातों दिन खदान की निरंतर निगरानी/मानिटरिंग के लिए प्रबंधन की मदद की है।

एसईसीएल के मटगांव, चिरिमिरी एवं गेवरा क्षेत्र के सीसीटीवी निगरानी का फूटेज

(घ) वर्चुअल बैरियर्स :

खदान के प्रवेश और निकास बिंदुओं की स्वचालित बूम बैरियर्स द्वारा मानिटरिंग की जाती है। हालांकि, अनुकूल कोयला प्रेषण के लिए, बैरियर में लगे सीसीटीवी कैमरे ट्रकों के बैरियर पार करने से पूर्व ट्रकों के स्नैप शॉट्स लेकर वर्चुअल बैरियर की तरह काम करते हैं। यह प्रणाली वर्तमान में गेवरा क्षेत्र में उपलब्ध है।

6. एमपीएलएस-वीपीएन प्रौद्योगिकी आधारित वाईड एरिया नेटवर्क (डब्लूएएन) :

(क) वैन को एमपीएलएस-वीपीएन प्रौद्योगिकी युक्त 100/10/02 एमबीपीएस बैंडविड्थ का उपयोग करते हुए एसईसीएल मुख्यालय, सभी क्षेत्रों, सभी आंचलिक भण्डारों एवं तौलघरों के मध्य स्थापित किया गया है। यह वर्तमान में उपयोग में आने वाले कोल-नेट मॉड्यूल, ई-आफिस, फाईल-ट्रेकिंग प्रणाली, बिल ट्रेकिंग प्रणाली आदि के लिए समर्पित मुख्य डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करता है। एसईसीएल मुख्यालय एवं क्षेत्रों के मध्य विडियो कांफरेसिंग प्रणाली भी इस नेटवर्क के माध्यम से संचालित है।

(ख) आगामी इंटरप्राईज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) के लिए डेटा कनेक्टिविटी की प्राथमिक आवश्यकता का कार्यान्वयन भी इस वैन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। बैंडविड्थ को आवश्यकतानुसार वर्तमान नेटवर्क पर, अतिरिक्त भुगतान के साथ संवर्धित किया जा सकेगा।

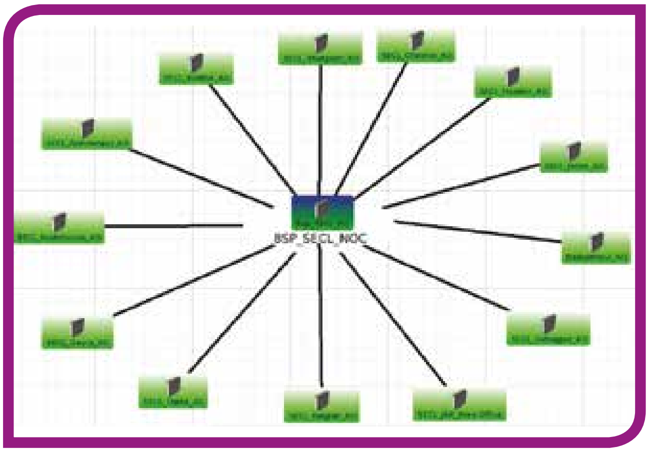

एसईसीएल क्षेत्रों के वैन कनेक्टिविटी का डायग्राम

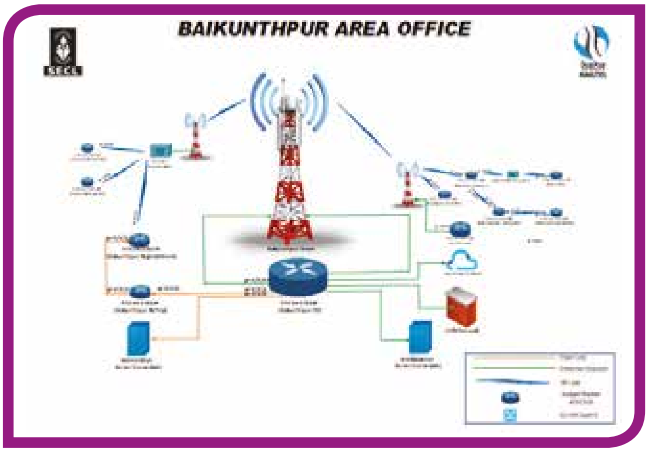

बैकुंठपुर के वैन कनेक्टिविटी का डायग्राम

7. इलेक्ट्रानिक तौलघर (रेल एवं सड़क)

वर्तमान में एसईसीएल में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रानिक तौलघर यथा - सड़क तौलघर, सुवाह्य (पोर्टेबल) सड़क तौलघर, स्थिर रेल तौलघर और इन-मोशन रेल तौलघर कार्य-संचालन में है ।

क. **सेंट्रिंग प्रणालीयुक्त इलेक्ट्रानिक सड़क तौलघर :** 16 x 3 मीटर प्लेटफार्म युक्त 100 टन क्षमता वाली सड़क तौलघर को खरीदी के लिए अभी मानकीकृत किया गया है । आवश्यकताओं को पूरा करने समेत संचालन की संख्या में वृद्धि करने के क्रम में पुराने तौलघरों का प्रतिस्थापन व अतिरिक्त तौलघरों की खरीदी किया जाना है ।

तौलघर सेंट्रिंग प्रणाली (डब्लूबीसी) : प्रतिष्ठापित डब्लूबीसी प्रणाली सेंसर एवं सिग्नल लाईट (लाल/हरा) सूचक से संगत है। यह प्रणाली ट्रक को तौलघर प्लेटफार्म में सही ढंग से रखती है तथा तौलघरों में लगाए गए आरएफआईडी रीडर्स स्वचालित रूप से आरएफआईडी टैग से वाहन और ट्रांसपोर्टर/डीओ के विवरण आदि को पढ़ता है और तीव्रतापूर्वक वजन (टेयर/सकल) प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। इसके परिणामस्वरूप ट्रिप की संख्या में वृद्धि हुई है और आपरेटर के हस्तक्षेप में कमी आई है।

तौलघर में वजन के लिए लाल प्रकाश (रेड लाईट) वाहन की गैर-मौजूदगी या तौलघर में गलत स्थिति प्रदर्शित करते हुए

तौलघर में वजन के लिए हरा प्रकाश (ग्रीन लाईट) वाहन की सही स्थिति प्रदर्शित करते हुए

कार्पोरेट सिंहावलोकन
सांविधिक रिपोर्ट
वित्तीय विवरण

ख. इलेक्ट्रानिक रेल तौलघर - स्थिर एवं इन-मोशन :

वर्तमान में प्रतिष्ठापित स्टेटिक रेल तौलघर और पुराने इन-मोशन रेल तौलघर को रेल इन-मोशन तौलघर के लिए नवीनतम रिसर्च डिजाईन स्टेण्डर्ड आर्गनाईजेशन (आरडीएसओ) के दिशानिर्देश के अनुसार आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित 140-टन इन-मोशन रेल तौलघर द्वारा बदला जाना है ।

कुसमुंडा (गेवरा रोड) इन-मोशन इलेक्ट्रानिक रेल वे ब्रिज एवं सायडिंग

भटगांव क्षेत्र का भटगांव सायडिंग स्टेटिक इलेक्ट्रानिक रेल वे ब्रिज

8. स्वचालित-सह-मैनुअल (सीडीएस) प्रणाली :

स्वचालित-सह-मैनुअल सीडीएस प्रणाली डीजीएमएस द्वारा अनुमोदित आंतरिक रूप से एक सुरक्षित प्रणाली है। इस प्रणाली का उपयोग भूमिगत (यूजी) कोयला खान संचार/सम्प्रेषण तथा अन्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है ।

वर्तमान में, 58-नग 20/30 लाईन्स सीडीएस प्रणाली एसईसीएल की विभिन्न भूमिगत खदानों में लगाए गए हैं। खदानों के विस्तार के साथ, नई सीडीएस प्रणाली की खरीदी एवं स्थापन का कार्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग के अनुसार किया गया है।

9. विडियो कान्फरेंसिंग प्रणाली :

आईपी आधारित मल्टी प्वाईंट विडियो कान्फरेंसिंग (वीसी) प्रणाली एसईसीएल मुख्यालय और सभी 13-क्षेत्रों में प्रतिष्ठापित है। आंतरिक व बाह्य विडियो कान्फरेंसिंग प्रायः एसईसीएल मुख्यालय, क्षेत्रों, कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगियों, सीआईएल मुख्यालय तथा कोयला/रेलवे/विद्युत मंत्रालय के मध्य निजी एवं सार्वजनिक आईपी पर किया जाता है ।

एसईसीएल बोर्ड की बैठकें व महाप्रबंधकों की समन्वय बैठक भी विडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से की जाती है। यह व्यवस्था समय और दूरी को दूर करते हुए उत्पादकता व दक्षता को बढ़ाती है तथा यह कभी भी और कहीं भी बैठकें आयोजित करने का एक सुगम विकल्प उपलब्ध कराती है ।

10. इंटरनेट लीजयुक्त लाईन (आईएलएल) :

एसईसीएल की कोयला खदानें दूरस्थ स्थलों और दूर-दूर/बिखरे स्वरूप में है, जिसे ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों में कोयला खदानों के लिए उच्च गति वाली इंटरनेट सुविधा मुहैया कराना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। केन्द्रीयकृत इंटरनेट लीजयुक्त लाईन (आईएलएल) कनेक्टिविटी की प्रतिष्ठापना व कमीशनिंग के साथ, हाई स्पीड इंटरनेट (अधिकतम 100 एमबीपीएस तक) सुविधा क्षेत्रीय मुख्यालय, आंचलिक स्टोर्स एवं अन्य स्थापनाओं में उपलब्ध करायी गयी है। खदानों से कोयला प्रेषण को गति प्रदान करने के लिए ''आनलाईन खनिज पोर्टल'' (छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की पहल) का उपयोग करने हेतु क्षेत्रीय स्तर पर सभी तौलघरों के मध्य आईएलएल वितरित की गई है ।

11. पोस्ट-पेड मोबाईल सीयूजी सीम/स्कीम :

एसईसीएल आवश्यक सेवाओं (एसईसीएल की आवश्यकता के अनुसार) से संबंधित एसईसीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत के भीतर असीमित वॉयस कॉल, प्रतिदिन 1 जीबी डेटा व प्रति माह 500 एसएमएस, तत्काल समूह सम्प्रेषण/संदेश आदि सहित एक साथ कई एसएमएस की सुविधायुक्त सेवा वाली एक नई पोस्ट-पेड मोबाइल सीयूजी योजना प्रदान करने जा रहा है।

एसईसीएल में पहले ही क्रियान्वित आई.टी. पहल का सार नीचे दर्शित है :

स.क्रं.	प्रणाली/पहल	प्रतिष्ठापित/आदेशित (मात्रा संख्या में)	कैफियत
1	तौलघर (डब्लूबी)	223	सड़क तौलघर : 190 एवं रेल तौलघर : 33
2	जीपीएस डिवाईस	1761	आज दिनांक तक कुल जीपीएस डिवाईस : 1761
3	बूम बैरियर्स	125	प्रत्येक खान प्रवेश/गमन गेट एवं रेलवे सायडिंगों में
4	सीसीटीवी कैमरा	703	132-नग क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न स्तरों पर अंतिम रूप दिए जाने की स्थिति में है । ऑनलाईन रिमोट मानिटरिंग की सुविधा युक्त लगभग 180-नग सीसीटीवी कैमरा अब कोल इंडिया लिमिटेड के लिए उपलब्ध है तथा शेष कैमरों के एकीकरण का कार्य एसईसीएल के क्षेत्रों में प्रक्रियाधीन है
5	वैन (एमपीएलएस-वीपीएन)	228-नोड्स	एसईसीएल मुख्यालय, क्षेत्रों, केन्द्रीय/ आंचलिक स्टोर्स एवं रेल व रोड तौलघर।
6	वीटीएस नियंत्रण कक्ष	14	एसईसीएल मुख्यालय एवं एसईसीएल के समस्त क्षेत्र
7	आईपी ईपीएबीएक्स	75	एसईसीएल मुख्यालय एवं एसईसीएल के समस्त क्षेत्र एवं परियोजनाएं
8	सीडीएस	58	भूमिगत खान में संचार/सम्प्रेषण व्यवस्था हेतु प्रतिष्ठापित
9	इंटरनेट लीज्ड लाईन (आईएलएल)	एसईसीएल मुख्यालय एवं 13 क्षेत्र	उच्च गतियुक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु
10	विडियो कान्फरेंसिंग सिस्टम	21	सभा-कक्ष, बोर्ड-रूम,निदेशक (तक.) संचालन कार्यालय, निदेशक (तक.) योजना-परियोजना कार्यालय, निदेशक (कार्मिक) कार्यालय, निदेशक (वित्त) कार्यालय, मुख्य सतर्कता अधिकारी कार्यालय एवं कन्ट्रोल रूम एसईसीएल मुख्यालय में प्रत्येक में एक-एक लगाया गया तथा एसईसीएल क्षेत्र : 13 नग
11	पोस्ट-पेड मोबाईल सीयूजी	लगभग 4000	एसईसीएल को पोस्ट-पेड मोबाईल सीयूजी सेवा उपलब्ध कराने के लिए मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड को आदेश जारी किया गया ।

16.0 सूचना प्रौद्योगिकी :

एसईसीएल कोलनेट के सहारे नई व्यावसायिक प्रक्रियाओं को लाने में निरंतर प्रगति कर रहा है, जिसके द्वारा सभी क्षेत्रों में पेरोल, विक्रय, वित्त और भंडार कार्यक्षेत्रों में केंद्रीकरण और मानकीकरण में सहायता मिल रही है, और इसके परिणामस्वरूप एमआईएस रिपोर्ट त्वरित रूप में तैयार हो रही है।

एसईसीएल सूचना के आसान और त्वरित उपयोग/प्राप्ति के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस से संयोजित कई वेब ऐप्स/ मोबाइल ऐप्स विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

एसईसीएल में सूचना तकनीक-प्रौद्योगिकी से जुड़ी अवसंरचनाएं एवं सेवाएं-सुविधाएॅं जो कार्यान्वित हैं एवं कार्यान्वयन के अधीन हैं, नीचे दर्शित हैं।

16.1 कार्यान्वित :

- **डाटा केन्द्र**

  दो डेटा केन्द्र, एक मुख्यालय में और दूसरा कोरबा में एमपीएसएल-वीपीएन डेटा कनेक्टिविटी के माध्यम से संगठन की डेटा प्रोसिसिंग की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। कोरबा में स्थित डेटा केन्द्र बैक-अप प्रणाली के रूप में काम कर रहा है ।

- **कोलनेट का कार्यान्वयन**

  कोलनेट को एसईसीएल के सभी क्षेत्रों में कार्यान्वित कर व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सभी क्षेत्रों में मानकीकृत किया गया है। नई माड्युल एसेट एकाउंटिंग को व्यवहार में लाकर सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

- **ई-ऑफिस**

  ई-ऑफिस एक मिशन मोड परियोजना है जिसे भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है जिसमें एमआईएस रिपोर्ट सहित प्राप्तियां, फाईलों का परिचालन, अभिज्ञान प्रबंधन प्रणाली प्रमुख हैं। इसे पेपरमुक्त कार्यालय के आधारभूत लक्ष्यों को ध्यान में रखकर दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक परिचलन के लिए मुख्यालय और क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालयों में प्रारंभ किया गया है।

- **एमआईएस प्रक्रिया/साधन का क्रियान्वयन :**

  निम्नलिखित एमआईएस प्रक्रिया-साधन/एप्स सफलतापूर्वक संचालन/परिचालन में है-

  - **बिल ट्रेकिंग :**

    कोलनेट प्रणाली में प्राप्त होने वाले सभी बिल ट्रेक-आईडी मुहैया कराते हैं, जिससे विक्रेता/पणधारक को बिल की स्थिति पता करने में सहायता मिलती है। बिल ट्रेकिंग आईडी की मदद से, बिल की स्थिति एसईसीएल वेबसाईट पर भी देखी जा सकती है।

  - **फाईल ट्रेकिंग :**

    कार्य प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय एक फाईल की स्थिति से अवगत होने के लिये, ''ट्रेक''-एक फाईल ट्रेकिंग प्रणाली को एसईसीएल मुख्यालय एवं क्षेत्रों में व्यवहार में लाया गया है।

    - **अंश :** रू. दो लाख से कम मूल्य/लागत वाली निविदाओं को एसईसीएल के वेबसाईट पर अपलोड किया जा सकता है और जिसे विक्रेता इस पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं। यह पोर्टल बेहतर प्रचार-प्रसार व पहुंच सुनिश्चित करता है ।

    - **उपहार :** ''सेवानिवृत्त अधिकारी चिकित्सा योजना'' के अधीन अपने बिलों की स्थिति जानने के लिए एसईसीएल के सेवानिवृत्त अधिकारियो हेतु यह वेब एप्लीकेशन है ।

    वर्ष के दौरान निम्नलिखित एप्स प्रारंभ किए गए -

    - **विधिक :**

      एसईसीएल की कानूनी/विधिक सूचना और निगरानी प्रणाली - यह एसईसीएल और इसके क्षेत्रों द्वारा दायर/दर्ज किए गए कानूनी/विधिक मामलों का एक वेब आधारित संग्रहालय है और यह आवश्यकता पड़ने पर मामले की जानकारी दर्ज करने और संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है।

    - **चिरायु :**

      ऑनलाइन बाह्य चिकित्सा रेफरल प्रणाली - यह एसईसीएल कर्मचारियों के लिए बाह्य अस्पतालों में ऑनलाइन रेफरल सृजित करने के लिए एक वेब अनुप्रयोग है।

  - **पैसा :**

    एसईसीएल कर्मचारियों के वेतन की सूचना देने के लिए एप (एपीपी) - यह कर्मचारी के मासिक वेतन की जानकारी देखने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है।

  - **कैप :**

    सिविल कॉन्ट्रैक्ट मॉनीटरिंग वेब एप्लीकेशन - मुख्यालय एवं क्षेत्रों में सभी सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स को इस ऐप में संग्रहित (कैप्चर) किया जाता है और स्थिति को आवश्यकता आधार पर अद्यतित (अपडेट) किया जाता है।

  - **समीक्षा :**

    एसईसीएल अंचल/क्षेत्र की सभी भूमिगत एवं खुली खदानों के सुरक्षा मापदंडों के बारे में वार्षिक खान सुरक्षा विश्लेषण के उद्देश्य से डीजीएमएस हेतु एक वेब ऐप विकसित किया गया है।

16.2 भावी योजना

कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषगियों में कार्यान्वित करने के लिए ईआरपी की योजना बनाई गई है। द्वितीय चरण में, एसईसीएल में ईआरपी का कार्यान्वयन सितम्बर, 2020 से नियत है तथा एसईसीएल विकसित आई.टी. ढांचा के अंतर्गत सुचारू माईग्रेशन के लिए तैयारी कर रहा है ।

17.0 श्रमशक्ति एवं रोजगार

दिनांक 31.03.2020 को एसईसीएल की श्रमशक्ति 51,426 रही। श्रेणीवार श्रमशक्ति का विवरण इस प्रकार है-

स.क्रं.	श्रेणी	श्रमशक्ति (संख्या में)	
		31.03.2020	31.03.2019
i.	अधिकारी	2835	2995
ii.	पर्यवेक्षीय स्टाफ	6786	7256
iii.	उच्च कुशल एवं कुशल	24132	26191
iv.	अर्ध-कुशल एवं अकुशल	15120	15615
v.	लिपिकीय कर्मचारी	1936	2071
vi.	पीस-रेटेड	13	15
vii.	प्रशिक्षु	604	673
	योग	**51426**	**54816**

17.1 अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रमशक्ति :

अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की भर्ती और पदोन्नति में केन्द्र सरकार की नीति और निर्देशों का कम्पनी द्वारा कड़ाई से पालन किया जा रहा है। 31 मार्च, 2019 की तुलना में 31 मार्च, 2020 को अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा-वर्ग की श्रमशक्ति का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

केटेगरी	श्रमशक्ति (संख्या में)		कुल श्रमशक्ति का प्रतिशत	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
अनु.जाति	9190	9294	17.87%	16.95%
अनु.जनजाति	11147	11233	21.68%	20.49%
अ.पि.वर्ग	12280	12415	23.88%	22.65%
अन्य	18809	21874	36.57%	39.91%
योग	**51426**	**54816**	**100.00%**	**100.00%**

17.2 महिला रोजगार के आंकड़े :

31.03.2020 को महिलाओं को रोजगार (संख्या) का विवरण नीचे दर्शित है :

अधिकारी	मासिक वेतनभोगी	दैनिक वेतनभोगी	पीस-रेटेड	कंपनी प्रशिक्षु	योग
143	924	1850	01	40	2958

17.3 नए रोजगार :

वर्ष 2019-20 के दौरान परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार, अनुकम्पा रोजगार, नई भर्ती की स्वीकृति-स्थिति नीचे दर्शित है :

नए रोजगार का विवरण	संख्या
परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार	374
अनुकम्पा रोजगार (मृत्यु/चिकित्सकीय दृष्टि से अयोग्य)	347
माईनिंग सरदार की नई भर्ती	02
कुल	**723**

17.4 रोजगार के एवज में क्षतिपूर्ति :

विवरण	संख्या
रोजगार के एवज में वित्तीय क्षतिपूर्ति (भू-रोजगार)	73
रोजगार के एवज में वित्तीय क्षतिपूर्ति (अनुकम्पा आधार पर)	40
लाईव रोस्टर	11

18.0 मानव संसाधन का विकास :

एसईसीएल अपने कर्मचारियों के विकास एवं उनके प्रशिक्षण में निरंतर ध्यान देने की नीति का पालन करते हुए संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। कम्पनी, कंपनी के समग्र कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए अपने कर्मचारियों को प्रायोगिक जानकारी, कौशल एवं कार्य-व्यवहार व मूल्य संवर्धन की दिशा में समुचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उनमें बहुमुखी दक्षता का विकास करने के लिए कार्य करती है।

18.1 प्रशिक्षण केन्द्र

कंपनी के चार मुख्य प्रशिक्षण संस्थान हैं,जहां विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए जाते हैं।

1) प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई) : बिलासपुर
2) केन्द्रीय उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान (सीईटीआई) : गेवरा
3) बेसिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (बीईटीआई) : कोरबा
4) आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई) : बिश्रामपुर

उपर्युक्त के अतिरिक्त, एसईसीएल के सभी क्षेत्रों में कुल 17-व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थित है, जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के अनुसार सांविधिक प्रशिक्षण तथा अन्य आवश्यकता-आधारित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

18.2 वर्ष 2019-20 के लिए एमओयू की उपलब्धि :

एमओयू 2019-20 एचआर मानदण्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम - सभी महिला कर्मचारियों को शामिल करते हुए मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण एवं कौशल विकास हेतु 15-कार्यक्रम आयोजित/पहल किए गए।

स.क्रं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षित महिलाएं
1	योग एवं साधना,मार्शल आर्ट इत्यादि पर केन्द्रित शारीरिक स्वस्थ कार्यक्रम	2023
2	तनाव प्रबंधन पर केन्द्रित मानसिक स्वस्थ कार्यक्रम	2023
3	स्वास्थ्य शिविर (नियमित जांच)	680
4	महिला जीवन-शैली बीमारी जैसे-स्तन केंसर, पीसीओएस, सर्विकल कैंसर या कोई अन्य स्त्री रोग संबंधी अन्य बीमारी पर जागरूकता कार्यक्रम	700
5	ई-5 से नीचे पद पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए व्यवहार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम	26
6	ई-6 व उससे उच्च पद पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए व्यवहार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम	30
7	लिंग संवेदीकरण/सुग्राहीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	56
8	न्यूरो-लिंगुस्टिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	42
9	खनन क्षेत्रों एवं आसपास पदस्थ महिलाओं को मान्यता देने, प्रेरित व प्रोत्साहित करने संबंधी विषय	120
10	गैर-अधिकारी महिला कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर दक्षता कौशल विकास कार्यक्रम	14
11	नर्स एवं मेट्रान के लिए कौशल विकास एवं सशक्तीकरण कार्यक्रम	30

स.क्रं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षित महिलाएं
12	अपनी सफलता की कहानियों या प्रेरक बातों को साझा करने के लिए विविध क्षेत्रों से सफल महिलाओं को आमंत्रित करने के उद्देश्य के साथ हर वैकल्पिक महीने बिजनेस महिला नेटवर्क या ''माईन द माईंड'' कार्यक्रम आयोजित करना।	980
13	इलाकों की सुविधा के लिए अनुपम सीएसआर कार्यकलाप आयोजित करने में महिलाओं को लगाना ''प्रेरणा''	228
14	पूरे अनुषंगियों में महिलाओं के लिए आउटडोर खेलकूद गतिविधि आयोजित करना ।	115
15	संतुलित कार्य-जीवन पर कार्यशाला	38

18.2.1 मैत्रयी

एसईसीएल की महिला कर्मचारियों के विकास एवं सशक्तीकरण हेतु परियोजना ''मैत्रयी'' के अंतर्गत पहल किए गए हैं। महिला कार्यदल के मध्य संतुलित कार्य जीवन एवं नेतृत्व की समझ जागृत करना भी इस परियोजना का उद्देश्य है।

''मैत्रयी'' के अधीन महिला कर्मचारियों के लिए किए गए कार्यकलापों की झलकः

स्वास्थ्य जागरूकता और कार्य जीवन संतुलन :

दिनांक 22.11.2019 को एसईसीएल मुख्यालय में स्वास्थ्य जागरूकता और कार्य जीवन संतुलन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे सभी क्षेत्रों की महिला कर्मचारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखा गया। इस कार्यक्रम में, डॉ. प्रियंका, रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो अस्पताल, बिलासपुर ने कैंसर के विभिन्न चरणों, कारणों और उपचार पर चर्चा की । श्रीमती अर्चना झा, डीएसपी, बिलासपुर ने बहुत ही रोचक तरीके से कार्य जीवन संतुलन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। बड़ी संख्या में पूरे एसईसीएल की महिला कर्मचारियों ने इसका लाभ उठाया।

दिनांक 29.11.2019 को एसईसीएल मुख्यालय में महिला स्वास्थ्य जागरूकता पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी क्षेत्रों की महिला कर्मचारियों द्वारा भी देखा गया। इस कार्यक्रम में, एसईसीएल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. नम्रता सिंह ने पीसीओडी, पीसीओएस, हाइपो और हाइपर थायरॉयड, मूड स्विंग्स, मैनोपॉज जैसी बीमारियों और हार्मोनल असंतुलन के कारण होने वाली अन्य जटिलताओं के बारे में चर्चा की ।

मित्रवत/दोस्ताना क्रिकेट मैच

एसईसीएल मुख्यालय की महिला कर्मचारियों के लिए वसंत विहार मैदान में दिनांक 14.12.2019 को मित्रवत/ दोस्ताना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इसमें दो टीमों शिप्रा और नर्मदा ने भाग लिया था, जिसमें टीम शिप्रा ने 52 रनों से मैच जीत लिया । डॉ. आर.एस. झा, निदेशक (कार्मिक), एसईसीएल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और प्रतिभागी टीमों और टीम के सदस्यों को पुरस्कार वितरित किए।

18.3 एचआर मानदण्ड पर एमओयू 2019-20

एसईसीएल का लक्ष्य उत्कर्ष केन्द्र जैसे- आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीएआई, एएससीआई इत्यादि में कम से कम एक सप्ताह के प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों की कुल संख्या के 5-प्रतिशत को प्रशिक्षित करना है ।

एमओयू पैरामीटर	31.03.2020 को अधिकारियों की संख्या	लक्ष्य	लक्षित संख्या	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
उत्कर्ष केन्द्र में कम से कम एक सप्ताह के प्रशिक्षण द्वारा प्रतिभा प्रबंधन एवं कैरियर वृद्धि	2835	न्यूनतम 5-प्रतिशत अधिकारी	142	132	93-प्रतिशत

18.4 वर्ष 2019-20 के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या :

मानव संसाधन विकास विभाग कर्मचारियों के कौशल एवं ज्ञान में वृद्धि हेतु आंतरिक/बाह्य प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है, ताकि कंपनी को वांछित लक्ष्य और उत्पादन व उत्पादकता प्राप्त करने में सहायता मिले ।

स.क्रं.	केटेगरी	लाभ प्राप्त कर्मचारियों की संख्या
1	प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या	1596
2	प्रशिक्षित कर्मचारी/कामगारों की संख्या	11144
3	प्रशिक्षित कर्मचारियों की कुल संख्या	12740

18.5 कौशल विकासपरक कार्यक्रम

कर्मचारियों के कौशल/ज्ञान संवर्धन हेतु, मानव संसाधन विकास विभाग ने प्रबंधन विकास संस्थान, बिलासपुर में विशेष कौशल विकासपरक कार्यक्रम की व्यवस्था की ।

कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या
''नए विनियमों के अनुसार इलेक्ट्रिशियन एवं इलेक्ट्रिकल सुपरवाईजरों के लिए खदानों में सुरक्षित इलेक्ट्रिसिटी'' का उपयोग	149
कुल	**149**

18.6 अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यक्रम :

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित विविध कौशल विकास कार्यक्रमों का विवरण एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या का विवरण नीचे दर्शित है :

कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या
डम्पर ऑपरेटर के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	265
ड्रिल ऑपरेटर के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	50
शॉवेल ऑपरेटर के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	45
इलेक्ट्रिकल सुरक्षा के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	92
एचईएमएम के रख-रखाव/मरम्मत के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	62
इंडस्ट्रीयल हाईड्रोलिक के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	77
इंजिन अनुरक्षण के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	79
डोजर ऑपरेटर के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	66
पे-लोडर ऑपरेटर के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	38
सपोर्ट पर्सनल के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	105
एलएचडी/एसडीएल ऑपरेटर के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	82
पर्यवेक्षकों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	48
विस्फोटकों के सुरक्षित प्रबंध के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	86
कुल	**1095**

18.7 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

श्री अरुण ऋषि स्वरगेया, प्रसिद्ध ताली चिकित्सक, आयुष्मान भव ट्रस्ट एंड रिसर्च सेंटर, उज्जैन, मध्य प्रदेश द्वारा ताली बजाकर स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन पर एमडीआई बिलासपुर में ''एक दिन में 15 सेकंड ताली बजाएं, डॉक्टर से दूर रहें'' विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 32 अधिकारी व कर्मचारी भाग लेकर लाभान्वित हुए।

• अवधि 2019-20 के दौरान एमडीआई में आयोजित अन्य विशेष कार्यक्रम :

कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षु	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
मुख्य लोक सूचना अधिकारी एवं एफएए के लिए ''आरटीआई'' अधिनियम, 2005 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	अधिकारी	27
''क्यूसी'' द्वारा अनिश्चितता मापन	तकनीकी निरीक्षक	22
पीएमई एवं आईएमई पर व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यशाला	डाक्टर	23
''आयुष्मान भारत'' पर कार्यशाला	अधिकारी/पर्यवेक्षक	24
कुल		96

18.8 अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण :

कंपनी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों/एमडीआई/आईआईसीएम में विविध प्रशिक्षण कार्यकमों एवं बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराती हैं। वर्ष के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों की कुल संख्या नीचे दर्शित है :

क्रमांक	केटेगरी	प्रशिक्षित अधिकारियों की कुल संख्या
1	सामान्य	672
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	465
3	अनुसूचित जाति	227
4	अनुसूचित जनजाति	232
	कुल	**1596**

18.9 भविष्य विकासपरक कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, वर्तमान परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, उच्च/पर्यवेक्षीय स्तरों में अपेक्षित केटेगरी के संभावित कर्मचारियों के मध्य आवश्यक कार्य-दक्षता विकसित करने के उद्देश्य से एमडीआई, एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर में भविष्य विकासपरक कार्यकम आयोजित किए गए ।

कार्यक्रम का नाम	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या
फ्रर्स्ट क्लास एवं सेकंड क्लास माईन मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ काम्पीटेंसी एक्जामिनेशन के लिए कोचिंग कक्षाएं	01	36

18.10 मेंटर का प्रशिक्षण :

मेंटरिंग कार्यक्रम नए प्रवेशी एवं कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों के व्यावसायिक/पेशेवर उन्नयन/संवर्धन एवं विकास के लिए कंपनी के लोगों, नीतियों एवं कार्य-विधियों/प्रक्रियाओं से उनको सामाजिक व परिस्थिति अनुकूल ढालने हेतु एक नए पहल के रूप में प्रारंभ किया गया है । मेंटर साधनों व संबल व्यक्तियों का सुगमतापूर्वक पता लगाने में उनको व्यावसायिक मार्गदर्शन, व्यावहारिक ज्ञान साझा करने, कौशल एवं सहयोग प्रदान करता है। आईआईसीएम, रांची में कुल 09-अधिकारी प्रशिक्षित हुए ।

19.0 मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) की पहल

मानव संसाधन कार्य-नीति, संस्थान के लक्ष्य/उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में मानव पूंजी के प्रबंधन का प्रयास करती है। यह मुख्यतः अपने मानव संसाधन नीतियों और कार्य-प्रक्रियाओं के संबंध में संस्थान की योजना/उद्देश्य की पूर्ति पर केन्द्रित होती है। किस तरह मानव संसाधन को

नियोजित, प्रेरित, व्यवस्थित किया जाए, जिससे व्यावसायिक कार्य-नीति के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाया जा सके। मानव संसाधन कार्यनीति, कार्यान्वयन की भूमिका के साथ-साथ संस्थान की कार्य नीति पर जोर देते हुए मानव संसाधन प्रबंधन को अनुकूल बनाने के लिए कार्य-संचालन की कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण साधन की भांति काम करती है। एचआरएम पहल के अंतर्गत वृहत कार्यक्रमों का विवरण नीचे दर्शित है -

आगमन : एसईसीएल ने इस परियोजना का कार्यान्वयन एसईसीएल परिवार में नए प्रबंधन प्रशिक्षुओं के सहज परिचय तथा कंपनी में सहज समावेशन के साथ व्यावसायिक कार्य-प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए किया है। 2019-20 के दौरान,कुल 11 प्रबंधन प्रशिक्षु परियोजना आगमन द्वारा लाभान्वित हुए।

20.0 महिला सशक्तीकरण :

फोरम ऑफ वुमेन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स) का सृजन वर्ष 1990 में स्टेंडिग कॉन्फरेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राईजेज (स्कोप) के संरक्षण में हुआ, जिसका दिल्ली में एक सेंट्रल अपैक्स फोरम है तथा चार रीजनल फोरम मुम्बई (पश्चिमी क्षेत्र), चेन्नई (दक्षिणी क्षेत्र), कोलकाता (पूर्वी क्षेत्र) तथा दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र) क्रमशः में है। विप्स का गठन यह दर्शाता है कि महिलाओं के उन्नयन से संबंधित मामलों पर प्रकाश डालने के लिए अब तक के सबसे बड़े संगठित क्षेत्र द्वारा यह प्रथम पहल है ।

20.1 विप्स-एसईसीएल :

एसईसीएल विप्स का आजीवन कार्पोरेट सदस्य है। वर्ष 2019-20 के दौरान एसईसीएल के महिला कार्यदल की संख्या 3046 थी, जिसमें 132 अधिकारी एवं 2914 कर्मचारी थे। विप्स-एसईसीएल कंपनी में एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण,स्वास्थ्य एवं स्वस्थ देखभाल, तथा कौशल विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीमती अनुपमा आनंद टेम्भुर्णीकर, प्रबंधक (कार्मिक) समन्वयक,विप्स,एसईसीएल के रूप में कार्यरत हैं। प्रत्येक क्षेत्र में एक वरीय अधिकारी को विप्स की क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है ।

20.2 विप्स के लिए अवार्ड

* विप्स पश्चिमी क्षेत्र की 29-वीं क्षेत्रीय बैठक 16.12.2019 को ओएनजीसी ऑफिसर्स क्लब, चंदखेड़ा, अहमदाबाद में आयोजित की गई थी। श्रीमती बिजल बेन पटेल, मेयर, अहमदाबाद शहर समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी और श्री संदीप सहगल, कार्यवाहक ईडी, ओएनजीसी ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की थी।

* विप्स पश्चिमी क्षेत्र के तहत आयोजित बैठक में विप्स एसईसीएल को अक्टूबर 2018 से सितंबर, 2019 के दौरान किए गए सर्वश्रेष्ठ गतिविधियों के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया । इसमें विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों की लगभग 126 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
* 11 से 12 फरवरी, 2020 तक हैदराबाद में आयोजित 30-वें राष्ट्रीय मीट ऑफ फोरम ऑफ विप्स के दौरान डा. तमिलिसै सौंदरराजन, माननीय राज्यपाल, तेलंगाना ने विप्स एसईसीएल को बेस्ट इंटरप्राईजेज अवार्ड केटेगरी में तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया ।

20.3 विप्स कार्यकलाप :

* **महिला कर्मचारियों के कैरियर विकास हेतु विशेष कक्षाएं-**

  एसईसीएल मुख्यालय में दिनांक 8 अप्रैल, 2019 से आशुलिपि और अंग्रेजी की कक्षाएं आयोजित की गईं। एसईसीएल मुख्यालय की महिला कर्मचारी पूरे जोश के साथ कक्षाओं में भाग ले रही हैं।

* **वसंत विहार और इंदिरा विहार कॉलोनी, एसईसीएल मुख्यालय के बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन कक्षाएं :**

  5-वर्ष व अधिक आयु ग्रुप के बच्चों के लिए दिनांक 15.04.2019 से एसईसीएल मुख्यालय के इंदिरा विहार और वसंत विहार कॉलोनियों मे ग्रीष्मकालीन कक्षाएं चलाई गई । एक महीने के इस ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरान, अनुभवी शिक्षकों और विशेषज्ञों के द्वारा बच्चों को डांस और ड्राइंग/पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया गया।

* **विप्स सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण कार्यकलाप :**

  एसईसीएल बिलासपुर की विप्स सदस्यों ने नवीन प्राथमिक शाला, जरहाभाटा में पौधे रोपित किए। पौधारोपण के दौरान औषधीय पौधे भी रोपित किए गए। स्कूल के छात्रों को पौधों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई, ताकि पौधे बढ़कर पर्यावरण के संरक्षण में मदद कर सकें।

* **विप्स सदस्यों द्वारा स्लम एरिया का दौरा :**

एसईसीएल बिलासपुर की विप्स सदस्यों ने ग्राम लिंगियाडीह के स्लम क्षेत्र का दौरा किया और उस क्षेत्र के बच्चों के साथ ''गुड टच, बैड टच'', ''जीवन में शिक्षा का महत्व'' और ''स्वास्थ्य और स्वच्छता'' जैसे मुद्दों पर चर्चा की।

* **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह :**

एसईसीएल मुख्यालय के साथ-साथ एसईसीएल के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। एसईसीएल मुख्यालय में आयोजित केंद्रीय समारोह में, श्री ए.पी. पंडा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मुख्य अतिथि के रूप में तथा डॉ. आर.एस. झा, निदेशक (कार्मिक) व श्री आर.के निगम, निदेशक (तकनीकी) संचालन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर, सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली महिला कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ महिला कर्मचारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और क्षेत्रों को सर्वश्रेष्ठ गतिविधि अवार्ड भी दिए गए। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य श्रम को सम्मानित करना था जिसके लिए कॉरपोरेट भवन की साफ-सफाई में नियोजित संविदा महिला कामगारों का अभिनंदन किया गया। समारोह में 150 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया।

21.0 औद्योगिक संबंध (आई.आर) :

एसईसीएल ने एक सुस्पष्ट अभिकथित औद्योगिक संबंध नीति अनुपालित की है, जो द्विपक्षीय फोरम के अधीन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए एक तंत्र की भांति काम करती है। इस हेतु एसईसीएल प्रबंधन एवं 5-केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से सम्बद्ध यूनियनों के मध्य आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) हस्ताक्षरित किये गये। उपरोक्त ''आचार संहिता'' के अधीन एसईसीएल में निम्नलिखित द्विपक्षीय फोरम कार्य कर रही हैं:

1. कम्पनी स्तर पर संचालन समिति
2. कम्पनी स्तर पर कल्याण बोर्ड
3. कम्पनी स्तर पर सुरक्षा समिति

4. क्षेत्रीय स्तर एवं उप क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त सलाहकार समिति
5. क्षेत्रीय स्तर एवं उप क्षेत्रीय स्तर पर कल्याण समिति
6. क्षेत्रीय स्तर एवं उप क्षेत्रीय स्तर पर खान सुरक्षा समिति

उपर्युक्त के अतिरिक्त, पूर्व निर्धारित व परिचालित कैलेण्डर के अनुसार ढांचागत औद्योगिक संबंध की बैठक आवधिक रूप से 5-केन्द्रीय ट्रेड यूनियन से सम्बद्ध निम्नलिखित यूनियनों के साथ नियतकालिक आयोजित की जाती है :

स.क्रं.	यूनियन का नाम	सम्बद्धता
1	अखिल भारतीय कोयला मजदूर संघ (एबीकेएमएस)	बीएमएस
2	कोयला मजदूर सभा (केएमएस)	एचएमएस
3	कोयला श्रमिक सभा (केएसएस)	सीटू
4	संयुक्त कोयला मजदूर संघ (एसकेएमएस)	एटक
5	साउथ ईस्टर्न कोयला मजदूर कांग्रेस (एसईकेएमसी)	इंटक*

* औद्योगिक संबंध की बैठक या विविध समितियों में एसईकेएमसी (इंटक) के भाग लेने पर रोक लगाई गई थी। रीट-पिटिशन संख्या-8152/2016 में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली का निर्णय लंबित है। हालाकि, डब्लूपीएल सं.-87/2018 में माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के आदेश दिनांक 13.11.2018 के अनुसार, एसईकेएमसी (इंटक) को दिनांक 01.04.2019 से औद्योगिक संबंध सिस्टम के अधीन भाग लेने हेतु अनुमति दी गई।

तीन स्तरीय औद्योगिक-संबंध व्यवस्था के अंतर्गत यूनियनों के साथ ऊपर उल्लिखित ढांचागत बैठक आवधिक/ नियतकालिक रूप में आयोजित की जाती है, जो निम्नानुसार है :

यूनिट	बैठक की नियत अवधि
उप क्षेत्रीय स्तरीय	मासिक रूप में
क्षेत्रीय स्तरीय	द्विमासिक
कम्पनी स्तरीय	त्रैमासिक

उपरोक्त उपायों के प्रारंभ होने से, औद्योगिक संबंध सौहार्द्रमय बना हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप लागत में कमी तथा उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि हुई तथा कार्य की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ औद्योगिक शांति एवं जीवन की गुणवत्ता में समग्र रूप से सुधार हुआ है।

संचालन समिति की स्थापना पांच ऑपरेटिंग ट्रेड यूनियनों और सीएमओएआई के नामित प्रतिनिधियों तथा प्रबंधन की ओर से सभी कार्यकारी निदेशक एवं सुरक्षा, कार्मिक व प्रशासन, चिकित्सा, सिविल/कल्याण, औद्योगिक संबंध व वित्त विभागों के विभागाध्यक्षों के समावेशन के साथ की गई है। यह उच्च द्विपक्षीय फोरम है, जिसके प्रमुख कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं। उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा और कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए इसकी प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होती है ।

हड़ताल, मानव दिवस हानि, उत्पादन हानि से संबंधित सूचना नीचे दर्शित है :

ब्यौरा	विवरण
हड़ताल की संख्या (घटनाओं की संख्या)	02*
कानून एवं व्यवस्था में अवरोध (घटनाओं की संख्या)	कुछ नहीं
मानव दिवस की हानि (लाख में)	0.366
कोयला उत्पादन में हानि (लाख टन)	2.103

** विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई राष्ट्रव्यापी हड़तालों की पृष्ठभूमि में, सीआईएल की ऑपरेटिंग ट्रेड यूनियनों ने कोयला उद्योग और उसके प्रतिष्ठानों सहित एसईसीएल में निम्नलिखित दिवसों पर हड़तालों का आह्वान किया :*

i. 23 से 25 सितंबर, 2019 - बीएमएस द्वारा (23 से 27 सितंबर, 2019 तक हड़ताल की सूचना दी थी । हालांकि, बीएमएस ने 25 सितंबर, 2019 की शाम को हड़ताल पर जाने का निर्णय वापस ले लिया)।

ii. 24 सितंबर, 2019 - एचएमएस, एटक, सीटू, इंटक (एक समूह) द्वारा।

iii. 8 जनवरी, 2020 - एचएमएस, एटक, सीटू, इंटक (एक समूह) द्वारा।

वर्ष 2019-20 के दौरान एसईसीएल में औद्योगिक संबंध परिदृश्य सौहार्द्रमय व उत्कृष्ट रहा तथा सर्वत्र औद्योगिक शांति रही ।

सीआईएल का संविदा-ठेका श्रमिक सूचना पोर्टल (सीएलआईपी)

एसईसीएल में सभी स्थापनाओं/इकाईयों के सभी कार्यरत ठेकेदार कोल इंडिया लिमिटेड के संविदा श्रमिक सूचना पोर्टल (सीएलआईपी) पर पंजीकृत है । पंजीकृत ठेकेदार अपने कामगारों का विवरण तथा उनकी मजदूरी का विवरण नियमित रूप से अपलोड करते हैं ।

22.0 कर्मचारी कल्याण एवं अवसंरचना :

कम्पनी प्रदत्त कल्याणकारी सुख-सुविधाओं एवं योजनाओं जैसे-स्कूल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, कामगार संस्थान, क्लब सहित सेनिटेशन, जल-आपूर्ति, छात्रवृत्ति, वित्तीय सहयोग आदि की स्थिति नीचे दी गई है :

22.1 उपलब्ध सुख-सुविधाएं :

सांविधिक कल्याणकारी सुविधाओं के अलावा, कम्पनी अपने कर्मचारियों को आवास, चिकित्सा तथा अन्य सुविधांए उपलब्ध कराती है साथ ही सभी कोलफील्ड्स क्षेत्रों में कर्मचारियों के बच्चों के लिये स्कूल सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। संबंधित सूचना नीचे वर्णित है :

1. कंपनी आवास :

स.क्र.	विवरण	संख्या
क	31.03.20120 को उपलब्ध आवासों की संख्या	69,330

कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से विशेष उपायों के रूप में डिसेंट हाऊसिंग योजना के अंतर्गत आवासीय भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य के लिए कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

2. शिक्षा :

स.क्र.	विवरण	संख्या
क.	स्कूल(केवल परियोजना स्कूल जहां घाटा-अनुदान दिया गया)	17
ख.	स्कूल बस (किराया आधारित)	104
ग.	स्कूल बस (विभागीय)	22

3. खेलकूद एवं मनोरंजन सुविधाएं :

स.क्र.	विवरण	संख्या
क	खेल-मैदान	55
ख	अधिकारी-क्लब	37
ग	कामगार-क्लब	41
घ	सामुदायिक केन्द्र	28
ड.	स्टेडियम	21
च	जिम्नाजियम	26
छ	चिल्ड्रन-पार्क	42

4 अन्य सुविधाएं :

स.क्र.	विवरण	संख्या
क	केंटीन (28 एसी केंटीन सहित)	88
ख	बैंक के माध्यम से भुगतान की इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग प्रणाली के अधीन शामिल कर्मचारी	100%
ग	को-आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी	04
घ	को-ऑपरेटिव स्टोर्स	11

22.2 छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता :

कोल इंडिया छात्रवृत्ति योजना-2001 के अधीन कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को 5-वीं कक्षा से छात्रवृत्ति दी जाती है। कर्मचारियों के बच्चे, जो शासकीय इंजीनियरिंग कालेज एवं शासकीय चिकित्सा कालेज में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, को केवल वास्तविक ट्यूशन-शुल्क एवं हॉस्टल भार की सीमा तक वित्तीय सहायता दी जाती है। कर्मचारियों के बच्चे जो कक्षा 10-वीं और 12-वीं में क्रमशः 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं,उन्हें नकद पुरस्कार भी दिया जाता है।

स.क्रं.	विवरण	हितग्राहियों की संख्या	राशि (रू. लाख)
01	कोल इंडिया छात्रवृत्ति(संशोधित-2001)	804	18.00
02	कर्मचारियों के बच्चों को ट्यूशन फीस एवं हॉस्टल भार की प्रतिपूर्ति		
2.1	इंजीनियरिंग-विद्यार्थी	336	209.64
2.2	मेडिकल (एमबीबीएस) विद्यार्थी	96	38.51
	कुल	**1236**	**266.15**

22.3 सीआईएल खेलों में उपलब्धि :

2019-20 के दौरान सीआईएल अंतर कंपनी प्रतियोगिता अन्तर्गत विविध खेलों में एसईसीएल की टीम की उपलब्धि :

स.क्रं.	खेल-विधा	विजेता/उप-विजेता
1	व्हालीबाल	विजेता
2	लॉन टेनिस	विजेता
3	फूटबाल	विजेता
4	हॉकी	विजेता
5	बैडमिंटन	विजेता

22.4 चिकित्सालयों में सुविधाएं :

एसईसीएल में चिकित्सा सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों में स्थित डिस्पेंसरी, आंचलिक चिकित्सालय एवं केन्द्रीय चिकित्सालय की तीन-बहुश्रेणी सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। सभी चिकित्सालय आपरेशन- थिएटर, लेबर-रूम, लेबोरेटरी, ईसीजी, एक्स-रे मशीन आदि से सुसज्जित हैं। सोहागपुर एवं इंदिरा विहार स्वास्थ्य केन्द्र, बिलासपुर में प्रतीक्षा के लिए रोगी एवं उनके आश्रितों के लिए "रैनबसेरा" (शैड) मुहैया कराया गया है। बायो-मेडिकल अपशिष्ट के निपटान की व्यवस्था राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार किया जाता है। कुछ चिकित्सालयों में शवगृह कक्ष उपलब्ध कराए गए हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सेवा प्रदाता का विवरण नीचे दर्शित है :

स.क्र.	स्वास्थ्य सुविधा	संख्या
क	केन्द्रीय चिकित्सालय	03
ख	आंचलिक चिकित्सालय	07
ग	डिस्पेंसरी	56
घ	एम्बुलेंस (विभागीय 43 एवं किराया आधारित 65)	108

स.क्र.	चिकित्सा कर्मी/कार्मिक	संख्या
क	चिकित्सक (63 विशेषज्ञ)	201
ख	स्टाफ नर्स	253
ग	फार्मासिस्ट	96
घ	लैब-तकनीशियन	58
ड.	एक्स-रे तकनीशियन	38

22.5 एसईसीएल चिकित्सालयों में सुविधाएं

- चिकित्सालय एक्स-रे, यूएसजी, ईसीजी, सी-आर्म, एवं पैथोलॉजिकल लेबारेटरी से सुसज्जित हैं।
- सोहागपुर एवं गेवरा क्षेत्र की केन्द्रीय चिकित्सालयों में लाईसेंसयुक्त ब्लड बैंक संचालित है। केन्द्रीय चिकित्सालय, मनेन्द्रगढ़, हसदेव क्षेत्र में ब्लड बैंक की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है।
- बुढ़ार केन्द्रीय चिकित्सालय,सोहागपुर क्षेत्र में सीटी स्केन एवं ब्रोंकोस्कोप उपलब्ध है।
- केन्द्रीय चिकित्सालय, मनेन्द्रगढ़, हसदेव क्षेत्र, बुढ़ार केन्द्रीय चिकित्सालय, सोहागपुर क्षेत्र, नेहरू शताब्दी चिकित्सालय (एनसीएच), गेवरा क्षेत्र, मेन हास्पिटल, कोरबा क्षेत्र एवं आंचलिक चिकित्सालय, बिश्रामपुर क्षेत्र में कुल पांच डायलिसिस केन्द्र संचालित हैं।
- एनसीएच, गेवरा क्षेत्र में लेपरोस्कोपिक सर्जरी की जाती है।
- आईसीयू के उन्नयन के रूप में एसईसीएल के तीन केन्द्रीय चिकित्सालयों में मल्टीपैरामॉनिटर्स व वेंटीलेटर्स लगाए गए है।
- तीन केन्द्रीय एवं 6 आंचलिक चिकित्सालय व तीन डिस्पेंसरियों (भटगांव, इंदिरा विहार स्वास्थ्य केन्द्र एवं कुसमुंडा) में डिजिटल आडियोमीटर लगाए गए।
- तीन केन्द्रीय चिकित्सालयों, 7 आंचलिक चिकित्सालयों एवं तीन डिस्पेंसरियों (भटगांव, इंदिरा विहार स्वास्थ्य केन्द्र एवं कुसमुंडा) में बायो-केमिस्ट्री आटो एनालाईजर उपलब्ध कराए गए।
- केन्द्रीय चिकित्सालय, सोहागपुर क्षेत्र, केन्द्रीय चिकित्सालय, मनेन्द्रगढ़, हसदेव क्षेत्र एवं एनसीएच, गेवरा क्षेत्र में माडुलर किचन की स्थापना की गई।

22.6 चिकित्सा सेवाएं/स्वास्थ्य शिविर :

एसईसीएल अपने कोलफील्ड्स में एवं उसके आसपास ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आदि आयोजित करती है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों (बीपीएल) को हमारे चिकित्सालयों एवं डिस्पेंसरियों में निःशुल्क ओपीडी सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित विविध स्वास्थ्य शिविरों का विवरण नीचे दिया गया है-

शिविर/कार्यकलाप का नाम	शिविरों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
ग्रामीण शिविर	226	12699
स्वास्थ्य शिविर	45	3612
जीवन शैली	31	1139
मधुमेह शिविर	80	6018
रक्त दान	8	216
बोन मेरो डेंसिटी शिविर	14	1161
वाटर बोन वेक्टर डिजीज	22	390
प्रतिरक्षा	111	3681
एड्स जागरूकता	56	1932
बेबी शो	2	135
डेंगू जागरूकता कार्यक्रम	3	48
कुल	**598**	**31031**

22.7 अवसंरचना

कोयला खान के आसपास रहने वाले लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए 4 मिलियन टन प्रतिवर्ष से अधिक की उत्पादन क्षमता वाली कोयला खदानों के आसपास पर्यावरण व स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खराब प्रभाव, भीड़भाड युक्त ़यातायात, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाकर तथा विभिन्न फ्रर्स्ट

माईल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के रूप में रैलवे रैकों में कम्प्यूटरीकृत लदाई तथा यंत्रीकृत कन्वेयर सिस्टम जैसी वैकल्पिक परिवहन प्रणाली को नियोजित कर कोल हैण्डलिंग कार्य-दक्षता को बढ़ाने की योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत कुसमुंडा सीएचपी फेस-1 की एक परियोजना पूरी हो गई है तथा दिनांक 08.02.2020 को संयंत्र चालू हो गया है। कुसमुंडा सीएचपी फेस-।। की एक परियोजना आन-गोईंग परियोजना है, जो पूरी होने वाली है। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना के तहत और छह (6) परियोजना को शामिल किया गया है, जिसके आगामी 5 वर्षो में पूरा होने की उम्मीद है।

23.0 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

एसईसीएल सदैव अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निगमित शासन अवधारणा के रूप में स्वीकार करती है। एसईसीएल के सीएसआर का मुख्य उद्देश्य समाज के टिकाऊ विकास के लिए सीएसआर को एक मुख्य व्यावसायिक प्रक्रिया बनाना है। हमारे कार्यकलाप त्वरित और दीर्घकालिक सामाजिक एवं पर्यावरणीय परिणामों पर आधारित समाज के कल्याणकारी उपायों को और आगे बढ़ाने में सरकार की भूमिका को संपूरक प्रदान करते है। स्थानीय समुदाय के साथ कार्य के प्रति लगाव एवं उनका विकास हमारे व्यावसायिक कार्यनीति का एक अभिन्न अंग है।

हर कोई खनन परियोजनाओं के आसपास के क्षेत्रों के संवर्धन और टिकाऊ विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएसआर के प्रारंभिक हितग्राही भू-स्थापित,परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी) और परियोजना के 25-कि.मी. की परिधि में रहने वाले हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले गरीब व समाज के जरूरतमंद लोग, जहां कम्पनी का खनन कार्य संचालित है, वे उनके बाद दूसरे हितग्राही हैं । कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उनकी सभी अनुषंगी कम्पनियों के लिए सीएसआर नीति अनुमोदित की गई, जिसे कम्पनी में कार्यान्वित किया गया है तथा यह कंपनी की वेबसाईट http://www.secl-cil.in/csr-secl.php. पर उपलब्ध है ।

'कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 सहपठित कम्पनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति), नियम, 2014 के नियम 8(1) के अनुसरण में 'सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट'' इस रिपोर्ट में संलग्न **(अनुलग्नक-II)** है ।

24.0 राजभाषा (कार्यालयीन भाषा) का कार्यान्वयन

कम्पनी आपसी सामंजस्य से कार्यालयीन भाषा (राजभाषा हिंदी) के प्रचार-प्रसार व उसको बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत है। राजभाषा नीति/राजभाषा अधिनियम/राजभाषा नियम/वार्षिक कार्यक्रम/भारत सरकार के आदेशों के अनुपालन में, कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग में वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष के दौरान इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जो निम्नानुसार है :

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने मुख्यालय एवं इकाईयों में कार्यालयीन कार्यों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस परिप्रेक्ष्य में, एसईसीएल मुख्यालय में हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। हिंदी कार्यशाला मुख्य रूप से दैनंदिनी कार्यालयीन पत्राचार में सरल व बोलचाल की भाषा के प्रयोग पर केन्द्रित थी ।

राजभाषा पखवाड़ा (14-28 सितम्बर, 2019) के दौरान सभी संवर्गों के कर्मियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। राजभाषा पखवाड़ा के दौरान विशेष रूप से विभागाध्यक्षों के लिये हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, तथा अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए हिंदी निबंध, हिंदी वाक्, चित्र आधारित हिंदी कहानी लेखन, हिंदी प्रश्नमंच, हिंदी पत्र व टिप्पण लेखन, हिंदी व्याकरण ज्ञान, हिंदी अंताक्षरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, ताकि सरल हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके। इस दौरान आयोजित 08-प्रतियोगिताओं में कुल 238 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। अधिकांश प्रतियोगिताएं हिंदी भाषी एवं हिंदीतर भाषी के लिए अलग-अलग आयोजित की गई। सभी प्रतियोगिताओं में विजेताओं को यथानुरूप पुरस्कृत किया गया।

मुख्यालय स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें मुख्यालय स्तर पर किए गए हिंदी कार्यों की समीक्षा की गई।

25.0 सतर्कता :

एसईसीएल सीवीसी मार्गनिर्देशों के अनुसार निष्पक्ष व पारदर्शी रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें नियमों एवं नियमन की परिधि के अधीन कार्य करने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जागरूकता पैदा करने कंपनी के अधिकारियों एवं पणधारकों को संवेदनशील बनाने हेतु प्रयास किए गए हैं। नियमित एवं औचक निरीक्षण द्वारा, सिस्टम की चूक, तथा अन्य अनियमितताएं, यदि कोई हो, भविष्य में ऐसे अनियमितताओं की रोकथाम के लिये सिस्टम में सुधार हेतु आवश्यक उपायों को उच्च प्रबंधन की जानकारी में लाया जाता है ।

25.1 निवारक-सतर्कता

(क) सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 का आयोजन :

- कंपनी में सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 28 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2019 तक ''ईमानदारी एक जीवनशैली'' विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2019 का आयोजन किया गया तथा अखण्डता की शपथ ली गई।

28 अक्टूबर से 02 नवम्बर 2019 तक आयोजित सतर्कता जागरुकता सप्ताह - 2019

एसईसीएल द्वारा बिलासपुर में आयोजित सतर्कता जागरुकता दौड़ / रैली

- उद्घाटन समारोह एसईसीएल, बिलासपुर के साथ-साथ एसईसीएल के सभी 15 क्षेत्रों और डीसीसी/ कोलकाता में दिनांक 28.10.2019 को आयोजित किया गया। एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर में, उद्घाटन समारोह में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशकगण एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी एसईसीएल उपस्थित रहे।
- दिनांक 21.10.2019 को एमडीआई, एसईसीएल बिलासपुर में "आईटी की पहल-सतर्कता प्रशासन के लिए एक प्रक्रिया" पर एक संगोष्ठी/ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी क्षेत्रों के मध्यम से जूनियर स्तर तक के 80 अधिकारियों ने भाग लिया।
- एमडीआई, एसईसीएल बिलासपुर में स्टेकहोल्डर/कस्टमर मीट का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 38 विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं/ठेकेदारों/ ट्रांसपोर्टरों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अन्य स्थानों जैसे-गेवरा, कुसमुंडा, कोरबा और सोहागपुर क्षेत्र में भी स्टेक-होल्डर्स मीट आयोजित की गई,जिसमें लगभग 266 स्टेक-होल्डरों ने भाग लिया।
- एसईसीएल (मुख्यालय) सहित एसईसीएल के सभी परिचालन क्षेत्रों में "ईमानदारी - एक जीवन शैली" के प्रसार के लिए सतर्कता जागरूकता दौड़/रैली का आयोजन किया गया। बिलासपुर में आयोजित सतर्कता जागरूकता रैली में आईजी, बिलासपुर, सीएमडी, एसईसीएल एवं सभी कार्यकारी निदेशकों ने भाग लिया। इसमें लगभग 600 कर्मचारियों, छात्रों और "श्रद्धा महिला मंडल" की महिलाओं ने भाग लिया।
- बिलासपुर के अलावा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य के 16 शहरों/गांवों में सप्ताह के दौरान रैलियां आयोजित की गईं, जिसमें हजारों कर्मचारियों, स्टेक-होल्डरों, छात्रों, गृहस्थ-जनों और अन्य नागरिक शामिल होकर भ्रष्टाचार उन्मूलन के संदेश को प्रचारित-प्रसारित किया ।
- छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 36-गाँवों में जागरूकता ग्राम सभा आयोजित की गईं जिनमें 3,596 ग्रामीणों ने भाग लिया। ग्राम सभाओं में भाग लेने वाले ग्रामीणों, बच्चों और महिलाओं को संबोधित करने के लिए प्रमुख वक्ताओं और ग्राम के बुजुर्गों और प्रमुखों को आमंत्रित किया गया। ग्राम सभाओं में ईमानदारी की प्रतिज्ञा, नुक्कड़/नाटक व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए ईमानदारी आधारित विषय पर हिंदी और अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ स्लोगन व सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए व्हाट्सएप आधारित प्रतियोगिता के माध्यम से एक अभिनव पहल की गई, जिसका बेहतर रूप में प्रतिसाद मिला व इसमें सबकी उत्साहपूर्ण भागीदारी रही।
- एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर के साथ-साथ फील्ड/क्षेत्रों में एसईसीएल कर्मचारियों के मध्य पूरे सप्ताह वाद-विवाद और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें 1186-कर्मचारियों ने भाग लिया।
- वाद-विवाद, निबंध लेखन, ड्राइंग और स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन एक सप्ताह पूर्व और पूरे सप्ताह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में 16-शहरों/गांवों में सभी खनन क्षेत्रों के आसपास तथा बिलासपुर स्थित 91 स्कूलों और 24 कॉलेजों में किया गया था। आयोजित विविध प्रतियोगिताओं में स्कूलों और कॉलेजों के कुल मिलाकर लगभग 6,433 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी, एसईसीएल का संदेश ऑल इंडिया रेडियो बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर व शहडोल स्टेशनों तथा स्थानीय एफएम 94.3 रेडियो चैनल पर प्रसारित किए गए। ई-मेल, एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से "ईमानदारी-एक जीवन शैली" को अपनाने के लाभों से संबंधित संदेश और उद्धरण सभी कर्मचारियों को भेजे गए।

- कर्मचारियों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने, और "ईमानदारी-एक जीवन शैली" विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए, मुद्रित प्रचार सामग्री के रूप में पाम्पलेट, हैण्ड-हाउट्स, तख्तियां, बैनर, पोस्टर सभी खनन क्षेत्रों और बिलासपुर में कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में प्रदर्शन के लिए वितरित किए गए।
- खनन, सामग्री खरीद, मानव संसाधन, विक्रय, सिविल, निविदा कार्य, सीएमसी, परिवहन आदि जैसे विभिन्न कार्यों के लिए "क्या करें व क्या न करें" बनवाए गए और पोस्टर और हैण्ड-आउट के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित करने हेतु परिचालन प्रबंधकों के मध्य वितरित किए गए ।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2019 का समापन-सह पुरस्कार वितरण समारोह,रवींद्र भवन,एसईसीएल बिलासपुर में आयोजित किया गया, जिसमें श्री आर.एम. खान, पुलिस अधीक्षक, एसीबी, सीबीआई, रायपुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समापन समारोह में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी, एसईसीएल उपस्थित थे।
- समापन समारोह के दौरान अग्रज नाट्य दल द्वारा स्थानीय युवाओं को शामिल कर हरिश्चंद्र की औलाद नामक नाट्य कार्यक्रम के मंचन के दौरान बिना किसी भय या पक्षपात के सच बोलने के गुण को बताते हुए सभी को सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया ।
- कर्मचारियों, विद्यार्थियों, महिलाओं, ग्रामीणों, विक्रेताओं और आम जनता की सक्रिय भागीदारी से संगठन के अंदर और बाहर दोनों में कई गतिविधियों का संचालन करके, इस वर्ष के लिए सीवीसी द्वारा चयनित विषय "ईमानदारी-एक जीवन शैली" को सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2019 के दौरान सभी जनों के बीच सफलतापूर्वक प्रचारित किया गया।

(ख) ई-प्रतिज्ञा :

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2019 के दौरान लगभग 4136-कर्मचारियों,3470-नागरिकों तथा 185-स्टेक होल्डरों ने ई-प्रतिज्ञा ली ।

(ग) प्रकाशन :

अधिकारियों/कर्मचारियों के सतर्कता संबंधी लेख व विविध विधाओं के फोटोग्राफ्स से सुसज्जित "स्पंदन-2019" शीर्षक स्मारिका सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रकाशित की गई, जिसे सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2019 समापन-सह-पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान एसपी, सीबीआई/एसीबी, रायपुर व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एसईसीएल द्वारा विमोचित/जारी किया गया। महत्वपूर्ण परिपत्र, मानक संचालन प्रक्रिया, प्रणालीगत सुधार उपाय एवं जांच-पड़ताल आदि के दौरान देखी गई अनियमितताओं के मामले के अध्ययन से संबंधित एक हैंडबुक भी प्रकाशित की गई।

(घ) सतर्कता प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन :

वर्ष 2019-20 के दौरान, सतर्कता अधिकारी एवं संविदा कार्य में व्यापक अनुभव रखने वाले अन्य अनुभवी वक्ता के अलावा, पेशेवर/ व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नियोजित करते हुए 15 (पन्द्रह) कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

(ङ) प्रणालीगत सुधार :

प्रणालीगत सुधार के उद्देश्य से, अध्ययन रिपोर्ट आवश्यक कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई ।

25.2 अन्वेषण संबंधी सतर्कता

(क) प्राथमिक अन्वेषण

वर्ष 2019-20 के दौरान, 84-नई शिकायतें तथा पिछले वर्ष से अग्रेषित 10-शिकायतों को जांच के दायरे में लिया गया। 51-शिकायतों की जांच पूरी की गई है। प्राथमिक जांच के बाद व अन्वेषण उपरांत जहां भी आवश्यक समझा गया, अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई ।

(ख) विभागीय जांच प्रक्रिया/जांच-कार्यवाही

पिछले वर्ष से लाए गए मेजर पेनाल्टी के 04-आरडीए मामले के अलावा, संदर्भित वर्ष के दौरान, कुल 09 नियमित विभागीय मामले, (मेजर पेनाल्टी-05 मामले एवं माईनर पेनाल्टी 04 मामले) पंजीबद्ध हुए थे। वर्ष के दौरान, 09 मामलों को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें 08 अधिकारियों पर मेजर पेनाल्टी तथा 09-अधिकारियों पर माईनर पेनाल्टी अधिरोपित किए गए ।

(ग) नियमित/औचक/प्रमुख कार्यों का निरीक्षण :

ऊपर्युक्त अवधि के दौरान, सतर्कता विभाग,एसईसीएल द्वारा 18-नियमित, 31-औचक और 02-प्रमुख कार्यों का निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षणों के आधार पर, व्यवस्था संबंधी सुधार के उपाय सुझाए गए । साथ ही त्रुटि-गलती करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध नियमित विभागीय कार्रवाई पंजीकृत की गई ।

(घ) सीटीई टाईप निरीक्षण :

2019-20 के दौरान, 05-सीटीई प्रकार के निरीक्षण किये गये, और जहां आवश्यक समझा गया, वहां समुचित कार्रवाई/प्रणालीगत सुधार हेतु उपाय सुझाए गए ।

25.3 सहभागिता सतर्कता

(क) पणधारक-मिलनः कार्यों में पारदर्शिता के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से, ग्राहकों/ठेकेदारों/ सेवा-प्रदाताओं इत्यादि जैसे पणधारकों के समक्ष आ रही समस्याओं को जानने व तत्पश्चात सुधारात्मक कदम उठाए जाने के लिए नियमित अंतराल पर पणधारक-मिलन कार्यक्रम आयोजित किये गये। तदनुसार 06 (पांच) पणधारक-मिलन विभिन्न स्थलों पर आयोजित किए गए। पणधारकों द्वारा बताई गई समस्याएं, जहां तक संभव हो सका, स्थल पर ही निराकृत किए गए।

(ख) खनन कार्य संचालन जिलों के संबंधित राज्य प्राधिकारियों यथा-पुलिस महानिरीक्षक/ कलेक्टर/ पुलिस अधीक्षक/डीएफओ/अपर कलेक्टर/अपर पुलिस अधीक्षक को कार्य-संचालन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से समय-समय पर आमंत्रित कर सहयोग लिया गया।

25.4 प्रौद्योगिकी का लाभ

सूचना प्रौद्योगिकी भ्रष्टाचार के खतरे का मुकाबला करने और उस पर अंकुश लगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वजनिक सेवा में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग एक लंबा रास्ता तय करेगा। ई-प्रोक्योरमेंट/ई-पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ई-गवर्नेस को भी अपनाने का सरकार का प्रयास है जो न केवल मानवीय हस्तक्षेप, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करेगा, बल्कि यह दक्षता को बढ़ाएगा और व्यवहार में लेनदेन लागत को कम करेगा। हाल के दिनों में सतर्कता विभाग के आदेश पर निम्नलिखित वेब-सक्षम तकनीकी पहल को प्रबंधन द्वारा सशक्त रूप से लिया गया है-

क) जीपीएस/जीपीआरएस, आरएफआईडी और बूम बैरियर की एकीकृत प्रणाली को एसईसीएल के सभी क्षेत्रों में लगाया गया।

ख) इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिज को खदानों में कोयला वजन करने के लिए लगाया गया ।

ग) रू.1-लाख से रू. 2-लाख अनुमानित मूल्य वाली सभी निविदाएँ कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही हैं।

घ) सभी कार्य आदेश/खरीद आदेश कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही हैं।

ड.) कंपनी में ई-प्रोक्योरमेंट सहित रिवर्स बिडिंग, ई-पेमेंट और ई-ऑक्शन को लागू किया जा चुका है।

च) ऑनलाइन सतर्कता शिकायत प्रणाली, कोयला उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली प्रचलन में है।

छ) एपीआर की ऑनलाइन प्रस्तुति और निगरानी।

ज) एसईसीएल की वेबसाइट पर ऑनलाइन फाईलिंग की सुविधा जनता और उपभोक्ता द्वारा अपनी शिकायत/व्यथा दर्ज करने के लिए उपलब्ध कराई गई है।

झ) उपस्थिति का आधारयुक्त बॉयोमीट्रिक सिस्टम।

ट) 3 डी लेजर स्कैनर के माध्यम से स्टॉक मापन।

ठ) सर्वेक्षण प्रयोजन के लिए पारंपरिक यंत्र (थियोडोलाइट) को ईटीएस (इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन) को शुरूआत कर चरणबद्ध रूप में हटाया गया है।

ड) ढांचागत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एस.एफ.एम.एस.) के माध्यम से बैंक गारंटी की ऑनलाइन पुष्टि।

त) एकीकृत ईंधन प्रबंधन प्रणाली को वृहद खदानों (मेगा खानों) में प्रारंभ करना प्रक्रियाधीन है।

थ) सी.सी.टी.वी./पी.टी.जेड. कैमरा सभी क्षेत्रों में कोयला ढेर/कोयला स्टॉक में उपलब्ध कराया जा रहा है।

द) ओ.आई.टी.डी.एस. प्रणाली को वृहद क्षेत्र (मेगा एरिया) में लगाया गया है जो जीपीएस प्रणाली के उपयोग से एचईएमएम की प्रभावी उपयोगिता व अधिभार निष्कासन के संचालन में सहायक है।

ध) कोल इंडिया की अनुकूलित ईआरपी अर्थात कोल नेट और ई-ऑफिस को लागू किया गया है।

25.5 सतर्कता मशीनरी को सक्रिय करने के लिए उठाए गए कदम

मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता विभाग के प्रमुख हैं, जिनका महाप्रबंधक (सतर्कता) और विभिन्न विशिष्ट शाखाओं जैसे खनन, सामग्री प्रबंधन, उत्खनन, ईएंडएम, ईएंडटी, सिविल, वित्त, सर्वेक्षण और विपणन व विक्रय विभाग के अन्य अनुभवी अधिकारी सहयोग करते है। सतर्कता विभाग की गतिविधियाँ मुख्य रूप से निवारक व सहभागी सतर्कता तथा सभी स्टेक-होल्डरों के मध्य सतर्कता जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

सतर्कता विभाग का उद्देश्य निष्पक्ष व पारदर्शी प्रणाली, प्रबंधन प्रक्रियाओं और भ्रष्टाचार मुक्त स्वशासन को बनाए रखना है। सतर्कता विभाग कंपनी में भ्रष्टाचार और अन्य कदाचार की जोखिम को नियंत्रित करने के लिए प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाने पर भी केंद्रित है।

26.0 सुरक्षा

कंपनी की परिसम्पत्तियों एवं सम्पत्तियों की रक्षा करने के लिए, एसईसीएल के सुरक्षा कार्यबल में विभागीय सुरक्षा कर्मी, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य से होमगार्ड तथा महानिदेशक पुनर्वास (डीजीआर), रक्षा मंत्रालय प्रायोजित सुरक्षा एजेंसी द्वारा नियोजित भूतपूर्व सैनिक/असैनिक प्रहरी शामिल हैं।

सीआईएसएफ को गेवरा, दीपका, कुसमुंडा एवं रायगढ़ क्षेत्र (गारे-पेलमा) की परियोजनाओं तथा एसईसीएल के 18-मुख्य एक्सप्लोसिव मैगजीन में नियोजित किया गया है। सीआईएसएफ को शेष 03-मुख्य एक्सप्लोसिव मैगजीन में अक्टूबर, 2020 तक नियोजित कर लिए जाने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, अतिरिक्त 60 होम-गार्ड को छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित एसईसीएल के क्षेत्रों में तैनात किया गया हैं तथा 250-एसआईएसएफ कर्मियों को मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित एसईसीएल के क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है। एमडीआई, बिलासपुर के तत्वावधान में सीईटीई, गेवरा से 33 नए शामिल विभागीय सुरक्षा कर्मियों को अस्त्र-शस्त्र (वैपन) का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया गया।

सुरक्षा कर्मी अपने नियमित स्वरूप के सुरक्षा कार्यो के साथ-साथ अन्य कार्यकलापों में भी शामिल हुए। विभागीय सुरक्षा कर्मी व महिला सुरक्षा प्रहरी सहित डीएवी स्कूल, वसंत विहार के जूनियर विंग के उत्साही एनसीसी बालक एवं बालिकाओं ने स्वतंत्रता दिवस 2019 एवं गणतंत्र-दिवस 2020 के सुअवसर पर बैण्ड की देशभक्ति धुन पर बेहतर परेड प्रदर्शित किए, जिसके द्वारा उच्च मनोबल, प्रेरणा एवं अनुशासन प्रदर्शित हुआ।

27.0 जनसम्पर्क

एसईसीएल, कंपनी के जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में आधिकारिक समाचार को विज्ञप्ति के तौर पर प्रसारित करते हुए हितधारकों के साथ संवाद करती है।

कंपनी सूचना साझा करने व सामान्य प्रतिक्रिया के लिए फेसबुक के माध्यम से सोसल मीडिया में भी सक्रिय है। फेसबुक पर कंपनी का पेज (https://www.facebook.com/southeasterncoalfields/#) में देखा जा सकता है।

कंपनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ सूचना को तीव्र व तत्काल साझा करने के उद्देश्य से ट्वीटर पर भी सक्रिय है । कंपनी का ट्वीटर @secl_cil पर हैण्डल होता है।

28.0 ई-प्रोक्योरमेंट

- एसईसीएल में, सामग्रियों एवं सेवाओं (सर्विसेस) हेतु ई-प्रोक्योरमेंट की शुरूआत क्रमशः दिनांक 01.01.2014 एवं 01.04.2015 से रू. 2.00 लाख से अधिक की सभी निविदाओं के लिए किया गया। ई-प्रोक्योरमेंट कोल इंडिया लिमिटेड के स्वयं के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल www.coalindiatenders.gov.in द्वारा निष्पादित किये जाते है, जिसे एनआईसी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ।
- लिमिटेड टेंडर भी इस प्रावधान के साथ पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाते हैं कि सभी बोलीकर्ता जो पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हैं, और जिनके नाम एनआईटी में प्रकाशित नहीं होते हैं, उन्हें दर उद्धृत करने की अनुमति दी जाती है ।
- रिवर्स ई-बिडिंग की शुरूआत रू. 50-लाख ़से ऊपर की सभी निविदाओं में किया गया है ।

- समग्र क्रय प्रक्रियाओं में, बोलीकर्ता का नाम एवं बोली की संख्या तब तक गोपनीय रखी जाती है, जब तक कि निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया में न्यूनतम मानवीय दखल-हस्तक्षेप के साथ सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप में एल-1 घोषित नहीं हो जाता ।
- उपर्युक्त के साथ ही, रिवर्स नीलामी के माध्यम से उच्च मूल्य के एचईएमएम की खरीदी अब दो बोली प्रणाली में होगी,जिसके द्वारा अब पहले दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा जो तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से योग्य पाए जाएंगे, केवल उन प्रतिष्ठानों की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी। यह प्रणाली जीएफआर के नियम 152 के अनुपालन में है तथा यह वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की सामग्री की खरीदी के लिए ड्राफ्ट-मैनुअल के अनुरूप है। इस सिस्टम में भी, बोलीकर्ताओं द्वारा दी गई कीमत/मूल्य को गुप्त रखते हुए टेक्रो-कामर्शियली स्वीकार्य बोलीकर्ताओं के मध्य रिवर्स नीलामी की जाएगी ।

28.1 ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल एवं इंटीग्रिटी पेक्ट के साथ एमओयू

एसईसीएल ऐसा पहला संस्थान है जिसने ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन (मेमोरंडम ऑफ अंडर-स्टेंडिंग) हस्ताक्षरित किया है। यह निकाय बर्लिन आधारित ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल का भारतीय चेप्टर है जो एक गैर-शासकीय संस्थान है, और यह किसी लाभ के उद्देश्य के लिए काम नहीं करती है । यह संस्थान किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है ।

ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ एमओयू हस्ताक्षर होने के फलस्वरूप, इंटीग्रिटी पेक्ट को क्रियान्वित किया गया है - (1) रू. 2.00 करोड़ व अधिक के अनुमानित मूल्य वाले प्रोक्योरमेंट टेंडर एवं अन्य संविदाओं से संबंधित रू. 1.00 करोड़ व अधिक और (2) रू. 5.00 करोड़ व अधिक अनुमानित मूल्य की सर्विस कांट्रेक्ट निविदाएं । सीवीसी द्वारा परिचालित स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी) के अनुसार इंटीग्रिटी पेक्ट के अधीन आने वाले निविदाओं को मानिटर करने के लिये स्वतंत्र बाह्य मानिटर्स (आईईएम) की भी नियुक्ति की गई है ।

28.2 जीईएम (सरकारी ई-मार्केट प्लेस)

सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अपेक्षित सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाईन खरीदी की सुविधा प्रदान करता है । जीईएम का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है । यह सरकारी उपयोगकर्ताओं को उनकी राशि का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए सुविधा सम्पन्न बनाने हेतु ई-बोली, रिवर्स ई-नीलामी और डिमांड एग्रीगेशन के साधन प्रदान करता है । वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य वित्तीय नियम, 2017 में नया नियम संख्या 149 जोड़कर जीईएम के माध्यम से खरीद हेतु सरकारी उपयोगकर्ता अधिकृत किये गये है और इसे अनिवार्य किया गया है ।

तदनुसार, कोल इंडिया ने आदेश जारी कर जीईएम पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सामग्रियों की खरीद के लिए नीति तैयार की है । जीईएम से विभिन्न सामग्रियों की खरीद के लिए जीईएम द्वारा मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) मुहैया कराई गई है, जो कार्यान्वयन के अधीन है ।

एसईसीएल मुख्यालय के सभी विभागों और क्षेत्रों को जीईएम पोर्टल पर सेकेण्डरी उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत किया गया है, जिसमें नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा यथा-अनुशंसित भूमिका (अर्थात खरीददार, परेषिती आदि) निर्धारित किए गए हैं। जीईएम पोर्टल पर उपलब्धता के लिए उपयोगकर्ता विभाग द्वारा सभी अपेक्षाओं को अनिवार्य रूप से चेक किया जाता है और यदि पंजीकृत उत्पाद जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध अपेक्षित तकनीकी विनिर्देशों को पूरा करते हैं तो आवश्यकताओं/अपेक्षाओं को जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद द्वारा पूरा किया जाना है।

28.3 मेक इन इंडिया की पहल

उद्योग नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने कार्यालय आदेश संख्या पी-45021/2/2017-बीई-II दिनांक 15.06.2017 के माध्यम से ''मेक इन इंडिया'' को प्रोत्साहित करने और आय व रोजगार बढ़ाए जाने को ध्यान में रखकर भारत में वस्तु एवं सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तथा भागीदारी, स्थानीय कम्पनियों के साथ सहयोग, भारत में उत्पादन इकाइयों की स्थापना या भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से सेवाओं व प्रशिक्षण में स्थानीय कर्मचारियों की भागीदारी में वृद्धि करने, जहां सामग्री (कंटेट) में वृद्धि हो सकती है, सार्वजनिक खरीद (भारत में बनाने की प्राथमिकता) आदेश, 2017 संसूचित किया है ।

कोल इंडिया में इसके कार्यान्वयन के लिए दिनांक 16.03.2018 को सीआईएल, कोलकाता द्वारा इसे संसूचित किया गया है और तदनुसार, इसे एसईसीएल में भारत सरकार के उपर्युक्त कार्यालय आदेश द्वारा परिभाषित केटेगरी के अधीन आने वाले बोलीदाताओं को नीति का लाभ देने के लिए एनआईटी दस्तावेजों में प्रावधानों को शामिल करके क्रियान्वित किया गया है ।

28.4 स्टार्ट-अप/एमएसई के लिए मानदण्डों की छूट/रियायत

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की खरीद नीति अनुभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या- एफ-20/2/2014-पीपीडी (पीटी) दिनांक 25.07.2016 के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में स्टार्ट-अप/एमएसई शिथिलता के संबंध में पूर्व कारोबार (टर्न ओवर) और पूर्व अनुभव के लिए पात्रता मानदण्ड में छूट के लिए दिशानिर्देश संसूचित किये गये है। कोल इंडिया में कार्यान्वयन के लिए दिनांक 16.03.2018 को सीआईएल, कोलकाता द्वारा इसे संसूचित किया गया है जिसे भारत सरकार के उपर्युक्त दर्शित कार्यालय आदेश में यथा-निर्दिष्ट केटेगरी के अधीन आने वाले बोलीदाताओं को नीति

के लाभ को विस्तारित करने के लिए एनआईटी दस्तावेजों में प्रावधानों को शामिल करके एसईसीएल में अपनाया गया है । ''मेक इन इंडिया'' और ''स्टार्ट-अप/एमएसई के लिए मानदण्डों की छूट'' के साथ ''जीईएम के माध्यम से खरीद'' निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से गुणवत्तायुक्त सामग्रियों की आपूर्ति की दिशा में देश में उद्यमिता के विकास में कारगर हो सकता है ।

29.0 सूचना का अधिकार (आरटीआई) :

हमारी कंपनी ने सूचना प्राप्त करने में नागरिकों की सहायता और सुविधा के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त अनुरोधों के निपटान के लिए पूरे संगठन में एक विस्तृत तंत्र स्थापित किया है। विस्तृत दिशानिर्देशों को एसईसीएल वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें पहली अपील दायर करने तथा अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया विस्तारपूर्वक समझाई गई है।

अधिनियम की धारा 4(1) (बी) के अनुरूप, एसईसीएल के वेबसाईट पर विभिन्न स्वरूप की सूचनाओं को प्रसारित करते हुए अग्रसक्रिय प्रकटीकरण किये गये है। ताकि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए अधिनियम का कम से कम सहारा लेने की आवश्यकता पड़े ।

एसईसीएल में, प्रत्येक क्षेत्र में आरटीआई आवेदनों पर और अधिक पारदर्शी, दक्षतापूर्ण एवं व्यवस्थित रूप में कार्यवाही करने के लिए उनके सीपीआईओ एवं अपीलीय अधिकारी हैं। सीपीआईओ एवं अन्य पणधारकों को अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के माध्यम से उनके दायित्वों के बारे में सुग्राही बनाया गया है। भारतीय नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने और अधिनियम के तहत पहली अपील दाखिल करने के लिए एक ''आनलाईन पोर्टल'' शुरू की गई है। यह पोर्टल डीओपीटी के नेशनल पोर्टल से जुड़ा हुआ है। अधिनियम के अधीन दायित्वों को सुग्राही बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष एसईसीएल मुख्यालय में 02 (दो) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

वर्ष 2019-20 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन मांगी गई जानकारी एवं इसके निपटान का आंकड़ा नीचे दर्शाया गया है ।

स.क्रं.	विवरण	संख्या
1	वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या	3020
2	वर्ष 2019-20 के दौरान निपटान के लिए लंबित आवेदनों की संख्या, जो मार्च, 2020 में प्राप्त हुए।	272
3	वर्ष 2019-20 में निपटाए जाने वाले आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या	3292
4	वर्ष 2019-20 के दौरान निपटाए गए आवेदनों की कुल संख्या	3036
5	31 मार्च, 2020 को उत्तर देने के लिये प्रक्रियाधीन आवेदनों की संख्या	256

30.0 आईएसओ प्रमाणीकरण/मान्यता प्राप्त :

सेंट्रल ईएंडएम वर्कशाप, कोरबा एवं केन्द्रीय उत्खनन वर्कशाप, गेवरा को सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल (यूके) द्वारा आईएसओ 14001:2004 प्रमाणीकरण तथा ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाणीकरण के साथ मान्यता प्रदान की गई।

31.0 अवार्ड और सम्मान :

एसईसीएल ने हमेशा रिकार्ड तोड़ कार्य-निष्पादन दर्ज किया है, जो उत्कृष्ट कार्य संस्कृति और अपने कर्मचारियों के सामुहिक रूप से समर्पित कार्यों के कारण ही संभव हो पाया है । पिछले वर्षों की प्रवृत्ति के अनुरूप, कम्पनी एवं इनके शीर्ष प्रबंधकीय अधिकारियों ने वर्ष 2019-20 में अनेकों पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किएं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

एसईसीएल को सीएसआर पर प्राप्त हुआ कार्पोरेट अवार्ड

एसईसीएल को प्राप्त हुआ आर एंड आर अवार्ड

32.0 आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य :

आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य का मुख्य उद्देश्य दक्षता, प्रभावकारिता, प्रभावी आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन, राजस्व का प्लग लीकेज, कंपनी हित के विरूद्ध या अधिकार से परे कार्य एवं मामले, अत्यधिक व्यय की जांच सुनिश्चित करना है। मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, 15 (पन्द्रह) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्मों को वर्ष 2017-18 में नियुक्त किया गया, एवं तत्पश्चात 2018-19 एवं 2019-20 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए नवीनीकृत किया गया । इन 15-फर्मों का चयन एसईसीएल बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठक में आयोजित उनके प्रोफाईल के मूल्यांकन तथा प्रस्तुति/साक्षात्कार के आधार पर किया गया। आंतरिक लेखा परीक्षक मासिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तथा रिपोर्टों के आधार पर, जहां भी आवश्यक हुआ, प्रबंधन द्वारा समुचित व सुधारात्मक कार्यवाही की गई। आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को लेखा परीक्षा समिति के समक्ष समीक्षा एवं कृत-कार्रवाई पर आवश्यक फीडबेक के लिए प्रस्तुत किया गया ।

आंतरिक लेखा परीक्षक फर्म जिसने वर्ष 2019-20 के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य निष्पादित किया, का विवरण नीचे दर्शित है-

स.क्रं.	क्षेत्रों का नाम	आंतरिक लेखा परीक्षक (वित्तीय वर्ष 2019-20)
1	एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर	मेसर्स के.जी. सोमानी एंड कं.,सीए (इंटरनल आडिटर-कम-लीड आडिटर)
2	गेवरा क्षेत्र	मेसर्स हेम संदीप एंड कं., सीए
3	दीपका क्षेत्र	मेसर्स विनोद सिंघल एंड कं., सीए
4	कुसमुंडा क्षेत्र	मेसर्स एल.सी. कैलाश एंड एसोसिएट्स, सीए
5	रायगढ़ क्षेत्र	मेसर्स गुप्ता नायर एंड कं., सीए
6	कोरबा क्षेत्र	मेसर्स राज हर गोपाल एंड कं.,सीए
7	सोहागपुर क्षेत्र	मेसर्स गौर एंड एसोसिएट्स, सीए
8	भटगांव क्षेत्र	मेसर्स नवीन उपाध्याय एंड एसो.,सीए
9	हसदेव क्षेत्र	मेसर्स व्ही.के. वर्मा एंड कं.,सीए
10	बिश्रामपुर क्षेत्र	मेसर्स एस. गुहा एंड एसोसिएट्स, सीए
11	चिरिमिरी क्षेत्र	मेसर्स दत्ता सरकार एंड कं., सीए
12	सीएस-सीडब्लूएस कोरबा, सीईडब्लूएस, गेवरा, केएसओ, डीसीसी	मेसर्स जे. जैन एंड कंपनी, सीए
13	जमुना-कोतमा क्षेत्र	मेसर्स एस.पी.जे.व्ही. एंड कं., सीए
14	बैकुंठपुर क्षेत्र	मेसर्स जे.के. सरवगी एंड कं., सीए
15	जोहिला क्षेत्र	मेसर्स दासानी एंड एसोसिएट्स, सीए

आंतरिक अंकेक्षण विभाग ''संव्यवहार लेखा परीक्षा'' तथा एसईसीएल मुख्यालय के विभिन्न विभागों व विभिन्न क्षेत्रों में सी.एंड ए.जी. द्वारा किए गए ''विषयगत लेखा परीक्षा'' तथा उत्तर के प्रस्तुतीकरण सहित समय-समय पर लेखा परीक्षा पैरा की व्यवस्था के लिए समन्वय भी करता है । विभिन्न आंचलिक स्टोर्स और यूनिट स्टोर्स में रखे स्टोर व स्पेयर्स की प्रत्यक्ष जांच के लिए, 23 लेखा परीक्षा फर्मों की नियुक्ति की गई ।

33.0 साविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट :

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी की वित्तीय विवरणी पर सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट व प्रबंधन का उत्तर वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र संलग्न है ।

34.0 सीएजी की टिप्पणियां :

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखा पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां भी वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न है।

35.0 अंशधारकों को सूचना

कंपनी की वार्षिक लेखा एवं संबंधित विस्तृत सूचना नियंत्रक कम्पनी, कोल इंडिया सहित सभी अंशधारकों के लिए उपलब्ध रहेगी। कोई भी अंशधारक किसी भी समय ऐसी कोई सूचना चाहते हैं, तो वे कार्यालयीन कार्य-दिवस में कार्य-अवधि के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ - 495 006 में इसका निरीक्षण/अवलोकन कर सकते हैं ।

36.0 लागत लेखा परीक्षा

लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए लागत लेखा परीक्षकों के रूप में 4-लागत लेखाकार प्रतिष्ठानों की नियुक्ति का प्रस्ताव केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कर तदनुसार उनकी नियुक्त की गई।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 सह-पठित कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं0-15/2011 दिनांक 11.04.2011 के अधीन यथा-अपेक्षित लागत लेखा परीक्षकों का विवरण नीचे दिया गया है :

1. मेसर्स नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी (एफआरएन 000042), 3-6-365, 104 एवं 105, पवानी इस्टेट,वाय.वी. राव मेनसन, हिमायत नगर, हैदराबाद (तेलंगाना) -500 029
2. मेसर्स एन.डी. बिरला एंड कंपनी (एफआरएन 000028), ए/3, निरंत अपार्टमेंट, टाउन हाल के सामने, कर्णावती हास्पिटल के पास, इलिस बृज, अहमदाबाद (गुजरात)-380 006
3. मेसर्स आर.एस. तिवारी एंड कंपनी (एफआरएन 000260),ए-3, नेहरू नगर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)-495 001
4. मेसर्स एसडीके एंड एसोसिएट्स (एफआरएन 000507), 33ए/1, कालीदास पातीतुंडी लेन, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)-700 026

वर्ष 2018-19 की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट को जमा करने की नियत तारीख के अंदर दिनांक 16.12.2019 को एक्सबीआरएल माध्यम द्वारा जमा किया गया । वर्ष 2019-20 की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे अनुसूची के अनुसार प्रस्तुत-जमा कर दिया जाएगा।

37.0 सचिविक लेखा परीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) एवं कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम-9 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कम्पनी की सचिविक लेखा परीक्षा मेसर्स डी हनुमंथा राजु एंड कम्पनी, कार्यरत कम्पनी सचिव, हैदराबाद द्वारा किया गया। सचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट में **(अनुलग्नक-III)** के रूप में संलग्नित है ।

38.0 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एफ) के अधीन लेखा परीक्षकों और कार्यरत कम्पनी सचिव द्वारा उनकी रिपोर्ट में दी गई शर्तें (क्वालिफिकेशन), रोक (रिजर्वेशन) या प्रतिकूल टिप्पणी या खण्डन पर स्पष्टीकरण या टिप्पणियां

सचिविक लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.06.2020 में कुछ टिप्पणी दी है । निदेशक मण्डल ने दिनांक 11.08.2020 को अपनी 302–वीं बैठक में सचिविक लेखा परीक्षक की टिप्पणी पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया तथा निम्नानुसार टिप्पणी दी:

स.कं.	टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
1	अधिनियम की धारा 149 सहपठित उसके अधीन बनाए गए प्रासंगिक नियमों के तहत यथा–अपेक्षित कंपनी द्वारा बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति किया जाना है।	समय–समय पर एसईसीएल के बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति करने हेतु कोयला मंत्रालय (एमओसी) को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है। तथापि, अभी नियुक्ति अपेक्षित है।
2	अधिनियम की धारा 149 के अधीन यथा–अपेक्षित कम्पनी में दिनांक 17.11.2019 से पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं है।	वर्तमान में, दिनांक 17.11.2019 से तीन स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने पर एसईसीएल के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है तथा जिस हेतु कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा नियुक्ति अपेक्षित है ।
3	अधिनियम की धारा 177 के अनुसार दिनांक 17.11.2019 से लेखा परीक्षा समिति का संयोजन नहीं है ।	अधिनियम की धारा 177 के अनुसार दिनांक 17.11.2019 से लेखा परीक्षा समिति का संयोजन नहीं है । इसका मुख्य कारण यह है कि दिनांक 17.11.2019 से एसईसीएल के बोर्ड में तीन स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। स्वतंत्र निदेशकों की नई नियुक्ति कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा अपेक्षित है । वर्तमान में एसईसीएल के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है, जो लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष है ।

39.0 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अधीन अनुषंगी कम्पनियों के वित्तीय विवरणी के मुख्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के प्रावधानों के अधीन अनुषंगी कम्पनियों के वित्तीय विवरण के मुख्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के विवरण को कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसरण में, फार्म एओसी-1 में कम्पनी के वित्तीय विवरण के साथ संलग्न किया गया है। अनुषंगी कम्पनियों का वार्षिक लेखा, कम्पनी सचिव, एसईसीएल के पास उपलब्ध है तथा जिसका किसी भी अंशधारक द्वारा पंजीकृत कार्यालय में कार्यालयीन कार्य-दिवसों के दौरान निरीक्षण कर अवलोकन किया जा सकता है ।

40.0 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अधीन ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण और फॉरेक्स अर्जन एवं व्यय के संबंध में सूचना :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) सह-पठित कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के प्रावधानों के अनुसरण में ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण एवं विदेशी विनिमय अर्जन एवं व्यय के संबंध में सूचना इस रिपोर्ट **(अनुलग्नक-IV)** में दी गयी है ।

41.0 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एन) के अधीन कम्पनी की जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन व विकास विषयक सूचना :

नियंत्रक कम्पनी, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा एसईसीएल सहित उनकी सभी अनुषंगी कम्पनियों के लिए कम्पनी की उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति सूत्रबद्ध की गई, तथा जोखिम प्रबंधन चार्टर भी तैयार किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 15.01.2019 को अपनी 377-वीं बैठक में सीआईएल (उद्यम जोखिम प्रबंधन, ईआरएम फेस-।।) में जोखिम प्रबंधन ढांचा अनुमोदित किया। एसईसीएल में एक सुस्पष्ट ईआरएम संगठन स्थापित है। एसईसीएल में जोखिम रजिस्टर भी विद्यमान है। कुल 37-जोखिम घटनाओं की पहचान कर उसे जोखिम रेटिंग के आधार पर प्राथमिकता दी गई है। जिसमें से शीर्ष 04-जोखिम घटनाएं उच्च सतर्कता वाले हैं तथा कंपनी ने व्यावसायिक पैरामीटर जैसे उत्पादन, ऑफटेक इत्यादि को अर्जित करने में संभावित जोखिमों का शमन करने/कम करने के लिए बहुत सावधानी बरती है । सर्वाधिक जोखिम वाले 04-घटनाएं नीचे दर्शित है तथा इन जोखिम घटनाओं के प्रभाव को कम करने/शमन करने के लिए निरंतर योजना बनाए जाने की आवश्यकता है ।

जोखिम संख्या	केटेगरी	सब-केटेगरी	विभाग	जोखिम का शीर्षक	जोखिम घटना
1	संचालन	पर्यावरणीय	पर्यावरण	वानिकी अनुमति मिलने में विलम्ब	किसी भी खनन परियोजनाओं के संचालन हेतु, एफसी-अनुमति अनिवार्य होती है। हालाकि, एफसी-अनुमति लेने में 2-वर्ष से अधिक समय लगता है। इससे उत्पादन को तेजी से बढ़ाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।
2	संचालन	पर्यावरणीय	पर्यावरण	पर्यावरण अनुमति मिलने में विलम्ब	ईसी अनुमति, एफसी अनुमति पर निर्भर करती है,इससे नई खदानों के संचालन में अनियमित विलम्ब की वजह से काफी विलम्ब होता है।
3	परियोजना	भू एवं राजस्व	भू एवं राजस्व	भूमि खाली करने के प्रति लैण्ड लूजर की अनिच्छा के कारण परियोजना में विलम्ब	कुछ मामलों में, एसईसीएल केवल भूमि का एक हिस्सा ही अधिग्रहण कर पाता है। लैंड लूजर तब तक पुनर्वास के इच्छुक नहीं होते हैं, जब तक कि पूरी भूमि का मुआवजा प्राप्त न कर लें ।
4	संचालन	सप्लाई चैन एवं लॉजिस्टिक्स	विक्रय एवं विपणन	कोयला निकासी के लिए रेलवे पर अत्यधिक निर्भरता	कोयला परिवहन के लिए रेलवे पर एसईसीएल की अत्यधिक निर्भरता एसईसीएल के राजस्व एवं लाभदायिकता को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि कंपनी का कार्य निष्पादन कोयले की निकासी के लिए पर्याप्त नेटवर्क स्थापित करने हेतु रेलवे पर निर्भर है ।

42.0 भविष्य में कम्पनी के संचालन एवं गोईंग कंसर्न स्टेटस में समाघात करने वाले नियामक या न्यायालय या ट्रिबूनल द्वारा पारित महत्वपूर्ण व वस्तुगत व्यवस्था-आदेश के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (क्यू) सहपठित कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (5) (VII) के अधीन सूचना :

नियामक या न्यायालय या ट्रिबूनल द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण व वस्तुगत आदेश पारित नहीं किया गया है, जो भविष्य में गोईंग कंसर्न स्टेटस में समाघात कर सके।

43.0 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सहपठित कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति व पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अधीन कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सहपठित कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (2) के अनुसार, एमसीए द्वारा उनके पत्र सं.-जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के तहत सूचना देना कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

44.0 निदेशक मण्डल

44.1 31.03.2020 को कम्पनी के निदेशक-मण्डल की स्थिति नीचे दर्शित है-

स.क्रं.	नाम	पदनाम	केटेगरी/पदनाम
01	श्री ए.पी. पण्डा	सदस्य	पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
02	डा .आर.एस. झा	सदस्य	पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक/निदेशक (कार्मिक)
03[i]	श्री आर. के निगम	सदस्य	पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक/निदेशक (तकनीकी) संचालन
04[i]	श्री कुलदीप प्रसाद	सदस्य	पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक/निदेशक (तकनीकी) संचालन
04[ii]	श्री एम.के. प्रसाद	सदस्य	पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक/निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना
05[ii]	श्री आर. के निगम	सदस्य	पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक/निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना
05[iii]	श्री एस.एम. चौधरी	सदस्य	पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक/निदेशक (वित्त)
06[iii]	श्री एन.के. अगरवाला	सदस्य	पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक/निदेशक (वित्त)
07[iv]	श्री संजीव सोनी	सदस्य	पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक/निदेशक (वित्त)
8[v]	श्री राजेश कुमार सिन्हा, आईएएस	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक/संयुक्त सचिव,कोयला मंत्रालय
9[v]	श्री आशीष उपाध्याय, आईएएस		सरकार द्वारा नामित निदेशक/संयुक्त सचिव,कोयला मंत्रालय
10[vi]	श्री संजीव सोनी	सदस्य	सरकार नामित निदेशक/निदेशक (वित्त), सीआईएल
11[vi]	श्री एस.एन. प्रसाद	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक/निदेशक (विपणन),सीआईएल
12[vii]	सीए श्री एस.के.देशपाण्डे	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक/अधिकृत लेखाकार
13[viii]	डा. सुनील कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
14[viii]	डा. बी.एस. सहाय	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
15[viii]	श्री विनोद जैन	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
16[ix]	-------	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
17[ix]	-------	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
18[ix]	-------	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
19[x]	श्री छत्रसाल सिंह	स्थाई आमंत्रित	आमंत्रित/प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
20[x]	श्री पी.के. जेना	स्थाई आमंत्रित	आमंत्रित/प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

टिप्पणी :

1. श्री आर.के. निगम ने दिनांक 01.05.2019 से निदेशक (तकनीकी) संचालन का प्रभार, श्री कुलदीप प्रसाद जो दिनांक 30.04.2019 को अधिवर्षिता की आयु को प्राप्त करने के उपरांत प्रभार त्याग दिए, के स्थान पर, ग्रहण किया ।
2. श्री एम.के. प्रसाद ने निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना का प्रभार, श्री आर.के. निगम जो दिनांक 18.06.2019 से निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना का प्रभार त्याग दिए, 18.06.2019 को ग्रहण किया।
3. श्री एस.एम. चौधरी ने श्री एन.के. अगरवाला जो वर्ष के दौरान 16.08.2019 से 11.10.2019 तक निदेशक (वित्त) थे, के स्थान पर दिनांक 12.10.2019 से निदेशक (वित्त) का प्रभार ग्रहण किया ।
4. श्री संजीव सोनी वर्ष के दौरान दिनांक 04.04.2019 से 10.07.2019 तक निदेशक (वित्त) रहे ।
5. श्री आर.के. सिन्हा, आईएएस, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय (एमओसी) की नियुक्ति श्री आशीष उपाध्याय जो दिनांक 29.11.2019 से प्रभार त्याग दिये, के स्थान पर दिनांक 29.11.2019 से सरकार नामित निदेशक के पद पर हुई ।
6. श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त),सीआईएल की नियुक्ति श्री एस.एन. प्रसाद, निदेशक (विपणन), सीआईएल जो दिनांक 29.10.2019 से प्रभार त्याग दिये, के स्थान पर दिनांक 29.10.2019 से सरकार नामित निदेशक के पद पर हुई ।
7. सीए श्री एस.के.देशपाण्डे की एसईसीएल बोर्ड में नियुक्ति कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.07.2019 से स्वतंत्र निदेशक के पद पर हुई।
8. डा. सुनील कुमार, डा. बी.एस. सहाय, सीए श्री विनोद जैन कोयला मंत्रालय द्वारा पुनःर्नियुक्ति का उनका कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत दिनांक 16.11.2019 से प्रभार त्याग दिये ।
9. 03 (तीन) स्वतंत्र निदेशक का पद दिनांक 17.11.2019 से रिक्त है, जिनकी नियुक्ति कोयला मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है ।
10. श्री छत्रसाल सिंह, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की नियुक्ति श्री पी.के. जेना, पूर्व प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के स्थान पर दिनांक 02.03.2020 से मंत्रालय द्वारा बोर्ड में स्थाई आमंत्रित के रूप में की गई ।

44.2 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक/केएमपी के रूप में नियुक्त हुए :

स.क्रं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति तारीख
1	श्री आर.के. सिन्हा,आईएएस	सरकार द्वारा नामित निदेशक/ संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय	29.11.2019
2	श्री संजीव सोनी	सरकार नामित निदेशक/ निदेशक (वित्त) सीआईएल	29.10.2019
3	सीए श्री एस.के. देशपाण्डे	स्वतंत्र निदेशक	25.07.2019
4	श्री आर.के. निगम, निदेशक (तकनीकी) संचालन	पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक	01.05.2019
5	श्री एम.के. प्रसाद, निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना	पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक	18.06.2019
6	श्री एस.एम. चौधरी, निदेशक (वित्त)	पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक	12.10.2019
7	श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त)	पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक	04.04.2019
8	श्री एन.के. अगरवाला, निदेशक (वित्त)	पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक	16.08.2019

44.3 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक/केएमपी से पृथक हुए :

स.क्रं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समाप्ति-तारीख
1	श्री आशीष उपाध्याय	सरकार द्वारा नामित निदेशक/ संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय	29.10.2019
2	श्री एस.एन. प्रसाद	सरकार नामित निदेशक/निदेशक (विपणन),सीआईएल	10.07.2019
3	श्री कुलदीप प्रसाद, निदेशक (तक) संचालन	पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक	30.04.2019
4	श्री आर.के. निगम, निदेशक (तक.) योजना एवं परियोजना	पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक	18.06.2019

स.क्रं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समाप्ति-तारीख
5	श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त)	पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक	10.07.2019
6	श्री एन.के. अगरवाला, निदेशक (वित्त)	पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक	12.10.2019
7	डा. सुनील कुमार	स्वतंत्र निदेशक	16.11.2019
8	डा. बी.एस. सहाय	स्वतंत्र निदेशक	16.11.2019
9	सीए श्री विनोद जैन	स्वतंत्र निदेशक	16.11.2019

44.4 बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 13 (तेरह) बोर्ड की बैठकें हुई । बैठक एवं उपस्थितों का विवरण इस रिपोर्ट में संलग्न "कार्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट' में संलगन है ।

45.0 बोर्ड की समितियां :

कंपनी में निम्नलिखित 08 (आठ) बोर्ड स्तरीय समितियां हैं :

1. लेखा परीक्षा समिति
2. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति
3. जोखिम प्रबंधन समिति
4. निदेशकों की अधिकारिता समिति (ईसीओडी)
5. कार्यकारी निदेशकों की समिति (सीओएफडी)
6. परियोजना उप समिति
7. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) समिति
8. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आर एंड आर) समिति

इस समिति का संविधान, बैठकों एवं उपस्थितियों का विवरण इस रिपोर्ट में संलग्न "कार्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट" में संलग्न है ।

46.0 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के अधीन नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :

कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) ने अपने सभी अनुषिंगयों के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

47.0 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (क्यू) सहपठित कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5) (viii) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में सूचना :

कम्पनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली व प्रक्रिया सुस्थापित है जो उसके व्यवसाय की प्रकृति व आकार के अनुरूप है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावी रूप से कंपनी में संचालित है और समुचित आश्वासन प्रदान करती है कि आंतरिक और बाह्य रिपोर्टिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संगठन की नीतियों, प्रक्रियाओं, कार्यों, व्यवहारों और अन्य पहलुओं को एक साथ लिया गया है और इसके प्रभावी और कुशल संचालन को सुविधाजनक बनाया गया है जो प्रयोज्य कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं ।

एसईसीएल बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक व बाह्य लेखा परीक्षक से समय पर प्रासंगिक, और सटीक जानकारी मांगकर तथा प्रत्यक्ष व चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछकर उनकी निगरानी कर रहा है । बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति की सहायता से कार्यक्षेत्रों में शामिल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन करता है ।

कंपनी के वित्तीय विवरणी पर रिपोर्टिंग करते समय सांविधिक केन्द्रीय/शाखा लेखा परीक्षक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उपयुक्तता व संचालनीय प्रभोवोत्पादकता पर एक अलग और विशिष्ट रिपोर्ट "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 की कंडिका (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट" शीर्षक के रूप में जारी करते हैं। इस रिपोर्ट को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के कंपनी के एकल एवं समेकित लेखा, दोनों में दिया गया है जो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग है ।

48.0 कार्यस्थल में महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, पाबंदी एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन प्रकटीकरण

कम्पनी ने यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का विधिवत गठन किया है। समस्त कर्मचारी (जैसे स्थाई, ठेका, अस्थाई, परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षु तथा अप्रेंटिस) उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन इसमें शामिल हैं ।

वर्ष 2019-20 के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त व निराकृत शिकायतों का विवरण नीचे दर्शित है-

स.क्रं.	विवरण	संख्या
1	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	04
2	वर्ष के दौरान निराकृत शिकायतों की संख्या	04

49.0 कार्पोरेट गवर्नेंस

एसईसीएल प्रबंधन, समस्त अंशधारकों के हितों की सभी स्तरों पर रक्षा करने की जवाबदेहिता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु कार्पोरेट गवर्नेंस की उच्च मानक को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कम्पनी, कम्पनी अधिनियम तथा सूचीबद्ध-करार के अधीन यथा-निर्दिष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तो का अनुपालन करती है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीपीएसई के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशानिर्देश को अधिकतम संभावित सीमा तक अनुपालित किया गया है ।

49.1 कार्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट :

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 'कार्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट'' के संबंध में कार्यरत कम्पनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र शर्तो के अनुपालन की पुष्टि का समर्थन करता है, जो वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है, तथा यह **(अनुलग्नक-V)** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

49.2 प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

सीपीएसई के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की धारा 7.5 के निबंधन में, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के कार्य-संचालन व कार्य-निष्पादन पर ''प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट'' **(अनुलग्नक-VI)** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

49.3 स्वैच्छिक अनुपालन :

एसईसीएल ने कार्पोरेट गवर्नेंस के एक अंग के रूप में कार्यान्वित किए जाने वाले अनिवार्य उपायों के अलावा, व्हीसल ब्लोअर नीति,बोर्ड-सदस्यों व शीर्ष प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचार संहिता व नैतिक नियम, कार्पोरेट गवर्नेंस पर एमसीए के स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों को संभवनीय सीमा तक तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिविक मानक को संभवनीय सीमा तक क्रियान्वित कर पणधारकों के हित के लिए एक कदम आगे बढ़कर काम किया है।

50.0 निदेशकों के उत्तरदायित्वों का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुरूप, बोर्ड अपना उत्तरदायित्व-विवरण एतद् द्वारा प्रस्तुत कर पुष्टि करती है कि :

(क) 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक लेखा तैयार करने में मुख्य व्यवहार (मटेरियल डिपार्चर) से संबंधित प्रयोज्य लेखा मानकों का पालन समुचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और संगत रूप में उसका अनुकूल प्रयोग किया है तथा निर्णय लिया है, ताकि आंकलन करते समय वे समुचित एवं विवेकपूर्ण हो एवं वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्य मामलों की स्थिति एवं समीक्षाधीन वर्ष हेतु कम्पनी के लाभ का सही एवं उचित रूप स्पष्ट हो सके।

(ग) निदेशकों ने कम्पनी के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं बचाव, धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व उनके रोकथाम के लिये कम्पनी अधिनियम के यथा-प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार यथेष्ट लेखा अभिलेखों के रख-रखाव हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानियाँ बरती है।

(घ) निदेशकों ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु ''गोईंग कंसर्न बेसिस'' आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया ।

(ड.) निदेशकों ने सभी प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली विकसित की है,वह प्रणाली पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

51.0 निदेशकों द्वारा सांविधिक प्रकटीकरण

कम्पनी के कोई भी निदेशक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य-अपात्र नहीं हैं। आपके निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं सूचीबद्ध अनुबंध-करार की धारा-49 के विविध प्रावधानों के अधीन यथा-अपेक्षित आवश्यक प्रकटीकरण किए हैं ।

52.0 वर्ष के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों की ईमानदारी, विशेषज्ञता एवं अनुभव (कार्य-दक्षता सहित) के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (क्यू) सह-पठित कम्पनीज (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (5) (IIIA) अधीन निदेशक मण्डल की राय

निदेशक मण्डल का यह विचार है कि श्री एस.के. देशपाण्डे, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कोयला मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान की गई है, के पास व्यावसायिक कार्य/पेशेवर क्षेत्र में लम्बा अनुभव व उच्च स्तर की ईमानदारी और विशेषज्ञता है और उन्होंने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 150 (1) सहपठित कंपनीज (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 6(4) के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स द्वारा आयोजित ऑनलाईन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा भी पास किया है।

53.0 वार्षिक विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) सहपठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के प्रावधानों के अनुसरण में वार्षिक विवरण (फार्म एमजीटी-9 में) का सार कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध है । वेब लिंक नीचे दर्शित हैः

http://secl-cil.in/writereaddata/2019_20_extract_of_anual_retur_eng.pdf

54.0 आभार

आपके निदेशक भारत सरकार विशेषकर कोयला मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, कोल इंडिया लिमिटेड, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार, नियामक एवं सांविधिक प्राधिकारियों से समय-समय पर प्राप्त सहयोग के लिये उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं ।

आपके निदेशक कम्पनी की विविध परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सलाहकारों, विशेषज्ञ एजेंसियों, ठेकेदारों तथा विक्रेताओं के योगदान की भी सराहना करते हैं । आपके निदेशक सभी उपभोक्ताओं के प्रति भी उनके अमूल्य व निरंतर विश्वास के लिए उनकी सराहना करते हैं ।

आपके निदेशक सांविधिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों, सचिविक लेखा परीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) से प्राप्त रचनात्मक सलाह एवं सहयोग व समर्थन के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं ।

आपके निदेशकगण, सभी स्तरों पर कर्मचारियों के प्रयास एवं अमूल्य योगदान व उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन जिससे निरंतर उपलब्धि हासिल हुई, के लिये उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त किये ।

55.0 परिशिष्ट

निम्नलिखित दस्तावेज अनुलग्नक में हैं :

55.1 ''प्रत्येक अनुषंगी, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियों के कार्य-निष्पादन व वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट'' **अनुलग्नक-I** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

55.2 ''निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट'' **अनुलग्नक-II** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

55.3 कम्पनी की ''सचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट'' **अनुलग्नक-III** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

55.4 ''ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण एवं विदेशी विनिमय अर्जन एवं व्यय पर सूचना'' **अनुलग्नक-IV** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

55.5 ''कार्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट'' **अनुलग्नक-V** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

55.6 ''प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट'' **अनुलग्नक-VI** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के
निदेशक मण्डल की ओर से

हस्ता./-	**हस्ता./-**
(आर.के. निगम)	**(ए.पी. पण्डा)**
निदेशक (तकनीकी) संचालन	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08321825	डीआईएन : 06664375

स्थान : बिलासपुर
दिनांक : 11.08.2020

अनुलग्नक-।

प्रत्येक अनुषंगी कंपनी, सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियों की वित्तीय स्थिति एवं कार्य-निष्पादन पर रिपोर्ट

(कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (क्यू) सहपठित कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(1) के अनुसरण में)

एसईसीएल की 02 (दो) अनुषंगी कम्पनियां, अर्थात छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) एवं छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल) दो रेल कॉरिडोर अर्थात ईस्ट कॉरिडोर एवं ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर की स्थापना के लिए, एसईसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के निबंधनों के अनुसार इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी, छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिनिधि) के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में गठित हुई है । एमओयू के अनुसार प्रत्येक कम्पनी में प्रवर्तक कम्पनी का इक्विटी शेयर-होल्डिंग पैटर्न नीचे दर्शित है -

प्रवर्तक कम्पनी का नाम	शेयर होल्डिंग पैटर्न
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	64 प्रतिशत
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन)	26-प्रतिशत
छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी)	राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन का मूल्य या 10% जो भी अधिक हो

प्रत्येक अनुषंगी कम्पनी की वित्तीय स्थिति व कार्य-निष्पादन नीचे दर्शित हैं :

1. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)

(सीआईएनःयू45203सीटी2013जीओआई000729)

छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) दिनांक 12.03.2013 को निगमित हुई। ईस्ट रेल कोरिडोर को रेल मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.12.2013 को ''विशेष रेलवे परियोजना'' का दर्जा प्रदान किया गया। यह रेल कोरिडोर एसईसीएल के माण्ड-रायगढ़ कोलफील्ड्स से कोयला परिवहन की सुविधा के साथ-साथ यात्री सेवाओं के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा। परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 18.01.2014 को सीईआरएल एवं इरकॉन के मध्य परियोजना निष्पादन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए । ईस्ट रेल कोरिडोर दो चरणों में पूरा होने की संभावना है :

चरण-। : खरसिया से धरमजयगढ़ (0 से 74 कि.मी.) और गारे-पेलमा ब्लॉक की खदान को जोड़ने के लिए सहायक लाईन (स्पर) सहित

चरण-।। : धरमजयगढ़ से कोरबा (लगभग 62 कि.मी.)

कार्य-निष्पादन के प्रमुख बिन्दुः

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी की प्रथम चरण की परियोजना के अंतर्गत खरसिया से कोरिछापर (सिंगल लाईन) तक प्रथम 45-कि.मी. का परिचालन माल यातायात के लिए चालू हो गया है। इस खण्ड में सिग्नलिंग एवं टेलीकॉम (एसएंडटी) का कार्य पूरा होने की स्थिति में है । कंपनी ने साउथ ईस्टर्न सेन्ट्रल रेलवे (एसईसीआर) के साथ रियायत-अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार एसईसीआर से राजस्व का अपना अंश (शेयर) प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है ।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंसोर्टियम से रू. 510.76 करोड़ का टर्म लोन प्राप्त किया तथा इस प्रकार 31 मार्च, 2020 तक कुल टर्म लोन रू. 1760.04 करोड़ है। कंपनी ने इक्विटी शेयरों के राईट्स-इशु के द्वारा (सीईआरएल के द्वितीय चरण की परियोजना के लिए रू. 32 करोड़ तथा प्रथम चरण परियोजना के लिए रू. 89.47 करोड़) रू. 121.47 करोड़ की राशि जुटाई है तथा प्रथम चरण परियोजना के लिए प्राप्त शेयर विनियोग राशि के विरूद्ध शेयर जारी किया जाना है ।

इक्विटी इन्फ्यूजन विर्दिष्ट ऋण : इक्विटी अनुपात के अनुपालन में है, जो सीईआरएल की प्रथम चरण की परियोजना को पूरा करने हेतु आगे टर्म ऋण प्राप्त करने तथा सीईआरएल की द्वितीय चरण की परियोजना में प्रारंभ की गई गतिविधियों के लिए देयताओं/देनदारियों से मुक्त करने के लिए इसे समर्थ बनाती है।

31 मार्च, 2020 तक 0-74 कि.मी. में विभिन्न खण्डों के लिए एवं 0-28 कि.मी. स्पर लाईन में बड़े और छोटे पुलों के निर्माण, सड़क मार्ग की तैयारी तथा स्टील गर्डर्स की आपूर्ति, फेब्रिकेशन इरेक्शन, प्रारंभन, और गिट्टी, स्लीपर की आपूर्ति एवं ढेर, तथा रेल डिजाईन, कर्षण उप-केन्द्र की आपूर्ति, इरेक्शन, टेस्टिंग तथा कमीशनिंग, ओएचई कार्य, सिग्नलिंग और दूर-संचार केबल की आपूर्ति, तथा इंडोर व आउटडोर सिग्नलिंग उपस्कर के लिए निविदाएं अवार्ड की जा चुकी है। कोरिछापर से धरमजयगढ़ के मध्य मुख्य लाईन का शेष भाग तथा घरघोड़ा से भालुमुड़ा तक स्पर लाईन में प्रथम ब्लाक खण्ड का कार्य पूरा होने की स्थिति में है।

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियों (माईलस्टोन) का सार नीचे दिया गया है-

प्रथम चरण की परियोजना :

1. कंपनी के प्रथम चरण की परियोजना का खरसिया से कोरिछापर (सिंगल लाईन) तक प्रथम 45-कि.मी. का परिचालन चालू हो गया है। सिग्नलिंग एवं टेलीकॉम (एस एंड टी) कार्य प्रगति पर है ।
2. कंपनी ने रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार एसईसीआर से राजस्व का अपना शेयर प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है ।
3. कंपनी ने एसईसीआर के साथ रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ऑपरेशन एवं अनुरक्षण ठेकेदार के रूप में मेसर्स इरकान इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस लिमिटेड (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) को नियुक्त किया है ।
4. कोरिछापर से धरमजयगढ़ के मध्य मुख्य लाईन का शेष भाग और घरघोड़ा से भालुमुड़ा तक स्पर लाईन में प्रथम ब्लाक खण्ड का कार्य भी पूरा होने की स्थिति में है । भालुमुड़ा से डोंगा-महुआ तक द्वितीय ब्लॉक खण्ड कार्य के संबंध में एलाईनमेंट का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लंबित रखे जाने के कारण रोक दिया गया है ।
5. रू. 3055.15 करोड की कुल परियोजना लागत में से 31.03.2020 तक लगभग रू.2180.00 करोड़ व्यय हुआ ।
6. कोयला निकासी के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेल कनेक्टिविटी की सुविधा हेतु एसईसीएल की खदान सीमा क्षेत्र के अंदर रेल अवसंरचना के साथ तालमेल करते हुए छाल, बारोद एवं दुर्गापुर फीडर लाईन के संरेखण (एलाईनमेंट) कार्य को अंतिम रूप दिया जा चुका है। छाल, बारौद एवं दुर्गापुर फीडर लाईनों के लिए भूमि के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। फीडर लाईन के लिए भूमि अधिग्रहण व वन अनुमति प्रारंभिक स्थिति में है ।
7. भूमि अधिग्रहण, वन अनुमति से संबंधित कतिपय कार्यकलाप एवं निर्माण कार्यकलापों को कोविड-19 महामारी के प्रभाव की वजह से देश में लॉकडाउन लागू करने तथा रोकथाम के उपायों के कारण रोकना पड़ा ।

द्वितीय चरण की परियोजना :

1. लगभग 61.533 कि.मी. (मार्ग किलोमीटर) की धरमजयगढ़ से कोरबा तक की द्वितीय चरण की परियोजना, उरगा सिंगल लाईन में 9.073 कि.मी. फ्लाई ओवर, 6.कि.मी. वाय कनेक्शन 135.30 कि.मी. लम्बाई के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सीईआरएल, एसईसीएल तथा सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई, जिसकी कुल परियोजना लागत रू. 1686.22 करोड़ है। डीपीआर 80:20 की ऋण-इक्विटी अनुपात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। परियोजना के निर्दिष्ट समय सीमा में पूरा होने की संभावना है ।
2. रेल मंत्रालय (एमओआर) ने धरमजयगढ़ से कोरबा तक परियोजना के बैंक की क्षमता को स्थापित करने के लिए आवधिक समीक्षा की शर्त पर प्रथम पांच वर्षों की वाणिज्यिक संचालन हेतु 60-प्रतिशत की इनफ्लेटेड माईलेज का अनुमोदन प्रदान किया है ।
3. धरमजयगढ़ से कोरबा तक द्वितीय चरण की परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सर्वेक्षण, सत्यापन एवं संबंधित कार्यकलापों का कार्य पूर्ण हो चुका है । परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण एवं वन अनुमति का कार्य प्रारंभिक स्थिति में है ।
4. रू. 32.00 करोड़ की इक्विटी को परियोजना के लिए अनुप्राणित (इनफ्यूज्ड) किया गया है ।
5. भूमि अधिग्रहण, वन अनुमति से संबंधित कतिपय कार्यकलापों को कोविड-19 महामारी के प्रभाव की वजह से देश में रोकथाम के उपायों एवं लागू लॉकडाउन के कारण रोकना पड़ा है ।

वित्तीय स्थिति :

पूंजीगत ढांचा :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अधिकृत पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तथा कंपनी की प्रदत्त पूंजी व अभिदत्त पूंजी दिनांक 06.01.2020 को राईट बेसिस पर एसईसीएल में कंपनी का प्रत्येक रू. 10/- का 3,20,00,000-नग इक्विटी शेयरों के राईट इशु के माध्यम से रू. 441 करोड़ से बढ़कर रू. 473 करोड़ हो गई। शेयर पूर्णतः अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त हैं। प्रवर्तक कम्पनियों का इक्विटी शेयरहोल्डिंग पैटर्न नीचे दिया गया है -

कम्पनी का नाम	31.03.2020 को शेयरहोल्डिंग पैटर्न	31.03.2019 को शेयरहोल्डिंग पैटर्न
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	70.56%	68.42%
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	25.91%	27.79%
सीएसआईडीसीएल(छत्तीसगढ़ शासन की प्रतिनिधि)	3.53%	3.79%
कुल	**100%**	**100%**

***टिप्पणी** - एसईसीएल से राईट-इशु के विरूद्ध शेयर विनियोग राशि के रूप में रू. 89.47 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जिसके लिए शेयरों को 31.03.2020 को आबंटित किया जाना है।*

ऋण निधिः

कंपनी ने प्रथम चरण की परियोजना के लिए दिनांक 24.11.2017 को वित्तीय क्लोजर प्राप्त कर लिया है। कंपनी ने 31 मार्च, 2020 तक कुल रू. 1760.05 करोड़ का टर्म लोन प्राप्त कर लिया है।

दीर्घकालिक प्रतिभूति ऋण

(रू. करोड़)

बैंक का नाम	01.04.2019 को ऋण	वर्ष के दौरान उपयोग किया गया ऋण	वर्ष के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान	31.03.2010 को ऋण
इंडियन बैंक	338.03	136.01	कुछ नहीं	474.04
बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्व में विजया बैंक)	96.09	38.65	कुछ नहीं	134.74
कार्पोरेशन बैंक	193.18	77.72	कुछ नहीं	270.90
कैनरा बैंक	120.72	48.58	कुछ नहीं	169.30
इंडियन ओवरसीज बैंक	120.72	48.58	कुछ नहीं	169.30
यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	139.10	64.06	कुछ नहीं	203.16
ओरिएटल बैंक ऑफ कामर्स	120.72	48.58	कुछ नहीं	169.30
बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्व देना बैंक)	120.72	48.58	कुछ नहीं	169.30
कुल	**1,249.28**	**510.76**	**कुछ नहीं**	**1,760.04**

संक्षिप्त तुलन-पत्र

विवरण	₹ (लाख)
कुल इक्विटी एवं देयताएं	
पूंजी	47300.00
संचित कोष एवं अधिशेष	(2319.79)
उप-योग	**44980.21**
शेयर विनियोग राशि जिसका आबंटन लंबित है	**8946.88**
दीर्घकालिक उधार	176004.25
अल्पकालिक उधार	-
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	1132.67

विवरण	₹ (लाख)
अन्य वित्तीय देयताएं	5937.49
अन्य चालू देयताएं	54.40
कुल	**237055.90**
परिसम्पत्तियां	
मूर्त परिसम्पत्तियां (कम मूल्यह्रास)	59367.63
अमूर्त परिसम्पत्तियां (कम परिशोधन)	0.33
व्यापारिक प्राप्य	710.18
पूंजीगत कार्य में प्रगति	139702.77
अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	11390.49
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	524.72
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	10948.36
नकद एवं बैंक शेष	14411.42
योग	**237055.90**
लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण :	
विवरण	₹ (लाख)
कुल राजस्व	1395.13
कुल व्यय	2510.93
कराधान पूर्व लाभ	(1115.80)
कर व्यय	1132.67
कराधान पश्चात लाभ	(2248.47)
अन्य चालू देयताएं	54.40
प्रस्तावित लाभांश	-
एसईसीएल के शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत	70.56%

2. छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल)

(सीआईएन :यू45203सीटी2013जीओआई000768)

छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल) दिनांक 25.03.2013 को निगमित हुई । ईस्ट-वेस्ट रेल कोरिडोर अर्थात गेवरा रोड-पेण्ड्रा रोड नई लाईन परियोजना (135.30 कि.मी.) को रेल मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.12.2013 को ''विशेष रेलवे परियोजना'' का दर्जा प्रदान किया गया। यह रेल कोरिडोर एसईसीएल के गेवरा कोलफील्ड्स से कोयला परिवहन की सुविधा के साथ-साथ यात्री सेवाओं के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा । परियोजना के अमलीकरण हेतु दिनांक 05.04.2014 को सीईडब्लूआरएल और इरकॉन के मध्य परियोजना निष्पादन करार/अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए।

कार्य-निष्पादन के मुख्य बिन्दु/झलकियां :

कंपनी का ईस्ट-वेस्ट रेल कोरिडोर परियोजना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एवं कोरबा जिला में फैला हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने परियोजना के लिए वित्तीय क्लोजर में विलम्ब के कारण एसईसीआर से दिनांक 31.03.2023 तक एक वर्ष हेतु परियोजना को पूरा करने के लिए समय-सीमा के विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया है । कंपनी ने समस्त ऋण-उधार राशि के लिए अपेक्षित ऋण दस्तावेजों को पूरा करते हुए बैंक से टर्म लोन की स्वीकृति प्राप्त की है, और वित्तीय दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए कोविड-19 के कारण लाकडाउन के हटने की प्रतीक्षा की जा रही है।

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण प्रगति का संक्षिप्त रूप नीचे दर्शित है :

1. कंपनी ने परियोजना के लिए वित्तीय क्लोजर में विलम्ब के कारण एसईसीआर से दिनांक 31.03.2023 तक एक वर्ष हेतु परियोजना को पूरा करने के लिए समय-सीमा के वित्तार का अनुमोदन प्राप्त किया है ।
2. कंपनी ने समस्त ऋण-उधार राशि के लिए अपेक्षित ऋण दस्तावेजों को पूरा करते हुए बैंक से टर्म लोन की स्वीकृति प्राप्त की है, वित्तीय दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए कोविड-19 के कारण लाकडाउन के हटने की प्रतीक्षा की जा रही है ।
3. कंपनी ने परियोजना के लिए आवश्यक व्यय को पूरा करने की दिशा में वर्ष के दौरान एसईसीएल से 45 करोड़ रूपए का शेष टर्म लोन प्राप्त किया है।
4. वर्ष के दौरान उरगा-कुसमुंडा खण्ड में एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में बड़े बृज का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है ।
5. विभिन्न कनेक्टिविटी एवं फीडर लाईनों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अपेक्षित भूमि एवं विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है ।

वित्तीय स्थिति :

पूंजीगत ढांचा :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की अधिकृत पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो रूपए 1110.00 करोड़ और 504.05 करोड़ क्रमशः थी। प्रवर्तक कम्पनियों का इक्वीटी शेयरहोल्डिंग पैटर्न नीचे दिया गया है -

कम्पनी का नाम	31.03.2020 को शेयरहोल्डिंग पैटर्न	31.03.2019 को शेयरहोल्डिंग पैटर्न
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	64.06%	64.06%
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	26.02%	26.02%
सीएसआईडीसी (छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिनिधि)	9.92%	9.92%
कुल	**100%**	**100%**

संक्षिप्त तुलन-पत्र

विवरण	₹ (लाख)
कुल इक्विटी एवं देयताएं	
पूंजी	50405.50
संचित कोष एवं अधिशेष	(69.50)
उप-योग	50336.00
दीर्घकालिक उधार	16855.69
अन्य वित्तीय देयताएं	2268.41
अन्य चालू देयताएं	112.02
कुल	69572.12
परिसम्पत्तियां	
मूर्त परिसम्पत्तियां (कम मूल्यह्ास)	114.13
अमूर्त परिसम्पत्तियां (कम परिशोधन)	0.33
पूंजीगत कार्य में प्रगति	60970.10
अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	5164.94

विवरण	**₹ (लाख)**
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	53.10
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	1556.90
नकद एवं बैंक शेष	1712.62
योग	69572.12

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण :

विवरण	**₹ (लाख)**
कुल राजस्व	5.88
कुल व्यय	16.73
कराधान के पूर्व लाभ	(10.85)
कराधान के लिए प्रावधान	-
कराधान पश्चात लाभ	(10.85)
अन्य चालू देयताएं	112.02
प्रस्तावित लाभांश	-
एसईसीएल के शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत	64.06%

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के
निदेशक मण्डल की ओर से

हस्ता/-
(आर.के. निगम)
निदेशक (तकनीकी) संचालन
डीआईएन : 08321825

हस्ता/-
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06664375

स्थान : बिलासपुर
दिनांक : 11-08-2020

अनुलग्नक-II

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 सहपठित कम्पनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8(1) के अनुसरण में)

1. कम्पनी के सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, साथ ही परियोजनाओं का सिंहावलोकन या प्रारंभ किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम तथा सीएसआर नीति तथा परियोजना या कार्यक्रम के वेब-लिंक संदर्भ में :

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानें छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न भागों में स्थित हैं, जोकि अपेक्षाकृत दूरस्थ क्षेत्र में है और जिसका बाह्य समाज से सीधा सम्पर्क नहीं है। जहां कोयला खदाने हैं, वहां कोयला खनन ने लोगों के जीवन एवं आसपास के क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डाला है। ऐसे क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के उत्पादन कार्यकलापों के प्रारंभ होने का प्रत्यक्ष प्रभाव मूल रहवासियों व स्थानीय समुदायों के परम्परागत जीवनशैली पर पड़ता है जो क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक स्थिति को भी बदल देता है। अतः, सीएसआर के प्रारंभिक हितग्राही भू-स्थापित, परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी) और परियोजना की 25-कि.मी. की परिधि में रहने वाले ही हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले गरीब व समाज के जरूरतमंद लोग, जहां कम्पनी संचालित है, वे उनके बाद दूसरे हितग्राही हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उनकी सभी अनुषंगी कम्पनियों के लिए सीएसआर नीति अनुमोदित की गई तथा यह कम्पनी की वेबसाईट http://www.secl-cil.in/csr-secl.php में उपलब्ध है।

कोल इंडिया लिमिटेड की सीएसआर नीति के अधीन 2019-20 में शामिल कार्यकलापों के मुख्य कार्यक्षेत्र नीचे दर्शित है-

(क) रेलवे बोर्ड - रेलवे मंत्रालय के अनुरोध पर, एसईसीएल ने छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में पड़ने वाले 529 रेलवे स्टेशनों के सर्कुलेटिंग क्षेत्रों में पुरूषों, महिलाओं एवं दिव्यांगों के लिए अलग-अलग सुविधायुक्त प्री-फेब्रिकेटेड शौचालयों के निर्माण/स्थापन हेतु कदम उठाया है। यह कार्य भारतीय रेलवे के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(ख) सिम्स बिलासपुर में सीटी स्केन और एमआरआई मशीन, एडवांस लाईफ सपोर्ट एम्बुलेंस, चिकित्सालयों में विशेष इकाईयों के निर्माण जैसे स्वास्थ्य देखभाल की पहल करते हुए अवसंरचना विकास । अवसंरचना विकास के अलावा एसईसीएल द्वारा स्वास्थ्य प्रार्थक व्यवहार की वकालत एवं डिमांड जनरेशन के तंत्र के रूप में मीडिया का उपयोग करते हुए परियोजना के लिए ग्राम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन ।

(ग) एसईसीएल ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-2019) के निदान एवं फैलाव को रोकने/उससे लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में संचालित जिलों में जिला प्रशासन को सहायता उपलब्ध कराई ।

(घ) वाटर एटीम, पाईप द्वारा जल आपूर्ति, हैण्ड-पम्प, बोर होल इत्यादि के स्थापन द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना ।

(ड.) कक्षा (क्लास रूम), बाउण्ड्रीवाल, टॉयलेट ब्लॉक, सांस्कृतिक मंच (स्टेज), सामुहिक कमरा आदि जैसी विकसित अवसंरचना मुहैया कराकर शिक्षा को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों के लिए हास्टल सुविधा उपलब्ध कराना ।

(च) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) के माध्यम से वंचित/ बेरोजगार युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराकर रोजगार मूलक व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना तथा दिव्यांगों के लिए कौशल विकास केन्द्र हेतु अवसंरचना सुविधा सृजित करना ।

(छ) छत्तीसगढ़ सरकार की ''हरियर छत्तीसगढ़'' योजना के अधीन ब्लॉक/सड़क किनारे पौधारोपण तथा जल संरक्षण कार्य यथा-एसईसीएल के क्षेत्रों एवं आसपास तालाबों के गहरीकरण द्वारा पर्यावरण कायम रखना सुनिश्चित करना एवं जल निकायों की संरक्षा हेतु अभियान ।

(ज) विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं तथा सामुदायिक अवसंरचना के निर्माण/उन्नयन हेतु वित्तीय सहयोग कर सांस्कृतिक विकास के लिए कला एवं संस्कृति की संरक्षा करना ।

(झ) ग्रामीण विकास परियोजना जैसे छोटी सिंचाई परियोजनाएं, सामुदायिक भवन, तालाब इत्यादि हेतु घाट एवं सुरक्षा वाल का निर्माण।

(ट) भूतपूर्व सैनिकों एवं सशस्त्र बल युद्ध वेटरन के कल्याण के लिए जगदलपुर एवं अम्बिकापुर में सैनिक रेस्ट हाउस का निर्माण तथा बिलासपुर में प्रतीक्षा-सह-सभा कक्ष का निर्माण।

(ठ) एसईसीएल ने आर्टिफिशियल लिंब मैन्युफेक्चरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एएलआईएमसीओ) के माध्यम से कृत्रिम अंग, यंत्र एवं सहायक उपकरण वितरित व उपलब्ध कराते हुए दिव्यांगों के कल्याण के उद्देश्य से परियोजनाएं प्रारंभ की है ।

2. सीएसआर समिति की संरचना/संघटन

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अपेक्षाओं के अनुसार दिनांक 30.11.2015, को आयोजित अपनी 239-वीं बैठक में एसईसीएल बोर्ड द्वारा समिति गठित की गई थी। नवम्बर, 2019 में एसईसीएल बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों का टर्म पूरा होने के बाद, दिनांक 28.12.2019 को आयोजित एसईसीएल बोर्ड की 296-वीं बैठक में समिति निम्नलिखित सदस्यों के समावेशन के साथ पुनर्गठित की गई -

अध्यक्ष	सीए श्री एस.के. देशपाण्डे	स्वतंत्र निदेशक
सदस्य	1) डा. आर.एस. झा	निदेशक (कार्मिक), एसईसीएल
	2) श्री एस.एम. चौधरी	निदेशक (वित्त), एसईसीएल

3. कम्पनी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत निवल लाभ :

कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	2016-17	रू. 3186.57 करोड़
	2017-18	रू. 3820.97 करोड़
	2018-19	रू. 5570.67 करोड़
	औसत कर पूर्व लाभ	रू. 4192.74 करोड़

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद-3 में बताए अनुसार राशि का 2-प्रतिशत)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित सीएसआर व्यय रू. 83.85 करोड़ होता है ।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण :

(क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि - रू. 83.85 करोड़

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि - रू. 84.65 करोड

(ग) अव्ययित राशि - कुछ नहीं.

(घ) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कार्य पर व्यय राशि का विवरण नीचे दिया गया है :

i. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय राशि का संक्षिप्त विवरण नीचे दर्शित है -

स.क्रं.	सेक्टर	व्यय राशि (रू. लाख में)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर व्यय राशि (रू. लाख में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (रू. लाख में)
1	**पेयजल**	**133.18**	**69.05**	**142.23**
2	**पर्यावरणीय संपोषणीयता एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण**			
2(क)	पौधारोपण	2000.00	530.02	1555.74
2(ख)	जल संरक्षण	90.63	11.72	55.94
2(ग)	अभियान	20.00	20.00	20.00
3	**शिक्षा को बढ़ावा देना**			
3(क)	शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अवसंरचना	173.15	76.02	124.53
3(ख)	कौशल विकास	446.69	81.51	97.04
3(ग)	अन्य	75.00	15.24	15.24

स.क्रं.	सेक्टर	व्यय राशि (रू. लाख में)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर व्यय राशि (रू. लाख में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (रू. लाख में)
4	**स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना**			
4(क)	अवसरंचना सृजन	2278.74	1709.17	1787.91
4(ख)	कोविड-19 हेतु	125.00	125.00	125.00
4(ग)	अन्य	47.51	16.47	41.56
5	**राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण**			
5(क)	सांस्कृतिक विकास	163.77	144.50	159.50
5(ख)	अवसंरचना	506.40	29.47	361.81
6	ग्रामीण विकास	711.23	194.08	341.95
7	सेनिटेशन समेत स्वच्छ विद्यालय अभियान	13328.49	5237.95	5629.60
8	दिव्यांगों का कल्याण	392.06	193.70	230.30
9	भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	36.87	7.37	7.37
10	प्रशासनिक व्यय	3.78	3.78	3.78
	महायोग	**20532.50**	**8465.05**	**10699.50**

ii. सीएसआर कार्यकलापों का विवरण, जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राशि खर्च हुई -

स.क्रं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना या कार्यकलाप	क्षेत्र,जिसमें परियोजना शामिल हैं	राज्य/जिला/ ब्लॉक/ग्राम/ शहर	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार (रू.लाख में)	परियोजना या कार्यक्रम पर व्यय राशि (रू. लाख में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (रू. लाख में)	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी (एसईसीएल/ सरकार/ एनजीओ आदि)
1	1000 एलपीएच डिजिटल नियंत्रित सेमी आटो युक्त 10-नग जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीपीवीसी या यूपीवीसी) समेत 5000 लीटर क्षमता युक्त पीवीसी टेंक, सबमर्शिबल पम्प की स्थापना, वर्तमान ट्यूबवेल में पाईप की फिटिंग, ट्यूब-वैल का निर्माण, पम्प हाउस का निर्माण व जल शुद्धिकरण संयंत्र कक्ष, पाईप फिटिंग तथा इलेक्ट्रिक कनेक्शन इत्यादि।	पेयजल	छग/कोरिया/ बैकुंठपुर	74.90	10.68	83.86	एसईसीएल
2	एसईसीएल बैकुंठपुर क्षेत्र के सीएसआर कार्यकलापों के अधीन बुद्ध सागर तालाब, पटना ग्राम, बैकुंठपुर के गहरीकरण व सौन्दर्यीकरण हेतु जिला कलेक्टर, कोरिया को रू. 71.83 लाख की वित्तीय सहायता।	पर्यावरणीय संपोषणीयता एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	छग/कोरिया/ बैकुंठपुर/पटना	71.83	1.69	45.91	जिला प्रशासन
3	जिला चिकित्सालय सूरजपुर में आईसीयू एवं बर्न यूनिट का निर्माण।	स्वास्थ्य देखभाल	छग/सूरजपुर/ सूरजपुर/सूरजपुर	66.95	13.57	65.76	सीजीएमएससी लिमिटेड
4	सूरजपुर जिला,छग में तीन ग्राम पंचायत (भैयाथान, भटगांव व लाटोरी) में ''वाटर एटीएम का निर्माण''।	पेयजल	छग/सूरजपुर/ भैयाथान एवं सूरजपूर/भैयाथान, भटगांव, लटोरी	24.70	24.70	24.70	जिला प्रशासन

स.क्रं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना या कार्यकलाप	क्षेत्र,जिसमें परियोजना शामिल हैं	राज्य/जिला/ ब्लॉक/ग्राम/ शहर	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार (रू.लाख में)	परियोजना या कार्यक्रम पर व्यय राशि (रू. लाख में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (रू. लाख में)	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी (एसईसीएल/ सरकार/ एनजीओ आदि)
5	बंशीपुर ग्राम, ब्लाक-प्रतापपुर, सूरजपुर जिला, छग के लिए नल जल स्थापना योजना परियोजना ।	पेयजल	छग/सूरजपुर/ प्रतापपुर/बंशीपुर	30.03	30.01	30.01	जिला प्रशासन
6	सूरजपुर जिला छ.ग. के पांच विभिन्न ग्राम पंचायतों में ''सामुदायिक छोटी सिंचाई परियोजना का निर्माण''	ग्रामीण विकास	छग/सूरजपुर/ प्रतापपुर एवं सूरजपुर/ केरता, सोनगारा, सलका, कमलपुर, सरस्वतीपुर	99.66	19.93	19.93	जिला प्रशासन
7	एसईसीएल भटगांव क्षेत्र छग के सीएसआर कार्यकलापों के अधीन, सूरजपुर जिला में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) को फैलने से रोकने/रोकथाम हेतु जिला प्रशासन सूरजपुर को वित्तीय सहायता।	स्वास्थ्य देखभाल	छग/सूरजपुर	25.00	25.00	25.00	जिला प्रशासन
8	एसईसीएल भटगांव क्षेत्र के सीएसआर कार्यकलापों के अधीन बलरामपुर-रामानुजगंज जिला, छत्तीसगढ़ में तातापानी संस्कृति पर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम-2020 हेतु रू. 12.00 लाख राशि।	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति की संरक्षा	छग/बलरामपुर	12.00	12.00	12.00	जिला प्रशासन
9	बलरामपुर-रामानुजगंज जिला, छग के महान नदी में बोट की खरीदी हेतु वित्तीय सहयोग।	ग्रामीण विकास	छग/बलरामपुर/ राजपुर/लोढेड एवं छिडियाडांड	5.00	5.00	5.00	जिला प्रशासन
10	एसईसीएल भटगांव क्षेत्र छग के सीएसआर कार्यकलापों के अधीन बलरामपुर जिला में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) को फैलने से रोकने/रोकथाम हेतु जिला प्रशासन बलरामपुर को वित्तीय सहायता।	स्वास्थ्य देखभाल	छग/बलरामपुर/ पूरा जिला	25.00	25.00	25.00	जिला प्रशासन
11	बिश्रामपुर क्षेत्र के कुमदा उप क्षेत्र के बलरामपुर में 2-नग हैड पम्प उपलब्ध कराकर उसकी फिक्सिंग ।	पेयजल	छग/सूरजपुर/ सूरजपुर/ बलरामपुर	1.85	1.85	1.85	एसईसीएल
12	एसईसीएल, गेवरा क्षेत्र के सीएसआर शीर्ष के अधीन एसईसीएल मुख्यालय में सूचीबद्ध नाम के विभिन्न स्कूलों (लाट नं.-01,79, 80, 81, 82 एवं 83) में एसवीए के अधीन निर्मित शौचालयों का रख-रखाव ।	सेनिटेशन	छग/कोरबा/ विभिन्न गांव एवं शहर	469.49	35.95	427.60	एसईसीएल
13	एसईसीएल, गेवरा क्षेत्र के सीएसआर शीर्ष के अधीन पाली महोत्सव-2020 के आयोजन हेतु जिला कलेक्टर कोरबा को रू. 25,00 लाख का वित्तीय सहयोग ।	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति की संरक्षा	छग/कोरबा/ पाली/पाली	25.00	25.00	25.00	जिला प्रशासन

स.क्रं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना या कार्यकलाप	क्षेत्र,जिसमें परियोजना शामिल हैं	राज्य/जिला/ ब्लॉक/ग्राम/ शहर	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार (रू.लाख में)	परियोजना या कार्यक्रम पर व्यय राशि (रू. लाख में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (रू. लाख में)	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी (एसईसीएल/ सरकार/ एनजीओ आदि)
14	कोरबा में कोविड-19 की रोकथाम एवं निदान के लिए जिला प्राधिकारी, कोरबा (कोविड-19 राहत निधि, कोरबा) को रू. 25.00 लाख की वित्तीय सहायता ।	स्वास्थ्य देखभाल	छग/कोरबा	25.00	25.00	25.00	जिला प्रशासन
15	अमरकंटक नर्मदा महोत्सव 2020 के लिए रू. 20.00 लाख की वित्तीय सहायता	पर्यावरणीय संपोषणीयता एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	मप्र/अनूपपुर/ पुष्पराजगढ़/ अमरकंटक	20.00	20.00	20.00	जिला प्रशासन
16	सीएसआर योजना के अधीन भैरोबाबा मंदिर के पास जमुना बस्ती में बोरवेल की खुदाई एवं हैण्ड पम्प ।	पेयजल	मप्र/अनूपपुर/ अनूपपुर/जमुना बस्ती	1.70	1.81	1.81	एसईसीएल
17	सीएसआर योजना के अधीन शासकीय आईटीआई कोतमा एवं शा. उच्चतर विद्यालय, कोतमा में बाउण्ड्री वाल का निर्माण ।	शिक्षा को बढ़ावा देना	मप्र/अनूपपुर/ कोतमा	24.95	16.02	16.02	एसईसीएल
18	जमुना-कोतमा क्षेत्र, एसईसीएल के सीएसआर कार्यकलापों के अधीन कोविड-19 के लिए जिला प्रशासन, अनूपपुर को रू. 25-लाख की वित्तीय सहायता	स्वास्थ्य देखभाल	मप्र/अनूपपुर	25.00	25.00	25.00	एसईसीएल
19	सरस्वती शिशु मंदिर/हाई स्कूल, करकेली जिला उमरिया में 04-अतिरिक्त कक्ष व सामने बरामदा तथा सीढ़ी का निर्माण	शिक्षा को बढ़ावा देना	मप्र/उमरिया/ करकेली/करकेली	45.00	4.5	45.00	बाबा रामधनी शिक्षण समिति, करकेली
20	एसईसीएल जोहिला क्षेत्र के सीएसआर कार्यकलापों के अधीन जनजाति कल्याण केन्द्र महाकौशल, ग्राम-बड़गांव, जिला डिंडोरी को रू. 87.29 लाख की वित्तीय सहायता, 1- डिंडोरी जिला के 22-ग्रामों में वोर-वेल तथा पारम्परिक/ गैर-सोलर सबर्सिबल पम्प उपलब्ध कराने, 2- कौशल विकास के लिए वाहन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, 3-पत्तल/ दोना तैयार करने व संरक्षण हेतु स्टोर/वेयरहाउस का निर्माण, 4-पत्तल/दोना बनाने के लिए 2-मशीन उपलब्ध कराना।	शिक्षा को बढ़ावा देना	मप्र/डिंडोरी/ शाहपुरा/बड़गांव	87.29	7.2	22.73	जनजाति कल्याण केन्द्र, बड़गांव
21	जिला कलेक्टर, डिंडोरी के माध्यम से तीन वर्षो की अवधि के लिए जनजाति कल्याण केन्द्र महाकौशल, बड़गांव, शाहपुरा, डिंडोरी (मप्र) के हास्टल में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के 60-आदिवासी बच्चों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रू. 75-लाख की वित्तीय सहायता	शिक्षा को बढ़ावा देना	मप्र/डिंडोरी/ शहपुरा/बडगांव	75.00	15.24	15.24	जनजाति कल्याण केन्द्र, बड़गांव

स.क्रं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना या कार्यकलाप	क्षेत्र,जिसमें परियोजना शामिल हैं	राज्य/जिला/ ब्लॉक/ग्राम/ शहर	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार (रू.लाख में)	परियोजना या कार्यक्रम पर व्यय राशि (रू. लाख में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (रू. लाख में)	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी (एसईसीएल/ सरकार/ एनजीओ आदि)
22	बालको, कोरबा के निकट वार्ड नं-35 में रिसदा तालाब की सफाई, गहरीकरण, घाट बनाने और दीवाल खड़ी करने सहित सड़क ।	पर्यावरणीय संपोषणीयता एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	छग/कोरबा/ कोरबा	18.8	10.03	10.03	एसईसीएल
23	गंगदई ग्राम में सोनगुडा तालाब में पचरी का निर्माण।	ग्रामीण विकास	छग/कोरबा/ कटघोरा/गंगदई	3.50	1.91	3.12	जिला प्रशासन
24	पोस्ट मेट्रिक एससी गर्ल्स हॉस्टल आईटीआई कोरबा की मरम्मत/छोटा निर्माण कार्य।	शिक्षा को बढ़ावा देना	छग/कोरबा/ कोरबा/ कोरबा	4.3	0.61	0.61	जिला प्रशासन
25	रायगढ़ में आडिटोरियम में अवसंरचना सुविधा व उन्नयन के माध्यम से कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना।	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति की संरक्षा	छग/रायगढ़/ रायगढ़/ रायगढ़	481.4	27.67	349.01	जिला प्रशासन
26	औरामुड़ा, बारौद में आंगनबाड़ी, प्रायमरी स्कूल समेत बाउण्ड्री वाल, सामुदायिक हाल का निर्माण, स्कूल, आंगनबाड़ी, सामुदायिक हाल हेतु सोलर ड्यूल पम्प, सोलर पीवी की स्थापना हेतु- क्रेडा को डिपाजिट कार्य ।	ग्रामीण विकास	छग/रायगढ़/ घरघोड़ा/औरामुड़ा	80.77	5.36	65.36	क्रेडा रायगढ़
27	चलित स्वास्थ्य (सीएसआर के अधीन परियोजना क्षेत्र के आसपास गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवारों को मूलभूत चिकित्सा सुविधा)	स्वास्थ्य देखभाल	छ.ग./रायगढ़/ विभिन्न गांव	14.25	3.16	8.30	एसईसीएल
28	एसईसीएल के सीएसआर कार्यकलापों के अधीन रू. 2000.00 लाख की डिपाजिट आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग के माध्यम से हरियर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम - 2018 के अधीन वृक्षारोपण हेतु सीएसआर कार्यकलाप करना	पर्यावरणीय संपोषणीयता एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	छ.ग./पूरा छत्तीसगढ़	2000.00	530.02	1555.74	वन विभाग, छ.ग. शासन
29	एसईसीएल मुख्यालय के सीएसआर शीर्ष के अधीन कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र समेत विशेष जरूरतमंद व दिव्यांगो के लिए 100-बिस्तर युक्त हॉस्टल सुविधा हेतु अवसंरचना के निर्माण के लिए जिला प्रशासन बिलासपुर के माध्यम से सीएसआर कार्यों को पूरा करने हेतु रू. 288.60 लाख की राशि।	दिव्यांगों का कल्याण	छग/बिलासपुर/ बिल्हा/तिफरा	288.60	148.26	148.26	जिला प्रशासन
30	एसईसीएल मुख्यालय के सीएसआर कार्यकलापों के अधीन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) के माध्यम से 520-वंचित/ बेरोजगार युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम ।	शिक्षा को बढ़ावा देना	छत्तीसगढ़ में एसईसीएल के संचालित क्षेत्र	335.4	50.31	50.31	सीपेट

स.क्रं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना या कार्यकलाप	क्षेत्र,जिसमें परियोजना शामिल हैं	राज्य/जिला/ ब्लॉक/ग्राम/ शहर	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार (रू.लाख में)	परियोजना या कार्यक्रम पर व्यय राशि (रू. लाख में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (रू. लाख में)	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी (एसईसीएल/ सरकार/ एनजीओ आदि)
31	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) के माध्यम से क्रियान्वित पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में 40- वंचित/बेरोजगार युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम ।	शिक्षा को बढ़ावा देना	छत्तीसगढ़ में एसईसीएल के संचालित क्षेत्र	24.00	24.00	24.00	सीपेट
32	एसईसीएल मुख्यालय के सीएसआर कार्यकलापों के अधीन खुली टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से एसईसीएल मुख्यालय द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रू. 2.89 करोड़ राशि की बिलासा उड़ान एवं अरपा नदी घाट के संरक्षा कार्य का विकास ।	ग्रामीण विकास	छग/बिलासपुर/ मोपका	289.00	130.00	170.00	एसईसीएल
33	एसईसीएल के सीएसआर कार्यकलापों के अधीन ग्राम कागपुर, जिला-विदिशा मप्र में टूरिस्ट काम्पलैक्स के विकास एवं टेंक के कायाकल्प हेतु रू. 233.30 लाख राशि की जिला कलेक्टर, विदिशा म.प्र. को वित्तीय सहायता ।	ग्रामीण विकास	मप्र/विदिशा/ विदिशा/कागपुर	233.3	31.88	78.54	जिला प्रशासन
34	एसईसीएल मुख्यालय के सीएसआर कार्यकलापों के अधीन कालेज भवन एवं स्पोर्ट्स कालेज के लिए हॉस्टल के निर्माण हेतु रू. 90-लाख की सरस्वती क्रीड़ा परिषद, कोनी बिलासपुर को वित्तीय सहायता ।	शिक्षा को बढ़ावा देना	छग/बिलासपुर/ बिल्हा/कोनी	90.00	54.00	54.00	सरस्वती क्रीडा परिषद छत्तीसगढ़ बिलासपुर
35	एसईसीएल मुख्यालय के सीएसआर कार्यकलापों के अधीन जिला प्राधिकारी, बिलासपुर के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बिलासपुर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतीक्षा-सह-सभा कक्ष का निर्माण करने हेतु रू. 36.87 लाख की राशि ।	भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	छग/बिलासपुर/ बिलासपुर	36.87	7.37	7.37	जिला प्रशासन
36	एसईसीएल मुख्यालय के सीएसआर कार्यकलापों के अधीन क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ के दो जिलों में स्वास्थ्य प्रार्थक व्यवहार की मांग एवं समर्थन के लिए मीडिया का एक यंत्र के रूप में उपयोग करने तथा उससे जुड़ने के लिए समर्थन व अनुसंधान हेतु केन्द्र द्वारा 6-माह के लिए पायलट प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन ।	स्वास्थ्य देखभाल	छग/ बिलासपुर एवं कोरबा	33.26	13.31	33.26	सीएफएआर
37	एसईसीएल मुख्यालय के सीएसआर कार्यकलापों के अधीन जिला कलेक्टर, बिलासपुर के माध्यम से शासकीय अंध, मूक स्कूल, तिफरा को 48 सीटयुक्त बस उपलब्ध कराना ।	दिव्यांगों का कल्याण	छग/बिलासपुर/ बिल्हा/तिफरा	23.46	23.46	23.46	जिला प्रशासन

स.क्रं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना या कार्यकलाप	क्षेत्र,जिसमें परियोजना शामिल हैं	राज्य/जिला/ ब्लॉक/ग्राम/ शहर	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार (रू.लाख में)	परियोजना या कार्यक्रम पर व्यय राशि (रू. लाख में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (रू. लाख में)	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी (एसईसीएल/ सरकार/ एनजीओ आदि)
38	एसईसीएल के सीएसआर कार्यकलापों के अधीन संस्कृति विभाग, छग. शासन द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले छत्तीसगढ़ आदिवासी लोक गीत, लोक कला एवं लोक-नृत्य तथा अन्य आदिवासी संस्कृति के विकास में प्रशिक्षण व विकास के लिए रू. 100.00 लाख की वित्तीय सहायता ।	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति की संरक्षा	छग/बिलासपुर	100.00	100.00	100.00	जिला प्रशासन
39	एसईसीएल के सीएसआर कार्यकलापों के अधीन सिम्स हास्पिटल बिलासपुर को क्रय समिति के माध्यम से खुली निविदा/वैश्विक निविदा आमंत्रित करते हुए रू.2100.00 लाख की 1-नग 128 स्लाईस सीटी स्केन मशीन एवं 1-नग 3एम टेसला एमआरआई मशीन उपलब्ध कराना ।	स्वास्थ्य देखभाल	छग/बिलासपुर	2100.00	1676.00	1676.00	सिम्स हास्पिटल बिलासपुर
40	एसईसीएल के सीएसआर कार्यकलापों के अधीन रू. 128.59 लाख की सीएसआर के माध्यम से 529-नग रेलवे स्टेशन के सरकुलेटिंग क्षेत्रों में प्री-फेबिकेटेड शौचालयों का निर्माण/स्थापन ।	सेनिटेशन	पूरा छग/मप्र	12859.00	5202.00	5202.00	रेलवे
41	एसईसीएल मुख्यालय के सीएसआर कार्यकलापों के अधीन रू. 25.00 लाख राशि का मास्क, सेनिटाईजर्स एवं चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराते हुए कोविड-19 के रोकथाम हेतु जिला प्रशासन, बिलासपुर को वित्तीय सहायता	स्वास्थ्य देखभाल	छग/बिलासपुर	25.00	25.00	25.00	जिला प्रशासन
42	नेशनल सीएसआर हब (टीआईएसएस, मुम्बई) के मानव संसाधन व्यय का भुगतान	प्रशासनिक व्यय	छग/बिलासपुर	3.78	3.78	3.78	एनसीएसआर हब (टीआईएसएस, मुम्बई)
43	छत्तीसगढ़ के स्कूलों व कालेजों में कार्यशाला आयोजित करने हेतु स्पीक मेके को वित्तीय सहायता ।	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति की संरक्षा	छग/सूरजपुर, सरगुजा एवं कोरिया	26.77	7.50	22.50	स्पीक मेके
44	आर्टिफिशियल लिम्ब मन्युफेक्चरिंग कार्पोरेशन इंडिया (एएलआईएमसीओ) द्वारा क्रियान्वित किए जाने हेतु एसईसीएल के सीएसआर शीर्ष के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया तथा मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिला में दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्ब, यंत्र तथा सहायक डिवाईस उपलब्ध कराना	दिव्यांगों का कल्याण	मप्र/अनूपपुर	80.00	21.98	58.58	एएलआईएमसीओ

स.क्रं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना या कार्यकलाप	क्षेत्र,जिसमें परियोजना शामिल हैं	राज्य/जिला/ ब्लॉक/ग्राम/ शहर	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार (रू.लाख में)	परियोजना या कार्यक्रम पर व्यय राशि (रू. लाख में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (रू. लाख में)	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी (एसईसीएल/ सरकार/ एनजीओ आदि)
45	एसईसीएल मुख्यालय के सीएसआर शीर्ष के अधीन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर के चार मेडिकल कालेजों में प्रत्येक में आपातिक सेवाओं के लिए 4-नग उन्नत लाईफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य देखभाल	मप्र/भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर	101.79	19.16	35.29	मेडिकल कालेज, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर
46	एसईसीएल मुख्यालय के सीएसआर कार्यकलाप के अधीन छत्तीसगढ़ हॉट, पंडरी, रायपुर (छ.ग.) के पुनरूद्वार एवं शौन्दर्यीकरण के लिए सीएसआर कार्यकलाप करना	राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति की संरक्षा	छग/रायपुर/ रायपुर/पंडरी	25.00	1.80	12.80	सीजी हस्त शिल्प
47	एसईसीएल मुख्यालय के सीएसआर कार्यकलाप के अधीन सरस्वती क्रीड़ा परिषद, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में वाशरूम एवं शौचालय का निर्माण	शिक्षा को बढ़ावा देना	छग/बिलासपुर/ बिल्हा/कोनी	8.90	0.89	8.90	सरस्वती क्रीडा परिषद छत्तीसगढ़ बिलासपुर
48	देवहरा पंचायत में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	मप्र/अनूपपुर/ जैतहरी/देवहरा	10.00	0.44	10.86	एसईसीएल
	महायोग				8465.05		

6. सीएसआर व्यय की निर्धारित राशि खर्च न हो पाने का कारण :

उपर्युक्त 5 (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रयोज्य नहीं है ।

7. सीएसआर नीति के कार्यान्वयन एवं मानिटरिंग के संबंध में सीएसआर समिति के उत्तरदायित्व का विवरणः

सीएसआर समिति यह प्रमाणित करती है कि वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर पहल के अधीन शामिल सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं मानिटरिंग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन बनाए गए सीआईएल सीएसआर नीति एवं सीएसआर उद्देश्यों के अनुरूप है।

हस्ताक्षर/-
(डा.आर.एस. झा)
निदेशक (कार्मिक)
डीआईएन-07005297

हस्ताक्षर/-
(एस.के. देखपाण्डे)
अध्यक्ष, सीएसआर समिति
डीआईएन-06621117

हस्ताक्षर/-
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,एसईसीएल
डीआईएन : 06664375

स्थान : बिलासपुर
दिनांक : 19.06.2020

प्रपत्र सं. एमआर-3

सचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कंपनीज (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

प्रति,
सदस्यगण,
साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सीपत रोड, बिलासपुर-495006
छत्तीसगढ़

हमनें, साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम, (जिसे आगे ''कंपनी'' संबोधित किया गया है) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा बेहतर निगमित प्रक्रियाओं के अनुसमर्थन में सचिविक लेखा परीक्षा किया है। सचिविक लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी मार्गदर्शन के अनुसार इस रीति से किया गया, जिससे मुझे निगमित व्यवहार/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए समुचित आधार व उस पर औचित्यपूर्ण राय देने का आधार प्राप्त हुआ ।

कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन के कारण, हमारे लिए यह संभव नहीं था कि हम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण कर सकें तथा कंपनी द्वारा बनाए गए कम्पनी-बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, भरे गए फार्म और विवरणी तथा अन्य अभिलेख, जिसे गूगल ड्राईव के जरिए ई-मेल के माध्यम से हमें शेयर किया गया था, हमारे द्वारा की गई जांच तथा सचिविक लेखा परीक्षा करने के दौरान कम्पनी, उनके अधिकारियों, अभिकर्ताओं तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना,पुष्टिकरण,स्पष्टीकरण के आधार पर, हम एतद् द्वारा यह रिपोर्ट देते हैं कि हमारी राय में, कम्पनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, उसके अधीन सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कम्पनी की अपनी समुचित बोर्ड-प्रक्रियाएं एवं अनुपालन प्रक्रिया/विधान उस सीमा तक और उसी प्रकार से प्रवृत्त है, जैसा कि इसके आगे रिपोर्टिंग की गई है ।

हमनें, निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा बनाए व रखे गए बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, जमा किए गए फार्म और विवरणी तथा अन्य अभिलेखों की जांच-पड़ताल की है,

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (''**अधिनियम**'') तथा उसके अधीन बनाए गए नियम,

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('**एससीआरए**') तथा उसके अधीन बनाए गए नियम

(जो लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी में प्रयोज्य नहीं)

(iii) निपेक्षागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमन एवं उप-नियम

(जो लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी में प्रयोज्य नहीं)

(iv) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक ऋण-उधार की सीमा के अधीन बनाए गए नियम और नियमन

(जो लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी में प्रयोज्य नहीं)

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अधीन निर्दिष्ट निम्नलिखित नियमन एवं दिशानिर्देश :-

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) नियमन, 2015

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार निषेध) नियमन, 2015,

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारभूत अधिग्रहण एवं हस्तगत) नियमन, 2011

(जो लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी में प्रयोज्य नहीं)

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी के मुद्दे और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) नियमन, 2018

(जो लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी में प्रयोज्य नहीं)

(ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ), नियमन, 2014

(जो लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी में प्रयोज्य नहीं)

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों के मुद्दे एवं सूचीबद्ध) नियमन, 2008

(जो लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी में प्रयोज्य नहीं)

(छ) कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ संव्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मुद्दे एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के संबंधित रजिस्ट्रार) नियमन, 1993

(जो लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी में प्रयोज्य नहीं)

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्वीटी शेयरों की असूचीबद्धता) नियमन, 2009, और

(जो लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी में प्रयोज्य नहीं)

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीदी) नियमन, 2018

(जो लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी में प्रयोज्य नहीं)

(vi) लोक उद्यम विभाग द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन सं.-18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 के तहत जारी कार्पोरेट गवर्नेंस मार्गदर्शन।

(vii) कंपनी में विशेष रूप से प्रयोज्य अन्य कानून, जिसमें शामिल हैं-

क. खान अधिनियम, 1952

ख. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884

ग. कालरी नियंत्रण आदेश, 2000 एवं कालरी नियंत्रण नियम, 2004

घ. कोयला खान नियमन, 2017

ड. मजदूरी भुगतान (खान) नियम, 1956

च. कोयला खान पेंशन योजना, 1998

छ. कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम, 1974

ज. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966

झ. खान शिशु नियम, 1961

ट. खान बचाव नियम, 1985

ठ. कोयला खान पिटहेड बाथ नियम, 1946

ड. मातृत्व लाभ (खान एवं सर्कस) नियम, 1963

ढ. विस्फोटक नियम, 2008

त. खनिज रियायत नियम, 1960

थ. कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1948

द. खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957

ध. असंवितरित मजदूरी भुगतान (खान) नियम, 1989

प. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 एवं भारतीय विद्युत नियम, 1956

फ. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986

ब. खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट) नियम, 2016

भ. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं उसके अधीन बनाए गए नियम

म. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981

य. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 एवं उसके अधीन बनाए गए नियम

मैंने निम्नलिखित प्रयोज्य धाराओं (क्लाज) के अनुपालन की भी जांच-पड़ताल की है।

(1) इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिविक मानक, और सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन सं.-18(8)/2005-जीएम दिनांक मई 14, 2010 के माध्यम से कार्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में जारी दिशा-निदेश

(2) स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा निष्पादित सूचीबद्ध अनुबंध

(जो लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी में प्रयोज्य नहीं)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी ने ऊपर दर्शित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन किया है ।

1. कम्पनी को अधिनियम की धारा 149 एवं उसके अधीन बनाए गए संबंधित नियमों के अधीन यथा-अपेक्षित बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति किया जाना है ।
2. कंपनी में दिनांक 17.11.2019 से अधिनियम की धारा 149 के अधीन यथा-अपेक्षित समुचित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं है ।
3. अधिनियम की धारा 177 के अनुसार दिनांक 17.11.2019 से लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है ।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि :

कम्पनी के निदेशक-मण्डल का गठन, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन यथा-अपेक्षित एक महिला निदेशक एवं अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर, कार्यकारी-निदेशकों, गैर-अधिशासी निदेशकों का समुचित संतुलन बनाते हुए किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निदेशक मण्डल के संयोजन-संघटन में जो परिवर्तन हुए, उसे अधिनियम तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में कार्यान्वित किया गया । कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के निबंधन में बोर्ड में सभी नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा की गई ।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के अनुसूची की समुचित सूचना उपलब्ध कराई जाती है तथा कार्यसूची व कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी अग्रिम में भेजी गयी थी तथा कार्यसूची के मदों के संबंध में और अधिक जानकारी व स्पष्टीकरण बैठक पूर्व मांगने/प्राप्त करने व बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता की परम्परा अभी भी प्रचलित है।

निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, सदस्यों की असहमति/मतभेद, यदि कोई हो तो, उसे अभिग्रहित करके कार्यवृत्त में अभिलेखित किया जाता हैं ।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी में समुचित प्रणाली व कार्य-विधि है जो प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमनों और मार्गनिर्देशों का अनुपालन व प्रबोधन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार व कार्य-संचालन के अनुरूप है ।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, उपर्युक्त के संदर्भ में कंपनी में कोई विशेष घटना/कार्रवाईयां नहीं हुई, जिसका उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई व्यापक भार पड़ता हो ।

कृते, **डी. हनुमंता राजू एंड कम्पनी**
कम्पनी सेक्रेटरीज

(हस्ता./-)
सीएस डी. हनुमंता राजू
भागीदार
एफसीएस : 4044 सीपी नम्बर : 1709
यूडीआईएन : एफ004044बी000371279

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 23 जून, 2020

इस रिपोर्ट को हमारे उसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो **''अनुलग्नक-क''** के रूप में संलग्न है और जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक-क

प्रति,
सदस्य,
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सीपत रोड, बिलासपुर
छत्तीसगढ़-495006

हमारी उस तारीख की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए,

1. कंपनी प्रबंधन सचिविक अभिलेखों के रख-रखाव के प्रति उत्तरदायी है। हमारी जवाबदेही, हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन सचिविक अभिलेखों पर अपनी राय-मत व्यक्त करना है।
2. सचिविक अभिलेखों में निहित विषयवस्तु की सत्यता सुनिश्चित करने हेतु हमनें लेखा परीक्षा कार्य-विधि एवं कार्य-प्रक्रिया का अनुपालन किया है। सचिविक अभिलेखों में निहित सही तथ्य सुनिश्चित करने के लिए जांच-परीक्षा आधार पर (टेस्ट बेसिस) जांच-पड़ताल किया गया। हमे विश्वास है कि हमनें जिन कार्य-प्रक्रियाओं एवं कार्य-विधियों का अनुपालन किया है, वह हमारे राय-मत के लिए यथोचित आधार उपलब्ध कराता है।
3. हमने कम्पनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-बहियों की सत्यता व उपयुक्तता-औचित्यता की जांच/सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों व नियमनों एवं घटित घटनाओं के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया।
5. कार्पोरेट और अन्य प्रयोज्य कानूनों, नियमों, नियमनों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जवाबदेही है। हमारी जांच-पड़ताल, जांच-परीक्षा आधार पर (टेस्ट बेसिस) कार्य-प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित था।
6. सचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य-व्यवहार के विषय को सुनिश्चित करता है और न ही कार्यदक्षता या प्रभावशीलता को सुनिश्चित करता है, तथा जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी के कार्य मामले संचालित-निष्पादित किये है।

कृते, **डी. हनुमंता राजू एंड कम्पनी**
कम्पनी सेक्रेटरीज

(हस्ता./-)
सीएस डी. हनुमंता राजू
भागीदार
एफसीएस : 4044 सीपी नम्बर : 1709
यूडीआईएन : एफ004044बी000371279

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 23 जून, 2020

(अनुलग्नक-IV)

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण एवं विदेशी विनिमय अर्जन व व्यय के संबंध में धारा 134 (3)(एम) के अधीन सूचना

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण एवं विदेशी विनिमय अर्जन व व्यय के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) सहपठित कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के प्रावधानों के अनुपालन में सूचना नीचे दर्शित है -

क. ऊर्जा का संरक्षण

(i) उठाए गए कदम या ऊर्जा संरक्षण पर प्रभावः

1. पावर फैक्टर को बढ़ाकर उसके द्वारा बिजली खपत में कमी लाने हेतु सभी सर्विस कनेक्शन बिन्दुओं के पावर खपत पैटर्न की नियमित मानिटरिंग की गई। पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए केपासिटर बैंक का स्थापन कर उस पर रू. 52.00 लाख की राशि व्यय की गई ।
2. वर्ष 2019-20 के दौरान एसईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में परम्परागत लाईट फिटिंग को बदलकर एलईडी लाईट फिटिंग की गई, जिस पर रू. 550.00 लाख व्यय हुआ ।
3. छोटे आकार के पाईप को बदलकर उसके स्थान पर बड़े आकार के पाईप का प्रयोग करते हुए डि-वाटरिंग पाईप लाईन्स का पुनर्नियोजन किया गया तथा इस तरह स्टेज पम्पिंग को कम किया गया । इस शीर्ष में रू. 340 लाख व्यय हुआ ।
4. वातायान प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से रू. 57-लाख व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा का संरक्षण हुआ ।
5. कांट्रेक्ट डिमांड के भीतर अधिकतम मांग को रोकने के लिए आपूर्ति बिन्दु के डिमाण्ड साईड मैनेजमेंट तथा लोड पैटर्न की मानिटरिंग की गई। सीएसपीडीसीएल एवं एमपीपीकेवीवीसीएल दोनों में कांट्रेक्ट डिमांड को कम करते हुए रू. 308.58 लाख बचाया गया ।
6. बिजली की हानि को कम करने तथा वोल्टेज में गिरावट की समस्या के लिये सीधे बोर होल के माध्यम से केबल बिछाकर भूमिगत खदानों में बिजली की आपूर्ति की गई । (पूरे पावर केबल की लम्बाई को कम करते हुए)
7. स्वीचगीयर व उपकरणों के मध्म दूरी को कम करते हुए पावर वितरण प्रणाली का पुनर्नियोजन किया गया। बिजली आपूर्ति के पुनर्नियोजन के लिए रू. 162-लाख व्यय किया गया ।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की उपयोगिता के लिए कम्पनी द्वारा उठाए गए कदमः

1. रूफ टॉप सोलर पावर संयंत्र :

सर्विस बिल्डिंग पर रूफ टॉप सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु 2150 केडब्लूपी अनुमानित क्षमता का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। एसईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के लिए चयनित सफलतम बोलीकर्ताओं को सर्वेक्षण एवं व्यवहार्यता रिपोर्ट हेतु आमंत्रित किया गया है।

2. सीपीएसई योजनान्तर्गत एनटीपीसी से सोलर पावर की खरीदी :

सीपीएसयू योजना के अधीन 25-वर्षों की अवधि के लिए गेवरा, दीपका एवं कुसमुंडा क्षेत्रों के उपयोग हेतु एनटीपीसी से 40 एमडब्लू सोलर पावर की खरीदी के प्रस्ताव हेतु एसईसीएल बोर्ड द्वारा सहमति दी गई है । एनटीपीसी से सोलर पावर वर्ष 2021 के अंतिम तिमाही में उपलब्ध होने की संभावना है ।

3. एसईसीएल की स्वतः की भूमि पर ग्राउण्ड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना :

एसईसीएल के भटगांव एवं बिश्रामपुर क्षेत्र में लगभग 76 हेक्टर खाली भूमि की पहचान की गई है। एनएलसीआईएल, सीआईएल एवं एसईसीएल की टीम ने भू-खण्डों का निरीक्षण कर यह पाया कि यह 43 एमडब्लू (लगभग) सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना के लिए उपयुक्त है। ग्राउण्ड माउंटेड सोलर पावर संयंत्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है ।

(ii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश : शून्य

(ख) प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण :

(i) प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण के संबंध में किए गए प्रयास :

प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण के संबंध में कम्पनी द्वारा किए गए प्रयास नीचे दर्शित हैं :-

(क) कंटीन्यूअस माईनर (सीएम) :

भूमिगत खनन संचालन को आधुनिक बनाने हेतु कंटीन्यूअस माईनर प्रौद्योगिकी हसदेव क्षेत्र की कपिलधारा खदान, जोहिला क्षेत्र की पिनौरा खदान, बैकुंठपुर क्षेत्र की चरचा यूजी, चिरिमिरी क्षेत्र की विजय वेस्ट भूमिगत, हसदेव क्षेत्र की हल्दीबाड़ी यूजी खदान तथा सोहागपुर क्षेत्र की खैरहा भूमिगत खदान में परिचालन में है । हाल ही में, विंध्या यूजी में सीएम को नियोजित करने हेतु करार हस्ताक्षरित किए गए तथा इसके 2020-21 में आपूर्ति होने की संभावना है। भविष्य में, सीएम को केतकी भूमिगत खान (बिश्रामपुर क्षेत्र), गायत्री भूमिगत खान (बिश्रामपुर क्षेत्र), शिवानी खदान (भटगांव क्षेत्र), रेहर भूमिगत खदान (बिश्रामपुर क्षेत्र) एवं रजगामार भूमिगत (कोरबा क्षेत्र) में नियोजित किया जाएगा । रानी अटारी एवं कुरजा भूमिगत खदान के लिए एलएचसीएम पैकेज हेतु निविदा आमंत्रित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है तथा शीतलधारा कुरजा सीएम पैकेज को बेहराबंद यूजी में चालू करने हेतु शिफ्टिंग प्रक्रिया कर ली गई है ।

(ख) कम क्षमतायुक्त कंटीन्यूअस माईनर (एलसीसीएम) :

एलसीसीएम को किराया आधार पर वर्ष 2008-09 से चिरिमिरी क्षेत्र की रानीअटारी भूमिगत खदान में व्यवहार में लाया गया ।

(ग) हाईवाल माईनिंग टेक्नोलॉजी :

यह पद्धति दूरस्थतः संचालित पद्धति है, जिसका प्रयोग 0.9 एम से 1.5 एम तक की मोटाई वाले सीम अथवा अंडरलाईंग सीम से कोयला निकालने या खुली खदान के हाईवाल में अन्तर्निहित से कोयला निकालने के लिए किया जाता है, जो अलाभकर स्ट्रीपिंग अनुपात के कारण या सतही बाधाओं के कारण अंतिम हाईवाल स्थिति तक पहुंच गया हो तथा जहां आगे खनन संचालन सीमित हो। वर्तमान में, सोहागपुर क्षेत्र की शारदा ओसीएम में हाईवाल माईनिंग का दो सेट परिचालन में है। अवधि 2019-20 के दौरान हाईवाल से 8.44 लाख टन कोयला उत्पादित हुआ। एक दूसरी नई परियोजना बतुरा हेतु हाईवाल अनुमोदित की गई तथा यह क्रियान्वयन के अधीन है।

(घ) सरफेस माईनर :

सरफेस माईनर को किराया आधार पर गेवरा खुली खदान विस्तार, दीपका खुली खदान विस्तार, कुसमुंडा खुली खदान विस्तार, छाल खुली खदान, जामपाली खुली खदान, बरौद खुली खदान, बिजारी खुली खदान तथा महान-।। खुली खदान में कोयला उत्पादन के लिये नियोजित किया गया है ।

(ड.) मैनरायडिंग सिस्टम (एमआरएस) :

निर्दिष्ट भूमिगत खदान (यूजी), जहां लम्बी या कठिन/श्रमसाध्य यात्रा शामिल है, वहां इसे मानव-व्यक्तियों के आवागमन की व्यवस्था के लिए व्यवहार में लाया गया है। मैनरायडिंग प्रणाली (एमआरएस) कंपनी की चरचा (तीन सेट), सिंघाली, बगदेवा, बेहराबंद, पिनौरा, शीतलधारा-कुरजा, कपिलधारा, बंगवार, शिवानी, नवापारा (दो सेट), झिलिमिली, झिरिया, राजेन्द्रा एवं कटकोना यूजी खदानों में परिचालन में है। ढ़ेलवाडीह यूजी एवं कटकोना यूजी 1 एवं 2 (द्वितीय सेट) में एमआरएस की खरीदी हेतु टेंडरिंग का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है, जबकि खैरहा यूजी में अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है ।

(ii) उत्पाद में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद-विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभ :

इन प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन से उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार हुआ है तथा ऐसी कोयला सीम जो पहले कार्य योग्य नहीं थी, वहां अब कम खर्च में सुरक्षित रूप में खनन कार्य किया जा सकेगा ।

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (पिछले 3-वर्ष के दौरान हुए आयात को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से माना गया) :

क.	आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण	: कुछ नहीं
ख.	आयात का वर्ष	: कुछ नहीं
ग.	प्रौद्योगिकी पूर्णतः आत्मसात की गई ?	: कुछ नहीं
घ.	यदि पूरी तरह आत्मसात नहीं की गई है, तो क्षेत्र जहां यह आत्मसात नहीं हुई, तथा उसका कारण	: कुछ नहीं

(iv) अनुसंधान और विकास पर हुआ व्यय : कुछ नहीं

ग. विदेशी विनिमय अर्जन और व्यय :

वर्ष के दौरान वास्तविक अन्तःप्रवाह के निबंधन में अर्जित विदेशी विनिमय तथा वर्ष के दौरान वास्तविक बाह्य प्रवाह के निबंधन में विदेशी विनिमय में व्यय इस प्रकार है -

क. अर्जित कुल विदेशी विनिमय (अन्तःप्रवाह)	:	कुछ नहीं
ख. उपयोग की गई कुल विदेशी विनिमय (बाह्य प्रवाह)	:	रू. 54.84 करोड़

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के
निदेशक मण्डल की ओर से

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**
(आर.के. निगम)	**(ए.पी. पण्डा)**
निदेशक (तकनीकी) संचालन	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08321825	डीआईएन : 06664375

स्थान : बिलासपुर
दिनांक : 11.08.2020

अनुलग्नक-V

कार्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

कार्पोरेट गवर्नेंस पणधारकों को परम महत्व प्रदान करते हुए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ टिकाऊ आधार पर व्यवसाय के महत्व व कार्य-संचालन के प्रति कंपनी के प्रशासन में शासित नियमों, विनियमों और नीतियों के नीतिपरक ढांचे पर विशेष जोर देता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक पणधारक के साथ-साथ अंशधारकों, निवेशकों, ग्राहकों, विक्रेताओं, विनियामक, समाज व सरकार के हितों की वृहद रूप में रक्षा करना है। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, डीपीई द्वारा उनके पत्र सं0-18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 के माध्यम से केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसई) के लिये कार्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशानिर्देशों के साथ सन्निहित निर्देश आवश्यक अनुपालन के लिए सभी सीपीएसई हेतु अधिदेश/अनिवार्य है। एसईसीएल पूरी निष्ठा के साथ न केवल डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध है अपितु पणधारकों के हित संवर्धन हेतु उनके व्यावसायिक प्रक्रियाओं, कार्य-संचालनों और प्रकटीकरण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और स्पष्टता उपलब्ध कराने के लिए निर्मित ढांचा से एक कदम आगे बढ़कर है ।

1. कार्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में कम्पनी की अवधारणा

एसईसीएल का यह मानना है कि स्वस्थ कार्य-संचालन प्रक्रिया सभी पणधारकों का विश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । यह संस्थान के कार्य-निष्पादन के संवर्धन में समग्र प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा यह टिकाऊ विकास में महत्वपूर्ण कारक भी है, जो हमारी सफलता को आंकने हमें प्रेरित व प्रोत्साहित करता है । कार्य-संस्कृति, नीतियां और आचार नीति हमारे सभी पणधारको के मध्य आपसी तालमेल स्थापित कर उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए एक मजबूत मंच मुहैया कराता है ।

एसईसीएल के कार्य-निष्पादन एवं विकास में अभिवृद्धि स्वस्थ व विवेकपूर्ण सिद्धातों एवं उत्कृष्ट स्वशासन प्रक्रियाओं को अपनाने से प्राप्त हुई है। कंपनी का लक्ष्य एवं संकल्पना पणधारकों के हित को उच्च प्राथमिकता देते हुए प्रतिष्ठित हुआ है। निदेशक मण्डल निष्पक्षता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता व न्यायनिष्ठता का सम्यक ध्यान रखते हुए नीतियां व व्यावसायिक कार्यनीति को बनाते समय न्यासीय जवाबदेही का निष्पादन करते हैं। ''ई'' के तीन स्तम्भ नैतिकता, कर्मठता व दक्षता व्यवसाय के कार्य-संचालन में सहक्रिया (सिनर्जी) का सृजन करते हैं । बोर्ड में बहुश्रुत स्वतंत्र सदस्यों की उपस्थिति से निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुशलता आई है तथा व्यावसायिक आचार संहिता एवं आचार नीति (कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड एथिक्स), इंटिग्रिटी पैक्ट, प्रकटीकरण नीतियों आदि के अनुपालन के फलस्वरूप कार्पोरेट लोकाचार के उच्च मानकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है ।

2.0 निदेशक-मण्डल :

2.1 बोर्ड का स्वरूप :

संस्था नियमावली के अनुसार,बोर्ड की संख्या 02 (दो) निदेशकों से कम तथा 15 (पन्द्रह) निदेशकों से अधिक नहीं होगी। ये निदेशक पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक या अंशकालिक कार्यालयीन निदेशक/सरकार द्वारा नामित निदेशक या स्वतंत्र निदेशक हो सकते हैं।

2.2 बोर्ड की संरचना :

कम्पनी के निदेशक-मंडल में नीचे दर्शाये अनुसार 11(ग्यारह)विवेकपूर्ण निदेशकों का समावेशन हैं,

i) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित 5 (पांच) पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक

ii) भारत सरकार के 2 (दो) अंशकालिक कार्यालयीन निदेशक (सरकार द्वारा नामित), तथा

iii) भारत सरकार,कोयला मंत्रालय द्वारा नियुक्त 4 (चार) स्वतंत्र निदेशक

इसके अलावा, सरकार ने साउथ ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे (एसईसीआर) से एक प्रतिनिधि को कम्पनी के बोर्ड में स्थायी आमंत्रित के रूप में नामित किया है। निदेशकगण बोर्ड को अपना व्यापक अनुभव और कुशलता प्रदान करते हैं ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशक-मण्डल की संरचना नीचे दी गई हैं :

स.क्रं.	नाम	पदनाम	धारित पद स्थिति
01	श्री ए.पी. पण्डा	चेयरमेन	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
02	डा. आर.एस. झा	सदस्य	निदेशक (कार्मिक)
03	श्री आर. के. निगम [1]	सदस्य	निदेशक (तकनीकी) संचालन
04	श्री कुलदीप प्रसाद [1]	सदस्य	निदेशक (तकनीकी) संचालन
05	श्री एम.के. प्रसाद [2]	सदस्य	निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना
06	श्री आर. के. निगम [2]	सदस्य	निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना
07	श्री एस.एम. चौधरी [3]	सदस्य	निदेशक (वित्त)/मुख्य वित्त अधिकारी
08	श्री एन.के. अगरवाला [4]	सदस्य	निदेशक (वित्त)/मुख्य वित्त अधिकारी
09	श्री संजीव सोनी [4]	सदस्य	निदेशक (वित्त)/मुख्य वित्त अधिकारी
10	श्री आर.के. सिन्हा [5]	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक
11	श्री आशीष उपाध्याय [5]	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक
12	श्री संजीव सोनी [6]	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक
13	श्री एस.एन. प्रसाद [6]	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक
14	सीए श्री एस.के. देशपाण्डे [7]	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
15	डा. सुनील कुमार [8]	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
16	डा. बी.एस. सहाय [8]	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
17	सीए श्री विनोद जैन [8]	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
18	------- [9]	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
19	------- [9]	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
20	------- [9]	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
21	श्री छत्रसाल सिंह [10]	स्थाई आमंत्रित	प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
22	श्री पी.के. जेना [10]	स्थाई आमंत्रित	प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

टिप्पणी :

1. *श्री आर.के. निगम ने दिनांक 01.05.2019 से निदेशक (तकनीकी) संचालन का प्रभार, श्री कुलदीप प्रसाद जो दिनांक 30.04.2019 को अधिवर्षिता की आयु को प्राप्त करने के उपरांत निदेशक (तकनीकी) संचालन से मुक्त हुए, के स्थान पर, ग्रहण किया ।*

2. *श्री एम.के. प्रसाद की नियुक्ति दिनांक 18.06.2019 से एसईसीएल बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना के पद पर हुई, फलस्वरूप श्री आर.के. निगम ने दिनांक 18.06.2019 से निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना का प्रभार त्याग दिया ।*

3. *श्री एस.एम. चौधरी की नियुक्ति श्री एन.के. अगरवाला के स्थान पर दिनांक 12.10.2019 से एसईसीएल बोर्ड में निदेशक (वित्त) के पद पर हुई ।*

4. *वर्ष के दौरान, श्री एन.के. अगरवाला की नियुक्ति दिनांक 16.08.2019 से निदेशक (वित्त) के पद पर हुई तथा वे इस पद पर दिनांक 11.10.2019 तक रहे तथा उनकी नियुक्ति के पूर्व, श्री संजीव सोनी दिनांक 04.04.2019 से 10.07.2019 तक की अवधि के लिए निदेशक (वित्त) रहे ।*

5. *श्री आर.के. सिन्हा, आईएएस, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय की नियुक्ति श्री आशीष उपाध्याय जो दिनांक 29.11.2019 से सरकार नामित निदेशक का प्रभार त्याग दिये, के स्थान पर दिनांक 29.11.2019 से सरकार नामित निदेशक के पद पर हुई ।*

6. *श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त),सीआईएल की नियुक्ति श्री एस.एन. प्रसाद जो दिनांक 29.10.2019 से सरकार नामित निदेशक का प्रभार त्याग दिये, के स्थान पर दिनांक 29.10.2019 से सरकार नामित निदेशक के पद पर हुई ।*

7. *सीए श्री एस.के.देशपाण्डे की एसईसीएल बोर्ड में नियुक्ति दिनांक 25.07.2019 से स्वतंत्र निदेशक के पद हुई।*

8. *डा. सुनील कुमार,डा. बी.एस. सहाय एवं सीए श्री विनोद जैन कोयला मंत्रालय द्वारा पुनःर्नियुक्ति का उनका कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत दिनांक 17.11.2019 से एसईसीएल बोर्ड से स्वतंत्र निदेशक का प्रभार त्याग दिये ।*

9. *03 (तीन) अन्य स्वतंत्र निदेशक का पद दिनांक 17.11.2019 से रिक्त है, जिनकी नियुक्ति कोयला मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है ।*

10. *श्री छत्रसाल सिंह, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की नियुक्ति श्री पी.के. जेना, पूर्व प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के स्थान पर दिनांक 02.03.2020 से कोयला मंत्रालय द्वारा एसईसीएल बोर्ड में स्थाई आमंत्रित के रूप में की गई ।*

2.3 निदेशकों की आयु-सीमा एवं कार्यकाल :

अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक एवं अन्य पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों की आयु-सीमा 60 (साठ) वर्ष है। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं अन्य पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5-वर्ष की अवधि या पदधारी की अधिवर्षिता तिथि तक, या भारत सरकार से आगामी निर्देश तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती हैं। अंशकालिक कार्यालयीन निदेशक (सरकार द्वारा नामित) मंत्रालय/कोल इंडिया लिमिटेड के पद से मुक्त होने पर बोर्ड से सेवानिवृत्त होते हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामान्यतः 03 (तीन) वर्षों की अवधि के लिये की जाती है ।

2.4 वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्त निदेशक

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कम्पनी के बोर्ड में निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्त हुई।

स.क्रं.	नाम	पदनाम	पद स्थिति
1	श्री आर.के. सिन्हा, आईएएस, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय	सदस्य	सरकार नामित निदेशक
2	श्री संजीव सोनी,निदेशक(वित्त) सीआईएल	सदस्य	सरकार नामित निदेशक
3	श्री एस.के. देशपाण्डे	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
4	श्री आर.के. निगम	सदस्य	निदेशक (तकनीकी) संचालन
5	श्री एम.के. प्रसाद	सदस्य	निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना
6	श्री एस.एम. चौधरी	सदस्य	निदेशक (वित्त)/मुख्य वित्त अधिकारी
7	श्री एन.के. अगरवाला	सदस्य	निदेशक (वित्त)/मुख्य वित्त अधिकारी
8	श्री संजीव सोनी	सदस्य	निदेशक (वित्त)/मुख्य वित्त अधिकारी

3 बोर्ड-बैठक :

निदेशक-मण्डल शीर्ष निकाय है जो कम्पनी के सम्पूर्ण कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करती है। बोर्ड प्रक्रियाएं व समस्त संबंधित प्रयोज्य नियम एवं विनियमों का अनुपालन किया जाता है।

निदेशक मण्डल की भूमिका

बोर्ड की प्राथमिक भूमिका कंपनी को कार्यनीतिक दिशानिर्देशों के माध्यम से अंशधारकों के अहमियत के संवर्धन तथा संरक्षा के लिए ट्रस्टीशिप की है। न्यासी के रूप में, बोर्ड के पास यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि अंशधारकों की अहमियत व उनके विकास से जुड़े लक्ष्य सुस्पष्ट हो। बोर्ड अपने कर्तव्यों का पालन निगरानी, कुशलता व लगन के साथ करते हैं तथा स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। वे कार्यनीतिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उनकी पूर्ति के लिए जवाबदेही तय करते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश और समुचित नियंत्रण का भी प्रयोग करते हैं कि कंपनी को इस तरह से प्रबंधित किया जाए जो अंशधारकों की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करे ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित कुल 13-बोर्ड बैठकों का विवरण नीचे दर्शित है -

स.क्रं.	बोर्ड की बैठक संख्या	दिनांक
1	285	24.04.2019
2	286	29.05.2019
3	287	07.06.2019

स.क्रं.	बोर्ड की बैठक संख्या	दिनांक
4	288	19.07.2019
5	289	28.07.2019
6	290	06.09.2019
7	291	17.09.2019
8	292	25.09.2019
9	293	03.11.2019
10	294	01.12.2019
11	295	28.12.2019
12	296	31.01.2020
13	297	01.03.2020

सभी बैठकों के लिए आवश्यक गणपूर्ति की पूर्ति की गई। कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा-निर्धारित दो बोर्ड बैठकों के मध्य अधिकतम अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था।

बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे सारणी में दर्शित है :

स.क्रं	निदेशकगण	संबंधित के कार्य काल के दौरान आहूत बोर्ड बैठकें	बोर्ड बैठक में उपस्थिति संख्या	31.03.2020 को समिति सदस्यता संख्या		दिनांक 31.03.20 को अन्य कंपनियों में निदेशक पद	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
				चेयरमेन के पद पर	सदस्य/ आमंत्रित के पद पर		
कार्यकारी निदेशकगणः							
1	श्री ए.पी. पण्डा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	13	13	03	-	-	हां
2	डा. आर.एस. झा, निदेशक (कार्मिक)	13	13	-	02	02	-
3	श्री आर.के. निगम, निदेशक(तक.) संचालन	12	12	-	05	02	-
4	श्री एम.के. प्रसाद, निदेशक (तकनीकी) योजना-परि.	10	10	01	04	02	-
5	श्री एस.एम.चौधरी, निदेशक (वित्त)	05	05	-	06	01	-
सरकार द्वारा नामित निदेशकः							
1	श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त), सीआईएल	05	05	-	01	02	-
2	श्री एस.एन. प्रसाद, निदेशक(विपणन),सीआईएल एवं अतिरिक्त प्रभार निदेशक (वित्त), सीआईएल	08	05	-	-	-	
3	श्री आर.के. सिन्हा,आईएएस, संयुक्त सचिव (कोयला मंत्रालय)	04	04	-	02	-	-
4	श्री आशीष उपाध्याय, आईएएस, संयुक्त सचिव (कोयला मंत्रालय)	09	09	-	-	1	-
स्वतंत्र निदेशक :							
1	श्री एस.के. देशपाण्डे, अधिकृत लेखाकार	09	08	03	01	04	लागू नहीं
2	डा. सुनील कुमार, सेवानिवृत्त आईएएस पूर्व उपाध्यक्ष,राज्य योजना आयोग,छग	09	08	-	-	-	

स.क्रं	निदेशकगण	संबंधित के कार्य काल के दौरान आहूत बोर्ड बैठकें	बोर्ड बैठक में उपस्थिति संख्या	31.03.2020 को समिति सदस्यता संख्या		दिनांक 31.03.20 को अन्य कंपनियों में निदेशक पद	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
				चेयरमेन के पद पर	सदस्य/ आमंत्रित के पद पर		
3	डा. बी.एस. सहाय, पूर्व निदेशक, आईआईएम, रायपुर	09	06	-	-	-	लागू नहीं
4	श्री विनोद जैन, अधिकृत लेखाकार	09	09	-	-	8	लागू नहीं
5	-- रिक्त है --	-	-	-	-	-	-
6	-- रिक्त है --	-	-	-	-	-	-
7	-- रिक्त है --	-	-	-	-	-	-
स्थाई आमंत्रित							
1	श्री छत्रसाल सिंह, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर	-	-	-	-	-	लागू नहीं
2	श्री पी.के. जेना, पूर्व प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,बिलासपुर	12	03	-	-	-	लागू नहीं

कोई भी निदेशक दस से अधिक कम्पनियों के बोर्ड में निदेशक पद/सदस्यता धारित नहीं किए हुए हैं। तदन्तर,इनमें से कोई भी, जिसमें वे निदेशक हैं, सभी कंपनियों में से 10 समितियों से अधिक में सदस्य या 05 समितियों से अधिक में चेयरमेन नहीं है। सभी निदेशकों द्वारा अन्य कम्पनियों में 31 मार्च, 2020 को उनके द्वारा धारित समिति-पद के संबंध में अपेक्षित जानकारी दी गई है। कोई भी निदेशक एक-दूसरे से सम्बद्ध नहीं है।

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने पुष्टि की है कि वे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के अधीन यथादर्शित मानदण्डों को पूरा करते हैं ।

4. बोर्ड-प्रक्रियाएं/कार्यवाही :

4.1 निदेशक-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत सूचना :

बोर्ड के पास कम्पनी से संबंधित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध है। बोर्ड को नियमित रूप से दी गई सूचना में निम्नलिखित शामिल है :-

- वार्षिक कार्य संचालन आयोजनाएं, पूंजी एवं राजस्व बजट एवं अद्यतन स्थिति
- कम्पनी की तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- लाभांश घोषणा ।
- कम्पनी के कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा ।
- एचईएमएम की उपलब्धता एवं उपयोगिता की आवधिक समीक्षा ।
- प्रयोज्य कानूनों के अनुपालन पर आवधिक रिपोर्ट ।
- वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक रिपोर्ट आदि ।
- बोर्ड की बैठकों, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति व अन्य बोर्ड समितियों की बैठक का कार्यवृत्त ।
- बड़ी संविदाओं/अनुबंधों के अवार्ड ।
- बड़े निवेश, संयुक्त उद्यम आदि
- मानव संसाधन संबंधी मुद्दे एवं खान सुरक्षा/सुरक्षा संबंधी मामले
- निदेशकों द्वारा अन्य कम्पनियों में निदेशक पद व पद-स्थिति के बारे में घोषणा/प्रकटीकरण।
- सांघातिक या गंभीर दुर्घटनाएं आदि ।

- कारण बताओ, मांग,अभियोजन सूचनाएं और दण्ड सूचनाएं, जोकि वस्तुगत/तात्विक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- वस्तुगत/तात्विक रूप से अन्य महत्वपूर्ण सूचना सहित किसी नियामक अथवा सांविधिक अपेक्षाओं/शर्तों का कोई अनुपालन न होने संबंधी सूचना ।

4.2 बोर्ड-बैठक के पश्चात की प्रक्रिया

कम्पनी सचिव गवर्नेंस प्रक्रिया के एक अंग के रूप में विभाग प्रमुख/क्षेत्र को आवश्यक अनुमोदन एवं अनुमति/प्राधिकार के साथ बोर्ड का परिणाम संसूचित करते हैं तथा बैठक पश्चात अनुपालन प्रक्रिया के रूप में बोर्ड/समिति द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुरूप लंबित/कृत कार्रवाई हेतु आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा तथा रिपोर्टिंग करते हैं ।

5.0 निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

सरकारी कम्पनी होने के नाते, पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों एवं अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को उनके द्वारा बोर्ड या समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थिति के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा नियत दर पर बैठक-शुल्क को छोड़कर, कोई अन्य पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

5.1 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के कार्यकारी निदेशक एवं अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक का विवरण

(राशि रू. करोड़ में)

स.क्रं.	नाम	पदनाम	सकल वेतन	अनुलाभ	योग
1	श्री ए.पी.पण्डा	अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी	0.42	0.10	0.52
2	डा. आर.एस. झा	निदेशक (कार्मिक)	0.38	0.09	0.47
3	श्री आर.के. निगम	निदेशक (तक.) (संचालन)	0.41	0.06	0.47
4 i	श्री कुलदीप प्रसाद	निदेशक (तक.) (संचालन)	0.03	0.10	0.13
5 ii	श्री एम.के. प्रसाद	निदेशक (तक.) योजना-परियोजना	0.37	0.06	0.43
6 iii	श्री एस.एम. चौधरी	निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी	0.23	0.07	0.30
7	श्री एस.एम. युनुस	कम्पनी सचिव	0.36	0.05	0.40
	योग		**2.20**	**0.53**	**2.73**

*** टिप्पणीः**

i. *श्री कुलदीप प्रसाद, निदेशक (तकनीकी) संचालन का पारिश्रमिक माह अप्रैल, 2019 तक की अवधि के लिए है।*

ii. *श्री एम.के.प्रसाद,निदेशक(तक.)योजना एवं परियोजना का पारिश्रमिक 18.06.2019 से 31.03.2020 तक के लिए है।*

iii. *श्री एस.एम. चौधरी,निदेशक (वित्त) का पारिश्रमिक दिनांक 12.10.2019 से 31.03.2020 तक के लिए है।*

5.2 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक-शुल्क का भुगतान :

वर्तमान में, 01 (एक) स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति एसईसीएल बोर्ड में की गयी है, जबकि 03 (तीन) स्वतंत्र निदेशकों ने कोयला मंत्रालय द्वारा पुनःनियुक्ति का उनका कार्यकाल पूरा होने के उपरांत दिनांक 17.11.2019 से त्याग दिया है। तीन स्वतंत्र निदेशकों का पद दिनांक 17.11.2019 से रिक्त है। कम्पनी ने कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को कम्पनी में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के बारे में संसूचित किया है। कम्पनी ने कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को कम्पनी में महिला निदेशक की आवश्यकता के बारे में भी संसूचित किया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के भुगतान का विवरण नीचे दर्शित है :

(राशि रू. में)

स.क्रं.	स्वतंत्र निदेशक का नाम	उपस्थिति हेतु प्रदत्त कुल बैठक शुल्क		कुल
		बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
1	श्री एस.के.देशपाण्डे	1,60,000	2,60,000	4,20,000
2	डा. सुनील कुमार*	1,60,000	1,80,000	3,40,000
3	डा. बी.एस. सहाय*	1,20,000	1,80,000	3,00,000
4	सीए श्री विनोद जैन*	1,80,000	1,00,000	2,80,000
कुल		**6,20,000**	**7,20,000**	**13,40,000**

**डा. सुनील कुमार, डा. बी.एस. सहाय एवं सीए श्री विनोद जैन का पारिश्रमिक अवधि 01.04.2019 से 16.11.2019 तक के लिए हैं।*

5.3 अंशकालिक कार्यालयीन निदेशक/सरकार नामित निदेशक :

कम्पनी द्वारा अंश-कालिक कार्यालयीन निदेशकों/सरकार नामित निदेशकों को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है ।

5.4 बोर्ड सदस्यों को सूचना की उपलब्धता :

बोर्ड के पास अपने कर्मचारियों समेत कंपनी से संबंधित समस्त जानकारी सहज रूप में उपलब्ध है । बोर्ड की बैठक हेतु बोर्ड-सदस्यों के लिए कार्यसूची एवं दस्तावेज तैयार करते समय बोर्ड-सदस्यों का इनपुट और फीडबैक लिया जाता है तथा विचार किया जाता है । वरीय अधिकारियों द्वारा उनके संबंधित व्यावसायिक इकाईयों में विस्तृत विश्लेषण एवं दीक्षा सत्र आयोजित किया जाता है। इन बैठकों में, निदेशक विभिन्न कार्यनीतिक व कार्य-संचालन मामलों पर अपने इनपुट एवं सुझाव दे सकते हैं ।

6.0 बोर्ड की समितियां

कम्पनी की निम्नलिखित 08 (आठ) बोर्ड स्तरीय समितियां है :

1. निदेशकों की अधिकारिता समिति (ईसीओडी)
2. कार्यकारी निदेशकों की समिति (सीओएफडी)
3. लेखा परीक्षा समिति
4. प्रोजेक्ट उप-समिति
5. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति
6. जोखिम प्रबंधन समिति
7. सूचना प्रौद्यौगिकी (आईटी) समिति
8. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आर एंड आर) समिति

6.1 निदेशकों की अधिकारिता समिति (ईसीओडी) :

निदेशकों की अधिकारिता समिति की नई अवधारणा को अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक के नेतृत्व तथा कुछ कार्यकारी निदेशकों, सरकार नामित निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों के समावेशन के साथ सीआईएल एवं उसकी अनुषंगियों की संशोधित शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीओपी) जो सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित है,में आरंभ किया गया है। तदानुसार, सीआईएल के निदेशों के अनुसार, एसईसीएल बोर्ड ने दिनांक 19.07.2019 को आहूत अपनी 288-वीं बैठक में निदेशकों की अधिकारिता समिति का गठन सीआईएल द्वारा संसूचित संशोधित शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओपी) के अनुसार विशेषकर क्रय एवं संविदा के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सौंपे गए कर्तव्यों (टर्म ऑफ रिफरेंस) के साथ किया गया।

6.1.1 निदेशकों की अधिकारिता समिति का कार्यक्षेत्र/सीमा :

निदेशकों की अधिकारिता समिति सीआईएल द्वारा संसूचित तथा एसईसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित, कंपनी की संशोधित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार ''क्रय एवं संविदा'' पर कंपनी के चेयरमेन की शक्तियों का 5 (पांच) बार प्रयोग कर सकती हैं ।

6.1.2 गठन :

वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी के बोर्ड की निदेशकों की अधिकारिता समिति का गठन सीआईएल द्वारा संसूचित तथा एसईसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार किया गया। समिति का गठन कंपनी के अध्यक्ष के नेतृत्व व कुछ कार्यकारी निदेशकों, सरकार नामित निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों को शामिल कर किया गया है।

6.1.3 संयोजन :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशकों की अधिकारिता समिति ने निम्नलिखित सदस्यों एवं आमंत्रितों के साथ काम किया।

स.क्रं.	नाम	पदनाम	केटेगरी
1	श्री ए.पी. पण्डा	अध्यक्ष	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एसईसीएल
2	श्री आर.के. सिन्हा	सदस्य	सरकार नामित निदेशक
3	श्री एस.के. देशपाण्डे	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
4	श्री आर.के. निगम	सदस्य	निदेशक (तकनीकी) संचालन, एसईसीएल
5	श्री एम.के. प्रसाद	सदस्य	निदेशक (तकनीकी) योजना-परियोजना, एसईसीएल
6	श्री एस.एम. चौधरी	सदस्य	निदेशक (वित्त), एसईसीएल

कंपनी सचिव निदेशकों की अधिकारिता समिति में सचिव हैं।

6.1.4 बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 03 (तीन) बैठकें हुई, जिसका विवरण नीचे दर्शित है-

स.क्रं.	अधिकारिता समिति की बैठक संख्या	दिनांक
1	प्रथम बैठक	01.12.2019
2	द्वितीय बैठक	24.01.2020
2	तृतीय बैठक	01.03.2020

अधिकारिता समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दर्शित है-

स.क्रं.	अधिकारिता समिति के सदस्य/आमंत्रित	उनके कार्यकाल के दौरान आहूत बैठकें	बैठक में उपस्थिति
1	श्री ए.पी. पण्डा, अध्यक्ष	03	03
2	श्री आर.के. सिन्हा, आईएएस, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय/ सरकार नामित निदेशक	03	03
3	श्री एस.के. देशपाण्डे, स्वतंत्र निदेशक	03	03
4	श्री आर.के. निगम, निदेशक (तकनीकी) संचालन	03	03
5	श्री एम.के. प्रसाद, निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना	03	02
6	श्री एस.एम. चौधरी, निदेशक (वित्त)	03	03

6.2 कार्यकारी निदेशकों की समिति :

अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक के नेतृत्व तथा कुछ कार्यकारी निदेशकों, सरकार नामित निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों के साथ कार्यकारी निदेशकों की समिति की नई अवधारणा को सीआईएल एवं उसकी अनुषंगियों की संशोधित शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीओपी) जो सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित है, में आरंभ किया गया है। तदनुसार, सीआईएल के निदेशों के अनुसार, एसईसीएल बोर्ड ने दिनांक 19.07.2019 को आहूत अपनी 288-वीं बैठक में कार्यकारी निदेशकों की समिति का गठन सीआईएल द्वारा संसूचित संशोधित शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओपी) के अनुसार विशेषकर क्रय एवं संविदा के संबंध में किए जाने वाले शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सौंपे गए कर्तव्यों (टर्म ऑफ रिफरेंस) में किया गया।

6.2.1 कार्यकारी निदेशकों की समिति का कार्यक्षेत्र/सीमा :

कार्यकारी निदेशकों की समिति सीआईएल द्वारा संसूचित तथा एसईसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित, कंपनी की संशोधित शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओपी) के अनुसार "क्रय एवं संविदा" पर कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की शक्तियों का 2 (दो) बार प्रयोग कर सकती हैं ।

6.2.2 गठन :

वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी के बोर्ड की कार्यकारी निदेशकों की समिति का गठन सीआईएल द्वारा संसूचित तथा एसईसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार किया गया । समिति का गठन कंपनी के अध्यक्ष के नेतृत्व तथा सभी कार्यकारी निदेशकों को शामिल कर किया गया है ।

6.2.3 संयोजन :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यकारी निदेशकों की समिति ने निम्नलिखित सदस्यों के साथ काम किया।

स.क्रं.	नाम	पदनाम	केटेगरी
1	श्री ए.पी. पण्डा	अध्यक्ष	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एसईसीएल
2	डा. आर.एस. झा	सदस्य	निदेशक (कार्मिक), एसईसीएल
3	श्री आर.के. निगम	सदस्य	निदेशक (तकनीकी) संचालन, एसईसीएल
4	श्री एम.के. प्रसाद	सदस्य	निदेशक (तकनीकी) योजना-परियोजना, एसईसीएल
5	श्री एस.एम. चौधरी	सदस्य	निदेशक (वित्त), एसईसीएल

कंपनी सचिव कार्यकारी निदेशकों की समिति में सचिव हैं ।

6.2.4 बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 15 (पन्द्रह) बैठकें हुई, जिसका विवरण नीचे दर्शित है-

स.क्रं.	कार्यकारी निदेशकों की समिति की बैठक संख्या	दिनांक
1	1	20.08.2019
2	2	28.08.2019
3	3	12.09.2019
4	4	29.10.2019
5	5	16.11.2019
6	6	20.11.2019
7	7	28.11.2019
8	8	03.12.2019
9	9	19.12.2019
10	10	08.01.2020
11	11	22.01.2020
12	12	24/25.02.2020
13	13	04.03.2020
14	14	16/17.03.2020
15	15	24.03.2020

कार्यकारी निदेशकों की समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दर्शित है-

स.क्रं.	कार्यकारी निदेशकों की समिति के सदस्य/आमंत्रित	उनके कार्यकाल के दौरान आहत बैठकें	बैठक में उपस्थिति
1	श्री ए.पी. पण्डा, अध्यक्ष	15	15
2	डा. आर.एस. झा, निदेशक (कार्मिक)	15	12
3	श्री आर.के. निगम, निदेशक (तकनीकी) संचालन	15	14
4	श्री एम.के. प्रसाद, निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना	15	15
5[i]	श्री एस.एम. चौधरी, निदेशक (वित्त)	12	11
6[i]	श्री एन.के. अगरवाला, निदेशक (वित्त)	03	02

i श्री एस.एम. चौधरी की नियुक्ति श्री एन.के. अगरवाला के स्थान पर दिनांक 12.10.2019 से निदेशक (वित्त) के पद पर हुई ।

6.3 लेखा परीक्षा समिति :

लेखा परीक्षा समिति के विचारणीय विषय, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, द्वारा सीपीएसई के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर दिनांक 14.05.2010 को जारी दिशानिर्देश के अनुरूप है ।

6.3.1 लेखा परीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र :

1. निम्नलिखित के बारे में आवधिक रूप में लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना :
   - आंतरिक नियंत्रण पद्धति का अनुपालन तथा इसकी पर्याप्तता ।
   - लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र समेत लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां ।
   - बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व,तिमाही, अर्ध-वार्षिक व वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा।
2. निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करना :
   - वित्तीय विवरणी सही, समुचित व विश्वसनीय है, यह सुनिश्चित करने के लिये इसकी वित्तीय सूचना के प्रकटीकरण हेतु कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया एवं प्रणाली का पर्यवेक्षण करना ।
   - निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित विषय/मामले के विशेष संदर्भ में अनुमोदन के लिये बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व लेखा नीतियों, मुख्य लेखा प्रविष्टियां, किये गये महत्वपूर्ण समायोजन, संबद्ध पार्टी लेनदेन-संव्यवहार एवं ड्राफ्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट में हेरफेर (क्वालिफिकेशन), यदि कोई फेरबदल हो तो, प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा करना।
   - बाह्य लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं निष्कासन, लेखा परीक्षा शुल्क के निर्धारण की अनुशंसा करना तथा कोई अन्य सेवाओं के लिये भुगतान का अनुमोदन करना ।
   - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (4) एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति के ''विचारणीय विषय में'' यथादर्शित कोई अन्य कार्य संचालन के कार्यान्वयन/अनुपालन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

     i) कंपनी के लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश,

     ii) लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और कार्य-निष्पादन तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और मानिटर करना।

     iii) वित्तीय विवरणों की जांच और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट,

     iv) संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के संव्यवहार/लेनदेन का अनुमोदन या तत्पश्चात कोई संशोधन,

     v) अंतर-कार्पोरेट ऋण और निवेश की जांच,

vi) जहां भी आवश्यक हो,वहां कंपनी के कार्य-व्यवसाय या परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन,

vii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन

viii) सार्वजनिक पेशकश और अन्य संबंधित पेशकश/मामलों के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग की मानिटरिंग ।

6.3.2 गठन :

कम्पनी के निदेशक-मण्डल की लेखा परीक्षा समिति वर्ष 2002 के पूर्व से गठित है तथा लेखा परीक्षा समिति उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों के बेहतर निर्वहन के साथ उत्कृष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस के प्रति वचनबद्ध है। लेखा परीक्षा समिति में कार्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन में 26 सितम्बर, 2007 को स्वतंत्र निदेशक शामिल हुए ।

6.3.3 संघटन/संयोजन :

लेखा परीक्षा समिति ने वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित सदस्यों एवं आमंत्रितों के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा सीपीएसई के लिये अनिवार्य/आज्ञापक कार्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के निबंधन में कार्य किया :

स.क्रं.	नाम	पदनाम	केटेगरी
1[i]	श्री एस.के. देशपाण्डे	चेयरमेन	स्वतंत्र निदेशक
2[i]	डा. बी.एस. सहाय	चेयरमेन	स्वतंत्र निदेशक
3[ii]	डा. सुनील कुमार	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
4[ii]	श्री विनोद जैन	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
5[iii]	श्री आर.के. सिन्हा	सदस्य	सरकार नामित निदेशक
6[iii]	श्री आशीष उपाध्याय	सदस्य	सरकार नामित निदेशक
7[iv]	श्री संजीव सोनी	सदस्य	सरकार नामित निदेशक
8[iv]	श्री एस.एन. प्रसाद	सदस्य	सरकार नामित निदेशक
9	श्री आर.के. निगम	सदस्य	निदेशक (तकनीकी) संचालन, एसईसीएल
10[v]	श्री एम.के. प्रसाद	सदस्य	निदेशक (तकनीकी) योजना-परियोजना, एसईसीएल
11[vi]	श्री एस.एम. चौधरी	स्थाई आमंत्रित	निदेशक (वित्त), एसईसीएल
12[vi]	श्री एन.के. अगरवाला	स्थाई आमंत्रित	निदेशक (वित्त), एसईसीएल
13[vi]	श्री संजीव सोनी	स्थाई आमंत्रित	निदेशक (वित्त), एसईसीएल

i. *श्री एस.के. देशपाण्डे, स्वतंत्र निदेशक, एसईसीएल बोर्ड को दिनांक 06.09.2019 से सदस्य के रूप में नामित किया गया तथा तत्पश्चात उन्हें डा. बी.एस. सहाय, जो दिनांक 16.11.2019 से कोयला मंत्रालय द्वारा पुनःनियुक्ति का उनका कार्यकाल पूरा होने पर प्रभार त्याग दिए, के स्थान पर दिनांक 28.12.2019 से लेखा परीक्षा समिति के चेयरमेन के रूप में नामित किया गया ।*

ii. *डा. सुनील कुमार एवं सीए विनोद जैन, स्वतंत्र निदेशक एवं सदस्य, लेखा परीक्षा समिति ने दिनांक 16.11.2019 से कोयला मंत्रालय द्वारा पुनःनियुक्ति का उनका कार्यकाल पूरा होने के पश्चात प्रभार त्याग दिया ।*

iii. *श्री आर.के. सिन्हा, आईएएस, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय व सरकार नामित निदेशक, एसईसीएल बोर्ड को श्री आशीष उपाध्याय के स्थान पर दिनांक 28.12.2019 से लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया ।*

iv. *श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड एवं सरकार द्वारा नामित निदेशक को श्री एस.एन. प्रसाद के स्थान पर दिनांक 28.12.2019 से लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया ।*

v. *श्री एम.के. प्रसाद, निदेशक (तकनीकी) योजना-परियोजना एसईसीएल को दिनांक 28.12.2019 से लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया ।*

vi. *श्री एस.एम. चौधरी, निदेशक (वित्त), एसईसीएल को, श्री एन.के. अगरवाला तथा उनकी नियुक्ति के पूर्व श्री संजीव सोनी को दिनांक 04.04.2019 से दिनांक 10.07.2019 तक की अवधि के लिए लेखा परीक्षा समिति में आमंत्रित के रूप में नियुक्त किया गया था, के स्थान पर, लेखा परीक्षा समिति में आमंत्रित के रूप में नियुक्त किया गया हैं ।*

कम्पनी सचिव, लेखा परीक्षा समिति में सचिव हैं ।

6.3.4 बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आहूत 10 (दस) बैठकों का विवरण नीचे दर्शित है :

स.क्रं.	लेखा परीक्षा समिति की बैठक संख्या	दिनांक
1	103 वीं	29.05.2019
2	104 वीं	19.07.2019
3	105 वीं	28.07.2019
4	106 वीं	25.09.2019
5	107 वीं	22.10.2019
6	108 वीं	02.11.2019
7	109 वीं	01.12.2019
8	110 वीं	04.01.2020
9	111 वीं	31.01.2020
10	112 वीं	01.03.2020

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों व आमंत्रितों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

स.क्रं.	लेखा परीक्षा समिति के सदस्य/आमंत्रित	उनके कार्यकाल के दौरान आहूत बैठकें	बैठक में उपस्थिति
1	श्री एस.के. देशपाण्डे, स्वतंत्र निदेशक	07	06
2	डा. बी.एस. सहाय, स्वतंत्र निदेशक	06	06
3	डा. सुनील कुमार, स्वतंत्र निदेशक	06	05
4	श्री विनोद जैन, स्वतंत्र निदेशक	06	05
5	श्री आर. के. सिन्हा, आईएएस, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय/ सरकार नामित निदेशक	03	03
6	श्री आशीष उपाध्याय, आईएएस, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय/ सरकार नामित निदेशक	06	06
7	श्री संजीव सोनी, निदेशक(वित्त), सीआईएल/सरकार नामित निदेशक	05	05
8	श्री एस.एन.प्रसाद, निदेशक(विपणन), सीआईएल/सरकार नामित निदेशक	05	02
9	श्री आर.के. निगम, निदेशक (तकनीकी), संचालन, एसईसीएल	10	10
10	श्री एम.के.प्रसाद, निदेशक(तकनीकी) योजना-परियोजना, एसईसीएल	05	05
11	श्री एस.एम.चौधरी, निदेशक (वित्त), एसईसीएल	06	06
12	श्री एन.के. अगरवाला, निदेशक (वित्त), एसईसीएल	01	01
13	श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त), एसईसीएल	01	01

6.4 प्रोजेक्ट उप-समिति :

प्रोजेक्ट उप-समिति, नई/विस्तार परियोजनाओं में निवेश तथा नई परियोजनाओं की साध्यता रिपोर्ट का परीक्षण कर अनुशंसा करती है। दिनांक 31.03.2020 को परियोजना उप-समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल रहे -

स.क्रं.	नाम	पदनाम	केटेगरी
1	श्री एम.के. प्रसाद	चेयरमैन	निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना
2	श्री आर.के.निगम	सदस्य	निदेशक (तकनीकी) संचालन
3*	श्री एस.एम. चौधरी	सदस्य	निदेशक (वित्त)
4*	श्री एन.के. अगरवाला	सदस्य	निदेशक (वित्त)

** श्री एस.एम.चौधरी को श्री एन.के. अगरवाला के स्थान पर दिनांक 12.10.2019 से सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया।*

6.4.1 बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, दिनांक 31.03.2020 तक 02 (दो) बैठक (अर्थात 98-वीं एवं 99-वीं) आयोजित हुई।

परियोजना उप-समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

स.क्रं.	परियोजना उप समिति के सदस्य	कार्यकाल के दौरान आहूत बैठकें	बैठक में उपस्थिति
1	श्री एम.के. प्रसाद, चेयरमेन	02	02
2	श्री आर.के.निगम, सदस्य	02	02
3	श्री एस.एम. चौधरी, सदस्य	01	01
4	श्री एन.के. अगरवाला, सदस्य	01	01

6.5 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति :

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन दिंनाक 03.02.2012 को आहूत निदेशक-मण्डल की 203-वीं बैठक में किया गया था। सीएसआर समिति का मुख्य कार्य समाज के प्रति वृहद तौर पर कम्पनी की जवाबदेही के लिए बोर्ड को दृष्टिकोण एवं दिशा मुहैया कराना है। दिनांक 31.03.2020 तक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल रहे -

स.क्रं.	नाम	पदनाम	केटेगरी
1	श्री एस.के. देशपाण्डे	चेयरमेन	स्वतंत्र निदेशक
2	डा. सुनील कुमार	चेयरमेन	स्वतंत्र निदेशक
3	डा. बी.एस. सहाय	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
4	डा. आर.एस. झा	सदस्य	निदेशक (कार्मिक),एसईसीएल
5*	श्री एस.एम. चौधरी	सदस्य	निदेशक (वित्त), एसईसीएल
6*	श्री एन.के. अगरवाला	स्थाई आमंत्रित	निदेशक (वित्त), एसईसीएल
7*	श्री संजीव सोनी	स्थाई आमंत्रित	निदेशक (वित्त), एसईसीएल

**श्री एस.एम. चौधरी को श्री एन.के. अगरवाला के स्थान पर दिनांक 12.10.2019 से सीएसआर समिति में स्थाई आमंत्रित के रूप में नामित किया गया था तथा तत्पश्चात दिनांक 28.12.2019 से सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया । इसके पूर्व, श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त)सीएसआर समिति के स्थाई आमंत्रित थे।*

6.5.1 बैठक एवं उपस्थिति :

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर समिति की आयोजित 07 (सात) बैठकों का विवरण नीचे दर्शित है :

स.क्रं.	सीएसआर समिति की बैठक संख्या	दिनांक
1	39वीं	24.04.2019
2	40वीं	29.05.2019
3	41वीं	06.09.2019
4	42वीं	03.11.2019
5	43वीं	28.12.2019
6	44वीं	06.01.2020
7	45वीं	01.03.2020

सीएसआर समिति की बैठक में सदस्यों/आमंत्रित की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

स.क्रं.	सीएसआर समिति के सदस्य/आमंत्रित	कार्यकाल के दौरान आहूत बैठक	बैठक में उपस्थिति
1	श्री एस.के. देशपाण्डे, स्वतंत्र निदेशक	04	04
2	डा. सुनील कुमार, स्वतंत्र निदेशक	04	04
3	डा. बी.एस. सहाय,स्वतंत्र निदेशक	04	03
4	डा. आर.एस. झा, निदेशक (कार्मिक), एसईसीएल	07	07
5	श्री एस.एम.चौधरी, निदेशक (वित्त), एसईसीएल	04	04
6	श्री एन.के. अगरवाला,निदेशक (वित्त), एसईसीएल	01	01
7	श्री संजीव सोनी,निदेशक (वित्त), एसईसीएल	02	02

6.6 जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन दिनाक 25.07.2016 को आहूत निदेशक-मण्डल की 248-वीं बैठक में सीपीएसई के कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों तथा सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार सूचीबद्ध अनुबंध की धारा 49, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 सह-पठित धारा 134 (3)(एन) की अपेक्षाओं के अनुपालन में किया गया था। अनुमोदित जोखिम प्रबंधन चार्टर के अनुसार, श्री दीपक पण्डया, महाप्रबंधक (खनन), एसईसीएल को दिनांक 18.09.2019 से कंपनी के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के रूप में नियुक्त किया गया। जोखिम प्रबंधन समिति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं शमन के संबंध में बोर्ड को उनके कार्पोरेट गवर्नेंस के दृष्टिकोण संबंधी दायित्वों के अनुपालन हेतु सहयोग देना है ।

दिनांक 31.03.2020 को जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल रहे :

स.क्रं.	नाम	पदनाम	केटेगरी
1*	श्री एस.के.देशपाण्डे	चेयरमैन	स्वतंत्र निदेशक
2#	श्री आर.के. निगम	सदस्य	निदेशक (तकनीकी) संचालन, एसईसीएल
3#	श्री एम.के. प्रसाद	सदस्य	निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना, एसईसीएल
4#	श्री एस.एम.चौधरी	सदस्य	निदेशक (वित्त), एसईसीएल

* श्री एस.के देशपाण्डे की नियुक्ति दिनांक 06.09.2019 से डा. सुनील कुमार के स्थान पर चेयरमेन के रूप में हुई ।

श्री आर.के. निगम, श्री एम.के. प्रसाद एवं श्री एस. एम. चौधरी की नियुक्ति दिनांक 03.11.2019 से सदस्य के रूप में हुई ।

6.6.1 बैठक एवं उपस्थिति :

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

6.7 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) समिति

सूचना प्रौद्यौगिकी समिति का गठन दिनाक 17.10.2011 को आहूत निदेशक-मण्डल की 200-वीं बैठक में किया गया था। सूचना प्रौद्यौगिकी समिति का मुख्य उद्देश्य बोर्ड को कम्पनी की सूचना, संचार एवं प्रौद्यौगिकी (आईसीटी) की प्रगति के संबंध में दृष्टिकोण एवं दिशा उपलब्ध कराना है । सूचना प्रौद्योगिकी समिति स्वतंत्र निदेशकों के अभाव में वित्त वर्ष 2019-20 में कोई कार्य नहीं की।

6.8 पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आर एंड आर) समिति :

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति का गठन दिंनाक 09.01.2012 को आहूत निदेशक-मण्डल की 202-वीं बैठक में किया गया था। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति का मुख्य उद्देश्य भूमि-मुआवजा, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) को रोजगार, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास आदि संबंधी आर एंड आर मुद्दों के प्रभावी रूप में निपटान हेतु बोर्ड की मदद करना है । पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति स्वतंत्र निदेशकों के अभाव में वित्त वर्ष 2019-20 में कोई कार्य नहीं की।

7. स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक :

एमसीए ने अपने परिपत्र संख्या 11/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 के तहत, कोविड-19 के समाधान हेतु अनुपालन उत्तरदायित्व को कम करने के लिए कई उपायों को कार्यान्वित किया है तथा स्वतंत्र निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(8) सहपठित अधिनियम की अनुसूची-iv के पैरा vii के निबंधन में पृथक बैठक आयोजित करने के लिए छूट दी है।

8. सांविधिक लेखा परीक्षक :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (सी एंड एजी) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक/शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में निम्नलिखित अधिकृत लेखाकार प्रतिष्ठान की नियुक्ति की है :

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स ओ.पी. तोतला एंड कंपनी,
अधिकृत लेखाकार
(एफआरएन : 000734सी,सी एंड एजी आरएन : सीआर0115),
सी-16, प्रथम तल, श्याम मार्केट,
न्यू एलआईसी भवन, पंडरी
रायपुर-492 005(छत्तीसगढ़)

शाखा लेखा परीक्षक

1. **मेसर्स महेश्वरी एंड एसोसिएट्स**
   अधिकृत लेखाकार
   (एफआरएन:311008ई,सी एंड एजी आरएन: सीए0635)
   गीताजंलि अपार्टमेंट, फ्लेट नं. 6ए, 6-वां तल, 8-बी, मिडिल्टन स्ट्रीट
   कोलकाता-700 071 (पश्चिम बंगाल)

2. **मेसर्स केजीआरएस एंड कम्पनी**
   अधिकृत लेखाकार
   (एफआरएन : 310014ई, सीएंडएजी आरएन: सीए1331)
   14-वां तल, फ्लेट सं.-13ए, 33ए, जे.एल. नेहरू रोड,
   कोलकाता-700 071 (पश्चिम बंगाल)

3. **मेसर्स भूतोरिया गनेशन एंड कम्पनी**
   अधिकृत लेखाकार
   (एफआरएन: 004465सी,सीएंडएजी आरएन : सीआर0813)
   पो.बा. नं.-1142,एस-9,थडारम काम्पलेक्स, 209-ए, जोन-1,
   एमपी नगर, भोपाल-462 011 मध्य प्रदेश

8.1 सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक :

लेखा परीक्षा का प्रकार	पारिश्रमिक	कैफियत
वर्ष 2019-20 के लिये सांविधिक लेखा परीक्षा	कुल रू. 33,43,053.00 अर्थात प्रधान/मुख्य लेखा परीक्षकों के लिये रू. 18,20,226.00 तथा शाखा लेखा परीक्षकों के लिये रू. 15,22,827.00	प्रधान/मुख्य लेखा परीक्षक के लिये रू. 8,75,114.00 तथा शाखा लेखा परीक्षकों के लिये रू. 6,51,168.00 की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए पाकेट खर्च (ओपीई) तथा शुल्क व ओपीई पर प्रयोज्य देय सेवा कर/जीएसटी, इसके अलावा वास्तविक आधार पर यात्रा संबंधी व्यय राशि की प्रतिपूर्ति/भुगतान ।
30.06.2019 को समाप्त तिमाही के लिये अंतरिम वित्तीय विवरणी की समीक्षा	कुल रू. 6,09,473.00 अर्थात प्रधान/मुख्य लेखा परीक्षकों के लिये रू. 3,37,540.00 तथा शाखा लेखा परीक्षकों के लिये रू. 2,71,933.00	प्रधान/मुख्य लेखा परीक्षक के लिये रू. 1,56,270.00 तथा शाखा लेखा परीक्षकों के लिये रू.1,16,280.00 की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए पाकेट खर्च (ओपीई) तथा शुल्क व ओपीई पर प्रयोज्य देय सेवा कर/जीएसटी, इसके अलावा वास्तविक आधार पर यात्रा संबंधी व्यय राशि की प्रतिपूर्ति-भुगतान ।
30.09.2019 व 31.12.2019 को समाप्त तिमाही के लिये अंतरिम वित्तीय विवरणी की समीक्षा	कुल रू. 17,06,534.00 अर्थात प्रधान/मुख्य लेखा परीक्षकों के लिये रू. 9,45,116.00 तथा शाखा लेखा परीक्षकों के लिये रू. 7,61,418.00	प्रधान/मुख्य लेखा परीक्षक के लिये रू. 4,37,558.00 तथा शाखा लेखा परीक्षकों के लिये रू.3,25,584.00 की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए पाकेट खर्च (ओपीई) तथा शुल्क व ओपीई पर प्रयोज्य देय सेवा कर/जीएसटी इसके अलावा वास्तविक आधार पर यात्रा संबंधी व्यय राशि की प्रतिपूर्ति-भुगतान ।

9.0 वार्षिक आम बैठक (एजीएम) :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आहूत वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का विवरण इस प्रकार है :

विवरण	दिनांक	समय	स्थान
33-वीं वार्षिक आम बैठक 2018-19	22.07.2019	अपरान्ह 03.30 बजे	कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय, सीपत रोड, बिलासपुर-495006,छ.ग.
32-वीं वार्षिक आम बैठक 2017-18	09.07.2018	पूर्वान्ह 10.30 बजे	सीआईएल मुख्यालय, कोयला भवन, न्यू टाऊन राजरहाट,कोलकाता-700156 (प.बंगाल)
31-वीं वार्षिक आम बैठक 2016-17	11.07.2017	पूर्वान्ह 11.00 बजे	कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय, सीपत रोड, बिलासपुर-495006,छ.ग.

पिछली वार्षिक आम बैठक में तीन विशेष प्रस्ताव पारित हुए। कम्पनी की 34-वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 18.08.2020 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय, सीपत रोड, बिलासपुर-495006, छत्तीसगढ़ में आयोजित की जानी है। वर्ष 2019-20 के दौरान सदस्यों की कोई विशेष आम बैठक आहूत नहीं की गई थी ।

10.0 प्रकटीकरण :

- **तात्विक रूप से महत्वपूर्ण सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार-लेनदेन**

  कम्पनी ने दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक या शीर्ष प्रबंधन कार्मिक या उनके संबंधियों के साथ तात्विक रूप से ऐसा कोई महत्वपूर्ण सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार-लेनदेन निष्पादित नहीं किया है जो कम्पनी हित में संभवतः प्रतिकूल है।

- **व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिक नियम :**

  कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्ध-करार की धारा 49 के अनुरूप, कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड द्वारा ''कम्पनी के बोर्ड-सदस्यों एवं शीर्ष प्रबंधन के लिये व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिक नियम''निर्धारित किया गया, जिसका कार्यान्वयन एसईसीएल में किया गया है। उक्त संहिता को सर्व-संबंधितों को परिचालित किया गया है तथा इसे कम्पनी की वेबसाईट "www.secl-cil.in" में भी प्रदर्शित किया गया है।

  कम्पनी के बोर्ड सदस्यों एवं शीर्ष प्रबंधन कार्मिक ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उक्त आचार संहिता के प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया है। इस संबंध में कम्पनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा की गई घोषणा इसके नीचे उपलब्ध है ।

आचार-संहिता-अनुपालन की अभिपुष्टि

इस बात की पुष्टि की जाती है कि एसईसीएल के सभी बोर्ड सदस्यों और शीर्ष प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिक नियम निर्धारित/अधिकथित हैं और संहिता एसईसीएल के वेबसाईट पर प्रदर्शित है। बोर्ड-सदस्यों और शीर्ष प्रबंधन ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उक्त संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि की है ।

कृते साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
हस्ता./-
(ए.पी. पंडा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06664375

स्थान : बिलासपुर

- **इंटीग्रिटी पैक्ट :**

  कम्पनी का अपने व्यावसायिक संव्यवहार-लेनदेन, संविदा और क्रय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने पर केन्द्रित इंटीग्रिटी पैक्ट प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिये ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) है। एमओयू के अधीन, एसईसीएल अपनी समस्त बड़ी खरीददारी एवं कार्य-संविदा कार्यकलापों में इंटीग्रिटी पैक्ट के कार्यान्वयन के लिये प्रतिबद्ध है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के परामर्श से टीआईआई द्वारा कार्यकलापों की देखरेख-पर्यवेक्षण के लिये दो स्वतंत्र बाह्य पर्यवेक्षक को नामित किया गया है। इंटीग्रिटी पेक्ट ने विश्वास सृजित कर स्थापित व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं को मजबूती प्रदान किया है तथा इसे सीवीसी का पूर्ण समर्थन प्राप्त है ।

- **मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) प्रमाणीकरण :**

  सेबी (एलओडीआर) विनियमन द्वारा यथा-अपेक्षित निर्धारित प्रपत्र में "सीईओ और सीएफओ प्रमाणीकरण" जोकि कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा निदेशक (वित्त)/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है, दिनांक 10.06.2020 को आहूत उनकी 300-वीं बैठक में कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा यथा-अनुमोदित की गई है, जो कंपनी के वित्तीय विवरणी के साथ संलग्न है ।

- **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के अधीन सतर्कता तंत्र**

  कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक-मण्डल द्वारा यथा-अनुमोदित "कोल इंडिया व्हीसल ब्लोवर पालिसी 2011" को एक अनुषंगी के रूप में एसईसीएल द्वारा क्रियान्वित किया गया है । यह पालिसी कम्पनी के आचार संहिता का उल्लंघन या अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध, धोखाधड़ी जैसे मामलों को उदाहरण के तौर पर प्रबंधन को प्रस्तुत करने के लिए कर्मचारियों को अवसर प्रदान करने हेतु बनाया गया है । व्हीसल ब्लोअर पालिसी वेबसाईट "www.secl-cil.in" पर उपलब्ध हैं।

11. लेखा परीक्षा में हेरफेर (क्वालिफिकेशन) :

कम्पनी का हमेशा यह प्रयास रहता है कि वह लेखा परीक्षकों द्वारा बिना कोई हेरफेर (क्वालिफिकेशन) किए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये कम्पनी की लेखा पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के संबंध में प्रबंधन का उत्तर लेखा परीक्षक रिपोर्ट में अनुलग्नक के रूप में दिया गया है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये कम्पनी की लेखा पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां भी बोर्ड रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

12 बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण :

कार्यकारी निदेशकगण, अपेक्षित योग्यता और अनुभव के फलस्वरूप अपने संबंधित कार्य संचालनीय क्षेत्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं और वे कम्पनी के बिजनेस-मॉडल के साथ-साथ कम्पनी के रिस्क प्रोफाईल के भी ज्ञाता होते हैं। कम्पनी के नव-नियुक्त निदेशकगण, कम्पनी के विभिन्न स्वरूपों जैसे संरचना/संघटन, संकल्पना व उद्देश्य विवरण, कोर-कार्यकलापों, बोर्ड-प्रक्रियाओं, नीतिगत दिशा-निर्देशों इत्यादि से पूर्णरूपेण परिचित होते हैं। निदेशकगण स्टेण्डिंग कान्फरेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राईजेज (स्कोप) एवं अन्य शासकीय प्राधिकरणों/स्वायत्त निकायों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/गोष्ठियों में भी नामित किए जाते हैं।

13. संचार माध्यम :

- **वेबसाईट**

  कम्पनी की वेबसाईट www.secl-cil.in or www.secl.gov.in में सभी पणधारकों के लिये महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध है । कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम सरल एवं सहज डाउनलोड की सुविधा के साथ वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

- **कार्यालयीन समाचार :**

  कम्पनी, कम्पनी के जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में कार्यालयीन प्रेस-विज्ञप्ति के रूप में जानकारी/समाचार प्रसारित कर पणधारकों को संसूचित करती है ।

- **सूचना का अधिकार (आरटीआई)**

  कम्पनी के पास ई-ढांचागत प्रणाली है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 समर्थित है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एसईसीएल के वेबसाईट www.secl-cil.in or www.secl.gov.in पर उपलब्ध है ।

- **फेसबुक**

  कंपनी सूचना साझाकरण और सामान्य बातचीत के लिए फेसबुक के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है। फेसबुक पर कंपनी का पेज (https://www.facebook.com/southeasterncoalfields/#) में देखा जा सकता है ।

14. कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश के आज्ञापक आवश्यकताओं का अनुपालन :

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया तथा प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, विनियामक प्राधिकरणों के समक्ष सभी विवरण/रिपोर्ट निश्चित समयावधि में प्रस्तुत किये गये ।

कोई अध्यक्षीय दिशा-निर्देश अवधि दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी नहीं हुए ।

निवेश एवं सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन संख्या-5/2/2016-पॉलिसी दिनांक 27.05.2016 के द्वारा सीपीएसई के पूंजीगत पुनर्संरचना पर दिशानिर्देश जारी किया हैं। दिशानिर्देशों के अनुपालन में, एसईसीएल ने लाभांश का भुगतान कर बोनस शेयर जारी किया।

सीपीएसई के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश की धारा 8.2.1 के अनुपालन में, पूर्णकालिक कार्यरत/ व्यवसायरत कम्पनी सचिव का कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट में संलग्न है।

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के
निदेशक मण्डल की ओर से

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**
(एस.एम. चौधरी)	**(ए.पी. पण्डा)**
निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07478302	डीआईएन : 06664375

स्थान : बिलासपुर
दिनांक : 11.08.2020

कार्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाण पत्र

प्रति,

सदस्य,

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,

बिलासपुर -495006

छत्तीसगढ़

हमनें, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (''कम्पनी'') द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की दशाओं-शर्तों के अनुपालन का परीक्षण, भारत सरकार, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय,सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं0- 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 के निबंधन में भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के परिपत्र सं0-एफ.नं.38011/22/2007-सीए-।। (Vol.II) दिनांक 07 जून, 2010 के माध्यम से केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों(सीपीएसई) के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर जारी मार्गनिर्देशों में विनिर्दिष्ट अनुसार किया है।

कार्पोरेट गवर्नेंस की दशाओं-शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है । हमारी जांच-पड़ताल कार्पोरेट गवर्नेंस की दशाओं-शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी द्वारा अपनाई गई कार्य-प्रक्रियाओं एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो कम्पनी का लेखा परीक्षा है और न ही इसकी वित्तीय विवरणी पर किसी राय की अभिव्यक्ति है।

हमारे विचार एवं हमारी पूर्ण जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने उपर्युक्त उल्लिखित मार्गदर्शनों में यथा-अनुबंधित कार्पोरेट गवर्नेंस की दशाओं का अनुपालन किया है। नियंत्रक कम्पनी, कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सभी अनुषंगियों के लिए पारिश्रमिक समिति संस्थापित की है। तथापि, निदेशकों/अधिकारियों के पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है ।

हम आगे यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि उक्त अनुपालन न तो कम्पनी के भविष्य-व्यवहार के विषय को सुनिश्चित करता है और न ही कार्यदक्षता या प्रभावशीलता को सुनिश्चित करता है, जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी के कार्य-मामले निष्पादित/संचालित किए हैं ।

कृते एम. एण्ड के. एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

हस्ता./-
मनोज कुमार कोयलकर
सी.पी.नं0-10004
एफसीएस सं.-9298
यूडीआईएन : एफ009298बी000346910

हैदराबाद, जून 16, 2020

(अनुलग्नक-VI)

प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

आर्थिक विकास और ऊर्जा की मांग के बीच संबंध सर्वदा स्वयंसिद्ध रहा है। यह औद्योगिक क्रांति के बाद जीवाश्म ईंधन की मांग और खपत के माध्यम से प्रकट हुआ था। बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में, वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा की माँग कोयले और तेल द्वारा ईंधन परिवहन प्रणाली के विस्तार के कारण बढ़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, पश्चिमी दुनिया में जीवन स्तर में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण ऊर्जा की मांग कई गुना बढ़ गई। इसके अलावा, चीन में पिछले तीन दशकों में तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण ऊर्जा की मांग में तेजी आई। आज तक, अर्थव्यवस्थाओं में धन सृजन वस्तुतः ऊर्जा खपत में वृद्धि के साथ अग्रानुक्रम में हुआ है। वैश्विक स्तर पर, बढ़ती आबादी और विकास के लिए आकांक्षाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्राथमिक ऊर्जा की मांग बढ़ती गई। औद्योगिक विशेषज्ञों का तर्क है कि ऊर्जा की मांग और आर्थिक विकास के मध्य लचीलापन, दुनिया भर में ऊर्जा मिश्रण, ऊर्जा की उपलब्धता, ऊर्जा की सुगमतापूर्वक प्राप्ति, ऊर्जा की वहनीयता, ऊर्जा धारणीयता, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा की प्रचुरता/प्रबलता, प्रसरणशील अनुप्रयोग, पर्यावरण चिंता आदि जैसे कई कारकों के कारण कम-ज्यादा हो सकती है।

वैश्विक मांग - प्राथमिक ऊर्जा

ऐतिहासिक रूप से, हर प्रमुख ईंधन स्रोत के लिए वैश्विक उत्कंठा समय के साथ बढ़ता गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के ग्लोबल एनर्जी आउटलुक के अनुसार, 1940 से 1965 के मध्य पच्चीस वर्षों में, वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा की मांग में लगभग 100 qBtu (क्वाड्रिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट) की वृद्धि हुई, जबकि 1990 से 2015 के मध्य समान अवधि में, ऊर्जा की मांग 196 qBtu तक, अर्थात लगभग दोगुना बढ़ी। हालांकि, कई एजेंसियों द्वारा किए गए अधिकांश अनुमानों के अनुसार वृद्धिशील ऊर्जा की मांग स्थिर रहने की संभावना है, क्योंकि आने वाले दशकों में धीमी वृद्धि का अनुमान है।

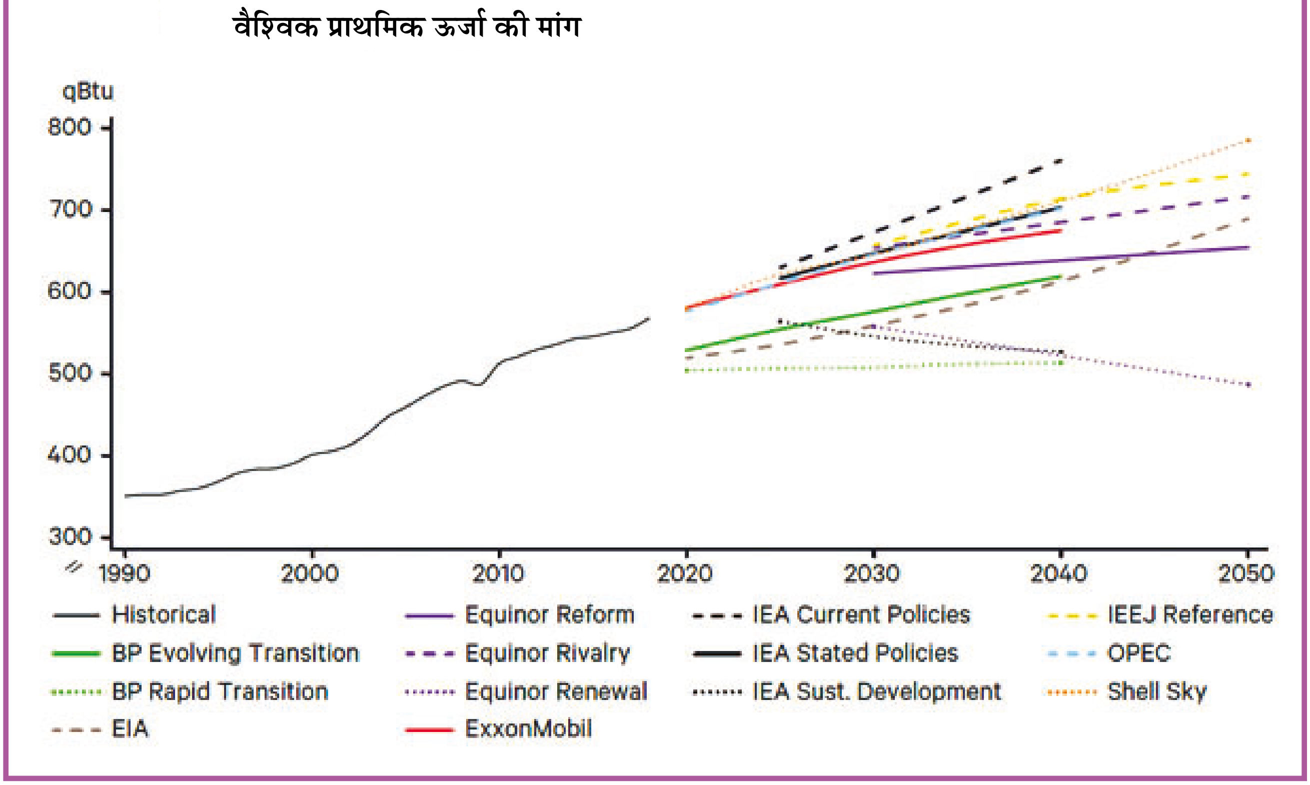

स्रोत: आईईए ग्लोबल एनर्जी आउटलुक

''आईईए सीपीएस'' के अलावा सभी ''संदर्भ'' और ''विकसित नीतियां'' परिदृश्यों के तहत, वैश्विक प्राथमिक मांग 2040 तक 100 और 170 qBtu के मध्य बढ़ने की संभावना जताई गई है। आईईए सीपीएस के अनुसार सबसे तेज/प्रभावशाली विकास हुआ, जहां 2040 तक मांग 2018 के स्तर से 34 गुना अधिक है। जबकि, अन्य संदर्भ परिदृश्यों के अनुसार, 26% (आईईजे), 24% (ओपेक), 20% (यूएस आईईए), 19% (एक्सोन मोबील), 24% (आईईए स्टेप्स) की अनुमानित वृद्धि संभावित है। वैश्विक ऊर्जा में 25-प्रतिशत (शैल स्काई) 2-प्रतिशत (बीपी रेपिड ट्रांजिशन) की दर से वृद्धि तथा 7-प्रतिशत (आईईए एसडीएस) एवं 8-प्रतिशत (इक्वीनर्स रीनेवल) की गिरावट के साथ महत्वाकांक्षी जलवायु परिदृश्य के अंतर्गत काफी भिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं।

कोविड-19 के कारण, आईईए का अनुमान है कि 2020 की प्रथम तिमाही में ऊर्जा की वैश्विक प्राथमिक मांग में 3.8 प्रतिशत, जबकि वार्षिक मांग में 6-प्रतिशत तक की गिरावट संभावित है, जोकि 1940 (द्वितीय विश्व युद्ध) से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट होगी। प्राथमिक ऊर्जा की मांग में इस तरह की तीव्र गिरावट दुनिया भर में आर्थिक सुधार की गति व समय के पैमाने के साथ, आने वाले कई वर्षों तक प्रभावी होने की संभावना है।

आईईए के ग्लोबल एनर्जी आउटलुक-2020 में वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा खपत (ईंधन के द्वारा) पर यह अनुमान किया गया है कि (1) संदर्भित परिदृश्य में, वैश्विक ऊर्जा में वृद्धि जारी रहेगी, जिसमें कोयले की सुस्त एवं तेल,प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा की अहम भूमिका होगी (2) बदले हुए परिदृश्य में, कोयले की मांग गिरेगी, जबकि तेल की मांग में काफी सुस्त वृद्धि रहेगी (3) अधिकतम महत्वाकांक्षी परिदृश्य में, कोयला एवं तेल पूर्णतः गिरेंगे, प्राकृतिक गैस में वृद्धि होगी और नवीकरणीय ऊर्जा मुख्य भूमिका में होगी और (4) महत्वाकांक्षी परिदृश्यों में 2040 तक जनसंख्या वृद्धि व अर्थ-व्यवस्था में विकास के बावजूद, वैश्विक ऊर्जा की मांग में कमी आयेगी ।

ईंधन द्वारा, वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा की खपत का स्तर

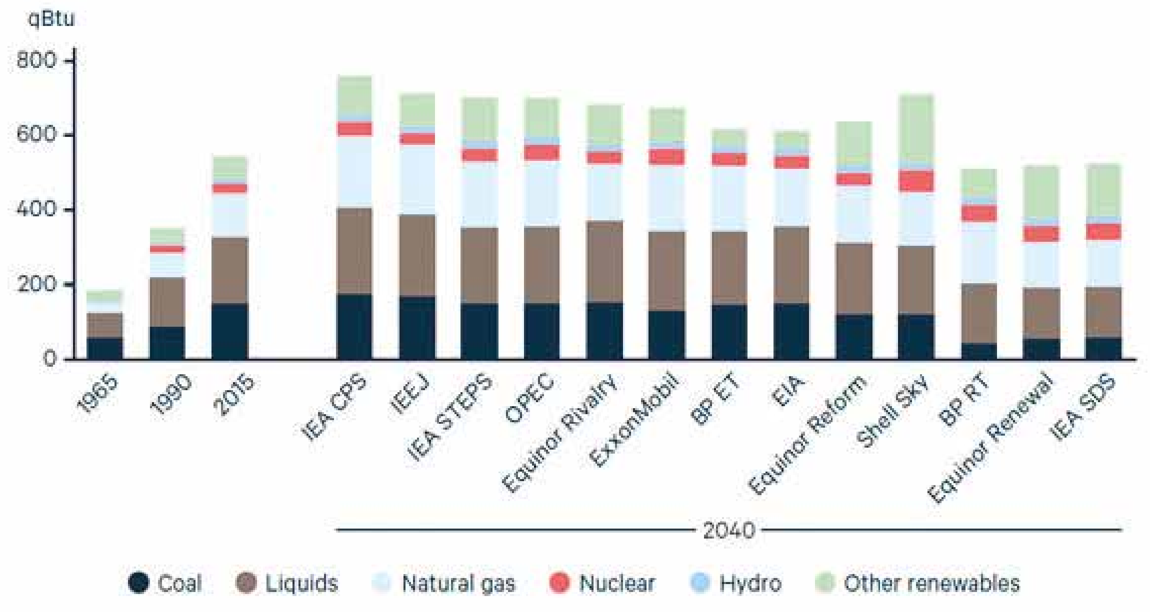

Notes: Scenarios are ordered in decreasing levels of fossil energy. BP and US EIA exclude nonmarketed biomass energy (e.g., wood, dung); others include this in "other renewables."

स्रोत: आईईए ग्लोबल एनर्जी आउटलुक

कोविड-19 परिदृश्य में, आईईए का अनुमान है कि आर्थिक गतिविधियों में गहरी मंदी के कारण सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र संकुचन होगा। 2020 में प्राथमिक ऊर्जा की मांग तेल (-9 प्रतिशत), कोयला (-8 प्रतिशत), प्राकृतिक गैस (-5 प्रतिशत) और परमाणु ऊर्जा (-2 प्रतिशत) घटेगी, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा की मांग 1-प्रतिशत तक बढ़ेगी।

कोयले की मांग

पिछले 15 वर्षों में कोयले की वैश्विक खपत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जो पूर्णतः पूर्वी देशों यथा- अफ्रीका, एशिया-प्रशांत और मध्य पूर्व में है। आईईए ग्लोबल एनर्जी आउटलुक-2020 का अनुमान है कि सभी परिदृश्यों में, पश्चिमी देशों यथा- अमेरिका, यूरोप, यूरेशिया में कोयले की खपत में गिरावट आने की संभावना है। यह अनुमान भी लगाया गया है कि रिफरेंस परिदृश्य के अधीन 19 एवं 26 qBtu के मध्य गिरावट आयेगी, और बी.पी. व आईईए क्रमशः के महत्वाकांक्षी जलवायु परिदृश्य के अनुसार 2018 में 34 qBtu से 2040 तक केवल 3 और 6 qBtu तक गिरावट आ सकती है। हालांकि, वैश्विक पूर्व में कोयले का भविष्य अनिश्चित/भिन्न होगा, जहां आईईए की अनुमान है कि संदर्भ परिदृश्यों में, खपत 2018 की तुलना में बढ़कर 2040 तक 7% (यूएस आईईए) से 29% (आईईए सीपीएस) के मध्य/की सीमा तक होगी। उभरती नीतियां के परिदृश्यों में, बढ़ोतरी की सीमा 0.4% (एक्सान मोबिल) से 10% (बीपी इवोल्यूशन ट्रांजिशन और आईईए स्टेप्स) तक होगी। महत्वाकांक्षी जलवायु परिदृश्य यह दर्शाती है कि धीमी वृद्धि तेजी से गिरेगी, जिससे 2040 तक 65-प्रतिशत तक (बीपी रेपिड ट्रांजिशन), और 56-प्रतिशत (आईईए एसडीएस) तथा 8-प्रतिशत (शैल स्काई) की धीमी गिरावट होगी।

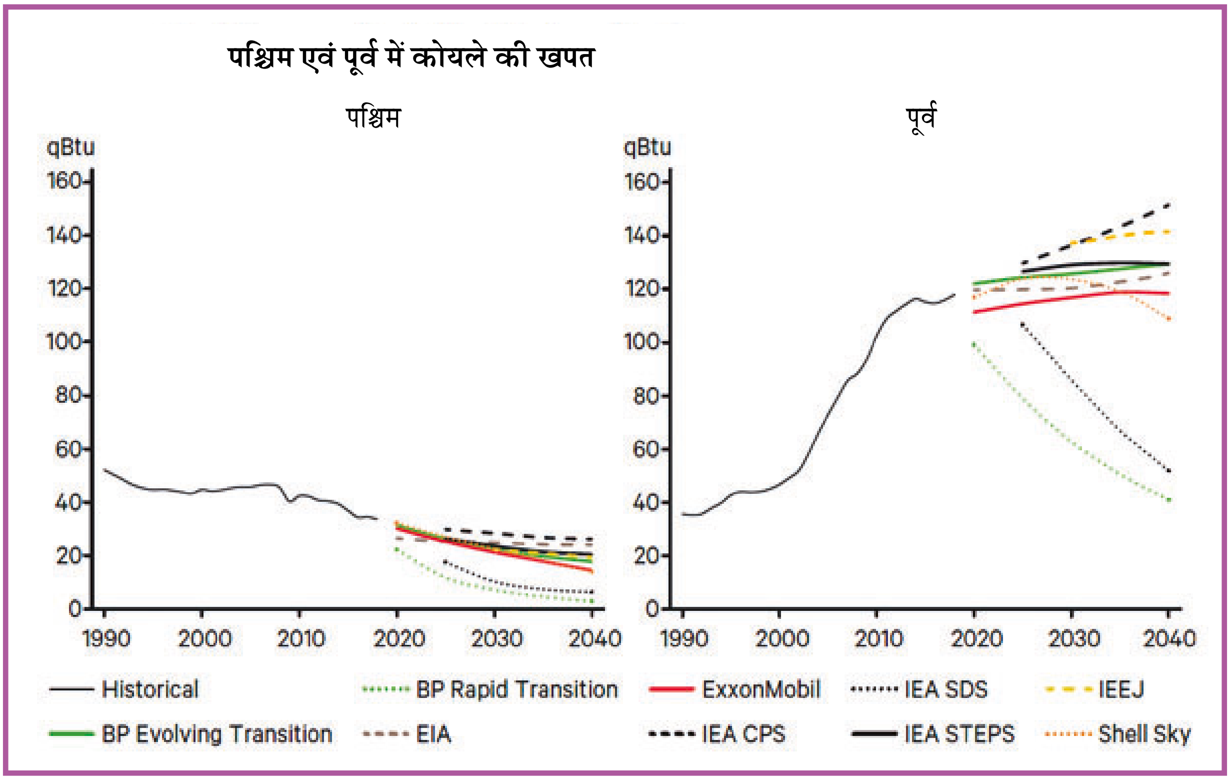

आईईए का अनुमान है कि कम बिजली की मांग के कारण, 2020 में कोयले की मांग 8-प्रतिशत गिरेगी। चीन में कोयले की खपत में 5-प्रतिशत की गिरावट आयेगी, जबकि यूरोप में 20-प्रतिशत व अमेरिका में 25-प्रतिशत की उच्च गिरावट आयेगी ।

ऊर्जा सुरक्षा - कोयला ईंधनयुक्त भारत

भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 (आईईएसएस) के चार स्तरों अर्थात न्यूनतम प्रयास, निर्धारित/निश्चित प्रयास, जोरदार प्रयास और साहसिक प्रयास, पर विभिन्न ऊर्जा खपत करने वाले क्षेत्रों में ऊर्जा परिदृश्यों के विकास के लिए उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसी तरह, ऊर्जा दक्षता उपायों और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों को वर्ष 2047 तक ले जाने के विभिन्न घटकों को अपनाने के लिए मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराता है, जो स्वतंत्रता के 100-वें वर्ष को महत्वपूर्ण रूप से जोड़ता है। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (C-STEP) इंडिया की रिपोर्ट जिसका शीर्षक "सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता" ने जलवायु परिवर्तन में भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए सतत विकास ढांचे के भीतर ऊर्जा की मांग और आपूर्ति का आकलन करने का प्रयास किया है। 2030 तक भारत के विकास का दो परिदृश्यों में यथा-सामान्य रूप से व्यवसाय (बीएयू) और सतत विकास (एसडी) परिदृश्य के अधीन अध्ययन किया गया। प्रमुख निष्कर्षों से पता चलता है कि ऊर्जा की मांग बीएयू परिदृश्य के तहत 4696 TWh से 10693 TWh और SD परिदृश्य के तहत 8296 TWh बढ़ेगी। अध्ययन से यह अनुमान लगाया गया है कि विभिन्न सेक्टरों द्वारा कृषि, भवन, आवासीय-खाना पकाने, औद्योगिक, परिवहन-शहरी, परिवहन माल, बिजली की आपूर्ति आदि

में तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से 22% बीएयू ऊर्जा की मांग से बचा जा सकता है । इसके अलावा, आवासीय सेक्टरों के लिए बीएयू परिदृश्य में लगभग 39% ऊर्जा की माँग में, आधुनिक तकनीकों और कुशल विद्युत उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से कमी आ सकती है जबकि अन्य सेक्टरों में लगभग 20% की कमी आ सकती है। दोनों परिदृश्य, यह पूर्वानुमान करते हैं कि वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों के बाद औद्योगिक क्षेत्र ऊर्जा का प्रमुख उपभोक्ता बना रहेगा। बीएयू परिदृश्य में ऊर्जा की आपूर्ति 2012 में 6355 TWh से तीन गुना बढ़कर 2030 में 6% सीएजीआर दर पर 17538 TWh तक बढ़ने की संभावना है, जहां ऊर्जा आपूर्ति में कोयले का शेयर 2012 में 39% से बढ़कर 2030 में 62% होने की संभावना है। एसडी परिदृश्य में ऊर्जा की आपूर्ति अक्षय ऊर्जा पर अधिक जोर देने और जीवाश्म ईंधन के शेयर में कमी के फलस्वरूप ऊर्जा मिश्रण को बदलकर 13195 TWh तक गिर सकती है। बिजली उत्पादन की मात्रा BAU और SD परिदृश्यों में क्रमशः 966 TWh से 4 गुना बढ़कर 4144 TWh और 3251 TWh हो जाएगी। बेहतर ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक निर्भरता और ऊर्जा मिश्रण में बदलाव के कारण बिजली उत्पादन की मांग में 27% अर्थात 893 TWh तक की कमी आ सकती है। बीएयू परिदृश्य के तहत ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की अधिक हिस्सेदारी के बावजूद, कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता 2012 में 70% से बढ़कर 2030 तक 80% हो जाएगी।

नीति आयोग ने भारतीय ऊर्जा प्रणाली (2030) में ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा मिक्स पर अपने अध्ययन में 11-वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के रूप में अर्थात 2012 को आधार वर्ष मानते हुए, आईईएसएस (IESS) 2047 में दिए गए मार्गदर्शन के आधार पर विभिन्न परिदृश्यों के तहत अनुमानों का आकलन किया है। रिपोर्ट में 2047 तक 7.4% सीएजीआर दर पर जीडीपी वृद्धि के साथ-साथ शहरीकरण में आधार वर्ष में 31% से 51% तक वृद्धि, विनिर्माण क्षेत्र आदि में 16% से 34% तक के वृद्धि की परिकल्पना की गई है। यह भी मानना है कि प्रति व्यक्ति परिवहन मांग में 5970 KM से 18700 KM की वृद्धि, प्रति व्यक्ति स्टील की खपत में 66 किग्रा से 372 किग्रा तक की वृद्धि, प्रति व्यक्ति आवासीय भवन क्षेत्र/स्थान में 1.8 वर्गमीटर से 35 वर्गमीटर तक की वृद्धि, प्रति व्यक्ति वाणिज्यिक भवन क्षेत्र/स्थान में 0.7 वर्गमीटर से 5.9 वर्गमीटर तक की वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए आधुनिक ऊर्जा के उपयोग में 61 kgoe से लेकर 183 kgoe तक की वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था के परिणाम में बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट में ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए बिजली की आपूर्ति व चुनिंदा प्रौद्योगिकी, डिमांड सेक्टरों में आर्थिक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, IESS 2047 के निर्धारित प्रयास स्तर अर्थात स्तर 2 पर बिजली और ऊर्जा मिश्रण का अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्राथमिक ऊर्जा की आपूर्ति में कोयले की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण रहेगी अर्थात 2012 में 7017 Twh (47%) में से 3284 Twh 2030 में 15776 Twh (51%) में से 7773 (TW) और 2047 में 25890 Twh (52%) में से 13401 Twh होगी। बिजली मिक्स में, कोयला से चलने वाले बिजली स्टेशनों की हिस्सेदारी बढ़ेगी अर्थात 2012 में कुल 193GW में से 106GW, 2030 में कुल 562GW में से 264GW और 2047 में 1112GW में से 482 GW होगी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि बिजली उत्पादन मिश्रण में आर.ई. की हिस्सेदारी 2012 में 5.5% से बढ़कर 2030 में 15% हो जाएगी और जो आगे 2047 में 23.4% तक बढ़ जाएगी। इस तरह, कोयला भारत में प्राथमिक ऊर्जा की आपूर्ति और बिजली उत्पादन मिश्रण में एक प्रमुख ईंधन बना रहेगा।

ऊर्जा मिश्रण - भारत

थर्मल पावर पूर्वानुमानित भविष्य के लिए भारत की बेस लोड पावर की जरूरतों को पूरा करता रहेगा। भले ही बिजली उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा प्राप्त होने की संभावना बनी हो, किंतु यह कतई संभव नहीं है कि पवन और सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन की जरूरतों को समाप्त कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा भारत 2020 ऊर्जा नीति की समीक्षा से यह पता चलता है कि भारत में जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा मिश्रण में बड़ी हिस्सेदारी अर्थात 74% का योगदान है। जीवाश्म ईंधनों में, कोयले की खपत मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए, तेल की खपत परिवहन व उद्योग के लिए और बायोमास की खपत आवासीय ताप और खाना पकाने के लिए होती है। 2017 में, भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा की आपूर्ति (TPES) 2017 में तेल के समकक्ष 882 मिलियन टन (Mtoe) थी, जिसमें कोयले की हिस्सेदारी 44% थी, इसके बाद तेल 25% और जैव ऊर्जा की हिस्सेदारी 21% थी। लेकिन ऊर्जा का उत्पादन 554 Mtoe था, जिसमें कोयले की हिस्सेदारी लगभग 49% थी, उसके बाद जैव ऊर्जा और अपशिष्ट की हिस्सेदारी लगभग 34% थी। वर्ष 2017 में ऊर्जा मिश्रण में विभिन्न संसाधनों का उपयोग इस प्रकार है :

ऊर्जा मिश्रण 2017 में शेयर	टीपीईएस %	बिजली उत्पादन %	टीएफसी %
कोयला	44	74	17.1
तेल	25	1.6	33.1
प्राकृतिक गैस	5.8	4.6	6.1
हाईड्रो	1.4	9.3	बिजली 16.9
पवन	0.5	3.3	
न्यूक्लीयर	-	2.5	
बायो एनर्जी एवं अपशिष्ट	21.2	3.0	26.7
सोलर	2.1	1.7	0.1

रिपोर्ट में उल्लेखित है कि भारत में कोयला सर्वाधिक प्रचुर जीवाश्म ईंधन संसाधन है। कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से, ऊर्जा मिश्रण और बिजली मिश्रण दोनों में कोयले की हिस्सेदारी बढ़ी है। वर्ष 1973 में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात, टीपीईएस में कोयले की हिस्सेदारी 20% से बढ़कर 2017 तक 44% हो गई थी और बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 50% से बढ़कर 74% तक हो गई थी। इस अवधि के दौरान ऊर्जा आपूर्ति में हुई कुल वृद्धि में कोयले की हिस्सेदारी आधी थी। यहां तक कि जी-20 देशों के मध्य ऊर्जा मिश्रण की तुलना करने पर यह पता चलता है कि भारत की तुलना में चीन व दक्षिण अफ्रीका में कोयले की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी। वर्ष 2017 में भारत में प्रति व्यक्ति कुल अंतिम उपभोग(TFC) या ऊर्जा की खपत 0.44 toe थी, जबकि वैश्विक औसत 1.29 toe तथा आईईए औसत 2.9 toe थी। कुल अंतिम ऊर्जा खपत के मामले में, भारत में औद्योगिक सेक्टर की सर्वाधिक हिस्सेदारी है, उसके बाद आवासीय सेक्टर की हिस्सेदारी है।

2029-30 में अधिकतम बिजली की मांग व विद्युत ऊर्जा की जरूरतों को प्रोजेक्ट करने के लिए पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध ईंधन विकल्पों और प्रौद्योगिकी पर विचार करते हुए फरवरी 2019 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा जारी अनुकूलतम उत्पादन क्षमता मिश्रण 2029-30 पर एक और अध्ययन आया। भारत ने कुल उत्पादन मिश्रण का 40% तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों पर आधारित बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ योजनाबद्ध/वांछित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (INDC) के अधीन COP21 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, जो 2030 तक प्राप्त कर लिया जाएगा, वह दिखाई दे रहा है। इसके अलावा, 19-वें विद्युत सर्वेक्षण के तहत, वर्ष 2029-30 में विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता को 2400 बीयू और अधिकतम बिजली की मांग 340 GW करने का अनुमान लगाया गया है। अध्ययन से पता चलता है कि स्थापित क्षमता 831GW होने की संभावना है, जिसमें कोयले और लिगनाईट की हिस्सेदारी 32% ऊर्जा मिश्रण अर्थात 267 GW, सौर 300 GW (36%) और पवन 140 GW (17%) होगी। लेकिन 2030 में 50% बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी रहेगी। इसी तरह, नवम्बर, 2018 में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) द्वारा "कोल ट्रांजिशन इन इंडिया' शीर्षक विवेचन/तर्क पेपर पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि बिजली की मांग 7% प्रतिवर्ष जीडीपी वृद्धि के अनुरूप वर्ष 2030 तक 6% सीएजीआर दर पर बढ़कर ग्रिड की खपत 2040 Twh हो जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, ग्रिड और कैप्टिव बिजली उत्पादन के लिए 1058-1171 मि.टन स्टीम कोयला की मांग और औद्योगिक खपत के लिए अतिरिक्त 298 मि. टन का अनुमान लगाया गया है,जिसमें कोकिंग कोल भी शामिल है। अध्ययन से पता चलता है कि अंतिम रूप से कोयले की खपत तीन अलग-अलग परिदृश्यों अर्थात वर्तमान प्रक्षेप वक्र परिदृश्य (सीटीएस), वर्तमान नीति परिदृश्य (सीपीएस) और उच्च आर.ई. परिदृश्य (एचआरईएस) के तहत 1356 मि. टन से 1469 मि. टन के बीच होगी। एक अन्य अध्ययन में, टेरी (TERI) ने उपरोक्त तीन परिदृश्यों के तहत वर्ष 2030 में बिजली आपूर्ति मिश्रण का आकलन किया है, जहां सीपीएस (CPS) के तहत कोयले की क्षमता 238GW (उत्पादन हिस्सेदारी 54%), सीटीएस (CPS) के तहत 262GW (उत्पादन हिस्सेदारी 61%) और एचआरईएस (HRES) के तहत 192GW (उत्पादन हिस्सेदारी 50%) होगी।

आयात प्रतिस्थापन और वाणिज्यिक खनन

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद, कोल सेक्टरों को 47 वर्षों के अंतराल के बाद निजी कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक खनन के लिए खोला गया है। 41 कोल ब्लॉकों के पहले भाग (ट्रेंच) को, 16.9-बिलियन टन के भूगर्भीय भंडार और 225-एमटीपीए की अधिकतम भारित क्षमता के साथ, वाणिज्यिक खनन के लिए दिया जाएगा। 41 कोल ब्लॉकों में से, ओडिशा के 9 कोल ब्लॉकों में लगभग 63% भूवैज्ञानिक भंडार तथा 55% वार्षिक क्षमता होगी। पूरी दुनिया में कोयला भंडार के लिए पांचवे स्थान और कोयला उत्पादन के लिए दूसरे स्थान पर रहने के बावजूद, सरकार के लिए कोयला आयात में विदेशी मुद्रा का उपयोग करना चिंता का कारण है। वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान, भारत ने लगभग 21 बिलियन अमेरिकी डालर का भुगतान करके लगभग 243 मिलियन टन कोयले का आयात किया। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि इस्पात उत्पादन के लिए कोकिंग कोयले और बिजली संयंत्रों व उद्योगों के बॉयलर की मूलभूत जरूरतों के लिए नॉन-कोकिंग कोयले पर ध्यान देने के बाद ही, आयात किए जाने वाले लगभग 110 मिलियन टन निम्न ग्रेड के नॉन-कोकिंग कोयले को घरेलू उत्पादन में तेजी लाकर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ।

वर्तमान एकाधिकार/द्वेतवादी बाजार में, सार्वजनिक उपक्रम अर्थात सीआईएल और एससीसीएल लगभग 90% घरेलू कोयले की आपूर्ति करते हैं और शेष मात्रा का उत्पादन निजी उद्योग उनकी कैप्टिव खपत के लिए करते हैं। यद्यपि कोल इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2024 तक प्रति वर्ष 1-बिलियन टन कोयला उत्पादन प्राप्त करने के लिए कदम उठाया है, फिर भी कोयले की मांग का पूर्वानुमान भारत को कोयला आयात करने के लिए मजबूर कर सकता है, जब तक कि इसे पूरक घरेलू प्रयासों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। इसलिए, कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उद्यमियों को उन्नत खनन प्रौद्योगिकी, एचईएमएम, विशेषज्ञता आदि समेत सभी संसाधनों के साथ आगे आना होगा और इसी क्षेत्र के अन्य नियोक्ता (अन्य प्लेयर्स) के साथ प्रतिस्पर्धा करके उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर कोयला उपलब्ध कराने की पेशकश करनी चाहिए। यह भी मांग की गई है कि सार्वजनिक उपक्रम एकाधिकार का लाभ उठा रहे है, अतः कैप्टिव उद्देश्य से परे खनन की अनुमति दी जानी चाहिए। जैसा कि कोल सेक्टर को डी-रेगुलेट कर 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है यह दुनिया भर की बड़ी खनन कंपनियों को निवेश करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने, उत्पादन बढ़ाने और भारत में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कोयले की पेशकश करने के लिए आकर्षित कर सकता है।

कार्बन लोड

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने, विशेष रूप से ऊर्जा तक पहुंच उपलब्ध कराने हेतु लक्ष्य 7 की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पिछले एक दशक में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का ऊर्जा और उत्सर्जन प्रचुरता दोनों में 20% से अधिक

की कमी आई है। यह कुल ऊर्जा-संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन की निरंतर वृद्धि को प्रदर्शित करता है। आज भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 1.6 टन CO_2 है, जो वैश्विक औसत 4.4 टन से कम है, जबकि वैश्विक कुल CO_2 उत्सर्जन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 6.4% है। भारत ने आईईए विश्लेषण के अनुसार, 2000-18 की अवधि में अतिरिक्त 15% वार्षिक ऊर्जा की मांग व 300 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जन परिविर्जन से ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके अलावा, भारत अपने आईएनडीसी (INDC) के माध्यम से अपने वन परिक्षेत्र को बढ़ाने, जो 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा, के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत में कोयला संचय

सीएमपीडीआई, एमईसीएल, जीएसआई, एससीसीएल एवं कुछ निजी/सार्वजनिक उद्यमियों द्वारा आंकलित संसाधनों के आधार पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई भारतीय कोयले के भू-वैज्ञानिक संसाधनों की सम्पत्ति-सूची (01.04.2019 को) नीचे दी गई है-

1. भारत में अभी 1200 मीटर की अधिकतम गहराई तक कुल 3,26,495.63 मिलियन टन कोयले का भू-वैज्ञानिक संसाधन होने का आंकलन किया गया है। कुल संसाधनों में, गोंडवाना कोलफील्ड्स का योगदान 3,24,871.98 मि.टन (99.5%) है, जबकि हिमालयन अंचल के टर्शरी कोलफील्ड्स का कोयला संसाधन में योगदान 1623.65 मि.टन (0.5%) है ।

   टाईपवार एवं केटेगरी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कोयला का प्रकार	प्रमाणित (मि.टन)	सांकेतिक (मि.टन)	अनुमानित (मि.टन)	कुल (मि.टन)	शेयर प्रतिशत
1. कोकिंग कोयला					
प्राइम कोकिंग	4,667.75	645.31	0.00	5,313.06	1.63
मिडियम कोकिंग	14,875.55	11,245.13	1,862.86	27,983.54	8.57
सेमी कोकिंग	519.44	994.87	193.21	1,707.52	0.52
कोकिंग का उप-योग	**20,062.74**	**12,885.31**	**2,056.07**	**35,004.12**	**10.72**
2. नान-कोकिंग कोयला	1,34,957.86	1,27,494.05	27,415.95	2,89,867.86	88.78
3. टर्शरी कोयला	593.81	121.17	908.67	1,623.65	0.50
कुल (सभी प्रकार)	**1,55,614.41**	**1,40,500.53**	**30,380.69**	**3,26,495.63**	**100.00**
शेयर-प्रतिशत	**47.66**	**43.03**	**9.31**	**100.00**	

2. भारतीय कोयला संसाधनों का गहराई-वार एवं केटेगरी-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

गहराई-श्रेणी (मीटर में)	प्रमाणित (मि.टन)	सांकेतिक (मि.टन)	अनुमानित (मि.टन)	कुल (मि.टन)	शेयर प्रतिशत
0-300	1,13,760.86	65,203.40	9,222.10	1,88,186.36	57.64
300-600	23,454.68	60,307.93	15,204.02	98,966.63	30.31
0-600	14,056.10	450.44	0.00	14,506.54	4.44
600-1200	4,342.77	14,538.76	5,954.57	24,836.10	7.61
कुल	**1,55,614.41**	**1,40,500.53**	**30,380.69**	**3,26,495.63**	**100.00**

3. दिनांक 01.04.2018 की तुलना में दिनांक 01.04.2019 को कुल कोयला संसाधनों का अनुमान बढ़कर 7475.30 मि.टन तक तथा "प्रमाणित संचय" बढ़कर 6826.98 मि.टन तक हो गया, जो नीचे तालिका में दर्शित है:

दिनांक को सम्पत्ति	प्रमाणित (मि.टन)	सांकेतिक (मि.टन)	अनुमानित (मि.टन)	कुल (मि.टन)
01.04.2019	1,55,614.41	1,40,500.53	30,380.69	3,26,495.63
01.04.2018	1,48,787.43	1,39,164.14	31,068.76	3,19,020.33
भिन्नता/अन्तर	(+) 6826.98	(+) 1336.39	(-) 688.07	(+) 7475.30

(स्रोत : सीएमपीडीआई)

कोल इंडिया की अवसंरचना एवं उद्योग

भारत में, कोयला उत्पादन में सीआईएल का प्रभुत्व है, जो उत्पादनकारी 7-अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से लगभग 83-प्रतिशत कोयले का उत्पादन करती है एवं इसकी एक परामर्शता अनुषंगी कंपनी भी है। साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एक चौथाई कोयला उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी अनुषंगी कम्पनी है। सिंगरैनी कालरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) भारत में दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक कोयला कंपनी है, जो देश के कोयला उत्पादन में लगभग 9-प्रतिशत का योगदान देती है। अन्य निजी कम्पनियों द्वारा कोयला उत्पादन के अलावा, स्वयं की खपत के लिए टिस्को, आईआईएससीओ इत्यादि द्वारा अपेक्षाकृत कम मात्रा में कोयले का उत्पादन किया जाता है।

कंपनी का दृष्टिकोण

एसईसीएल के अधिकार क्षेत्र में दिनांक 01.04.2019 को 68,492.95 मि.टन भू-वैज्ञानिक कोयले का भंडार है।

स.क्रं	संचित कोयला	गहराई (मीटर)	प्रमाणित (मि.टन)	सांकेतिक (मि.टन)	अनुमानित (मि.टन)	कुल (मि.टन)
I	मध्यप्रदेश में संचित कोयला	0-1200	2491.96	5766.93	326.30	8585.19
II	छत्तीसगढ़ में संचित कोयला	0-1200	21446.29	36259.57	2201.90	59907.76
	एसईसीएल में कुल संचित कोयला (मप्र+छग)	**0-1200**	**23938.25**	**42026.50**	**2528.20**	**68492.95**

कम्पनी का भविष्य वर्तमान एवं नई खनन प्रौद्योगिकियों, कोयला प्रेषण में सुधार, कोयला परिवहन अधोसंरचना के विकास, नई खनन परियोजनाओं इत्यादि के माध्यम से निरंतर विकास व उत्कृष्टता के लिए उठाए गए उपायों के क्रम में उज्जवल है ।

एक बिलियन टन का योगदान

दिनांक 01.04.2020 को, एसईसीएल में, कुल 85-बड़ी कोयला परियोजनाएं (50 भूमिगत परियोजनाएं एवं 35 खुली खदान परियोजना) सहित तीन कस्टोडियन प्रोजेक्ट यथा गारे-पेलमा IV/1, गारे-पेलमा IV/2 व 3 एवं गारे-पेलमा IV/7 अनुमोदित हैं, जिसमें से 70 परियोजनाएं संचालनीय (छोड़ी गई/स्थगित परियोजनाओं को छोड़कर) हैं, जिसकी अधिकतम क्षमता 207.41 मिलियन टन प्रतिवर्ष व स्वीकृत पूंजी 28,353.08 करोड़ है। इन 85 परियोजनाओं में, दिनांक 31.03.2019 को 34-परियोजनाएं (06 भूमिगत व 28 खुली खदान सहित 03 कस्टोडियन माईन्स हैं) आन-गोईंग परियोजनाएं हैं, 46-परियोजनाएं (39-भूमिगत एवं 07 खुली खदान) पूर्ण परियोजनाएं हैं, तथा 05 भूमिगत खदान प्रचलित/वर्तमान खदानें हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान 150.55 मि.टन कोयला उत्पादन हुआ। कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए 15-आनगोईंग परियोजनाएं (05 यूजी एवं 10 ओसी) क्रियान्वयन के अधीन है, जबकि 06-नई परियोजनाएं क्रियान्वयन के लिए प्रारंभ की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 तक कोल इंडिया लिमिटेड के 1-बिलियन टन प्रतिवर्ष कोयला उत्पादन करने संबंधी संशोधित रोडमैप के अनुसार, एसईसीएल के लिए प्रतिवर्ष 254 मि.टन का वृहत शेयर होगा । 1-बिलियन टन के लिए तैयारी को ऑन-गोईंग एवं भविष्य की परियोजनाएं जोकि पहले ही क्रियान्वयन के अधीन है, कोयले की निकासी/प्रेषण अवसंरचना, भूमि अधिग्रहण, वन एवं पर्यावरण अनुमति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संशोधित की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान उपर्युक्त बाधाओं/रूकावटों को ध्यान में रखते हुए एसईसीएल का कोयला उत्पादन लक्ष्य 183.00 मि.टन निर्धारित किया गया है।

कोयला उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा कोरबा कोलफील्ड्स में गेवरा खुली खदान (70 मि.टन प्रतिवर्ष), कुसमुंडा खुली खदान (50 मिलियन टन प्रतिवर्ष), दीपका (40 मि.टन प्रतिवर्ष), मानिकपुर ओसी (3.5 मि.टन प्रतिवर्ष), सरईपाली ओसी आरसीई (1.4 मि.टन प्रतिवर्ष) से उपार्जित होगा। कार्य-संचालित कस्टोडियन माईन्स के अतिरिक्त, माण्ड-रायगढ़ कोलफील्ड्स अंतर्गत बारौद ओसी (3 मि.टन प्रतिवर्ष), जामपाली ओसी आरसीई (2 मि.टन प्रतिवर्ष), छाल ओसी (6 मि.टन प्रतिवर्ष), बिजारी ओसी (1.5 मि.टन प्रतिवर्ष), दुर्गापुर ओसी (6 मि.टन प्रतिवर्ष), पेलमा ओसी (15 मि.टन प्रतिवर्ष), मदननगर ओसी (12 मि.टन प्रतिवर्ष) का योगदान होगा । कोरिया-रीवा कोलफील्ड्स में, आमाडांड ओसी (4 मि.टन प्रतिवर्ष), कंचन ओसी (2 मि.टन प्रतिवर्ष), जगन्नाथपुर ओसी (3 मि.टन प्रतिवर्ष), मदननगर ओसी (12 मि.टन प्रतिवर्ष) तथा कंटीन्यूअर्स माईन्सयुक्त भूमिगत खदानों यथा-चरचा, विंध्या, कपिलधारा इत्यादि का योगदान होगा । पर्यावरण को बचाने के लिए दो खुली खदानों यथा- मालचुआ व अमृतधारा को भूमिगत कार्य-संचालन में परिवर्तित करने की योजना बनाई गई है।

प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण

बड़ी क्षमतायुक्त एचईएमएम जैसे 42 घनमीटर इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल, 240 टन डम्पर एवं 850 एचपी डोजर्स को बड़ी खुली खदान परियोजनाओं में नियोजित किया गया है। उच्च क्षमतायुक्त सरफेस माईनर्स तथा फ्रंट इंड लोडर्स (10 घनमीटर) को इन-पिट कन्वेयर्स, साईलो एवं रेपिड लोडिंग सिस्टम को सभी बड़ी परियोजनाओं में कोयला निकालने के लिए नियोजित करने की परिकल्पना की गई है। एसईसीएल की भूमिगत खदानों में कोयला निकालने के लिए ब्लास्ट मुक्त प्रौद्योगिकी की शुरूआत हेतु यथा- सीएम पैकेज एवं हाईवाल नियोजित की गयी है।

एमडीओ प्रबंधन

एमडीओ की अवधारणा भारत में अपेक्षाकृत नई है, जहां एक कोयला ब्लॉक मालिक एक तीसरी पार्टी को पूरे कार्य-संचालन को आउटसोर्स करता है, जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना की जवाबदेही लेता है और वह परियोजना की डिजाइन, वित्तपोषण, खरीदी, निर्माण व संचालन तथा रखरखाव गतिविधियों के लिए जवाबदेह होता है, जिसमें खदान का अंतिम माईन क्लोजर भी शामिल होता है ।

भारत कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के माध्यम से अपनी बिजली जरूरतों का लगभग 80 प्रतिशत पूरा करता है। यह दुनिया के पांचवें सबसे बड़े पुनःप्राप्ययोग्य कोयला भंडार होने के बावजूद अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है। एमडीओ मॉडल आयात निर्भरता को कम कर भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है और विदेशी मुद्रा को बचा सकता है। एमडीओ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के साथ, कोयला ब्लॉकों के त्वरित परिचालन को सक्षम बनाता है।

एसईसीएल में, चार खुली खदान परियोजनाओं यथा मदननगर ओसीपी (12 मि.टन प्रतिवर्ष), दुर्गापुर ओसीपी (6 मि.टन प्रतिवर्ष), पेलमा ओसीपी (15 मि.टन प्रतिवर्ष) एवं स्यांग ओसीपी (17 मि.टन प्रतिवर्ष) का चयन एमडीओ माध्यम द्वारा खनन कार्य-संचालन के लिए किया गया है। केतकी भूमिगत खदान, जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, का भी चयन संशोधित परियोजना रिपोर्ट (0.87 मि.टन प्रतिवर्ष) के अनुमोदन उपरांत, एमडीओ माध्यम के लिए किया गया है। मदननगर ओसी (12 मि.टन प्रतिवर्ष), दुर्गापुर ओसीपी (6 मि.टन प्रतिवर्ष) एवं पेलमा ओसीपी (15 मि.टन प्रतिवर्ष) की परियोजना रिपोर्ट को पहले ही कोल इंडिया बोर्ड द्वारा पूरे आउटसोर्सिंग विकल्प के रूप में अनुमोदित किया गया है। आगे, सीआईएल ने यह संसूचित किया है कि उपर्युक्त परियोजनाएं जोकि पूरे आउटसोर्सिंग विकल्प के रूप में कोल इंडिया बोर्ड द्वारा अनुमोदित हुई हैं, को एसईसीएल द्वारा माईन डेव्हलपर एंड ऑपरेटर मोड (एमडीओ) के अधीन विकसित एवं संचालित किया जाएगा। उपर्युक्त तीनों परियोजनाओं के एनआईटी दस्तावेजों को सीएमपीडीआईएल में तैयार किया जा रहा है तथा स्यांग ओसीपी/केतकी (0.87 मि.टन प्रतिवर्ष) के पीआर/पुनरीक्षित पीआर को सीएमपीडीआईएल में तैयार किया जा रहा है ।

कोयले की निकासी एवं अवसंरचना :

उपभोक्ताओं द्वारा स्रोत बिन्दु से कोयला ले जाने का प्रबंध तथा परिवहन अधोसंरचना का सृजन करना सतत/टिकाऊ विकास के लिये एक बहुत बड़ी चुनौती है। कोयला परिवहन के लिए रेल अधोसंरचना व पर्याप्त सड़कों के नेटवर्क का विकास करना भी चुनौतीपूर्ण कार्य है तथा जिसके लिए नई पहल की आवश्यकता होगी। रेलवे समय पर कोयले की निकासी तथा द्रुतगामी परिवहन के लिए आनुपातिक अधोसंरचना को नई पहल के माध्यम से दृढ़तापूर्वक शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

रेल कॉरिडोर

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के निबंधन अनुसार मार्च, 2013 में दो (02) संयुक्त-उद्यम (ज्वाईंट वेंचर) कम्पनियां यथा- मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) एवं मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल) प्रत्येक संयुक्त उद्यम में 64-प्रतिशत पण के साथ एसईसीएल की अनुषंगी के रूप में गठित हुई। दोनों रेल कोरिडोर को रेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए ''विशेष रेलवे परियोजना'' के रूप में अधिसूचित किया गया, इससे एसईसीएल के माण्ड-रायगढ़ कोलफील्ड्स एवं कोरबा-गेवरा कोलफील्ड्स से कोयले की निकासी की आवश्यकता पूरी होगी तथा इसका उपयोग मालभाड़ा एवं यात्री यातायात दोनों में किया जाएगा।

सीईआरएल द्वारा ईस्ट रेल कॉरिडोर की प्रगति

ईस्ट रेल कोरिडोर के दो चरणों में पूरा होने की संभावना है :

चरण-I : खरसिया से धरमजयगढ़ (0 से 74 कि.मी.) और गारे-पेलमा ब्लॉक की खदान को जोड़ने के लिए सहायक लाईन (स्पर) सहित

चरण-II: धरमजयगढ़ से कोरबा (लगभग 62 कि.मी.)

प्रथम चरण की परियोजना :

- कंपनी के प्रथम चरण की परियोजना का खरसिया से कोरिछापर (सिंगल लाईन) तक प्रथम 45-कि.मी. का परिचालन चालू हो गया है। सिग्नलिंग एवं टेलीकॉम (एस एंड टी) कार्य प्रगति पर है ।
- कंपनी ने रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार एसईसीआर से राजस्व का अपना शेयर प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है ।
- कंपनी ने एसईसीआर के साथ रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ऑपरेशन एवं अनुरक्षण ठेकेदार के रूप में मेसर्स इरकान इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस लिमिटेड (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) को नियुक्त किया है ।

- कोरिछापर से धरमजयगढ़ के मध्य मुख्य लाईन का शेष भाग और घरघोड़ा से भालुमुड़ा तक स्पर लाईन में प्रथम ब्लाक खण्ड का कार्य भी पूरा होने की स्थिति में है । भालुमुड़ा से डोंगा-महुआ तक द्वितीय ब्लॉक खण्ड कार्य के संबंध में एलाईनमेंट का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लंबित रखे जाने के कारण रोक दिया गया है ।
- रू. 3055.15 करोड की कुल परियोजना लागत में से 31.03.2020 तक लगभग रू.2180.00 करोड़ व्यय हुआ ।
- कोयला निकासी के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेल कनेक्टिविटी की सुविधा हेतु एसईसीएल की खदान सीमा क्षेत्र के अंदर रेल अवसंरचना के साथ तालमेल करते हुए छाल, बारोद एवं दुर्गापुर फीडर लाईन के संरेखण (एलाईनमेंट) कार्य को अंतिम रूप दिया जा चुका है। छाल, बारौद एवं दुर्गापुर फीडर लाईनों के लिए भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। फीडर लाईन के लिए भूमि अधिग्रहण व वन अनुमति प्रारंभिक स्थिति में है ।
- भूमि अधिग्रहण, वन अनुमति से संबंधित कतिपय कार्यकलाप एवं निर्माण कार्यकलापों को कोविड-19 महामारी की वजह से रोकथाम के उपायों के रूप में रोकना पड़ा ।

द्वितीय चरण की परियोजना :

- लगभग 61.53 कि.मी. (मार्ग किलोमीटर) की धरमजयगढ़ से कोरबा तक की द्वितीय चरण की परियोजना, उरगा सिंगल लाईन में 9.07 कि.मी. फ्लाई ओवर, 6 कि.मी. वाय (y) कनेक्शन सहित कुल 135.30 कि.मी. लम्बाई के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सीईआरएल, एसईसीएल तथा सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई, जिसकी कुल परियोजना लागत रू. 1686.22 करोड़ है। डीपीआर 80:20 की ऋण-इक्विटी अनुपात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। परियोजना के निर्दिष्ट समय सीमा में पूरा होने की संभावना है ।
- रेल मंत्रालय (एमओआर) ने धरमजयगढ़ से कोरबा तक परियोजना की बैंक-क्षमता को स्थापित करने के लिए आवधिक समीक्षा की शर्त पर प्रथम पांच वर्षों की वाणिज्यिक संचालन हेतु 60-प्रतिशत इनफ्लेटेड माईलेज का अनुमोदन प्रदान किया है ।
- धरमजयगढ़ से कोरबा तक द्वितीय चरण की परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सर्वेक्षण, सत्यापन एवं संबंधित कार्यकलापों का कार्य पूर्ण हो चुका है । परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण एवं वन अनुमति का कार्य प्रारंभिक स्थिति में है।
- रू. 32.00 करोड़ की इक्विटी को परियोजना के लिए मिलाया (इनफ्यूज्ड) गया है ।
- भूमि अधिग्रहण, वन अनुमति से संबंधित कतिपय कार्यकलापों को कोविड-19 महामारी के प्रभाव की वजह से रोकथाम के उपायों के रूप में रोकना पड़ा है।

सीईडब्लूआरएल द्वारा ईस्ट-वेस्ट रेल कोरिडोर की प्रगति

- कंपनी ने परियोजना के लिए वित्तीय क्लोजर में विलम्ब के कारण एसईसीआर से दिनांक 31.03.2023 एक वर्ष तक परियोजना को पूरा करने के लिए समय-सीमा के वित्तार का अनुमोदन प्राप्त किया है ।
- कंपनी ने समस्त ऋण-उधार राशि के लिए अपेक्षित ऋण दस्तावेजों को पूरा करते हुए बैंक से टर्म लोन की स्वीकृति प्राप्त की है, वित्तीय दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए कोविड-19 के कारण लाकडाउन के हटने की प्रतीक्षा की जा रही है ।
- वर्ष के दौरान उरगा-कुसमुंडा खण्ड में एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में एक बड़े बृज का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है ।
- विभिन्न कनेक्टिविटी एवं फीडर लाईनों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अपेक्षित भूमि एवं विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है ।

रेलवे साइडिंग :

निकट भविष्य में कोयला उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए नए सायडिंगों के निर्माण के लिए विभिन्न विकास कार्यकलाप किए जा रहे हैं। कोयला निकासी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एसईसीएल के कोरबा एवं सीआईसी कोलफील्ड्स के विभिन्न क्षेत्रों में साइडिंगों का नेटवर्क बिछा है। वर्तमान में, कोयला प्रेषण के लिये 35 रेलवे सायडिंग है, जिसका विवरण इस प्रकार है-

स.क्रं.	कोलफील्ड्स	रेलवे सायडिंगों की संख्या	क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)
1	कोरबा कोलफील्ड्स	19	119.90
2	सीआईसी कोलफील्ड्स	16	28.75
	योग	35	148.65

फ्रर्स्ट माईल कनेक्टिविटी (एफएमसी)

एफ.एम.सी. पहल कोयला परिवहन की एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य परिवहन समय और धूल प्रदूषण को कम करने के लिए कन्वेयर बेल्ट जैसी सहज यंत्रीकृत परिवहन प्रणाली के साथ पिटहेड से प्रेषण स्थल तक कोयले की मौजूदा सड़क परिवहन को बदलना है। धूल और वायु प्रदूषण में कमी के कारण

स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के अलावा सड़क नेटवर्क पर भार कम करना, डीजल की लागत में बचत करना, कोयले की संभावित चोरी/उठाईगिरी को रोकना, वैगनों में लोड किए जाने वाले कोयले की सटीक पूर्व-भारित मात्रा के कारण वैगनों में कम लोडिंग/अधिक लोडिंग के तहत किसी भी अवसर को समाप्त करना, रेलवे वैगनों के त्वरित कंप्यूटर-लोडिंग के कारण रेकों के बेकार खड़े रहने/रैकों के लोडिंग चक्र समय को कम करने इत्यादि जैसे इसके कई अतिरिक्त फायदे होंगे।

एसईसीएल ने पहल करते हुए पहले चरण में 08 परियोजनाओं का कार्य शुरू किया है, जिसकी अनुमानित लागत रू. 3150 करोड़ होगी। एसईसीएल साईलो युक्त रेपिड लोडिंग सिस्टम वाले कोल हैंडलिंग प्लान्ट (सीएचपी) स्थापित करेगा, जिसमें लोड किए जाने वाले कोयले की पूर्व-तौली हुई सटीक मात्रा समेत कोयले की क्रशिंग, आकारयुक्त कोयला, बेहतर गुणवत्तायुक्त कोयला व उसकी त्वरित लोडिंग जैसे लाभ होंगे। यह कोयला परिवहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ।

फ़र्स्ट माईल कनेक्टिविटी अवधारणा के तहत पहचान किए गए कोयला परियोजनाओं का नाम एवं उनकी अनुमानित लागत नीचे प्रस्तुत है।

स.क्रं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रू. करोड़ में)
1	कुसमुंडा फेस-।। सीएचपी साईलो (40 मि.टन प्रतिवर्ष)	262.75
2	कुसमुंडा फेस-।।।	500.00
3	मानिकपुर सीएचपी साईलो (5 मि.टन प्रतिवर्ष)	156.81
4	गेवरा आरएलएस (20 मि.टन प्रतिवर्ष)	202.38
5	गेवरा साईलो नं.-5 एवं 6 (30 मि.टन प्रतिवर्ष)	702.50
6	दीपका यंत्रीकृत साईडिंग	286.46
7	छाल ओसी	328.20
8	बारौद साईलोयुक्त सीएचपी	**709.00**
	कुल	**3,148.10**

कुसमुंडा खुली खदान में 2x4x100 टन ट्रक स्वीकारकृत हॉपर्स, 20,000 टन क्षमतायुक्त ओवरहेड आरसीसी बंकर अंतर्निहित कोल हैण्डलिंग प्लान्ट के प्रथम चरण का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है जिसे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल) द्वारा निकासी व्यवस्था के प्रतिस्थापन के बाद दिनांक 08.02.2020 को चालू किया गया। सीएसपीजीसीएल के बेल्ट-1 एवं बेल्ट-2 परिचालन के माध्यम से कोयले की निकासी होती है। कुसमुंडा खुली खदान में रेपिड लोडिंग सिस्टम युक्त 4-नग साईलो अंतर्निहित कोल हैण्डलिंग प्लान्ट के द्वितीय चरण का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ग्रीन इन्वेस्टमेंट

नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और ''नेट जीरो कंपनी'' के प्रति प्रतिबद्धता मानव जाति के लिए उपलब्ध स्वच्छ ऊर्जा संसाधन का दोहन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में, कोरबा कोलफील्ड्स के कैप्टिव खपत के उद्देश्य से, सीपीएसई योजना के तहत 40 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से एनटीपीसी के साथ व्यवस्था करने हेतु एसईसीएल में कदम उठाए गए हैं। इस व्यवस्था के तहत, अक्टूबर 2021 से सौर ऊर्जा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है और बिजली की सस्ती लागत के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 21-करोड़ की बचत होने का अनुमान है। इसके अलावा, भटगांव क्षेत्र और बिश्रामपुर क्षेत्र में कोयला दोहन के पश्चात खाली चिह्नित भूमि के चार पैचों पर ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लान्टों की योजना बनाई गई है, ताकि प्रोजेक्ट डेवलपर को नियोजित कर 40 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लान्टों को लगाया जा सके। इन संयंत्रों से सौर ऊर्जा का उपयोग ग्रिड में अधिशेष को इंजेक्ट करने के विकल्प के साथ कैप्टिव खपत के लिए किया जाएगा। उपरोक्त के अलावा, 2150 केडब्ल्यूपी क्षमतायुक्त ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लान्ट को नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) के माध्यम से विभिन्न सेवा भवनों पर स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

व्यवसाय व्यवस्था

- **सीबीएम की खोज**

  कोल बेड मीथेन (सीबीएम) एक गैर-पारम्परिक प्राकृतिक गैस है (जिसमें 95-प्रतिशत से अधिक मीथेन है) जोकि कोयले की परत में समाविष्ट रहता है और वह कोयला बनने की प्रक्रिया के दौरान बनता है । ऊपरी सतह के दबाव के चलते जो प्राकृतिक गैस कोयले की परत से निकलती है, वह

सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो सकती है। इसलिए इस प्राकृतिक गैस का खनन प्रक्रिया के पहले निकल जाने से सुरक्षा बढ़ जाती है और इस गैस का उपयोग विशुद्ध ईंधन के रूप में किया जा सकता हैं, जिसकी उष्मीय मान प्रायः 8000 किलो कैलोरी/केजी से अधिक होता है।

एसईसीएल के कोयला खनन कार्य संचालन क्षेत्र के अंतर्गत, सोहागपुर कोलफील्ड्स (मध्य प्रदेश राज्य) में प्रचुर मात्रा में कोल बेड मीथेन उपलब्ध है। सीएमपीडीआईएल ने सीबीएम की खोज हेतु सोहागपुर कोलफील्ड्स के पूर्वी भाग में 97 वर्ग कि.मी. में फैले एक ब्लाक बाउण्डरी की पहचान की है। इसमें 6-कोल ब्लाक (बहेराबंद वेस्ट, बहेराबंद माईन, केवई, चुलिया बुलिया ईस्ट, चुलिया बुलिया सेंट्रल एवं चुलिया बुलिया वेस्ट) शामिल हैं, जो सीम V, इंडेक्स, IV एवं III में 2.4 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) के प्रागैतिहासिक संसाधन द्वारा समर्थित हैं। सीएमपीडीआई द्वारा कोल बेड मीथेन की मौजूदगी के संबंध में आकलन किया जा रहा है।

- **सतही कोयले का गैसीकरण**

कोयले का गैसीकरण कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लक्ष्य के साथ स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यनीति माना जाता है। दहन के विपरीत, यह कोयले में अंतर्निहित ऊर्जा को बिजली, हाइड्रोजन, स्वच्छ ईंधन और मूल्य वर्धित रसायनों में परिवर्तित करने के लिए थर्मल रूप से सर्वाधिक दक्ष और सबसे स्वच्छ तरीका है। कोयले का गैसीकरण एक पर्यावरण अनुकूल रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नॉन-कोकिंग कोयले को O2 और H2O के साथ अभिक्रिया द्वारा एक स्वच्छ ईंधन गैस, जिसे संश्लेषण गैस या "सिंगैस" (Syngas) कहा जाता है,जिसमें मुख्य रूप से H2, CO और CH4 शामिल हैं, में परिवर्तित किया जा सकता है। उत्पादित सिंगैस में अपार व्यावसायिक अनुप्रयोग क्षमता है क्योंकि इसका उपयोग सीधे या औद्योगिक स्वच्छ ईंधन, विविध उच्च गुणयुक्त रसायनों और पेट्रो रसायनों, उर्वरकों में किया जा सकता है, और बिजली पैदा करने के साथ-साथ डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI) प्रक्रिया के माध्यम से स्टील बनाने के लिए भी किया जा सकता है। गैसीकरण से आयातित तेल और प्राकृतिक गैस पर देश की निर्भरता को कम करने में भी मदद मिलेगी। कोयला गैसीकरण संयंत्र प्राकृतिक गैस फीडस्टॉक के साथ लागत प्रतिस्पर्धा के कारण दक्षिण अफ्रीका, चीन, अमेरिका, नीदरलैंड आदि देशों में सफलतापूर्वक चल रहे हैं।

एसईसीएल में, सरफेस कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट को महामाया खुली खदान, भटगाँव क्षेत्र, सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़ में शुरू किया जा रहा है। खदान (पीआर कोल ग्रेड-जी4, क्षमता 1.5 मि.टन प्रतिवर्ष, खदान का जीवनकाल 33-वर्ष) की पहचान सरफेस कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए फीडिंग खदान के रूप में की गई है। मेसर्स प्रोजेक्ट्स एंड डेव्हलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल), एक मिनीरत्न सार्वजनिक उपक्रम, को एसईसीएल में सरफेस कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन और पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियोजित किया गया है। मेसर्स पीडीआईएल द्वारा सतही उत्पाद (डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट) की पहचान के लिए बाजार की खोज की जाएगी और कोयले से सिंथेसिस गैस और डाउनस्ट्रीम उत्पाद संयंत्र की स्थापना के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का निर्धारण किया जाएगा। तकनीकी- आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर, कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए वैश्विक निविदा आमंत्रित की जाएगी।

स्वाट विश्लेषण

क्षमता :

- कोयले का व्यापक प्रमाणित भण्डार 23938 मिलियन टन तथा कुल संचय 68493 मिलियन टन है, जिसमें कोल बेड मीथेन (सीबीएम) की संभावना है।
- अनुकूल स्ट्रीपिंग स्थितियुक्त खुली खदानों से वृहत कोयला उत्पादन।
- बड़ी खदानों में आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उच्च क्षमतायुक्त एचईएमएम अर्थात 240 टन डम्पर, 42 घनमीटर शॉवेल, 381 एमएम ड्रिल मशीन, 150 टन क्रेन, 850 एचपी डोजर, 533 एचपी ग्रेडर इत्यादि का नियोजन।

- अवसंरचना सुविधाओं के संवर्धन एवं विकास योजना के समर्थन के लिए पर्याप्त संचित कोष/अधिशेष के साथ बेहतर वित्तीय स्थिति ।
- अनुभवी कर्मी, उत्पादनकारी कार्य-संस्कृति, सहभागिता प्रबंधन, मधुर औद्योगिक संबंध द्वारा संगठनात्मक सहयोग ।
- व्यवसाय की व्यवस्था को विकसित करने के लिए भू-वैज्ञानिक सहयोग।

कमजोरियां

- अर्ध-यांत्रिकी भूमिगत खदानों का संचालन/परिचालन एवं विस्तार आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं होता है ।
- बड़े एचईएमएम के लिए पुर्जों के आयात व सेवाओं पर अत्यधिक निर्भरता ।
- आउटसोर्स कार्य-संचालन के कारण मुख्य कार्यों की दक्षता में गिरावट ।

अवसर

- मूलभूत बिजली की मांग को पूरा करने के लिए निरंतर थर्मल पावर जनरेशन ।
- पर्याप्त अवसंरचना एवं त्वरित कोयला निकासी की सुविधाओं में निवेश ।
- बड़ी खुली खान परियोजनाओं की सकेंद्रित स्थिति खनन परियोजनाओं में एकीकृत रूप से पिटहेड पावर प्लान्ट स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगी।

आशंका

- कोयला खनन परियोजनाएं "समय" और "लागत" द्वारा बुरी तरह से प्रभावित होती है ।
- वाणिज्यिक खनन कड़ी चुनौती पैदा कर सकता है ।
- वैश्विक रूप में नान-कोकिंग कोयले की कीमत में बड़ी गिरावट चिंता का कारण है।
- कड़े पर्यावरण और संरक्षण कानून परिचालन संबंधी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं ।

खनन चिंताएं

खनन कार्यकलाप निर्दिष्ट स्थल में होता है, जहा खनन का संचालन कोयला संचय में विशिष्ट भू-गर्भीय संरूप, भूगर्भीय भंडारण, कोयला संचय के स्तरविन्यास, उपलब्ध प्रौद्योगिकी इत्यादि के कारण परिसीमित होता है। इसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित बड़ी चिंताएं निहित हैं :

- पर्यावरणीय मुद्दों और वन के लिए कई स्तरों की मंजूरी/अनुमति।
- कम निष्कर्षण और भूमि मूल्य का भारी बोझ सुरक्षित, वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल भूमिगत खदान को भी अलाभकारी/अव्यवहारिक बनाता है।
- वैश्विक रूप से कीमतों में गिरावट से भारत में कोयले की मांग पैटर्न को अस्थिर कर सकती है।
- भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करने में कठिनाई, विवादों के निपटान, प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त करना, अनाधिकृत निवासियों को बेदखल करना आदि गंभीर चुनौतियां हैं।
- आयातित एचईएमएम, उनके कलकुर्जों एवं सेवाओं पर अत्यधिक निर्भरता खुली खदानों में परिचालन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं।
- वैकल्पिक सस्ती ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच कायम किए बिना जीवाश्म ईंधन के विरूद्ध दृढ़ समर्थन तथा जलवायु परिवर्तन की चिंता, खनन कार्यो को खतरे में डाल सकती है।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति एवं उनकी उपयुक्तता

कम्पनी की अपनी सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली व प्रक्रिया है जो उसके व्यवसाय की प्रकृति व आकार के अनुरूप है। कंपनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावी रूप से संचालित है और समुचित आश्वासन प्रदान करती है कि आंतरिक और बाह्य रिपोर्टिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संगठन की नीतियों, प्रक्रियाओं, कार्यों, व्यवहारों और अन्य पहलुओं को एक साथ लिया गया है और इसके प्रभावी और कुशल संचालन को सुविधाजनक बनाया गया है जो प्रयोज्य कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में सहायता करता है ।

एसईसीएल बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक व बाह्य लेखा परीक्षक से समय पर प्रासंगिक, और सटीक जानकारी मांगकर तथा प्रत्यक्ष व चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछकर उनकी निगरानी कर रहा है।

बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति की सहायता से कार्यक्षेत्रों में शामिल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन करता है ।

सभी कार्यालयों/क्षेत्रों/खनन कार्य संचालित इकाईयों का अधिकृत/लागत लेखाकार प्रतिष्ठानों के माध्यम से आंतरिक लेखा परीक्षा किया जा रहा है तथा उनकी रिपोर्टों की समीक्षा एसईसीएल बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है। कोल इंडिया लिमिटेड ने कोल इंडिया लिमिटेड की सभी अनुषंगियों द्वारा आवश्यक अनुपालन के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपाय/दिशानिर्देश जारी किये है, जिसे व्यवसाय के सुव्यवस्थित व कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए अनुपालित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखा परीक्षकों से प्रमाणन प्राप्त किए जाते हैं कि कंपनी में, सभी आर्थिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप में संचालित था ।

कंपनी की वित्तीय विवरणी पर रिपोर्टिंग करते समय सांविधिक/शाखा लेखा परीक्षक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उपयुक्तता व संचालनीय प्रभोवोत्पादकता पर एक अलग और विशिष्ट रिपोर्ट ''कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 की कंडिका (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट'' शीर्षक के रूप में जारी करते हैं।

कार्य संचालन के निष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्य निष्पादन पर चर्चा/विमर्श :

मुख्य रिपोर्ट में शामिल है ।

मानव संसाधन/औद्यौगिक संबंध कार्यक्षेत्र में वस्तुपरक विकास सहित नियोजित लोगों की संख्या

मुख्य रिपोर्ट में शामिल है ।

पर्यावरणीय संरक्षा एवं संरक्षण,प्रौद्योगिकीय संरक्षण,नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी विनिमय संरक्षण

मुख्य रिपोर्ट में शामिल है ।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

मुख्य रिपोर्ट में शामिल है ।

सचेतक विवरण

''प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट'' तथा ''निदेशक रिपोर्ट'' में दिये गये विवरण में कम्पनी के उद्देश्यों, आंकलन एवं अनुमान, अपेक्षाएं एवं भविष्यकथन इत्यादि का उल्लेख है, ''फारवर्ड लूकिंग स्टेटमेंट'' प्रयोज्य नियम एवं विनियम के आशय के अधीन और प्रगामी हो सकते है।

यहां दिये गये ''फारवर्ड लूकिंग स्टेटमेंट'' कुछ जोखिम तथा अनिश्चितताओं के अधीन हैं जिनसे वास्तविक परिणाम इस ''फारवर्ड लूकिंग स्टेटमेंट'' में प्रदर्शित नतीजों से थोड़ा अलग होने की बात आ सकती है। वास्तविक परिणाम आर्थिक स्थिति, सरकारी नीति एवं अन्य आकस्मिक कारकों के परिणामस्वरूप यहां सांकेतिक या प्रदर्शित परिणामों से तात्विक रूप से भिन्न हो सकते हैं। पाठकों को ''फारवर्ड लूकिंग स्टेटमेंट'' पर अनावश्यक भरोसा न करने के लिये सचेत किया जाता है ।

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के
निदेशक मण्डल की ओर से

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**
(आर.के. निगम)	**(ए.पी. पण्डा)**
निदेशक (तकनीकी) संचालन	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08321825	डीआईएन : 06664375

स्थान : बिलासपुर
दिनांक : 11.08.2020

वित्तीय विवरण
(एकल)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा के अनुरूप 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा करने संबंधी मानकों के अनुरूप स्वतंत्र-निष्पक्ष लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु जवाबदेह है। यह घोषित किया जाता है कि उनके द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 10.06.2020 के आधार पर बनाया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के अधीन साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणियों का अनुपूरक लेखा परीक्षा कार्य सम्पन्न किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यालयीन कागज-पत्र प्राप्त किए बिना ही स्वतंत्र रूप से सम्पन्न किया गया है तथा यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कम्पनी कार्मिकों से पूछताछ एवं कुछेक लेखा अभिलेखों की चयनात्मक जॉच तक ही सीमित है।

मेरे लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य संज्ञान-प्रकाश में नही आया है, जिसके आधार पर उस पर या सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुपूरक पर किसी प्रकार की कोई टीका-टिप्पणी की जा सके।

वास्ते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

हस्ताक्षर

(मौसुमी राय भट्टाचार्या)

महानिदेशक लेखा परीक्षा (कोल)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 05.08.2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति सदस्य साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

एकल इंड एएस वित्तीय विवरणी की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने ''साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड'' ('कम्पनी') के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणी जिसमें 31 मार्च, 2020 तक का तुलन पत्र शामिल है, और लाभ और हानि की विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरणी, उसी समाप्त वर्ष के इक्वीटी में परिवर्तन की विवरणी, और एकल इंड एएस वित्तीय विवरणी की टिप्पणियों, समेत महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार व अन्य व्याख्यात्मक सूचना (''जिसे आगे एकल एंड एएस वित्तीय विवरणी के रूप में संदर्भित किया गया है), जिसमें कंपनी की शाखाओं का शाखा परीक्षकों द्वारा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित 10-शाखाओं का विवरण (रिटर्न) समावेशित है, का लेखा परीक्षा किया है।

हमारी राय में व हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और नीचे अन्य विषयक खण्ड में संदर्भित शाखाओं की अलग-अलग इंड एएस वित्तीय विवरणों पर शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के आधार पर, उपर्युक्त एकल इंड एएस वित्तीय विवरण, कपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा वांछित जानकारी-सूचना अपेक्षित रूप में प्रदान करता है तथा 31 मार्च, 2020 तक के कंपनी के कार्य मामलों की, तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ, (कुल व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन तथा इसके रोकड़ प्रवाह का, अधिनियम की धारा 133 सहपठित कम्पनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा-संशोधित) के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानकों व भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अनुरूप सही व उचित मत/विचार प्रदान करता है ।

राय के लिए आधार

हमनें अधिनियम की धारा 143 (10) में विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य मान्य/साधिकार उद्घोषणा के अनुरूप अपना लेखा परीक्षा कार्य निष्पादित किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के एकल इंड एएस वित्तीय विवरण खण्ड के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम नैतिक आवश्यकताओं, जोकि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अधीन जारी नियमों के प्रावधानों के अधीन एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है, के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं तथा हमनें इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने अन्य नैतिक जवाबदेहियों तथा आईसीएआई के नैतिक संहिता का पूरा पालन किया है। हम यह मानते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा नीचे अन्य विषयक खण्ड में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, एकल इंड एएस वित्तीय विवरणी पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त एवं समुचित है।

विषय पर जोर

1. हम एकल इंड एएस वित्तीय विवरण से संबंधित नोट-38 (5) (एम) पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो विवेक के सिद्धातों का वर्णन करता है और जिसे प्रबंधन ने कोविड-19 महामारी की स्थिति, अन्य प्रतिबंधों व लॉक-डाउन के कारण वित्तीय प्रभाव व अनिश्चितता का मूल्यांकन करते समय व्यवहार में लाया है, जिसके लिए बाद की अवधि में वित्तीय विवरण पर वास्तविक प्रभाव का एक निश्चित मूल्यांकन भविष्य में होने वाली परिस्थितियों पर निर्भर होगा।

2. हम फीफो पद्धति द्वारा भारित औसत लागत पद्धति में कोयले की इति सम्पत्ति सूची के मूल्यांकन से संबंधित नोट 35(5) (एन) पर एकल इंड एएस वित्तीय विवरण के बारे में ध्यान आकर्षित करते हैं जो लेखा नीति में परिवर्तन का वर्णन करती है ।

3. हम, व्यापारिक प्राप्य, नकदी और बैंक शेष, कतिपय ऋण व अग्रिम, दीर्घकालिक देयताओं एवं चालू देयताओं से संबंधित आवधिक पुष्टिकरण, मिलान एवं परिणामी समायोजन (यदि कोई हो) के संबंध में नोट 38 (5) (एल) पर ध्यान आकर्षित करते हैं ।

इन विषयों पर हमारी राय में कोई संशोधन नहीं हैं ।

वित्तीय विवरण के अलावा जानकारी एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी के निदेशक मण्डल अन्य सूचना/जानकारी तैयार करने के प्रति जवाबदेह हैं। अन्य सूचना/ जानकारी में प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण, बोर्ड रिपोर्ट समेत बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नक, व्यवसाय जवाबदेही रिपोर्ट तथा कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल है, किंतु इसमें एकल इंड एएस वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एकल इंड एएस वित्तीय विवरणी पर हमारी राय अन्य सूचना को शामिल नहीं करती है, तथा हम उस पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं कर सकते।

एकल इंड एएस वित्तीय विवरण के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जवाबदेही अन्य जानकारी को पढ़ना है और, ऐसा करने में, यह ध्यान रखना है कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरण से वस्तुपरक असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान/जानकारी या अन्यथा वस्तुपरक गलत प्रतीत होता है ।

हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर, यदि, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य सूचना का कोई वस्तुपरक गलत विवरण इसमें है, तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उस तथ्य के बारे में रिपोर्ट करें । हमारा यह निष्कर्ष है कि अन्य सूचना का ऐसा कोई वस्तुपरक गलत विवरण मौजूद नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय

मुख्य लेखा परीक्षा विषय, वे विषय हैं जो हमारे वृत्तिक/पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के एकल इंड एएस वित्तीय विवरण के हमारे लेखा परीक्षा के दौरान अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। इन विषयों को पूरे एकल इंड एएस वित्तीय विवरण के हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में तथा उस पर हमारी राय बनाने में समाधान किया गया था तथा हमनें इन विषयों पर अलग से न तो कोई राय बनाया है और न दिया है। हमनें अपनी रिपोर्ट में संसूचित किए जाने वाले मुख्य लेखा परीक्षा विषय को निर्धारित कर विषय को नीचे वर्णित किया है।

स.क्रं.	प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	निष्पादित प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रिया
1	**कोविड-19 महामारी के कारण अंकेक्षण दूरस्थ स्थान से किया गया है।वास्तविक/ भौतिक दस्तावेजों का मूल्यांकन/ सत्यापन उनकी स्कैन छाया-प्रति एवं कम्पनी द्वारा उनकी पुष्टि के आधार पर किया गया है ।** स्कैन किए गए दस्तावेज विशेषकर जिनके मूल दस्तावेज कंपनी के पास उपलब्ध है, उनकी सत्यता की अपनी सीमाएं हैं। वर्तमान लॉकडाउन एवं उसके प्रतिबंधों के अधीन प्रबंधन द्वारा सम्पत्तियों के किए गए प्रत्यक्ष जांच/भौतिक सत्यापन हेतु हमारी उस स्थान पर उपस्थिति संभव नहीं होने के कारण हमनें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए रिपोर्टों के आधार पर उनके अस्तित्व एवं स्थिति पर विश्वास किया है। चूंकि हम लेखा परीक्षा साक्ष्य व्यक्तिगत रूप से या संबंधित कर्मी से वार्तालाप द्वारा एकत्र नहीं कर सकते थे, हमनें इसे प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय चिन्हित किया है ।	लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कोविड-19 प्रकोप के कारण राष्ट्रव्यापी लाकडाउन में यात्राओं पर प्रतिबंध की वजह से हम कंपनी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्यक्ष रूप से लेखा परीक्षा नहीं कर सके और परिणामतः आवश्यक दस्तावेज, अभिलेख, सूचनाएं और रिपोर्ट स्कैन/साफ़्ट प्रारूप में ई-मेल से प्राप्त किए गए थे और उन्हीं के आधार पर लेखा परीक्षा किया गया । प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के समाधान हेतु निम्न लेखा परीक्षा प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है- - दस्तावेजों के स्कैन/साफ्ट रूप में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन किया गया। जांच स्कैन्ड दस्तावेजों के परीक्षण व मूल्यांकन पर आधारित है। - दस्तावेजों की सत्यता और कंपनी प्रबंधन के पास उनकी मूल प्रति उपलब्ध होने के संबंध में प्रबंधन से सत्यापित कराया गया । - अपनी संतुष्टि के लिए आवश्यकतानुसार कंपनी प्रबंधन से स्कैन्ड दस्तावेजों की विश्वसनीयता की जांच हेतु मौखिक विचार-विमर्श किया गया और अतिरिक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य एकत्र किए गए ।

स.क्रं.	प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	निष्पादित प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रिया
2	**ओवरबर्डन (माईन वेस्ट मटेरियल), खान सरफेस (ओपन कास्ट) के व्यय के लिए स्ट्रीपिंग अनुपात का मूल्यांकन और स्ट्रीपिंग गतिविधियों का समायोजन।** संचित कोयले में ओवरबर्डन का अनुपात स्ट्रीपिंग अनुपात है। ओवरबर्डन और कोयले की मात्रा अनुमानित है और आंतरिक एवं बाह्य विशेषज्ञों द्वारा सर्वेक्षित है। कंपनी तकनीकी रूप से प्रत्येक खान के लिए मानक स्ट्रीपिंग अनुपात का मूल्यांकन करती है जिसमें महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय अंतर्निहित होते हैं। 5-वर्षों के अंतराल में ऐसे अनुमानों की समीक्षा की जाती है अतः इस अवधि में अनुपात बदल सकता है । वास्तविक रूप से हटाए गए ओवरबर्डन की रिपोर्ट की गई मात्रा, क्लोजिंग एडवांस स्ट्रीपिंग एवं वर्ष के दौरान उत्पादित कोयले के आधार पर, वर्तमान स्ट्रीपिंग अनुपात निर्धारित किया जाता है। मानक स्ट्रीपिंग अनुपात के आधार पर वर्ष के दौरान कोयले के वास्तविक उत्पादन के संबंध में ओवरबर्डन हटाने में हुए खर्च को लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है । चूंकि इस लेखा विधि में तकनीकी अनुमान एवं निर्णय शामिल है अतः हमनें इसे प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के रूप में विचार किया है ।	प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के समाधान हेतु निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है - - कंपनी एवं समान स्वरूप के खनन उद्योगों में अपनाई गई स्ट्रीपिंग प्रक्रिया के संबंध में प्रबंधन की सहमति ली गई है । - सरफेस माईनिंग से संबंधित खर्च का पता लगाने एवं कोयला व ओवरबर्डन हटाने में हुए खर्च के आबंटन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में प्रबंधन से चर्चा की गई है । - कोयले एवं ओवरबर्डन के माप एवं कोयला व ओवरबर्डन में खर्च के आबंटन से संबंधित आगत सूचना दस्तावेजों के संबंध में इसके उपयुक्त नियंत्रण एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। - ओवरबर्डन से कोयले के अनुपात में भिन्नता की गणना एवं प्रावधान की गणना की समीक्षा की गई। - इंड एएस वित्तीय विवरण की टिप्पणी में प्रकटीकरण की उपयुक्तता तथा स्ट्रीपिंग कार्यकलाप के खर्च एवं समायोजन के संबंध में कंपनी के लेखा नीति की समीक्षा की गई । - हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण अपवाद नहीं पाए गए है ।
3	**कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता (ग्रेड स्लीपेज) हेतु प्रावधान** बिक्री किए गए कोयले एवं बाह्य गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के अनुसार कोयले की गुणवत्ता बेमेल होने के कारण कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता का समायोजन बिक्री में किया गया । कोयले की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व को वित्तीय विवरण में कोयले की रिपोर्टेड ग्रेड में प्रेषण तिथि को मान्य किया जाता है और ग्रेड स्लीपेज संबंधी प्रावधानों के अनुसार कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता के लिए समायोजित किया जाता है । ग्रेड स्लीपेज के प्रावधानों में प्रबंधन के निर्णय और कोयले की गुणवत्ता के पिछले जांच परिणामों के तकनीकी मूल्यांकन की गणना अंतर्निहित है । कोयले की गुणवत्ता में परिवर्तन,यदि कोई हो, के कारण किसी भी भिन्नता का समाधान अलग से डेबिट/क्रेडिट नोट जारी कर किया जाता है । लाभ व हानि विवरण में मान्य राजस्व एवं ग्रेड-स्लीपेज के लिए किए गए समायोजन के संदर्भ में माद्दा के कारण अपेक्षित निर्णय और अनुमान को हमने प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के रूप में विचार किया है ।	प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के समाधान हेतु निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है - - विक्रय रजिस्टर जिसमें से कोयले के ग्रेड की जांच हेतु सैम्पल भेजे जाते हैं, से चालू अवधि के दौरान किए गए समस्त बिक्री की जानकारी ली गई । - चालू अवधि के दौरान ग्रेड स्लीपेज संबंधी प्रावधान की जानकारी प्राप्त कर उसकी जांच की गई और ग्रेड स्लीपेज के पूर्व प्रावधानों में समायोजित की गई। - पूर्व गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के परिणाम/निष्कर्ष के आधार पर ग्रेड स्लीपेज संबंधी प्रावधानों के उपयुक्तता की जांच की गई। - गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के परिणाम/निष्कर्ष और लेखा में राजस्व व वैधानिक दायित्वों पर इसके प्रभाव के आधार पर वर्तमान अवधि के दौरान सत्यापित डेबिट-क्रेडिट नोट जारी की गई। - वित्तीय विवरण में मापन, मान्यता और प्रकटीकरण के लिए उपयुक्त नियंत्रण का मूल्यांकन किया गया। - हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण अपवाद नहीं पाए गए है ।

स.क्रं.	प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	निष्पादित प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रिया
4	**विवाद एवं आकस्मिक देयताओं का निर्धारण** कराधान, खनन, राज्य एवं स्थानीय उपकरों से संबंधित विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष कंपनी के विरूद्ध विवाद पाए गए है जिसके समाधान हेतु समय लगेगा और वित्तीय विवरण में इसका प्रभाव अंतर्निहित पाया गया है । विवादों से संबंधित जोखिमों का मूल्यांकन गूढ़ अनुमान पर आधारित है। प्रावधान व इसमें बढ़ोतरी का जोखिम है जो निर्णय पर आधारित होंगी और हो सकता है कि आकस्मिक दायित्व का प्रावधान उपयुक्त न हो। तदनुसार इसे प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय माना गया है । एकल इंड एएस वित्तीय विवरण का नोट-38 देखें।	प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के निपटान हेतु निम्नलिखित अंकेक्षण प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है - - कंपनी द्वारा क्रियान्वित ऐसे दायित्व को चिन्हित करने हेतु अपनाई गई कार्यविधि के संबंध में कंपनी के विधि एवं वित्त विभाग से चर्चा कर सहमति ली गई । - लंबित विवादों की स्थिति तथा ऐसे विवादों के परिणाम/निष्कर्ष के संबंध में उनके मूल्यांकन की जानकारी कंपनी के उत्तरदायी व्यक्ति से ली गई। - विभिन्न फोरमों से प्राप्त विविध पत्राचार/आदेशों की प्रतियां तथा इन पत्राचारों के संबंध में कंपनी प्रबंधन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी लेकर उसकी समीक्षा की गई । - वित्तीय विवरण में समुचित रूप से ऐसे विवादों के प्रकटीकरण व मान्यता, मापन के लिए उपयुक्त नियंत्रण का मूल्यांकन किया गया । - हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण अपवाद नहीं पाए गए है ।

एकल इंड एएस वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी के निदेशक मण्डल, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन (समेत अन्य व्यापक आय), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन का सही और स्पष्ट रूप प्रदर्शित करने वाले इन एकल इंड एएस वित्तीय विवरणी को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम,2013 (''अधिनियम'') की धारा 134 (5) में वर्णित विषयों सहित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखाविधि मानक (इंड एएस), सह-पठित कंपनीज (भारतीय लेखाविधि मानक) नियम, 2015 (यथा-संशोधित) के लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों में, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्ति की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाना एवं रोकथाम करने हेतु लेखा अभिलेखों का पर्याप्त रख-रखाव करना, तथा समुचित लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, उचित व विवेकपूर्ण निर्णय लेना तथा आकलन करना, जोकि उचित व विवेकपूर्ण हो तथा एकल इंड एएस वित्तीय विवरण की तैयारी एवं प्रस्तुति से सम्बद्ध पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा (डिजाईन), क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण, जोकि लेखा अभिलेखों की यथार्थता और सम्पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली रहा हो, और जो सही और स्पष्ट विचार देता हो एवं वस्तुपरक गलत विवरण से मुक्त हो, चाहे वह छलकपट या भूलवश हो, भी शामिल है।

इन एकल इंड एएस वित्तीय विवरण को तैयार करते समय, कंपनी के निदेशक मण्डल कंपनी के लाभकारी रूप से कार्य करते रहने की क्षमता के आकलन हेतु जवाबदेह है तथा यथालागू इसके द्वारा संस्था के लाभ के विषय में सूचनाएं प्रकट की जाती हैं तथा लेखा में इसका व्यवहार होता है तथा यह उस स्थिति में नहीं किया जाता, जबकि कंपनी के निदेशक मण्डल कम्पनी को निपटान करने अथवा संचालन समाप्त करना चाहती हो अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई विकल्प शेष न हो ।

निदेशक मण्डल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी/निरीक्षण के प्रति जवाबदेह हैं ।

एकल इंड एएस वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां :

हमारा लक्ष्य तार्किक रूप से यह निश्चित कर लेना है कि समग्र रूप से एकल इंड एएस वित्तीय विवरण वस्तुगत गलत विवरणी से मुक्त रहे यदि कहीं ऐसा धोखे या त्रुटिवश हुआ हो, साथ ही हमारा लक्ष्य एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें लेखा परीक्षकों के विचार शामिल रहते हैं । तार्किक रूप से विश्वास प्राप्त करना एक उच्च स्तर का आश्वासन है, तथापि यह इस बात की गारंटी नहीं देता है कि लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुरूप किया गया लेखा परीक्षा हमेशा ही किसी भी उपलब्ध वस्तुगत त्रुटि को ढूंढ लेने में सफल हो सकेगा । गलत विवरणी किसी त्रुटि या धोखे के कारण उत्पन्न हो सकती है तथा इन्हें तभी मूर्त माना जाता है जबकि ये, अलग-अलग या समेकित, इस एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर किसी उपभोक्ता (यूजर्स) द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने में सक्षम माने जाएं।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किए जा रहे लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के अधीन हमारे द्वारा पेशेवर निर्णय क्षमता के अनुरूप दिए जाते हैं तथा लेखा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान एक पेशेवर संशयवाद का व्यवहार अपनाया जाता है, हमारे द्वारा :-

- एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों के वस्तुगत गलत विवरणों की जोखिमों की पहचान एवं उनसे जुड़े खतरों का आकलन किया जाता है जबकि ऐसा धोखे या त्रुटिवश के कारण हुआ हो तथा इन जोखिमों के प्रत्युत्तर में लेखा परीक्षा प्रकिया निर्धारित व संचालित होती है साथ ही ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया जाता है जोकि हमारे विचार को पूर्ण रूप से तथा सही तरीके से आधार दे सके। त्रुटि की तुलना में धोखे से उत्पन्न वस्तुगत गलत विवरणी की पहचान न कर पाना ज्यादा जोखिम भरा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर कोई जानकारी छुपा लेना, किसी चीज को गलत तरीके से प्रस्तुत करना अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल होती है।
- लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना जिससे कि इस प्रकार की आडिट प्रक्रिया डिजाईन की जा सके जोकि दी गई परिस्थिति में सर्वाधिक अनुकूल हो। अधिनियम की धारा 143 (3) के अधीन हम इस बाबत अपने विचार देने कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरण के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था तथा इस प्रकार के नियंत्रण की प्रभावी संचालन व्यवस्था उपलब्ध है, के लिए भी जवाबदेह हैं।
- लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखा अनुमानों की तर्कसंगतता तथा इस संबंध में निदेशक मण्डल द्वारा दिए गए अन्य प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- निदेशक मण्डल द्वारा लाभकारी लेखा की व्यवस्था की उपयुक्तता पर निर्णय देना, तथा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह बताना कि क्या घटनाओं अथवा स्थितियों से जुड़ी हुई कोई वस्तुगत अनिश्चितता बनती है जो कंपनी के लाभकारी बने रहने के विषय में गंभीर संदेह पैदा कर सके, पर राय देना। यदि यह पाया जाता है कि कोई वस्तुगत अनिश्चितता उपलब्ध है तब हमारे द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस संबंध में एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों से जुड़े प्रकटीकरण में ध्यान आकर्षित किया जाता है तथा यदि ये प्रकटीकरण अपर्याप्त हों तो दिए गए राय में संशोधन किया जाता है। हमारे द्वारा प्रदत्त निष्कर्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि भविष्य की घटनाएं अथवा स्थितियां कंपनी के लाभकारी बने रहने की स्थिति को प्रभावित कर सकती है।
- एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की विषयवस्त, संरचना तथा समग्र रूप से प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन जिसमें प्रकटीकरण शामिल है तथा यह जानकारी भी कि क्या एकल इंड एएस वित्तीय विवरण आधारभूत संव्यवहार एवं घटनाओं की प्रस्तुति इस प्रकार करता हो जिससे कि एक पारदर्शी प्रस्तुतीकरण का लक्ष्य हासिल हो सके।
- माद्दा से तात्पर्य एकल अथवा समेकित रूप में एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों में गलत विवरणी की गंभीरता से है जिससे कि एकल इंड एएस वित्तीय विवरणी का तर्कसंगत ज्ञान रखने वाले किसी उपभोक्ता (यूजर्स) के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित किया जाना संभव होता हो। हमारे द्वारा संख्यात्मक माद्दा तथा गुणात्मक कारकों का निम्न में विचार किया जाता है, 1- हमारे कार्य के परिणाम के मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा कार्य की सीमा तय करते समय तथा 2-एकल इंड एएस वित्तीय विवरणी में किसी चिन्हित गलत विवरणी के प्रभाव के मूल्यांकन में।
- हमारी बातचीत कंपनी के गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों से होती है जो अन्य बातों के साथ-साथ लेखा परीक्षा का समय, नियोजित तरीके एवं महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष जिनमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियां शामिल है, का दायित्व संभालते हैं।

हमारे द्वारा गवर्नेंस से जुड़े हुए व्यक्तियों को एक विवरणी भी उपलब्ध करायी जाती है, जोकि हमनें स्वतंत्र रूप से काम करने में सहायक नैतिक मूल्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार की है, तथा जिससे उन्हें हमारी स्वतंत्रता एवं जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा मापदण्डों को दृष्टिगत करते हुए हमारे संबंधों तथा दूसरे प्रकरणों में संवाद करने में सहायक सिद्ध हो सके।

गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों के साथ किए गए संवाद के जरिए, हम उन तथ्यों का पता लगाने की कोशिश करते हैं, जोकि चालू/सामयिक अवधि के कंपनी के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे थे तथा इस प्रकार जिन्हें की-आडिट विषय कहा जा सकता है। हम इस प्रकार के प्रकरणों को अपने लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ,जबकि ऐसा करना विधि द्वारा अथवा किसी नियामक के नियमों के अधीन बताया जाना निषेधित नहीं किया गया हो, प्रकाशित करते हैं तथा अत्यंत ही विलक्षण परिस्थिति में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी प्रकरण का प्रकाशन हमारे रिपोर्ट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से होने वाले दुष्परिणाम लोगों तक सूचना के पहुंचने से प्राप्त लाभ से ज्यादा अहितकर सिद्ध होंगे।

अन्य विषयक

हमनें कम्पनी के एकल इंड एएस वित्तीय विवरण में शामिल 10 (दस)-शाखाओं के वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा नहीं किया है, जिसके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2020 तक रू. 4470.91 करोड़ की कुल परिसम्पत्ति तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रू. 3354.26 करोड़ राशि का कुल राजस्व परिलक्षित करते है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण का शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है तथा जहां

तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि व प्रकटीकरण के बारे में हमारी राय का प्रश्न है, तथा जहां तक उपर्युक्त शाखाओं का संबंध है, अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, उन शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर पूर्णतया आधारित है ।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय सूचना/जानकारी जो इस एकल इंड एएस वित्तीय विवरण में शामिल इंड एएस के अनुरूप तैयार की गई, का पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा किया गया था । पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने तुलनात्मक वित्तीय विवरण/जानकारी दिनांक 29 मई 2019 पर एक अपरिवर्तनीय राय व्यक्त की है

इन विषयों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं हैं ।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

(1) अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा यथा-अपेक्षित, हम, कंपनी के एकल इंड एएस वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में विवरण ''अनुलग्नक-क'' में देते हैं ।

(2) अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा-अपेक्षित, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और शाखाओं के पृथक-पृथक वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं पर शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, ऊपर अन्य विषयक खण्ड में संदर्भित, हम प्रयोज्य सीमा तक यह रिपोर्ट देते हैं कि -

(क) हमारे लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए अपेक्षित सारी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण हमनें अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास में मांगकर प्राप्त किया।

(ख) हमारी राय में, कम्पनी ने कानून द्वारा यथा-अपेक्षित उचित लेखा-बही अब तक रखा है जैसा कि उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता हैं तथा शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, जो हमारी लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए पर्याप्त हैं, शाखाओं से प्राप्त हुए है, जहां का दौरा हमनें नहीं किया है।

(ग) अधिनियम की धारा 143 (8) के अधीन कम्पनी के शाखा कार्यालयों के लेखा की शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित रिपोर्ट हमें भेजी गयी, जिसे इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप में व्यवहार में लाया गया है ।

(घ) तुलन-पत्र, लाभ और हानि विवरणी, समेत अन्य व्यापक आय, रोकड़ प्रवाह विवरण और इक्वीटी में परिवर्तन की विवरणी, जो इस रिपोर्ट में व्यवहार में लाई गई है, वह लेखा बहियों के अनुरूप है।

(ड.) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरणी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुरूप है।

(च) भारत सरकार, कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) कंपनी में प्रयोज्य नहीं है ।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता/यथेष्टता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रभावी संचालन के बारे में, ''अनुलग्नक-ख'' में हमारे पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें।

(ज) भारत सरकार, कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनियों में कंपनी अधिनियम की धारा 197 प्रयोज्य नहीं है। तदानुसार, अधिनियम की धारा 197 (16) के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुरूप रिपोर्टिंग कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है ।

(झ) कम्पनीज (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय, हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित है -

(i) कम्पनी ने अपने एकल इंड एएस वित्तीय विवरणी में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव को प्रकट किया है - एकल इंड एएस वित्तीय विवरणी की टिप्पणी-38 का अवलोकन करें।

(ii) कम्पनी ने प्रयोज्य कानून या लेखा मानकों के अधीन दीर्घकालिक संविदा सहित व्युत्पन्न संविदा पर कोई वस्तुपरक अनुमान्य हानि, यदि कोई हो, के लिए यथा-अपेक्षित प्रावधान बनाया हैं ।

(iii) ऐसी कोई राशि अंतरित करने में विलम्ब नहीं की गई, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित था ।

3. हम, अधिनियम की धारा 143 (11) के निबंधन में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनीज (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा यथा-अपेक्षित, आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट विषयों पर विवरण अधिकतम प्रयोज्य सीमा तक ''अनुलग्नक-ग'' में देते हैं।

कृते **ओ.पी. तोतला एंड कंपनी**
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या-000734सी

हस्ताक्षर
सीए एस.के. आचार्या
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 078371
यूडीआईएन : 20078371एएएएसीएम3158

स्थान : बिलासपुर (छ.ग.)
दिनांक : 10.06.2020

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक क

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणी पर कम्पनी के सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ-1 में संदर्भित अनुलग्नक-क के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

वर्ष 2019-20 के लिए मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन दिशानिर्देश पर रिपोर्ट

स.क्रं.	दिशानिर्देश	कृत-कार्रवाई एवं लेखा परीक्षक का उत्तर
1	क्या कंपनी में आई.टी. सिस्टम के माध्यम से सभी लेखा संव्यवहार के कार्यविधि की कोई प्रणाली विद्यमान है? यदि हां, तो लेखा की समग्रता पर आई.टी. सिस्टम के बाहर लेखा संव्यवहार के प्रक्रिया के कार्यान्वयन समेत वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो तो वर्णन करें।	हां, कंपनी में आई.टी. प्रणाली अर्थात कोलनेट प्रणाली के माध्यम से सभी प्रकार के लेखा विधि संव्यवहारों के कार्य-प्रक्रियाओं सहित विक्रय, सम्पत्ति-सूची, पे-रोल, स्थाई परिसम्पत्तियों का रजिस्टर विद्यमान है। हालांकि सभी विभागों की लेखाविधि एकीकृत नहीं है तथा प्रविष्टियों को लेखाविधि प्रणाली में मैनुवली किया जाता है। पूंजीगत मदों के संबंध में अनुसूचियों को कोलनेट प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं किया गया है तथा इसे एक्सल रूप में तैयार कर अद्यतित किया जाता है । लेखाविधि रिपोर्टिंग प्रक्रिया को लेखाविधि की एकीकृत ईआरपी प्रणाली को प्रारंभ कर उन्नत बनाया जा सकता है, ताकि सभी विभागों की लेखा/रिपोर्टिंग को एकीकृत किया जा सके । कंपनी के वित्तीय विवरणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।
2	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई रिस्ट्रक्चरिंग है या कर्ज चुकाने के लिए कंपनी द्वारा असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए उधार/ऋण/ ब्याज इत्यादि के अधित्याग/बट्टे खाते में डाले जाने संबंधी कोई मामले हैं? यदि हां तो,वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, मौजूदा ऋण का कोई रिस्ट्रक्चरिंग या कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए उधार/ऋण/ ब्याज इत्यादि के अधित्याग/ बट्टे खाते में डाले जाने संबंधी कोई मामले नहीं हैं? कंपनी के वित्तीय विवरणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।

3	क्या केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त योग्य धनराशि उसके नियमों एवं शर्तों के अनुसार अनुपयोजित/समुचित रूप से लेखा-जोखा रखा गया था? विचलन के मामलों की सूची।	प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान केन्द्र/राज्य एजेंसियों से निर्दिष्ट योजनाओं के लिए निधि प्राप्त किए गए/प्राप्त किए जाने योग्य कोई मामले नहीं है ।

वर्ष 2019-20 के लिए मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कम्पनी अधिनियम,2013 की धारा 143 (5) के अधीन अतिरिक्त दिशानिर्देश पर रिपोर्ट

स.क्रं.	अतिरिक्त दिशानिर्देश	कृत-कार्रवाई एवं लेखा परीक्षक का उत्तर
1	क्या कोयले के स्टॉक का मापन समोच्च नक्शा (कंटुअर मैप) को ध्यान में रखते हुए किया गया था। क्या सभी मामलों में प्रत्यक्षतः स्टॉक मापन रिपोर्ट समोच्च नक्शा के साथ संगत किया गया है? क्या वर्ष के दौरान सृजित किए गए, नए संग्रहण/ढ़ेर, यदि कोई हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त हुआ था?	हां, स्टॉक का मापन समोच्च नक्शा को ध्यान में रखते हुए किया गया था । प्रत्यक्षतः स्टॉक मापन रिपोर्ट समोच्च नक्शा के साथ संगत किया गया है। वर्ष के दौरान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ नए संग्रहण/ढ़ेर सृजित किए गए ।
2	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय/ एकीकरण/पुनर्संरचना के समय परिसम्पत्तियों और सम्पत्तियों की प्रत्यक्ष-जांच का कार्य निष्पादित किया है, यदि हां तो, क्या संबंधित अनुषंगी कंपनी ने अपेक्षित कार्य-प्रक्रियाओं का पालन किया है ?	प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी भी क्षेत्र का विलय/एकीकरण/पुनर्संरचना नहीं हुआ ।
3	क्या कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों में प्रत्येक खदान के लिए एक अलग इस्क्रो खाता बनाया गया है । खाता के निधि की उपयोगिता की भी जांच की जाती है ।	हां, एसईसीएल में प्रत्येक खदान के लिए एक अलग इस्क्रो खाता बनाए गए हैं । इस्क्रो खाता के निधि की उपयोगिता के लिए क्षेत्र द्वारा प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजा गया है ।
4	क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध खनन के लिए अधिरोपित पेनाल्टी के प्रभाव को विधिवत माना गया व क्या इसके लिए कोई जवाबदेह है ?	हमें दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार 16 खदानों में अवैध खनन के लिए रू. 10,182.62 करोड़ का जुर्माना/दण्ड अधिरोपित किया गया, चूंकि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कंपनी द्वारा अपील प्रक्रियाधीन है, अतः इसे ''आकस्मिक देयताओं'' के रूप में विचार किया गया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ख

(उसी तारीख के हमारे रिपोर्ट के 'अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खण्ड के अधीन पैराग्राफ-2 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 की कंडिका (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमनें 31 मार्च, 2020 तक के मेसर्स साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (''कंपनी'') के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षा, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की एकल इंड एएस वित्तीय विवरणी की हमारी लेखा परीक्षा के साथ निष्पादित किया है, जिसमें कंपनी के शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मण्डल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के संबंध में जारी मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के मूलभूत संघटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा सुव्यवस्थित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्डों के विषय में आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने और स्थापित करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा-अपेक्षित कंपनी की नीतियों का पालन करना, उसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ी व त्रुटियों का पता लगाकर उसकी रोकथाम करना, लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता व संपूर्णता, तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की योजना, कार्यान्वयन, व उसका रख-रखाव, जो इसके व्यवसाय का व्यवस्थित व कुशल संचालन सुनिश्चित करने में प्रभावी रूप में संचालित था, शामिल है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के विषय में राय व्यक्त करना है । हमनें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित व आईसीएआई द्वारा लेखा परीक्षा करने संबंधी मानकों एवं वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शन टिप्पणी'') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की मार्गदर्शन टिप्पणी, ये दोनों जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा में प्रयोज्य है, और ये दोनों जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है, के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा में प्रयोज्य सीमा तक, हम अपनी लेखा परीक्षा निष्पादित किए हैं। उन मानकों व मार्गदर्शन टिप्पणी की यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का पालन करते हुए तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए इस प्रकार योजना बनाकर लेखा परीक्षा निष्पादित करें कि उक्त नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण/वस्तुपरक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित रहते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कायम व सुव्यवस्थित था।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता व उनके प्रभावी संचालन के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादित की जा रही कार्य-विधियां शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्याख्या (अंडरस्टेंडिंग) प्राप्त करना, मौजूद वस्तुपरक-महत्वपूर्ण कमजोरियों के जोखिमों का निर्धारण करना, निर्धारित किए गए जोखिमों पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के प्रभावी संचालन तथा योजना (डिजाईन) की जांच-परख व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है, जिसमें एकल इंड एएस वित्तीय विवरण के वस्तुपरक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह छलकपट या भूलवश हो।

हम यह मानते हैं कि हमनें जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया गया हैं, जिसे अन्य विषयक पैराग्राफ में नीचे उनकी रिपोर्ट में संदर्भित किया गया है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त एवं समुचित है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्य के लिए एकल इंड एएस वित्तीय विवरणी तैयार करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में समुचित आश्वासन उपलब्ध कराने के क्रम में एक आधार के रूप में कार्य करती है। एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में जो नीतियां और कार्य-विधियां है, उसमें (1) अभिलेखों के रख-रखाव से सम्बद्ध समुचित विवरण, जो कंपनी के परिसम्पत्तियों की स्थिति और संव्यवहार को यथार्थ रूप में और पूरी तौर पर परिलक्षित करता है, (2) समुचित आश्वासन उपलब्ध कराना कि जो संव्यवहार यथा-अपेक्षित अभिलेखित किए गए हैं, वह सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करने के लिए अनुमति योग्य अवसर प्रदान करता हैं, तथा कंपनी द्वारा जो प्राप्तियां और व्यय किए गए हैं, वह कंपनी के निदेशकों और प्रबंधकों के प्राधिकरण के अनुरूप ही किए गए है, और (3) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्थिति/प्रकृति का समय पर पता लगाना या रोकथाम करना जोकि एकल इंड एएस वित्तीय विवरण पर वस्तुपरक प्रभाव डाल सकता है, के संबंध में समुचित आश्वासन उपलब्ध कराना।

वित्तीय रिपोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं,जिसमें सांठगांठ की संभावना या नियंत्रण की अवहेलना पर अनुचित प्रबंधन शामिल है, के कारण त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वस्तुपरक गलत विवरण हो सकता है, जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है । भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का अनुमान/प्रदर्शन भी जोखिम वाले हो सकते है, बशर्ते कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों-दशाओं में परिवर्तन के फलस्वरूप अपर्याप्त होने या नीतियां या कार्यविधियों के अनुपालन की व्यवस्था बिगड़ने/गिरावट जैसे जोखिम हो सकते हैं।

विचार-राय

हमारी राय में, हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और अन्य विषयक पैराग्राफ में नीचे संदर्भित शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली पर शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी में, सभी वस्तुपरक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रूप में काम कर रहे थे, जो ''इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया'' द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए मापदण्ड'' पर आधारित था ।

हालाँकि कुछ क्षेत्रों में वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे में परिवर्तन को अपनाने के तौर पर कंपनी के ''आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रलेखन'' की डिजाइन में और सुधार की आवश्यकता है जैसे कि लेखा मानकों में परिवर्तन (इंड एएस के रूप में), इसके जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में प्रलेखन, विभिन्न कार्य संचालन क्षेत्रों का जोखिम विश्लेषण और विभागीय स्तरों पर प्रक्रिया को समाविष्ट करना, शामिल है जिसमें बीमा कवरेज के संबंध में जोखिम का शमन, खर्चों, आय, परिसंपत्तियों और देनदारियों के महत्वपूर्ण खातों में शेष राशि की पहचान करने समेत अस्थाई परिसंपत्तियों का लेखांकन, प्रक्रिया प्रवाह का समावेशन, जिसके द्वारा उपर्युक्त लेनदेन आरंभ, अधिकृत, संसाधित, रिकॉर्ड किए गए और विभागीय स्तर पर रिपोर्ट किए गए हैं। यह प्रणाली समेकित वित्तीय विवरणों और घटनाओं/शर्तों और अन्य लेनदेन से संबंधित लेनदेन को पकड़ने के लिए विभागों को कैसे एकीकृत करती है, जो समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं ताकि कंपनी द्वारा स्थापित नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए विशेष रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और बेहतर आंतरिक नियंत्रण के लिए सूचना और डेटा के संकलन के मामले में लेखांकन की एकीकृत ईआरपी प्रणाली को शुरू कर वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सकता है। आंतरिक लेखा परीक्षा नियंत्रक कंपनी के साथ-साथ की जाती है । आंतरिक लेखा परीक्षा की नियमितता, इसकी रिपोर्ट तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही को समय पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए । हालांकि, हमारी राय उपरोक्त के संबंध में सापेक्ष (क्वालीफाईड) नहीं है ।

अन्य विषयक

अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावी संचालन पर हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, जहां तक कि दस (10) शाखाओं का संबंध है, शाखा लेखा परीक्षकों की संगत रिपोर्ट पर आधारित है। इस विषय पर हमारी राय में कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं है ।

कृते **ओ.पी. तोतला एंड कंपनी**
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या-000734सी

हस्ताक्षर
सीए एस.के. आचार्या
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 078371
यूडीआईएन : 20078371एएएसीएम3158

स्थान : बिलासपुर (छ.ग.)
दिनांक : 10.06.2020

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणी पर कम्पनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के ''अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' के पैराग्राफ-3 में संदर्भित अनुलग्नक-''ग'' के संबंध में, हम रिपोर्ट देते हैं कि :

i. **स्थाई परिसम्पत्तियों के संबंध में :-**

(क) कम्पनी ने अधिकांश मामलों में स्थाई परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाला समुचित अभिलेख बनाया है ।

(ख) लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की नीति के अनुसार स्थाई परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जांच की गई। हालाकि, यह देखा गया कि कतिपय भूमि व भवनों का अतिक्रमण/अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है । हमें दी गई सूचना के अनुसार, जांच-पड़ताल के दौरान कोई महत्वपूर्ण/वस्तुपरक कमियां नहीं देखी गई । हमारी राय में, समय-समय पर ऐसी प्रत्यक्ष जांच कंपनी के आकार व उसकी सम्पत्तियों के स्वरूप को देखते हुए समुचित है ।

(ग) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, अचल सम्पत्तियों का टाईटल डीड वित्तीय विवरण के लीजहोल्ड भूमि/अन्य भूमि में वर्गीकृत भूमि, को छोड़कर, कंपनी के नाम पर है, जिसे सीबीए अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, राज्य संहिता, एक्जीक्यूटिव आदेश, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा राष्ट्रीयकरण के समय अधिग्रहित किया गया था, तथा जिसके लिए टाईटल डील की आवश्यकता नहीं है।

ii. हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा कोयला, स्टोर्स एवं स्पेयर्स के सम्पत्ति सूची की प्रत्यक्ष जांच नियमित अंतराल में की गई तथा कोई वस्तुपरक कमियां प्रकाश में नहीं आई।

iii. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन बनाए गए रजिस्टर में शामिल कम्पनियों, प्रतिष्ठानों, लिमिटेड लायबिलिटी भागीदारों या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, प्रतिभूतित या अप्रतिभूतित, प्रदान नहीं किया है। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (iii) (ए) (iii) (बी) एवं (iii) (सी) कंपनी के लिए प्रयोज्य नहीं है ।

iv. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण व किए गए निवेश के संबंध में अधिनियम की धारा 185 व 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है । कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 के अधीन शामिल, कोई गारंटी या प्रतिभूतित उपलब्ध नहीं कराया है ।

v. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने लोगों से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है । अतः आदेश का पैराग्राफ 3(V) कंपनी के लिए प्रयोज्य नहीं है।

vi. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों का रख-रखाव करना निर्दिष्ट किया है, तथा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, लागत विवरणी को प्रत्येक माह वित्तीय व उत्पादन रिकार्ड के आधार पर तैयार किया जाता है तथा हमनें कंपनी द्वारा बनाए गए लागत अभिलेखों/ विवरणी की व्यापक रूप में समीक्षा की है तथा हमारी यह राय है कि प्रथम-दृष्टया निर्धारित लेखा व अभिलेख बनाये गये व रखे गए है। हालांकि, हमनें, निर्णय/निर्धारण को दृष्टिगत रखते हुए लागत अभिलेखों का विस्तृत जांच-परीक्षण नहीं किया है, चाहे वे ठीक हो या पूर्ण हों ।

vii. (क) कंपनी द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी द्वारा भुगतान योग्य सांविधिक देयकों जिसमें भविष्य निधि, माल एवं सेवा कर, राज्य क्षतिपूर्ति उपकर, स्रोत पर काटा/एकत्र किया गया आयकर, एवं रायल्टी इत्यादि शामिल है, कंपनी उपर्युक्त गैर-विवादित देयकों को समुचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करते आई है। 31 मार्च, 2020 तक ऊपर यथा-संदर्भित ऐसा कोई गैर-विवादित सांविधिक देयक अपनी भुगतान तिथि से 6-माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है।

(ख) दिनांक 31.03.2020 को विवादित सांविधिक देयकों का विवरण निम्नानुसार है :

क्षेत्र का नाम	संविधि/परिनियम का नाम	देय की प्रकृति	संबंधित देय की अवधि	फोरम जहां विवाद लंबित है	सकल विवादित राशि (रू.करोड़)	प्रतिरोध स्वरूप जमा की गई राशि/कर प्राधिकारियों द्वारा समायोजित की गई राशि (रू. करोड़ में)	जमा नहीं की गई राशि (रू. करोड़ में)
बैकुंठपुर	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956	केन्द्रीय विक्रय कर	92-93, 98-99, 99-00 00-01 03-04, 07-08 10-11, 12-13, 13-14, 14-15	ट्रिबुनल, रायपुर	3.88	0.91	2.97
	सीजी वेट अधिनियम,2005	वेट	06-07, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15	ट्रिबुनल, रायपुर	0.78	0.56	0.22
हसदेव	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956	केन्द्रीय विक्रय कर	95-96, 98-99, 00-01, 02-03, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17	ट्रिबुनल रायपुर/ अपर आयुक्त/ उच्च न्यायालय/ सहायक अपीलीय आयुक्त,सतना/सहायक अपीलीय आयुक्त, जबलपुर	29.48	11.74	17.74
	सीजी वैट अधिनियम,2005	वैट	06-07, 07-08, 08-09, 09-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17	सहायक अपीलीय आयुक्त,जबलपुर/ सहायक अपीलीय आयुक्त, सतना/अति. आयुक्त/ट्रिबुनल, रायपुर	106.04	31.86	74.18
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	2011-12 से 2015-16	सहायक अपीलीय आयुक्त,जबलपुर/ ट्रिबुनल, रायपुर	1.52	0.28	1.24
जमुना कोतमा	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956	केन्द्रीय विक्रय कर	97-98, 98-99, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10, 11-12	अपर/उप आयुक्त/ उच्च न्यायालय, म.प्र./ ट्रिबुनल, रायपुर	8.66	1.73	6.93
	एमपी वैट अधिनियम, 2002	वैट	06-07, 07-08, 08-09, 09-10, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17	उपायुक्त,सतना/ अपर/ उप आयुक्त/उच्च न्यायालय, म.प्र.	22.09	3.38	18.71
	आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस	15-16 से 19-20	ट्रेसेस डिमांड	5.07	-	5.07
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	जुलाई, 2010 से सितम्बर, 13	सहायक आयुक्त, अपील	0.44	0.20	0.24
	सेवा कर	सेवा कर	2008 से 2017	अपीलीय ट्रिबुनल, दिल्ली/ सहायक आयुक्त, जबलपुर	11.47	0.66	10.81

क्षेत्र का नाम	संविधि/परिनियम का नाम	देय की प्रकृति	संबंधित देय की अवधि	फोरम जहां विवाद लंबित है	सकल विवादित राशि (रू.करोड़)	प्रतिरोध स्वरूप जमा की गई राशि/कर प्राधिकारियों द्वारा समायोजित की गई राशि (रू. करोड़ में)	जमा नहीं की गई राशि (रू. करोड़ में)
जोहिला	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956	केन्द्रीय विक्रय कर	98-99, 00-01, 01-02, 04-05, 05-06, 06-07, 08-09, 09-10, 10-11, 11-12, 14-15, 15-16	अपीलीय बोर्ड, भोपाल/ अपर आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, जबलपुर/उच्च न्यायालय/ ट्रिबुनल,रायपुर	0.99	0.65	0.34
	एमपी वैट अधिनियम, 2002	वैट	05-06, 06-07, 09-10, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20	अपीलीय बोर्ड, भोपाल/ अपर आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, जबलपुर/उच्च न्यायालय/ ट्रिबुनल,रायपुर	12.65	0.83	11.82
	आयकर अधिनियम,1961	टीडीएस	2019-20	ट्रेसेस डिमांड	0.01	-	0.01
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1944	उत्पाद शुल्क	मार्च,11 से जनवरी,13	सीईएसटीएटी	6.63	-	6.63
	सेवाकर	सेवा कर	2013-14 से 2017-18	सीईएसटीएटी	8.56	0.20	8.36
कोरबा क्षेत्र	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956	केन्द्रीय विक्रय कर	91-92	ट्रिबुनल, रायपुर	0.02	-	0.02
कुसमुंडा	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956	केन्द्रीय विक्रय कर	94-95, 10-11	सीजी वीके अधिकरण	0.32	0.07	0.25
	एमपी वैट अधिनियम, 2002	वैट	11-12, 13-14	सीजी वीके अधिकरण	1.14	0.20	0.94
	आयकर अधिनियम,1961	टीडीएस	2008-09 से 2019-20	ट्रेसेस डिमांड	0.13	-	0.13
सोहागपुर	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956	केन्द्रीय विक्रय कर	97-98, 02-03, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10, 10-11	अपीलीय बोर्ड, भोपाल/ उच्च न्यायालय	2.13	0.45	1.68
	एमपी वैट अधिनियम, 2002	वैट	08-09, 09-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 15-16,16-17	अपीलीय बोर्ड, भोपाल/ संभागीय आयुक्त (सीटी)	23.78	6.38	17.40
	सेवा कर	सेवाकर	2013-17	सीईएसटीएटी, नई दिल्ली	3.36	-	3.36
चिरिमिरी	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956	केन्द्रीय विक्रय कर	00-01, 01-02, 02-03	ट्रिबुनल, रायपुर	0.35	0.33	0.02
बिश्रामपुर	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956	केन्द्रीय विक्रय कर	97-98, 05-06, 07-08, 10-11, 13-14	ट्रिब्यूनल, रायपुर	1.23	0.31	0.92
	सीजी वैट अधिनियम,2005	वैट	97-98, 07-08, 08-09, 13-14, 15-16	ट्रिब्यूनल, रायपुर	1.00	0.23	0.77
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	1997-98	ट्रिब्यूनल, रायपुर	0.01	-	0.01
	सेवा कर	सेवा कर	2011-12 से 2017-18	सीईएसटीएटी/ ट्रिबुनल, रायपुर	2.02	0.10	1.92

क्षेत्र का नाम	संविधि/परिनियम का नाम	देय की प्रकृति	संबंधित देय की अवधि	फोरम जहां विवाद लंबित है	सकल विवादित राशि (रू.करोड़)	प्रतिरोध स्वरूप जमा की गई राशि/कर प्राधिकारियों द्वारा समायोजित की गई राशि (रू. करोड़ में)	जमा नहीं की गई राशि (रू. करोड़ में)
भटगांव	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956	केन्द्रीय विक्रय कर	09-10, 11-12, 12-13, 14-15	उप आयुक्त, वाणिज्यिक -कर, बिलासपुर/ ट्रिबुनल रायपुर	2.46	0.64	1.82
	सीजी वैट अधिनियम,2005	वैट	12-13, 14-15	उप आयुक्त, वाणिज्यिक -कर, बिलासपुर	0.01	--	0.01
दीपका	आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस	2007-08 से 2019-20	ट्रेंसेस डिमांड	0.01	-	0.01
	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956	केन्द्रीय विक्रय कर	2019-20	ट्रिबुनल रायपुर	11.86	1.78	10.08
गेवरा	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956	केन्द्रीय विक्रय कर	97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 05-06, 08-09, 10-11, 11-12	ट्रिबुनल रायपुर	3.88	2.30	1.58
	आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस	2010-11 से 2019-20	ट्रेंसेस डिमांड	0.08	-	0.08
रायगढ़	आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस	2008-09 से 2019-20	ट्रेंसेस डिमांड	0.46	-	0.46
	सेवाकर	सेवा कर	2007 एवं 2018	सीईएसटीएटी, नई दिल्ली	3.05	-	3.05
मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	1997-98 से 2018-19	आईटीएटी,नई दिल्ली, सीआईटी (अपील), बिलासपुर	11545.02	7140.42	4404.60
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 व सेवाकर	सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क	वर्ष 2004-05 से 2018-19	सीईएसटीएटी, नई दिल्ली/ सीसीई,रायपुर, आयुक्त, रायपुर/ आयुक्त जबलपुर/ उच्च न्यायालय	690.33	255.03	435.30
					12510.92	**7461.24**	**5049.68**

viii. हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकार या डिबेंचर-धारकों से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है। अतः, आदेश का पैराग्राफ 3(viii) कंपनी के लिए प्रयोज्य नहीं है।

ix. हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव (नामे विलेख सहित) एवं मियादी ऋण के तौर पर कोई राशि उपार्जित नहीं की है। अतः, आदेश का पैराग्राफ 3(ix) कंपनी के लिए प्रयोज्य नहीं है।

x. हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम यह रिपोर्ट देते हैं कि वर्ष के दौरान, कंपनी या कंपनी पर इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई वस्तुपरक धोखाधड़ी का मामला न तो प्रकाश में आया और न ही रिपोर्ट की गई है।

xi. भारत सरकार, कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कम्पनियों के लिए प्रयोज्य नहीं है । तदानुसार आदेश का पैराग्राफ 3(xi) कंपनी के लिए प्रयोज्य नहीं है।

xii. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xii) कंपनी के लिए प्रयोज्य नहीं है ।

xiii. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की हमारी जांच-परीक्षण के आधार पर, वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ संव्यवहार अधिनियम की धारा 177 एवं 188, जहां यह प्रयोज्य है, के अनुरूप है, तथा उक्त संव्यवहार का विवरण, अधिनियम की धारा 133 सहपठित संबंधित नियमों के तहत विनिर्दिष्ट इंड एएस 24 ''संबंधित पार्टी प्रकटीकरण'' के अधीन यथा-अपेक्षित एकल इंड एएस वित्तीय विवरणी में संलग्न है।

xiv. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारे जांच-परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट, पूर्णतः अथवा अंशतः परिवर्तनीय ऋणपत्र के रूप में निष्पादित नहीं किया है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3(xiv) कंपनी के लिए प्रयोज्य नहीं है ।

xv. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारे जांच-परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार निष्पादित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xv) कंपनी के लिए प्रयोज्य नहीं है।

xvi. कंपनी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के अधीन पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xvi) कंपनी के लिए प्रयोज्य नहीं है ।

कृते **ओ.पी. तोतला एंड कंपनी**
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या-000734सी

हस्ताक्षर
सीए एस.के. आचार्या
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 078371
यूडीआईएन : 20078371एएएसीएम3158

स्थान : बिलासपुर (छ.ग.)
दिनांक : 10.06.2020

तुलन पत्र 31 मार्च, 2020 तक

(रू. करोड़ में)

			टिप्पणी सं.	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
परिसम्पत्तियां					
(1)	**गैर-चालू परिसम्पत्तियां**				
	(क)	सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर	3	6,009.14	6,043.95
	(ख)	पूंजी कार्य में प्रगति	4	760.27	787.88
	(ग)	अन्वेषण व निरूपण परिसम्पत्तियां	5	1,457.26	1,174.29
	(घ)	अमूर्त परिसम्पत्तियां	6	10.27	10.27
	(ड.)	विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां		.	.
	(च)	निवेश सम्पत्ति		.	.
	(छ)	वित्तीय परिसम्पत्तियां			
		(1) निवेश	7	746.07	624.60
		(2) ऋण	8	110.20	60.47
		(3) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	9	1,769.52	1,649.89
	(ज)	आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)		305.60	544.08
	(झ)	अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	10	226.59	209.34
		कुल गैर-चालू परिसम्पत्तियां (क)		**11,394.92**	**11,104.77**
(2)		चालू परिसम्पत्तियां			
	(क)	सम्पत्ति सूची	12	1,253.04	935.85
	(ख)	वित्तीय परिसम्पत्तियां			
		(1) निवेश	7	0.29	0.20
		(2) व्यापारिक प्राप्य	13	1,653.80	387.67
		(3) नकद व नकद समकक्ष	14	39.49	159.43
		(4) अन्य बैंक शेष	15	3,966.50	4,631.85
		(5) ऋण	8	0.89	0.58
		(6) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	9	1,064.23	920.57
	(ग)	चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)		8,457.72	6,989.70
	(घ)	अन्य चालू परिसम्पत्तियां	11	1,287.34	939.89
		कुल चालू परिसम्पत्तियां (ख)		**17,723.30**	**14,965.74**
		कुल परिसम्पत्तियां		**29,118.22**	**26,070.51**
इक्विटी एवं देयताएं					
इक्विटी					
(क)	इक्विटी अंश पूंजी		16	668.06	668.06
(ख)	अन्य इक्विटी		17	2,396.29	2,963.81
	कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को रोप्य इक्विटी			**3,064.35**	**3,631.87**
	अनियंत्रित ब्याज			-	-
	कुल इक्विटी (क)			**3,064.35**	**3,631.87**

तुलन पत्र 31 मार्च, 2020 तक

(रू. करोड़ में)

			टिप्पणी सं.	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
देयताएं					
(1)	**गैर-चालू देयताएं**				
	(क)	वित्तीय देयताएं			
		(1) उधार	18	.	.
		(2) व्यापारिक देय	19	.	.
		(3) अन्य वित्तीय देयताएं	20	846.18	809.81
	(ख)	प्रावधान	21	13,821.62	11,924.37
	(ग)	अन्य गैर-चालू देयताएं	22	0.40	0.46
	(घ)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)		.	.
		कुल गैर-चालू देयताएं (ख)		**14,668.20**	**12,734.64**
(2)	**चालू देयताएं**				
	(क)	वित्तीय देयताएं			
		(1) उधार	18	1,724.93	730.47
		(2) व्यापारिक देय	19		
		एमएसएमई के क्रेडिटरों का कुल बकाया देयक		3.08	4.34
		एमएसएमई के अलावा क्रेडिटरों का कुल बकाया देयक		2,012.84	1,798.10
		(3) अन्य वित्तीय देयताएं	20	855.82	878.78
	(ख)	अन्य चालू देयताएं	23	5,747.34	5,413.14
	(ग)	प्रावधान	21	1,041.66	879.17
	(घ)	चालू कर देयताएं (निवल)		.	.
		कुल चालू देयताएं (ग)		**11,385.67**	**9,704.00**
		कुल इक्विटी एवं देयताएं (क+ख+ग)		**29,118.22**	**26,070.51**
		महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	2		
		लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियां	38		
		संगत टिप्पणी प्रपत्र, वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है ।			

हस्ता./-
(सीएस एस.एम. युनुस)
कंपनी सचिव

हस्ता./-
(सीए बी.के. झा)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-
(सीए एस.एम. चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 07478302

हस्ता./-
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06664375

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुरूप
कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.-000734सी

हस्ता./-
(सीए एस.के. आचार्या)
भागीदार
सदस्यता सं.-078371

दिनांक : 10.06.2020
स्थान : बिलासपुर

लाभ व हानि का विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रू. करोड़)

		टिप्पणी सं.	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(I)	**संचालन से राजस्व**	24		
(क)	**विक्रय (सांविधिक लेवी का निवल)**		16,850.08	19,761.99
(ख)	अन्य संचालनीय राजस्व (सांविधिक लैवी का निवल)		1,329.32	1,483.53
	संचालन से राजस्व (क+ख)		**18,179.40**	**21,245.52**
(II)	अन्य आय	25	832.46	611.20
(III)	**कुल आय (I+II)**		**19,011.86**	**21,856.72**
(IV)	**व्यय**			
	खपत सामग्री की लागत	26	1483.85	1548.63
	तैयार सामग्री/कार्य में प्रगति एवं व्यापारिक स्कंध की सम्पत्ति सूची में परिवर्तन	27	(318.40)	45.39
	उत्पाद शुल्क		.	.
	कर्मचारी लाभ व्यय	28	8183.60	8175.10
	बिजली व्यय		777.85	746.74
	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	29	84.65	83.55
	मरम्मत	30	174.24	164.89
	ठेका/संविदा संबंधी व्यय	31	2611.06	2597.19
	वित्त लागत	32	121.51	(3.78)
	अवमूल्यन/परिशोधन/हानि व्यय		760.85	790.78
	प्रावधान	33	94.04	(110.31)
	बट्टा खाता	34	0.40	.
	स्ट्रीपिंग कार्यकलाप का समायोजन		1636.66	1345.97
	अन्य व्यय	35	880.08	901.90
	कुल व्यय (IV)		**16490.39**	**16,286.05**
(V)	**असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ (I-IV)**		**2521.47**	**5570.67**
(VI)	असाधारण मदें			
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**2521.47**	**5570.67**
(VIII)	कर व्यय	36	786.55	1959.12
(IX)	**नियमित संचालन से अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)**		**1734.92**	**3611.55**
(X)	अनियमित संचालन से लाभ/(हानि)			
(XI)	अनियमित संचालन का कर व्यय			
(XII)	**अनियमित संचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)**			
(XIII)	संयुक्त उद्यम/सहायक के लाभ/(हानि) में अंश			
(XIV)	**अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)**		**1734.92**	**3611.55**
	अन्य व्यापक आय	37		
क	(i) मदें जिसे लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(470.96)	19.81
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिसे लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा ।		118.53	(6.92)
ख	(i) मदें जिसें लाभ या हानि हेतु पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		.	.
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिसे लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत किया जाएगा ।		.	.

लाभ व हानि का विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रू. करोड़)

		टिप्पणी सं.	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(XV)	**कुल अन्य व्यापक आय**		**(352.43)**	**12.89**
(XVI)	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV + XV) (अवधि/वर्ष के लिए समाविष्ट लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय)**		**1382.49**	**3624.44**
	निम्नलिखित के लिए रोप्य लाभ :			
	कम्पनी के स्वामी		1734.92	3611.55
	अनियंत्रित ब्याज		.	.
			1734.92	**3611.55**
	निम्नलिखित के लिए रोप्य अन्य व्यापक आय :			
	कम्पनी के स्वामी		(352.43)	12.89
	अनियंत्रित ब्याज		.	.
			(352.43)	**12.89**
	निम्नलिखित के लिए रोप्य कुल व्यापक आय			
	कंपनी के स्वामी		1382.49	3,624.44
	अनियंत्रित ब्याज		.	.
			1382.49	**3,624.44**
(XVII)	**प्रति इक्विटी अंश उपार्जन (नियमित संचालन के लिए) : टिप्पणी 38 (5) (ग) को संदर्भित करें)**			
	(1) मूल		**2,596.97**	**5,086.13**
	(2) तरलीकृत		**2,596.97**	**5,086.13**
(XVIII)	**प्रति इक्विटी अंश उपार्जन (अनियमित संचालन हेतु)**			
	(1) मूल		**.**	**.**
	(2) तरलीकृत		**.**	**.**
(XIX)	**प्रति इक्विटी अंश उपार्जन (अनियमित एवं नियमित संचालन के लिए): टिप्पणी 38 (5) (ग) को संदर्भित करें)**			
	(1) मूल		**2,596.97**	**5,086.13**
	(2) तरलीकृत		**2,596.97**	**5,086.13**
	संगत टिप्पणी प्रपत्र,वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है			
	ईपीएस की गणना के लिए टिप्पणी 38(5) (ग) को संदर्भित करें।			

हस्ता./-
(सीएस एस.एम. युनुस)
कंपनी सचिव

हस्ता./-
(सीए बी.के. झा)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-
(सीए एस.एम. चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 07478302

हस्ता./-
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06664375

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुरूप
कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.-000734सी

हस्ता./-
(सीए एस.के. आचार्या)
भागीदार
सदस्यता सं.-078371

दिनांक : 10.06.2020
स्थान : बिलासपुर

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रू.करोड़ में)

क. इक्विटी अंश पूंजी

विवरण	01.04.2018 तक शेष	वर्ष/अवधि के दौरान परिवर्तन#	31.03.2019 तक शेष	01.04.2019 तक शेष	अवधि/वर्ष के दौरान परिवर्तन##	31.12.2020 तक शेष
रू. 1000/-प्रति का 66,80,561 (71,70,600) इक्विटी अंश	717.06	(49.00)	668.06	668.06	.	668.06

वर्ष के दौरान,कंपनी ने टेंडर ऑफर के माध्यम से प्रति रू.1000/-अंकित मूल्य की 4,90,039-नग अपनी पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर को वापस खरीदा।

वर्ष 2017-18 के दौरान,कंपनी ने 7:5 के अनुपात (वर्तमान 5-शेयरों को 7 बोनस शेयर) में वर्तमान इक्विटी अंशधारकों को 41,82,850 बोनस इक्विटी शेयर जारी किए ।

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	तरजीह अंशपूंजी का इक्विटी भाग	पूंजी संचय	पूंजी विमोचन संचय	सामान्य संचय	प्रतिधारित अर्जन: कर पश्चात लाभ	प्रतिधारित अर्जन: परिसंपत्ति या देयताओं के मापन पर लाभ	प्रतिधारित अर्जन: अन्य व्यापक आय	प्रतिधारित अर्जन: कुल प्रतिधारित अर्जन एवं ओसीआई	इक्विटी धारकों को रोप्य कुल अन्य इक्विटी
01.04.2018 को शेष	-			2176.03	73.54	-	271.93	345.47	2521.50
लेखा नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2018 तक पुनःवर्णित शेष	**-**	**-**	**-**	**2176.03**	**73.54**	**-**	**271.93**	**345.47**	**2521.50**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	3611.55	-	12.89	3624.44	3624.44
लाभांश	-	-	-	-	(2326.61)	-	-	(2326.61)	(2326.61)
कार्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	(478.24)	-	-	(478.24)	(478.24)
प्रतिधारित अर्जन में/से अंतरित	-	-	-	180.58	-	-	-	-	180.58
सामान्य संचय से/में अंतरित	-	-	-	-	(180.58)	-	-	(180.58)	(180.58)
इक्विटी शेयरों की वापसखरीदी	-	-	49.00	(426.28)	-	-	-	-	(377.28)
31.03.2019 को शेष	**-**	**-**	**49.00**	**1930.33**	**699.66**	**-**	**284.82**	**984.48**	**2963.81**
01.04.2019 को शेष	-	-	49.00	1930.33	699.66	-	284.82	984.48	2963.81
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	तरजीह अंशपूंजी का इक्विटी भाग	पूंजी संचय	पूंजी विमोचन संचय	सामान्य संचय	प्रतिधारित अर्जन				
					कर पश्चात लाभ	परिसंपत्ति या देयताओं के मापन पर लाभ	अन्य व्यापक आय	कुल प्रतिधारित अर्जन एवं ओसीआई	इक्विटी धारकों को रोप्य कुल अन्य इक्विटी
01.04.2019 को पुनःवर्णित शेष	**.**	**.**	**49.00**	**1930.33**	**699.66**	**.**	**284.82**	**984.48**	**2963.81**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	.	.	.	.	1734.92	.	(352.43)	1382.49	1382.49
लाभांश	.	.	.	.	(1617.52)	.	.	(1617.52)	(1617.52)
लाभांश कर					(332.49)	..	.	(332.49)	(332.49)
प्रतिधारित अर्जन में/से अंतरित	.	.	.	86.75	.	.	.	.	86.75
सामान्य संचय में अंतरित	.	.	.	.	(86.75)	.	.	(86.75)	(86.75)
इक्विटी अंश की वापस खरीदी		.	.	.	.	.	.	.	.
31.03.2020 को शेष	**.**	**.**	**49.00**	**2017.08**	**397.82**	**.**	**(67.61)**	**330.21**	**2396.29**

हस्ता./-
(सीएस एस.एम. युनुस)
कंपनी सचिव

हस्ता./-
(सीए बी.के. झा)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-
(सीए एस.एम. चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 07478302

हस्ता./-
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06664375

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुरूप
कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.-000734सी

हस्ता./-
(सीए एस.के. आचार्या)
भागीदार
सदस्यता सं.-078371

दिनांक : 10.06.2020
स्थान : बिलासपुर

रोकड़ प्रवाह विवरण (प्रत्यक्ष पद्धति) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रू. करोड़ में)

			31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(क)	**संचालित कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह :**			
	कर पूर्व लाभ		2521.47	5570.67
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :			
	स्थाई परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन एवं हानि-कमी		760.85	790.78
	ब्याज आय		(525.05)	(408.87)
	वित्त लागत		121.51	(3.78)
	म्यूचुअल निधि निवेश से लाभांश		(21.27)	(43.85)
	परिसम्पत्तियों एवं कोल ब्लॉक की बिक्री से लाभ/हानि		(3.54)	(0.82)
	पूंजी कार्य में प्रगति एवं स्टोर्स में पीएंडएम के लिए प्रावधान		(4.02)	(0.17)
	अवधि/वर्ष के दौरान देयता रिटर्न बैक		(219.19)	(78.12)
	स्ट्रीपिंग कार्यकलाप व्यय/समायोजन		1636.66	1345.97
	चालू/गैर-चालू परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के पूर्व संचालनीय लाभ		4267.42	7171.81
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :			
	व्यापारिक प्राप्य		(1266.13)	265.09
	सम्पत्ति सूची		(317.19)	39.27
	अल्प/दीर्घकालिक ऋण/अग्रिम एवं अन्य चालू परिसम्पत्तियां		(1151.04)	(254.16)
	अल्प/दीर्घकालिक देयताएं एवं प्रावधान		760.05	(502.85)
	ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण एवं अन्य कर्मचारी लाभ		362.84	(736.56)
	संचालन सें जनित नकदी		**2655.95**	**5982.60**
	आयकर भुगतान/धन वापसी		(1897.56)	(2639.43)
	प्रदत्त ब्याज		(38.50)	(0.68)
	संचालनीय कार्यकलापों से निवल रोकड़ प्रवाह	**(क)**	**719.89**	**3342.49**
(ख)	**निवेशित कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह**			
	स्थाई परिसम्पत्तियों की खरीदी		(981.23)	(1120.42)
	स्थाई परिसम्पत्तियों के लिए आस्थगित अनुदान		(0.06)	(0.62)
	उपकरण/कोल ब्लॉक की बिक्री से आगम		7.39	5.61
	निवेश का आगम/(खरीदी) सहित सावधि जमा एवं म्यूचुअल निधि		543.79	(259.65)
	अनुषंगी को/से ऋण पुनर्भुगतान/(दिया गया)		(45.00)	(51.00)
	सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज		518.64	405.76
	निवेश से संबंधित ब्याज		53.46	(63.53)
	म्यूचुअल निधि निवेश से लाभांश		21.27	43.85
	निवेशित कार्यकलापों से निवल रोकड़ प्रवाह	**(ख)**	**118.26**	**(1040.00)**

रोकड़ प्रवाह विवरण (प्रत्यक्ष पद्धति) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रू. करोड़ में)

			31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(ग)	**वित्तीय कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह**			
	उधार की प्राप्ति/(पुनर्भुगतान)		994.46	730.47
	शेयरों की वापस खरीदी (कर सहित)		.	(426.28)
	वित्तीय कार्यकलापों से संबंधित ब्याज एवं वित्त लागत		(2.54)	(1.97)
	प्रदत्त लाभांश		(1617.52)	(2326.61)
	प्रदत्त लाभांश कर		(332.49)	(478.24)
	वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकद	**(ग)**	**(958.09)**	**(2502.63)**
	नकद एवं नकद शेष में निवल वृद्धि/कमी (क+ख+ग)		**(119.94)**	**(200.14)**
	वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समकक्ष (नकद एवं नकद समकक्ष के घटकों के लिए संदर्भित नोट 14)		**159.43**	**359.57**
	नकद एवं नकद समकक्ष (इति शेष)		**39.49**	**159.43**
	(कोष्ठक में दिए गए सभी आंकड़े बाह्य निगर्मन-निकास प्रदर्शित करते हैं)			

हस्ता./-
(सीएस एस.एम. युनुस)
कंपनी सचिव

हस्ता./-
(सीए बी.के. झा)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-
(सीए एस.एम. चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 07478302

हस्ता./-
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06664375

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुरूप
कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.-000734सी

हस्ता./-
(सीए एस.के. आचार्या)
भागीदार
सदस्यता सं.-078371

दिनांक : 10.06.2020
स्थान : बिलासपुर

नोटः 1 कारपोरेट सूचना

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), मिनी रत्न, गैर-सूचीबद्ध कम्पनी है, जिसका मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है ।

कम्पनी मुख्य रूप से खनन एवं कोयला उत्पादन में लगी हुई है । कम्पनी के बड़े उपभोक्ता बिजली एवं स्टील सेक्टर है। अन्य सेक्टरों के उपभोक्ताओं में सीमेंट, फर्टिलाईजर, ईंट-भट्टे शामिल हैं ।

एसईसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी है। कपनी का संचालन भारत में दो राज्यों (छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश) में फैला हुआ है। एसईसीएल दानकुनी कोल काम्पलैक्स, पश्चिम बंगाल में कोल कार्बोनाईजेशन संयंत्र का भी संचालन करती है । एसईसीएल की दो सहायक कम्पनियां यथा- छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड भी है ।

नोट 2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 तैयार करने का आधार :

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किये गए हैं।

निम्नलिखित को छोड़कर, वित्तीय विवरण पारम्परिक लागत आधार पर तैयार किया गया है-

- उचित मूल्य पर पैमानित कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं (पैरा सं. 2.14 में उल्लेखित वित्तीय विपत्रों पर लेखा नीति का अवलोकन करें)
- पारिभाषित लाभ योजनाएं - उचित मूल्य पर पैमानित योजनागत परिसम्पत्तियां ।
- सम्पत्ति सूची लागत या एन.आर.वी. में, जो भी कम हो (पैरा सं. 2.20 में लेखा नीति का अवलोकन करें)

2.1.1 राशियों का पूर्णांकन

जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इन वित्तीय विवरणों में राशियों को दशमलव के दो प्वाइंट तक "रुपये करोड़ में" पूर्ण अंकों में दिखाया गया है।

2.2 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी अपने तुलन-पत्र में चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब,

(क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूली अथवा बिक्री अथवा इसके उपभोग की इच्छा रखती है,

(ख) यह परिसंपत्ति को मुख्य तौर पर व्यापार के उद्देश्य के लिए रखती है,

(ग) यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर परिसंपत्ति के वसूली की अपेक्षा रखती है, अथवा

(घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष (लेखा मानक 7 में यथा-परिभाषित) रूप में तब तक रहती है जब तक परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमय किये जाने या देयता के निपटान के लिए उपयोग किये जाने पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो। अन्य सभी परिसंपत्तियां गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत है।

कंपनी द्वारा किसी देयता को चालू रूप में माना जाता है, जब :

(क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती है,

(ख) इसकी देयता मुख्य तौर पर व्यापार के लिए होती है,

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर बकाये देयता का निपटान किया जाना है, अथवा

(घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्तहीन अधिकार इसके पास नहीं है। प्रतिरूपी के विकल्प पर किसी देयता के जो नियम, इक्विटी-विपत्रों को जारी करके इसके निपटान के फलस्वरूप हो सकते थे, वे इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य सभी देयता गैर-चालू रूप में वर्गीकृत है।

2.3 राजस्व की मान्यता :

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व :

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तु या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो यह प्रतिफल परिलक्षित करता है, जिसमें कंपनी को उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में अधिकार प्राप्त होने की अपेक्षा है। कंपनी ने सामान्यतया यह निष्कर्ष निकाला है कि यह उसके राजस्व व्यवस्था का सिद्धांत है क्योंकि इससे ग्राहक को हस्तांतरित करने से पहले वस्तु या सेवाओं को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त होता है ।

इंड एएस 115 के सिद्धांतों को निम्नलिखित पांच चरणों का उपयोग करते हुए लागू किया जाता है -

चरण 1 : अनुबंध की पहचान करना

कंपनी केवल निम्नलिखित सभी मानदण्डों के पूरा होने पर ही किसी ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए उत्तरदायी है -

(क) अनुबंध के पार्टियों ने संविदा/अनुबंध को मंजूरी दे दी है और अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हो,

(ख) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पार्टी के अधिकारों को स्थापित/चिन्हित कर सकती है ।

(ग) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान-शर्तों को स्थापित/चिन्हित कर सकती है।

(घ) इस संविदा/अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व मौजूद है, (जैसे-इस संविदा के परिणामस्वरूप जोखिम, समय या कंपनी के भावी रोकड़ प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन होने की संभावना है) और

(ड.) यह संभव है कि ग्राहक को हस्तांतरित किए जाने वाले जिन वस्तुओं या सेवाओं के लिए कंपनी को विनिमय का अधिकार है, उसके लिए वह उस प्रतिफल को प्राप्त/आमंत्रित कर सकती है । यदि प्रतिफल में अंतर पाया जाता है तो संविदा में उल्लिखित उस मूल्य की राशि कम हो सकती है, जिसके लिए कंपनी को अधिकार प्राप्त है, क्योंकि कंपनी ने ग्राहक को मूल्य में रियायत, छूट, रिबेट, धनवापसी, क्रेडिट या प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस आदि का अधिकार दिया है ।

संविदा/अनुबंधों का संयोजन :

यदि निम्नलिखित में से एक या अधिक मानदण्डों को पूरा किया जाता है तो कंपनी एक ही ग्राहक (या ग्राहक से संबंधित पार्टी) के साथ, एक ही समय में या उसके आसपास हुए दो या दो से अधिक अनुबंधों को एक साथ मिला सकती है और इस अनुबंध को एकल अनुबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है:

क) यदि इन अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में माना गया हो,

ख) यदि एक अनुबंध में भुगतान किया जाने वाला प्रतिफल, अन्य अनुबंध के मूल्य या कार्य-निष्पादन पर निर्भर हो, या

ग) यदि अनुबंध में दी गई वस्तुएं या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में दिए गए कुछ वस्तुएं या सेवाएं) एक एकल कार्य निष्पादन दायित्व से संबंधित हो ।

अनुबंध में सुधार/संशोधन

यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियां मौजूद रहती है तो कंपनी किसी अनुबंध को अलग-अलग अनुबंध के रूप में परिभाषित कर सकती है :

क) यदि दी गई विशिष्ट वस्तुओं एवं सेवाओं में कुछ वृद्धि होने के कारण अनुबंध का दायरा बढ़ जाए, और

ख) यदि अनुबंध का मूल्य प्रतिफल की राशि तक बढ़ जाती है, जिसे वस्तुओं एवं सेवाओं के अतिरिक्त कंपनी एकल (स्टेण्ड एलोन) बिक्री मूल्य तथा उस कीमत के किसी भी उपयुक्त समायोजन की परिस्थितियों के लिए विशेष अनुबंध में दर्शाया गया है।

चरण 2 : कार्य-निष्पादन दायित्वों की पहचान :

अनुबंध के आरंभ में ही, कंपनी ग्राहक के साथ मिलकर अनुबंध में दी गई वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को हस्तांतरित करने के लिए प्रत्येक वादा एक कार्य-निष्पादन के दायित्व के रूप में पहचान करती है, अथवा ।

क) एक विशिष्ट वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) या

ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला, जो काफी हद तक समान है और जिनके पास ग्राहक को हस्तांतरण का एक ही तरह का पैटर्न है ।

चरण 3 : लेनदेन/संव्यवहार मूल्य का निर्धारण :

कंपनी लेनदेन का मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों और इसके व्यावसायिक प्रक्रियाओं पर विचार करती है । लेनदेन का मूल्य उस प्रतिफल की राशि है, जिसे तृतीय पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, वादा किए गए वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने के लिए कंपनी को यह उम्मीद है कि वह विनिमय में हकदार होगी । ग्राहक के साथ हुए अनुबंध में वादा किए गए प्रतिफल में निश्चित मात्रा, परिवर्तनशील राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं ।

लेनदेन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित सभी पार्टियों के प्रभावों पर विचार करती है :

- परिवर्तनीय प्रतिफल,
- परिवर्तनीय प्रतिफल का अनिच्छापूर्वक आकलन,
- महत्वपूर्ण वित्त पोषण घटक की मौजूदगी
- गैर-नकद प्रतिफल,
- ग्राहक को देय प्रतिफल

छूट, रिबेट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य में रियायत, प्रोत्साहन, कार्य-निष्पादन बोनस या अन्य समान वस्तुओं के कारण प्रतिफल की मात्रा भिन्न हो सकती है । वादा किया गया प्रतिफल भी भिन्न हो सकता है, यदि आकस्मिक रूप से किसी भावी घटना या गैर-घटना के आधार पर कंपनी के अधिकार प्रतिफलित हो ।

कुछ अनुबंध में, दण्ड निर्धारित है। ऐसे मामलों में, अनुबंध के तत्व के अनुसार दण्ड आधारित होता है। जहां लेनदेन के मूल्य के निर्धारण में दण्ड निर्धारित है, वहां यह परिवर्तनीय प्रतिफल का हिस्सा होता है।

कंपनी में केवल अनुमानित परिवर्तनीय प्रतिफल के कुछ या सभी लेनदेन मूल्य उस हद तक शामिल है, जबकि इसकी अत्यधिक संभावना हो कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में कोई महत्वपूर्ण रिवर्सल तब तक नहीं होगा, जब तक कि परिवर्तनीय प्रतिफल के साथ जुड़ी अनिश्चितता दूर नहीं होती ।

कंपनी तब तक एक महत्वपूर्ण वित्त पोषण घटक के प्रभावों के लिए परिवर्तनीय प्रतिफल के वादा की राशि को समायोजित नहीं करती है,जब तक अनुबंध के आरंभ में यह अपेक्षित हो कि इस अवधि के दौरान वादा किए गए वस्तुओं या सेवाओं को एक ग्राहक को हस्तांतरित किया जा सकता है और ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए एक वर्ष या उससे कम समय के अंदर भुगतान कर सकता है ।

यदि कंपनी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और कुछ या सभी प्रतिफल ग्राहक को वापस करने की अपेक्षा करती है तो कंपनी धनवापसी दायित्व को स्वीकार कर लेती है। धनवापसी दायित्व की गणना उस प्राप्त प्रतिफल (या प्राप्य) राशि के आधार पर की जाती है, जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (अर्थात जो राशि लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं है) । रिफण्ड लायबिलिटी (लेनदेन के मूल्य में तदनुरूप परिवर्तन तथा, इसलिए अनुबंध देयता) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतित किया जाता है ।

अनुबंध प्रारंभ होने के बाद, अनिश्चित घटनाओं या परिस्थितियों में वैसा परिवर्तन जिसमें प्रतिफल की राशि में परिवर्तन होता हो, के वादा सहित विभिन्न कारणों से लेनदेन की कीमत बदल सकती है, जिसमें कंपनी को उम्मीद है कि वह वादा किए गए वस्तुओं या सेवाओं के विनियम में हकदार होगी ।

चरण-4ः लेनदेन की मूल्य/कीमत का आबंटन ः

कंपनी का उद्देश्य है कि लेनदेन का मूल्य आबंटित करते समय किसी राशि में प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व (या विशेष वस्तु या सेवा) के लिए लेनदेन का मूल्य आबंटित किया जाए, जो प्रतिफल की मात्रा को दर्शाती है और जिसके लिए कंपनी, ग्राहक से वादा किए गए वस्तु या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है ।

एक सापेक्ष एकल (स्टेण्ड एलोन) विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व हेतु लेनदेन मूल्य आबंटित करने के लिए, कंपनी अलग-अलग वस्तु या सेवा के अंत में अनुबंध की स्थापना पर एकल विक्रय मूल्य निर्धारित करती है, जोकि अनुबंध में प्रत्येक कार्य-निष्पादन के दायित्व के तहत आता है और उन एकल विक्रय मूल्य के अनुपात में लेनदेन की कीमत/मूल्य आबंटित की जाती है ।

चरण-5 ः राजस्व को मान्यता ः

जब (या उस रूप में) कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए वस्तु या सेवा का हस्तांतरण कर उसके कार्य-निष्पादन के दायित्व से संतुष्ट होती है तो वह राजस्व को मान्यता देती है। ग्राहक द्वारा नियंत्रण प्राप्त करने पर (या उस रूप में) किसी वस्तु या सेवा को हस्तांतरित किया जाता है ।

कंपनी समय के साथ किसी वस्तु या सेवा के नियंत्रण को हस्तांतरित करती है और इसलिए, यदि मानदण्डों में से किसी एक के पूरा होने पर ही, समय के साथ किसी कार्य-निष्पादन के दायित्व और राजस्व को मान्यता देती है, ः

क) यदि कंपनी के कार्य-निष्पादन के अनुसार ग्राहक कंपनी के निष्पादन से प्राप्त लाभों को साथ-साथ प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है ।

ख) यदि कंपनी के कार्य-निष्पादन से परिसम्पत्ति का सृजन होता है या उसमें वृद्धि होती है और इस सृजन या वृद्धि पर ग्राहक का नियंत्रण हो,

ग) यदि कंपनी किसी वैकल्पिक साधन का उपयोग करते हुए अपने कार्य-निष्पादन से किसी परिसम्पत्ति का सृजन नहीं करती है और कंपनी के पास उस तिथि तक पूरा किए गए कार्य-निष्पादन का भुगतान करने का अधिकार हो ।

कंपनी समय पर संतुष्ट प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए, उस तिथि तक इस दिशा में हुई प्रगति का मापन करके राजस्व को मान्यता देती है ।

कंपनी, प्रत्येक संतुष्ट कार्य-निष्पादन दायित्व की प्रगति को मापने के लिए एकल मापन विधि का पालन करती है और समान निष्पादन दायित्वों और समान परिस्थितियों में इसी पद्धति का नियमित रूप से पालन करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, पूर्ण संतुष्टि के लिए कंपनी अपने कार्य-निष्पादन दायित्व की प्रगति का पुनः मापन करती है ।

कंपनी, अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष तिथि को हस्तांतरित ग्राहक के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व को मान्यता देने के लिए आउटपुट विधि का पालन करती है । आउटपुट विधियों में उक्त तिथि तक के निष्पादन-सर्वेक्षण, अर्जित परिणामों का मूल्यांकन,अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धि (माईल स्टोन) गुजरे वक्त, यूनिट द्वारा उत्पादित या यूनिट द्वारा सौंपी गई जैसी विधियों को शामिल किया जाता है।

कंपनी, समय के साथ-साथ अपनी प्रगति के माप को अद्यतित करती रहती है, ताकि यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे निष्पादन दायित्व में दर्शाया जा सके और इस परिवर्तन को भारतीय लेखा मानक-8, लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों एवं त्रुटियों में परिवर्तन के आलोक में परिवर्तन के रूप में शामिल किया जाता है ।

कंपनी, यदि कार्य-निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में इसकी प्रगति को यथोचित तरीके से माप सकती है तो उस समय तक के लिए संतुष्ट कार्य-निष्पादन दायित्व के राजस्व को स्वीकार करती है । जब (या के रूप में) कार्य-निष्पादन दायित्व संतोषजनक होता है, तो कंपनी लेनदेन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में स्वीकार करती है (जिसमें परिवर्ती प्रतिफल के अनुमान को शामिल नहीं किया जाता है, जो उस कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए आबंटित किए गए है) ।

यदि समय के साथ कोई कार्य-निष्पादन दायित्व संतोषजनक नहीं है, तो कंपनी एक समय-सीमा के अंदर इसे संतोषजनक बनाने का प्रयास करती है। उस समय-सीमा को निर्धारित करने के लिए जब एक ग्राहक का वादा किये गए किसी वस्तु या सेवा पर अपना नियंत्रण स्थापित हो जाता है और कंपनी कार्य-निष्पादन दायित्व से संतुष्ट हो जाती है, तो कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतक पर विचार करती है,जिसमें निम्नलिखित शर्तें एक सीमा तक शामिल नहीं है ः

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार है,

ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का स्वामित्व है,

ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक कब्जे/अधिकार को हस्तांतरित कर दिया है,

घ) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल है,

ड.) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार कर लिया है ।

जब कोई पार्टी किसी अनुबंध का निष्पादन करती है तो कंपनी के अपने तुलन-पत्र में उक्त अनुबंध को अनुबंध परिसम्पत्ति या अनुबंध देयता के रूप में शामिल/प्रस्तुत करती है जो कंपनी के कार्य-निष्पादन तथा ग्राहक के भुगतान के संबंध पर आधारित होता है। कंपनी प्राप्य के रूप में, अलग-अलग प्रतिफल के लिए बिना शर्त अधिकार देती है।

अनुबंध परिसम्पत्तियां :

एक अनुबंध परिसम्पत्ति, ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए प्रतिफल का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक के प्रतिफल या भुगतान करने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को हस्तांतरित करके निष्पादन करती है, तो सशर्त रूप से अर्जित प्रतिफल के लिए अनुबंध परिसम्पत्ति को मान्यता दी जाती है ।

व्यापारिक प्राप्य

एक प्राप्य, प्रतिफल की राशि का बिना शर्त कंपनी-अधिकार है (अर्थात, देय प्रतिफल के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

अनुबंध देयताएं :

एक अनुबंध दायित्व किसी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त हुआ है (या प्रतिफल की राशि देय है)। कंपनी द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने से पहले यदि कोई ग्राहक पर प्रतिफल करता है और जब भुगतान किया जाता है या देय होता है (जो भी पहले हो), तो किसी अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत कार्य-निष्पादन करती है तो अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

ब्याज

प्रभावी ब्याज पद्धति का प्रयोग करते हुए ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

लाभांश

निवेश से प्राप्त लाभांश आय को तभी मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त किए जाने का अधिकार स्थापित/प्रमाणित हो।

अन्य दावे

अन्य दावे (ग्राहकों से विलंब से वसूली पर प्राप्त ब्याज सहित) का लेखा-जोखा वसूली की निश्चितता होने तथा मापे जाने की वास्तविकता होने पर की जाती है ।

2.4 सरकार से अनुदान :

सरकारी अनुदान तब तक मान्य नहीं किए जाते, जब तक कोई यथोचित आश्वासन नहीं दिया जाता है कि इससे जुड़ी सभी शर्तों का कंपनी पालन करेगी तथा जिससे यह सुनिश्चित हो कि अनुदान अवश्य प्राप्त हो सकेंगे।

अवधि के दौरान लाभ और हानि विवरण में नियमित आधार पर सरकारी अनुदान स्वीकार किए जाते है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को खर्चे के रूप में मानती है जिसके लिए अनुदान से उसकी क्षतिपूर्ति की अपेक्षा रहती है।

परिसम्पत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित आय के रूप में तुलन-पत्र में प्रदर्शित करते हुए प्रस्तुत किया जाता है तथा परिसम्पत्तियों की कार्यशील जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ व हानि विवरणी में मान्यता दी जाती है।

आय से संबंधित अनुदान (परिसंपत्ति के अलावे अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत लाभ या हानि विवरण के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान/सहायता जो कंपनी को पूर्व में हुए व्यय या नुकसान के लिए अथवा तत्काल आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करने योग्य होते है, जिसमें भावी खर्चे शामिल नहीं है, उस अवधि के लाभ-हानि में स्वीकार किये जाते है जिसमें इसे प्राप्त करना है।

शासकीय अनुदान या प्रर्वतक के अंशदान के स्वरूप में अनुदान, जो ''अंशधारकों की निधि'' का एक भाग है, को प्रत्यक्ष रूप से पूंजी संचय में मान्यता दी जानी चाहिए ।

2.5 पट्टा :

चिन्हित सम्पत्ति की संविदा/करार या पट्टा समय सीमा में प्रतिफल के एवज में सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार को नियंत्रित करने वाला होगा ।

2.5.1 पट्टागृहीता के रूप में कंपनी :

पट्टा प्रारंभिक तिथि को पट्टा-गृहीता/पट्टाधारी को पट्टा राशि के भुगतान पर उसके वर्तमान मूल्य पर सम्पत्ति के मूल्य लागत और मूल्य पर सभी पट्टे की सम्पत्ति के उपयोग को मान्यता देगा यदि संबंधित सम्पत्ति का पट्टा 12 माह या उससे कम का न हो तथा उसकी कीमत बहुत कम न हो ।

तत्पश्चात, सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन उसके लागत माडल जबकि पट्टे का दायित्व पट्टे के प्रारंभिक मूल्य, पट्टे की देयता पर ब्याज को शामिल करते हुए उसके पुनर्मूल्यांकन में पुनःनिर्धारण या पट्टे में संशोधन सम्मिलित माना जाएगा ।

वित्तीय प्रभार को लाभ एवं हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागत अन्य प्रयोज्य मानकों को लागू करने वाली दूसरी अन्य परिसम्पत्ति की वहनीय राशि में शामिल नहीं होती है।

उपयोगपूर्ण सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार को सम्पत्ति की आयु के आधार पर उसके अवमूल्यन के पश्चात निर्धारित किया जाएगा । यदि पट्टा, पट्टागृहीता को पट्टा समाप्ति पर स्वामित्व का अधिकार अंतरित करता है अन्यथा सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार को प्रारंभ तिथि से सम्पत्ति के निर्धारित उपयोगी जीवन की समाप्ति अथवा पट्टावधि के पूर्ण होने के पूर्व ही अवमूल्यित कर देगी ।

2.5.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो परिचालन पट्टा या वित्त पट्टा के रूप में है ।

ऐसे किसी पट्टे को एक वित्त पटटे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जबकि यह अंतर्निहित परिम्पत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक सभी जोखिमों व रिवार्ड्स को अंतरित करता है। ऐसे किसी पट्टे को एक परिचालन पटटे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जबकि यह अंतर्निहित परिम्पत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक सभी जोखिमों व रिवार्ड्स को बाद में अंतरित नहीं करता है ।

परिचालन पट्टा : परिचालन पट्टों से पट्टा भुगतान को स्ट्रेट लाईन आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि पैटर्न का एक और व्यवस्थित आधार अधिक द्योतक नहीं होता है, जिसमें अंतर्निहित परिसम्पत्ति के उपयोग से लाभ घट जाता है ।

वित्तीय पट्टे - वित्तीय पट्टे के अंतर्गत धारित सम्पत्ति उसके तुलन-पत्र में मान्य की जाएगी और उसको प्राप्य राशि के रूप में प्रस्तुत करेगी जोकि पट्टे में विनियोजित शुद्ध राशि उस पर ब्याज की गणना करते हुए शामिल राशि के बराबर होगी, जिसे पट्टे के शुद्ध विनियोजन को मापने/निर्धारित करने हेतु उपयोग किया जाएगा ।

2.6 बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियां :

कंपनी गैर-चालू परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करती है एवं बिक्री के लिए रखती है (या निपटाने वाले समूह) यदि उनके वहनीय राशि की वसूली मूल रूप से लगातार उपयोग करते रहने के बजाए बिक्री के जरिए होती है। बिक्री के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यक कार्रवाइयों से यह ज्ञात होना चाहिए कि यह असंभाव्य नहीं है कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किये जाएंगे अथवा यह कि बिक्री करने के निर्णय को वापस ले लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर अपेक्षित बिक्री के लिए अनिवार्य रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इस उद्देश्य के लिए, जब विनिमय वाणिज्यिक सम्पत्ति का हो, तो बिक्री लेन-देन में अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए गैर-चालू परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल होगा। बिक्री वर्गीकरण हेतु मान्य मानदंडों को केवल तभी पूरा किया जाता है जब परिसंपत्तियों अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तुरंत बिक्री हेतु उपलब्ध रहें, इस शर्त के साथ कि वह ऐसी परिसंपत्तियों (अथवा निपटान समूह) की बिक्री के लिए एवं प्रचलित हो। इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है तथा इसे वास्तव में बेचा जाएगा न कि परित्याग किया जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति अथवा निपटान समूह की बिक्री की अत्यधिक संभावना को तभी मानती है जबः

- उचित स्तरीय प्रबंधन परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो,
- खरीददार का पता लगाने तथा योजना को पूरा करने हेतु एक कारगर कार्यक्रम की पहल की गई हो,
- वर्तमान उचित मूल्य की तुलना में समुचित मूल्य पर बिक्री हेतु परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) के लिए सक्रिय रूप से बाजार ढूंढा जा रहा हो,
- वर्गीकरण तिथि से एक वर्ष के भीतर संपूरित बिक्री के रूप में मान्यता हेतु बिक्री की अर्हता पूरी हो, और
- योजना पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयां यह संकेत करती हैं कि योजना में ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव असंभावित तरीके से किये जाएंगे अथवा यह कि योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.7 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) :

भूमि पारंपरिक लागत पर ली जाती है पारंपरिक लागत में वह व्यय भी शामिल है जो संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले पुनर्वास खर्च, पुनर्वास लागत और क्षतिपूर्ति आदि जैसे भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के एक मद को लागत मॉडल के तहत किसी संचित अवमूल्यन एवं किसी संचित क्षतिकर नुकसानों को घटाकर इसकी लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद की लागत में ये शामिल हैंः-

(क) इसके खरीद मूल्य में व्यावसायिक छूट व कटौती को घटाने के बाद आयात शुल्क एवं गैर-वापसी योग्य खरीद-कर, शामिल है ।

(ख) प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से परिचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान तथा स्थिति तक परिसंपत्ति को लाने में प्रत्यक्ष रूप से रोप्य कोई लागत।

(ग) सामग्री के परिवर्धन तथा हटाए जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थल तक इसे पहुंचाने के लिए व इसके व्यवहार हेतु जिसे कंपनी ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अंतर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था ।

जिस मद का अलग से मूल्य ह्रास हुआ है, उसकी कुल लागत से संबंधित लागत सहित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी मद का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है। हालांकि, पीपीई के एक आइटम के महत्वपूर्ण भाग (भागों) में समान उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास विधि को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के साथ, एक साथ समूहीकृत किया जाता है।

''मरम्मत और रख-रखाव'' के लिए उल्लिखित दिन-प्रतिदिन की अनुरक्षण की कीमतें, जो उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें उस पर खर्च किया जाता हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मद की कुल लागत से संबंधित महत्वपूर्ण पार्ट्स को बदलने के बाद की कीमत मद के वहनीय राशि में स्वीकार की जाती हैं, अगर यह संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनीयता के साथ मापी जा सकती है तो जिन भागों को विस्थापित किया गया है, उनमें वहनीय राशि को नीचे उल्लिखित अस्वीकरण नीति के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

जब वृहत स्वरूप में निरीक्षण किये जाते हैं, तो इसकी कीमत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सामान के प्रतिस्थापन राशि के रूप में पहचानी जाती है, यदि यह संभावित है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और आइटम की लागत विश्वसनीयता के साथ मापी जा सकती है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष वहनीय राशि (कैरिंग अमाउंट) को अस्वीकार कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक हिस्सा को निपटान पर अथवा जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, अस्वीकृत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के इस तरह के अस्वीकरण के कारण किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में स्वीकार किया जाता है।

पूर्ण-स्वामित्व की भूमि के अलावा, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास, संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के अनुसार स्ट्रेट लाईन आधार पर आदर्श लागत के अनुसार प्रदान की जाती है।

अन्य भूमि

(पट्टाधारित भूमि सहित)	:	परियोजना का जीवन अथवा पट्टा अवधि,जो कम हो
भवन	:	3-60 वर्ष
सड़कें	:	3-10 वर्ष
दूर संचार	:	3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	:	5-30 वर्ष
कंप्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3-6 वर्ष
फर्नीचर एवं इससे जुड़ी वस्तुएं	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का यह मानना है कि ऊपर दर्शित उपयोज्य जीवन अवधि से तात्पर्य उस अवधि से है, जिसका प्रबंधन परिसम्पत्तियों के उपयोग में इस्तेमाल करना चाहती है । अतः परिसम्पत्तियों की उपयोज्य जीवन अवधि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के भाग-ग के अधीन यथा-निर्धारित उपयोज्य जीवन अवधि से भिन्न हो सकती है ।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति की अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य संपत्तियों की मूल लागत का 5% माना जाता है, जैसे कि कोल टब, वाइंडिंग रस्सा, हालेज रस्सा, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि जैसी परिसंपत्तियों के कुछ वस्तुओं को छोड़कर, जिसके लिए तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष होना निर्धारित किया गया है।

वर्ष के दौरान, खरीदी/बेची गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रोराटा आधार पर खरीदे/बेचे जाने के माह के संदर्भ में प्रदान किया गया है।

'अन्य भूमि' के मूल्य में वह भूमि शामिल है जो कोल बियरिंग एरिया (अधिग्रहण एवं विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एवं भूमि अधिग्रहण में उचित/सही क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता अधिकार पुनर्वास व पुनर्स्थापना (आरएफसीटीएलएआर) अधिनियम, 2013, सरकारी जमीन आदि का लम्बी अवधि के लिए अंतरण के तहत अधिग्रहित की गई है जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित किया जाता है तथा पट्टाधारित भूमि के मामले में इस प्रकार के परिशोधन परियोजना की पट्टे की अवधि अथवा शेष जीवन, जो कम है, पर आधारित होता है।

पूर्णतः अवमूल्यित परिसम्पत्तियां, जिनका सक्रिय उपयोग बंद हो चुका है, को सर्वे-आफ परिसम्पत्तियों के रूप में परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत इसके अवशिष्ट मूल्य पर अलग से प्रकट किया जाता है तथा इसके हानि की जांच की जाती है ।

कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर कंपनी द्वारा लगाई गई पूंजीगत लागत, जो कंपनी के माल की आपूर्ति या किसी वर्तमान परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए लगाई गई हो, वह संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के तहत योग्य संपत्ति के रूप में मान्य होगी।

भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन

कंपनी अपनी समस्त परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के लागत मॉडल के अनुसार वहन व्यय सहित इसे अनवरत जारी रखने के लिए चुनी गई है, जैसा कि इंड-एएस की परिवर्ती तिथि, पूर्व के जीएएपी के अनुसार वित्तीय विवरण में स्वीकार किया गया है।

2.8 माईन क्लोजर, स्थल पुनरूद्धार एवं उपकरणों/साधनों का उपयोग बंद करना :

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सरफेस एवं भूमिगत दोनों खानों के लिए बनी संरचनाओं को बंद करने एवं भूमि पुनरुद्धार का दायित्व कंपनी का है। कंपनी माईन क्लोजर, स्थल पुनरुद्धार एवं उपकरणों के उपयोग के बंद/समाप्ति के लिए आवश्यक कार्य में लगने वाली धनराशि एवं समय तथा भविष्य में नकद खर्च के विस्तृत तकनीकी आकलन एवं गणना के आधार पर माईन क्लोजर, स्थल पुनरूद्धार तथा उपकरणों के उपयोग को बंद करने में अपने दायित्व का आकलन करती है। माईन क्लोजर खर्च अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान के अनुसार ही प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए खर्चों के आकलन को तेज किया जाता है और तब छूट की दर पर छूट दी जाती है जो वर्तमान बाजार मूल्य एवं जोखिम के निर्धारण को इस प्रकार प्रतिबिंबित करती है कि प्रावधानित राशि दायित्व निपटारे के लिए अपेक्षित आवश्यक खर्चों के वर्तमान मूल्य को परिलक्षित करे। कंपनी पूर्ण पुनरुद्धार तथा माईन क्लोजर के दायित्व से जुड़ी समरूप परिसंपत्ति का रिकार्ड रखती है। दायित्व एवं समरूप परिसंपत्ति को उसी अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें देयता देनदारी उत्पन्न होती है। माईन क्लोजर प्लान के अनुसार स्थल पुनःस्थापन की कुल लागत को निरूपित करने वाली परिसंपत्ति (जैसा कि सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड में प्राक्कलित) को पीपीई में अलग मद के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है तथा परियोजना/खान के शेष जीवन के लिए परिशोधित किया जाता है।

प्रावधान का मूल्य समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता है, क्योंकि छूट घटती जाती है, जिसमें खर्च का सृजन होता है तथा वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है ।

पुनः अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए, एक विशेष निलंब निधि लेखा बनाया जाता है।

वर्ष दर वर्ष आधार पर हुए प्रगामी माईन क्लोजर व्यय जो सकल माईन क्लोजर दायित्व का एक हिस्सा होता है, प्रारंभ में निलंब लेखा से प्राप्त करने योग्य के रूप में स्वीकार किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में देनदारी के साथ समायोजित किया जाता है, जिसमें राशि प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद आहरित की गई ।

2.9 गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियां :

परिसंपत्तियों के गवेषण एवं मूल्यांकन में पूंजीकृत लागत शामिल है जिससे कोयला एवं इससे संबंधित स्रोतों को खोजने में मदद मिलती है। इसमें तकनीकी संभाव्यता का निर्धारण तथा निम्नलिखित के साथ-साथ किसी चिह्नित स्रोत की व्यावसायिक व्यावहारिता का मूल्यांकन बाद में किया जाता है:-

- गवेषण के अधिकारों का अधिग्रहण
- ऐतिहासिक गवेषण आंकड़ों का पुनर्खोज एवं विश्लेषण।
- टोपोग्राफिकल,भू-रसायनिक एवं भू-भौतिकी अध्ययनों के जरिए गवेषण के आंकड़ों को एकत्रित करना
- गवेषणात्मक ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग एवं सैम्पलिंग।
- स्रोत के ग्रेड एवं आयतन की जांच एवं निर्धारण ।
- परिवहन एवं संरचनात्मक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण।
- बाजार और वित्तीय अध्ययनों का आयोजन।

उपर्युक्त में कर्मचारियों का मानदेय, सामानों की कीमत एवं प्रयुक्त ईंधन, ठेकेदारों आदि का भुगतान शामिल है।

चूंकि अमूर्त संघटक होने वाली समग्र अनुमानित प्रत्यक्ष लागतों का एक निरर्थक एवं अविभेद्य भाग को प्रस्तुत करता है जिसकी पूर्ति भावी उपयोग से की जाने की अपेक्षा है, इसलिए अन्य पूंजीकृत गवेषणागत खर्चों के साथ इन खर्चों को गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी संभाव्यता एवं व्यावसायिक उपयोगिता के निर्धारण को लंबित रखते हुए परियोजना दर परियोजना आधार पर गवेषण एवं मूल्यांकन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है तथा गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत एक अलग लाइन आइटम के रूप में प्रकट किया जाता है। बाद में उन्हें संचित प्रावधान से कम लागत पर मापा जाता है।

एक बार जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है एवं परियोजना के विकास की स्वीकृति दे दी जाती है तो पूंजीगत चालू कार्य के तहत खोजी एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ को ''विकास'' के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है हालांकि यदि प्रमाणित भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.10 विकास खर्च :

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है तथा परियोजना/खानों के विकास की स्वीकृति दे दी जाती है, तो पूंजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन/आकलन लागत को निर्माण के अधीन परिसम्पत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है तथा ''विकास'' शीर्ष के अंतर्गत पूंजी कार्य में प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है । बाद के सभी विकास खर्चों को भी पूंजीकृत किया जाता है। खान के विकास के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से पूंजीकृत किये गए विकास खर्च का निवल लाभ है।

व्यावसायिक परिचालन

परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित शर्तों के आधार पर अथवा निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर परियोजना व्यावसायिक तौर पर सततता के आधार पर जब उत्पादन देने के लिए तैयार हो जाती है तो परियोजना/खदानों को राजस्व के लिए लाया जाता है :

(क) अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% वास्तविक उत्पादन जिस वर्ष परियोजना से होता है, उस वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से, अथवा

(ख) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष, अथवा

(ग) वित्तीय वर्ष की शुरूआत से जिस वर्ष में उत्पादन का मूल्य कुल खर्चों से अधिक होता है।

उपर्युक्त में से जो भी पहले घटित हो।

राजस्व में लाए जाने के बाद, चालू पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्तियों को ''अन्य खनन आधारभूत संरचना'' नामावली के तहत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संघटक के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को उस वर्ष से परिशोधित किया जाता है जब 20 वर्षों अथवा परियोजना की चालू अवधि जो भी कम हो, में खान राजस्व के अंतर्गत लाया जाता है।

2.11 अमूर्त परिसंपत्तियां :

पृथक रूप से अधिग्रहित की गई अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है। व्यापार संयोजन/व्यावसायिक संगठन में अधिग्रहित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तिथि को उनका उचित मूल्य होता है। प्रारंभिक मान्यता का अनुसरण करते हुए अमूर्त परिसंपत्तियों को किसी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन के दौरान स्ट्रेट लाइन बेसिस पर परिकलित) एवं संचित हानिकरण क्षति, यदि कोई हो, से कम लागत पर लिये जाते हैं।

पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर, आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। बल्कि संबंधित व्यय को लाभ हानि विवरण एवं जिस अवधि में खर्च हुआ है, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का निर्धारण सीमित या असीमित रूप में किया जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान परिशोधित कर दिया जाता है तथा जब कभी यह संकेत होता है कि अमूर्त परिसंपत्ति हानिकर हो सकती है, तो इसके हानिकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सहित किसी अमूर्त परिसंपत्ति के लिए हानिकरण अवधि एवं हानिकरण विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन अथवा परिसंपत्ति में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों के उपयोग के अपेक्षित तरीकों में परिवर्तनों के लिए परिशोधन अवधि अथवा विधि में यथोचित संशोधन पर विचार किया जाता है। जिसे लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

असीमित कार्यशील जीवन के साथ किसी अमूर्त परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसके हानिकरण की जांच की जाती है।

किसी अमूर्त परिसंपत्ति के अस्वीकरण से होने वाले फायदे एवं नुकसान को परिसंपत्ति के निवल निपटान लाभ एवं वहनीय राशि (कैरिंग अमाउंट) के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और जो लाभ व हानि विवरण में मान्य होता है।

बाहरी एजेंसियों (अर्थात उस ब्लॉक हेतु, जो सीआईएल के लिए उद्दिष्ट नहीं है) को बेचने के लिए चिह्नित अथवा बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए रोप्य अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को यद्यपि, अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा हानिकरण के लिए जांच की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्य सॉफ्टवेयर की लागत को प्रयोग करने के विधिक अधिकार से अधिक अथवा तीन वर्षों में, जो भी कम हो, संरेखीय विधि पर अवशिष्ट मूल्य शून्य के साथ परिशोधित कर दिया जाता है।

अनुसंधान एवं विकास से संबंधित व्यय,जब कभी व्यय होता है, को लेखा में माना जाता है ।

2.12 परिसंपत्तियों की हानि (वित्तीय परिसम्पत्तियों के अलावा) :

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह मूल्यांकन करती है कि किसी परिसंपत्ति में कमी-क्षति तो नहीं है। यदि इस प्रकार का कोई संकेत रहता है तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का आकलन करती है । परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि परिसम्पत्ति से अधिक है अथवा नकद सृजन करने वाली इकाई के प्रयोग मूल्य से अधिक होती है तथा इसका उचित मूल्य निपटान लागत से कम होता है व इसका निर्धारण किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए तब तक किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति नकद प्रवाह को सृजित न कर लेती है जिसमें नकद वसूली योग्य राशि उस नकद सृजन करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती है, जिससे परिसंपत्ति जुड़ी होती है। कंपनी हानिकरण की जांच करने के उद्देश्य से पृथक खानों को अलग नकद उत्पादक यूनिट मानती है।

यदि किसी परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि का आकलन उसकी वहन राशि से कम होता है तो परिम्पत्ति की वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है और लाभ-हानि को लाभ व हानि विवरणी में मान्य समझा जाता है ।

2.13 निवेश संपत्ति :

सम्पत्ति (भूमि या एक भवन या भवन का भाग या दोनों) का किराया प्राप्त करने या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए रखी हुई उत्पादन में उपयोग के लिए या सामग्री आपूर्ति के लिए या सेवा या प्रशासनिक उद्देश्य से, या सामान्य मामले में व्यापार के लिए हुई हो तो उसे निवेश सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संबंधित लेन-देन लागत सहित और जहां लागू हो वहां उधार लागत सहित निवेशित संपत्ति को इसकी प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है।

निवेशित संपत्तियों को उनके अनुमानित कार्यशील जीवन पर स्ट्रेट लाइन पद्यति का प्रयोग करते हुए अवमूल्यित किया जाता है।

2.14 वित्तीय विलेख/विपत्रः

वित्तीय विलेख/विपत्र एक प्रकार का ऐसा करार हैं जो एक कंपनी एवं वित्तीय देयता अथवा दूसरी कंपनी के इक्विटी दस्तावेज या वित्तीय परिसंपत्ति को बढ़ाता है।

2.14.1 वित्तीय परिसंपत्तियां :

2.14.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन :

लाभ या हानि व लेनदेन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए रोप्य हैं, के जरिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रिकार्ड नहीं किये जाने की स्थिति में वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद अथवा बिक्री जिसे विनियम अथवा अभिसमय द्वारा बाजार में एक सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी की आवश्यकता पड़ती है, को व्यापार की तिथि यानी कंपनी परिसंपत्ति की खरीद अथवा बिक्री के लिए जिस तिथि को प्रतिबद्ध है, उस तिथि को मान्यता दी जाती है।

2.14.2 परिवर्ती मापन :

परिवर्ती मापन के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में बांटा जाता हैः-

- परिशोधित लागत पर ऋण विपत्र।
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर ऋण विपत्र (एफवीटीओसीआई) ।
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर ऋण विपत्र, व्युतपन्न एवं इक्विटी विपत्र (एफवीटीपीएल) ।
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापित इक्विटी विपत्र। (एफवीटीओसीआई)

2.14.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण विपत्र :

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती है तो ऋण दस्तावेज को परिशोधित लागत पर मापा जाता हैः

(क) परिसंपत्ति व्यापारिक मॉडल के अंदर हो जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिसंपत्ति रखनी होती है।

(ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें उस नकदी प्रवाह को विनिर्दिष्ट तिथि पर, जिस पर मूल बकाया राशि का केवल मूलधन एवं ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद इस प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्यति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना-अधिग्रहण एवं शुल्क या मूल्य/लागत जो ईआईआर का हिस्सा है, पर किसी छूट या किश्त को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर को परिशोधन लाभ या हानि अन्तर्गत व्यापक आय में शामिल किया जाता है। हानिकरण के कारण होने वाली क्षति को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.14.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण विपत्र :

यदि निम्नलिखित दोनों मानदण्डों को पूरा किया जाता है तो ''ऋण विपत्र'' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता हैः

(क) व्यापारिक मॉडल का उद्‌देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री दोनों तरह से पूरा किया जाता है, और

(ख) परिसंपत्तियों का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई को निरूपित करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत आने वाले ऋण दस्तावेजों का प्रारंभिक तौर पर साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। उचित मूल्य के मूवमेंट को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्रदान की जाती है। हॉलांकि कंपनी ब्याज से होने वाली आय, हानिकरण से होने वाले नुकसान एवं विपर्यय तथा विदेशी मुद्रा लाभ व हानि को लाभ व हानि में स्वीकार करती है। परिसंपत्ति के अस्वीकरण पर संचित लाभ अथवा हानि को पहले अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती थी,उसे लाभ व हानि के लिए इक्विटी से पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण-विपत्र से अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्यति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण-विपत्र :

एफवीटीपीएल ऋण विपत्र के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। ऋण विपत्र जो परिशोधित लागत के रूप में अथवा एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के लिए मानदंड को पूरा नहीं करती है,उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एक ऋण दस्तावेज को निर्दिष्ट करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रूप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसी मानदंडो को पूरा कराती है। हालांकि ऐसे चुनाओं की अनुमति केवल तभी दी जाती है,जब कोई माप या मान्यता असंगतता को कम करता है या समाप्त करता है (जिसे लेखाकरण बेमेल कहा जाता है) कंपनी ने किसी भी ऋण दस्तावेज को एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी विपत्रों को उचित मूल्य पर लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मापा जाता है।

2.14.2.4 अनुषंगी, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

इंड एएस 101 के अनुसार (इंड एएस का पहली बार अपनाया जाना), पूर्व जीएएपी के अनुरूप इन निवेशों की वहनीय राशि परिवर्तन तिथि पर मानी हुई लागत पर मान्य होगी। तत्पश्चात अनुषंगी, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश का मापन लागत पर होगा।

समेकित वित्तीय विवरण के मामलों में, एसोसिएट्स तथा संयुक्त उपक्रमों में इक्विटी निवेश को इंड एएस 28 के पैरा 10 में यथा-निर्धारित इक्विटी पद्धति के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है ।

2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

इंड एएस 109 के कार्यक्षेत्र में समस्त इक्विटी निवेश का मापन लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर किया जाता है।

अन्य समस्त इक्विटी विपत्रों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में तत्पश्चात परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए चुनाव/चयन कर सकती है। कंपनी किसी विपत्र पर ऐसा चुनाव/चयन दस्तावेज आधार पर कर सकती है। वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकार्यता पर किया जाता है और जोकि अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी विपत्रों को वर्गीकृत करने का निर्णय करती है,तो लाभांश को छोड़कर, दस्तावेज पर समस्त उचित मूल्य में परिवर्तित को ओसीआई में मान्यता दी जाती हैं। निवेशों की बिक्री होने पर भी ओसीआई से पी.एंड एल. में राशियों को नहीं लाया जाएगा। तथापि कंपनी इक्विटी के भीतर संचित लाभ और हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंदर समाविष्ट इक्विटी विपत्र पी. एंड एल. में मान्य सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य में मापा जाता हैं।

2.14.2.6 असम्बद्ध/गैर-मान्यता :

किसी वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) की मान्यता मुख्य रूप से तब समाप्त कर दी जाती है (अर्थात तुलन पत्र से हटा दी गयी है) जब

- संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, अथवा
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है, अथवा किसी ''पास थ्रू'' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को महत्वपूर्ण देरी के बिना पूरी तरह से प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करना उसका दायित्व है और या तो (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और रिवार्ड को काफी हद तक हस्तांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने न तो परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और रिवार्ड को हस्तांतरित किया और न ही बनाए रखा है, बल्कि परिसंपत्ति पर नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है, अथवा पास-थ्रू व्यवस्था के लिए सहमति दी है, तो वह इस बात का मूल्यांकन करती है कि उसने स्वामित्व के जोखिमों और रिवार्डो को किस हद तक अधिकार में बनाए रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और रिवार्डों को न हस्तांतरित किया है और न ही बनाए रखा है और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण ही हस्तांतरित किया है, जब तक कंपनी की सहभागिता जारी रहती है तब तक यह हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस मामले में कंपनी जुड़ी हुई देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति एवं इससे जुड़ी देयता को जिस आधार पर मापा जाता है वह कंपनी के अधिकारों एवं दायित्वों को प्रदर्शित करता है। निरंतर समावेश जो हस्तांतरित संपत्ति पर गारंटी के रूप में है, का मापन संपत्ति के मूल वहनीय राशि के निम्नतर पर किया जाता है तथा कंपनी द्वारा अदा किए जाने वाले प्रतिफल की अधिकतम राशि पर किया जाता है ।

2.14.2.7 वित्तीय परिसंपत्ति की हानि (उचित मूल्य के अलावा):

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर पर हानिकरण क्षति के मापन/मूल्यांकन एवं मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-विपत्र हैं तथा जिन्हें परिशोधित लागत अर्थात ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापारिक प्राप्य एवं बैंक शेष पर मापा जाता है,

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-विपत्र हैं एवं एफवीटीओसीआई के रूप में मापा जाता है,

(ग) भारतीय लेखा मानक 17 के तहत प्राप्य पट्टा, और

(घ) व्यापारिक प्राप्य या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय लेखा मानक 115 की सीमा में है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानिकरण क्षति भत्ता की मान्यता के लिए ''सरलीकृत दृष्टिकरण'' अपनाती है:

- व्यापारिक प्राप्य अथवा संविदात्मक राजस्व प्राप्य, और
- भारतीय लेखा मानक 17 की सीमा में लेन-देन के परिणामस्वरूप प्राप्य सभी पट्टे ।

सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में जीवनकाल (टाईम-लाईन)ईसीएल के आधार पर हानिकरण हानि भत्ता को ठीक इसकी प्रारंभिक तारीख से मान्यता देती है।

2.14.3 वित्तीय देयताएं :

2.14.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन :

कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देय, ऋण एवं बैंक ओवर ड्राफ्ट सहित उधार शामिल हैं।

सभी वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण व उधार तथा देयताओं के मामले में सीधे निवल रोप्य (अट्रिव्यूटेवल) लेन-देन लागतों पर मान्यता दी जाती है।

2.14.3.2 परिवर्ती मापन/मूल्यांकन :

वित्तीय देयताओं का मापन/मूल्यांकन जैसा कि नीचे वर्णित है, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है:

2.14.3.3 लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं :

लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देयताएं शामिल हैं तथा वित्तीय देयताओं को लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामोदिष्ट किया जाता है। वित्तीय देयताओं को ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में फिर से खरीद के उद्देश्य के कारण उत्पन्न हुए हों। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल है, जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित बचाव संबंधों में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग विपत्र के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

ट्रेडिंग के लिये हुई देनदारियों पर फायदा या नुकसान को लाभ व हानि में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से प्रारंभिक मान्यता और उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तारीख में उसी रूप में निर्दिष्ट किया जाता है एवं केवल तभी भारतीय लेखा मानक 109 में कसौटी को पूरा किया जाता है। एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट देयताओं, अपने क्रेडिट जोखिमों में परिवर्तन लाने के लिए रोप्य उचित मूल्य लाभ/नुकसानों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। इन लाभ/हानियों को बाद में पी. एंड एल. में हस्तांतरित नहीं किये जाते हैं। हालांकि कंपनी संचित लाभ/हानि को इक्विटी में हस्तांतरित कर सकती है। ऐसी देयता के उचित मूल्य में सभी अन्य परिवर्तनों को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयता को निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं :

प्रारंभिक मान्यता के बाद प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करते हुए इन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। फायदा और नुकसान को लाभ व हानि में मान्यता दी जाती है जब देयताओं को साथ ही साथ प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता समाप्त कर दी जाती है। प्रभावी ब्याज दर के अभिन्न भाग किसी छूट या प्रीमियम पर किश्त एवं शुल्क या लागतों को ध्यान में रखते हुए परिशोधित लागतों को परिकलित किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ व हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी प्रायः उधार को लागू करती है।

2.14.3.5 असम्बद्ध/गैर-मान्यता :

जब देनदारी के तहत दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है या इसे रद्द कर दिया जाता है अथवा वह समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देनदारी की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देयता को दूसरे समान उधारदाता द्वारा वास्तविक रूप से भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा वर्तमान देनदारी की शर्तों में वास्तविक रूप से संशोधन किया जाता है, तो ऐसे किसी परिवर्तन अथवा संशोधन को मूल देयता का अस्वीकरण एवं नई देयता का स्वीकरण माना जाता है। समाप्त कर दी गई या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दी गई अथवा देनदारियां मान ली गई वित्तीय देयता (वित्तीय देयता का हिस्सा) के पिछले शेष के बीच के अंतर को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाएगा।

2.14.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनःवर्गीकरण :

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है। क्योंकि ये इक्विटी विपत्र एवं वित्तीय देनदारियां होती हैं। जो वित्तीय परिसंपत्तियां इक्विटी विपत्र तथा वित्तीय देनदारियां होती है, उनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण विपत्र होती है, उनके लिए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन परिसपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडेल में परिवर्तन होता है। व्यापार मॉडेल में ऐसे परिवर्तनों की अपेक्षा फिर से की जाती है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी के लिए बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों, जोकि कंपनी के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं, के परिणामस्वरूप ही व्यापार मॉडेल में परिवर्तन निर्धारित करते है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पार्टियों के लिए साक्ष्य होते हैं। कंपनी अपने परिचालन के लिए किसी महत्वपूर्ण गतिविधि की या तो शुरूआत करती है अथवा समाप्त करती है, तभी व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनःवर्गीकृत करती है, तो वह उस पुनःवर्गीकरण को उसकी पुनःवर्गीकरण तिथि से लागू करती है जो व्यापार मॉडल में परिवर्तन से पहले की रिपोर्टिंग अवधि के ठीक बाद का पहला दिन होता है। कंपनी पिछले किसी मान्य लाभों, नुकसानों (हानिकरण लाभ व हानि सहित) अथवा ब्याज को दोहराती नहीं है।

निम्नलिखित सारणी विविध पुनःवर्गीकरण एवं कैसे इसकी गणना की जाती है, दर्शाती है :

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा विवेचन
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य का आकलन पुनःवर्गीकरण की तारीख को किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के मध्य अंतर को पीएंडएल में स्वीकार किया जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य उसकी नई सकल कैरिंग राशि बन जाती है। इसी नई सकल कैरिंग राशि के आधार पर ईआईआर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य का मूल्यांकन पुनःवर्गीकरण की तारीख को किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच के अंतर को ओसीआई में स्वीकार किया जाता है। पुनः वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत कैरिंग राशि बन जाती है फिर भी, ओसीआई में संचित लाभ व हानि को उचित मूल्य के साथ समायोजित किया जाता है। परिणामस्वरूप परिसंपत्ति का आकलन इस प्रकार किया जाता है मानों इसे परिशोधित लागत पर ही हमेशा मापा जाता है।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य उसकी नई कैरिंग राशि बन जाती है। किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर आकलन किया जाना जारी रहता है। ओसीआई में स्वीकृत/मान्य संचित नफा या नुकसान पुनःवर्गीकरण की तारीख को लाभ व हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.14.5 वित्तीय विपत्रों की ऑफसेटिंग :

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और यदि स्वीकृत राशि के ऑफसेट का कानूनी अधिकार वर्तमान में प्रवर्तनीय हैं एवं परिसंपत्तियों की वसूली तथा देनदारियां दोनों का निवल आधार निपटान साथ-साथ करने की प्रवृति हो तो, निवल राशि को समेकित तुलन-पत्र में लिखा जाता है।

2.14.6 नकद एवं नकद समकक्ष :

तुलन-पत्र में नकद एवं नकद समकक्ष बैंक व स्वयं के पास में नकद तथा तीन माह या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन है, समंजित है। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के उद्देश्य के लिए, जैसा कि ऊपर परिभाषित है, नकद एवं नकद समकक्षों में नकद एवं अल्पकालिक जमा, निवल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट, शामिल है, जैसा कि यह कंपनी के नकद प्रबंधन के एक अभिन्न भाग के रूप में विचार किया गया है ।

2.15 उधार लागत :

जहां उधार लागत सीधे तौर पर क्वालिफाईंग परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए उत्तरदायी है,उन्हें छोड़कर यथावश्यक उधार लागत को खर्च किया जाता है,अर्थात ऐसी परिसंपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं। इस मामले में उन्हें उस तारीख तक उन परिसंपत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है,जिस तारीख को अपने इच्छित उपयोग के लिए क्वालिफाईंग परिसंपत्ति तैयार होती है।

2.16 कराधान :

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और विलंबित कर के योग को दर्शाता है।

किसी खास अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग) आयकर की राशि चालू कर है। लाभ एवं हानि एवं अन्य व्यापक आय के विवरण में जैसा कि वर्णित ''आयकर पूर्व लाभ'' से करयोग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें उस आय के व्यय का मद शामिल हैं जो दूसरे वर्षों में करयोग्य अथवा कटौती योग्य होते हैं तथा इसमें वे मद भी शामिल हैं जो कमी करयोग्य या कटौती योग्य नहीं होते हैं। चालू कर के लिए कंपनी की देनदारी का परिकलन कर की दरों का प्रयोग कर किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित किये गए हैं या वास्तविक रूप में अधिनियमित किये गये है।

सामान्य तौर पर आस्थगित कर देयताओं को सभी कर योग्य अस्थायी शेषों के लिए मान्यता दी जाती है। सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी शेष के लिए उस सीमा तक आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है कि करयोग्य लाभ मौजूद रहने की संभाव्यता रहेगी जिसके लिए उन कटौती योग्य अस्थायी शेषों का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है। यदि अस्थायी शेष सदभाव अथवा लेन-देन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देनदारियों से उत्पन्न हुआ है जो न तो करयोग्य लाभ को, न ही लेखाकरण लाभ को प्रभावित करता है।

जहां कंपनी अस्थायी अंतर के विपर्यय को नियंत्रित करने में सक्षम है इसकी संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी अंतर को रिवर्स नहीं किया जाएगा, उसे छोड़कर, अन्य अनुषंगियों एवं एसोसिएट में निवेश से जुड़े करयोग्य अस्थायी अंतर के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के निवेश से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं ब्याज को उस सीमा तक तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि पर्याप्त करयोग्य लाभ होंगे जिसके लिए अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग किया जा सकेगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों के वहनीय राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इसे उस सीमा तक घटा दिया जाता है कि परिसंपत्तियों को संपूर्ण या इसके अंश की वसूली किये जाने के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहने की संभावना अधिक न रहे। अस्वीकृत आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किया जाता है तथा उसे उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति का संपूर्ण या इसके अंश की वसूली की जा सके इसके लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा, इसकी संभावना बन चुकी हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को कर की दरों पर मापा जाता है तथा उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा की जाती है जिसमें देनदारी को निपटाया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है। ऐसा उस कर दर (तथा टैक्स कानूनों) के आधार पर किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पारित किया गया हो।

आस्थगित कर देनदारियों एवं परिसंपत्तियों का मापन/मूल्यांकन कर के परिणाम को दर्शाता है जिसे कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की शेष राशि की वसूली या निपटारा करने की अपेक्षा के अनुरूप तरीके से पालन किया गया है।

वर्तमान एवं आस्थगित कर को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब ये अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी से सीधे तौर पर मान्य मदों (आइटम) से संबंध रखते हों जिस मामले में वर्तमान और आस्थगित कर को भी अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में क्रमशः मान्यता दी गई हो। जहां व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखाकरण से चालू कर अथवा आस्थगित कर उत्पन्न होते हैं वहां व्यवसाय संयोजन के लिए लेखाकरण में कर के प्रभाव को शामिल किया जाता है।

2.17 कर्मचारी-लाभ :

2.17.1 अल्पकालिक लाभ :

सभी अल्प अवधि के कर्मचारी लाभ को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें उसे व्यय किया गया है ।

2.17.2 नियोजन पश्चात लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

2.17.2.1परिभाषित अंशदायी योजनाएं :

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए एक रोजगार पश्चात लाभ योजना है, जिसके तहत कंपनी निधि में निर्धारित अंशदान जमा करती है । इस निधि का रख-रखाव कानून के तहत गठित अलग सांविधिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) द्वारा किया जाता है तथा कंपनी के लिए और राशि भुगतान करने की विधिक या संरचनात्मक दायित्व नहीं है। परिभाषित अंशदान योजनाओं में अंशदान के लिए दायित्वों को उस अवधि में लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ खर्च के रूप में माना जाता है, जिस दौरान कर्मचारी ने अपनी सेवाएं दी हैं।

2.17.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं :

परिभाषित अंशदान योजना के अलावा रोजगार के उपरांत की एक पृथक परिभाषित लाभ योजना है। ग्रेच्यूटी, अवकाश नकदीकरण (लाभ की सीमा के साथ) परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के सकल दायित्व का परिकलन भावी लाभ राशि जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधि में अपनी सेवाओं के बदले अर्जित की है, उसके अनुमान से किया जाता है। लाभ को अपने वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए रियायत दी जाती है तथा उनके योजनागत परिसंपत्तियां, यदि कोई है तो, के उचित मूल्य से कम कर दिया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि को भारतीय प्रतिभूतियां के इस चालू बाजार मूल्य पर छूट की दर आधारित होती है। जिसकी परिपक्वता की तिथियां कंपनी के दायित्व की अवधि के लगभग होती है एवं जिन मुद्रा में लाभ भुगतान की अपेक्षा है उस अवधि में वही मुद्रा प्रचलन में रहे।

बीमांकिकी मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट की दर के बारे में पूर्वानुमान परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वापसी की दरें, भावी वेतन वृद्धियां, मृत्यु दर आदि शामिल हैं। योजनाएं लंबी अवधि की होने के कारण ऐसे अनुमानों में अनिश्चितता के मामले होते हैं। किसी बीमांकक द्वारा प्रत्येक तुलन-पत्र में प्रोजेक्टेक यूनिट क्रेडिट मेथड का प्रयोग करके परिकलन किया जाता है। जब इस परिकलन के परिणाम अथवा योजना में भावी कटौतियां कंपनी के लाभ के होते हैं तो योजना से किसी भावी रिफंड के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभ का वर्तमान मूल्य पर मान्य परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कंपनी के लिए एक आर्थिक लाभ उपलब्ध है, यदि योजना अवधि के दौरान अथवा योजना की देनदारियों के निपटारे के समय यह वसूली योग्य है।

योजनागत परिसंपत्तियों पर वसूली/वापसी (ब्याज को छोड़कर) तथा परिसंपत्तियों की सीमा के प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) पर विचार करते हुए बीमांकक लाभ एवं हानियों के साथ शुद्ध परिभाषित लाभ देयता को तुरंत अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अंशदान और लाभ के भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) के लिए वार्षिक अवधि को शुरूआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए प्रयोग किये गए छूट दर को लागू करके उस अवधि के लिए कंपनी शुद्ध परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) पर ब्याज खर्च (आय) का निर्धारण करती है। पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित निवल ब्याज आय एवं व्यय को लाभ एवं हानि में मान्यता दी जाती है ।

जब योजना के लाभ में सुधार होता है तो कर्मचारियों द्वारा की गई पहले की सेवा से संबंधित बढ़ी हुई लाभ के हिस्से को लाभ एवं हानि विवरण में सीधे खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.17.3 अन्य कर्मचारी लाभ :

एलटीए, एलटीसी, जीवन बीमा योजना, समूह कार्मिक दुर्घटना बीमा योजना, प्रतिस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना एवं खान दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति आदि को भी परिभाषित लाभ योजना में ऊपर यथा-दर्शित आधार पर मान्यता दी जाती है । इन लाभों के लिए कोई निर्दिष्ट निधि की व्यवस्था नहीं है ।

2.18 विदेशी मुद्रा

कंपनी की व्यवहर्य मुद्रा तथा इसके वृहद गतिविधियों के संचालन की मुद्रा भारतीय रूपया है जो कि इसके कार्यक्षेत्र में संचालित होने वाले आर्थिक गतिविधियों की भी मुख्य मुद्रा है। विदेशी मुद्रा में किया गया लेनदेन/संव्यवहार कम्पनी की घोषित मुद्रा में बदल दिया जाता है तथा यह लेनदेन/संव्यवहार की तिथि में उपलब्ध दर के अनुसार होता है। मौद्रिक परिसंपत्तियाँ एवं देयताएॅं जो कि बताई गई अवधि में विदेशी मुद्रा के रूप में बकाया शेष हैं उन्हें बताई गई अवधि के अंत में लागू विनिमय दर पर बदल दिया जाता है। मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं के दर में बदलाव को जो कि आरंभ में किए गए लेनदेन/संव्यवहार अथवा आरंभ में मान्य किए गए दर अथवा पूर्व वित्तीय विवरण में शामिल राशि, इन सबकी पहचान उस अवधि में दर्शाए गए लाभ या हानि में किया जाता है।

गैर-मौद्रिक वस्तुएॅं जो कि विदेशी मुद्रा के रूप में होती हैं उनका मूल्य लेनदेन/संव्यवहार की तिथि पर लागू दर के हिसाब से परिकलित किया जाता है।

2.19 स्ट्रीपिंग एक्टिविटी व्यय/समायोजन

खुली खदानों की दशा में, खदान के अधिभार (ओव्हरबर्डन) जो कि कोलसीम के ऊपर मृदा एवं चट्टान के रूप में पाया जाता है, को कोयला निष्कासन एवं खनन के लिए हटाना आवश्यक है। निष्कासन की इस प्रक्रिया को स्ट्रीपिंग कहते हैं। खुली खदानों में कंपनी को खदान के संचालन जीवन तक इस प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं (तकनीकी रूप से अनुमानित)।

अतः नीतिगत तौर पर उन खदानों में जिनकी धारित क्षमता 1 मिलियन टन या अधिक है स्ट्रीपिंग की लागत प्रत्येक खदान में तकनीकी रूप से औसत स्ट्रीपिंग अनुपात (कोलःओबी) के रूप में किया जाता है जिसमें खदानों को राजस्व में लाने के बाद स्ट्रीपिंग एक्टिविटी परिसंपत्ति एवं आनुपातिक विचलन खाता के लिए समायोजित किया जाता है।

स्ट्रीपिंग एक्टिविटी परिसंपत्तियों का सकल शेष तथा तुलन-पत्र तारीख पर आनुपातिक विचलन गैर-चालू प्रावधानों/अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों, जैसा लागू हो, के अंतर्गत स्ट्रीपिंग एक्टिविटी समायोजन के रूप में दर्शाया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार अधिभार की रिपोर्ट की गई मात्रा पर ओबीआर लेखाकरण के लिए अनुपात की गणना करते समय विचार किया जाता है, जहां रिपोर्ट की गई मात्रा और मापित मात्रा के बीच भिन्नता निम्नानुसार दो वैकल्पिक अनुज्ञेय सीमा के निम्नतम के अंदर होती है, जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है :

खदान के अधिभार निष्कासन की वार्षिक मात्रा	भिन्नता की अनुज्ञेय सीमा (प्रतिशत)
1 मिलियन घन मीटर से कम	+/-5 प्रतिशत
1 व 5 मिलियन घन मीटर के मध्य	+/-3 प्रतिशत
5 मिलियन घन मीटर से अधिक	+/-2 प्रतिशत

तथापि, जहां भिन्नता उपरोक्तानुसार अनुज्ञेय सीमा से अधिक होती है, वहां मापित मात्रा पर विचार किया जाता है।

एक मिलियन टन से कम क्षमता वाली खदानों के मामलों में, उपर्युक्त नीति लागू नहीं होती है और वर्ष के दौरान होने वाली स्ट्रीपिंग कार्यकलापों की वास्तविक लागत को लाभ-हानि विवरणी में मान्य समझा जाता है ।

2.20 सम्पत्ति सूची

2.20.1 कोयले का भण्डार

कोयला/कोक की सम्पत्ति सूची को लागत के न्यूनतम और निवल प्राप्य योग्य मूल्य पर दर्शाया जाता है। सम्पत्ति सूची के लागत की गणना भारित औसत पद्धति के उपयोग द्वारा किया जाता है। अनुमानित बिक्री मूल्य से अनुमानित लागत व विपणन हेतु लागत निकालने के बाद निवल प्राप्य मूल्य को प्रदर्शित करता है।

जहां बही भण्डार तथा मापित भण्डार के मध्य विभिन्नता +/-5 प्रतिशत तक है, वहां कोयला/कोक के बही भण्डार को लेखा में लिया जाता है, तथा ऐसे मामले जहां यह अन्तर +/-5 प्रतिशत से अधिक है, वहां मापित भण्डार पर ही विचार किया जाता है। ऐसे भण्डार का मूल्यांकन ''निवल प्राप्य मूल्य या लागत'' जो भी कम हो, पर किया जाता है। कोक को कोयला भण्डार के भाग के लिए माना जाता है ।

कोयला एवं कोक चूर्ण का मूल्यांकन लागत के न्यूनतम अथवा निवल प्राप्य मूल्य में किया जाता है तथा कोयले के भण्डार के रूप में माना जाता है ।

गारा-गादा (कोकिंग/सेमी कोकिंग), वाशरी का मिडलिंग और उप-उत्पाद का मूल्यांकन निवल प्राप्य मूल्य पर किया जाता है तथा कोयला भण्डार के भाग के रूप में माना जाता है ।

2.20.2 स्टोर्स एवं स्पेयर्स

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय स्टोर्स में स्टोर्स एवं स्पेयर्स पार्ट्स (जिसमें खुले औजार भी शामिल है) के इति भण्डार को मूल्यांकित स्टोर लेजर में दिखाए जा रहे शेष के अनुसार माना जाता है तथा उसके भंडार का मूल्यांकन भारित औसत पद्धति पर आधारित परिकलित लागत पर किया जाता है। कॉलरी/उपभंडार/ ड्रिलिंग कैंप/खपत केन्द्रों पर रखे हुए स्टोर्स एवं स्पेयर्स पार्ट्स की सम्पत्ति सूची को प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित स्टोर्स के अनुसार केवल वर्ष के अंत में माना जाता है तथा उसका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

उपभोग्य, क्षतिग्रस्त एवं अव्यवहृत स्टोर्स के लिये 100-प्रतिशत दर पर तथा 5-वर्षों से अनुपयुक्त स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिये 50-प्रतिशत दर पर प्रावधान किये जाते हैं ।

2.20.3 अन्य सम्पत्ति सूची

वर्कशाप काम, जिसमें कार्य में प्रगति भी शामिल है, का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है । प्रेस के काम का स्टॉक (कार्य में प्रगति सहित) तथा प्रिंटिंग प्रेस में उपलब्ध लेखन सामग्री तथा केन्द्रीय चिकित्सालय में उपलब्ध दवाईयों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

तथापि, लेखन सामग्री (प्रिंटिंग प्रेस में रखी सामग्री से भिन्न), ईंट, रेत, दवाई (केन्द्रीय चिकित्सालय को छोड़कर), एयरक्राफ्ट स्पेयर्स एवं कबाड़ के भण्डार को, उनके मूल्य महत्वपूर्ण नही होने के कारण, सम्पत्ति सूची में नहीं रखा जाता है ।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां :

प्रावधान तब मान्य होते है जब कंपनी ने पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (विधिक या रचनात्मक) को महसूस किया है, यह संभव है कि आर्थिक लाभ के प्रवाह बाध्यता/दायित्व को निश्चित करने के लिये आवश्यक हो, तथा बाध्यता/दायित्व की राशि के विश्वसनीय आंकलन

को तैयार किया जा सके। जहां राशि का सामयिक मूल्य महत्वपूर्ण होता है, वहां प्रावधान के बाध्यता/दायित्व को व्यवस्थित करने की प्रत्याशा में व्यय के वर्तमान मूल्य में वर्णन किया जाता है ।

सभी प्रावधानों की प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमान को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है ।

जहां यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों का बाह्य प्रवाह आवश्यक होगा, या राशि को विश्वसनीय तरीके से आकलित नहीं किया जा सकता है, वहां दायित्व का आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटीकरण किया जा सकता है, जब तक कि आर्थिक लाभ के बाह्य प्रवाह की संभावना दूरस्थ नहीं हो जाती । संभावित दायित्व, जिनकी मौजूदगी कंपनी के न केवल पूर्ण नियंत्रण में एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं के होने या न होने पर निश्चित की जाएगी, उसे भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाएगा, जब तक कि आर्थिक लाभ के बाह्य प्रवाह की संभावना दूरस्थ नहीं होती है ।

आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरण में मान्य नहीं किया जाता है । तथापि, जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तब संबंधित परिसम्पत्ति को आकस्मिक परिसम्पत्ति के रूप में न मानते हुए समुचित रूप में माना जाता हैं ।

2.22 प्रति शेयर अर्जन :

अवधि के दौरान, प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना के लिए कर पश्चात निवल लाभ को बकाया भारित औसत समता अंशों से विभाजित किया जाता है। प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना के लिए कर पश्चात निवल लाभ को भारित औसत समता अंश जो मूल अर्जन ज्ञात करने में तथा भारित औसत समता अंश जो संभाव्य समता अंश के रूपान्तरण से जारी किया जाता है, से विभाजित किया जाता है ।

2.23 अनुमान, आकलन और अभिधारणा

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, आकलन और अभिधारणा की आवश्यकता होती है जो लेखा नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की रिपोर्टेड राशियों, वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के प्रकटीकरण तथा रिपोर्टेड अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय राशि को प्रभावित करती है। जटिल एवं वास्तविक अनुमान को शामिल करते हुए लेखा नीतियों का अनुप्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में अभिधारणा के उपयोग का प्रकटीकरण किया गया है। लेखा आकलन समय-समय पर बदल सकता है। वास्तविक परिणाम उन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। चालू आधार पर आकलन तथा अंतर्निहित अभिधारणाओं की समीक्षा की जाती है। लेखानुमान में संशोधन उस अवधि में स्वीकार किये जाते है, जिसमें आकलन संशोधित किये जाते है तथा यदि यह महत्वपूर्ण है, तो वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में उनके प्रभावों को प्रकट किया जाता है।

2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए है, जिसका वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

2.23.1.1 लेखा नीतियों का निरूपण

लेखा नीतियों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उनका प्रतिफल उन लेन-देन, या अन्य घटनाएं या स्थितियां जिन पर वे लागू होती है, के बारे में संगत तथा विश्वसनीय सूचना वाले वित्तीय विवरणों में दिखाई देता है। उन नीतियों को उस समय लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उनको लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हों।

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अभाव में खास कर जो लेन-देन, अन्य घटना या दशा में लागू होते हैं, प्रबंधन ने अपने निर्णय का प्रयोग लेखा नीति के विकास एवं लागू करने में किया है जो इस सूचना में प्रतिफलित होता हैः-

क. उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के लिए आर्थिक निर्णय लेने में प्रासंगिक, और

ख. उन वित्तीय विवरणों में विश्वसनीय, जहां

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करना, (ii) केवल कानूनी रूप में ही नहीं बल्कि लेन-देन की आर्थिक वास्तविकता, अन्य घटनाओं एवं दशाओं को परिलक्षित करते हैं, (iii) तटस्थ अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त, (iv) विवेकपूर्ण होते हैं और (v) अनुकूल आधार पर सभी वस्तुगत मामलों में पूर्ण होते हैं।

निर्णय लेते समय प्रबंधन निम्नलिखित स्रोतों का अवरोही क्रम में संदर्भ एवं व्यवहार्यता के रूप में विचार करती है।

क. समरूप एवं संबंधित मामलों का समाधान करने में भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकताएं, और

ख. ढांचे में परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय एवं व्यय के लिए परिभाषाओं, मान्य मानदण्डों एवं मूल्यांकन/ मापन की अवधारणा ।

निर्णय लेते समय प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की अद्यतन घोषणाओं को ध्यान में रखते है। इनके नहीं रहने पर मानक निर्धारक अन्य निकायों जो लेखा मानकों, अन्य लेखा साहित्यों को विकसित करने के लिए समान अवधारणात्मक ढांचे का प्रयोग करते हैं, तथा जो उद्योग के कार्य व्यवहारों को उस हद तक स्वीकार करते हैं कि उपर्युक्त पैरा में दिये गए स्रोतों के साथ इनका मतभेद न हो, को भी ध्यान में रखते है।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है ;ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरणों का विकास विविध टोपोग्राफिकल एवं दशकों से चलाये जा रहे पट्टा अवधि के दौरान फैले भूखनन क्षेत्र तथा सतत परिवर्तन के लिए प्रवृत्त पर आधारित है, लेखा नीतियां जो अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित हैं एवं विगत अनेक दशकों से इसके दृढ अनुप्रयोग के कारण विविध नियामकों द्वारा अनुमोदित है, उसे विशेष औद्योगिक कार्यों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है। जो क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में है, वैसे कुछ विशेष क्षेत्रों में लेखा साहित्य, दिशानिर्देश एवं मानकों के अभाव में कंपनी लेखा साहित्य विकसित करने के साथ-साथ लेखा नीतियों को विकसित करना जारी रखती है और उसमें हुए किसी सुधार/विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में और अधिक स्पष्टता से उपर्युक्त उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्याशित रूप में लिया जाता है।

लेखाकरण की प्रोद्भूत आधार का प्रयोग करते हुए चालू प्रतिष्ठान (गोईंग कंसर्न) के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किये जाते है।

2.23.1.2 महत्वपूर्णता/माद्दा

भारतीय लेखा मानक महत्वपूर्ण मदों पर लागू होते हैं। प्रबंधन निश्चिय करने में निर्णय का उपयोग करती है कि वित्तीय विवरण में कोई खास एक मद या मदों का समूह महत्वपूर्ण है या नहीं। मदों के आकार और प्रकृति के संदर्भ में महत्वपूर्णता/माद्दा तय की जाती है। निर्णायक घटक यह है कि त्रुटि अथवा गलत विवरण एकल या सामुहिक रूप से उन आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं अथवा नहीं, जिन्हें उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। प्रबंधन भी भारतीय लेखा मानक के अनुपालन की आवश्यकता के निर्धारण के लिए महत्वपूर्णता/माद्दा के मूल्यांकन का प्रयोग करती है। विशेष परिस्थितियों में किसी मद या मदों के एकीकरण की प्रकृति या राशि निर्धारण करने वाला घटक हो सकता है। तदन्तर, कंपनी को आवश्यकता पड़ने पर अलग से अमूर्त-अनावश्यक मदों को भी कानून द्वारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। पूर्व अवधि से संबंधित चालू वर्ष में दिनांक 01.04.2019 से पाई गई त्रुटियों/चूक को वर्तमान वर्ष के दौरान अमूर्त-अनावश्यक माना जाता है तथा इसे चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाता है, बशर्ते कंपनी के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक परिचालन/संचालन से कुल राजस्व (सांविधिक लेवी का निवल) का 1-प्रतिशत से अधिक न हो ।

2.23.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा अनुबंध निष्पादित किया है। कंपनी ने व्यवस्थापन की शर्तों व दशाओं जैसे पट्टा अवधि जो वाणिज्यिक सम्पत्ति के आर्थिक जीवनकाल का प्रमुख अंग नहीं है, तथा परिसम्पत्ति के उचित मूल्य के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, कि वह सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं इन संपत्तियों के स्वामित्व के रिवार्ड अपने पास रखेगी और संविदाओं को परिचालन पट्टे के रूप में लिया जाएगा ।

2.23.2 प्राक्कलन एवं पूर्वानुमान

भविष्य से संबंधित प्रमुख पूर्वानुमान तथा रिपोर्टिंग की तारीख को आकलन की अनिश्चितता का मुख्य स्रोत जिनके पास अगले वित्त वर्ष के अंदर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की पिछली राशियों के वास्तविक समायोजन के कारक बनने वाले महत्वपूर्ण जोखिम हैं, को नीचे वर्णित किया गया है। जब समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, तब कंपनी उपलब्ध मानदंडों पर अपने पूर्वानुमानों एवं प्राक्कलनों को आधार बनाती है। फिर, वर्तमान परिस्थितियों एवं भावी विकास के बारे में, पूर्वानुमान बाजार में आए बदलाव अथवा उत्पन्न परिस्थितियां जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं, के कारण बदल सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जब उत्पन्न होते हैं, तो पूर्वानुमानों में प्रतिबिंबित होते हैं।

2.23.2.1 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

यदि किसी परिसंपत्ति का वहनीय मूल्य अथवा नकद उपार्जित इकाई उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है जो उसके उचित मूल्य से अधिक और निपटान लागत से कम होता है एवं इसका मूल्य प्रयोग में है, तो वह हानि का संकेत है। हानि की जांच करने के उद्देश्य के लिए कंपनी विशेष खानों को अलग उत्पादन इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग गणना में मूल्य एक डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। अगले पांच वर्षों के लिए बजट से नकदी प्रवाह प्राप्त किया जाता है और जो पुनर्गठन की गतिविधियों में शामिल नही होता है, जो कि कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नही है या महत्वपूर्ण भावी निवेश का कारण है, जो जांच की जा रही सीजीयू की परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ायेगा। वसूली योग्य राशि डीवीडी प्रारूप के लिए इस्तेमाल की गई छूट दर के साथ ही साथ अपेक्षित भावी नकद अंतः प्रवाह तथा बहिर्वेशन उद्देश्य हेतु उपयोग की जाने वाली विकास दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन ढांचों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले प्रमुख पूर्वानुमानों का खुलासा किया जाता है तथा आगे संबंधित टिप्पणियों में उल्लेख किया जाता है।

2.23.2.2 कर

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को अप्रयुक्त कर हानि की सीमा तक मान्यता दी जाती है, क्योंकि यह संभव है कि कर-योग्य लाभ हमारे पास हानि के विरूद्ध उपयोग किये जाने के लिए उपलब्ध रहेगा। महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय/आकलन आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए अपेक्षित होती है, जिसे मान्यता दिया जा सकता है, जोकि भावी कार्यनीति के साथ-साथ आगामी अवधि में भविष्य के कर-योग्य लाभ को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है।

2.23.2.3 परिभाषित हितकारी योजनाएं

परिभाषित हितकारी ग्रेच्युटी योजनाएं और अन्य प्रकार की नियुक्ति पश्चात चिकित्सा लाभ और ग्रेच्युटी बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य के लागत का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न अनुमान किए जाते हैं जो कि भविष्य में होने वाले वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इसमें रियायती दर, आगामी वेतन-वृद्धि और मृत्यु-दर का निर्धारण सम्मिलित हैं।

मूल्यांकन की विभिन्न जटिलताओं और इसकी दीर्घकालीन प्रकृति के कारण, परिभाषित हितकारी बाध्यताएं इन अनुमानों में परिवर्तन के लिए अतिसंवेदनशील होती हैं। रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है। रियायती दर के बदलने की संभावना सर्वाधिक होती है। भारत में परिचालित योजनाओं के समुचित रियायती दर के निर्धारण में, प्रबंधन सरकारी बॉण्डों की ब्याज दरों के साथ समान रूप से नियुक्ति पश्चात हितकारी बाध्यताओं पर विचार करता है।

मृत्यु-दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश की मृत्यु दर तालिका पर आधारित होती है। इस मृत्युदर तालिका में जनसांख्यिकी परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में निश्चित अंतरालों पर परिवर्तन होता है। भविष्य की वेतन वृद्धि और उपदान वृद्धि भविष्य में प्रत्याशित मुद्रास्फीति दर पर आधारित होती है।

2.23.2.4 वित्तीय विलेखों का उचित मूल्य मापन

जब तुलन पत्र में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य के आधार पर मापा नही जा सकता है, तब उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल समेत सामान्य तौर पर स्वीकार्य मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए मापा जाता है। इन मॉडलों में इनपुट को जहां संभव हो दृष्टिगोचर हो रहे बाजार से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नही है, उचित मूल्य के निर्धारण में एक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। निर्णयों में विभिन्न प्रकार के इनपुट यथा-तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट/मदें शामिल है। इन कारकों के बारे में अभिधारणाओं और अनुमानों में परिवर्तन से वित्तीय विलेखों के निर्दिष्ट उचित मूल्य प्रभावित हो सकते हैं।

2.23.2.5 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति

कंपनी, लेखा नीति के अनुरूप किसी परियोजना के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजी में परिणत करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है जिसमें सामान्यतः एक परियोजना रिपोर्ट बनाकर व अनुमोदित कर उसकी तकनीकी व आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित की जाती है।

2.23.2.6 माईन क्लोजर, खदान स्थल पुनरूद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व का प्रावधान

माईन क्लोजर, खदान स्थल पुनरूद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में रियायती दर, खदान स्थल पुनरुद्धार और डिकमीशनिंग तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी द्वारा निम्नलिखित आधार पर परियोजना/खदान के जीवन पर विचार करते हुए डीसीएफ विधि का प्रयोग कर प्राक्कलन तैयार किया जाता है.

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यथा-निर्दिष्ट प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत
- छूट दर (पूर्व कर की दर) द्वारा मुद्रा/राशि के सामयिक बाजार आकलन के अनुरूप मूल्य और देयताओं से विशेषतः जुड़े जोखिम परिलक्षित होते हैं ।

2.24 प्रयुक्त संक्षिप्त रूप

क	CGU	नकद उत्पाद/सृजन इकाई	ड	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ख	DCF	रियायती नकदी प्रवाह	ढ	बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
ग	FVTOCI	अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य	त	सीसीएल	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
घ	FVTPL	लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य	थ	एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ड.	GAAP	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत	द	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
च	Ind AS	भारतीय लेखा मानक	ध	एनसीएल	नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
छ	OCI	अन्य व्यापक आय	न	डब्लूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ज	P&L	लाभ व हानि	प	सीएमपीडीआईएल	सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
झ	PPE	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	फ	एनईसी	नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
ट	SPPI	मूलधन एवं ब्याज का एकमात्र भुगतान	ब	आईआईसीएम	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट
ठ	EIR	प्रभावी ब्याज दर	भ	सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड

टिप्पणी-03 : सम्पत्ति,संयंत्र और उपस्कर

(रू. करोड़)

विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार एवं स्थल पुनरूद्धार लागत	भवन(जल आपूर्ति, सड़क व पुलिया सहित)	संयंत्र एवं उपस्कर	दूर संचार	रेलवे सायडिंग	फर्नीचर एवं फिक्चर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	अन्य खनन अव-संरचना	सर्वेऑफ परि-संपत्ति	अन्य	कुल
सकल वहनीय राशि														
01.04.2018 को शेष	**13.18**	**1716.12**	**370.90**	**731.49**	**4192.01**	**43.62**	**65.29**	**17.86**	**52.12**	**17.90**	**536.57**	**22.56**	-	**7679.62**
वृद्धि	0.00	373.59	100.75	24.22	689.32	1.00	52.81	1.66	16.34	9.78	38.83	7.40	-	1315.70
निपटान/अपसरण/समायोजन	(1.96)	(19.78)	-	(0.11)	(5.13)	0.10	1.41	(1.73)	(2.38)	(0.12)	(2.57)	(4.79)	-	(37.06)
31.03.2019 को शेष	**11.22**	**2069.93**	**471.65**	**755.60**	**4876.20**	**44.72**	**119.51**	**17.79**	**66.08**	**27.56**	**472.83**	**25.17**		**8958.26**
01.04.2019 को शेष	**11.22**	**2069.93**	**471.65**	**755.60**	**4876.20**	**44.72**	**119.51**	**17.79**	**66.08**	**27.56**	**472.83**	**25.17**		**8958.26**
वृद्धि	4.77	202.27	-	11.95	375.04	0.34	45.56	2.25	9.88	24.45	61.40	8.94	-	746.85
निपटान/अपसरण/समायोजन	(2.81)	1.13	-	(0.53)	(7.75)	2.11	-	(2.10)	1.29	(3.66)	(2.20)	(3.85)	-	(18.17)
31.03.2020 को शेष	**13.18**	**2273.53**	**471.65**	**767.02**	**5243.49**	**47.17**	**165.07**	**17.94**	**77.25**	**48.35**	**532.03**	**30.26**	-	**9686.94**
संचित अवमूल्यन एवं हानि-कमी														
01.04.2018 को शेष	-	**307.73**	**103.98**	**111.62**	**1430.23**	**19.94**	**19.02**	**6.75**	**32.92**	**5.66**	**87.10**	-	-	**2124.95**
वर्ष के लिए परिव्यय	-	106.53	29.94	32.24	559.50	6.70	7.56	1.37	11.89	2.78	34.66	-	-	793.17
हानि-कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/अपसरण/समायोजन	-	-	-	-	(3.97)	0.01	-	(0.22)	0.37	-	-	-	-	(3.81)
31.03.2019 को शेष	-	**414.26**	**133.92**	**143.86**	**1985.76**	**26.65**	**26.58**	**7.90**	**45.18**	**8.44**	**121.76**	-	-	**2914.31**
01.04.2019 को शेष	-	**414.26**	**133.92**	**143.86**	**1985.76**	**26.65**	**26.58**	**7.90**	**45.18**	**8.44**	**121.76**	-	-	**2914.31**
वर्ष के लिए परिव्यय	-	110.36	39.36	67.99	473.62	5.72	13.96	1.53	11.35	3.42	35.79		-	763.10
हानि-कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	0.33
निपटान/अपसरण/समायोजन	-	0.02	-	0.21	1.00	0.29	-	0.01	0.16	0.30	0.71	-	-	0.06
31.03.2020 को शेष	-	**524.60**	**173.28**	**212.06**	**2460.38**	**32.08**	**40.54**	**9.44**	**56.69**	**11.56**	**157.17**	-	-	**3677.80**
निवल वहनीय राशि														
31.03.2020 को शेष	13.18	1748.93	298.37	554.96	2783.11	15.09	124.53	8.50	20.56	36.79	374.86	30.26	-	6009.14
31.03.2019 को शेष	11.22	1655.67	337.73	611.74	2890.44	18.07	92.93	9.89	20.90	19.12	351.07	25.17	-	6043.95
01.04.2018 को शेष	13.18	1408.39	266.92	619.87	2761.78	23.68	46.27	11.11	19.20	12.24	349.47	22.56	-	5554.67

टिप्पणी

3.1 कोयला खान कल्याण संगठन एवं कोयला खान बचाव संगठन के उन्मूलन (1985) पश्चात विभिन्न क्षेत्रों से ली गई परिसम्पत्ति को प्रति परिसम्पत्ति रू. 1.00 के नाममात्र मूल्य पर लेखा में लिया गया ।

3.2 अन्य भूमि में कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 एवं भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के अधीन अधिग्रहित की गई भूमि शामिल है ।

3.3 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार अवमूल्यन उपलब्ध कराया गया है । अवमूल्यन को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार प्रयोज्य कार्यशील जीवन के आधार पर परिसम्पत्ति के अविभाज्य श्रेणी के लिए उपलब्ध कराया गया है ।

3.4 चालू वर्ष के दौरान सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर से संबंधित कुल रू. 33.00 करोड़ (रू. 33.00 करोड़) की कमी-हानि को लाभ व हानि लेखा विवरणी में प्रभारित किया गया है ।

3.5 कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अनुसरण में अधिग्रहित भूमि, के लिए समवर्ती भूमि हेतु अलग से कोई टाईटिल डीड की आवश्यकता नहीं है । अधिग्रहित भूमि के लिए अन्य सभी टाईटल डीड प्रत्यक्ष अधिकार में है तथा कंपनी के पक्ष में नामांतरित हैं ।

3.6 भूमि सुधार/स्थल पुनर्स्थापना की लागत में माईन क्लोजर की अवस्था में व्यय की जाने वाली अनुमानित लागत को मुद्रास्फीति (5-प्रतिशत प्रतिवर्ष) के लिए बढ़ाया जाता है, तथा तत्पश्चात इसमें 8-प्रतिशत की दर पर छूट दी जाती है जोकि उचित मूल्य व जोखिम की सामयिक बाजार को परिलक्षित करता है ।

टिप्पणी-04 : पूंजी कार्य में प्रगति

(रू. करोड़)

विवरण	भवन (जल आपूर्ति, सड़क व पुलिया सहित)	संयंत्र और उपस्कर	रेलवे सायडिंग	विकास	कुल
सकल वहनीय राशि :					
01.04.2018 को शेष	**23.40**	**638.56**	**144.68**	**395.44**	**1202.08**
वृद्धि	10.73	290.39	(0.88)	363.78	**664.02**
पूंजीकरण/विलोपन/समायोजन	(23.09)	(573.76)	(19.70)	(444.72)	**(1061.27)**
31.03.2019 को शेष	**11.04**	**355.19**	**124.10**	**314.50**	**804.83**
01.04.2019 को शेष	**11.04**	**355.19**	**124.10**	**314.50**	**804.83**
वृद्धि	25.06	246.85	73.53	234.26	**579.70**
पूंजीकरण/विलोपन/समायोजन	(12.55)	(251.53)	(41.94)	(300.17)	**(606.19)**
31.03.2020 को शेष	**23.55**	**350.51**	**155.69**	**248.59**	**778.34**
संचित प्रावधान एवं हानि-कमी					
01.04.2018 को शेष	-	14.65	0.00	0.04	**14.69**
वर्ष के लिए परिव्यय	-	1.34	-	-	**1.34**
वर्ष के दौरान हानि-कमी	-	-	-	-	**-**
पूंजीकरण/विलोपन/समायोजन	-	(1.64)	-	2.56	**0.92**
31.03.2019 को शेष	**-**	**14.35**	**-**	**2.60**	**16.95**
01.04.2019 को शेष	**-**	**14.35**	**-**	**2.60**	**16.95**
वर्ष के लिए परिव्यय	-	1.19	-	-	**1.19**
वर्ष के लिए हानि-कमी	-	-	-	-	**-**
पूंजीकरण/विलोपन/समायोजन	-	(0.07)	-	-	**(0.07)**
31.03.2020 को शेष	**-**	**15.47**	**-**	**2.60**	**18.07**
निवल वहनीय राशि					
31.03.2020 को शेष	23.55	335.04	155.69	245.99	**760.27**
31.03.2019 को शेष	11.04	340.84	124.10	311.90	**787.88**
01.04.2018 को शेष	23.40	623.91	144.68	395.40	**1187.39**

4.1 वर्ष के अंत में स्टॉक में कन्वेयर बेल्ट, पावर केबल इत्यादि जैसे मदों को भंडार में पूंजीगत सामान के रूप में माना गया है और "संयंत्र और उपस्कर" शीर्ष के अधीन दर्शाया गया है ।

टिप्पणी-05 : गवेषण एवं मूल्यांकन परिसम्पत्ति

(रू. करोड़ में)

विवरण	गवेषण एवं मूल्यांकन लागत
सकल वहनीय राशि :	
01.04.2018 को शेष	939.04
वृद्धि	235.25
पूंजीकरण	-
अन्य समायोजन	-
31.03.2019 को शेष	**1174.29**
01.04.2019 को शेष	**1174.29**
वृद्धि	267.49
पूंजीकरण	-
अन्य समायोजन	15.48
31.03.2020 को शेष	**1457.26**
संचित प्रावधान एवं हानि-कमी	
01.04.2018 को शेष	-
वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया	-
वर्ष के दौरान अभिशून्यन	-
अन्य समायोजन	-
31.03.2019 को शेष	**-**
01.04.2019 को शेष	
वर्ष के दौरान कमी-हानि	
वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया	-
वर्ष के दौरान कमी-हानि	
निपटान/अपसरण	-
अन्य समायोजन	-
31.03.2020 को शेष	**-**
निवल वहनीय राशि	
31.03.2020 को शेष	1457.26
31.03.2019 को शेष	1174.29
01.04.2018 को शेष	939.04

5.1 कोयला निकालने की तकनीकी व्यवहार्यता एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता से पहले कोयला संसाधनों के अन्वेषण व मूल्यांकन के संबंध में हुए व्यय को अन्वेषण और मूल्यांकन सम्पत्ति के रूप में माना जाता है ।

टिप्पणी-06 : अमूर्त परिसम्पत्ति

(रू. करोड़ में)

विवरण	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	बिक्री के लिए कोयला ब्लॉक	अन्य	कुल
सकल वहनीय राशि				
01.04.2018 को शेष	-	10.27	-	10.27
वृद्धि	-	-	-	-
निपटान/अपसरण/समायोजन	-	-	-	-
31.03.2019 को शेष	**-**	**10.27**	**-**	**10.27**
01.04.2019 को शेष	-	10.27	-	10.27
वृद्धि	-	-	-	-
निपटान/अपसरण/समायोजन	-	-	-	-
31.03.2020 को शेष	**-**	**10.27**	**-**	**10.27**
परिशोधन एवं हानि-कमी				
01.04.2018 को शेष	-	-	-	-
वर्ष के लिए परिव्यय	-	-	-	-
वर्ष के दौरान हानि-कमी	-	-	-	-
निपटान/अपसरण/समायोजन	-	-	-	-
31.03.2019 को शेष	-	-	-	-
01.04.2019 को शेष	-	-	-	-
वर्ष के लिए परिव्यय	-	-	-	-
हानि-कमी	-	-	-	-
वर्ष के दौरान हानि-कमी	-	-	-	-
निपटान/अपसरण/समायोजन	-	-	-	-
31.03.2020 को शेष	**-**	**-**	**-**	**-**
निवल वहनीय राशि				
31.03.2020 को शेष	**-**	**10.27**	**-**	**10.27**
31.03.2019 को शेष	-	10.27	-	10.27
01.04.2018 को शेष	-	10.27	-	10.27

6.1 दातिमा (बिश्रामपुर क्षेत्र), बेहराबंद (हसदेव क्षेत्र), एवं बैसी ब्लाक (रायगढ़ क्षेत्र) पर हुए रू. 10.27 करोड़ (रू. 10.27 करोड़) के विकास व्यय एवं प्रास्पेक्टिंग व बोरिंग, जिसे बाह्य पार्टियों को बिक्री किए जाने की संभावना है, अमूर्त परिसम्पत्तियों के अधीन दर्शायी गई है । रजगामार डीप साईड (पुलकाडीह नाला का दक्षिण) तथा केसला नार्थ ब्लॉक को भी दूसरों को आबंटित किया जाना है । इसकी बिक्री से होने वाली आय इसकी लागत की तुलना में अधिक होने की संभावना है ।

टिप्पणी-7 : निवेश (टिप्पणी 38 (1) को संदर्भित करें)

(रू. करोड़)

गैर-चालू	नियंत्रक (प्रतिशत)	चालू वर्ष/(पिछले वर्ष) बाण्ड/ शेयरों की संख्या	चालू वर्ष/ (पिछले वर्ष) प्रति बाण्ड/ शेयरों का अंकित मूल्य	31.03.2020 को	31.03.2019 को
सहायक कम्पनियों में इक्विटी शेयर					
छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (रायपुर)	70.56	333724800 (201724800)	10.00 (10.00)	333.72	301.72
छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (रायपुर)	64.06	322880000 (322880000)	10.00 (10.00)	322.88	322.88
अंश विनियोग राशि जिसका आबंटन लंबित है					
निम्नलिखित के बाण्ड में निवेश :				89.47	-
उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड, बैकुंठपुर (छ.ग.)	-	250 (250)	10.00 (10.00)	-	-
कुल :				**746.07**	**624.60**
अनुद्धत निवेश का एकीकृत				746.07	624.60
उद्धत निवेश का एकीकृत				-	-
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य				-	-
निवेश के मूल्य में हानि-कमी की एकीकृत राशि				-	-

चालू	चालूवर्ष/(पिछले वर्ष) यूनिटों की संख्या	एनएवी (रू. में)	31.03.2020 को	31.03.2019 को
म्यूचुअल निधि निवेश				
एसबीआई म्यूचुअल फण्ड	1308.531 (213.612)	(1003.250)	0.13	0.02
यूटीआई म्यूचुअल फण्ड	1550.969 (1754.84)	1,019.446	0.16	0.18
महायोग			0.29	0.20
अनुद्धत निवेश का एकीकृत			-	-
उद्धत निवेश का एकीकृत			0.29	0.20
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य			0.29	0.20

टिप्पणी-8 : ऋण (वर्गीकरण हेतु टिप्पणी 38(1) को संदर्भित करें)

(रू. करोड़)

	31.03.2020		31.03.2019	
गैर-चालू				
अन्य ऋण				
- प्रतिभूतित उचित समझा गया [8.1 एवं 8.2]	110.20		60.47	
- अप्रतिभूतित उचित समझा गया	-		-	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
- क्रेडिट क्षति/ह्रास	0.07		0.07	
	110.27		60.54	
घटाईए : संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	0.07	110.20	0.07	60.47
कुल		**110.20**		**60.47**
चालू				
अन्य ऋण				
- प्रतिभूतित उचित समझा गया	0.89		0.58	
- अप्रतिभूतित उचित समझा गया	-		-	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
- क्रेडिट क्षति/ह्रास	-		-	
	0.89		0.58	
घटाईए : संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	-	0.89	-	0.58
कुल		**0.89**		**0.58**

8.1 अन्य ऋण में कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई गृह निर्माण ऋण, और कार ऋण शामिल है ।

8.2 तदन्तर, अन्य ऋण में अनुषंगियों (सीईआरएल एवं सीईडब्लूआरएल) को गैर-चालू ऋण शामिल है ।

सहायक कम्पनी का नाम	31.03.2020 तक		31.03.2019 तक	
	मूलधन	**ब्याज**	**मूलधन**	**ब्याज**
छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	-	-	-	-
छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल)	96.00	9.52	51.00	3.11
कुल	**96.00**	**9.52**	**51.00**	**3.11**

कंपनी ने दिनांक 01.03.2018 को एसबीआई एमसीएलआर से जुड़े ब्याज दर पर अपनी अनुषंगी कम्पनी मेसर्स सीईडब्लूआरएल को ऋण स्वीकृत किया तथा 50 आधारभूत अंको के साथ अप्रैल, 2018 में वितरित किया, जो तिमाही आधार पर 8.65 प्रतिशत प्रतिवर्ष होता है। ऋण अनुबंध/करार तैयार किया जा रहा है।

टिप्पणी-9 : अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां (संदर्भित टिप्पणी 38(1))

(रू.करोड़)

गैर-चालू	31.03.2020		31.03.2019	
बैंक में जमा		-		-
माईन क्लोजर प्लान के अधीन बैंक में जमा [9.4]		1,511.92		1,331.59
माईन क्लोजर व्यय के लिए प्राप्य योग्य [9.2]		74.97		142.21
अन्य जमा, खोज कार्यों एवं अन्य प्राप्तियों के लिए प्राप्य [9.1]	189.05		183.22	
घटाईए : संदेहात्मक जमा के लिए भत्ता	6.42	182.63	7.13	176.09
कुल		**1,769.52**		**1,649.89**
चालू				
कोल इंडिया लिमिटेड में अधिशेष निधि		1.16		-
माईन क्लोजर व्यय के लिए प्राप्य योग्य		203.79		51.34
एसईसीएल का सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता [9.3]		0.88		0.80
प्रोदभूत ब्याज		159.01		212.47
दावे एवं अन्य प्राप्य योग्य	700.99		658.93	
घटाइए : संदेहात्मक दावे के लिए भत्ता	1.60	699.39	2.97	655.96
कुल		**1,064.23**		**920.57**

9.1 अन्य जमा में जन उपयोगी सेवा अर्थात पीएंडटी,बिजली आदि हेतु जमा की गई राशि रू.181.65 करोड़(रू.176.09 करोड़) शामिल है।

9.2 कार्य-संचालन खदानों के लिए माईन क्लोजर व्यय हेतु प्राप्य को माईन क्लोजर कार्यकलापों के लिए चिन्हित किया गया है। सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रमाणीकरण पर, माईन क्लोजर प्लान के अधीन इस्क्रो लेखा में जमा राशि के आहरण हेतु दावा दायर किया जाएगा । तदन्तर, बंद/चलित खदानों के संबंध में माईन क्लोजर कार्यकलापों पर हुए अन्य व्यय की पहचान की जा रही है।

9.3 **सहायक/नियंत्रक कंपनियों के साथ चालू खाता :**

कोल इंडिया लिमिटेड एवं सहायक कम्पनियों के साथ चालू खाता शेष/जमा का नियमित अंतराल पर समाधान किया जाता है, तथा इसका तुलन-पत्र तारीख को समाधान किया गया । समाधान के फलस्वरूप नियमित रूप से समायोजन किया जाता है। नियंत्रक कंपनी एवं इसकी अन्य सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता लेनदेन की गणना/लेखा-जोखा,डेबिट/क्रेडिट मेमो के आधार पर किया जाता है जो ब्याज मुक्त होता है । हालांकि,राजस्व व्यय का समायोजन होने तक व्यवस्था किया जाता है ।

9.4 इस्क्रो लेखा में जमा राशि माईन क्लोजर प्लान स्कीम के अधीन जमा होने के कारण स्वतंत्र रूप से उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होती है ।

टिप्पणी-10 : अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां

(रू. करोड़)

	31.03.2020		31.03.2019	
(i) पूंजी अग्रिम	6.89		18.44	
घटाईए : संदेहात्मक ऋण व अग्रिम के लिए प्रावधान	0.45	6.44	0.45	17.99
(ii) पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिम				
(क) जन उपयोगी सेवा के लिए प्रतिभूतित जमा	-		-	
घटाईए : संदेहात्मक जमा के लिए प्रावधान	-	-	-	-
(ख) अन्य जमा एवं अग्रिम [10.1]	220.92		192.14	
घटाईए : संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	0.77	220.15	0.79	191.35
(ग) सम्बद्ध पार्टियों को अग्रिम		-		-
कुल		**226.59**		**209.34**

10.1 अन्य जमा में कर प्राधिकारियों एवं अन्य को विरोध स्वरूप जमा की गई राशि रू. 220.150 करोड़ (रू.191.35 करोड़) शामिल है।

टिप्पणी-11 : अन्य चालू परिसम्पत्तियां

(रू. करोड़)

	31.03.2020		31.03.2019	
(क) पूंजी के लिए अग्रिम	-			
घटाईए : संदेहात्मक अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-	-	-
(ख) राजस्व के लिए अग्रिम	34.09		50.81	
घटाईए : संदेहात्मक अग्रिम के लिए प्रावधान	-	34.09	-	50.81
(ग) सांविधिक देयक का अग्रिम भुगतान	-		-	
घटाईए : संदेहात्मक अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-	-	-
(घ) सम्बद्ध पार्टियों को अग्रिम		-		-
(ङ.) अन्य अग्रिम तथा जमा	17.88		5.61	
घटाईए : संदेहात्तक अग्रिम के लिए प्रावधान	-	17.88	-	5.61
(च) इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य योग्य		1235.37		883.47
कुल		**1287.34**		**939.89**

11.1 अन्य अग्रिम व जमा में कर्मचारियों को अग्रिम तथा पूर्वप्रदत्त व्यय शामिल है ।

टिप्पणी-12 : निवेश

(रू. करोड़)

	31.03.2020		31.03.2019	
(क) कोयले का स्टॉक [12.3]	796.35		469.67	
विकास के अधीन कोयला	10.35		-	
कोयले का स्टॉक (निवल)		806.70		469.67
(ख) स्टोर्स एवं स्पेयर्स का स्टॉक (लागत पर) [12.1]	278.61		278.75	
पारगमन में स्टोर्स	3.04		14.18	
स्टोर्स एवं स्पेयर्स का निवल भण्डार (लागत पर)		281.65		292.93
(ग) केन्द्रीय चिकित्सालय में दवाई का भण्डार		1.13		1.41
(घ) वर्कशॉप जॉब एवं प्रेस जॉब का निवल स्टॉक				
कार्य में प्रगति एवं निर्मित सामान		163.56		171.84
कुल		**1253.04**		**935.85**

12.1 केन्द्रीय एवं आंचलिक भण्डार में सामानों के इति भण्डार (निवल प्रावधान) को प्रगामी मासिक भारित औसत आधार पर वित्तीय लेजर में दिखाए जा रहे शेष के अनुसार लेखा में माना गया है।

12.2 सम्पत्ति सूची का मूल्य कारोबार के साधारण अनुक्रम में उगाही राशि के लगभग बराबर है, जैसा कि वर्णित है ।

12.3 कोयला स्टॉक के मात्रात्मक विवरण के लिए टिप्पणी-12 के परिशिष्ट को संदर्भित करें ।

टिप्पणी-12 का परिशिष्ट (31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए)

तालिका : ए

लेखा स्कंध के साथ लेखा में लिए गए कोयले के इति-भण्डार का समाधान **(मात्रा लाख टन में) (मूल्य रू. करोड़ में)**

विवरण	चालू अवधि/वर्ष						पिछले वर्ष					
	कुल भण्डार-बिक्री योग्य		डीसीसी (कोयला, कोयला चूर्ण, गैस इत्यादि)		कुल		कुल भण्डार-बिक्री योग्य		डीसीसी (कोयला, कोयला चूर्ण, गैस इत्यादि)		कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1 (क) प्रारंभिक भण्डार	92.56	464.28	0.22	9.89	92.78	474.17	79.37	485.75	1.18	52.97	80.55	538.72
(ख) प्रारंभिक भण्डार में समायोजन												
कुल	**92.56**	**464.28**	**0.22**	**9.89**	**92.78**	**474.17**	**79.37**	**485.75**	**1.18**	**52.97**	**80.55**	**538.72**
2 उत्पादन*	1505.46						1573.49					
उप-योग (1+2)	1598.02						1652.86					
3 **उठाव (ऑफटेक)**												
(क) बाह्य प्रेषण**	1419.03	16838.93	0.00	11.15	1419.03	16850.08	1560.21	19724.12	0.00	37.87	1560.21	19761.99
(ख) बाह्य प्रेषण विकास खदान	0.23											
(ग) स्वयं का खपत [1]	0.10	3.56			0.10	3.56	0.09	3.21			0.09	3.21
उप-योग (3)	**1419.36**	**16842.49**	**0.00**	**11.15**	**1419.13**	**16853.64**	**1560.30**	**19727.33**	**0.00**	**37.87**	**1560.30**	**19765.20**
4 प्राप्त भण्डार#	178.66	801.43	0.23	10.24	178.89	811.67	92.56	464.28	0.22	9.89	92.78	474.17
5 मापित भण्डार#	174.96	784.13	0.22	10.12	175.18	794.25	91.02	456.05	0.22	9.87	91.24	465.92
अंतर-कमी/ (अधिकता) (4-5)	3.70	17.30	0.01	0.12	3.71	17.42	1.54	8.23	0.00	0.02	1.54	8.25
6 **अंतर का ब्यौरा :**												
(क) कमी 5% के भीतर	3.01	13.25	0.01	0.12	3.02	13.37	0.85	4.44	0.00	0.02	0.85	4.46
(ख) अधिकता 5% के अंदर	0.10	0.92	0.00	0.00	0.10	0.92	0.09	0.71	0.00	0.00	0.09	0.71
(ग) कमी 5% से ऊपर##	0.79	4.97	0.00	0.00	0.79	4.97	0.78	4.50	0.00	0.00	0.78	4.50
(घ) अधिकता 5% से ऊपर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 **लेखा में इति भण्डार (5+6क-6ख)**	**177.87**	**796.46**	**0.23**	**10.24**	**178.10**	**806.70**	**91.78**	**459.78**	**0.22**	**9.89**	**92.00**	**469.67**

* उत्पादन में गारे पेलमा IV/2 व 3 खुली खान से 26.59 लाख टन तथा गारे पेलमा IV/1 से 7.62 लाख टन शामिल है ।

** बाह्य प्रेषण में गारे पेलमा IV/2 व 3 खदान से संबंधित कोयले की बिक्री 28.88 लाख टन (32.00 लाख टन), निवल विक्रय (निवल लैवी) रू. 338.35 करोड़ (रू.550.83 करोड) निवल विक्रय तथा गारे पेलमा IV/1 का 8.21 लाख टन (18.39 लाख टन) कोयले की बिक्री रू. 70.45 करोड़ (रू.300.78 करोड) शामिल है, जिसके लिए कोल इंडिया लि. को दिनांक 01.04.2015 से पदनामित नियंत्रक के रूप में नियंत्रक नामित किया गया है

स्टाक में 3.99 करोड़ राशि का 1.57 लाख टन कोयला गारे पेलमा IV/2 व 3 में रखा हुआ है तथा रू. 0.00 करोड़ राशि का 0.00 लाख टन कोयला गारे पेलमा IV/1 में रखा हुआ है, शामिल है, जिसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड को पदनामित नियंत्रक के रूप में नामित किया गया है तदन्तर, इति भण्डार में रायगढ़ क्षेत्र के जामपाली ओसी से संबंधित रू. 1.41 करोड़ राशि का 0.29 लाख टन आग प्रभावित कोयले का स्टॉक शामिल है।

प्राप्य भण्डार की तुलना में मापित भण्डार 5-प्रतिशत के ऊपर है, जिसमें आमगाव खुली खदान (बिश्रामपुर क्षेत्र) का रू. 2.50 करोड़ राशि का 0.11 लाख टन तथा जामपाली खुली खदान (रायगढ़ क्षेत्र) का रू. 2.47 करोड़ राशि का 0.68 लाख टन कोयला शामिल है ।

टिप्पणी-12 का परिशिष्ट (31.03.2020)

तालिका : बी

कोयले के इति-भण्डार का सारांश **(मात्रा लाख टन में) (मूल्य रू. करोड़ में)**

विवरण	चालू अवधि/वर्ष						पिछले वर्ष					
	कच्चा कोयला नान-कोकिंग		डीसीसी (कोयला, कोयला चूर्ण, गैस इत्यादि)		कुल		कच्चा कोयला नान-कोकिंग		डीसीसी (कोयला, कोयला चूर्ण, गैस इत्यादि)		कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिक भण्डार	92.56	464.28	0.22	9.89	92.78	474.17	79.37	485.75	1.18	52.97	80.55	538.72
घटाईए- गैर-बिक्री योग्य कोयला	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
समायोजित प्रारंभिक भण्डार (बिक्री योग्य)	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
उत्पादन	1505.46						1573.49					
उठाव (ऑफटेक)												
(क) बाह्य प्रेषण	1419.26	16838.93		11.15	1419.26	16850.08	1560.21	19724.12		37.87	1560.21	19761.99
(ख) वाशरी को कोयला	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
(ग) स्वयं खपत [1]	0.10	3.56			0.10	3.56	0.09	3.21			0.09	3.21
कुल	**1419.36**	**16842.49**		**11.15**	**1419.36**	**16853.64**	**1560.30**	**19727.33**		**37.87**	**1560.30**	**19765.20**
इति भण्डार *	178.66	801.43	0.23	10.24	178.89	811.67	92.56	464.28	0.22	9.89	92.78	474.17
घटाईए- कमी	0.79	4.97	0.00	0.00	0.79	4.97	0.78	4.50	0.00	0.00	0.78	4.50
इति भण्डार *	**177.87**	**796.46**	**0.23**	**10.24**	**178.10**	**806.70**	**91.78**	**459.78**	**0.22**	**9.89**	**92.00**	**469.67**

* गैर-बिक्री योग्य भण्डार - शून्य

टिप्पणी-13 : व्यापारिक प्राप्य (वर्गीकरण हेतु टिप्पणी 38(2) को संदर्भित करें)

(रू. करोड़)

	31.03.2020		31.03.2019	
चालू				
(i) व्यापारिक प्राप्य [13.1]				
- प्रतिभूतित उचित समझा गया [13.2]	44.67		34.50	
- अप्रतिभूतित उचित समझा गया [13.4]	1609.13		353.17	
- क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	385.79		292.90	
	2039.59		680.57	
घटाईए : अशोध्य एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	385.79	1653.80	292.90	387.67
कुल		**1653.80**		**387.67**

13.1 कारोबार के साधारण अनुकम में प्रतिभूतित व्यापारिक प्राप्य उगाही मूल्य राशि के लगभग बराबर है, जैसा कि वर्णित है।

13.2 व्यापारिक प्राप्य या तो जमा द्वारा या बैंक गारंटी के माध्यम से उपलब्ध सीमा तक प्रतिभूतित है।

13.3 कोई भी व्यापार या अन्य प्राप्य कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से या किसी भी अन्य व्यक्तियों के साथ पृथक-पृथक या संयुक्त रूप से देय नहीं है और कोई भी व्यापार या अन्य प्राप्य किसी भी प्रतिष्ठान या निजी कम्पनियों से क्रमशः देय नहीं है, जिसमें कोई भी निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य हो ।

13.4 कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता के लिए रू. 100.67 (रू. 1013.20 करोड) के प्रावधान को व्यापारिक प्राप्य के विरूद्ध समायोजित किया गया है।

टिप्पणी-14 : नगद एवं नकद समकक्ष (टिप्पणी 38(1) को संदर्भित करें)

(रू- करोड़)

	31-03-2020	31-03-2019
(क) बैंक में शेष		
- जमा खाता में	-	-
- चालू खाता में		
(क) ब्याज संबंधी (सीएलटीडी खाता आदि)*	37.12	28.46
(ख) गैर ब्याज संबंधी**	2.37	130.97
- नकद क्रेडिट खाता में	-	-
(ख) भारत के बाहर बैंक में शेष		
(ग) स्वयं के पास चेक,ड्राफ्ट और स्टाम्प		
(घ) स्वयं के पास नकदी	-	-
(ड़) भारत के बाहर स्वयं के पास नकदी	-	-
(च) अन्य	-	-
कुल नकद एवं नकद समकक्ष	**39.49**	**159.43**
(छ) **बैंक ओव्हरड्राफ्ट-**	-	-
कुल नकद एवं नकद समकक्ष (बैंक ओव्हरड्राफ्ट का निवल)	**39.49**	**159.43**

* चालू खाता में (ब्याज संबंधी) सीएलटीडी, स्वीप खाता, आरएलटीडी आदि का समावेश है ।

** चालू खाता (गैर ब्याज संबंधी) में बैंकिंग अवधि/घंटा की समाप्ति पश्चात देनदारों से प्राप्त रू. 2.31 करोड़ (रू. 85.68 करोड़) शामिल है।

14.1 नकद एवं नकद समकक्ष में स्वयं के पास एवं बैंक में नकदी, स्वीप खाता एवं टर्म डिपाजिट, जो तीन माह या कम की मूल परिपक्वता के साथ बैंक में रखा हुआ है, समावेशित है ।

14.2 उधार, गारंटी,अन्य प्रतिबद्धताओं के विरूद्ध मार्जिन मनी या सुरक्षा निधि के रूप में रखी गई सीमा तक बैंक में शेष ''शून्य'' है । कंपनी के नगद एवं बैंक-शेष के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं है ।

टिप्पणी-15 : अन्य बैंक शेष (टिप्पणी 38(1) को संदर्भित करें)

(रू. करोड़)

	31-03-2020	31-03-2019
बैंक में शेष		
जमा खाता में [15.2 व 15.3]	3966.50	4631.85
माईन क्लोजर प्लान [9.5]	-	-
कुल	**3966.50**	**4631.85**

15.1 जमा राशि के रूप में बैंक में शेष के अंतर्गत बैंक में शेष शामिल है, जिसकी परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक किंतु 12 माह से कम है ।

15.2 बैंक में जमा खाता के अंतर्गत कंपनी द्वारा रखी गई रू. 519.48 करोड़ (रू. 464.05 करोड़) की राशि को एक अलग बैंक खाता में जमा किया गया है, जिसे आपूर्तिकर्ताओं के विस्फोटक बिलों से तथा उपभोक्ताओं से टर्मिनल कर के लिए वसूला गया है ।

15.3 जमा खाता में जमा राशि के अंतर्गत मियादी जमा रू. 3443.39 करोड़ (रू. 2125.93 करोड़) शामिल है, जोकि बैंकों से ओव्हरड्राफ्ट सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए रेहन/गिरवी है, और यह रेहन/गिरवी रखे गए उक्त मियादी जमा के विरूद्ध समायोजन-योग्य है। तुलन पत्र तारीख को ओव्हरड्राफ्ट की बकाया शेष राशि रू. 1724.93 करोड़ (रू. 730.47 करोड़) थी।

टिप्पणी-16 : इक्विटी अंश पूंजी

(रू. करोड़)

		31-03-2020	31-03-2019
	अधिकृत		
(i)	रू. 1000/- प्रत्येक का 1,00,00,000(1,00,00,000) इक्विटी शेयर	1000.00	1000.00
		1000.00	**1000.00**
	निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
	रू. 1000/- प्रत्येक का 6680561 (6680561) इक्विटी शेयर	668.06	668.06
		668.06	**668.06**

16.1 5-प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक अंशधारकों द्वारा रखे गए कंपनी में शेयर

अंशधारक का नाम	रखे गये शेयरों की संख्या (रू. 1000 प्रत्येक का अंकित मूल्य)	कुल शेयरों का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड ''नियंत्रक कम्पनी'' एवं इसके नामिनी		
31.03.2020 तक	6680561	100
31.03.2019 तक	6680561	100

16.2 लेटर ऑफ ऑफर दिनांक 28.01.2019 के अनुसार कंपनी ने टेण्डर ऑफर के माध्यम से पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक रू. 1000 अंकित मूल्य के अपने 490039-नग इक्विटी शेयरों को वापस खरीदा तथा 2018-19 (09.02.2019 को) में इन शेयरों को विलोपित/निष्प्रभावी किया । इस तरह वापस खरीदी पश्चात पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों की दिनांक 31.03.2019 को संख्या 66,80,651 है ।

16.3 वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने 7:5 अनुपात (वर्तमान 5 शेयरों को 7 बोनस शेयर) में वर्तमान इक्विटी अंश धारकों को 41,82,850 बोनस इक्विटी शेयर जारी किये, जिसकी आबंटन तारीख 21.03.2018 थी ।

16.4 हालाकि, लेटर ऑफ आफर दिनांक 12.03.2017 के अनुसरण में कंपनी ने वर्ष 2016-17 में निविदा प्रस्ताव (टेंडर आफर) के माध्यम से पूर्णतः प्रदत्त रू. 1000/- प्रति अंकित मूल्य के अपने 6,09,250 इक्विटी शेयरों को वापस खरीदा तथा इन शेयरों को निष्प्रभावी किया । इस तरह वापस खरीदी के बाद 31.03.2017 को पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या 29,87,750 हो गई थी।

16.5 कंपनी के पास रू. 1000/- प्रति अंकित मूल्य का केवल एक श्रेणी का ही इक्विटी शेयर है । इक्विटी शेयर धारक समय-समय पर यथा-घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं तथा वे अंशधारकों की बैठक में अपने शेयर-होल्डिंग के लिए मताधिकार के हकदार हैं ।

टिप्पणी-17 : अन्य इक्विटी

(रू- करोड़)

	तरजीह अंश पूंजी	पूंजी विमोचन संचय	पूंजी संचय	सामान्य संचय	प्रतिधारित अर्जन				कुल
					कर पश्चात लाभ	पसिम्पत्ति या देयताओं के मापन पर लाभ	अन्य व्यापक आय	कुल प्रतिधारण अर्जन एवं ओसीआई	
01.04.2018 को शेष	-	0.00	0.00	2176.03	73.54	0.00	271.93	345.47	2521.50
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	-			-
लेखा नीति में परिवर्तन या	-	-	-	-	-	-			-
पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-	-	-			-
01.04.2018 को पुनःवर्णित शेष	-	-	-	2176.03	73.54	-	271.93	345.47	2521.50
अन्य संचय/प्रतिधारित अर्जन से अंतरित	-	-	-	180.58	-	-	-	-	180.58
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	-	3611.55	-	12.89	3624.44	3624.44
विनियोग								-	-
सामान्य संचय में अंतरित	-	-	-	-	(180.58)	-	-	(180.58)	(180.58)
अन्य संचय में अंतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	(2326.61)	-		(2326.61)	(2326.61)
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कार्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	(478.24)	-	-	(478.24)	(478.24)
कोई अन्य परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी[17.3]	-	49.00	-	(426.28)	-	-	-	-	(377.28)
31.03.2019 को शेष	-	49.00	-	1930.33	699.66	-	284.82	984.48	2963.81
01.04.2019 को शेष	-	49.00	-	1930.33	699.66	-	284.82	984.48	2963.81
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	-			-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-			-
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियों	-	-	-	-	-	-			-
01.04.2019 को पुनःवर्णित शेष	-	49.00	-	1930.33	699.66	-	284.82	984.48	2963.81
प्रतिधारित अर्जन में अंतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य संचय/प्रतिधारित अर्जन से अंतरित	-	-	-	86.75	-	-		-	86.75
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	-	1734.92	-	(352.43)	1382.49	1382.49
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य संचय में अंतरित	-	-	-	-	(86.75)	-	-	(86.75)	(86.75)
अन्य संचय में अंतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	(1617.52)	-	-	(1617.52)	(1617.52)
कार्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	(332.49)	-	-	(332.49)	(332.49)
इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2020 तक शेष	-	49.00	-	2017.08	397.82	-	(67.61)	330.21	2396.29

17.1 **अधिकृत तरजीह अंश पूंजी :**

प्रत्येक रू. 1000/- के 30,00,000 (30,00,000) का 10-प्रतिशत संचित विमोच्य तरजीह शेयर, जिसकी राशि रू. 300.00 करोड़ (रू.300.00 करोड़) है - पूर्वतम परिशोधन शर्तो के अनुसार वर्ष 2003-04 में परिशोधित किया गया।)

17.2 **निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त तरजीह अंश पूंजी : शून्य**

17.3 426.28 करोड़ में वापस खरीदी मान्य रू.355.00 करोड़ एवं आयकर अधिनियम,1961 की धारा 115क्यूए के अधीन रू.71.28 करोड़ कर शामिल है।

टिप्पणी-18 : उधार

(रू. करोड़)

	31.03.2020	31.03.2019
गैर-चालू		
आवधि ऋण		
बैंक से	-	-
अन्य पार्टियों से	-	-
सम्बद्ध पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण		
कुल	**-**	**-**
वर्गीकरण 1		
प्रतिभूतित	-	-
अप्रतिभूतित	-	-
चालू		
मांग पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण		
बैंक से [18.1]	1724.93	730.47
कोल इंडिया लिमिटेड से	-	-
सम्बद्ध पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	**1724.93**	**730.47**
वर्गीकरण 1		
प्रतिभूतित	1724.93	730.47
अप्रतिभूतित	-	-

18.1 बैंकों से ऋण में बकाया राशि ओव्हरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए रेहन/गिरवी रू. 3443.39 करोड़ (रू.2125.93 करोड़) की मियादी जमा (एफडी) से संबंधित है, जो रेहन/गिरवी एफडी के विरूद्ध समायोजन-योग्य है।

टिप्पणी-19 : व्यापारिक देय (वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 38(1) को संदर्भित करें)

(रू. करोड़ में)

चालू	31.03.2020	31.03.2019
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए व्यापारिक देय [19.1]	3.08	4.34
अन्य व्यापारिक देय के लिए		
- स्टोर्स एवं स्पेयर्स	144.96	149.06
- बिजली एवं ईंधन	79.80	78.96
- वेतन मजदूरी एवं भत्तों के लिए देयता	441.35	431.25
- अन्य [19.2]	1346.73	1138.83
कुल	**2015.92**	**1802.44**

19.1 व्यापारिक देय रू. 3.08 करोड़ (रू. 4.34 करोड़) में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विलंबित भुगतान की देय मूलधन राशि रू. 0.00 करोड़ (रू. 0.00 करोड़) है तथा उस पर देय ब्याज रू. 0.00 (रू. 0.00 करोड़) है।

अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अवधि के दौरान सभी विलंबित भुगतानों पर भुगतान किया गया कुल ब्याज रू. 0.00 करोड़ (रू. 0.00 करोड़) है।

अवधि/वर्ष के दौरान नियत तारीख के बाद भुगतान की गई मूल राशि पर देय ब्याज किंतु इस अधिनियम के अधीन बिना ब्याज राशि रू. 0.00 करोड़ (रू. 0.00 करोड़) है।

प्रोद्भूत ब्याज जो देय नहीं है, रू.0.00 करोड़ है (वर्ष/अवधि की समाप्ति/अंत में परिलक्षित प्रौद्भूत ब्याज जो ब्याज के रूप में देय नहीं है, का परिकलन नियत तारीख से मासिक बकाया दर पर किया जाता है)

सकल देय ब्याज जिनका भुगतान नहीं किया गया है, वह रू. 0.00 करोड़ (0.00 करोड़) है, पूर्व के वर्ष (वर्षों) से उस दिनांक तक जबकि वास्तव में लघु उद्यमों को ब्याज का भुगतान किया गया था, तक की अवधि का सकल ब्याज बकाया देय राशि परिलक्षित करता है।

19.2 अन्य में संविदा कार्य एवं अन्य व्यय से संबंधित देयताएं शामिल हैं।

टिप्पणी-20 अन्य वित्तीय देयताएं

(रू. करोड़ में)

गैर-चालू	31.03.2020	31.03.2019
सुरक्षा जमा	254.34	275.33
बयाना जमा राशि	-	-
अन्य [20.1]	593.84	534.48
	846.18	**809.81**
चालू		
सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड के साथ चालू खाता	-	27.83
दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता	-	-
अप्रदत्त लाभांश	-	-
सुरक्षा जमा	332.79	265.17
बयाना राशि	35.09	86.58
पूंजीगत सामाग्री के लिए देयता	183.38	214.04
अन्य [20.2]	304.56	285.16
कुल	**855.82**	**878.78**

20.1 593.84 करोड़ (रू. 534.48 करोड़) में विभिन्न न्यायालयों/मध्यस्थ के समक्ष मामला लंबित होने के कारण ग्राहकों एवं कर्मचारियों से प्राप्त/वसूल की गई राशि व उक्त देयताओं से संबंधित बैंक में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि रू.587.62 करोड़ (रू. 527.92 करोड़) शामिल है।

20.2 अन्य में पीएफ/पेंशन प्राधिकारियों को भुगतान से संबंधित देयताएं तथा उपभोक्ताओं द्वारा कम-लदाई एवं गुणवत्ता आदि के लिए दावा के कारण उपलब्ध कराई गई देयता शामिल है।

टिप्पणी-21 : प्रावधान

(रू. करोड़ में)

गैर-चालू	31.03.2020	31.03.2019
कर्मचारी लाभ		
- ग्रेच्युटी	-	-
- अवकाश नकदीकरण	373.25	346.34
- अन्य कर्मचारी लाभ [21.4]	475.77	312.43
स्थल भरण/माईन क्लोजर [21.3]	1283.71	1213.37
स्ट्रीपिंग कार्यकलाप समायोजन [21.1]	11688.89	10052.23
अन्य	-	-
कुल	**13821.62**	**11924.37**
चालू		
कर्मचारी लाभ के लिए		
- ग्रेच्युटी	295.34	133.82
- अवकाश नकदीकरण	76.15	61.75
- अनुग्रह राशि	357.59	331.08
- कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	218.55	169.46
- कर्मचारी अन्य लाभ [21.2]	94.03	183.06
- एनसीडब्लूए-10	-	-
- वेतन पुनरीक्षण - अधिकारी	-	-
कुल	**1041.66**	**879.17**

21.1 स्ट्रीपिंग कार्यकलाप समायोजन में आस्थगित स्ट्रीपिंग कार्यकलाप व्यय एवं अन्य स्ट्रीपिंग कार्यकलापों का समायोजन शामिल है ।

21.2 अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान में 6.99 प्रतिशत की दर पर अधिवर्षिता लाभ से संबंधित रू. 25.22 करोड़ (रू. 141.58 करोड) शामिल है, जो तुलन पत्र तारीख तक गैर-निधिक है । तुलन पत्र तारीख तक रू. 353.14 करोड़ (रू. 180.91 करोड़) की राशि सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में उपलब्ध कराई गई ।

21.3 **माईन क्लोजर के लिए प्रावधान :**

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सरफेस एवं भूमिगत दोनों खानों के लिए बनी संरचनाओं को बंद करने एवं भूमि पुनरुद्धार का दायित्व कंपनी का है। अपेक्षित कार्य के निष्पादन में भविष्य में लगने वाले समय एवं धनराशि के विस्तृत तकनीकी आकलन एवं गणना के आधार पर माईन क्लोजर, स्थल पुनरूद्धार तथा डिकमीशनिंग के लिए दायित्व का तत्पश्चात आकलन किया जाता है। माईन क्लोजर व्यय अनुमोदित माईन क्लोजर योजना के अनुसार ही किया जाता है। व्यय का आकलन मुद्रास्फीति के लिए किया जाता है और तब छूट की दर पर छूट (8-प्रतिशत की दर पर) दी जाती है जो धनराशि के सामयिक मूल्य तथा जोखिमों के वर्तमान बाजार निर्धारण को इस प्रकार परिलक्षित करती है कि प्रावधान की राशि दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित आवश्यक खर्चों के वर्तमान मूल्य को परिलक्षित करे। प्रावधान के मूल्य में समय के साथ उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, क्योंकि डिस्काउंटिंग अनवाईंडिंग का प्रभाव, वित्तीय व्यय के रूप में मान्य व्यय का सृजन करना है । उपर्युक्त दिशानिर्देशों के संदर्भ में, माईन क्लोजर योजना तैयार करने के लिए, इस्क्रो एकाउंट खोला गया। (संदर्भ टिप्पणी-9)

टिप्पणी-21 : प्रावधान (क्रमशः)

भूमि सुधार/स्थल पुनरूद्धार भराई/माईन क्लोजर का समाधान :	31.03.2020	31.03.2019
अंतिम दिनांक को स्थल पुनरूद्धार परिसम्पत्ति का समग्र मूल्य	782.74	782.74
जोड़िएः पिछली अंतिम दिनांक तक प्रभारित प्रावधान की अनवाईंडिंग (पूंजीकृत सहित)	568.65	487.96
जोड़िए : चालू वर्ष के लिए प्रभारित प्रावधान की अनवाईंडिंग (पूंजीकृत सहित)	80.48	80.69
अंतिम दिनांक तक समायोजित इस्क्रो खाता से आहरण	(148.16)	(138.02)
माईन क्लोजर प्रावधान	**1283.71**	**1213.37**

इस्क्रो खाता शेष	31.03.2020	31.03.2019
प्रारंभिक दिनांक को इस्क्रो खाता में शेष (चालू/गैर-चालू)	1331.59	1122.69
जोड़िए : चालू वर्ष के दौरान जमा किया गया अतिशेष	119.20	179.21
जोड़िए : वर्ष के दौरान क्रेडिट की गई ब्याज	71.27	60.18
घटाईए : चालू वर्ष के दौरान आहरित राशि	(10.14)	(30.49)
इति तारीख को इस्क्रो खाता में शेष (चालू/गैर-चालू)	1511.92	1331.59

21.4 कंपनी ने अधिकारियों हेतु पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल लाभ के लिए कोल इंडिया लिमिटेड में अनुरक्षित सीपीआरएमएस निधि के लिए रू. 106.24 करोड़ (रू. 106.24) का अंशदान दिया। अवधि/वर्ष के दौरान सीपीआरएमएस निधि से 1.37 करोड़ के चिकित्सा लाभ दावे की प्रतिपूर्ति की गई।

कंपनी ने 01.01.2007 के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल लाभ के संबंध में कोल इंडिया लिमिटेड में अनुरक्षित सीपीआरएमएस निधि के लिए रू. 19.59 करोड़ (रू. 19.59) का अंशदान दिया। अवधि/वर्ष के दौरान सीपीआरएमएस निधि से 3.14 करोड़ के चिकित्सा लाभ दावे की प्रतिपूर्ति की गई।

टिप्पणी-22 : अन्य गैर-चालू देयताएं

(रू. करोड़)

	31.03.2020	31.03.2019
आस्थगित आय	0.40	0.46
शिफ्टिंग एवं पुनर्स्थापना निधि	-	-
	0.40	**0.46**

टिप्पणी-23 : अन्य चालू देयताएं

(रू. करोड़ में)

	31.03.2020	31.03.2019 तक
पूंजी व्यय	-	-
सांविधिक देयक	1202.93	1288.06
ग्राहक/अन्य से अग्रिम [23.1]	4544.41	4125.08
अन्य देयताएं [23.2]	-	-
कुल	**5747.34**	**5413.14**

23.1 ग्राहकों व अन्य से अग्रिम में रजगामार डिप साईड (देवनारा कोल ब्लॉक) के गवेषण की प्राप्य लागत के संबंध में देवनारा कोलफील्ड्स लिमिटेड से प्राप्त रू. 15.48 करोड़ शामिल है ।

23.2 अन्वेषक शिक्षा एवं संरक्षा निधि में भुगतान के लिए कोई अप्रदत्त लाभांश राशि देय नहीं है ।

टिप्पणी-24 : ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व

(रू. करोड़)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
क	**कोयले की बिक्री/सेवाएं**		27086.06		31368.72
	उत्पाद-शुल्क		-		-
	घटाईए : सांविधिक लेवी		10235.98		11606.73
	कोयले इत्यादि की बिक्री (निवल) (कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता के समायोजन पश्चात) **(क)** [24.1, 24.2 एवं 24.3]		**16850.08**		**19761.99**
ख	अन्य संचालन संबंधी राजस्व				
	बालू भराई एवं संरक्षा कार्य हेतु सहायता		0.76		7.64
	लदाई एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार	777.83		873.42	
	घटाईए : लेवी	37.05	740.78	43.21	830.21
	निकास सुविधा प्रभार	**617.18**		**678.41**	
	घटाईए : लेवी	**29.40**	**587.78**	**32.73**	**645.68**
	अन्य संचालन संबंधी राजस्व (ख)		**1329.32**		**1483.53**
	संचालन से राजस्व (क+ख)		**18179.40**		**21245.52**

24.1 चालू वर्ष के निवल विक्रय (निवल लैवी) में गारे पेलमा IV/2 व 3 खदान से संबंधित 28.88 लाख टन (32.00 लाख टन) कोयले के विक्रय की राशि रू. 338.35 करोड़ (रू. 550.83 करोड़) तथा गारे पेलमा IV/1 खदान की 8.21 लाख टन (18.39 लाख टन) कोयले के विक्रय की राशि रू. 70.45 करोड़ (रू. 300.78 करोड़) शामिल है, जिसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड को दिनांक 01.04.2015 से पदनामित नियंत्रक के समरूप नियंत्रक नियुक्त किया गया है ।

24.2 विसमूहन राजस्व सूचना - अगले पृष्ठ पर टिप्पणी-24 के अनुलग्नक को संदर्भित करें ।

24.3 कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता के लिए प्रावधान का समायोजन विक्रय रू. -912.53 करोड़ (रू. 204.76 करोड़) के विरूद्ध किया गया ।

टिप्पणी-24 का अनुलग्नक (31.09.2019)

विसमूहन राजस्व सूचना

(रू. करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वस्तु या सेवाओं का प्रकार		
- कोयला	16838.93	19724.12
- अन्य	11.15	37.87
ग्राहकों के साथ संविदा/करार से कुल राजस्व	**16850.08**	**19761.99**
ग्राहकों का प्रकार		
- पावर सेक्टर	10769.60	12842.91
- गैर-पावर सेक्टर	6069.33	6881.21
- अन्य या सेवाएं	11.15	37.87
ग्राहकों के साथ संविदा/करार से कुल राजस्व	**16850.08**	**19761.99**
संविदा का प्रकार		
- एफएसए/एमओयू	14510.26	17106.37
- ई-आक्शन	2328.67	2617.75
- अन्य	11.15	37.87
ग्राहकों के साथ संविदा से कुल राजस्व	**16850.08**	**19761.99**
वस्तु या सेवा का समय		
- समय पर स्थल में स्थानांतरित माल	16850.08	19761.99
- समयोपरि स्थानांतरित माल	-	-
- समय पर स्थल में स्थानांतरित सेवाएं	-	-
- समयोपरि स्थानांतरित सेवाएं	-	-
ग्राहकों के साथ संविदा से कुल राजस्व	**16850.08**	**19761.99**

टिप्पणी 25 : अन्य आय

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	525.05	408.87
अनुषंगियों में निवेश	-	-
म्यूचुअल निधि से लाभांश	21.27	43.85
अन्य गैर-संचालित आय	-	
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	3.72	1.73
लीज किराया	19.20	12.95
लायबिलिटी राईट-बैक	219.19	78.12
अन्य	44.03	65.68
कुल	**832.46**	**611.20**

टिप्पणी 26 : खपत सामग्री की लागत

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	298.52	327.19
टिम्बर	4.96	3.66
आयल एवं लुब्रिकेंट्स	539.31	551.19
एचईएमएम स्पेयर्स	211.57	213.11
अन्य खपत योग्य सामग्री एवं अतिरिक्त पुर्जे	429.49	453.48
कुल	**1483.85**	**1548.63**

टिप्पणी 27 : विनिर्मित सामानों, कार्य में प्रगति की सम्पत्ति सूची में परिवर्तन

(रू. करोड़)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क	**कोयला**		
	प्रारंभिक भण्डार	469.67	525.50
	इति भण्डार	796.35	469.67
	कोयले की सम्पत्ति सूची में परिवर्तन (क)	**(326.68)**	**55.83**
ख	**वर्कशाप विनिर्मित सामानों एवं कार्य में प्रगति**		
	प्रारंभिक भण्डार [27.1]	171.84	161.40
	घटाईए :		
	इति भण्डार	163.56	171.84
	वर्कशाप की सम्पत्ति सूची में परिवर्तन (ख)	**8.28**	**(10.44)**
घ	**व्यापारिक स्कंध की सम्पत्ति सूची में परिवर्तन (क+ख) (कमी/(वृद्धि)**	**(318.40)**	**45.39**

टिप्पणी 28 : कर्मचारी लाभ व्यय (टिप्पणी 38.3 को संदर्भित करें)

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस इत्यादि	5776.54	5832.04
पीएफ एवं अन्य निधि में अंशदान	1650.35	1558.96
कर्मचारी कल्याणकारी व्यय	756.71	784.10
	8183.60	**8175.10**

टिप्पणी 29 : निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
सीएसआर व्यय	84.65	83.55
कुल	**84.65**	**83.55**

कंपनी अधिनियम, 2013 एवं अन्य संबंधित अधिसूचनाओं की विशेषताओं का समावेशन कर कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सीएसआर नीति बनाई गई। सीएसआर के लिए निधि तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के औसत निवल लाभ का 2-प्रतिशत या पिछले वर्ष के कुल कोयला उत्पादन का रू. 2.00 प्रतिटन, जो भी अधिक हो, रू. 83.85 करोड़ (रू. 81.04 करोड़) होता है। तदन्तर, रू. 182.72 करोड़ की राशि समाप्त योग्य नहीं है।

टिप्पणी 30 : मरम्मत

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
भवन	17.92	21.49
संयंत्र एवं मशीनरी	153.04	139.16
अन्य	3.28	4.24
कुल	**174.24**	**164.89**

30.1 अन्य में भवन व संयंत्र तथा मशीनरी के अलावा मरम्मत मद पर हुआ मरम्मत व्यय शामिल है ।

टिप्पणी 31 : संविदा/ठेका व्यय

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन प्रभार		
- बालू	-	-
- कोयला	924.47	928.01
- स्टोर्स एवं अन्य	-	-
वैगन लदाई	27.29	28.84
पीएंडएम का किराया	650.62	673.25
अन्य ठेका संबंधी कार्य	1008.68	967.09
कुल	**2611.06**	**2597.19**

टिप्पणी 32 : वित्त लागत

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज व्यय		
उधार	2.54	1.97
ब्याज की अनवाईंडिंग	80.47	(6.43)
विनिमय दर में भिन्नता के कारण हानि	-	-
अन्य	38.50	0.68
अन्य उधार लागत	-	-
कुल	**121.51**	**(3.78)**

टिप्पणी 33 : प्रावधान (निवल अभिशून्यन)

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) निम्नलिखित के लिए प्रावधान		
संदेहात्मक ऋण	92.89	-
कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता [33.1]	-	-
संदेहात्मक अग्रिम एवं दावे	-	-
स्टोर्स एवं स्पेयर्स	-	5.99
अन्य	10.14	-
कुल (क)	**103.03**	**5.99**
(ख) अभिशून्यन प्रावधान		
संदेहात्मक ऋण	-	80.24
कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता [33.1]	-	-
संदेहात्मक अग्रिम एवं दावे	2.10	-
स्टोर्स एवं स्पेयर्स	6.89	-
अन्य	-	36.06
कुल (ख)	**8.99**	**116.30**
कुल (क-ख)	**94.04**	**(110.31)**

टिप्पणी 34 : बट्टा खाता (पिछले प्रावधान का निवल)

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
संदेहात्मक ऋण	-	-
घटाईए : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
संदेहात्मक अग्रिम	-	-
घटाईए : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
कोयले का भण्डार	-	-
घटाईए : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
अन्य	0.40	-
घटाईए : पूर्व में उपलब्ध कराया गया		
	0.40	-
कुल	**0.40**	**-**

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय	32.02	31.05
प्रशिक्षण व्यय	12.73	7.11
टेलीफोन एवं पोस्टेज	15.29	17.17
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	11.45	10.21
भाड़ा प्रभार	0.27	0.37
विलम्ब शुल्क	48.32	47.62
सुरक्षा व्यय	109.93	100.12
कोल इंडिया का सेवा प्रभार [35.3]	150.55	157.35
किराया प्रभार	61.04	58.51
सीएमपीडीआईएल प्रभार [35.2]	57.25	46.27
विधि व्यय	2.26	4.93
परामर्श प्रभार	9.56	7.50
कम लदान प्रभार	84.08	111.79
बिक्री/डिस्कार्ड/सर्वे-ऑफ परिसम्पत्तियों पर हानि	0.18	0.91
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक एवं व्यय		
- लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	0.54	0.29
- कराधान मामलों के लिए	0.06	0.06
- अन्य सेवाओं के लिए	0.64	0.22
- व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.28	0.30
आंतरिक एवं अन्य लेखा परीक्षा व्यय	2.85	2.97
पुनर्वास प्रभार [35.1]	85.16	93.62
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	-	-
दर एवं कर	13.48	19.95
बीमा	0.01	0.01
लीज किराया व अन्य किराया [35.4]	2.74	2.73
बचाव/खान सुरक्षा व्यय	17.96	12.32
डीड-किराया/सतह किराया	0.90	0.95
सायडिंग अनुरक्षण प्रभार	7.58	7.89
अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	0.22
पर्यावरणीय एवं वृक्षारोपण व्यय	73.84	74.32
विविध व्यय	79.11	85.14
कुल	**880.08**	**901.90**

35.1 कोयला मंत्रालय के निर्णयानुसार, ईसीएल एवं बीसीसीएल में असुरक्षित क्षेत्रों की बसाहट व आग से निपटने के लिए, शिफ्टिंग व पुनर्स्थापना के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु निधि के संग्रहण (मोबलाईजेशन) के संबंध में रू. 85.16 करोड़ (रू. 93.62 करोड़) की राशि पुनर्स्थापना व्यय में डेबिट की गई है ।

35.2 सीएमपीडीआईएल प्रभार सीएमपीडीआईएल द्वारा राजस्व स्वरूप के कार्यों से संबंधित है ।

35.3 सीआईएल का सेवा प्रभार, सीआईएल द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं से संबंधित है ।

35.4 लीज किराया में दानकुनी कोल काम्पलैक्स के लिए सीआईएल को किया गया भुगतान रू. 1.80 करोड़+ कर, किराया शामिल है ।

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	615.15	1792.93
आस्थगित कर	238.48	353.01
पूर्वतम वर्ष	(67.08)	(186.82)
कुल	**786.55**	**1959.12**
भारत के घरेलू कर दर पर गुणित लेखांकरण लाभ तथा कर व्यय का संराधन कर पूर्व लाभ/(हानि)	**2521.47**	**5570.67**
25.168% के भारत के सांविधिक आयकर दर पर (31 मार्च, 2019 : 34.994%)	634.60	1946.61
जोड़िए/घटाईए : पिछले वर्ष के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	108.68	(33.62)
घटाईए : कर मुक्त आय	(5.35)	(15.18)
घटाईए : सहायक एवं संयुक्त उद्यम के परिणामों का अंश	-	-
जोड़िए : कर उद्देश्य के लिए गैर-कटौती योग्य व्यय	48.62	61.31
लाभ और हानि विवरणी में रिपोर्टेड आयकर व्यय	**786.55**	**1959.12**
प्रभावी आयकर दर :	**31.194%**	**35.169%**
निम्नलिखित से संबंधित आस्थगित कर देयता :		
आस्थगित कर देयता		
सम्पत्ति, संयंत्र एव उपस्कर से संबंधित	156.58	246.92
अन्य		
कुल आस्थगित कर देयता	**156.58**	**246.92**
आस्थगित कर परिसम्पत्ति		
प्राप्य/अग्रिम से संबंधित	186.41	551.37
कर्मचारी लाभ	186.05	239.91
अन्य	89.72	(0.28)
कुल आस्थगित कर परिसम्पत्ति	**462.18**	**791.00**
कुल आस्थगित कर परिसम्पत्ति/देयताएं	**305.60**	**544.08**

टिप्पणी 37 : अन्य व्यापक आय

(रू. करोड़)

			31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(क)	(i)	मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएगी		
		परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन	(470.96)	19.81
			(470.96)	**19.81**
	(ii)	मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएगी		
		परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन	(118.53)	6.92
			(118.53)	**6.92**
	कुल [क (i) - क (ii)]		**(352.43)**	**12.89**
(ख)	(i)	मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत की जाएगी	-	-
	(ii)	मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत की जाएगी	-	-
	कुल (ख)		**-**	**-**
	कुल (क+ख)		**(352.43)**	**12.89**

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

1. उचित मूल्य मापन

(क) केटेगरी रूप में वित्तीय विलेख

(रू. करोड़)

	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2020			31 मार्च 2019		
		एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसम्पत्तियां-गैर चालू							
निवेश:इक्विटी शेयर सहायक कम्पनियां	7	-	-	746.07	-	-	624.60
ऋण	8	-	-	110.20	-	-	60.47
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	9	-	-	1769.52	-	-	1649.89
वित्तीय देयताएं- गैर चालू							
उधार	18	-	-	0.00	-	-	0.00
व्यापारिक देय	19	-	-	0.00	-	-	0.00
प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि	20	-	-	252.34	-	-	275.33
अन्य देयताएं	20	-	-	593.84	-	-	534.48

(रू. करोड़)

	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2020			31 मार्च 2019		
		एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसम्पत्तियां-चालू							
निवेश : म्यूचुअल निधि	7	0.29	-	-	0.20	-	-
व्यापारिक प्राप्य	13	-	-	1653.80	-	-	387.67
नकद एवं नकद समकक्ष	14	-	-	39.49	-	-	159.43
अन्य बैंक शेष	15	-	-	3966.50	-	-	4631.85
ऋण	8	-	-	0.89	-	-	0.58
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	9	-	-	1064.23	-	-	920.57
वित्तीय देयताएं- चालू							
उधार	18	-	-	1724.93	-	-	730.47
व्यापारिक देय	19	-	-	2015.92	-	-	1802.44
प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि	20	-	-	367.88	-	-	351.75
अन्य देयताएं	20	-	-	487.94	-	-	527.03

(ख) उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय विलेख के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु बनाए गए अनुमान व लिए गए निर्णय को दर्शाती हैं, जो- (क) उचित मूल्य पर मान्य और आकलित है, और (ख) परिशोधित लागत पर आकलित उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणी में प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में प्रयुक्त इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में सूचित करने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणियों को लेखा मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

(रू. करोड़)

उचित मूल्य पर आकलित वित्तीय परिसम्पत्ति और देनदारियां-आवर्ती उचित मूल्य मापन	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2020			31 मार्च, 2019		
		स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसम्पत्तियां							
निवेश :							
म्यूच्युअल निधि	7	0.29	-	-	0.20	-	-
वित्तीय देनदारियां/देयताएं							
कोई अन्य मद		-	-	-	-	-	-

(रू. करोड़)

वित्तीय सम्पत्तियां और दायित्वों को परिशोधित लागत पर आकलित किया जाता है जिसके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया ।	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2020			31 मार्च, 2019		
		स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
वित्तीय परिसम्पत्तियां-गैर चालू							
निवेश : इक्विटी शेयर सहायक कम्पनियां	7	-	-	746.07	-	-	624.60
ऋण	8	-	-	110.20	-	-	60.47
जमा एवं प्राप्तियां	9	-	-	1769.52	-	-	1649.89
वित्तीय देयताएं-गैर चालू							
उधार	18	-	-	0.00	-	-	0.00
व्यापारिक देय	19	-	-	0.00	-	-	0.00
प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि	20	-	-	252.34	-	-	275.33
अन्य देयताएं	20	-	-	593.84	-	-	534.48
वित्तीय परिसम्पत्तियां-चालू							
व्यापारिक प्राप्य	13	-	-	1653.80	-	-	387.67
नकद एवं नकद समकक्ष	14	-	-	39.49	-	-	159.43
अन्य बैंक शेष	15	-	-	3966.50	-	-	4631.85
ऋण	8	-	-	0.89	-	-	0.58
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	9	-	-	1064.23	-	-	920.57
वित्तीय देयताएं-चालू							
उधार	18	-	-	1724.93	-	-	730.47
व्यापारिक देय	19	-	-	2015.92	-	-	1802.44
प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि	20	-	-	367.88	-	-	351.75
अन्य देयताएं	20	-	-	487.94	-	-	527.03

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त सार नीचे दर्शित है ।

स्तर 1 : स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों के उपयोग द्वारा आकलित वित्तीय विलेख शामिल हैं। इसमें म्युचुअल फंड शामिल है, जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग दिनांक को क्लोजिंग एनएवी का उपयोग करते हुए किया गया है।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

स्तर 2 : वित्तीय विलेख, जोकि एक सक्रिय बाजार में कारोबार में नहीं है, के उचित मूल्य का निर्धारण, मूल्यांकन तकनीकों के उपयोग द्वारा किया जाता है, जो दृष्टिगत बाजार डेटा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम भरोसा करने की ओर इंगित करता है। यदि विलेख के उचित मूल्य के लिए जरूरी सभी महत्वपूर्ण इनपुट दृष्टिगोचर होते हैं तो विलेख को स्तर-2 में शामिल किया जाता हैं ।

स्तर 3 : यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट परिलक्षित बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं है, तो विलेख को स्तर-3 में शामिल किया जाता है । यह निवेश, प्रतिभूति जमा तथा स्तर-3 में शामिल किए गए अन्य देयताओं जैसे मामलों के लिए हैं ।

(ग) उचित मूल्य निर्धारित करने में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय विलेखों को महत्व देने के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में म्युचुअल फण्ड में निवेश के संबंध में विलेखों के उद्धृत बाजार मूल्यों (एनएवी) का उपयोग शामिल हैं :

(घ) महत्वपूर्ण गैर-दृष्टिगत इनपुट का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य मापन

वर्तमान में महत्वपूर्ण गैर-दृष्टिगत इनपुट का प्रयोग करते हुए कोई उचित मूल्य मापन नहीं किया जाता है।

(ड.) परिशोधित लागत पर आकलित वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य

- व्यापारिक प्राप्य, लघु अवधि जमा, नकद और नकद समकक्ष, व्यापारिक देय की वहनीय राशि को उनके अल्पकालिक स्वरूप के कारण उनके उचित मूल्यों के समरूप माना जाता है ।
- कंपनी यह मानती है कि सुरक्षा/प्रतिभूति जमा में एक महत्वपूर्ण वित्त पोषक घटक शामिल नहीं है । सुरक्षा जमा कंपनी के कार्य निष्पादन के संपाती हैं और अनुबंध/संविदा को वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से बनाए रखने के लिए राशि की आवश्यकता होती है। ठेकेदार की ओर से अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को समुचित रूप से पूरा करने में विफल रहने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक महत्वपूर्ण भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकने का इरादा कंपनी के हित की रक्षा करना है । तदनुसार, सुरक्षा/प्रतिभूति जमा के संव्यवहार लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के रूप में माना जाता है और तत्पश्चात परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान : वित्तीय विलेख जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार में नहीं है, के उचित मूल्य का निर्धारण तकनीकों का प्रयोग करते हुए किया जाता है। कंपनी कार्य-विधि का चयन करने के लिए अपने निर्णय का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त अभिधारणा बनाती है ।

2. जोखिम विश्लेषण और प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार व अन्य देयताएं शामिल है। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्य-संचालन को वित्त पोषित करना और अपने कार्य संचालन का समर्थन करने के लिए गारंटी प्रदान करना है । कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसम्पत्तियों में, ऋण, व्यापार व अन्य प्राप्य, तथा नकद व नकद समकक्ष, जोकि इसके कार्य-संचालन से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, शामिल है।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम को प्रकट करती है । कंपनी के वरीय प्रबंधक इन जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी/ पर्यवेक्षण करते हैं। कंपनी के वरीय प्रबंधक, जोकि जोखिम समिति द्वारा समर्थित हैं, अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के वित्तीय जोखिमों व उचित वित्तीय जोखिम स्वशासन ढांचे पर सलाह देते है । जोखिम समिति, निदेशक मण्डल को यह आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उचित नीतियों और कार्य-प्रक्रियाओं द्वारा शासित हैं और कंपनी की नीतियों व उद्देश्यों के अनुरूप वित्तीय जोखिमों की पहचान, आकलन व प्रबंधन करती है । निदेशक मण्डल इन सभी जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा कर सहमति देते हैं, जिसका सार नीचे दर्शित है।

यह नोट जोखिम के उन स्रोतों को स्पष्ट करता है, जिसे कंपनी को प्रकट करना होता है कि कंपनी किस तरह वित्तीय विवरणियों में जोखिम एवं सुरक्षित लेखा (हेज एकाउंटिंग) के प्रभाव का प्रबंधन करती है ।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

जोखिम	से उत्पन्न जोखिम	मापन	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, परिशोधित लागत पर आकलित व्यापारिक प्राप्य वित्तीय परिसम्पत्ति	एजिंग विश्लेषण/ क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा की क्रेडिट सीमा एवं अन्य प्रतिभूतियों की विविधता
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देयताएं	आवधिक रोकड़ प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईनों और उधार सुविधा की उपलब्धता
बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा/ विनिमय	आगामी वाणिज्यिक लेनदेन, मान्य वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताएं, जोकि आईएनआर में नहीं होती है	रोकड़ प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधक और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फण्ड	रोकड़ प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधक और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी के जोखिम प्रबंधन का अनुपालन किया जाता है। बोर्ड द्वारा समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अधिरेक तरलता के निवेश में शामिल नीतियों के लिए लिखित सिद्वांत (रिटन प्रिंसिपल) निर्धारित किया जाता है।

क. क्रेडिट जोखिम :

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से प्राप्त होती है। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सूक्ष्म-आर्थिक सूचना (जैसे-नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफएसए) व ई-नीलामी शर्तों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफएसए)

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की शर्तों के अनुपालन एवं उसकी अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी अपने ग्राहकों या राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ कानूनी तौर पर प्रयोज्य एफएसए का पालन करती हैं जो वास्तविक ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था में अनुबंधित होते हैं। हमारे एफएसए को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता हैः-

- बिजली जन उपयोगी सेवा सेक्टर से जुड़े हुए ग्राहकों, समेत राज्य बिजली जन उपयोगी सेवा, निजी बिजली जन उपयोगी सेवा (''पीपीयू'') और स्वतंत्र बिजली उत्पादकर्ता (''आईपीपी'') के साथ एफएसए
- गैर बिजली उद्योगों (कैप्टिव पावर प्लांट (''सीपीपी'') सहित), से जुड़े हुए ग्राहकों के साथ एफएसए और
- राज्य नामित एजेंसियों के साथ एफएसए

ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों को कोयला मुहैया कराने के लिए प्रारंभ की गयी है, जो विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की मांग को पूरा करने के लिए समर्थ नहीं हो पाते हैं। उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के अधीन जिनकी मात्रात्मक मांग पूरे आबंटन से कम होती है, उनकी कोयले की मांग यथाकाल होती है, तथा कोयले की मांग सीमित होती है, और जिनके पास दीर्घकालिक लिंकेज का समादेश नहीं होता है। ई-नीलामी के तहत आफर की जाने वाली कोयले की मात्रा की समय-समय पर कोयला मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाती है।

क्रेडिट जोखिम की स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब प्रतिपक्षी पार्टी संविदा के शर्तों का अनुपालन नहीं कर पाती है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

अपेक्षित क्रेडिट हानि : कंपनी आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) के माध्यम से संदेहात्मक/क्रेडिट कमी-हानि संबंधी परिसम्पत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि हेतु प्रबंधन करती है।

सरलीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यापारिक प्राप्य के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि :

31.03.2020 को

(रू. करोड़)

अवस्था (एजिंग)	टिप्पणी संख्या	2 माह के लिए देय	6 माह के लिए देय	1 वर्ष के लिए देय	2 वर्ष के लिए देय	3 वर्ष के लिए देय	3 वर्ष से अधिक के लिए देय	कुल
सकल वहनीय राशि	13	432.63	199.47	297.49	224.11	600.77	385.79	2140.26
अपेक्षित नुकसान दर		-	-	-	-	-	100.00%	
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)		-	-	-	-	-	385.79	385.79

31.03.2019 को

(रू. करोड़)

अवस्था (एजिंग)	टिप्पणी संख्या	2 माह के लिए देय	6 माह के लिए देय	1 वर्ष के लिए देय	2 वर्ष के लिए देय	3 वर्ष के लिए देय	3 वर्ष से अधिक के लिए देय	कुल
सकल वहनीय राशि	13	936.42	15.48	74.71	191.58	182.68	292.90	1693.77
अपेक्षित नुकसान दर		-	-	-	-	-	100.00%	
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)		-	-	-	-	-	292.90	292.90

हानि भत्ता प्रावधान का समाधान - व्यापारिक प्राप्य

प्रावधान	टिप्पणी संख्या	राशि
01.04.2018 को हानि भत्ता	**13**	**373.14**
हानि भत्ता में परिवर्तन		(80.24)
31.03.2019 को हानि भत्ता	**13**	**292.90**
हानि भत्ता में परिवर्तन		92.89
31.03.2020 को हानि भत्ता	**13**	**385.79**

वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि के संबंध में महत्वपूर्ण अनुमान एवं निर्णय

ऊपर प्रदर्शित वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए हानि-कमी के संबंध में प्रावधान डिफाल्ट के जोखिम, उपभोक्ता दावों व अपेक्षित हानि दर के बारे में अभिधारणाओं पर आधारित होता है । कंपनी, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में इन अभिधारणाओं को बनाने एवं हानि-कमी की गणना व इनपुट का चयन करने, मौजूदा बाजार की स्थितियों व फारवर्ड लूकिंग इस्टीमेट के बारे में निर्णय कंपनी के अतीत के इतिहास के आधार पर लेती है।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

ख. तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का आशय समुचित रूप में नकद व विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना तथा देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधा के माध्यम से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अंतर्निहित व्यवसाय के क्रियाशील/गतिशील स्वरूप का होने के कारण, कंपनी का ट्रेजरी प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईन के तहत उपलब्धता कायम करते हुए निधि के निर्माण में लचीलेपन को बनाए रखता है ।

प्रबंधन, कंपनी की तरलता स्थिति (गैर-आहरित उधार सुविधा युक्त) के पूर्वानुमानों व अपेक्षित रोकड़ प्रवाहों के आधार पर नकद एवं नकद समकक्ष का मानिटर करती है। आम तौर पर इसका अनुपालन कंपनी द्वारा स्थापित कार्य-प्रकिया व सीमाओं के अनुरूप स्थानीय स्तर पर किया जाता है ।

(रू. करोड़)

विवरण	31.03.2020 तक			31.03.2019 तक		
	एक वर्ष से कम	एक से पांच वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	एक वर्ष से कम	एक से पांच वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां/ देयताएं						
ब्याज दायित्वों सहित उधार	-	-	-	-	-	-
व्यापारिक देय	2015.92	-	-	1802.44	-	-

ग. बाजार जोखिम

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भावी वाणिज्यिक संव्यवहार और मान्यता प्राप्त परिसम्पत्तियों या देनदारियों/देयताओं से उत्पन्न होती है जो एक अभिधानित मुद्रा है, न कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (आईएनआर) है । कंपनी, विदेशी मुद्रा संव्यवहार से होने वाले विदेशी विनिमय के जोखिम से भलीभांति परिचित है । विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी विनिमय के जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है तथा नियमित व निरंतर अनुसरण के माध्यम से जोखिम को व्यवस्थित भी करती है। कपनी की नीति है, जिसे उस समय क्रियान्वित किया जाता है, जब विदेशी मुद्रा/विनिमय में जोखिम महत्वपूर्ण होता है।

(ख) रोकड़ प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर की जोखिम

कंपनी के मुख्य ब्याज दर की जोखिम, ब्याज दर में बदलाव के फलस्वरूप बैंक में जमा से उत्पन्न होती है, जो कंपनी के रोकड़ प्रवाह संबंधी ब्याज दर के जोखिम को प्रकट करती है। कंपनी की नीति निश्चित दर पर अपनी अधिकांश जमा को बनाए रखना है।

कंपनी, सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग करते हुए, बैंक में जमा की क्रेडिट लिमिट व अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण संबंधी जोखिम को व्यवस्थित करती है।

(ग) पूंजी प्रबंधन

कंपनी एक सरकारी संस्था होने के नाते, वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश एवं सार्वजनिक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी की व्यवस्था करती है।

कम्पनी की पूंजी संरचना निम्नानुसार है-

(रू. करोड़ में)

	31.03.2020	31.03.2019
इक्विटी शेयर पूंजी	668.06	668.06
दीर्घकालिक ऋण	-	-

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

3. कर्मचारी लाभ : मान्यता एवं मापन संदर्भ टिप्पणी-28 (इंड एएस-19)

क) ग्रेच्युटी :

ग्रेच्युटी एक पारिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना के रूप में कायम है और इसका अंशदान भारतीय जीवन बीमा निगम को जाता है। पारिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना के संबंध में तुलन-पत्र में जो देयता या परिसम्पत्ति मान्य होती है, वही योजनागत परिसम्पत्तियों के रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य से कम करके पारिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य होता है। पारिभाषित लाभ दायित्व का प्रतिवर्ष अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकक द्वारा गणना की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापित लाभ और हानि को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे प्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यापक आय में शामिल होते हैं ।

ख) अवकाश नकदीकरण :

अर्जित अवकाश के लिए देनदारियों का निपटान/समाधान कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद अपेक्षित होता है। अतः अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अनुमानित भविष्यगत भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापित/गणना किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार से प्राप्ति का उपयोग कर लाभ छूट दी जाती है जो संबंधित दायित्व की शर्तों के अधीन होती है । अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनः मापन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

(ग) भविष्य निधि :

कंपनी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के संबंध में नियत अंशदान का भुगतान पूर्व-निर्धारित दरों पर एक पृथक ट्रस्ट-कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) को करती है, जोकि निधि को अनुज्ञाप्राप्त प्रतिभूतियों में निवेश करती है। वर्ष/अवधि के दौरान निधि के संबंध में रू. 885.18 करोड़ (रू. 942.14 करोड) की अंशदान राशि को लाभ व हानि विवरणी (टिप्पणी-28) में मान्य किया गया है।

कम्पनी नीचे दर्शाए अनुसार कुछ परिभाषित लाभ योजनाओं का संचालन करती है, जो बीमांकिक आधार पर मूल्यांकित है -

(क) निधिक -

- ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदीकरण
- चिकित्सा लाभ
- पेंशन योजनाएं

(ख) गैर-निधिक -

- जीवन बीमा योजना
- व्यवस्थापन भत्ता
- समूह कार्मिक दुर्घटना बीमा
- अवकाश यात्रा रियायत
- खान दुर्घटना लाभ अंतर्गत आश्रितों को मुआवजा/क्षतिपूर्ति

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर, 31.03.2020 तक कुल देयता रू. 5738.67 करोड़ (रू.5271.66 करोड़) का विवरण नीचे दर्शित है।

(रू. करोड़)

शीर्ष	प्रारंभिक बीमांकिक देयता	वृद्धिशील देयता	इति बीमांकिक देयता
ग्रेच्युटी	4361.42	182.00	4543.42
अर्जित अवकाश	510.96	136.65	647.61
अर्ध-वैतनिक अवकाश	96.42	31.50	127.92
अवकाश यात्रा रियायत - अधिकारी	-	-	-
अवकाश यात्रा रियायत - कर्मचारी	38.30	3.84	42.14
व्यवस्थापन भत्ता - अधिकारी	11.20	1.76	12.96
व्यवस्थापन भत्ता -कर्मचारी	29.48	(0.04)	29.44
जीवन बीमा योजना - अधिकारी	0.81	0.01	0.82
जीवन बीमा योजना - कर्मचारी	14.27	0.25	14.52
समूह कार्मिक दुर्घटना बीमा योजना	0.21	-	0.21
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ/सुविधा - अधिकारी	148.18	61.42	209.60
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ/सुविधा - कर्मचारी	28.14	37.16	65.30
खान दुर्घटना में निधन के मामले में आश्रितों को क्षतिपूर्ति	32.27	12.46	44.73
योग	**5257.66**	**467.01**	**5738.67**

बीमांकक के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

बीमांकक के प्रमाणपत्र के अनुसार ग्रेच्युटी (निधिक) एवं अवकाश नकदीकरण (निधिक) के लिए कर्मचारी लाभ हेतु प्रकटीकरण नीचे दर्शित है -

दिनांक 31.03.2020 को ग्रेच्युटी एवं अर्जित अवकाश/अर्ध वैतनिक अवकाश देयता का बीमांकिक मूल्यांकन

इंड एएस 19 के अनुसार प्रकटीकरण

(रू. करोड़ में)

तालिका 1 : प्रकटीकरण मद	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
पिछले मूल्यांकन के समय दायित्व का वर्तमान मूल्य	4361.42	4381.63	607.38	614.29
चालू सेवा लागत	191.79	173.14	162.22	152.80
ब्याज लागत	262.61	310.33	33.91	36.64
भागीदार योगदान	-	-	-	-
योजना संशोधन : अवधि के अंत में निहित भाग (पिछली सेवा)	-	-	-	-
वित्तीय अभिधारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	240.56	39.24	50.11	6.74
जनसांख्यिकीय अभिधारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-
अनापेक्षित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	252.08	(0.28)	109.21	54.93

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

(रू. करोड़ में)

तालिका 1 : प्रकटीकरण मद	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
अन्य कारणों की वजह से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-
विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	765.04	542.64	187.31	258.02
अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
दायित्व का निपटान/अंतरण	-	-	-	-
कांटछांट लागत	-	-	-	-
व्यवस्थापन लागत	-	-	-	-
अन्य (मूल्यांकन तिथि के अंत में अनिश्चित देयता)	-	-	-	-
मूल्यांकन तिथि को दायित्व का वर्तमान मूल्य	**4543.42**	**4361.42**	**775.52**	**607.38**

(रू. करोड़)

तालिका 2: प्रकटीकरण मद	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
अवधि के प्रारंभ में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	4227.60	3258.87	201.48	431.18
ब्याज आय	279.02	246.05	13.30	32.55
नियोक्ता अंशदान	484.82	1206.55	301.65	-
भागीदार अंशदान	-	-	-	-
अधिग्रहण / व्यवसाय संयोजन	-	-	-	-
व्यवस्थापन लागत	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	765.04	542.64	187.31	258.02
परिसम्पत्ति की सीमा का प्रभाव	-	-	-	-
विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	-
प्रशासनिक व्यय और बीमा प्रीमियम	-	-	-	-
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसम्पत्ति पर प्रत्यावर्तन / लाभ	21.68	58.77	2.51	(4.23)
मापन अवधि के अंत में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	**4248.08**	**4227.60**	**331.63**	**201.48**

(रू. करोड़)

तालिका 3: प्रकटीकरण मद	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
तुलन पत्र में समाधान दर्शाने वाली तालिका	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
निधिक स्थिति	(295.34)	(133.82)	(443.89)	(405.90)
अमान्य पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
अवधि के अंत में अमान्य बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-
पोस्ट मेजरमेंट दिनांक को नियोक्ता का योगदान (अपेक्षित)	-	-	-	-
अनिधिक प्रोद्भूत/पूर्वदत्त पेंशन लागत	-	-	-	-
निधि परिसम्पत्ति	**4248.08**	**4227.60**	**331.63**	**201.48**

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

तालिका 3: प्रकटीकरण मद	**ग्रेच्युटी**		**अवकाश नकदीकरण**	
तुलन पत्र में समाधान दर्शाने वाली तालिका	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
निधि देयता	**4543.42**	**4361.42**	**775.52**	**607.38**

(रू. करोड़ में)

तालिका 4: प्रकटीकरण मद	**ग्रेच्युटी**		**अवकाश नकदीकरण**	
योजनागत अभिधारणा दर्शाने वाली तालिका	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
छूट दर	6.60%	7.55%	6.60%	7.55%
योजनागत परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित लाभ	6.60%	7.55%	लागू नहीं	लागू नहीं
क्षतिपूर्ति-वृद्धि का दर (वेतन वृद्धि)				
- अधिकारी	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
- कर्मचारी	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%
पेंशन वृद्धि दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
औसत संभावित भविष्यगत सेवा (शेष कार्यशील जीवन)	10	10	10	10
देयताओं की औसत अवधि	10	10	10	10
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम 2006-2008 अंतिम	आईएएलएम 2006-2008 अंतिम	आईएएलएम 2006-2008 अंतिम	आईएएलएम 2006-2008 अंतिम
अधिवर्षिता आयु - पुरूष	60	60	60	60
अधिवर्षिता आयु - महिला	60	60	60	60
पूर्वतम सेवानिवृत्ति एवं दिव्यांगता (सभी संयुक्त कारण)	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%

(रू. करोड़ में)

तालिका 5: प्रकटीकरण मद	**ग्रेच्युटी**		**अवकाश नकदीकरण**	
लाभ/हानि के विवरण में मान्य व्यय	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
चालू सेवा लागत	191.79	173.14	162.22	152.80
पिछली सेवा लागत (निहित)	-	-	-	-
पिछली सेवा लागत (गैर-निहित)	-	-	-	-
निवल ब्याज लागत	(16.41)	64.28	20.61	4.09
व्यवस्थापन पर लागत (हानि/(लाभ)	-	-	-	-
कांटछाट पर (हानि/(लाभ) लागत	-	-	-	-
केवल पिछले वर्ष के लिए लागू बीमांकिक लाभ हानि	-	-	156.81	65.90
कर्मचारी अपेक्षित योगदान	-	-	-	-
विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का निवल प्रभाव	-	-	-	-
लाभ लागत (लाभ/हानि विवरण में मान्य व्यय)	**175.38**	**237.42**	**339.64**	**222.79**

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

तालिका 6: प्रकटीकरण मद	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
अन्य व्यापक आय	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
वित्तीय अभिधारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	240.56	39.24	-	-
जनसांख्यिकीय अभिधारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-
अप्रत्याशित बहुदर्शिता/अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	252.08	(0.28)	-	-
अन्य कारणों की वजह से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-
कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**492.64**	**38.96**	**-**	**-**
योजनागत परिसम्पत्ति पर लाभ, ब्याज आय को छोड़कर	21.68	58.77	-	-
परिसम्पत्ति की सीमा का प्रभाव	-	0.00	-	-
अवधि के अंत में शेष	470.96	(19.81)	-	-
ओसीआई में मान्य अवधि के लिए निवल (आय)/व्यय	**470.96**	**(19.81)**	**-**	**-**

तालिका 7: प्रकटीकरण मद	
मृत्यु-दर तालिका	
आयु	**मृत्यु-दर (प्रतिवर्ष)**
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.017009
70	0.025855

तालिका 8: प्रकटीकरण मद	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
	31.03.2020		31.03.2020	
संवेदनशीलता विश्लेषण	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (-/+0.5 प्रतिशत)	4413.94	4680.27	748.36	804.59
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में प्रतिशत में बदलाव	-2.850%	3.012%	-3.502%	3.748%
वेतन बढ़ोतरी (-/+0.5 प्रतिशत)	4611.26	4469.99	804.08	748.58

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

तालिका 8: प्रकटीकरण मद	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
	31.03.2020		31.03.2020	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में प्रतिशत में बदलाव	1.493%	-1.618%	3.682%	-3.474%
कमतर दर (-/+0.5 प्रतिशत)	4546.29	4540.56	776.99	774.05
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में प्रतिशत में बदलाव	0.063%	-0.063%	0.190%	-0.190%
मृत्युदर (-/+10 प्रतिशत)	4566.64	4520.21	779.52	771.52
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में प्रतिशत में बदलाव	0.511%	-0.511%	0.516%	-0.516%

(रू. करोड़)

वर्ष	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
1	**706.77**	**78.61**
2	609.48	86.22
3	598.87	86.35
4	537.90	87.97
5	534.44	94.17
6 से 10	2081.63	381.46
10 वर्ष से अधिक	2213.22	610.11
कुल गैर-छूट प्राप्त भुगतान पिछली एवं भविष्यगत सेवा		
पिछली सेवा से संबंधित कुल गैर-छूटयुक्त भुगतान	728.23	1424.89
ब्याज के लिए कम छूट	273.89	649.37
अनुमानित लाभ बाध्यता	**454.34**	**775.52**

(रू. करोड़)

अंतिम मापन में योजनागत परिसम्पत्ति पर अपेक्षित प्रत्यावर्तन / लाभ दर्शाने वाला विवरण	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
चालू देयता	684.54	635.84	76.14	61.75
गैर-चालू देयता	3858.88	4361.43	699.38	545.63
निवल देयता	4543.42	4361.43	775.52	607.38

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ/सुविधा

कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। अधिकारी एवं गैर-अधिकारी के लिए अलग-अलग सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना सुविधा है। दिनांक 01.01.2017 से पहले सेवानिवृत्त अधिकारियों के चिकित्सा लाभ हेतु योजना को अधिकारी ट्रस्ट के लिए पृथक अभिदाता सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना के माध्यम से प्रबंधित/व्यवस्थित किया गया है। चिकित्सा लाभ के लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

कंपनी ने सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ के लिए अधिकारियों हेतु सीआईएल में बनाए गए सीपीआरएमएस निधि में रू. 106.24 करोड़ (रू. 106.24 करोड़) अंशदान दिया है। आगे,कंपनी ने दिनांक 01.01.2007 के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों हेतु सेवानिवृत्त पश्चात चिकित्सा लाभ के लिए सीआईएल में बनाए गए सीपीआरएमएस निधि के संबंध में रू. 19.59 करोड़ (रू.19.59 करोड़) का अंशदान दिया ।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

पेंशन

कंपनी की अपने कर्मचारियों के लिए एक पारिभाषित योगदान पेंशन योजना है जो सीआईएल अधिकारी पारिभाषित योगदान पेंशन योजना 2007 ट्रस्ट के माध्यम से प्रबंधित है। दिनांक 31.03.2020 को उपलब्ध निधि की स्थिति रू. 353.14 करोड़ (रू.180.91 करोड़) तथा दिनांक 31.03.2020 को इस हेतु गैर-निधिक देयता रू. 25.22 करोड़ (रू. 141.58 करोड़) है।

4. अस्वीकार्य मदें :

क. आकस्मिक देयताएं, प्रतिबद्धता व आकस्मिक परिसम्पत्तियां (इंड एएस-37)

i) **आकस्मिक देयताएं :** कम्पनी के विरूद्ध विभिन्न फोरम में निम्नलिखित अर्जी/याचिका लंबित है। वित्तीय समाघात, जहां कहीं उपलब्ध है, उसे नीचे आकस्मिक देयताओं के अधीन लिया गया है, हालांकि, अन्य मामलों के लिए, प्रबंधन ने कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण समाघात नहीं देखा है।

(रू. करोड़ में)

स. क्रं	विवरण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार एवं अन्य हल्का	सीपीएसई	अन्य	कुल
1	01.04.2019 को प्रारंभिक	11295.53	721.66	49.03	580.34	12646.56
2	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	1338.95	59.69	-	135.98	1534.62
3	वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे					
	क. प्रारंभिक शेष से	356.89	5.67	-	103.49	466.05
	ख. वर्ष के दौरान जोड़े गए दावे में से	-	-	-	-	-
	ग.वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल दावे (क+ख)	356.89	5.67	-	103.49	466.05
4	31.03.2020 को शेष	12277.59	775.68	49.03	612.83	13715.13

आकस्मिक देयताओं का विस्तृत विवरण नीचे दर्शित है -

(रू. करोड़)

स. क्रं	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
	केन्द्रीय सरकार		
	आयकर	11550.19	10595.79
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	438.69	433.29
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	-
1	केन्द्रीय विक्रय कर	-	-
	सेवा कर	288.71	266.45
	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-
	उप-योग	**12277.59**	**11295.53**

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

स. क्रं	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
	राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी		
	रायल्टी	242.89	242.89
	पर्यावरण अनुमति	-	-
	विक्रय कर/वैट	232.74	196.04
2	प्रवेश कर	298.94	281.63
	विद्युत शुल्क	-	-
	एमएडीए	-	-
	अन्य (सम्पत्ति करं)	1.10	1.10
	उप-योग	**775.67**	**721.66**
	केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम		
	विवाचन कार्यवाही	-	-
3	मुकदमेबाजी के अंतर्गत कंपनी के विरूद्ध याचिका	-	-
	अन्य (ऋणी द्वारा दावा)	49.03	49.03
	उप - योग	**49.03**	**49.03**
	अन्य : (यदि कोई हो)		
4	विविध - कंपनी के विरूद्ध याचिका जोकि ऋण के रूप में स्वीकार्य नहीं है	612.84	580.34
	उप - योग	612.84	580.34
	पूर्ण योग	**13715.13**	**12646.56**

ii) तुलन पत्र तारीख को बकाया साख-पत्र राशि रू. 7409.07 करोड़ (रू. 35.26 करोड़) ।

iii) कम्पनी ने रू. 24.42 करोड़ (रू. 25.13 करोड़) की बैंक गारंटी कम्पनी की चालू परिसम्पत्तियों पर चल पूंजी प्रभार (फ्लोटिंग चार्ज) के लिए दिया है ।

iv) कलेक्टर-रायगढ़, कोरबा एवं कोरिया ने पर्यावरण अनुमति, खनन प्लान एवं एमएमडीआर अधिनियम आदि की धारा 21 (5) की अधिकतम सीमा से परे अधिक उत्पादन के लिए रू. 10182.63 करोड़ की मांग से संबंधित कारण बताओ/मांग सूचना जारी किया है। कुछ नोटिसों के उत्तर/अपील संबंधित कलेक्टरों को जमा/प्रस्तुत किए गए तथा कुछ के उत्तर विधिक टिप्पणी के लिए प्रक्रियाधीन है।

ख. प्रतिबद्धता :

(i) पूंजीगत लेखा पर निष्पादित की जाने वाली बकाया राशि, जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया है, रू. 611.58 करोड (रू. 335.95 करोड़) है।

(ii) राजस्व लेखा पर निष्पादित की जाने वाली बकाया राशि,जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया है, रू. 4387.71 करोड़ (रू. 3204.51 करोड़) है ।

अन्य मामले :

(i) हसदेव क्षेत्र में यात्रा देयक बिलों के जालसाजी/अतिरिक्त भुगतान के कुछ मामले प्रकाश में आये थे। आंतरिक अंकेक्षण विभाग/सतर्कता विभाग द्वारा विस्तृत जांच-पड़ताल करने पर वर्ष 2005-06 से जुलाई, 2012 तक लगभग 0.37 करोड़ के यात्रा देयक बिलों के संबंध में अतिरिक्त/अनियमित भुगतान किए जाने की जानकारी मिली। इस संबंध में गलती करने वाले कर्मचारी (स्टॉफ) के विरूद्ध विभागीय जांच कार्रवाई पहले ही प्रारंभ कर दी गई तथा इसमें शामिल व्यक्तियों/कर्मियों अर्थात एक कैशियर और एक लागत सहायक को निलंबित कर दिया गया। इस जांच-पड़ताल के आधार पर इस मामले को सीबीआई, भिलाई को अग्रेषित कर दिया गया है । मामले के ट्रायल के लिए सीबीआई, रायपुर के स्पेशल कोर्ट से दण्ड अवार्ड किया गया है।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

(ii) सोहागपुर क्षेत्र में एक लिपिक द्वारा वेतन/मजदूरी बिल में किए गए रू. 0.16 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें से रू. 0.09 करोड़ की राशि उसके द्वारा जमा कर दी गई है। अभी तक शेष राशि की वसूली नहीं हो पाई है । इसमें शामिल व्यक्ति को सेवा से निष्कासित किया जा चुका है। इस मामले की सीबीआई, जबलपुर के द्वारा छानबीन की जा रही है तथा यह सीबीआई ट्रायल कोर्ट जबलपुर में ट्रायल, अभियोजन साक्ष्य स्तर के अधीन है ।

(iii) बिश्रामपुर क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसी को रू. 1.21 करोड़ अधिक भुगतान करने की जानकारी प्राप्त हुई। यह मामला सीबीआई, रायपुर में है तथा यह ट्रायर स्तर पर है।

(iv) कोरबा क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसी को 0.32 करोड़ अधिक भुगतान करने की जानकारी प्राप्त हुई। यह मामला सीबीआई, रायपुर में है तथा यह ट्रायल स्तर पर है।

(v) जमुना कोतमा क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों को रू.1.40 करोड़ अधिक भुगतान करने की जानकारी प्राप्त हुई। यह मामला सीबीआई, जबलपुर में है तथा यह ट्रायल के अधीन, अभियोग साक्ष्य स्तर पर है।

vi) जोहिला क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों को रू. 1.10 करोड़ अधिक भुगतान करने की जानकारी प्राप्त हुई। यह मामला सीबीआई, जबलपुर में है तथा यह ट्रायल प्री-चार्ज स्तर पर है।

vii) बिश्रामपुर क्षेत्र के अमेरा खुली खदान में अधिभार ठेकेदार के नियोजन/तैनाती में अनियमितता के अंतर्गत रू.0.28 करोड़ का भुगतान शामिल है। यह मामला सीबीआई, रायपुर में छानबीन के अधीन है।

5. अन्य सूचना

क. सरकारी सहायता (इंड एएस-20) (टिप्पणी सं.-24 को संदर्भित करें)

कोयला नियंत्रक विकास प्राधिकारी से राजस्व स्वरूप के कार्यों के लिए प्राप्त रू.0.76 करोड़ (रू. 7.64 करोड़) के अनुदान/आस्थगित अनुदान को अन्य आय के अधीन दर्शाया गया है।

ख. प्रावधान

दिनांक 31.03.2020 को, विभिन्न प्रावधानों की स्थिति एवं प्रवृत्ति का बीमांकिक मूल्यांकन कर्मचारी लाभ से संबंधित मामलों को छोड़कर किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

(रू. करोड़ में)

प्रावधान	टिप्पणी संख्या	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान राईट-बैक/ समायोजन	अन-वाईंडिंग छूट	इति शेष
सम्पत्ति,संयंत्र और उपस्कर	3					
परिसम्पत्तियों के अवमूल्यन एवं हानि-कमी के लिए प्रावधान		2914.31	763.43	0.06		3677.80
पूंजीगत कार्य में प्रगति :	4					
पूंजीगत कार्य में प्रगति के लिए :		16.95	1.19	0.07		18.07
अन्वेषण एवं मूल्यांकन/निरूपण परिसम्पत्तियां :	5					
प्रावधान एवं हानि-कमी		-	-	-		-
अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	6					
प्रावधान एवं हानि-कमी		-	-	-		-
ऋणः	8					
संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान		0.07	-	-	-	0.07
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	9					

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

प्रावधान	टिप्पणी संख्या	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान राईट-बैक/ समायोजन	अन-वाईडिंग छूट	इति शेष
जमा		-	-	-		-
प्राप्य योग्य दावे		7.13	-	(0.71)		6.42
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	9					
प्राप्य योग्य दावे		-	-	-		-
अन्य प्राप्य योग्य		2.97	-	(1.37)	-	1.60
अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	10					
पूंजीगत अग्रिम		0.45	-	-	-	0.45
राजस्व के लिए अग्रिम		1.58	0.00	0.04		1.54
अन्य चालू परिसम्पत्तियां :	10					
राजस्व के लिए अग्रिम		-	-	-		-
अन्य प्राप्य		-	-	-		-
सम्पत्ति सूची :	12					
कोयले का भण्डार		-	-	-		-
स्टोर्स एवं स्पेयर्स का भण्डार		58.77	-	(6.89)		51.88
व्यापारिक प्राप्य :	13					
अशोध्य व संदेहात्मक ऋण हेतु प्रावधान		292.90	92.89	0.00		385.79
गैर-चालू प्रावधान	21					
कर्मचारी लाभ						
- ग्रेच्युटी		-	-	-	-	-
- अवकाश नकदीकरण		346.34	26.91	-	-	373.25
- अन्य कर्मचारी लाभ		312.43	163.34	-	-	475.77
स्थल भराई/माईन क्लोजर 21.4		1213.37	80.47	(10.13)	-	1283.71
स्ट्रीपिंग कार्यकलाप का समायोजन 21.1		10052.23	1636.66	-	-	11688.89
अन्य		-	-	-	-	-
चालू प्रावधान :	21		-	-		
- ग्रेच्युटी		133.82	641.70	(480.18)	-	295.34
- अवकाश नकदीकरण		61.75	-	14.40	-	76.15
- अनुग्रह राशि		331.08	26.51	0.00	-	357.59
- कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन 21.2		169.46	49.09	-	-	218.55
- अन्य कर्मचारी लाभ 21.3		183.06	-	(89.03)	-	94.03
- एनसीडब्लूए-10 21.5		-	-	-	-	-
- तृतीय वेतन पुनरीक्षण - अधिकारी		-	-	-	-	-
माईन क्लोजर		-	-	-	-	-
कोयले के इति भण्डार पर उत्पाद शुल्क		-	-	-	-	-
कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता हेतु प्रावधान		-	-	-	-	-
अन्य		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

(ग) निम्नलिखित के अधीन प्रति शेयर अर्जन :

i) निवल लाभ

स.क्रं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	इक्विटी अंशधारकों को रोप्य कर पश्चात निवल लाभ	1734.92	3611.55
ii)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	6680561	7100786
iii)	रूपए में प्रति शेयर मूल एवं तरलीकृत अर्जन (अंकित मूल्य रू. 1000/- प्रति शेयर)	2596.97	5086.13

(घ) सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण

➢ **कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी निम्नलिखित अनुषंगी कम्पनियां**

1) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)
2) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
3) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)
4) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्लूसीएल)
5) नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
6) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
7) सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

➢ **संयुक्त उद्यम कम्पनियां**

1) छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
2) छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड

➢ **रोजगार पश्चात लाभ निधि**

1) एलआईसीआई के साथ समूह उपदान नकदी संचयन योजना (ग्रुप ग्रेच्युटी कैश एक्युमुलेशन प्लान)
2) एलआईसीआई के साथ नई उपदान नकदी संचयन योजना (न्यू ग्रुप ग्रेच्युटी कैश एक्युमुलेशन प्लान) (01.04.2014 पश्चात कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के लिए)
3) एलआईसीआई के साथ नई समूह अवकाश नकदीकरण योजना (न्यू ग्रुप लीव इंकेशमेंट स्कीम)
4) कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)
5) अधिकारी ट्रस्ट के लिए अभिदाता सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (कंट्रीब्यूटरी पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम फॉर एक्जीक्यूटिव ट्रस्ट)
6) सीआईएल अधिकारी परिभाषित योगदान पेंशन योजना-2007 (सीआईएल एक्जीक्यूटिव डिफाईंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम-2007)

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

➢ **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (अवधि 2019-20)**

नाम	पदनाम	कैफियत
श्री ए.पी. पण्डा	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	28.12.2018 से
डा. आर.एस. झा	निदेशक (कार्मिक)	29.09.2014 से
श्री आर.के. निगम	निदेशक (तकनीकी) संचालन	01.05.2019 से
श्री एम.के. प्रसाद	निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना	18.06.2019 से
श्री आर.के. निगम	निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना	28.12.2018 से 30.04.2019 तक
श्री कुलदीप प्रसाद	निदेशक (तकनीकी) संचालन	01.06.2016 से 30.04.2019 तक
श्री संजीव सोनी	निदेशक (वित्त)	04.04.2019 से 10.07.2019 तक
श्री एन.के. अगरवाला	निदेशक (वित्त)	16.08.2019 से 11.10.2019 तक
श्री एस.एम.चौधरी	निदेशक (वित्त)	12.10.2019 से
श्री एस.एम. युनुस	कम्पनी सचिव	17.08.2010 से

सरकार नामित एवं स्वतंत्र निदेशक

नाम	पदनाम	कैफियत
श्री आर.के. सिन्हा	अंशकालिक कार्यालयीन/सरकार नामित निदेशक	29.11.2019 से
श्री संजीव सोनी	अंशकालिक कार्यालयीन/सरकार नामित निदेशक	29.10.2019 से
श्री आशीष उपाध्याय	अंशकालिक कार्यालयीन/सरकार नामित निदेशक	11.01.2019 से 28.11.2019 तक
श्री एस.एन. प्रसाद	अंशकालिक कार्यालयीन/सरकार नामित निदेशक	10.12.2018 से 28.10.2019 तक
सीए श्री एस.के. देशपांडे	अंशकालिक गैर-कार्यालयीन/स्वतंत्र निदेशक	25.07.2019 से
डा. सुनील कुमार	अंशकालिक गैर-कार्यालयीन/स्वतंत्र निदेशक	17.11.2018 से 16.11.2019 तक
डा. बी.एस. सहाय	अंशकालिक गैर-कार्यालयीन/स्वतंत्र निदेशक	17.11.2018 से 16.11.2019 तक
सीए श्री विनोद जैन	अंशकालिक गैर-कार्यालयीन/स्वतंत्र निदेशक	19.02.2019 से 16.11.2019 तक

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

(रू. करोड़)

स.क्रं.	अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक एवं कम्पनी सचिव को पारिश्रमिक	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	**अल्पकालिक कर्मचारी लाभ (एसटीबी)**		
	समग्र वेतन	1.94	1.91
	चिकित्सा लाभ	-	-
	अनुलाभ एवं अन्य लाभ	0.51	0.22
	अवकाश का नकदीकरण	0.38	0.13
	ग्रेच्युटी एवं अवकाश का प्रावधान (बीमांकिक)	0.06	0.05
ii)	**रोजगार पश्चात लाभ**		
	पीएफ एवं अन्य निधि में अंशदान	0.55	0.25
iii)	**पर्यवसान (टर्मिनेशन) लाभ**	**-**	**-**
	कुल	**3.44**	**2.56**

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

टिप्पणीः

(i) उपर्युक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को सेवा-शर्तों के अनुसार प्रतिमाह रू. 2000/- भुगतान करने पर 1000 कि.मी. की अधिकतम सीमा तक निजी यात्रा के लिए कार उपयोग करने की अनुमति दी गई है ।

स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

(रू. करोड़)

स.क्रं.	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1	बैठक शुल्क	0.12	0.19

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पास बकाया शेष - 31.03.2020 को

स.क्रं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	देय राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ii)	प्राप्य राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं

समूह के भीतर सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार

एसईसीएल ने अपनी अनुषंगियों (सीईआरएल एवं सीईडब्लूआरएल) तथा कोल इंडिया लिमिटेड (समूह) के साथ संव्यवहार किया है, जिसमें अपैक्स प्रभार, पुनर्वास प्रभार, लीज किराया, अनुषंगियों द्वारा रखी गई निधि पर ब्याज, आईआईसीएम प्रभार तथा सीआईएल के साथ चालू खाता के माध्यम से सीआईएल की ओर से या उसके द्वारा तथा सीईआरएल एवं सीईडब्लूआरएल की ओर से या उनके द्वारा उनकी चालू खाता के माध्यम से हुआ अन्य व्यय है।

इंड एएस 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण संव्यवहार की राशि एवं प्रकृति के संबंध में प्रकटीकरण निम्नलिखित है-

(रू. करोड़)

संबंधित पार्टी का नाम	अपैक्स प्रभार	पुनर्वास प्रभार	प्रदत्त लाभांश	लीज किराया	सीआईएल के पास रखी निधि पर ब्याज	चालू लेखा शेष	
						प्राप्य	देय
कोल इंडिया लिमिटेड	150.55	85.16	1617.52	1.80	-	1.16	0.00
	(157.35)	(93.62)	(2326.61)	(1.80)		(0.00)	(27.83)

संयुक्त उद्यम अनुषंगियों का नाम	इक्विटी अंशदान	ऋण	चालू लेखा शेष	
			प्राप्य	देय
छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	121.47	0.00	0.44	0.00
	(96.00)	(0.00)	(0.40)	(0.00)
छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल)	0.00	45.00	0.44	0.00
	(0.00)	(51.00)	(0.40)	(0.00)
कुल	**121.47**	**45.00**	**0.88**	**0.00**
	(96.00)	**(51.00)**	**(0.80)**	**(0.00)**

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

कोल इंडिया से पट्टा :

कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कम्पनी) ने कोलकाता में दानकुनी कोल काम्पलैक्स की लीज भूमि, भवन और संरचनाओं, संयंत्र और मशीनरी पर 01.04.1995 से निर्माण और अपने उत्पादों सहित गैस व उप उत्पादों को बेचने का पूर्ण अधिकार दिया है। दिनांक 01.04.2016 से सीआईएल को देय लीज किराया रू. 1.80 करोड़ प्रतिवर्ष है।

उसी सरकार के नियंत्रणाधीन कम्पनियां

कंपनी सरकार से संबंधित कंपनी होने के नाते सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार और नियंत्रित सरकार और उसी सरकार के अधीन एक अन्य कंपनी के साथ शेष बकाया राशि के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण से मुक्त होती है। निम्नलिखित संव्यवहार/लेनदेन को उसी सरकार के नियंत्रण में कंपनी के साथ आर्म लेंग्थ प्राईज पर दर्ज किया गया है।

कम्पनी (इंटिटी) का नाम	लेनदेन/व्यवहार	31.03.2020 को समाप्त अवधि	31.03.2019 को समाप्त अवधि
एनटीपीसी	कोयले की बिक्री (शुद्ध लेवी)	5110.28	5734.53

(च) पट्टा (इंड एएस-17) :

i) भवन- (अपोलो हास्पिटल) :

कम्पनी ने मेसर्स अपोलो हास्पिटल इंटरप्राईजेज लिमिटेड,चेन्नई के साथ किए गए अनुज्ञा-अनुबंध दिनांक 19.03.2001 के मुताबिक 2,97,099.74 वर्ग फीट (27611.50 वर्ग मी0) में पूर्ण रूप से निर्मित मुख्य अस्पताल भवन तथा 55,333 वर्ग फीट (5142.47 वर्ग मी.) में निर्मित आवासीय क्वार्टर व उसके साथ जमीन पर निर्मित अन्य संरचना जैसे सब-स्टेशन भवन, अशुद्ध जल शुद्धिकरण संयंत्र एवं पम्प हाउस को अपने अधिकार में लेने व प्रयोग करने का अधिकार दिया है।

अनुज्ञा अनुबंध, नवम्बर, 2001 अर्थात पट्टा प्रारंभ होने की प्रभावी तिथि से 30 वर्षों की पट्टा-अवधि के लिये है।

अपोलो हास्पिटल द्वारा देय पट्टा किराया का लेखा-जोखा अनुबंध के अनुसार किया जाता है। अनुबंध के अनुसार, तुलन पत्र तारीख को मुख्य अस्पताल भवन के लिए अपोलो हास्पिटल से प्राप्य पट्टा किराया प्रतिमाह रू.4/- प्रतिवर्ग फीट (रू. 4/- प्रतिवर्ग फीट प्रतिमाह) की दर पर प्रतिमाह रू.1.43 करोड़ या अनुज्ञप्तिधारी को अस्पताल के इस डिवीजन के संचालन से प्राप्त निवल लाभ का 1/3, जो भी अधिक हो, है। यह आवासीय मकानों के लिए रू. 2/- प्रतिवर्ग फीट (रू. 2 प्रतिवर्गफीट प्रतिमाह) की दर पर रू. 0.13 करोड़ प्रतिमाह होता है। तुलन पत्र तारीख को समाप्त वर्ष हेतु अपोलो अस्पताल द्वारा रू. 1.17 करोड़ (रू. 1.17 करोड़) राशि का भुगतान पट्टा किराया के रूप में किया गया, जो न्यूनतम किराया है।

अपोलो हास्पिटल इंटरप्राईजेज लिमिटेड को पट्टे पर दी गई समग्र सम्पत्ति की लागत जिसे स्थायी परिसम्पत्ति की अनुसूची के अधीन दर्शाया गया है वह रू. 31.32 करोड़ (रू. 31.32 करोड़) है तथा तुलन पत्र तारीख को संचित अवमूल्यन 11.36 करोड़ (रू. 10.28 करोड़) है, लाभ और हानि विवरण में मान्य मूल्यहास रू 0.54 करोड़ (रू0 0.54 करोड़) है।

31.03.2020 को समस्त प्राप्य आगामी न्यूनतम पट्टा किराया रू0 17.13 करोड़ (रू. 18.69 करोड़) होता है, निम्नलिखित प्रत्येक की अवधि नीचे दी गई है :

(रू. करोड़ में)

		31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
(i)	एक वर्ष के अंदर	1.56	1.56
(ii)	एक वर्ष के बाद तथा पांच वर्ष के अंदर	6.23	6.23
(iii)	पांच वर्ष के बाद तथा पट्टा अवधि तक	9.34	10.90

लाभ व हानि लेखा में आय के रूप में कोई आकस्मिक किराया मान्य नहीं किया जाता है।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

ii) रेलवे सायडिंग :

(क) कंपनी ने मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशंस प्रायवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ निष्पादित अनुज्ञा अनुबंध दिनाक 03.01.2007 एवं 16.05.2008 के निबंधन में दिनांक 23.05.2006 से 20-वर्षों की अवधि के लिये पट्टे पर गेवरा क्षेत्र में पूर्णतः निर्मित रेलवे सायडिंग जूनाडीह नं.-3 के उपयोग का अधिकार-पत्र प्रदान किया है। चालू अवधि/वर्ष के लिए 1.81 करोड़ (1.65 करोड़) पट्टा किराया प्राप्य है/प्राप्त हुआ।

(ख) कम्पनी ने मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशंस प्रायवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ निष्पादित अनुज्ञा अनुबंध दिनांक 03.01.2007 एवं 16.05.2008 के निबंधन में दिनांक 23.08.1999 से 20-वर्षों की पट्टा-अवधि के लिए गेवरा क्षेत्र में पूर्णतः निर्मित रेलवे सायडिंग जूनाडीह नं.-4 के उपयोग का अधिकार पत्र प्रदान किया है। चालू अवधि/वर्ष के लिए रू. 1.84 करोड़ (रू.1.67 करोड़) पट्टा किराया प्राप्य है/प्राप्त हुआ । अनुबध पट्टा का नवीनीकरण प्रक्रियाधीन है ।

(ग) कम्पनी ने मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड (जिसे औपचारिक रूप से एसटीसीएलआई कोल वाशरी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) के साथ निष्पादित पट्टा अनुबंध दिनांक 15.10.2007 के निबंधन में पत्र सं. 13-14/81 दिनांक 18.07.14 के तहत अक्टूबर, 2007 से 30-वर्षों की प्रयुक्त पट्टा-अवधि के लिए पूर्णतः निर्मित रेलवे सायडिंग लाईन नं.-2 दीपका क्षेत्र के उपयोग का अधिकार पत्र प्रदान किया है । चालू वर्ष/अवधि के लिए रू. 2.09 करोड़ (रू.1.90 करोड़) पट्टा किराया प्राप्य है/प्राप्त हुआ।

(घ) पट्टे पर दी गई परिसम्पत्ति (जूनाडीह-3,4), जिसका तुलन-पत्र तारीख को मूल्य रू. 80.19 करोड़ (रू. 8.02 करोड़) निर्धारित है तथा संचित मूल्यह्रास रू. 16.48 करोड़ (रू. 7.57 करोड़) है, अवधि के लिये लाभ और हानि विवरणी में मान्य मूल्यह्रास रू. 7.02 करोड़ (0.01 करोड़) है।

(ड.) मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड (जिसे औपचारिक रूप से एसटीसीएलआई कोल वाशरी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को रू. 19.21 करोड़ की परिसम्पत्तियां पट्टे पर (लाईन नं.-2) दी गई, जिसका तुलन-पत्र तारीख को संचित मूल्यह्रास रू. 13.74 करोड़ (रू. 12.93 करोड़) है।

वर्ष के अंत में समस्त प्राप्य आगामी न्यूनतम पट्टा किराया रू0 117.24 करोड़ (रू.118.93 करोड़) होता है, निम्नलिखित के प्रत्येक की अवधि नीचे दी गयी है :

(रू. करोड़ में)

अवधि	31.03.2020 तक				31.03.2019 तक
	जूनाडीह सायडिंग-3 (ए)	जूनाडीह सायडिंग-4 (बी)	लाईन नं. 2 (डी)	कुल	
एक वर्ष के अंदर	3.81	1.11	2.30	7.22	4.62
एक वर्ष के बाद तथा पांच वर्ष के अंदर	10.18	-	11.73	21.91	19.91
पांच वर्ष के बाद तथा पट्टा अवधि तक	3.71	-	84.40	88.11	94.40
	17.70	**1.11**	**98.43**	**117.24**	**118.93**

लाभ व हानि लेखा में आय के रूप में कोई आकस्मिक किराया मान्य नहीं किया जाता है।

iii) भूमि :

कम्पनी ने मेसर्स गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वडोदरा, गुजरात के साथ निष्पादित अनुज्ञा अनुबंध दिनांक 17.10.2005 के निबंधन में दिनांक 17.10.2005 से 20-वर्षों की अवधि के लिए गेवरा क्षेत्र में पूर्णतः निर्मित रेलवे सायडिंग जूनाडीह लाईन नं.-5 के उपयोग का अधिकार-पत्र प्रदान किया है। चालू अवधि/वर्ष के लिए रू. 1.11 करोड़ (रू. 1.01 करोड़) पट्टा किराया प्राप्त किया गया।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

कम्पनी ने मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड (जिसे औपचारिक रूप से एसटीसीएलआई कोल वाशरी लिमिटेड नाम से जाना जाता है) के साथ निष्पादित पट्टा अनुबंध के निबंधन में दिनांक 01.11.1996 से 30-वर्षों की अवधि के लिए दीपका परियोजना में सायडिंग की सुविधा तथा वाशरी निर्माण के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार पत्र पट्टे पर प्रदान किया है। चालू वर्ष/अवधि के दौरान रू. 3.21 करोड़ (रू.2.92 करोड़) पट्टा किराया प्राप्त हुआ/प्राप्य है ।

मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड (जिसे औपचारिक रूप से एसटीसीएलआई कोल वाशरी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों के भूमि का मूल्य रू. 0.82 करोड़ (रू.0.83 करोड़) है तथा तुलन पत्र तारीख को संचित मूल्यह्रास रू. 0.50 करोड़ (रू. 0.42 करोड़) है।

वर्ष के अंत में एकीकृत रूप में प्राप्य आगामी न्यूनतम पट्टा किराया रू. 38.68 करोड़ (रू.39.96 करोड़) होता है, निम्नलिखित के प्रत्येक की अवधि नीचे दी गई है :

(रू. करोड में)

अवधि		31.03.2020 तक			31.03.2019 तक
		जूनाडीह सायडिंग-5 के लिए भूमि (क)	वाशरी एवं सायडिंग के लिए भूमि (ख)	कुल (क+ख)	
(i)	एक वर्ष के अंदर	1.23	3.53	4.74	4.22
(ii)	एक वर्ष के बाद तथा पांच वर्ष के अंदर	6.26	18.05	24.31	20.46
(iii)	पांच वर्ष के बाद तथा पट्टा अवधि तक	1.07	8.54	9.61	15.28
		8.56	**30.12**	**38.68**	**39.96**

लाभ और हानि लेखा में आय के रूप में कोई आकस्मिक किराया स्वीकार/मान्य नहीं किया जाता हैं।

iv) दानकुनी कोल कॉम्पलेक्स :

कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 30 मार्च, 2019 की अधिसूचना के अनुसार भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 116 के अनुसार पट्टे इंड. एएस 17 को प्रतिस्थापित कर दिनांक 01.04.2019 से कंपनी के लिए प्रभावी माने जाएंगे । पट्टों पर लेखा नीति को एंड एएस 116 के अनुसार बदल दिया गया है । इंड एएस 116 में प्रमुख परिवर्तन, पट्टागृहीता के वर्तमान पट्टों को प्रभावी, जिसमें प्रमुख परिवर्तन उनकी लेखा नीति है, जिसके द्वारा वर्तमान में प्रभावी पट्टों की लेखा नीति में परिवर्तन किया गया है। कंपनी पट्टागृहीता होने की स्थिति में सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार और भविष्य में देयता के भुगतान के लिए पट्टों के करार को मान्यता दी गई है ।

कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कम्पनी) ने प्रारंभिक रूप से दिनांक 01.04.1995 से पांच वर्षों के लिए कोलकाता में दानकुनी कोल काम्पलेक्स की संयंत्र व मशीनरी और अन्य संरचना को विनिर्माण के संपूर्ण अधिकार के साथ उसके उत्पाद जिसमें गैस व उप-उत्पाद शामिल है, बिक्री हेतु पट्टे पर दिया है। दिनांक 01.04.2016 से कोल इंडिया लिमिटेड को देय संशोधित/पुनरीक्षित पट्टा-किराया प्रति वर्ष रू.1.80 करोड़ है।

इंड एएस 116 के पैरा 5 (सहपठित परिशिष्ट-बी का पैरा बी-3 से बी-9 तक) को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने मूल्यांकन किया है कि क्या दानकुनी कोल काम्पलैक्स की परिसम्पत्तियों का सही आधार पर मूल्यांकन किया है कि क्या इसकी कथित परिसम्पत्तियों का मूल्य निम्न है और निष्कर्षतः पाया है कि दानकुनी कोल काम्पलेक्स की परिसम्पत्तियां अवमूल्यन के आधार पर अपनी आयु पूर्ण कर चुकी है और अपने मूलतः मूल्य के 5-प्रतिशत मूल्य के बराबर ही शेष है जिनका पट्टागृहीता की आकार, प्रकृति अथवा परिसम्पत्तियों से कोई संबंध नहीं है और उन्हें निम्न मूल्य की परिसम्पत्ति माना जा सकता है ।

अतः, कंपनी ने दानकुनी कोल काम्पलैक्स की निम्न मूल्य की परिसम्पत्तियों पर इस मानक के पैरा 22-49 की शर्तों को लागू करने का चयन नहीं किया है और प्रतिधारित अर्जन के प्रारंभिक स्कंध को समायोजित कर शून्य कर लिया है ।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

च. कराधान (इंड एएस-12)

चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल) रू.8457.72 करोड़ (रू.6989.70 करोड़) का विवरण नीचे दिया गया है-

विवरण	चालू वर्ष	पिछली वर्ष
स्रोत पर काटा गया अग्रिम आयकर/कर (प्रतिरोध स्वरूप जमा कर रू. 6067.83 करोड़ (रू. 5204.36 करोड़)	6989.70	5963.30
जोड़िए : 97-98 से 03-04 की धन-वापसी पर ब्याज के विरूद्ध समायोजित पूर्वतम वर्षों की डिमांड	166.05	-
जोड़िए : 2016-17 के लिए पेनाल्टी/डिमांड		155.79
जोड़िए : 2017-18 के लिए पेनाल्टी/डिमांड		198.20
जोड़िए : 2018-19 का डिमांड	530.10	
घटाईए : पूर्वतम वर्षों के लिए समायोजित धन-वापसी (रिफण्ड)		(183.99)
जोड़िए : पूर्वतम वर्षों के लिए अधिक प्रावधान का विपर्यय	67.08	186.82
कुल (प्रतिरोध स्वरूप जमा कर रू.7140.42 करोड़ (रू.6067.83 करोड़) सहित	7752.93	6320.12
जोड़िए : अग्रिम कर/टीडीएस - चालू वर्ष	1201.41	2469.43
घटाईए : आयकर का प्रावधान - चालू वर्ष	(496.62)	(1799.85)
कुल (निवल)	**8457.72**	**6989.70**

छ. अनुषंगियों की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सामानों की खरीदी

प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, अनुषंगियों की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खरीदे गए सामानों का लेखा जोखा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित अनुषंगी कम्पनियों के बही में की जाती है ।

ज. बीमा एवं वृद्धि दावे

बीमा एवं वृद्धि संबंधी दावे का लेखा-जोखा, प्रवेश/अंतिम व्यवस्थापन के आधार पर किया जाता है।

झ. लेखा में किया गया प्रावधान

धीमी चलन/अचलन/अप्रचलित स्टोर्स, प्राप्य दावें, अग्रिम, संदेहात्मक दावे आदि के लिए लेखा में किए गए प्रावधान को संभावित घाटे को नियंत्रित (कवर) करने के लिए पर्याप्त माना गया ।

ट. चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि

प्रबंधन की राय में, स्थाई परिसम्पत्तियों एवं गैर-चालू निवेश के अलावा परिसम्पत्तियों का मूल्य कारोबार के साधारण अनुक्रम में उगाही के लगभग बराबर है, जिसमें वह वर्णित है ।

ठ. चालू देयताएं

जहां वास्तविक दायित्व का आकलन नहीं किया जा सकता, वहां अनुमानित देयता उपलब्ध कराया गया।

ड. शेष का पुष्टिकरण :

व्यापारिक प्राप्य, नकद व बैंक-शेष, कपितय ऋण व अग्रिम, दीर्घकालिक देयताओं एवं चालू देयताओं के लिए शेष का पुष्टिकरण/समाधान आवधिक रूप में किया गया। सभी संदेहात्मक अपुष्ट शेष के लिए प्रावधान किया गया है।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

ढ. कोरोना वायरस (कोविड-19) का प्रकोप भारत सहित पूरी दुनिया को प्रभावित कर आर्थिक गतिविधियां के मंदी का कारण बन रहा है। कंपनी ने अपने व्यावसायिक कार्यों के संबंध में इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। समीक्षा तथा आर्थिक स्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों और उसके व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तनों की बारीकी से निगरानी कर रही है ।

त) महत्वपूर्ण लेखा नीति

कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अधीन कार्पोरेट कार्य मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति (टिप्पणी-2) का मसौदा तैयार किया गया है ।

उपभोक्ताओं को अधिक प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सम्पत्ति सूची के लागत की गणना पद्धति को फीफो (एफआईएफओ) पद्धति से भारित औसत पद्धति में बदल दिया गया है। हालांकि, पिछले वर्ष 2018-19 के इति भण्डार के मूल्यांकन पर नगण्य प्रभाव रहा, इसलिए पिछले वर्ष के लिए रिपोर्टेड आंकड़ों को पुनःवर्णित नहीं किया गया है ।

अन्य

(क) पिछले वर्ष/अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनःवर्णित, पुनर्गठित व पुनर्नियोजित किया गया।

(ख) टिप्पणी सं.-3 से 38 में पिछले वर्ष/अवधि के आंकडों को कोष्ठक में दर्शाया गया हैं।

(ग) टिप्पणी 1 एवं 2 क्रमशः कार्पोरेट से संबंधित सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का वर्णन करती हैं, टिप्पणी 3 से 23 तक, तुलन पत्र का एक भाग है, तथा टिप्पणी 24 से 37 तक तुलन-पत्र दिनांक को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण का एक भाग है । टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणी की अतिरिक्त टिप्पणियों का वर्णन करती है ।

टिप्पणी 1 से 38 के लिए हस्ताक्षर ।

हस्ता./-
(सीएस एस.एम. युनुस)
कंपनी सचिव

हस्ता./-
(सीए बी.के. झा)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-
(सीए एस.एम. चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 07478302

हस्ता./-
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06664375

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुरूप
कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.-000734सी

हस्ता./-
(सीए एस.के. आचार्या)
भागीदार
सदस्यता सं.-078371

दिनांक : 10.06.2020
स्थान : बिलासपुर

वित्तीय विवरण (समेकित)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणी पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) सहपठित धारा 129 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा के अनुरूप 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139 (5) सहपठित धारा 129 (4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा करने संबंधी मानकों के अनुरूप स्वतंत्र-निष्पक्ष लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 सहपठित धारा 129 (4) के अधीन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु जवाबदेह है। यह घोषित किया जाता है कि उनके द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 10.06.2020 के आधार पर बनाया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) सहपठित धारा 129 (4) के अधीन साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणियों का अनुपूरक लेखा परीक्षा कार्य सम्पन्न किया है, जिसमें उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं उसकी अनुषंगियों अर्थात छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरण शामिल है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यालयीन कागज-पत्र प्राप्त किए बिना ही स्वतंत्र रूप से सम्पन्न किये गये है तथा ये मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कम्पनी कार्मिकों से पूछताछ एवं कुछेक लेखा अभिलेखों की चयनात्मक जॉच तक ही सीमित है।

मेरे लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य संज्ञान-प्रकाश में नही आया है, जिसके आधार पर उस पर या सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुपूरक पर किसी प्रकार की कोई टीका-टिप्पणी की जा सके।

वास्ते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

हस्ताक्षर

(मौसुमी राय भट्टाचार्या)

महानिदेशक लेखा परीक्षा (कोल)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 05.08.2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति, सदस्य, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणी की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमनें ''साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड'' (''जिसे आगे नियंत्रक कम्पनी के रूप में संदर्भित किया गया'') एवं इसकी अनुषंगियों (नियंत्रक कम्पनी एवं इसकी अनुषंगियों को एक साथ ''समूह'' कहा गया है) के संगत समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणी, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2020 तक का समेकित तुलन पत्र शामिल है तथा उसी समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण, तथा इक्वीटी में परिवर्तन की समेकित विवरणी तथा समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण की टिप्पणी सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसे आगे ''समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण'' कहा गया है) का सार शामिल है, लेखा परीक्षा किया है।

हमारी राय में व हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण, कपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा वांछित जानकारी-सूचना अपेक्षित रूप में प्रदान करता है तथा 31 मार्च, 2020 तक के समूह के समेकित कार्य मामलों की तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभ (समेकित अन्य व्यापक आय सहित), इसके समेकित रोकड़ प्रवाह तथा इक्विटी में समेकित परिवर्तन का, अधिनियम की धारा 133 सहपठित कम्पनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा-संशोधित) के अधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों समेत भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही व उचित विचार प्रदान करता है ।

राय के लिए आधार

हमनें अधिनियम की धारा 143 (10) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य आधिकारिक उद्घोषणाओं के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसएएस) के अनुरूप अपना लेखा परीक्षा कार्य निष्पादित किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण खण्ड के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नैतिक संहिता साथ ही, नैतिक आवश्यकताओं, जोकि अधिनियम, 2013 तथा इसके अधीन जारी नियमों के प्रावधानों के अधीन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है, के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं तथा हमनें इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने अन्य नैतिक जवाबदेहियों तथा आईसीएआई के नैतिक संहिता का पूरा पालन किया है। हम यह मानते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणी पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त एवं समुचित है।

विषय पर जोर

नियंत्रक कम्पनी के संबंध में :

1. हम समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण से संबंधित नोट-38 (5) (एम) पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो विवेक के सिद्धातों का वर्णन करता है और जिसे प्रबंधन ने कोविड-19 महामारी की स्थिति, अन्य प्रतिबंधों व लॉक-डाउन के कारण वित्तीय प्रभाव व अनिश्चितता का मूल्यांकन करते समय व्यवहार में लाया है, जिसके लिए बाद की अवधि में वित्तीय विवरण पर वास्तविक प्रभाव का एक निश्चित मूल्यांकन परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसी भी परिस्थितियां सामने आएंगी।

2. हम फीफो पद्धति द्वारा भारित औसत लागत पद्धति में कोयले की इति सम्पत्ति सूची के मूल्यांकन से संबंधित नोट 35(5) (एन) पर समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण के बारे में ध्यान आकर्षित करते हैं जो लेखा नीति में परिवर्तन का वर्णन करती है ।

3. हम, व्यापारिक प्राप्य, नकदी और बैंक शेष, कतिपय ऋण व अग्रिम, दीर्घकालिक देयताओं एवं चालू देयताओं से संबंधित आवधिक पुष्टिकरण, मिलान एवं परिणामी समायोजन (यदि कोई हो) के संबंध में नोट 38 (5) (एल) पर ध्यान आकर्षित करते हैं ।

इन विषयों पर हमारी राय में कोई संशोधन नहीं हैं ।

समेकित वित्तीय विवरण के अलावा जानकारी एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नियंत्रक कंपनी के निदेशक मण्डल अन्य सूचना/जानकारी तैयार करने के प्रति जवाबदेह हैं। अन्य सूचना/जानकारी में प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट समेत बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक, व्यवसाय जवाबदेही रिपोर्ट तथा कार्पोरेट गवर्नेंस की सूचना शामिल है, किंतु इसमें समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना को शामिल नहीं करती है, तथा हम उस पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं कर सकते ।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जवाबदेही अन्य जानकारी का अवलोकन/पठन करना और, ऐसा करने में, यह ध्यान रखना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरण से वस्तुपरक असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान/जानकारी या अन्यथा वस्तुपरक गलत प्रतीत होता है ।

यदि हमारे द्वारा किये गये कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते है कि इसमें कोई वस्तुपरक गलत विवरण है तो हमारे लिए उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारा यह निष्कर्ष है कि अन्य जानकारी का ऐसा कोई वस्तुपरक मिथ्या विवरण इसमें विद्यमान नहीं है ।

मुख्य लेखा परीक्षा विषय

मुख्य लेखा परीक्षा विषय, वे विषय हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण के हमारे लेखा परीक्षा के दौरान अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। इन विषयों को पूरे समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण के हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में तथा उस पर हमारी राय बनाने में समाधान किया गया था तथा हमनें इन विषयों पर अलग से न तो कोई राय बनाया है और न दिया है। हमनें अपनी रिपोर्ट में संसूचित किए जाने वाले मुख्य लेखा परीक्षा विषय को निर्धारित कर विषय को नीचे वर्णित किया है ।

स.क्रं.	प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	निष्पादित प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रिया
1	**कोविड-19 महामारी के कारण अंकेक्षण दूरस्थ स्थान से किया गया है।वास्तविक/ भौतिक दस्तावेजों का मूल्यांकन/सत्यापन उनकी स्कैन छाया-प्रति एवं कम्पनी द्वारा उनकी पुष्टि के आधार पर किया गया है ।** स्कैन किए गए दस्तावेज विशेषकर जिनके मूल दस्तावेज कंपनी के पास उपलब्ध है, उनकी सत्यता की अपनी सीमाएं हैं। वर्तमान लॉकडाउन एवं उसके प्रतिबंधों के अधीन प्रबंधन द्वारा सम्पत्तियों के किए गए प्रत्यक्ष जांच/भौतिक सत्यापन हेतु हमारी उस स्थान पर उपस्थिति संभव नहीं होने के कारण हमनें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए रिपोर्टों के आधार पर उनके अस्तित्व एवं स्थिति पर विश्वास किया है। चूंकि हम लेखा परीक्षा साक्ष्य व्यक्तिगत रूप से या संबंधित कर्मी से वार्तालाप द्वारा एकत्र नहीं कर सकते थे, हमनें इसे प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय चिन्हित किया है ।	लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कोविड-19 प्रकोप के कारण राष्ट्रव्यापी लाकडाउन में यात्राओं पर प्रतिबंध की वजह से हम कंपनी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्यक्ष रूप से लेखा परीक्षा नहीं कर सके और परिणामतः आवश्यक दस्तावेज, अभिलेख, सूचनाएं और रिपोर्ट स्कैन/साफ्ट प्रारूप में ई-मेल से प्राप्त किए गए थे और उन्हीं के आधार पर लेखा परीक्षा किया गया । प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के समाधान हेतु निम्न लेखा परीक्षा प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है- दस्तावेजों के स्कैन/साफ्ट रूप में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन किया गया। जांच स्कैन्ड दस्तावेजों के परीक्षण व मूल्यांकन पर आधारित है। दस्तावेजों की सत्यता और कंपनी प्रबंधन के पास उनकी मूल प्रति उपलब्ध होने के संबंध में प्रबंधन से सत्यापित कराया गया । अपनी संतुष्टि के लिए आवश्यकतानुसार कंपनी प्रबंधन से स्कैन्ड दस्तावेजों की विश्वसनीयता की जांच हेतु मौखिक विचार-विमर्श किया गया और अतिरिक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य एकत्र किए गए ।

स.क्रं.	प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	निष्पादित प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रिया
2	**ओवरबर्डन (माईन वेस्ट मटेरियल), खान सरफेस (ओपन कास्ट) के व्यय के लिए स्ट्रीपिंग अनुपात का मूल्यांकन और स्ट्रीपिंग गतिविधियों का समायोजन।** संचित कोयले में ओवरबर्डन का अनुपात स्ट्रीपिंग अनुपात है। ओवरबर्डन और कोयले की मात्रा अनुमानित है और आंतरिक एवं बाह्य विशेषज्ञों द्वारा सर्वेक्षित है। कंपनी तकनीकी रूप से प्रत्येक खान के लिए मानक स्ट्रीपिंग अनुपात का मूल्यांकन करती है जिसमें महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय अंतर्निहित होते हैं। 5-वर्षों के अंतराल में ऐसे अनुमानों की समीक्षा की जाती है अतः इस अवधि में अनुपात बदल सकता है । वास्तविक रूप से हटाए गए ओवरबर्डन की रिपोर्ट की गई मात्रा, क्लोजिंग एडवांस स्ट्रीपिंग एवं वर्ष के दौरान उत्पादित कोयले के आधार पर, वर्तमान स्ट्रीपिंग अनुपात निर्धारित किया जाता है। मानक स्ट्रीपिंग अनुपात के आधार पर वर्ष के दौरान कोयले के वास्तविक उत्पादन के संबंध में ओवरबर्डन हटाने में हुए खर्च को लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है । चूंकि इस लेखा विधि में तकनीकी अनुमान एवं निर्णय शामिल है अतः हमनें इसे प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के रूप में विचार किया है ।	प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के समाधान हेतु निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है - - कंपनी एवं समान स्वरूप के खनन उद्योगों में अपनाई गई स्ट्रीपिंग प्रक्रिया के संबंध में प्रबंधन की सहमति ली गई है । - सरफेस माईनिंग से संबंधित खर्च का पता लगाने एवं कोयला व ओवरबर्डन हटाने में हुए खर्च के आबंटन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में प्रबंधन से चर्चा की गई है । - कोयले एवं ओवरबर्डन के माप एवं कोयला व ओवरबर्डन में खर्च के आबंटन से संबंधित आगत सूचना दस्तावेजों के संबंध में इसके उपयुक्त नियंत्रण एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। - ओवरबर्डन से कोयले के अनुपात में भिन्नता की गणना एवं प्रावधान की गणना की समीक्षा की गई। - इंड एएस वित्तीय विवरण की टिप्पणी में प्रकटीकरण की उपयुक्तता तथा स्ट्रीपिंग कार्यकलाप के खर्च एवं समायोजन के संबंध में कंपनी के लेखा नीति की समीक्षा की गई । - हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण अपवाद नहीं पाए गए है।
3	**कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता (ग्रेड स्लीपेज) हेतु प्रावधान** बिक्री किए गए कोयले एवं बाह्य गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के अनुसार कोयले की गुणवत्ता बेमेल होने के कारण कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता का समायोजन बिक्री में किया गया । कोयले की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व को वित्तीय विवरण में कोयले की रिपोर्टेड ग्रेड में प्रेषण तिथि को मान्य किया जाता है और ग्रेड स्लीपेज संबंधी प्रावधानों के अनुसार कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता के लिए समायोजित किया जाता है । ग्रेड स्लीपेज के प्रावधानों में प्रबंधन के निर्णय और कोयले की गुणवत्ता के पिछले जांच परिणामों के तकनीकी मूल्यांकन की गणना अंतर्निहित है । कोयले की गुणवत्ता में परिवर्तन,यदि कोई हो, के कारण किसी भी भिन्नता का समाधान अलग से डेबिट/क्रेडिट नोट जारी कर किया जाता है । लाभ व हानि विवरण में मान्य राजस्व एवं ग्रेड-स्लीपेज के लिए किए गए समायोजन के संदर्भ में माद्दा के कारण अपेक्षित निर्णय और अनुमान को हमने प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के रूप में विचार किया है ।	प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के समाधान हेतु निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है - - विक्रय रजिस्टर जिसमें से कोयले के ग्रेड की जांच हेतु सैम्पल भेजे जाते हैं, से चालू अवधि के दौरान किए गए समस्त बिक्री की जानकारी ली गई । - चालू अवधि के दौरान ग्रेड स्लीपेज संबंधी प्रावधान की जानकारी प्राप्त कर उसकी जांच की गई और ग्रेड स्लीपेज के पूर्व प्रावधानों में समायोजित की गई। - पूर्व गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के परिणाम/निष्कर्ष के आधार पर ग्रेड स्लीपेज संबंधी प्रावधानों के उपयुक्तता की जांच की गई। - गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के परिणाम/निष्कर्ष और लेखा में राजस्व व वैधानिक दायित्वों पर इसके प्रभाव के आधार पर वर्तमान अवधि के दौरान सत्यापित डेबिट-क्रेडिट नोट जारी की गई। - वित्तीय विवरण में मापन, मान्यता और प्रकटीकरण के लिए उपयुक्त नियंत्रण का मूल्यांकन किया गया। - हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण अपवाद नहीं पाए गए है ।

स.क्रं.	प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	निष्पादित प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रिया
4	**विवाद एवं आकस्मिक देयताओं का निर्धारण** कराधान, खनन, राज्य एवं स्थानीय उपकरों से संबंधित विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष कंपनी के विरूद्ध विवाद पाए गए है जिसके समाधान हेतु समय लगेगा और वित्तीय विवरण में इसका प्रभाव अंतर्निहित पाया गया है । विवादों से संबंधित जोखिमों का मूल्यांकन गूढ़ अनुमान पर आधारित है। प्रावधान व इसमें बढ़ोतरी का जोखिम है जो निर्णय पर आधारित होंगी और हो सकता है कि आकस्मिक दायित्व का प्रावधान उपयुक्त न हो। तदनुसार इसे प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय माना गया है । समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण का नोट-38 देखें।	प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के निपटान हेतु निम्नलिखित अंकेक्षण प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है - - कंपनी द्वारा क्रियान्वित ऐसे दायित्व को चिन्हित करने हेतु अपनाई गई कार्यविधि के संबंध में कंपनी के विधि एवं वित्त विभाग से चर्चा कर सहमति ली गई । - लंबित विवादों की स्थिति तथा ऐसे विवादों के परिणाम/निष्कर्ष के संबंध में उनके मूल्यांकन की जानकारी कंपनी के उत्तरदायी व्यक्ति से ली गई। - विभिन्न फोरमों से प्राप्त विविध पत्राचार/आदेशों की प्रतियां तथा इन पत्राचारों के संबंध में कंपनी प्रबंधन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी लेकर उसकी समीक्षा की गई । - वित्तीय विवरण में समुचित रूप से ऐसे विवादों के प्रकटीकरण व मान्यता, मापन के लिए उपयुक्त नियंत्रण का मूल्यांकन किया गया । - हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण अपवाद नहीं पाए गए है ।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

नियंत्रक कम्पनी के निदेशक मण्डल, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य निष्पादन (समेकित अन्य व्यापक आय समेत), समेकित रोकड़ प्रवाह और इक्विटी में समेकित परिवर्तन का सही और स्पष्ट रूप प्रदर्शित करने वाले इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणी को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में वर्णित विषय सहित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखाविधि मानक (इंड एएस), सह-पठित कंपनीज (भारतीय लेखाविधि मानक) नियम, 2015 (यथा-संशोधित) के लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों में, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समूह की परिसम्पत्ति की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाना एवं रोकथाम करने हेतु लेखा अभिलेखों का पर्याप्त रख-रखाव करना, तथा समुचित लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, उचित व विवेकपूर्ण निर्णय लेना तथा आकलन करना, जोकि उचित व विवेकपूर्ण हो तथा समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण की तैयारी एवं प्रस्तुति से सम्बद्ध पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा (डिजाईन), क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण, जोकि लेखा अभिलेखों की यथार्थता और सम्पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली रहा हो, और जो सही और स्पष्ट विचार देता हो एवं वस्तुपरक गलत विवरण से मुक्त हो, चाहे वह छलकपट या भूलवश हो, भी शामिल है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण को तैयार करते समय, नियंत्रक कंपनी के निदेशक मण्डल समूह के लाभकारी रूप से कार्य करते रहने की क्षमता के आकलन हेतु जवाबदेह है तथा यथा-लागू इसके द्वारा संस्था के लाभ के विषय में सूचनाएं प्रकट की जाती हैं तथा लेखा में इसका व्यवहार होता है तथा यह उस स्थिति में नहीं किया जाता, जबकि निदेशक मण्डल समूह के अधीन कम्पनियों को निपटान करने अथवा संचालन समाप्त करना चाहती हो अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई विकल्प शेष न हो।

समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मण्डल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी/ निरीक्षण के प्रति जवाबदेह हैं ।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा लक्ष्य तार्किक रूप से यह निश्चित कर लेना है कि समग्र रूप से समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण वस्तुगत गलत विवरणी से मुक्त रहे यदि कहीं ऐसा धोखे या त्रुटिवश हुआ हो, साथ ही हमारा लक्ष्य एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें लेखा परीक्षकों के विचार शामिल रहते हैं । तार्किक रूप से विश्वास प्राप्त करना एक उच्च स्तर का आश्वासन है, तथापि यह इस बात की गारंटी नहीं देता है कि लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुरूप किया गया लेखा परीक्षा हमेशा ही किसी भी उपलब्ध वस्तुगत त्रुटि को ढूंढ लेने में सफल हो सकेगा । गलत विवरणी किसी त्रुटि या धोखे के कारण उत्पन्न हो सकती है तथा इन्हें तभी मूर्त माना जाता है जबकि ये अलग-अलग या समेकित, इस समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर किसी उपभोक्ता (यूजर्स) द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने में सक्षम माने जाएं ।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किए जा रहे लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के अधीन हमारे द्वारा पेशेवर निर्णय क्षमता के अनुरूप लिए जाते हैं तथा लेखा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान एक पेशेवर संशयवाद का व्यवहार अपनाया जाता है, हमारे द्वारा :-

- समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के वस्तुगत गलत विवरणों की जोखिमों की पहचान एवं उनसे जुड़े खतरों का आकलन किया जाता है जबकि ऐसा धोखे या त्रुटिवश के कारण हुआ हो तथा इन जोखिमों के प्रत्युत्तर में लेखा परीक्षा प्रकिया निर्धारित व संचालित होती है साथ ही ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया जाता है जोकि हमारे विचार को पूर्ण रूप से तथा सही तरीके से आधार दे सके। त्रुटि की तुलना में धोखे से उत्पन्न वस्तुगत गलत विवरणी की पहचान न कर पाना ज्यादा जोखिम भरा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर कोई जानकारी छुपा लेना, किसी चीज को गलत तरीके से प्रस्तुत करना अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल होती है।
- लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना जिससे कि इस प्रकार की आडिट प्रक्रिया डिजाईन की जा सके जोकि दी गई परिस्थिति में सर्वाधिक अनुकूल हो। अधिनियम की धारा 143 (3) के अधीन हम इस बाबत अपने विचार देने के लिए भी कि क्या समूह के पास वित्तीय विवरण के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था तथा इस प्रकार के नियंत्रण की प्रभावी संचालन व्यवस्था उपलब्ध है, जवाबदेह हैं।
- लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखा अनुमानों की तर्कसंगतता तथा इस संबंध में नियंत्रक कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा अन्य प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- निदेशक मण्डल द्वारा लाभकारी लेखा की व्यवस्था की उपयुक्तता पर निर्णय देना, तथा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह बताना कि क्या घटनाओं अथवा स्थितियों से जुड़ी हुई कोई वस्तुगत अनिश्चितता बनती है जो समूह के लाभकारी बने रहने के विषय में गंभीर संदेह पैदा कर सके, पर राय देना। यदि यह पाया जाता है कि कोई वस्तुगत अनिश्चितता उपलब्ध है तब हमारे द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस संबंध में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों से जुड़े प्रकटीकरण में ध्यान आकर्षित किया जाता है तथा यदि ये प्रकटीकरण अपर्याप्त हों तो दिए गए राय में संशोधन किया जाता है। हमारे द्वारा प्रदत्त निष्कर्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि भविष्य की घटनाएं अथवा स्थितियां समूह के लाभकारी बने रहने की स्थिति को प्रभावित कर सकती है।
- समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की विषयवस्तु, संरचना तथा समग्र रूप से प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन जिसमें प्रकटीकरण शामिल है तथा यह जानकारी भी कि क्या समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण आधारभूत संव्यवहार एवं घटनाओं की प्रस्तुति इस प्रकार करता हो जिससे कि एक पारदर्शी प्रस्तुतीकरण का लक्ष्य हासिल हो सके।
- माद्दा से तात्पर्य एकल अथवा समेकित रूप में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में गलत विवरणी की गंभीरता से है जिससे कि समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणी का तर्कसंगत ज्ञान रखने वाले किसी उपभोक्ता (यूजर्स) के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित किया जाना संभव होता हो। हमारे द्वारा संख्यात्मक माद्दा तथा गुणात्मक कारकों का निम्न में विचार किया जाता है, 1- हमारे कार्य के परिणाम के मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा कार्य की सीमा तय करते समय तथा 2-समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणी में किसी चिन्हित गलत विवरणी के प्रभाव के मूल्यांकन में।
- हमारी बातचीत समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण में शामिल नियंत्रक कंपनी के गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों से होती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, लेखा परीक्षा का समय तथा नियोजित तरीके एवं महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष जिनमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियां शामिल है, का दायित्व संभालते हैं।

हमारे द्वारा गवर्नेंस से जुड़े हुए व्यक्तियों को एक विवरणी भी उपलब्ध करायी जाती है, जोकि हमनें स्वतंत्र रूप से काम करने में सहायक नैतिक मूल्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार की है, तथा जिससे उन्हें हमारी स्वतंत्रता एवं जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा मापदण्डों को दृष्टिगत करते हुए हमारे संबंधों तथा दूसरे प्रकरणों में संवाद करने में सहायक सिद्ध हो सके।

गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों के साथ किए गए संवाद के जरिए हम उन तथ्यों का पता लगाने की कोशिश करते हैं, जोकि चालू/सामयिक अवधि के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे थे तथा इस प्रकार जिन्हें की-आडिट विषय कहा जा सकता है। हम इस प्रकार के प्रकरणों को अपने लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ,जबकि ऐसा करना विधि द्वारा अथवा किसी नियामक के नियमों के अधीन बताया जाना निषेधित नहीं किया गया हो, प्रकाशित करते हैं तथा अत्यंत ही विलक्षण परिस्थिति में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी प्रकरण का प्रकाशन हमारे रिपोर्ट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से होने वाले दुष्परिणाम लोगों तक सूचना के पहुंचने से प्राप्त लाभ से ज्यादा अहितकर सिद्ध होंगे।

अन्य विषयक

1. हमनें 02 (दो) अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का लेखा परीक्षा नहीं किया, जिसके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2020 तक रू. 3066.28 करोड़ की कुल परिसम्पत्तियां और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 14.00 करोड़ का कुल राजस्व एवं रू.101.17 करोड़ राशि

का निवल रोकड़ प्रवाह परिलक्षित करते हैं, जैसा कि समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण में सुविचारित है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का दूसरे अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा किया गया हैं, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई तथा समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण पर हमारा मत, जहां तक इन अनुषंगी कंपनियों के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटीकरण का संबंध है, तथा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के निबंधन में हमारी रिपोर्ट, जहां तक उपर्युक्त अनुषंगी कंपनियों का संबंध है, पूरी तरह से दूसरे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

2. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समूह की तुलनात्मक वित्तीय सूचना/जानकारी जो इस समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण में शामिल इंड एएस के अनुरूप तैयार की गई थी, का पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा किया गया था । पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने तुलनात्मक वित्तीय विवरण/जानकारी दिनांक 29 मई 2019 पर एक अपरिवर्तनीय राय व्यक्त की है

इन विषयों के संबंध में हमारी राय में कोई फेरबदल नहीं है ।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

(1) अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा यथा-अपेक्षित, हम, कंपनी के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में विवरण ''अनुलग्नक-क'' में देते हैं ।

(2) अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा-अपेक्षित, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और अनुषंगियों के पृथक-पृथक वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, ऊपर अन्य विषयक खण्ड में संदर्भित, हम प्रयोज्य सीमा तक यह रिपोर्ट देते हैं कि -

(क) हमारे लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए अपेक्षित सारी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण हमनें अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास में मांगकर प्राप्त किया।

(ख) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों को तैयार करने से संबंधित कानून द्वारा यथा अपेक्षित समुचित लेखा-बही रखा गया है, जोकि अब तक के उन बहियों की हमारी जांच तथा अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है ।

(ग) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत नियंत्रक कंपनी एवं इसकी अनुषंगियों की शाखाओं के लेखा परीक्षित लेखा पर रिपोर्ट को, यथा-प्रयोज्य, हमें भेजा गया, जिसे इस रिपोर्ट को तैयार करने में समुचित रूप से व्यवहार में लाया गया है।

(घ) समेकित तुलन पत्र, लाभ-हानि का समेकित विवरण (समेकित अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह का समेकित विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण जोकि इस रिपोर्ट में प्रयुक्त/व्यवहृत हुआ है, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण को तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए संबंधित लेखा बही के अनुरूप है ।

(ड.) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुरूप है।

(च) भारत सरकार, कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) समूह में प्रयोज्य नहीं है ।

(छ) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता/यथेष्टता तथा उक्त नियंत्रण के प्रभावी संचालन के बारे में, ''अनुलग्नक-ख'' में हमारे पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें।

(ज) भारत सरकार, कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनी में अधिनियम की धारा 197 प्रयोज्य नहीं है। तदानुसार, अधिनियम की धारा 197 (16) के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुरूप रिपोर्टिंग प्रयोज्य नहीं है।

(झ) कम्पनीज (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय, हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित है -

(i) समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव को प्रकट करती है-समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण की टिप्पणी-38 का अवलोकन करें।

(ii) समूह ने प्रयोज्य कानून या लेखा मानकों के अधीन दीर्घकालिक संविदा सहित व्युत्पन्न संविदा पर कोई वस्तुपरक अनुमान्य हानि, यदि कोई हो, के लिए यथा-अपेक्षित प्रावधान बनाया हैं ।

(iii) ऐसी कोई राशि अंतरित करने में विलम्ब नहीं की गई, जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

4. अधिनियम की धारा 143 (11) के निबंधन में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनीज (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश''), समेकित वित्तीय विवरण पर प्रयोज्य नहीं है ।

कृते **ओ.पी. तोतला एंड कंपनी**
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या-000734सी

हस्ताक्षर
सीए एस.के. आचार्या
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 078371
यूडीआईएन : 20078371एएएएसीएम3158

स्थान : बिलासपुर (छ.ग.)
दिनांक : 10.06.2020

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक क

''अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' के पैराग्राफ-1 में संदर्भित अनुलग्नक-क

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन दिशानिर्देश पर रिपोर्ट

स.क्रं.	दिशानिर्देश	कृत-कार्रवाई एवं लेखा परीक्षक का उत्तर
1	क्या कंपनी में आई.टी. सिस्टम के माध्यम से सभी लेखा संव्यवहार के कार्यविधि की कोई प्रणाली विद्यमान है? यदि हां, तो लेखा की समग्रता पर आई.टी. सिस्टम के बाहर लेखा संव्यवहार के प्रक्रिया के कार्यान्वयन समेत वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो तो वर्णन करें।	हां, नियंत्रक कंपनी एसईसीएल में आई.टी. प्रणाली अर्थात कोलनेट प्रणाली के माध्यम से सभी प्रकार के लेखा विधि संव्यवहारों के कार्य-प्रक्रियाओं की प्रणाली सहित विक्रय, सम्पत्ति-सूची, पे-रोल, स्थाई परिसम्पत्तियों का रजिस्टर विद्यमान है। हालांकि सभी विभागों की लेखाविधि एकीकृत नहीं है तथा प्रविष्टियों को लेखाविधि प्रणाली में मैनुवली किया जाता है। पूंजीगत मदों के संबंध में अनुसूचियों को कोलनेट प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं किया गया है तथा इसे एक्सल रूप में तैयार कर अद्यतित किया जाता है। लेखाविधि रिपोर्टिंग प्रक्रिया को लेखाविधि की एकीकृत ईआरपी प्रणाली को प्रारंभ कर उन्नत बनाया जा सकता है, ताकि सभी विभागों की लेखा/रिपोर्टिंग को एकीकृत किया जा सके। अनुषंगी कम्पनी सीईआरएल एवं सीईडब्लूआरएल द्वारा सभी लेखा संव्यवहार को रिकार्ड करने के लिए अपने लेखा सॉफ्टवेयर के रूप में टेली ईआरपी9 का उपयोग किया जाता है। समूह के वित्तीय विवरणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
2	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई रिस्ट्रक्चरिंग है या कर्ज चुकाने के लिए कंपनी द्वारा असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए उधार/ऋण/ ब्याज इत्यादि के अधित्याग/बट्टे खाते में डाले जाने संबंधी कोई मामले हैं? यदि हां तो, वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, मौजूदा ऋण का कोई रिस्ट्रक्चरिंग या समूह को ऋणदाता द्वारा दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के अधित्याग/बट्टे खाते में डाले जाने संबंधी कोई मामले नहीं हैं?
3	क्या केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य योग्य धनराशि उसके नियमों एवं शर्तों के अनुसार अनुपयोजित/ समुचित रूप से लेखा-जोखा रखा गया था? विचलन के मामलों की सूची।	प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान केन्द्र/राज्य एजेंसियों से निर्दिष्ट योजनाओं के लिए निधि प्राप्त किए गए/प्राप्त किए जाने योग्य कोई मामले नहीं है ।

कम्पनी अधिनियम,2013 की धारा 143 (5) के अधीन अतिरिक्त दिशानिर्देशों पर रिपोर्ट

स.क्रं.	अतिरिक्त दिशानिदेश	कृत-कार्रवाई एवं लेखा परीक्षक का उत्तर
1	क्या कोयले के स्टॉक का मापन समोच्च नक्शा (कंटुअर मैप) को ध्यान में रखते हुए किया गया था। क्या सभी मामलों में प्रत्यक्षतः स्टॉक मापन रिपोर्ट समोच्च नक्शा के साथ संगत किया गया है? क्या वर्ष के दौरान सृजित किए गए, नए संग्रहण/ढ़ेर, यदि कोई हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त हुआ था?	हां, स्टॉक का मापन समोच्च नक्शा को ध्यान में रखते हुए किया गया था । प्रत्यक्षतः स्टॉक मापन रिपोर्ट समोच्च नक्शा के साथ संगत किया गया है। वर्ष के दौरान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ नए संग्रहण/ढ़ेर सृजित किए गए ।
2	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय/ एकीकरण/पुनर्संरचना के समय परिसम्पत्तियों और सम्पत्तियों की प्रत्यक्ष-जांच का कार्य निष्पादित किया है, यदि हां तो, क्या संबंधित अनुषंगी कंपनी ने अपेक्षित कार्य-प्रक्रियाओं का पालन किया है ?	प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी भी क्षेत्र का विलय/एकीकरण/पुनर्संरचना नहीं हुआ ।
3	क्या कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों में प्रत्येक खदान के लिए एक अलग इस्क्रो खाता बनाया गया है । खाता के निधि की उपयोगिता की भी जांच की जाती है ।	हां, एसईसीएल में प्रत्येक खदान के लिए एक अलग इस्क्रो खाता बनाए गए हैं । इस्क्रो खाता के निधि की उपयोगिता के लिए क्षेत्र द्वारा प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजा गया है ।
4	क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध खनन के लिए अधिरोपित पेनाल्टी के प्रभाव को विधिवत माना गया व क्या इसके लिए कोई जवाबदेह है ?	हमें दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार 16 खदानों में अवैध खनन के लिए रू. 10,182.62 करोड़ का जुर्माना/दण्ड अधिरोपित किया गया, चूंकि कंपनी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रक्रियाधीन है, अतः इसे ''आकस्मिक देयताओं'' के रूप में विचार किया गया है।

अनुलग्नक ख

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 की कंडिका (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमनें 31 मार्च, 2020 तक के मेसर्स साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (''नियंत्रक कंपनी'') तथा इसकी अनुषंगियों (जिसे समूह कहा गया है) के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण के हमारे लेखा परीक्षा के साथ निष्पादित किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

नियंत्रक कंपनी एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों के संबंधित निदेशक मण्डल, ''इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के संबंध में जारी मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के मूलभूत संघटकों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रक कंपनियों द्वारा सुव्यवस्थित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्डों के विषय में आंतरिक नियंत्रण'' पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने और स्थापित करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन दायित्वों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा-अपेक्षित समूह की नीतियों का पालन करना, उसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ी व त्रुटियों का पता लगाकर उसकी रोकथाम करना, लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता व संपूर्णता, तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाईन,कार्यान्वयन व उसका रख-रखाव, जो इसके व्यवसाय का व्यवस्थित व कुशल संचालन सुनिश्चित करने में प्रभावी रूप में संचालित था, शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, नियंत्रक कंपनी तथा इसकी अनुषंगियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के विषय में राय व्यक्त करना है । हमनें, अपनी लेखा परीक्षा, आईसीएआई द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शन टिप्पणी'') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर जारी मार्गदर्शन टिप्पणी तथा लेखा परीक्षा करने संबंधी मानकों जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा में, अधिकतम प्रयोज्य सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा में प्रयोज्य है तथा, दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं, के अनुसार, निष्पादित किया । उन मानकों व मार्गदर्शन टिप्पणी की यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का पालन करते हुए तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए इस प्रकार योजना बनाकर लेखा परीक्षा निष्पादित करें कि उक्त नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण/विषयपरक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित रहते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कायम व सुव्यवस्थित था।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता व उनके प्रभावी संचालन के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादित की जा रही कार्य-विधियां शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्याख्या (अंडरस्टेंडिंग) प्राप्त करना, विद्यमान विषयपरक-महत्वपूर्ण कमजोरियों के जोखिमों का निर्धारण करना, निर्धारित किए गए जोखिमों पर आधारित आंतरिक नियंत्रण का प्रभावी संचालन तथा डिजाईन की जांच-परख व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है, जिसमें समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के विषयपरक गलत विवरणों के जोखिमों का आकलन, चाहे वह छलकपट या भूलवश हो, शामिल है।

हम यह मानते है कि हमनें जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, नीचे अन्य विषयक पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, पर्याप्त व समुचित है तथा जो वित्तीय रिपोर्टिंग के विषय में समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराता है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्वांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्य के लिए समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणी तैयार करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में समुचित आश्वासन उपलब्ध कराने के क्रम में एक आधार के रूप में कार्य करती है। एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में जो नीतियां और कार्य-विधियां है, उसमें (1) अभिलेखों के रख-रखाव से सम्बद्ध समुचित विवरण, जो समूह की परिसम्पत्तियों की स्थिति और लेनदेन को यथार्थ रूप में और पूरी तौर पर परिलक्षित करता है (2) समुचित आश्वासन उपलब्ध कराना कि जो लेनदेन यथा-अपेक्षित अभिलेखित किए गए हैं, वह सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धातों के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करने के लिए अनुमति योग्य अवसर प्रदान करता हैं, तथा समूह द्वारा जो प्राप्तियां और व्यय किए गए हैं, वह समूह कम्पनियों के निदेशकों और प्रबंधकों के प्राधिकरण के अनुरूप ही किए गए है, (3) समूह के परिसम्पत्तियों की अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्थिति का समय पर पता लगाना या उसकी रोकथाम करना जोकि समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणी पर वस्तुपरक प्रभाव डाल सकते है, के संबंध में समुचित आश्वासन उपलब्ध कराना, शामिल हैं ।

वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं, जिसमें सांठगांठ की संभावना या नियंत्रण की अवहेलना पर अनुचित प्रबंधन शामिल है,के कारण त्रुटियां या धोखाधड़ी/छल के कारण वस्तुपरक गलत विवरण हो सकता है और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का अनुमान भी जोखिम वाले हो सकते हैं,बशर्ते कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों-दशाओं में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकती है या, नीतियां या कार्यविधियों के अनुपालन की व्यवस्था बिगड़ने/गिरावट जैसे जोखिम हो सकते है।

विचार-राय

हमारी राय में हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और नीचे अन्य विषयक पैराग्राफ में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, समूह में सभी विषयपरक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली कार्य-संचालित है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर उक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रूप में कार्य-संचालित थी, जो "इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के संबंध में जारी मार्गदर्शन-टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण संघटकों को ध्यान में रखते हुए समूह कंपनियों द्वारा सुव्यवस्थित वित्तीय रिपोर्टिंग के विषय में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए मानदण्ड" पर आधारित है ।

हालाँकि कुछ क्षेत्रों को वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे में परिवर्तन को अपनाने के तौर पर नियंत्रक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रलेखन को डिजाइन करने में और सुधार की आवश्यकता है जैसे कि लेखांकन मानकों में परिवर्तन (इंड एएस के रूप में), इसके जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में प्रलेखन, विभिन्न कार्य संचालन क्षेत्रों का जोखिम विश्लेषण और विभागीय स्तरों पर प्रक्रिया को समाविष्ट करना, शामिल है जिसमें बीमा कवरेज के संबंध में जोखिम का शमन, खर्चो, आय, परिसंपत्तियों और देनदारियों के महत्वपूर्ण खातों में शेष राशि की पहचान करने समेत अस्थाई परिसंपत्तियों का लेखांकन, प्रक्रिया प्रवाह का समावेशन, जिसके द्वारा उपर्युक्त लेनदेन आरंभ, अधिकृत, संसाधित, रिकॉर्ड किए गए और विभागीय स्तर पर रिपोर्ट किए गए हैं। यह प्रणाली समेकित वित्तीय विवरणों और घटनाओं/शर्तो और अन्य लेनदेन से संबंधित लेनदेन को पकड़ने के लिए विभागों को कैसे एकीकृत करती है, जो समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं ताकि कंपनी द्वारा स्थापित नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए विशेष रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और बेहतर आंतरिक नियंत्रण के लिए सूचना और डेटा के संकलन के मामले में लेखांकन की एकीकृत ईआरपी प्रणाली को शुरू कर वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सकता है। आंतरिक लेखा परीक्षा नियंत्रक कंपनी के साथ-साथ की जाती है । आंतरिक लेखा परीक्षा की नियमितता, इसकी रिपोर्ट तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही को समय पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए । हालांकि, हमारी राय उपरोक्त के संबंध में सापेक्ष (क्वालीफाईड) नहीं है ।

अन्य विषयक

जहां तक दो अनुषंगी कम्पनी, जो कि भारतीय कंपनी है, का संबंध है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावी संचालन पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, भारत में स्थापित उक्त कंपनियों के लेखा परीक्षकों की संगत रिपोर्ट पर ही आधारित है।

कृते **ओ.पी. तोतला एंड कंपनी**
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या-000734सी

हस्ताक्षर
सीए एस.के. आचार्या
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 078371
यूडीआईएन : 20078371एएएसीएम3158

स्थान : बिलासपुर (छ.ग.)
दिनांक : 10.06.2020

समेकित तुलन पत्र 31 मार्च, 2020 तक

(रू. करोड़)

	टिप्पणी सं.	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
परिसम्पत्तियां			
(1) गैर-चालू परिसम्पत्तियां			
(क) सम्पत्ति,संयंत्र और उपस्कर	3	6,603.94	6,049.10
(ख) पूंजी कार्य में प्रगति	4	2,767.00	2,796.50
(ग) अन्वेषण व निरूपण परिसम्पत्तियां	5	1,457.26	1,174.29
(घ) अमूर्त परिसम्पत्तियां	6	10.27	10.27
(ड.) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां		-	-
(च) निवेश सम्पत्ति		-	-
(छ) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(1) निवेश	7	-	-
(2) ऋण	8	4.68	6.36
(3) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	9	1,774.45	1,650.02
(ज) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल) (टिप्पणी-38 को संदर्भित करें)		294.27	544.08
(झ) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	10	396.21	440.80
कुल गैर-चालू परिसम्पत्तियां (क)		**13,308.08**	**12,671.42**
(2) चालू परिसम्पत्तियां			
(क) सम्पत्ति सूची	12	1,253.04	935.85
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(1) निवेश	7	0.29	0.20
(2) व्यापारिक प्राप्य	13	1,653.80	387.67
(3) नकद व नकद समकक्ष	14	51.60	159.47
(4) अन्य बैंक शेष	15	4,115.63	4,691.87
(5) ऋण	8	0.89	0.58
(6) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	9	1,071.41	920.31
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल) (टिप्पणी-38 को संदर्भित करें)		8,458.57	6,990.60
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	11	1,407.48	1,011.55
कुल चालू परिसम्पत्तियां (ख)		**18,012.71**	**15,098.10**
कुल परिसम्पत्तियां		**31,320.79**	**27,769.52**
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी अंश पूंजी	16	668.06	668.06
(ख) अन्य इक्विटी	17	2,379.69	2,962.97
कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को आरोप्य इक्विटी		3,047.75	3,631.03
अनियंत्रित ब्याज		313.17	320.01
कुल इक्विटी (क)		**3,360.92**	**3,951.04**

समेकित तुलन पत्र 31 मार्च, 2020 तक

(रू. करोड़)

	टिप्पणी सं.	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
देयताएं			
(1) गैर-चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(1) उधार	18	1,823.08	1,307.63
(2) व्यापारिक देय	19	-	-
(3) अन्य वित्तीय देयताएं	20	846.18	809.81
(ख) प्रावधान	21	13,821.62	11,924.37
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)		-	-
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएं	22	0.40	0.46
कुल गैर-चालू देयताएं (ख)		**16,491.28**	**14,042.27**
(2) चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(1) उधार	18	1,724.93	730.47
(2) व्यापारिक देय	19		
एमएसएमई के क्रेडिटरों का कुल बकाया देयक		3.08	4.34
एमएसएमई के अलावा क्रेडिटरों का कुल बकाया देयक		2,017.20	1,798.24
(3) अन्य वित्तीय देयताएं	20	932.72	948.27
(ख) अन्य चालू देयताएं	23	5,749.00	5,415.72
(ग) प्रावधान	21	1,041.66	879.17
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)		-	-
कुल चालू देयताएं (ग)		**11,468.59**	**9,776.21**
कुल इक्विटी एवं देयताएं (क+ख+ग)		**31,320.79**	**27,769.52**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	2		
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियां	38		
संगत समेकित टिप्पणी प्रपत्र,समेकित वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है।			

हस्ता./-
(सीएस एस.एम. युनुस)
कंपनी सचिव

हस्ता./-
(सीए बी.के. झा)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-
(सीए एस.एम. चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 07478302

हस्ता./-
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06664375

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुरूप
कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.-000734सी

हस्ता./-
(सीए एस.के. आचार्या)
भागीदार
सदस्यता सं.-078371

दिनांक : 10.06.2020
स्थान : बिलासपुर

लाभ व हानि का समेकित विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रू. करोड़)

		टिप्पणी सं.	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(I)	**ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व**			
(क)	**विक्रय (निवल)**	**24**	16850.08	19761.99
(ख)	अन्य संचालनीय राजस्व (निवल)		1343.27	1483.53
	संचालन से राजस्व (क+ख)		**18193.35**	**21245.52**
(II)	अन्य आय	25	832.52	611.21
(III)	**कुल आय (I+II)**		**19025.87**	**21856.73**
(IV)	व्यय			
	खपत सामग्री की लागत	26	1483.85	1548.63
	तैयार सामग्री/कार्य में प्रगति एवं व्यापारिक स्कंध की सम्पत्ति सूची में परिवर्तन	27	(318.40)	45.39
	उत्पाद शुल्क		-	-
	कर्मचारी लाभ व्यय	28	8183.60	8175.10
	बिजली एवं ईंधन		777.87	746.74
	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	29	84.65	83.55
	मरम्मत	30	178.73	164.89
	ठेका/संविदा व्यय	31	2611.06	2597.19
	वित्त लागत	32	141.46	(3.78)
	अवमूल्यन/परिशोधन/हानि व्यय		761.04	790.78
	प्रावधान	33	94.04	(110.31)
	बट्टा खाता	34	0.40	-
	स्ट्रीपिंग कार्यकलाप व्यय		1636.66	1345.97
	अन्य व्यय	35	880.71	902.18
	कुल व्यय (IV)		**16515.67**	**16286.33**
(V)	**असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ (I-IV)**		**2510.20**	**5570.40**
(VI)	असाधारण मदें		-	-
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**2510.20**	**5570.40**
(VIII)	कर व्यय	36	798.88	1959.12
(IX)	**नियमित संचालन से अवधि में लाभ (VII-VIII)**		**1712.32**	**3611.28**
(X)	अनियमित संचालन से लाभ/(हानि)		-	-
(XI)	अनियमित संचालन का कर व्यय		-	-
(XII)	अनियमित संचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
(XIII)	संयुक्त उद्यम/सहायक के लाभ/(हानि) में अंश		-	-
(XIV)	**अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)**		**1712.32**	**3611.28**
	अन्य व्यापक आय	**37**		
क	(i) मदें जो लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएगी		(470.96)	19.81
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिसे लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा ।		118.53	(6.92)

लाभ व हानि का विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रू. करोड़)

		टिप्पणी सं.	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ख	(i) मदें जो लाभ या हानि हेतु पुनः वर्गीकृत की जाएगी		-	-
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिसे लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत किया जाएगा ।		-	-
(XV)	**कुल अन्य व्यापक आय**		**(352.43)**	**12.89**
(XVI)	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV)**		**1359.89**	**3624.17**
	(अवधि के लिए समाविष्ट लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय)			
	निम्नलिखित के लिए रोप्य लाभ :			
	कम्पनी के स्वामी		1719.16	3611.37
	अनियंत्रित ब्याज		(6.84)	(0.09)
			1712.32	**3611.28**
	निम्नलिखित के लिए रोप्य अन्य व्यापक आय :			
	कम्पनी के स्वामी		(352.43)	12.89
	अनियंत्रित ब्याज		-	-
			(352.43)	**12.89**
	निम्नलिखित के लिए रोप्य कुल व्यापक आय			
	कंपनी के स्वामी		1366.73	3624.26
	अनियंत्रित ब्याज		(6.84)	(0.09)
			1359.89	**3624.17**
(XVII)	**प्रति इक्विटी अंश उपार्जन (नियमित संचालन के लिए) :**			
	(1) मूल		2573.38	5085.87
	(2) तरलीकृत		2573.38	5085.87
(XVIII)	**प्रति इक्विटी अंश उपार्जन (अनियमित संचालन हेतु)**			
	(1) मूल एवं तरलीकृत		-	-
(XIX)	**प्रति इक्विटी अंश उपार्जन (अनियमित एवं नियमित संचालन के लिए):**			
	(1) मूल		**2573.38**	**5085.87**
	(2) तरलीकृत		**2573.38**	**5085.87**
	संगत समेकित टिप्पणी प्रपत्र, समेकित वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है।			
	ईपीएस की गणना के लिए टिप्पणी-38 को संदर्भित करें ।			

हस्ता./-
(सीएस एस.एम. युनुस)
कंपनी सचिव

हस्ता./-
(सीए बी.के. झा)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-
(सीए एस.एम. चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 07478302

हस्ता./-
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06664375

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुरूप
कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.-000734सी

हस्ता./-
(सीए एस.के. आचार्या)
भागीदार
सदस्यता सं.-078371

दिनांक : 10.06.2020
स्थान : बिलासपुर

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रू.करोड़ में)

क. इक्विटी अंश पूंजी

विवरण	01.04.2018 तक शेष	वर्ष/अवधि के दौरान परिवर्तन	31.03.2019 तक शेष	01.04.2019 तक शेष	अवधि/वर्ष के दौरान परिवर्तन#	31.12.2020 तक शेष
प्रति रू. 1000/- का 6680561 (6680561) इक्विटी अंश	717.06	(49.00)	668.06	668.06	.	668.06

कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान टेण्डर ऑफर के माध्यम से प्रति रू. 1000/- अंकित मूल्य की 490039-नग अपनी पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी अंश को वापस खरीदा ।

वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने 7:5 (वर्तमान 5 अंशों को 7-बोनस अंश) के अनुपात में वर्तमान इक्विटी अंशधारकों को 41,82,850 बोनस इक्विटी शेयर जारी किया।

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	तरजीह अंश पूंजी का इक्विटी भाग	पूंजी संचय	पूंजी विमोचन संचय	सामान्य संचय	प्रतिधारित अर्जन				इक्विटी धारकों को दिया गया कुल अन्य इक्विटी	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
					कर पश्चात लाभ	उचित मूल्य पर परिसंपत्ति देयताओं के मापन पर लाभ	अन्य व्यापक आय	कुल प्रतिधारित अर्जन एवं ओसीआई			
01.04.2018 को शेष	-	-	-	2176.03	72.88	-	271.93	344.81	2520.84	281.10	2801.94
लेखा नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01.04.2018 तक शेष (पुनःवर्णित)	**-**	**-**	**-**	**2176.03**	**72.88**	**-**	**271.93**	**344.81**	**2520.84**	**281.10**	**2801.94**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	3611.37	-	12.89	3624.26	3624.26	(0.09)	3624.17
गैर-नियंत्रण का निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.00	39.00
लाभांश	-	-	-	-	(2326.61)	-	-	(2326.61)	(2326.61)	-	(2326.61)
कार्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	(478.24)	-	-	(478.24)	(478.24)	-	(478.24)
प्रतिधारित अर्जन में/से अंतरित	-	-	-	180.58	-	-	-	-	180.58	-	180.58
सामान्य संचय में अंतरित	-	-	-	-	(180.58)	-	-	(180.58)	(180.58)	-	(180.58)
इक्विटीशेयर की वापस खरीदी17.3	.	.	49.00	(426.28)	-	-	-	-	(377.28)		(377.28)
31.03.2019 को शेष (पुनःवर्णित)	**.**	**.**	**49.00**	**1930.33**	**698.82**	**-**	**284.82**	**983.64**	**2962.97**	**320.01**	**3243.98**
01.04.2019 तक शेष	**.**	**.**	**49.00**	**1930.33**	**698.82**	**-**	**284.82**	**983.64**	**2962.97**	**320.01**	3243.98

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	तरजीह अंश पूंजी का इक्विटी भाग	पूंजी संचय	पूंजी विमोचन संचय	सामान्य संचय	प्रतिधारित अर्जन: कर पश्चात लाभ	प्रतिधारित अर्जन: उचित मूल्य पर परिसंपत्ति देयताओं के मापन पर लाभ	प्रतिधारित अर्जन: अन्य व्यापक आय	प्रतिधारित अर्जन: कुल प्रतिधारित अर्जन एवं ओसीआई	इक्विटी धारकों को दिया गया कुल अन्य इक्विटी	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2019 को पुनःवर्णित शेष	**-**	**-**	**49.00**	**1930.33**	**698.82**	**-**	**284.82**	**983.64**	**2962.97**	**320.01**	**3243.98**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	1719.16	-	(352.43)	1366.73	1366.73	(6.84)	1359.89
लाभांश	-	-	-	-	(1617.52)	-	-	(1617.52)	(1617.52)	-	(1617.52)
निगमित लाभांश कर					(332.49)	-	-	(332.49)	(332.49)	-	(332.49)
प्रतिधारित अर्जन में/से अंतरित	-	-	-	86.75	-	-	-	-	86.75	-	86.75
सामान्य संचय में अंतरित	-	-	-	-	(86.75)	-	-	(86.75)	(86.75)	-	(86.75)
इक्विटी अंश की वापस खरीदी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2020 तक शेष	**-**	**-**	**49.00**	**2017.08**	**381.22**	**-**	**67.61**	**313.61**	**2379.69**	**313.17**	**2692.86**

हस्ता./-
(सीएस एस.एम. युनुस)
कंपनी सचिव

हस्ता./-
(सीए बी.के. झा)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-
(सीए एस.एम. चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 07478302

हस्ता./-
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06664375

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुरूप
कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.-000734सी

हस्ता./-
(सीए एस.के. आचार्या)
भागीदार
सदस्यता सं.-078371

दिनांक : 10.06.2020
स्थान : बिलासपुर

समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण (प्रत्यक्ष पद्धति) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रू. करोड़ में)

			31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(क)	**संचालित कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह :**			
	कर पूर्व लाभ		**2510.20**	**5570.40**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :			
	स्थाई परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन एवं हानि-कमी		761.04	790.78
	ब्याज आय		(525.11)	(408.87)
	वित्त लागत		141.46	(3.78)
	म्यूचुअल निधि निवेश से लाभांश		(21.27)	(43.85)
	परिसम्पत्तियों एवं कोल ब्लॉक की बिक्री से लाभ/हानि		(3.54)	(0.82)
	पूंजी कार्य में प्रगति एवं स्टोर्स में पीएंडएम के लिए प्रावधान		(4.02)	(0.17)
	अवधि/वर्ष के दौरान देयता रिटर्न बैक		(219.19)	(78.13)
	स्ट्रीपिंग कार्यकलाप व्यय/समायोजन		1636.66	1345.97
	चालू/गैर-चालू परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के पूर्व संचालनीय लाभ		**4276.23**	**7171.53**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :			
	व्यापारिक प्राप्य		(1266.13)	265.09
	सम्पत्ति सूची		(317.19)	39.27
	अल्प/दीर्घकालिक ऋण/अग्रिम एवं अन्य चालू परिसम्पत्तियां		(1149.61)	(353.56)
	अल्प/दीर्घकालिक देयताएं एवं प्रावधान		770.76	(509.47)
	ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण एवं अन्य कर्मचारी लाभ		362.84	(736.56)
	संचालन से जनित नकदी		**2676.90**	**5876.30**
	आयकर भुगतान/धन वापसी		(1897.56)	(2639.48)
	प्रदत्त ब्याज		(58.45)	(0.68)
	संचालनीय कार्यकलापों से निवल रोकड़ प्रवाह	**(क)**	**720.89**	**3236.14**
(ख)	**निवेशित कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह**			
	स्थाई परिसम्पत्तियों की खरीदी		(1564.44)	(1588.13)
	स्थाई परिसम्पत्तियों के लिए आस्थगित अनुदान		(0.06)	(0.62)
	उपकरण/कोल ब्लॉक की बिक्री से आगम		7.39	5.61
	निवेश सहित सावधि जमा एवं म्यूचुअल निधि का आगम/(खरीदी)		576.15	(202.17)
	सावधि जमा/इस्क्रो लेखा आदि पर प्राप्त ब्याज		578.26	344.96
	निवेश से संबंधित ब्याज		.	.
	म्यूचुअल निधि निवेश से लाभांश		21.27	43.85
	निवेशित कार्यकलापों से निवल रोकड़ प्रवाह	**(ख)**	**(381.43)**	**(1396.50)**

समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण (प्रत्यक्ष पद्धति) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रू. करोड़ में)

			31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(ग)	**वित्तीय कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह**			
	उधार की प्राप्ति/(पुनर्भुगतान)		1505.22	1140.89
	शेयरों की वापस खरीदी (कर सहित)		.	(426.28)
	गैर नियंत्रित ब्याज से प्राप्तियां		0.00	39.00
	वित्तीय कार्यकलापों से संबंधित ब्याज एवं वित्त लागत		(2.54)	(1.97)
	प्रदत्त लाभांश		(1617.52)	(2326.61)
	प्रदत्त लाभांश कर		(332.49)	(478.24)
	वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकद	(ग)	**(447.33)**	**(2053.21)**
	नकद एवं बैंक शेष में निवल वृद्धि/कमी (क+ख+ग)		**(107.87)**	**(213.57)**
	वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समकक्ष (नकद एवं नकद समकक्ष के घटकों के लिए संदर्भित नोट 14)		**159.47**	**373.04**
	नकद एवं नकद समकक्ष (इति शेष)		**51.60**	**159.47**
	(कोष्ठक में दिए गए सभी आंकड़े बाहय निगर्मन-निकास प्रदर्शित करते हैं)			

हस्ता./-
(सीएस एस.एम. युनुस)
कंपनी सचिव

हस्ता./-
(सीए बी.के. झा)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-
(सीए एस.एम. चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 07478302

हस्ता./-
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06664375

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुरूप
कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.-000734सी

हस्ता./-
(सीए एस.के. आचार्या)
भागीदार
सदस्यता सं.-078371

दिनांक : 10.06.2020
स्थान : बिलासपुर

नोट : 1 कारपोरेट सूचना -

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), मिनी रत्न, गैर-सूचीबद्ध कम्पनी है, जिसका मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है ।

कम्पनी मुख्य रूप से खनन एवं कोयला उत्पादन में लगी हुई है । कम्पनी के बड़े उपभोक्ता बिजली एवं स्टील सेक्टर है । अन्य सेक्टरों के उपभोक्ताओं में सीमेंट, फर्टिलाईजर, ईंट-भट्टे शामिल हैं ।

एसईसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी है। कपनी का खनन संचालन भारत में दो राज्यों (छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश) में फैला हुआ है। एसईसीएल दानकुनी कोल काम्पलैक्स, पश्चिम बंगाल में कोल कार्बोनाईजेशन संयंत्र का भी संचालन करती है । एसईसीएल की दो सहायक कम्पनियां यथा- छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड भी है। समूह संरचना की जानकारी टिप्पणी सं.- 38 में उपलब्ध कराई गई है ।

नोट : 2 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां -

2.1 तैयार करने का आधार :

कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार कंपनी (समूह) के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गए हैं।

निम्नलिखित को छोड़कर, समेकित वित्तीय विवरण पारम्परिक लागत आधार पर तैयार किया गया है-

- उचित मूल्य पर पैमानित कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं (पैरा सं. 2.15 में उल्लेखित वित्तीय विपत्रों पर लेखा नीति का अवलोकन करें)
- पारिभाषित लाभ योजनाएं - उचित मूल्य पर पैमानित योजनागत परिसम्पत्तियां ।
- लागत या एन.आर.वी. में सम्पत्ति सूची, जो भी कम हो (पैरा सं. 2.21 में लेखा नीति का अवलोकन करें)

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी दो अनुषंगी मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) तथा मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल) में सामानुपातिक पण से संबंधित समेकित वित्तीय विवरण ।

कंपनी एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों का वित्तीय विवरण लाईन-बाई-लाईन आधार पर संयोजित है, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक 110-''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार अप्राप्य लाभ अथवा हानि के परिणामस्वरूप इंट्रा-समूह शेष और इंट्रा-समूह लेनदेन को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद, परिसम्पत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसे मदों के बही-मूल्यों को एक साथ जोड़ दिया जाता है ।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां एवं इन समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां, कंपनी की समेकित स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए जानकारीपूर्ण प्रकटीकरण व मार्गदर्शन के रूप में सेवा/व्यवहार करने के उद्देश्य हेतु है। इस उद्देश्य को मान्यता देने के लिए, कंपनी ने अलग-अलग वित्तीय विवरणी में केवल उन नीतियों एवं टिप्पणियों को प्रकट किया है, जो अपेक्षित प्रकटीकरण को उचित रूप में प्रदर्शित करते हैं ।

2.1.1 राशियों का पूर्णांकन

जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इन वित्तीय विवरणों में राशियों को दशमलव के दो प्वाइंट तक 'रुपये करोड़ में'' पूर्ण अंकों में दिखाया गया है।

2.2 समेकन का आधार

2.2.1 अनुषंगियां

अनुषंगी वे संस्थाएँ हैं जिनके ऊपर समूह का नियंत्रण रहता है। समूह द्वारा किसी संस्था का नियंत्रण उस स्थिति में होता है जब समूह संस्था के साथ जुड़ाव से प्राप्त चर/अस्थिर प्राप्तियों को तय करे या उसे यह अधिकार प्राप्त हो तथा उसे इस हेतु सक्षमता हासिल हो कि वह इन प्राप्तियों को संस्था के सापेक्षिक गतिविधियों को निर्देशित कर सके। अनुषंगी उस तिथि से जबकि इसका नियंत्रण समूह को स्थानांतरित कर दिया जाए, पूर्णतया समेकित मानी जाती है। नियंत्रण समाप्त होने की दशा में यह समायोजन समाप्त हो जाता है।

समूह के द्वारा व्यावसायिक जुड़ाव हेतु निमित्त खातों के लिए लेखाकंन की अधिग्रहण विधि का प्रयोग किया जाता है। समूह द्वारा मूल कंपनी एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय कथनों का पंक्ति-दर-पंक्ति परिसंपत्तियाँ, देयताएँ, इक्विटी, आय एवं व्यय इन बिन्दुओं को शामिल करते हुए

मिलाया जाता है। समूह के कंपनियों के मध्य अंतर कंपनी लेनदेन शेष तथा लेनदेन पर गैर प्राप्त लाभ को हटा दिया जाता है। गैर प्राप्त हानियों को भी हटा दिया जाता है किंतु उस स्थिति में जबकि लेनदेन द्वारा किसी विस्थापित परिसंपत्ति के समाप्त हो जाने का साक्ष्य मिले तो उसे नहीं किया जाता। समूह के किसी सदस्य के द्वारा सामान्यतया पूरे समूह के द्वारा अपनाए गए लेखाकंन नीतियों जैसे कि लेनदेन आदि उपयोग में लाए जाते हैं तथा समान प्रकार के परिस्थितियों में ऐसी ही नीतियाँ व्यवहृत होती हैं। किसी महत्वपूर्ण बदलाव की स्थिति में समूह के किसी सदस्य के वित्तीय विवरण में यथोचित समायोजन किया जाता है जिससे कि पूरे समूह की लेखाकंन नीतियों का परिपालन किया जा सके।

अनुषंगी कंपनियों के इक्विटी तथा गैर नियंत्रणकारी ब्याज को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में अलग-अलग दर्शाया जाता है एवं तुलन-पत्र तथा इक्विटी में हुए बदलाव को समेकित रूप में क्रमशः दर्शाया जाता है।

2.2.2 एसोसिएट

एसोसिएट वे सभी संस्थाएॅं हैं जिनके ऊपर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव झलकता है किंतु उसके ऊपर कोई नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण नहीं है। यह उन मामलों में ज्यादातर देखा जाता है जहाँ कि समूह को 20-प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक वोटिंग के अधिकार मिले होते हैं।

एसोसिएट में निवेश की गणना लेखाकरण की इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए किया जाता है जिसे प्रारंभ में लागत के रूप में दर्शाया जाता है किंतु उस दशा में जबकि कोई निवेश अथवा निवेश का कोई एक भाग विक्रय के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हो तो, उस स्थिति में इसका परिकलन भारतीय लेखा मानक 105 के तहत किया जाता है।

किसी संस्था/कंपनी द्वारा किसी एसोसिएट में सकल निवेश का समाकलन विषयपरक साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्थाएॅं

संयुक्त व्यवस्थाएॅं इस तरह के प्रावधान है जहाँ कि समूह का एक या एक से अधिक पार्टियों के ऊपर संयुक्त नियंत्रण रहता है।

संयुक्त नियंत्रण संविदा अनुबंध (कॉन्ट्रेक्ट एग्रीमेंट) के तहत किया गया प्रावधान है जिसमें व्यवस्थाओं के नियंत्रण का हिस्सा तय होता है तथा संयुक्त नियंत्रण इस दशा में ही काम करता है जबकि उन सभी पार्टियों के बीच, संबंधित गतिविधियों को लेकर, जो कि नियंत्रण में हिस्सेदारी रखते हों, एकमत होता है।

संयुक्त व्यवस्थाएॅं, संयुक्त संचालन अथवा संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत की जाती है। यह वर्गीकरण प्रत्येक निवेशकर्ता के संविदागत अधिकारों एवं जवाबदेहियों पर निर्भर करता है न की संयुक्त व्यवस्थाओं की विधिक व्यवस्था पर।

2.2.4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन उस प्रकार के संयुक्त व्यवस्थाओं को कहा गया है जहाँ कि समूह को व्यवस्थाओं से जुड़ी देयताओं तथा परिसम्पत्तियों एवं जिम्मेदारियों के अधिकार हैं।

समूह द्वारा परिसम्पत्तियों, देयताओं, राजस्व एवं संयुक्त संचालन के व्यय तथा कोई संयुक्त रूप से धारित शेयर या व्यय की गई सम्पत्तियों, देयताओं, राजस्व एवं व्यय आदि का संज्ञान लिया जाता है। ये सभी चीजें वित्तीय विवरण में उपयुक्त शीर्षक के तहत वर्णित हैं।

2.2.5 संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम वे संयुक्त व्यवस्थाएॅं हैं जहाँ पर समूह को व्यवस्था के सकल परिसम्पत्तियों का अधिकार होता है।

संयुक्त उद्यमों में ब्याज का परिकलन समेकित तुलन-पत्र में लागत पर प्रारंभिक रूप में मान्यता देने के बाद इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

संयुक्त उद्यमों में निवेश की गणना लेखाकरण की इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए किया जाता है जिसके तहत प्रारंभ में ही लागत मद में इसकी पहचान की जाती है। उन स्थितियों में जहाँ निवेश तथा उसका कोई भाग विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है इसकी गणना भारतीय लेखा मानक 105 के अंतर्गत की जाती है।

संस्था/कंपनी संयुक्त उद्यम में अपने सकल निवेश की सुरक्षा विषयपरक साक्ष्यों के आधार पर करती है।

2.2.6 इक्विटी प्रविधि

लेखाकरण की इक्विटी प्रविधि के अंतर्गत निवेशकों को प्रथमतः लागत के रूप में दर्शाया जाता है तथा इसके बाद इन्हें समूह के अधिग्रहण के पश्चात हुए लाभ या हानि के रूप में अथवा निवेशकर्ता के लाभ या हानि के रूप में चिन्हित किया जाता है। इसके बाद निवेशकर्ता के दूसरे वृहद

आय के रूप में इसकी गणना की जाती है। एसोसिएट एवं संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्ययोग्य लाभांश को निवेश के वहनीय राशि में ह्रास के रूप में माना जाता है।

जब किसी इक्विटी-लेखित निवेश में समूह की हानि उस संस्था/कंपनी के ब्याज के बराबर या अधिक हो जाती है, जिसमें कोई अन्य अप्रतिभूतित दीर्घकालिक प्राप्य शामिल हो तो समूह इससे अधिक होने वाली हानि की पहचान तब तक नहीं करता जब तक कि इस बाबत कोई जिम्मेदारी न ली गयी हो अथवा दूसरे संस्था/कंपनी की ओर से भुगतान न किया गया हो।

समूह तथा इसके एसोसिएट एवं संयुक्त उद्यमों के मध्य हुए लेनदेन/संव्यवहार से अप्राप्त लाभ को इन संस्थाओं/कंपनियों में ग्रुप के ब्याज की सीमा तक कम कर दिया जाता है। अप्राप्त हानियों को भी समाप्त कर दिया जाता है जब तक कि संव्यवहार/लेनदेन में हस्तगत परिसम्पत्तियों की कमी-हानि के साक्ष्य/प्रमाण नहीं मिलते है। समूह द्वारा अपनाए गए नीतियों के संगत होने के लिए इक्विटी आधारित निवेश की लेखागत नीतियों को आवश्यकतानुसार संशोधित किया गया है।

2.2.7 आधिपत्य के हितों में बदलाव

समूह गैर नियंत्रणकारी ब्याज, जो कि लेनदेन के आधार पर नियंत्रण के ह्रास के रूप में परिणत नहीं होते, उन्हें समूह के इक्विटीधारकों के साथ हुआ लेनदेन माना जाता है। अधिकर्ता (ओनरशिप) के ब्याज में बदलाव से नियंत्रणकारी एवं गैर-नियंत्रणकारी वहनीय राशियों के मध्य एक समायोजन प्राप्त होता है जिससे अनुषंगी कंपनी में उनके सापेक्षिक ब्याज का पता चलता है। गैरनियंत्रणकारी ब्याज तथा भुगतान किए गए या प्राप्य निर्णय के संगत मूल्य के समायोजित राशि के बीच में प्राप्त कोई भी अंतर इक्विटी के भीतर दर्शाई जाती है।

जब समूह संगठित होना बंद कर दे अथवा नियंत्रण के ह्रास की वजह से इक्विटी खाता, संयुक्त नियंत्रण या सापेक्षिक प्रभाव प्राप्त न हो उस स्थिति में संस्था में प्राप्त ब्याज का पुनर्मूल्यांकन इसके यथोचित मूल्य आधार पर किया जाता है जिसमें लाभ अथवा हानि के रूप में अग्रेषित राशि दिखाई जाती है। यह उचित मूल्य प्रारंभ की अग्रेषित राशि बन जाती है जिसका उपयोग एसोसिएट, संयुक्त उद्यम अथवा वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्राप्य ब्याज के तौर पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उस संस्था/कंपनी के अन्य वृहत/व्यापक आय की मद में दिखाई गयी राशि की गणना इस प्रकार की जाती है जैसे कि इसके द्वारा संबंधित परिसंपत्तियों अथवा देयताओं का सीधा निपटान किया गया हो। इससे यह आशय प्राप्त होता है कि अन्य व्यापक आय में पूर्व में दर्शाई गई राशि को लाभ या हानि के तौर पर पुनःवर्गीकृत किया जाता है।

यदि संयुक्त उद्यम या एसोसिएट में स्वामित्व का लाभ घटा दिया जाता है किंतु संयुक्त नियंत्रण अथवा प्रभाव में कोई बदलाव नहीं होता है तो इस स्थिति में अन्य व्यापक आय में दिखाई गई राशि के समानुपातिक अंश को लाभ अथवा हानि में, जैसा उचित प्रतीत हो, पुनःवर्गीकृत किया जाता है।

2.3 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी अपने तुलन-पत्र में चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब,

(क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूली अथवा बिक्री अथवा इसके उपभोग की इच्छा रखती है,

(ख) यह परिसंपत्ति को मुख्य तौर पर व्यापार के उद्देश्य के लिए रखती है,

(ग) यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर परिसंपत्ति के वसूली की अपेक्षा रखती है, अथवा

(घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष (लेखा मानक 7 में यथा-परिभाषित) रूप में तब तक रहती है जब तक परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमय किये जाने या देयता के निपटान के लिए उपयोग किये जाने पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो। अन्य सभी परिसंपत्तियां गैर-चालू रूप में वर्गीकृत है।

कंपनी द्वारा किसी देयता को चालू रूप में माना जाता है, जब :

(क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती है,

(ख) इसकी देयता मुख्य तौर पर व्यापार के लिए होती है,

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर बकाया देयता का निपटान किया जाना है, अथवा

(घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्तहीन अधिकार इसके पास नहीं है। प्रतिरूपी के विकल्प पर किसी देयता के जो नियम, इक्विटी-विपत्रों को जारी करके इसके निपटान के फलस्वरूप हो सकते थे, वे इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य सभी देयता गैर-चालू रूप में वर्गीकृत है।

2.4 राजस्व की मान्यता :

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व :

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तु या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो यह प्रतिफल परिलक्षित करता है, जिसमें कंपनी को उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में अधिकार प्राप्त होने की अपेक्षा है। कंपनी ने सामान्यतया यह निष्कर्ष निकाला है कि यह उसके राजस्व व्यवस्था का सिद्धांत है क्योंकि इससे ग्राहक को हस्तांतरित करने से पहले वस्तु या सेवाओं को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त होता है ।

इंड एएस 115 के सिद्धांतों को निम्नलिखित पांच चरणों का उपयोग करते हुए लागू किया जाता है -

चरण 1 : अनुबंध की पहचान करना

कंपनी केवल निम्नलिखित सभी मानदण्डों के पूरा होने पर ही किसी ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए उत्तरदायी है -

(क) अनुबंध के पार्टियों ने संविदा/अनुबंध को मंजूरी दे दी है और अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हो,

(ख) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पार्टी के अधिकारों को स्थापित/चिन्हित कर सकती है ।

(ग) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान-शर्तों को स्थापित/चिन्हित कर सकती है।

(घ) इस संविदा/अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व मौजूद है, (जैसे-इस संविदा के परिणामस्वरूप जोखिम, समय या कंपनी के भावी रोकड़ प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन होने की संभावना है) और

(ड.) यह संभव है कि ग्राहक को हस्तांतरित किए जाने वाले जिन वस्तुओं या सेवाओं के लिए कंपनी को विनिमय का अधिकार है, उसके लिए वह उस प्रतिफल को प्राप्त/आमंत्रित कर सकती है । यदि प्रतिफल में अंतर पाया जाता है तो संविदा में उल्लिखित उस मूल्य की राशि कम हो सकती है, जिसके लिए कंपनी को अधिकार प्राप्त है, क्योंकि कंपनी ने ग्राहक को मूल्य में रियायत, छूट, रिबेट, धनवापसी, क्रेडिट या प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस आदि का अधिकार दिया है ।

संविदा/अनुबंधों का संयोजन :

यदि निम्नलिखित में से एक या अधिक मानदण्डों को पूरा किया जाता है तो कंपनी एक ही ग्राहक (या ग्राहक से संबंधित पार्टी) के साथ, एक ही समय में या उसके आसपास हुए दो या दो से अधिक अनुबंधों को एक साथ मिला सकती है और इस अनुबंध को एकल अनुबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता हैः

क) यदि इन अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में माना गया हो,

ख) यदि एक अनुबंध में भुगतान किया जाने वाला प्रतिफल, अन्य अनुबंध के मूल्य या कार्य-निष्पादन पर निर्भर हो, या

ग) यदि अनुबंध में दी गई वस्तुएं या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में दिए गए कुछ वस्तुएं या सेवाएं) एक एकल कार्य निष्पादन दायित्व से संबंधित हो ।

अनुबंध में सुधार/संशोधन

यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियां मौजूद रहती है तो कंपनी किसी अनुबंध को अलग-अलग अनुबंध के रूप में परिभाषित कर सकती है :

क) यदि दी गई विशिष्ट वस्तुओं एवं सेवाओं में कुछ वृद्धि होने के कारण अनुबंध का दायरा बढ़ जाए, और

ख) यदि अनुबंध का मूल्य प्रतिफल की राशि तक बढ़ जाती है, जिसे वस्तुओं एवं सेवाओं के अतिरिक्त कंपनी एकल (स्टेण्ड एलोन) बिक्री मूल्य तथा उस कीमत के किसी भी उपयुक्त समायोजन की परिस्थितियों के लिए विशेष अनुबंध में दर्शाया गया है।

चरण 2 : कार्य-निष्पादन दायित्वों की पहचान :

अनुबंध के आरंभ में ही, कंपनी ग्राहक के साथ मिलकर अनुबंध में दी गई वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को हस्तातंरित करने के लिए प्रत्येक वादा एक कार्य-निष्पादन के दायित्व के रूप में पहचान करती है, अथवा ।

क) एक विशिष्ट वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) या

ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला, जो काफी हद तक समान है और जिनके पास ग्राहक को हस्तांतरण का एक ही तरह का पैटर्न है ।

चरण 3 : लेनदेन/संव्यवहार मूल्य का निर्धारण :

कंपनी लेनदेन का मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों और इसके व्यावसायिक प्रक्रियाओं पर विचार करती है । लेनदेन का मूल्य उस प्रतिफल की राशि है, जिसे तृतीय पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, वादा किए गए वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने के लिए कंपनी को यह उम्मीद है कि वह विनिमय में हकदार होगी । ग्राहक के साथ हुए अनुबंध में वादा किए गए प्रतिफल में निश्चित मात्रा, परिवर्तनशील राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं ।

लेनदेन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित सभी पार्टियों के प्रभावों पर विचार करती है :

- परिवर्तनीय प्रतिफल,
- परिवर्तनीय प्रतिफल का अनिच्छापूर्वक आकलन,
- महत्वपूर्ण वित्त पोषण घटक की मौजूदगी
- गैर-नकद प्रतिफल,
- ग्राहक को देय प्रतिफल

छूट, रिबेट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य में रियायत, प्रोत्साहन, कार्य-निष्पादन बोनस या अन्य समान वस्तुओं के कारण प्रतिफल की मात्रा भिन्न हो सकती है । वादा किया गया प्रतिफल भी भिन्न हो सकता है, यदि आकस्मिक रूप से किसी भावी घटना या गैर-घटना के आधार पर कंपनी के अधिकार प्रतिफलित हो ।

कुछ अनुबंध में, दण्ड निर्धारित है। ऐसे मामलों में, अनुबंध के तत्व के अनुसार दण्ड आधारित होता है। जहां लेनदेन के मूल्य के निर्धारण में दण्ड निर्धारित है, वहां यह परिवर्तनीय प्रतिफल का हिस्सा होता है।

कंपनी में केवल अनुमानित परिवर्तनीय प्रतिफल के कुछ या सभी लेनदेन मूल्य उस हद तक शामिल है, जबकि इसकी अत्यधिक संभावना हो कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में कोई महत्वपूर्ण रिवर्सल तब तक नहीं होगा, जब तक कि परिवर्तनीय प्रतिफल के साथ जुड़ी अनिश्चितता दूर नहीं होती ।

कंपनी तब तक एक महत्वपूर्ण वित्त पोषण घटक के प्रभावों के लिए परिवर्तनीय प्रतिफल के वादा की राशि को समायोजित नहीं करती है,जब तक अनुबंध के आरंभ में यह अपेक्षित हो कि इस अवधि के दौरान वादा किए गए वस्तुओं या सेवाओं को एक ग्राहक को हस्तांतरित किया जा सकता है और ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए एक वर्ष या उससे कम समय के अंदर भुगतान कर सकता है ।

यदि कंपनी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और कुछ या सभी प्रतिफल ग्राहक को वापस करने की अपेक्षा करती है तो कंपनी धनवापसी दायित्व को स्वीकार कर लेती है। धनवापसी दायित्व की गणना उस प्राप्त प्रतिफल (या प्राप्य) राशि के आधार पर की जाती है, जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (अर्थात जो राशि लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं है) । रिफण्ड लायबिलिटी (लेनदेन के मूल्य में तदनुरूप परिवर्तन तथा, इसलिए अनुबंध देयता) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतित किया जाता है ।

अनुबंध प्रांरभ होने के बाद, अनिश्चित घटनाओं या परिस्थितियों में वैसा परिवर्तन जिसमें प्रतिफल की राशि में परिवर्तन होता हो, के वादा सहित विभिन्न कारणों से लेनदेन की कीमत बदल सकती है, जिसमें कंपनी को उम्मीद है कि वह वादा किए गए वस्तुओं या सेवाओं के विनियम में हकदार होगी ।

चरण-4ः लेनदेन की मूल्य/कीमत का आबंटन :

कंपनी का उद्देश्य है कि लेनदेन का मूल्य आबंटित करते समय किसी राशि में प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व (या विशेष वस्तु या सेवा) के लिए लेनदेन का मूल्य आबंटित किया जाए, जो प्रतिफल की मात्रा को दर्शाती है और जिसके लिए कंपनी, ग्राहक से वादा किए गए वस्तु या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है ।

एक सापेक्ष एकल (स्टेण्ड एलोन) विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व हेतु लेनदेन मूल्य आबंटित करने के लिए, कंपनी अलग-अलग वस्तु या सेवा के अंत में अनुबंध की स्थापना पर एकल विक्रय मूल्य निर्धारित करती है, जोकि अनुबंध में प्रत्येक कार्य-निष्पादन के दायित्व के तहत आता है और उन एकल विक्रय मूल्य के अनुपात में लेनदेन की कीमत/मूल्य आबंटित की जाती है ।

चरण-5 : राजस्व को मान्यता :

जब (या उस रूप में) कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए वस्तु या सेवा का हस्तांतरण कर उसके कार्य-निष्पादन के दायित्व से संतुष्ट होती है तो वह राजस्व को मान्यता देती है। ग्राहक द्वारा नियंत्रण प्राप्त करने पर (या उस रूप में) किसी वस्तु या सेवा को हस्तांतरित किया जाता है ।

कंपनी समय के साथ किसी वस्तु या सेवा के नियंत्रण को हस्तांतरित करती है और इसलिए, यदि मानदण्डों में से किसी एक के पूरा होने पर ही, समय के साथ किसी कार्य-निष्पादन के दायित्व और राजस्व को मान्यता देती है, ः

क) यदि कंपनी के कार्य-निष्पादन के अनुसार ग्राहक कंपनी के निष्पादन से प्राप्त लाभों को साथ-साथ प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है ।

ख) यदि कंपनी के कार्य-निष्पादन से परिसम्पत्ति का सृजन होता है या उसमें वृद्धि होती है और इस सृजन या वृद्धि पर ग्राहक का नियंत्रण हो,

ग) यदि कंपनी किसी वैकल्पिक साधन का उपयोग करते हुए अपने कार्य-निष्पादन से किसी परिसम्पत्ति का सृजन नहीं करती है और कंपनी के पास उस तिथि तक पूरा किए गए कार्य-निष्पादन का भुगतान करने का अधिकार हो ।

कंपनी समय पर संतुष्ट प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए, उस तिथि तक इस दिशा में हुई प्रगति का मापन करके राजस्व को मान्यता देती है ।

कंपनी, प्रत्येक संतुष्ट कार्य-निष्पादन दायित्व की प्रगति को मापने के लिए एकल मापन विधि का पालन करती है और समान निष्पादन दायित्वों और समान परिस्थितियों में इसी पद्धति का नियमित रूप से पालन करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, पूर्ण संतुष्टि के लिए कंपनी अपने कार्य-निष्पादन दायित्व की प्रगति का पुनः मापन करती है ।

कंपनी, अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष तिथि को हस्तांतरित ग्राहक के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व को मान्यता देने के लिए आउटपुट विधि का पालन करती है । आउटपुट विधियों में उक्त तिथि तक के निष्पादन-सर्वेक्षण, अर्जित परिणामों का मूल्यांकन,अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धि (माईल स्टोन) गुजरे वक्त, यूनिट द्वारा उत्पादित या यूनिट द्वारा सौंपी गई, जैसी विधियों को शामिल किया जाता है ।

कंपनी, समय के साथ-साथ अपनी प्रगति के माप को अद्यतित करती रहती है, ताकि यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे निष्पादन दायित्व में दर्शाया जा सके और इस परिवर्तन को भारतीय लेखा मानक-8, लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों एवं त्रुटियों में परिवर्तन के आलोक में परिवर्तन के रूप में शामिल किया जाता है ।

कंपनी, यदि कार्य-निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में इसकी प्रगति को यथोचित तरीके से माप सकती है तो उस समय तक के लिए संतुष्ट कार्य-निष्पादन दायित्व के राजस्व को स्वीकार करती है । जब (या के रूप में) कार्य-निष्पादन दायित्व संतोषजनक होता है, तो कंपनी लेनदेन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में स्वीकार करती है (जिसमें परिवर्ती प्रतिफल के अनुमान को शामिल नहीं किया जाता है, जो उस कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए आबंटित किए गए है) ।

यदि समय के साथ कोई कार्य-निष्पादन दायित्व संतोषजनक नहीं है, तो कंपनी एक समय-सीमा के अंदर इसे संतोषजनक बनाने का प्रयास करती है। उस समय-सीमा को निर्धारित करने के लिए जब एक ग्राहक का वादा किये गए किसी वस्तु या सेवा पर अपना नियंत्रण स्थापित हो जाता है

और कंपनी कार्य-निष्पादन दायित्व से संतुष्ट हो जाती है, तो कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतक पर विचार करती है,जिसमें निम्नलिखित शर्तें एक सीमा तक शामिल नहीं है :

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार है ,

ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का स्वामित्व है,

ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक कब्जे/अधिकार को हस्तांतरित कर दिया है,

घ) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल है,

ड.) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार कर लिया है ।

जब कोई पार्टी किसी अनुबंध का निष्पादन करती है तो कंपनी के अपने तुलन-पत्र में उक्त अनुबंध को अनुबंध परिसम्पत्ति या अनुबंध देयता के रूप में शामिल/प्रस्तुत करती है जो कंपनी के कार्य-निष्पादन तथा ग्राहक के भुगतान के संबंध पर आधारित होता है। कंपनी प्राप्य के रूप में, अलग-अलग प्रतिफल के लिए बिना शर्त अधिकार देती है।

अनुबंध परिसम्पत्तियां :

एक अनुबंध परिसम्पत्ति, ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए प्रतिफल का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक के प्रतिफल या भुगतान करने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को हस्तांतरित करके निष्पादन करती है, तो सशर्त रूप से अर्जित प्रतिफल के लिए अनुबंध परिसम्पत्ति को मान्यता दी जाती है ।

व्यापारिक प्राप्य

एक प्राप्य, प्रतिफल की राशि का बिना शर्त कंपनी-अधिकार है (अर्थात, देय प्रतिफल के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

अनुबंध देयताएं :

एक अनुबंध दायित्व किसी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त हुआ है (या प्रतिफल की राशि देय है)। कंपनी द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने से पहले यदि कोई ग्राहक पर प्रतिफल करता है और जब भुगतान किया जाता है या देय होता है (जो भी पहले हो), तो किसी अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत कार्य-निष्पादन करती है तो अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

ब्याज

प्रभावी ब्याज पद्धति का प्रयोग करते हुए ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

लाभांश

निवेश से प्राप्त लाभांश आय को तभी मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त किए जाने का अधिकार स्थापित/प्रमाणित हो।

अन्य दावे

अन्य दावे (ग्राहकों से विलंब से वसूली पर प्राप्त ब्याज सहित) का लेखा-जोखा वसूली की निश्चितता होने तथा मापे जाने की वास्तविकता होने पर की जाती है ।

2.5 सरकार से अनुदान :

सरकारी अनुदान तब तक मान्य नहीं किए जाते, जब तक कोई यथोचित आश्वासन नहीं दिया जाता है कि इससे जुड़ी सभी शर्तों का कंपनी पालन करेगी तथा जिससे यह सुनिश्चित हो कि अनुदान अवश्य प्राप्त हो सकेंगे।

अवधि के दौरान लाभ और हानि विवरण में नियमित आधार पर सरकारी अनुदान स्वीकार किए जाते हैं जिसमें कंपनी संबंधित लागत को खर्चे के रूप में मानती है जिसके लिए अनुदान से उसकी क्षतिपूर्ति की अपेक्षा रहती है।

परिसम्पत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित आय के रूप में तुलन-पत्र में प्रदर्शित करते हुए प्रस्तुत किया जाता है तथा परिसम्पत्तियों की कार्यशील जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ व हानि विवरणी में मान्यता दी जाती है।

आय से संबंधित अनुदान (परिसंपत्ति के अलावे अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत लाभ या हानि विवरण के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान/सहायता जो कंपनी को पूर्व में हुए व्यय या नुकसान के लिए अथवा तत्काल आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करने योग्य होते है, जिसमें भावी खर्चे शामिल नहीं है, उस अवधि के लाभ-हानि में स्वीकार किये जाते है जिसमें इसे प्राप्त करना है।

शासकीय अनुदान या प्रर्वतक के अंशदान के स्वरूप में अनुदान, जो ''अंशधारकों की निधि'' का एक भाग है, को प्रत्यक्ष रूप से पूंजी संचय में मान्यता दी जानी चाहिए ।

2.6 पट्टा :

चिन्हित सम्पत्ति की संविदा/करार या पट्टा समय सीमा में प्रतिफल के एवज में सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार को नियंत्रित करने वाला होगा ।

2.6.1 पट्टागृहीता के रूप में कंपनी :

पट्टा प्रारंभिक तिथि को पट्टा-गृहीता/पट्टाधारी को पट्टा राशि के भुगतान पर उसके वर्तमान मूल्य पर सम्पत्ति के मूल्य लागत और मूल्य पर सभी पट्टे की सम्पत्ति के उपयोग को मान्यता देगा यदि संबंधित सम्पत्ति का पट्टा 12 माह या उससे कम का न हो तथा उसकी कीमत बहुत कम न हो ।

तत्पश्चात, सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन उसके लागत माडल जबकि पट्टे का दायित्व पट्टे के प्रारंभिक मूल्य, पट्टे की देयता पर ब्याज को शामिल करते हुए उसके पुनर्मूल्यांकन में पुनःनिर्धारण या पट्टे में संशोधन सम्मिलित माना जाएगा ।

वित्तीय प्रभार को लाभ एवं हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागत अन्य प्रयोज्य मानकों को लागू करने वाली दूसरी अन्य परिसम्पत्ति की वहनीय राशि में शामिल नहीं होती है।

उपयोगपूर्ण सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार को सम्पत्ति की आयु के आधार पर उसके अवमूल्यन के पश्चात निर्धारित किया जाएगा । यदि पट्टा, पट्टागृहीता को पट्टा समाप्ति पर स्वामित्व का अधिकार अंतरित करता है अन्यथा सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार को प्रारंभ तिथि से सम्पत्ति के निर्धारित उपयोगी जीवन की समाप्ति अथवा पट्टावधि के पूर्ण होने के पूर्व ही अवमूल्यित कर देगी ।

2.6.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो परिचालन पट्टा या वित्त पट्टा के रूप में है ।

ऐसे किसी पट्टे को एक वित्त पटटे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जबकि यह अंतर्निहित परिम्पत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक सभी जोखिमों व रिवार्ड्स को अंतरित करता है। ऐसे किसी पट्टे को एक परिचालन पटटे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जबकि यह अंतर्निहित परिम्पत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक सभी जोखिमों व रिवार्ड्स को बाद में अंतरित नहीं करता है ।

परिचालन पट्टा : परिचालन पट्टों से पट्टा भुगतान को स्ट्रेट लाईन आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि पैटर्न का एक और व्यवस्थित आधार अधिक द्योतक नहीं होता है, जिसमें अंतर्निहित परिसम्पत्ति के उपयोग से लाभ घट जाता है ।

वित्तीय पट्टे - वित्तीय पट्टे के अंतर्गत धारित सम्पत्ति उसके तुलन-पत्र में मान्य की जाएगी और उसको प्राप्य राशि के रूप में प्रस्तुत करेगी जोकि पट्टे में विनियोजित शुद्ध राशि उस पर ब्याज की गणना करते हुए शामिल राशि के बराबर होगी, जिसे पट्टे के शुद्ध विनियोजन को मापने/निर्धारित करने हेतु उपयोग किया जाएगा ।

2.7 बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियां :

कंपनी गैर-चालू परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करती है एवं बिक्री के लिए रखती है (या निपटाने वाले समूह) यदि उनके वहनीय राशि की वसूली मूल रूप से लगातार उपयोग करते रहने के बजाए बिक्री के जरिए होती है। बिक्री के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यक कार्रवाइयों से यह ज्ञात होना चाहिए कि यह असंभाव्य नहीं है कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किये जाएंगे अथवा यह कि बिक्री करने के निर्णय को वापस ले लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर अपेक्षित बिक्री के लिए अनिवार्य रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इस उद्देश्य के लिए, जब विनिमय वाणिज्यिक सम्पत्ति का हो, तो बिक्री लेन-देन में अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए गैर-चालू परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल होगा। बिक्री वर्गीकरण हेतु मान्य मानदंडों को केवल तभी पूरा किया जाता है जब परिसंपत्तियों अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तुरंत बिक्री हेतु उपलब्ध रहें, इस शर्त के साथ कि वह ऐसी परिसंपत्तियों (अथवा निपटान समूह) की बिक्री के लिए एवं प्रचलित हो। इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है तथा इसे वास्तव में बेचा जाएगा न कि परित्याग किया जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति अथवा निपटान समूह की बिक्री की अत्यधिक संभावना को तभी मानती है जबः

- उचित स्तरीय प्रबंधन परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो,
- खरीददार का पता लगाने तथा योजना को पूरा करने हेतु एक कारगर कार्यक्रम की पहल की गई हो,
- वर्तमान उचित मूल्य की तुलना में समुचित मूल्य पर बिक्री हेतु परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) के लिए सक्रिय रूप से बाजार ढूंढा जा रहा हो,
- वर्गीकरण तिथि से एक वर्ष के भीतर संपूरित बिक्री के रूप में मान्यता हेतु बिक्री की अर्हता पूरी हो, और
- योजना पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयां यह संकेत करती हैं कि योजना में ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव असंभावित तरीके से किये जाएंगे अथवा यह कि योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.8 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) :

भूमि पारंपरिक लागत पर ली जाती है पारंपरिक लागत में वह व्यय भी शामिल है जो संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले पुनर्वास खर्च, पुनर्वास लागत और क्षतिपूर्ति आदि जैसे भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के एक मद को लागत मॉडल के तहत किसी संचित अवमूल्यन एवं किसी संचित क्षतिकर नुकसानों को घटाकर इसकी लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद की लागत में ये शामिल हैंः-

(क) इसके खरीद मूल्य में व्यावसायिक छूट व कटौती को घटाने के बाद आयात शुल्क एवं गैर-वापसी योग्य खरीद-कर, शामिल है ।

(ख) प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से परिचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान तथा स्थिति तक परिसंपत्ति को लाने में प्रत्यक्ष रूप से रोप्य कोई लागत।

(ग) प्रारंभिक लागत का आकलन जो इसे अलग करने तथा सामग्री को हटाने व जिस स्थान पर वह रखा है, उसे बहाल करने, जिसके लिए कंपनी का दायित्व है तथा अवधि के दौरान सूची में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक निश्चित अवधि में इसे अधिग्रहण किया गया है ।

जिस मद का अलग से मूल्यह्रास हुआ है, उसकी कुल लागत से संबंधित लागत सहित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी मद का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है। हालांकि, पीपीई के एक आइटम के महत्वपूर्ण भाग (भागों) में समान उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास विधि को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के साथ, एक साथ समूहीकृत किया जाता है।

"मरम्मत और रख-रखाव" के लिए उल्लिखित दिन-प्रतिदिन की अनुरक्षण की कीमतें, जो उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें उस पर खर्च किया जाता हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मद की कुल लागत से संबंधित महत्वपूर्ण पार्ट्स को बदलने के बाद की कीमत मद के वहनीय राशि में स्वीकार की जाती हैं, अगर यह संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनीयता के साथ मापी जा सकती है तो जिन भागों को विस्थापित किया गया है, उनमें वहनीय राशि को नीचे उल्लिखित अस्वीकरण नीति के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

जब वृहत स्वरूप के निरीक्षण किये जाते हैं, तो इसकी कीमत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सामान के प्रतिस्थापन राशि के रूप में पहचानी जाती है, यदि यह संभावित है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और आइटम की लागत विश्वसनीयता के साथ उसे मापी जा सकती है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष वहनीय राशि (कैरिंग अमाउंट) को अस्वीकार कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक हिस्सा को निपटान पर अथवा जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, अस्वीकृत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के इस तरह के अस्वीकरण के कारण किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में स्वीकार किया जाता है।

पूर्ण-स्वामित्व की भूमि के अलावा, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास, संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के अनुसार स्ट्रेट लाईन आधार पर आदर्श लागत के अनुसार प्रदान की जाती है।

अन्य भूमि

(पट्टाधारित भूमि सहित)	:	परियोजना का जीवन अथवा पट्टा अवधि, जो कम हो
भवन	:	3-60 वर्ष
सड़कें	:	3-10 वर्ष
दूर संचार	:	3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	:	5-30 वर्ष
कंप्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3-6 वर्ष
फर्नीचर एवं इससे जुड़ी वस्तुएं	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का यह मानना है कि ऊपर दर्शित उपयोज्य जीवन अवधि से तात्पर्य उस अवधि से है, जिसका प्रबंधन परिसम्पत्तियों के उपयोग में इस्तेमाल करना चाहती है । अतः परिसम्पत्तियों की उपयोज्य जीवन अवधि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के भाग-ग के अधीन यथा-निर्धारित उपयोज्य जीवन अवधि से भिन्न हो सकती है ।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति की अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य संपत्तियों की मूल लागत का 5% माना जाता है, जैसे कि कोल टब, वाइंडिंग रस्सा, हालेज रस्सा, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि जैसी परिसंपत्तियों के कुछ वस्तुओं को छोड़कर, जिसके लिए तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष होना निर्धारित किया गया है।

वर्ष के दौरान, खरीदी/बेची गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रोराटा आधार पर खरीदे/बेचे जाने के माह के संदर्भ में प्रदान किया गया है।

'अन्य भूमि' के मूल्य में वह भूमि शामिल है जो कोल बियरिंग एरिया (अधिग्रहण एवं विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एवं भूमि अधिग्रहण में उचित/सही क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता अधिकार पुनर्वास व पुनर्स्थापना (आरएफसीटीएलएआर) अधिनियम,2013, सरकारी जमीन आदि का लम्बी अवधि के लिए अंतरण के तहत अधिग्रहित की गई है जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित किया जाता है तथा पट्टाधारित भूमि के मामले में इस प्रकार के परिशोधन परियोजना की पट्टे की अवधि अथवा शेष जीवन, जो कम है, पर आधारित होता है।

पूर्णतः अवमूल्यित परिसम्पत्तियां, जिनका सक्रिय उपयोग बंद हो चुका है, को सर्वे-आफ परिसम्पत्तियों के रूप में परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत इसके अवशिष्ट मूल्य पर अलग से प्रकट किया जाता है तथा इसके हानि की जांच की जाती है ।

कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर कंपनी द्वारा लगाई गई पूंजीगत लागत, जो कंपनी के माल की आपूर्ति या किसी वर्तमान परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए लगाई गई हो, वह संपत्ति, संयत्र एवं उपस्कर के तहत योग्य संपत्ति के रूप में मान्य होगी।

भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन

कंपनी अपनी समस्त परिसंपत्ति, संयत्र एवं उपस्कर के लागत मॉडल के अनुसार वहन व्यय सहित इसे अनवरत जारी रखने के लिए चुनी गई है, जैसा कि इंड-एएस की परिवर्ती तिथि, पूर्व के जीएएपी के अनुसार वित्तीय विवरण में स्वीकार किया गया है।

2.9 माईन क्लोजर, स्थल पुनरूद्धार एवं उपकरणों/साधनों का उपयोग बंद करना :

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सरफेस एवं भूमिगत दोनों खानों के लिए बनी संरचनाओं को बंद करने एवं भूमि पुनरुद्धार का दायित्व कंपनी का है। कंपनी माईन क्लोजर, स्थल पुनरुद्धार एवं उपकरणों के उपयोग को बंद/समाप्ति के लिए आवश्यक कार्य में लगने वाली धनराशि एवं समय तथा भविष्य में नकद खर्च के विस्तृत तकनीकी आकलन एवं गणना के आधार पर माईन क्लोजर, स्थल पुनरूद्धार तथा उपकरणों के उपयोग को बंद करने में अपने दायित्व का आकलन करती है। माईन क्लोजर खर्च अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान के अनुसार ही प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए खर्चों के आकलन को तेज किया जाता है और तब छूट की दर पर छूट दी जाती है जो वर्तमान बाजार मूल्य एवं जोखिम के निर्धारण को इस प्रकार प्रतिबिंबित करती है कि प्रावधानित राशि दायित्व निपटारे के लिए अपेक्षित आवश्यक खर्चों के वर्तमान मूल्य को परिलक्षित करे। कंपनी पूर्णरूपेण पुनरुद्धार तथा माईन क्लोजर के दायित्व से जुड़ी समरूप परिसंपत्ति का रिकार्ड रखती है। दायित्व एवं समरूप परिसंपत्ति को उसी अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें देयता देनदारी उत्पन्न होती है। माईन क्लोजर प्लान के अनुसार स्थल पुनःर्स्थापन की कुल लागत को निरूपित करने वाली परिसंपत्ति (जैसा कि सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड में प्राक्कलित) को पीपीई में अलग मद के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है तथा परियोजना/खान के शेष जीवन के लिए परिशोधित किया जाता है।

प्रावधान का मूल्य समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता है, क्योंकि छूट घटती जाती है, जिसमें खर्च का सृजन होता है तथा वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है ।

पुनः अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए,एक विशेष निलंब निधि लेखा बनाया जाता है।

वर्ष दर वर्ष आधार पर हुए प्रगामी माईन क्लोजर व्यय जो सकल माईन क्लोजर दायित्व का एक हिस्सा होता है, प्रारंभ में निलंब लेखा से प्राप्त करने योग्य के रूप में स्वीकार किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में देनदारी के साथ समायोजित किया जाता है, जिसमें राशि प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद आहरित की गई ।

2.10 गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियां :

परिसंपत्तियों के गवेषण एवं मूल्यांकन में पूंजीकृत लागत शामिल है जिससे कोयला एवं इससे संबंधित स्रोतों को खोजने में मदद मिलती है। इसमें तकनीकी संभाव्यता का निर्धारण तथा निम्नलिखित के साथ-साथ किसी चिह्नित स्रोत की व्यावसायिक व्यावहारिता का मूल्यांकन बाद में किया जाता हैः-

- गवेषण के अधिकारों का अधिग्रहण
- ऐतिहासिक गवेषण आंकड़ों का पुनर्खोज एवं विश्लेषण।
- टोपोग्राफिकल,भू-रसायनिक एवं भू-भौतिकी अध्ययनों के जरिए गवेषण के आंकड़ों को एकत्रित करना
- गवेषणात्मक ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग एवं सैम्पलिंग।
- स्रोत के ग्रेड एवं आयतन की जांच एवं निर्धारण ।
- परिवहन एवं संरचनात्मक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण।
- बाजार और वित्तीय अध्ययनों का आयोजन।

उपर्युक्त में कर्मचारियों का मानदेय, सामानों की कीमत एवं प्रयुक्त ईंधन, ठेकेदारों आदि का भुगतान शामिल है।

चूंकि अमूर्त संघटक होने वाली समग्र अनुमानित प्रत्यक्ष लागतों का एक निरर्थक एवं अविभेद्य भाग को प्रस्तुत करता है जिसकी पूर्ति भावी उपयोग से की जाने की अपेक्षा है, इसलिए अन्य पूंजीकृत गवेषणागत खर्चों के साथ इन खर्चों को गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी संभाव्यता एवं व्यावसायिक उपयोगिता के निर्धारण को लंबित रखते हुए परियोजना दर परियोजना आधार पर गवेषण एवं मूल्यांकन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है तथा गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत एक अलग लाइन आइटम के रूप में प्रकट किया जाता है। बाद में उन्हें संचित प्रावधान से कम लागत पर मापा जाता है।

एक बार जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है एवं परियोजना के विकास की स्वीकृति दे दी जाती है तो पूंजीगत चालू कार्य के तहत खोजी एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ को "विकास" के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है हालांकि यदि प्रमाणित भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.11 विकास खर्च :

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है तथा परियोजना/खानों के विकास की स्वीकृति दे दी जाती है, तो पूंजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन/आकलन लागत को निर्माण के अधीन परिसम्पत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है तथा "विकास" शीर्ष के अंतर्गत पूंजी कार्य में प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है । बाद के सभी विकास खर्चों को भी पूंजीकृत किया जाता है। खान के विकास के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से पूंजीकृत किये गए विकास खर्च का निवल लाभ है।

व्यावसायिक परिचालन

परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित शर्तों के आधार पर अथवा निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर परियोजना व्यावसायिक तौर पर सततता के आधार पर जब उत्पादन देने के लिए तैयार हो जाती है तो परियोजना/खदानों को राजस्व के लिए लाया जाता है :

(क) अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% वास्तविक उत्पादन जिस वर्ष परियोजना से होता है, उस वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से, अथवा

(ख) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष, अथवा

(ग) वित्तीय वर्ष की शुरूआत से जिस वर्ष में उत्पादन का मूल्य कुल खर्चों से अधिक होता है।

उपर्युक्त में से जो भी पहले घटित हो।

राजस्व में लाए जाने के बाद, चालू पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्तियों को "अन्य खनन आधारभूत संरचना" नामावली के तहत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संघटक के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को उस वर्ष से परिशोधित किया जाता है जब 20 वर्षों अथवा परियोजना की चालू अवधि जो भी कम हो, में खान राजस्व के अंतर्गत लाया जाता है।

2.12 अमूर्त परिसंपत्तियां :

पृथक रूप से अधिग्रहित की गई अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है। व्यापार संयोजन/व्यावसायिक संगठन में अधिग्रहित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तिथि को उनका उचित मूल्य होता है। प्रारंभिक मान्यता का अनुसरण करते हुए अमूर्त परिसंपत्तियों को किसी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन के दौरान स्ट्रेट लाइन बेसिस पर परिकलित) एवं संचित हानिकरण क्षति, यदि कोई हो, से कम लागत पर लिये जाते हैं।

पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर, आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। बल्कि संबंधित व्यय को लाभ हानि विवरण एवं जिस अवधि में खर्च हुआ है, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का निर्धारण सीमित या असीमित रूप में किया जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान परिशोधित कर दिया जाता है तथा जब कभी यह संकेत होता है कि अमूर्त परिसंपत्ति हानिकर हो सकती है, तो इसके हानिकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सहित किसी अमूर्त परिसंपत्ति के लिए हानिकरण अवधि एवं हानिकरण विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन अथवा परिसंपत्ति में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों के उपयोग के अपेक्षित तरीकों में परिवर्तनों के लिए परिशोधन अवधि अथवा विधि में यथोचित संशोधन पर विचार किया जाता है। जिसे लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

असीमित कार्यशील जीवन के साथ किसी अमूर्त परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसके हानिकरण की जांच की जाती है।

किसी अमूर्त परिसंपत्ति के अस्वीकरण से होने वाले फायदे एवं नुकसान को परिसंपत्ति के निवल निपटान लाभ एवं वहनीय राशि (कैरिंग अमाउंट) के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और जो लाभ व हानि विवरण में मान्य होता है।

बाहरी एजेंसियों (अर्थात उस ब्लॉक हेतु, जो सीआईएल के लिए उद्दिष्ट नहीं है) को बेचने के लिए चिह्नित अथवा बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए रोप्य अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को यद्यपि, अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा हानिकरण के लिए जांच की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्य सॉफ्टवेयर की लागत को प्रयोग करने के विधिक अधिकार से अधिक अथवा तीन वर्षों में, जो भी कम हो, संरेखीय विधि पर अवशिष्ट मूल्य शून्य के साथ परिशोधित कर दिया जाता है।

अनुसंधान एवं विकास से संबंधित व्यय, जब कभी भी होता है, को लेखा में माना जाता है ।

2.13 परिसंपत्तियों की हानि (वित्तीय परिसम्पत्तियों के अलावा) :

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह मूल्यांकन करती है कि किसी परिसंपत्ति में कमी-क्षति तो नहीं है। यदि इस प्रकार का कोई संकेत रहता है तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का आकलन करती है । परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि परिसम्पत्ति से अधिक है अथवा नकद सृजन करने वाली इकाई के प्रयोग मूल्य से अधिक होती है तथा इसका उचित मूल्य निपटान लागत से कम होता है व इसका निर्धारण किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए तब तक किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति नकद प्रवाह को सृजित न कर लेती है जिसमें नकद वसूली योग्य राशि उस नकद सृजन करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती है, जिससे परिसंपत्ति जुड़ी होती है। कंपनी हानिकरण की जांच करने के उद्देश्य से पृथक खानों को अलग नकद उत्पादक यूनिट मानती है।

यदि किसी परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि का आकलन उसकी वहनीय राशि से कम होता है तो परिम्पत्ति की वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है और लाभ-हानि को लाभ व हानि विवरणी में मान्य समझा जाता है ।

2.14 निवेश संपत्ति :

सम्पत्ति (भूमि या एक भवन या भवन का भाग या दोनों) किराया प्राप्त करने या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए रखी हुई उत्पादन में उपयोग के लिए या सामग्री आपूर्ति के लिए या सेवा या प्रशासनिक उद्देश्य से, या सामान्य मामले में व्यापार के लिए हुई हो तो उसे निवेश सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संबंधित लेन-देन लागत सहित और जहां लागू हो वहां उधार लागत सहित निवेशित संपत्ति को इसकी प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है।

निवेशित संपत्तियों को उनके अनुमानित कार्यशील जीवन पर स्ट्रेट लाइन पद्यति का प्रयोग करते हुए अवमूल्यित किया जाता है।

2.15 वित्तीय विलेख/विपत्रः

वित्तीय विलेख/विपत्र एक प्रकार का ऐसा करार हैं जो एक कंपनी एवं वित्तीय देयता अथवा दूसरी कंपनी के इक्विटी दस्तावेज या वित्तीय परिसंपत्ति को बढ़ाता है।

2.15.1 वित्तीय परिसंपत्तियां :

2.15.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन :

लाभ या हानि व लेनदेन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए रोप्य हैं, के जरिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रिकार्ड नहीं किये जाने की स्थिति में वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद अथवा बिक्री जिसे विनियम अथवा अभिसमय द्वारा बाजार में एक सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी की आवश्यकता पड़ती है, को व्यापार की तिथि यानी कंपनी परिसंपत्ति की खरीद अथवा बिक्री के लिए जिस तिथि को प्रतिबद्ध है, उस तिथि को मान्यता दी जाती है।

2.15.2 परिवर्ती मापन :

परिवर्ती मापन के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में बांटा जाता हैः-

- परिशोधित लागत पर ऋण विपत्र।
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर ऋण विपत्र (एफवीटीओसीआई) ।
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर ऋण विपत्र, व्युतपन्न एवं इक्विटी विपत्र (एफवीटीपीएल) ।
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापित इक्विटी विपत्र। (एफवीटीओसीआई)

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण विपत्र :

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती है तो ऋण दस्तावेज को परिशोधित लागत पर मापा जाता हैः

(क) परिसंपत्ति व्यापारिक मॉडल के अंदर हो जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिसंपत्ति रखनी होती है।

(ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें उस नकदी प्रवाह को विनिर्दिष्ट तिथि पर, जिस पर मूल बकाया राशि का केवल मूलधन एवं ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद इस प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्यति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना-अधिग्रहण एवं शुल्क या मूल्य/लागत जो ईआईआर का हिस्सा है, पर किसी छूट या किश्त को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर को परिशोधन लाभ या हानि अन्तर्गत व्यापक आय में शामिल किया जाता है। हानिकरण के कारण होने वाली क्षति को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.15.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण विपत्र :

यदि निम्नलिखित दोनों मानदण्डों को पूरा किया जाता है तो ''ऋण विपत्र'' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता हैः

(क) व्यापारिक मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री दोनों तरह से पूरा किया जाता है, और

(ख) परिसंपत्तियों का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई को निरूपित करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत आने वाले ऋण दस्तावेजों का प्रारंभिक तौर पर साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। उचित मूल्य के मूवमेंट को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्रदान की जाती है। हॉलांकि कंपनी ब्याज से होने वाली आय, हानिकरण से होने वाले नुकसान एवं विपर्यय तथा विदेशी मुद्रा लाभ व हानि को लाभ व हानि में स्वीकार करती है। परिसंपत्ति के अस्वीकरण पर संचित लाभ अथवा हानि को पहले अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती थी,उसे लाभ व हानि के लिए इक्विटी से पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण-विपत्र से अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्यति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण-विपत्र :

एफवीटीपीएल ऋण विपत्र के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। ऋण विपत्र जो परिशोधित लागत के रूप में अथवा एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के लिए मानदंड को पूरा नहीं करती है,उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एक ऋण दस्तावेज को निर्दिष्ट करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रूप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसी मानदंडो को पूरा कराती है। हालांकि ऐसे चुनाओं की अनुमति केवल तभी दी जाती है,जब कोई माप या मान्यता असंगतता को कम करता है या समाप्त करता है (जिसे लेखाकरण बेमेल कहा जाता है) कंपनी ने किसी भी ऋण दस्तावेज को एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी विपत्रों को उचित मूल्य पर लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मापा जाता है।

2.15.2.4 अनुषंगी, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

इंड एएस 101 के अनुसार (इंड एएस का पहली बार अपनाया जाना), पूर्व जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहनीय राशि परिवर्तन तिथि पर मानी हुई लागत पर मान्य होगी। तत्पश्चात अनुषंगी, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश का मापन लागत पर होगा।

समेकित वित्तीय विवरण के मामलों में, एसोसिएट्स तथा संयुक्त उपक्रमों में इक्विटी निवेश को इंड एएस 28 के पैरा 10 में यथा-निर्धारित इक्विटी पद्धति के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है ।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

इंड एएस 109 के कार्यक्षेत्र में समस्त इक्विटी निवेश का मापन लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर किया जाता है।

अन्य समस्त इक्विटी विपत्रों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में तत्पश्चात परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए चुनाव/चयन कर सकती है। कंपनी किसी विपत्र पर ऐसा चुनाव/चयन दस्तावेज आधार पर कर सकती है। वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकार्यता पर किया जाता है और जोकि अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी विपत्रों को वर्गीकृत करने का निर्णय करती है,तो लाभांश को छोड़कर, दस्तावेज पर समस्त उचित मूल्य में परिवर्तित को ओसीआई में मान्यता दी जाती हैं। निवेशों की बिक्री होने पर भी ओसीआई से पी.एंड एल. में राशियों को नहीं लाया जाएगा। तथापि कंपनी इक्विटी के भीतर संचित लाभ और हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंदर समाविष्ट इक्विटी विपत्र पी. एंड एल. में मान्य सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य में मापा जाता हैं।

2.15.2.6 असम्बद्ध/गैर-मान्यता :

किसी वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) की मान्यता मुख्य रूप से तब समाप्त कर दी जाती है (अर्थात तुलन पत्र से हटा दी गयी है) जब

- संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, अथवा
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है, अथवा किसी ''पास थ्रू'' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को महत्वपूर्ण देरी के बिना पूरी तरह से प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करना उसका दायित्व है और या तो (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और रिवार्ड को काफी हद तक हस्तांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने न तो परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और रिवार्ड को हस्तांतरित किया और न ही बनाए रखा है, बल्कि परिसंपत्ति पर नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है, अथवा पास-थ्रू व्यवस्था के लिए सहमति दी है, तो वह इस बात का मूल्यांकन करती है कि उसने स्वामित्व के जोखिमों और रिवार्डों को किस हद तक अधिकार में बनाए रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और रिवार्डों को न हस्तांतरित किया है और न ही बनाए रखा है और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण ही हस्तांतरित किया है, जब तक कंपनी की सहभागिता जारी रहती है तब तक यह हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस मामले में कंपनी जुड़ी हुई देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति एवं इससे जुड़ी देयता को जिस आधार पर मापा जाता है वह कंपनी के अधिकारों एवं दायित्वों को प्रदर्शित करता है। निरंतर समावेश जो हस्तांतरित संपत्ति पर गारंटी के रूप में है, का मापन संपत्ति के मूल वहनीय राशि के निम्नतर पर किया जाता है तथा कंपनी द्वारा अदा किए जाने वाले प्रतिफल की अधिकतम राशि पर किया जाता है ।

2.15.2.7 वित्तीय परिसंपत्ति की हानि (उचित मूल्य के अलावा):

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर पर हानिकरण क्षति के मापन/मूल्यांकन एवं मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-विपत्र हैं तथा जिन्हें परिशोधित लागत अर्थात ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापारिक प्राप्य एवं बैंक शेष पर मापा जाता है,

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-विपत्र हैं एवं एफवीटीओसीआई के रूप में मापा जाता है,

(ग) भारतीय लेखा मानक 17 के तहत प्राप्य पट्टा, और

(घ) व्यापारिक प्राप्य या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय लेखा मानक 115 की सीमा में है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानिकरण क्षति भत्ता की मान्यता के लिए ''सरलीकृत दृष्टिकरण'' अपनाती है:

- व्यापारिक प्राप्य अथवा संविदात्मक राजस्व प्राप्य, और
- भारतीय लेखा मानक 17 की सीमा में लेन-देन के परिणामस्वरूप प्राप्य सभी पट्टे ।

सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में जीवनकाल (टाईम लाईन) ईसीएल के आधार पर हानिकरण हानि भत्ता को ठीक इसकी प्रारंभिक तारीख से मान्यता देती है।

2.15.3 वित्तीय देयताएं :

2.15.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन :

कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देय, ऋण एवं बैंक ओवर ड्राफ्ट सहित उधार शामिल हैं।

सभी वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण व उधार तथा देयताओं के मामले में सीधे निवल रोप्य (अट्रिब्यूटेवल) लेन-देन लागतों पर मान्यता दी जाती है।

2.15.3.2 परिवर्ती मापन/मूल्यांकन :

वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन जैसा कि नीचे वर्णित है, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है:

2.15.3.3 लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं :

लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देयताएं शामिल हैं तथा वित्तीय देयताओं को लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामोदिष्ट किया जाता है। वित्तीय देयताओं को ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में फिर से खरीद के उद्देश्य के कारण उत्पन्न हुए हों। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल है, जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित बचाव संबंधों में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग विपत्र के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

ट्रेडिंग के लिये हुई देनदारियों पर फायदा या नुकसान को लाभ व हानि में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से प्रारंभिक मान्यता और उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तारीख में उसी रूप में निर्दिष्ट किया जाता है एवं केवल तभी भारतीय लेखा मानक 109 में कसौटी को पूरा किया जाता है। एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट देयताओं, अपने क्रेडिट जोखिमों में परिवर्तन लाने के लिए रोप्य उचित मूल्य लाभ/नुकसानों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। इन लाभ/हानियों को बाद में पी. एंड एल. में हस्तांतरित नहीं किये जाते हैं। हालांकि कंपनी संचित लाभ/हानि को इक्विटी में हस्तांतरित कर सकती है। ऐसी देयता के उचित मूल्य में सभी अन्य परिवर्तनों को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयता को निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं :

प्रारंभिक मान्यता के बाद प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करते हुए इन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। फायदा और नुकसान को लाभ व हानि में मान्यता दी जाती है जब देयताओं को साथ ही साथ प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता समाप्त कर दी जाती है। प्रभावी ब्याज दर के अभिन्न भाग किसी छूट या प्रीमियम पर किश्त एवं शुल्क या लागतों को ध्यान में रखते हुए परिशोधित लागतों को परिकलित किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ व हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी प्रायः उधार को लागू करती है।

2.15.3.5 असम्बद्ध/गैर-मान्यता :

जब देनदारी के तहत दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है या इसे रद्द कर दिया जाता है अथवा वह समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देनदारी की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देयता को दूसरे समान उधारदाता द्वारा वास्तविक रूप से भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा वर्तमान देनदारी की शर्तों में वास्तविक रूप से संशोधन किया जाता है, तो ऐसे किसी परिवर्तन अथवा संशोधन को मूल देयता का अस्वीकरण एवं नई देयता का स्वीकरण माना जाता है। समाप्त कर दी गई या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दी गई अथवा देनदारियां मान ली गई वित्तीय देयता (वित्तीय देयता का हिस्सा) के पिछले शेष के बीच के अंतर को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनःवर्गीकरण :

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है। क्योंकि ये इक्विटी विपत्र एवं वित्तीय देनदारियां होती हैं। जो वित्तीय परिसंपत्तियां इक्विटी विपत्र तथा वित्तीय देनदारियां होती है, उनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण विपत्र होती है, उनके लिए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन परिसपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडेल में परिवर्तन होता है। व्यापार मॉडेल में ऐसे परिवर्तनों की अपेक्षा फिर से की जाती है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी के लिए बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों, जोकि कंपनी के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं, के परिणामस्वरूप ही व्यापार मॉडेल में परिवर्तन निर्धारित करते है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पार्टियों के लिए साक्ष्य होते हैं। कंपनी अपने परिचालन के लिए किसी महत्वपूर्ण गतिविधि की या तो शुरूआत करती है अथवा समाप्त करती है, तभी व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनःवर्गीकृत करती है, तो वह उस पुनःवर्गीकरण को उसकी पुनःवर्गीकरण तिथि से लागू करती है जो व्यापार मॉडल में परिवर्तन से पहले की रिपोर्टिंग अवधि के ठीक बाद का पहला दिन होता है। कंपनी पिछले किसी मान्य लाभों, नुकसानों (हानिकरण लाभ व हानि सहित) अथवा ब्याज को दोहराती नहीं है।

निम्नलिखित सारणी विविध पुनःवर्गीकरण एवं कैसे इसकी गणना की जाती है, दर्शाती है :

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा विवेचन
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य का आकलन पुनःवर्गीकरण की तारीख को किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के मध्य अंतर को पीएंडएल में स्वीकार किया जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य उसकी नई सकल कैरिंग राशि बन जाती है। इसी नई सकल वहनीय राशि (कैरिंग एमाउंट) के आधार पर ईआईआर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य का मूल्यांकन पुनःवर्गीकरण की तारीख को किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच के अंतर को ओसीआई में स्वीकार किया जाता है। पुनःवर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वहनीय राशि (कैरिंग एमाउंट) बन जाती है फिर भी, ओसीआई में संचित लाभ व हानि को उचित मूल्य के साथ समायोजित किया जाता है। परिणामस्वरूप परिसंपत्ति का आकलन इस प्रकार किया जाता है मानों इसे परिशोधित लागत पर ही हमेशा मापा जाता है।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनःवर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य उसकी नई वहनीय राशि (कैरिंग एमाउंट) बन जाती है। किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर आकलन किया जाना जारी रहता है। ओसीआई में स्वीकृत/मान्य संचित नफा या नुकसान पुनःवर्गीकरण की तारीख को लाभ व हानि के लिए पुनःवर्गीकृत किया जाता है।

2.15.5 वित्तीय विपत्रों की ऑफसेटिंग :

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और यदि स्वीकृत राशि के ऑफसेट का कानूनी अधिकार वर्तमान में प्रवर्तनीय हैं एवं परिसंपत्तियों की वसूली तथा देनदारियां दोनों का निवल आधार निपटान साथ-साथ करने की प्रवृति हो तो, निवल राशि को समेकित तुलन-पत्र में लिखा जाता है।

2.15.6 नकद एवं नकद समकक्ष :

तुलन-पत्र में नकद एवं नकद समकक्ष बैंक व स्वयं के पास में नकद तथा तीन माह या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन है, समंजित है। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के उद्देश्य के लिए, जैसा कि ऊपर परिभाषित है, नकद एवं नकद समकक्षों में नकद एवं अल्पकालिक जमा, निवल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट, शामिल है, जैसा कि यह कंपनी के नकद प्रबंधन के एक अभिन्न भाग के रूप में विचार किया गया है ।

2.16 उधार लागत :

जहां उधार लागत सीधे तौर पर क्वालिफाईंग परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए उत्तरदायी है,उन्हें छोड़कर यथावश्यक उधार लागत को खर्च किया जाता है,अर्थात ऐसी परिसंपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं। इस मामले में उन्हें उस तारीख तक उन परिसंपत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है,जिस तारीख को अपने इच्छित उपयोग के लिए क्वालिफाईंग परिसंपत्ति तैयार होती है।

2.17 कराधान :

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और विलंबित कर के योग को दर्शाता है।

किसी खास अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग) आयकर की राशि चालू कर है। लाभ एवं हानि एवं अन्य व्यापक आय के विवरण में जैसा कि वर्णित ''आयकर पूर्व लाभ'' से करयोग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें उस आय के व्यय का मद शामिल हैं जो दूसरे वर्षों में करयोग्य अथवा कटौती योग्य होते हैं तथा इसमें वे मद भी शामिल हैं जो कमी करयोग्य या कटौती योग्य नहीं होते हैं। चालू कर के लिए कंपनी की देनदारी का परिकलन कर की दरों का प्रयोग कर किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित किये गए हैं या वास्तविक रूप में अधिनियमित किये गये है।

सामान्य तौर पर आस्थगित कर देयताओं को सभी कर योग्य अस्थायी शेषों के लिए मान्यता दी जाती है। सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी शेष के लिए उस सीमा तक आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है कि करयोग्य लाभ मौजूद रहने की संभाव्यता रहेगी जिसके लिए उन कटौती योग्य अस्थायी शेषों का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है। यदि अस्थायी शेष सदभाव अथवा लेन-देन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देनदारियों से उत्पन्न हुआ है जो न तो करयोग्य लाभ को, न ही लेखाकरण लाभ को प्रभावित करता है।

जहां कंपनी अस्थायी अंतर के विपर्यय को नियंत्रित करने में सक्षम है इसकी संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी अंतर को रिवर्स नहीं किया जाएगा, उसे छोड़कर, अन्य अनुषंगियों एवं एसोसिएट में निवेश से जुड़े करयोग्य अस्थायी अंतर के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के निवेश से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं ब्याज को उस सीमा तक तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि पर्याप्त करयोग्य लाभ होंगे जिसके लिए अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग किया जा सकेगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों के वहनीय राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इसे उस सीमा तक घटा दिया जाता है कि परिसंपत्तियों को संपूर्ण या इसके अंश की वसूली किये जाने के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहने की संभावना अधिक न रहे। अस्वीकृत आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किया जाता है तथा उसे उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति का संपूर्ण या इसके अंश की वसूली की जा सके इसके लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा, इसकी संभावना बन चुकी हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को कर की दरों पर मापा जाता है तथा उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा की जाती है जिसमें देनदारी को निपटाया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है। ऐसा उस कर दर (तथा टैक्स कानूनों) के आधार पर किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पारित किया गया हो।

आस्थगित कर देनदारियों एवं परिसंपत्तियों का मापन/मूल्यांकन कर के परिणाम को दर्शाता है जिसे कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की शेष राशि की वसूली या निपटारा करने की अपेक्षा के अनुरूप तरीके से पालन किया गया है।

वर्तमान एवं आस्थगित कर को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब ये अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी से सीधे तौर पर मान्य मदों (आइटम) से संबंध रखते हों जिस मामले में वर्तमान और आस्थगित कर को भी अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में क्रमशः मान्यता दी गई हो। जहां व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखाकरण से चालू कर अथवा आस्थगित कर उत्पन्न होते हैं वहां व्यवसाय संयोजन के लिए लेखाकरण में कर के प्रभाव को शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी-लाभ :

2.18.1 अल्पकालिक लाभ :

सभी अल्प अवधि के कर्मचारी लाभ को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें उसे व्यय किया गया है ।

2.18.2 नियोजन पश्चात लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

2.18.2.1परिभाषित अंशदायी योजनाएं :

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए एक रोजगार पश्चात लाभ योजना है, जिसके तहत कंपनी निधि में निर्धारित अंशदान जमा करती है । इस निधि का रख-रखाव कानून के तहत गठित अलग सांविधिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) द्वारा किया जाता है तथा कंपनी के लिए और राशि भुगतान करने की विधिक या संरचनात्मक दायित्व नहीं है। परिभाषित अंशदान योजनाओं में अंशदान के लिए दायित्वों को उस अवधि में लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ खर्च के रूप में माना जाता है, जिस दौरान कर्मचारी ने अपनी सेवाएं दी हैं।

2.18.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं :

परिभाषित अंशदान योजना के अलावा रोजगार के उपरांत की एक पृथक परिभाषित लाभ योजना है। ग्रेच्यूटी, अवकाश नकदीकरण (लाभ की सीमा के साथ) परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के सकल दायित्व का परिकलन भावी लाभ राशि जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधि में अपनी सेवाओं के बदले अर्जित की है, उसके अनुमान से किया जाता है। लाभ को अपने वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए रियायत दी जाती है तथा उनके योजनागत परिसंपत्तियां, यदि कोई हो, के उचित मूल्य से कम कर दिया जाता है । रिपोर्टिंग तारीख को भारतीय प्रतिभूतियों के इस चालू बाजार मूल्य पर छूट की दर आधारित होती है जिसकी परिपक्वता की तिथियां कंपनी के दायित्व की अवधि के लगभग होती है एवं जिन मुद्रा में लाभ भुगतान की अपेक्षा है उस अवधि में वही मुद्रा प्रचलन में रहे।

बीमांकिकी मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट की दर के बारे में पूर्वानुमान परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वापसी की दरें, भावी वेतन वृद्धियां, मृत्यु दर आदि शामिल हैं। योजनाएं लंबी अवधि की होने के कारण ऐसे अनुमानों में अनिश्चितता के मामले होते हैं। किसी बीमांकक द्वारा प्रत्येक तुलन-पत्र में प्रोजेक्टेक यूनिट क्रेडिट मेथड का प्रयोग करके परिकलन किया जाता है। जब इस परिकलन के परिणाम अथवा योजना में भावी कटौतियां कंपनी के लाभ के होते हैं तो योजना से किसी भावी रिफंड के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभ का वर्तमान मूल्य पर मान्य परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कंपनी के लिए एक आर्थिक लाभ उपलब्ध है, यदि योजना अवधि के दौरान अथवा योजना की देनदारियों के निपटारे के समय यह वसूली योग्य है।

योजनागत परिसंपत्तियों पर वसूली/वापसी (ब्याज को छोड़कर) तथा परिसंपत्तियों की सीमा के प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) पर विचार करते हुए बीमांकक लाभ एवं हानियों के साथ शुद्ध परिभाषित लाभ देयता को तुरंत अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अंशदान और लाभ के भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) के लिए वार्षिक अवधि को शुरूआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए प्रयोग किये गए छूट दर को लागू करके उस अवधि के लिए कंपनी शुद्ध परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) पर ब्याज खर्च (आय) का निर्धारण करती है। पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित निवल ब्याज आय एवं व्यय को लाभ एवं हानि में मान्यता दी जाती है ।

जब योजना के लाभ में सुधार होता है तो कर्मचारियों द्वारा की गई पहले की सेवा से संबंधित बढ़ी हुई लाभ के हिस्से को लाभ एवं हानि विवरण में सीधे खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.18.3 अन्य कर्मचारी लाभ :

एलटीए, एलटीसी, जीवन बीमा योजना, समूह कार्मिक दुर्घटना बीमा योजना, प्रतिस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना एवं खान दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति आदि को भी परिभाषित लाभ योजना में ऊपर यथा-दर्शित आधार पर मान्यता दी जाती है । इन लाभों के लिए कोई निर्दिष्ट निधि की व्यवस्था नहीं है ।

2.19 विदेशी मुद्रा

कंपनी की व्यवहर्य मुद्रा तथा इसके वृहद गतिविधियों के संचालन की मुद्रा भारतीय रूपया है जो कि इसके कार्यक्षेत्र में संचालित होने वाले आर्थिक गतिविधियों की भी मुख्य मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा में किया गया लेनदेन/संव्यवहार कम्पनी की घोषित मुद्रा में बदल दिया जाता है तथा यह लेनदेन/संव्यवहार की तिथि में उपलब्ध दर के अनुसार होता है। मौद्रिक परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ जो कि बताई गई अवधि में विदेशी मुद्रा के रूप में बकाया शेष हैं उन्हें बताई गई अवधि के अंत में लागू विनिमय दर पर बदल दिया जाता है। मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं के दर में बदलाव को जो कि आरंभ में किए गए लेनदेन/संव्यवहार अथवा आरंभ में मान्य किए गए दर अथवा पूर्व वित्तीय विवरण में शामिल राशि, इन सबकी पहचान उस अवधि में दर्शाए गए लाभ या हानि में किया जाता है।

गैर-मौद्रिक वस्तुएँ जो कि विदेशी मुद्रा के रूप में होती हैं उनका मूल्य लेनदेन/संव्यवहार की तिथि पर लागू दर के हिसाब से परिकलित किया जाता है।

2.20 स्ट्रीपिंग एक्टिविटी व्यय/समायोजन

खुली खदानों की दशा में, खदान के अधिभार (ओव्हरबर्डन) जो कि कोलसीम के ऊपर मृदा एवं चट्टान के रूप में पाया जाता है, को कोयला निष्कासन एवं खनन के लिए हटाना आवश्यक है। निष्कासन की इस प्रक्रिया को स्ट्रीपिंग कहते हैं। खुली खदानों में कंपनी को खदान के संचालन जीवन तक इस प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं (तकनीकी रूप से अनुमानित)।

अतः नीतिगत तौर पर उन खदानों में जिनकी धारित क्षमता 1 मिलियन टन या अधिक है स्ट्रीपिंग की लागत प्रत्येक खदान में तकनीकी रूप से औसत स्ट्रीपिंग अनुपात (कोल:ओबी) के रूप में किया जाता है जिसमें खदानों को राजस्व में लाने के बाद स्ट्रीपिंग एक्टिविटी परिसंपत्ति एवं आनुपातिक विचलन खाते के लिए समायोजित किया जाता है।

स्ट्रीपिंग एक्टिविटी परिसंपत्तियों का सकल शेष तथा तुलन-पत्र तारीख पर आनुपातिक विचलन गैर-चालू प्रावधानों/अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों, जैसा लागू हो, के अंतर्गत स्ट्रीपिंग एक्टिविटी समायोजन के रूप में दर्शाया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार अधिभार की रिपोर्ट की गई मात्रा पर ओबीआर लेखाकरण के लिए अनुपात की गणना करते समय विचार किया जाता है, जहां रिपोर्ट की गई मात्रा और मापित मात्रा के बीच भिन्नता निम्नानुसार दो वैकल्पिक अनुज्ञेय सीमा के निम्नतम के अंदर होती है, जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है :

खदान के अधिभार निष्कासन की वार्षिक मात्रा	भिन्नता की अनुज्ञेय सीमा (प्रतिशत)
1 मिलियन घन मीटर से कम	+/-5 प्रतिशत
1 व 5 मिलियन घन मीटर के मध्य	+/-3 प्रतिशत
5 मिलियन घन मीटर से अधिक	+/-2 प्रतिशत

तथापि, जहां भिन्नता उपरोक्तानुसार अनुज्ञेय सीमा से अधिक होती है, वहां मापित मात्रा पर विचार किया जाता है।

एक मिलियन टन से कम क्षमता वाली खदानों के मामलों में, उपर्युक्त नीति लागू नहीं होती है और वर्ष के दौरान होने वाली स्ट्रीपिंग कार्यकलापों की वास्तविक लागत को लाभ-हानि विवरणी में मान्य समझा जाता है ।

2.21 सम्पत्ति सूची

2.21.1 कोयले का भण्डार

कोयला/कोक की सम्पत्ति सूची को लागत के न्यूनतम और निवल प्राप्य योग्य मूल्य पर दर्शाया जाता है। सम्पत्ति सूची के लागत की गणना भारित औसत पद्धति के उपयोग द्वारा किया जाता है। अनुमानित बिक्री मूल्य से अनुमानित लागत व विपणन हेतु लागत निकालने के बाद निवल प्राप्य मूल्य को प्रदर्शित करता है।

जहां बही भण्डार तथा मापित भण्डार के मध्य विभिन्नता +/-5 प्रतिशत तक है, वहां कोयला/कोक के बही भण्डार को लेखा में लिया जाता है, तथा ऐसे मामले जहां यह अन्तर +/-5 प्रतिशत से अधिक है, वहां मापित भण्डार पर ही विचार किया जाता है। ऐसे भण्डार का मूल्यांकन "निवल प्राप्य मूल्य या लागत" जो भी कम हो, पर किया जाता है। कोक को कोयला भण्डार के भाग के लिए माना जाता है ।

कोयला एवं कोक चूर्ण का मूल्यांकन लागत के न्यूनतम अथवा निवल प्राप्य मूल्य में किया जाता है तथा कोयले के भण्डार के रूप में माना जाता है।

गारा-गादा (कोकिंग/सेमी कोकिंग), वाशरी का मिडलिंग और उप-उत्पाद का मूल्यांकन निवल प्राप्य मूल्य पर किया जाता है तथा कोयला भण्डार के भाग के रूप में माना जाता है ।

2.21.2 स्टोर्स एवं स्पेयर्स

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय स्टोर्स में स्टोर्स एवं स्पेयर्स पार्ट्स (जिसमें खुले औजार भी शामिल है) के इति भण्डार को मूल्यांकित स्टोर लेजर में दिखाए जा रहे शेष के अनुसार माना जाता है तथा उसके भंडार का मूल्यांकन भारित औसत पद्धति पर आधारित परिकलित लागत पर किया जाता है। कॉलरी/उपभंडार/ ड्रिलिंग कैंप/खपत केन्द्रों पर रखे हुए स्टोर्स एवं स्पेयर्स पार्ट्स की सम्पत्ति सूची को प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित स्टोर्स के अनुसार केवल वर्ष के अंत में माना जाता है तथा उसका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

उपभोग्य, क्षतिग्रस्त एवं अव्यवहृत स्टोर्स के लिये 100-प्रतिशत दर पर तथा 5-वर्षों से अनुपयुक्त स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिये 50-प्रतिशत दर पर प्रावधान किये जाते हैं ।

2.21.3 अन्य सम्पत्ति सूची

वर्कशाप काम, जिसमें कार्य में प्रगति भी शामिल है, का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है । प्रेस के काम का स्टॉक (कार्य में प्रगति सहित) तथा प्रिंटिंग प्रेस में उपलब्ध लेखन सामग्री तथा केन्द्रीय चिकित्सालय में उपलब्ध दवाईयों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

तथापि, लेखन सामग्री (प्रिंटिंग प्रेस में रखी सामग्री से भिन्न), ईंट, रेत, दवाई (केन्द्रीय चिकित्सालय को छोड़कर), एयरक्राफ्ट स्पेयर्स एवं कबाड़ के भण्डार को, उनके मूल्य महत्वपूर्ण नही होने के कारण, सम्पत्ति सूची में नहीं रखा जाता है ।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां :

प्रावधान तब मान्य होते है जब कंपनी ने पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (विधिक या रचनात्मक) को महसूस किया है, यह संभव है कि आर्थिक लाभ के प्रवाह बाध्यता/दायित्व को निश्चित करने के लिये आवश्यक हो, तथा बाध्यता/दायित्व की राशि के विश्वसनीय आंकलन

को तैयार किया जा सके। जहां राशि का सामयिक मूल्य महत्वपूर्ण होता है, वहां प्रावधान के बाध्यता/दायित्व को व्यवस्थित करने की प्रत्याशा में व्यय के वर्तमान मूल्य में वर्णन किया जाता है ।

सभी प्रावधानों की प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमान को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है ।

जहां यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों का बाह्य प्रवाह आवश्यक होगा, या राशि को विश्वसनीय तरीके से आकलित नहीं किया जा सकता है, वहां दायित्व का आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटीकरण किया जा सकता है, जब तक कि आर्थिक लाभ के बाह्य प्रवाह की संभावना दूरस्थ नहीं हो जाती । संभावित दायित्व, जिनकी मौजूदगी कंपनी के न केवल पूर्ण नियंत्रण में एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं के होने या न होने पर निश्चित की जाएगी, उसे भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाएगा, जब तक कि आर्थिक लाभ के बाह्य प्रवाह की संभावना दूरस्थ नहीं होती है ।

आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरण में मान्य नहीं किया जाता है । तथापि, जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तब संबंधित परिसम्पत्ति को आकस्मिक परिसम्पत्ति के रूप में न मानते हुए समुचित रूप में माना जाता हैं ।

2.23 प्रति शेयर अर्जन :

अवधि के दौरान, प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना के लिए कर पश्चात निवल लाभ को बकाया भारित औसत समता अंशों से विभाजित किया जाता है। प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना के लिए कर पश्चात निवल लाभ को भारित औसत समता अंश जो मूल अर्जन ज्ञात करने में तथा भारित औसत समता अंश जो संभाव्य समता अंश के रूपान्तरण से जारी किया जाता है, से विभाजित किया जाता है ।

2.24 अनुमान, आकलन और अभिधारणा

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, आकलन और अभिधारणा की आवश्यकता होती है जो लेखा नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की रिपोर्टेड राशियों, वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के प्रकटीकरण तथा रिपोर्टेड अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय राशि को प्रभावित करती है। जटिल एवं वास्तविक अनुमान को शामिल करते हुए लेखा नीतियों का अनुप्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में अभिधारणा के उपयोग का प्रकटीकरण किया गया है। लेखा आकलन समय-समय पर बदल सकता है। वास्तविक परिणाम उन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। चालू आधार पर आकलन तथा अंतर्निहित अभिधारणाओं की समीक्षा की जाती है। लेखानुमान में संशोधन उस अवधि में स्वीकार किये जाते है, जिसमें आकलन संशोधित किये जाते है तथा यदि यह महत्वपूर्ण है, तो वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में उनके प्रभावों को प्रकट किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए है, जिसका वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

2.24.1.1 लेखा नीतियों का निरूपण

लेखा नीतियों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उनका प्रतिफल उन लेन-देन, या अन्य घटनाएं या स्थितियां जिन पर वे लागू होती है, के बारे में संगत तथा विश्वसनीय सूचना वाले वित्तीय विवरणों में दिखाई देता है। उन नीतियों को उस समय लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उनको लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हों।

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अभाव में खास कर जो लेन-देन, अन्य घटना या दशा में लागू होते हैं, प्रबंधन ने अपने निर्णय का प्रयोग लेखा नीति के विकास एवं लागू करने में किया है जो इस सूचना में प्रतिफलित होता हैः-

क. उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के लिए आर्थिक निर्णय लेने में प्रासंगिक, और

ख. उन वित्तीय विवरणों में विश्वसनीय, जहां (i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करना, (ii) केवल कानूनी रूप में ही नहीं बल्कि लेन-देन की आर्थिक वास्तविकता, अन्य घटनाओं एवं दशाओं को परिलक्षित करते हैं, (iii) तटस्थ अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त, (iv) विवेकपूर्ण होते हैं और (v) अनुकूल आधार पर सभी वस्तुगत मामलों में पूर्ण होते हैं।

निर्णय लेते समय प्रबंधन निम्नलिखित स्रोतों का अवरोही क्रम में संदर्भ एवं व्यवहार्यता के रूप में विचार करती है।

क. समरूप एवं संबंधित मामलों का समाधान करने में भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकताएं, और

ख. ढांचे में परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय एवं व्यय के लिए परिभाषाओं, मान्य मानदण्डों एवं मूल्यांकन/ मापन की अवधारणा ।

निर्णय लेते समय प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की अद्यतन घोषणाओं को ध्यान में रखते है। इनके नहीं रहने पर मानक निर्धारक अन्य निकायों जो लेखा मानकों, अन्य लेखा साहित्यों को विकसित करने के लिए समान अवधारणात्मक ढांचे का प्रयोग करते हैं, तथा जो उद्योग के कार्य व्यवहारों को उस हद तक स्वीकार करते हैं कि उपर्युक्त पैरा में दिये गए स्रोतों के साथ इनका मतभेद न हो, को भी ध्यान में रखते है।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है ;ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरणों का विकास विविध टोपोग्राफिकल एवं दशकों से चलाये जा रहे पट्टा अवधि के दौरान फैले भूखनन क्षेत्र तथा सतत परिवर्तन के लिए प्रवृत्त पर आधारित है, लेखा नीतियां जो अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित हैं एवं विगत अनेक दशकों से इसके दृढ अनुप्रयोग के कारण विविध नियामकों द्वारा अनुमोदित है, उसे विशेष औद्योगिक कार्यो के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है। जो क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में है, वैसे कुछ विशेष क्षेत्रों में लेखा साहित्य, दिशानिर्देश एवं मानकों के अभाव में कंपनी लेखा साहित्य विकसित करने के साथ-साथ लेखा नीतियों को विकसित करना जारी रखती है और उसमें हुए किसी सुधार/विकास को भारतीय लेखा मानक-8 में और अधिक स्पष्टता से उपर्युक्त उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्याशित रूप में लिया जाता है।

लेखाकरण की प्रोद्भूत आधार का प्रयोग करते हुए चालू व्यवसाय/प्रतिष्ठान (गोईंग कंसर्न) के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किये जाते है।

2.24.1.2 महत्वपूर्णता/माद्दा

भारतीय लेखा मानक महत्वपूर्ण मदों पर लागू होते हैं। प्रबंधन निश्चिय करने में निर्णय का उपयोग करती है कि वित्तीय विवरण में कोई खास एक मद या मदों का समूह महत्वपूर्ण है या नहीं। मदों के आकार और प्रकृति के संदर्भ में महत्वपूर्णता/माद्दा तय की जाती है। निर्णायक घटक यह है कि त्रुटि अथवा गलत विवरण एकल या सामुहिक रूप से उन आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं अथवा नहीं, जिन्हें उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। प्रबंधन भी भारतीय लेखा मानक के अनुपालन की आवश्यकता के निर्धारण के लिए महत्वपूर्णता/माद्दा के मूल्यांकन का प्रयोग करती है। विशेष परिस्थितियों में किसी मद या मदों के एकीकरण की प्रकृति या राशि निर्धारण करने वाला घटक हो सकता है। तदन्तर, कंपनी को आवश्यकता पड़ने पर अलग से अमूर्त-अनावश्यक मदों को भी कानून द्वारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। पूर्व अवधि से संबंधित चालू वर्ष में पाई गई त्रुटियों/चूक को 01.04.2019 से वर्तमान वर्ष के दौरान अमूर्त-अनावश्यक माना गया है तथा इसे चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाता है, बशर्ते कम्पनी के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक परिचालन/संचालन से कुल राजस्व (सांविधिक लेवी का निवल) का 1-प्रतिशत से अधिक न हो ।

2.24.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा अनुबंध निष्पादित किया है। कंपनी ने व्यवस्थापन की शर्तों व दशाओं जैसे पट्टा अवधि जो वाणिज्यिक सम्पत्ति के आर्थिक जीवनकाल का प्रमुख अंग नहीं है, तथा परिसम्पत्ति के उचित मूल्य के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, कि वह सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं इन संपत्तियों के स्वामित्व के रिवार्ड अपने पास रखेगी और संविदाओं को परिचालन पट्टे के रूप में लिया जाएगा ।

2.24.2 प्राक्कलन एवं पूर्वानुमान

भविष्य से संबंधित प्रमुख पूर्वानुमान तथा रिपोर्टिंग की तारीख को आकलन की अनिश्चितता का मुख्य स्रोत जिनके पास अगले वित्त वर्ष के अंदर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की पिछली राशियों के वास्तविक समायोजन के कारक बनने वाले महत्वपूर्ण जोखिम हैं, को नीचे वर्णित किया गया है। जब समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, तब कंपनी उपलब्ध मानदंडों पर अपने पूर्वानुमानों एवं प्राक्कलनों को आधार बनाती है। फिर, वर्तमान परिस्थितियों एवं भावी विकास के बारे में, पूर्वानुमान बाजार में आए बदलाव अथवा उत्पन्न परिस्थितियां जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं, के कारण बदल सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जब उत्पन्न होते हैं, तो पूर्वानुमानों में प्रतिबिंबित होते हैं।

2.24.2.1 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

यदि किसी परिसंपत्ति का वहनीय मूल्य अथवा नकद उपार्जित इकाई उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है जो उसके उचित मूल्य से अधिक और निपटान लागत से कम होता है एवं इसका मूल्य प्रयोग में है, तो वह हानि का संकेत है। हानि की जांच करने के उद्देश्य के लिए कंपनी विशेष खानों को अलग उत्पादन इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग गणना में मूल्य एक डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। अगले पांच वर्षों के लिए बजट से नकदी प्रवाह प्राप्त किया जाता है और जो पुनर्गठन की गतिविधियों में शामिल नही होता है, जो कि कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नही है या महत्वपूर्ण भावी निवेश का कारण है, जो जांच की जा रही सीजीयू की परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ायेगा। वसूली योग्य राशि डीवीडी प्रारूप के लिए इस्तेमाल की गई छूट दर के साथ ही साथ अपेक्षित भावी नकद अंतः प्रवाह तथा बहिर्वेशन उद्देश्य हेतु उपयोग की जाने वाली विकास दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन ढांचों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले प्रमुख पूर्वानुमानों का खुलासा किया जाता है तथा आगे संबंधित टिप्पणियों में उल्लेख किया जाता है।

2.24.2.2 कर

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को अप्रयुक्त कर हानि की सीमा तक मान्यता दी जाती है, क्योंकि यह संभव है कि कर-योग्य लाभ हमारे पास हानि के विरूद्ध उपयोग किये जाने के लिए उपलब्ध रहेगा । महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय/आकलन आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए अपेक्षित होती है, जिसे मान्यता दिया जा सकता है, जोकि भावी कार्यनीति के साथ-साथ आगामी अवधि में भविष्य के कर-योग्य लाभ को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है ।

2.24.2.3 परिभाषित हितकारी योजनाएं

परिभाषित हितकारी ग्रेच्युटी योजनाएं और अन्य प्रकार की नियुक्ति पश्चात चिकित्सा लाभ और ग्रेच्युटी बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य के लागत का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न अनुमान किए जाते हैं जो कि भविष्य में होने वाले वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इसमें रियायती दर, आगामी वेतन-वृद्धि और मृत्यु-दर का निर्धारण सम्मिलित हैं।

मूल्यांकन की विभिन्न जटिलताओं और इसकी दीर्घकालीन प्रकृति के कारण, परिभाषित हितकारी बाध्यताएं इन अनुमानों में परिवर्तन के लिए अतिसंवेदनशील होती हैं। रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है। रियायती दर के बदलने की संभावना सर्वाधिक होती है। भारत में परिचालित योजनाओं के समुचित रियायती दर के निर्धारण में, प्रबंधन सरकारी बॉण्डों की ब्याज दरों के साथ समान रूप से नियुक्ति पश्चात हितकारी बाध्यताओं पर विचार करता है।

मृत्यु-दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश की मृत्यु दर तालिका पर आधारित होती है। इस मृत्युदर तालिका में जनसांख्यिकी परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में निश्चित अंतरालों पर परिवर्तन होता है। भविष्य की वेतन वृद्धि और उपदान वृद्धि भविष्य में प्रत्याशित मुद्रास्फीति दर पर आधारित होती है।

2.24.2.4 वित्तीय विलेखों का उचित मूल्य मापन

जब तुलन पत्र में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य के आधार पर मापा नही जा सकता है, तब उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल समेत सामान्य तौर पर स्वीकार्य मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए मापा जाता है। इन मॉडलों में इनपुट को जहां संभव हो दृष्टिगोचर हो रहे बाजार से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नही है, उचित मूल्य के निर्धारण में एक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। निर्णयों में विभिन्न प्रकार के इनपुट यथा-तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट/मदें शामिल है। इन कारकों के बारे में अभिधारणाओं और अनुमानों में परिवर्तन से वित्तीय विलेखों के निर्दिष्ट उचित मूल्य प्रभावित हो सकते हैं।

2.24.2.5 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति

कंपनी, लेखा नीति के अनुरूप किसी परियोजना के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजी में परिणत करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है जिसमें सामान्यतः एक परियोजना रिपोर्ट बनाकर व अनुमोदित कर उसकी तकनीकी व आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित की जाती है।

2.24.2.6 माईन क्लोजर, खदान स्थल पुनरूद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व का प्रावधान

माईन क्लोजर, खदान स्थल पुनरूद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में रियायती दर, खदान स्थल पुनरुद्धार और डिकमीशनिंग तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी द्वारा निम्नलिखित आधार पर परियोजना/खदान के जीवन पर विचार करते हुए डीसीएफ विधि का प्रयोग कर प्राक्कलन तैयार किया जाता है.

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यथा-निर्दिष्ट प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत
- छूट दर (पूर्व कर की दर) द्वारा मुद्रा/राशि के सामयिक बाजार आकलन के अनुरूप मूल्य और देयताओं से विशेषतः जुड़े जोखिम परिलक्षित होते हैं ।

2.25 प्रयुक्त संक्षिप्त रूप

क	CGU	नकद उत्पाद/सृजन इकाई	ड	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ख	DCF	रियायती नकदी प्रवाह	ढ	बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
ग	FVTOCI	अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य	त	सीसीएल	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
घ	FVTPL	लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य	थ	एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ड.	GAAP	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत	द	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
च	Ind AS	भारतीय लेखा मानक	ध	एनसीएल	नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
छ	OCI	अन्य व्यापक आय	न	डब्लूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ज	P&L	लाभ व हानि	प	सीएमपीडीआईएल	सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
झ	PPE	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	फ	एनईसी	नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
ट	SPPI	मूलधन एवं ब्याज का एकमात्र भुगतान	ब	आईआईसीएम	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट
ठ	EIR	प्रभावी ब्याज दर	भ	सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड

टिप्पणी-03 : सम्पत्ति,संयंत्र और उपस्कर

(रू. करोड़)

विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार एवं स्थल पुनरूद्धार लागत	रेल कोरिडोर	भवन	संयंत्र एवं उपस्कर	दूर संचार	रेलवे सायडिंग	फर्नीचर एवं फिक्चर	राईट टू यूज	कार्यालय उपस्कर	वाहन	अन्य खनन अव-संरचना	सर्वे ऑफ परि-सम्पत्ति	अन्य	कुल
सकल वहनीय राशि																
01.04.2018 को शेष	**13.18**	**1716.12**	**370.90**	**0.00**	**733.30**	**4192.01**	**43.62**	**65.29**	**18.25**	**0.00**	**52.12**	**17.90**	**436.57**	**22.56**		**7681.82**
वृद्धि	-	373.79	100.75	0.00	24.22	689.31	1.00	52.81	1.68	0.00	16.34	9.78	38.83	7.40	.	1315.71
निपटान/अपसरण/समायोजन	(1.96)	(19.78)	.	.	(0.11)	(1.62)	0.10	1.42	(1.70)	.	(2.39)	(0.12)	(2.57)	(4.79)	.	(33.52)
31.03.2019 को शेष	**11.22**	**2069.93**	**471.65**	**0.00**	**757.41**	**4879.70**	**44.72**	**119.52**	**18.23**	**0.00**	**66.07**	**57.56**	**472.83**	**25.17**		**8964.01**
01.04.2019 को शेष	**11.22**	**2069.93**	**471.65**	**0.00**	**757.41**	**4879.70**	**44.72**	**119.52**	**18.23**	**0.00**	**66.07**	**57.56**	**472.83**	**25.17**	**.**	**8964.01**
वृद्धि	4.77	202.27	.	583.33	11.95	381.90	0.34	45.56	2.29	.	9.88	24.45	61.40	8.94	.	1337.08
निपटान/अपसरण/समायोजन	(2.81)	1.33	.	.	(0.53)	(7.75)	2.11	.	(2.10)	0.72	1.29	(3.66)	(2.20)	(3.85)	.	(17.45)
31.03.2020 को शेष	**13.18**	**2273.53**	**471.65**	**583.33**	**768.83**	**5253.85**	**47.17**	**165.08**	**18.42**	**0.72**	**77.24**	**48.35**	**532.03**	**30.26**	**.**	**10283.64**
संचित अवमूल्यन एवं हानि-कमी																
01.04.2018 को शेष	.	307.73	103.98	0.00	111.84	1430.23	19.94	19.02	6.95	0.00	32.92	5.66	87.10	.	.	2125.37
वर्ष के लिए परिव्यय	.	106.53	29.94	0.10	32.29	559.58	6.70	7.56	1.42	0.00	11.89	2.78	34.66	.	.	793.35
हानि-कमी	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.
निपटान/अपसरण/समायोजन	.	.	.	.	.	(3.97)	0.01	.	(0.22)	0.00	0.37	.	.	.	.	(3.81)
31.03.2019 को शेष	**.**	**414.26**	**133.92**	**0.00**	**144.13**	**1985.84**	**26.65**	**26.58**	**8.15**	**0.00**	**45.18**	**8.44**	**121.76**	**.**	**.**	**2914.91**
01.04.2019 को शेष	**.**	**414.26**	**133.92**	**0.00**	**144.13**	**1985.84**	**26.65**	**26.58**	**8.15**	**0.00**	**45.18**	**8.44**	**121.76**	**.**	**.**	**2914.91**
वर्ष के लिए परिव्यय	.	110.36	39.36	0.18	68.03	474.62	5.72	13.96	1.58	0.03	11.35	3.42	35.79	.	.	764.40
हानि-कमी	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	0.33	.	.	0.33
निपटान/अपसरण/समायोजन	.	0.02	.	.	0.21	1.00	0.29	.	0.01	.	0.16	0.30	0.71	.	.	0.06
31.03.2020 को शेष	**.**	**524.60**	**173.28**	**0.18**	**212.37**	**2461.46**	**32.08**	**40.54**	**9.74**	**0.03**	**56.69**	**11.56**	**157.17**	**.**	**.**	**3679.70**
निवल वहनीय राशि																
31.03.2020 को शेष	13.18	1748.93	298.37	583.15	556.46	2792.39	15.09	124.54	8.68	0.69	20.55	36.79	374.86	30.26	.	6603.94
31.03.2019 को शेष	11.22	1655.67	337.73	0.00	613.28	2893.86	18.07	92.94	10.08	0.00	20.89	19.12	351.07	25.17	.	6049.10
01.04.2018 को शेष	13.18	1408.39	266.92	0.00	621.46	2761.78	23.68	46.27	11.30	0.00	19.20	12.24	349.47	22.56	.	5556.45

टिप्पणी

3.1 कोयला खान कल्याण संगठन एवं कोयला खान बचाव संगठन के उन्मूलन (1985) पश्चात विभिन्न क्षेत्रों से ली गई परिसम्पत्ति को प्रति परिसम्पत्ति रू. 1.00 के नाममात्र मूल्य पर लेखा में लिया गया ।

3.2 अन्य भूमि में कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 एवं भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के अधीन अधिग्रहित की गई भूमि शामिल है ।

3.3 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार अवमूल्यन उपलब्ध कराया गया है । अवमूल्यन को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार प्रयोज्य कार्यशील जीवन के आधार पर परिसम्पत्ति के अविभाज्य श्रेणी के लिए उपलब्ध कराया गया है ।

3.4 चालू वर्ष के दौरान सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर से संबंधित कुल रू. 0.33 करोड़ (रू. 0.00 करोड़) की कमी-हानि को लाभ व हानि लेखा विवरणी में प्रभारित किया गया है ।

3.5 कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अनुसरण में अधिग्रहित भूमि के लिए समवर्ती भूमि हेतु अलग से कोई टाईटिल डीड की आवश्यकता नहीं है । अधिग्रहित भूमि के लिए अन्य सभी टाइटल डीड प्रत्यक्ष अधिकार में है तथा कंपनी के पक्ष में नामांतरित हैं ।

3.6 भूमि सुधार/स्थल पुनर्स्थापना की लागत में माईन क्लोजर की अवस्था में व्यय की जाने वाली अनुमानित लागत को मुद्रास्फीति (5-प्रतिशत प्रतिवर्ष) के लिए बढ़ाया जाता है, तथा तत्पश्चात इसमें 8-प्रतिशत की दर पर छूट दी जाती है जोकि उचित मूल्य व जोखिम की सामयिक बाजार दर को परिलक्षित करता है ।

टिप्पणी-04 : पूंजी कार्य में प्रगति

(रू. करोड़)

विवरण	भवन	संयंत्र और उपस्कर	रेलवे सायडिंग	अन्य खनन अवसंरचना	रेल कोरिडोर विकास व्यय	निर्माणाधीन रेल कोरिडोर	कुल
सकल वहनीय राशि :							
01.04.2018 को शेष	23.40	638.56	144.68	395.44	816.97	722.99	2,742.04
वृद्धि	10.73	290.39	0.00	363.78	111.28	406.52	1,182.70
पूंजीकरण/विलोपन/समायोजन	(23.09)	(573.76)	(20.58)	(444.72)	-	(49.14)	(1,111.29)
31.03.2019 को शेष	**11.04**	**355.19**	**124.10**	**314.50**	**928.25**	**1,080.37**	**2,813.45**
01.04.2019 को शेष	**11.04**	**355.19**	**124.10**	**314.50**	**928.25**	**1,080.37**	**2,813.45**
वृद्धि	25.05	246.85	73.53	234.26	149.18	537.11	1,265.98
पूंजीकरण/विलोपन/समायोजन	(12.55)	(257.70)	(41.94)	(300.17)	-98.38	-589.79	(1,300.53)
31.03.2020 को शेष	**23.54**	**344.34**	**155.69**	**248.59**	**979.05**	**1,027.69**	**2,778.90**
संचित अवमूल्यन एवं हानि-कमी का प्रावधान							
01.04.2018 को शेष	-	14.65	-	0.04	-	-	14.69
वर्ष के लिए परिव्यय	-	1.34	-	-	-	-	1.34
वर्ष के दौरान हानि-कमी	-	-	-	-	-	-	-
पूंजीकरण/विलोपन/समायोजन	-	(1.64)	-	2.56	-	-	0.92
31.03.2019 को शेष	**-**	**14.35**	**-**	**2.60**	**-**	**-**	**16.95**
01.04.2019 को शेष	**-**	**14.35**	**-**	**2.60**	**-**	**-**	**16.95**
वर्ष के लिए परिव्यय	-	1.19	-	-	-	-	1.19
वर्ष के लिए हानि-कमी	-	-	-	-	-	-	-
पूंजीकरण/विलोपन/समायोजन	-	-6.24	-	-	-	-	-6.24
31.03.2020 को शेष	**-**	**9.30**	**-**	**2.60**	**-**	**-**	**11.90**
निवल वहनीय राशि							
31.03.2020 को शेष	**23.54**	**335.04**	**155.69**	**245.99**	**979.05**	**1,027.69**	**2,767.00**
31.03.2019 को शेष	11.04	340.84	124.10	311.90	928.25	1,080.37	2,796.50
01.04.2018 को शेष	23.40	623.91	144.68	395.40	816.97	722.99	2,727.35

4.1 वर्ष के अंत में स्टॉक में कन्वेयर बेल्ट, पावर केबल इत्यादि जैसे मदों को भंडार में पूंजीगत सामान के रूप में माना गया है और ''संयंत्र और उपस्कर'' शीर्ष के अधीन दर्शाया गया है ।

टिप्पणी-05 : गवेषण एवं मूल्यांकन परिसम्पत्ति

(रू. करोड़ में)

विवरण	गवेषण एवं मूल्यांकन लागत
सकल वहनीय राशि :	
01.04.2018 को शेष	939.04
वृद्धि	235.25
पूंजीकरण	-
अन्य समायोजन	-
31.03.2019 को शेष	**1174.29**
01.04.2019 को शेष	**1174.29**
वृद्धि	267.49
पूंजीकरण	-
अन्य समायोजन	15.48
31.03.2020 को शेष	**1457.26**
प्रावधान एवं हानि-कमी	
01.04.2018 को शेष	-
वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया	-
वर्ष के दौरान अभिशून्यन	-
अन्य समायोजन	-
31.03.2019 को शेष	**-**
01.04.2019 को शेष	
वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया	-
वर्ष के दौरान हानि-कमी	
निपटान/अपसरण	-
अन्य समायोजन	-
31.03.2020 को शेष	**-**
निवल वहनीय राशि	
31.03.2020 को शेष	1457.26
31.03.2019 को शेष	1174.29
01.04.2018 को शेष	939.04

5.1 कोयला निकालने की तकनीकी व्यवहार्यता एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता से पहले कोयला संसाधनों के अन्वेषण व मूल्यांकन के संबंध में हुए व्यय को अन्वेषण और मूल्यांकन सम्पत्ति के रूप में माना जाता है ।

टिप्पणी-06 : अमूर्त परिसम्पत्ति

(रू. करोड़ में)

विवरण	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	बिक्री के लिए कोयला ब्लॉक	अन्य	कुल
सकल वहनीय राशि				
01.04.2018 को शेष	-	10.27	-	10.27
वृद्धि	-	-	-	-
निपटान/अपसरण/समायोजन	-	-	-	-
31.03.2019 को शेष	**-**	**10.27**	**-**	**10.27**
01.04.2019 को शेष	-	10.27	-	10.27
वृद्धि	-	-	-	-
निपटान/अपसरण/समायोजन	-	-	-	-
31.12.2019 को शेष	**-**	**10.27**	**-**	**10.27**
परिशोधन एवं हानि-कमी				
01.04.2018 को शेष	-	-	-	-
वर्ष के लिए परिव्यय	-	-	-	-
वर्ष के दौरान हानि-कमी	-	-	-	-
निपटान/अपसरण/समायोजन	-	-	-	-
31.03.2019 को शेष	-	-	-	-
01.04.2019 को शेष	-	-	-	-
वर्ष के लिए परिव्यय	-	-	-	-
हानि-कमी	-	-	-	-
वर्ष के दौरान हानि-कमी	-	-	-	-
निपटान/अपसरण/समायोजन	-	-	-	-
31.12.2019 को शेष	**-**	**-**	**-**	**-**
निवल वहनीय राशि				
31.12.2019 को शेष	-	10.27	-	10.27
31.03.2019 को शेष	-	10.27	-	10.27
01.04.2018 को शेष	-	10.27	-	10.27

6.1 दातिमा (बिश्रामपुर क्षेत्र), बेहराबंद (हसदेव क्षेत्र), एवं बैसी ब्लाक (रायगढ़ क्षेत्र) पर हुए रू. 10.27 करोड़ (रू. 10.27 करोड़) के विकास व्यय एवं प्रास्पेक्टिंग व बोरिंग, जिसे बाह्य पार्टियों को बिक्री किया जाना है, सम्पत्ति-सूची के अधीन दर्शायी गई है। रजगामार डीप साईड (पुलकाडीह नाला का दक्षिण) तथा केसला नार्थ ब्लॉक को भी दूसरों को आबंटित किया जाना है। इसकी बिक्री से होने वाली आय इसकी लागत की तुलना में अधिक होने की संभावना है।

टिप्पणी-7 : निवेश

(रू. करोड़)

गैर-चालू	नियंत्रक (प्रतिशत)	चालू वर्ष/ (पिछले वर्ष) बाण्ड/ शेयरों की संख्या	चालू वर्ष/ (पिछले वर्ष) प्रति बाण्ड/ शेयरों का अंकित मूल्य	31.03.2020	31.03.2019
निम्नलिखित के बाण्ड में निवेश :					
उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड, बैकुंठपुर (छ.ग.)	-	250	10.00		
		(250)	(10.00)	-	-
कुल :				**-**	**-**
एकीकृत अनुद्धृत निवेश				-	-
एकीकृत उद्धृत निवेश				-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य				-	-

चालू		चालूवर्ष/ (पिछले वर्ष) यूनिटों की संख्या	एनएवी (रू. में)	31-03-2020 को	31-03-2019 को
म्यूचुअल निधि निवेश					
एसबीआई म्यूचुअल फण्ड		1308.531	1,003.250	0.13	0.02
		(213.612)			
यूटीआई म्यूचुअल फण्ड		1550.969	1,019.446	0.16	0.18
		(1754.84)			
महायोग				**0.29**	**0.20**
एकीकृत अनुद्धृत निवेश				**-**	**-**
एकीकृत उद्धृत निवेश				**0.29**	**0.20**
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य				**0.29**	**0.20**

टिप्पणी-8 : ऋण

(रू. करोड़)

	31.03.2020		31.03.2019	
गैर-चालू				
अन्य ऋण				
- प्रतिभूतित उचित समझा गया [8.1]	4.68		6.36	
- अप्रतिभूतित उचित समझा गया	-		-	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
- क्रेडिट क्षति/ह्रास	0.07		0.07	
	4.75		6.43	
घटाईए : संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	0.07	4.68	0.07	6.36
कुल		**4.68**		**6.36**
चालू				
अन्य ऋण				
- प्रतिभूतित उचित समझा गया	-		-	
- अप्रतिभूतित उचित समझा गया	0.89		0.58	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
- क्रेडिट क्षति/ह्रास	-		-	
	0.89		**0.58**	
घटाईए : संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	-	0.89	-	0.58
कुल		**0.89**		**0.58**

8.1. अन्य ऋण में कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई गृह निर्माण ऋण और कार ऋण शामिल है।

टिप्पणी-9 : अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

(रू.करोड़)

गैर-चालू	31.03.2020		31.03.2019	
बैंक में जमा		-		-
माईन क्लोजर प्लान के अधीन बैंक में जमा [9.4]		1511.92		1331.59
माईन क्लोजर व्यय के लिए प्राप्य योग्य(समवर्ती व्यय) [9.2]		74.97		142.21
अन्य जमा,खोज कार्यों एवं अन्य प्राप्तियों के लिए प्राप्य [9.1]	193.98		181.35	
घटाईए : संदेहात्मक जमा के लिए भत्ता	6.42	187.56	7.13	176.22
कुल		**1774.45**		**1650.02**
चालू				
कोल इंडिया लिमिटेड में अधिशेष निधि [9.3]		1.16		-
माईन क्लोजर व्यय के लिए इस्क्रो खाता से प्राप्य		203.79		51.34
एसईसीएल का सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता		.		.
प्रोदभूत ब्याज		159.86		213.01
दावे एवं अन्य प्राप्य [9.5]	708.09		658.93	
घटाइए : संदेहात्मक दावे के लिए भत्ता	1.49	706.60	2.97	655.96
कुल		**1071.41**		**920.31**

9.1 अन्य जमा में जन उपयोगी सेवा अर्थात पीएंडटी, बिजली आदि के लिए जमा रू. 186.58 करोड़ (रू. 176.22 करोड़) शामिल है ।

9.2 कार्य संचालन खदानों के लिए माईन क्लोजर व्यय हेतु प्राप्य को माईन क्लोजर कार्यकलापों के लिए चिन्हित किया गया है। सीएमपीडीआईएल/सीसीओ द्वारा प्रमाणीकरण/स्वीकार्यता पर, माईन क्लोजर प्लान के अधीन इस्क्रो लेखा में जमा राशि के आहरण हेतु दावा दायर किया जाएगा । बंद खदानों से संबंधित माईन क्लोजर व्यय के लिए प्राप्य को सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर मान्य किया जाएगा । तदन्तर, बंद/चलित खदानों के संबंध में माईन क्लोजर कार्यकलापों पर हुए अन्य व्यय की पहचान की जा रही है।

9.3 सहायक/नियंत्रक कंपनी के साथ चालू खाता :

कोल इंडिया लिमिटेड एवं सहायक कम्पनियों में चालू खाता शेष/अधिशेष का नियमित अंतराल पर समाधान किया जाता है, तथा इसका तुलन-पत्र तारीख को समाधान किया गया । समाधान के फलस्वरूप नियमित रूप से समायोजन किया जाता है। नियंत्रक कंपनी एवं इसकी अन्य सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता लेनदेन की गणना/लेखा-जोखा डेबिट/क्रेडिट मेमो के आधार पर किया जाता है जो ब्याज मुक्त होता है। हालांकि,राजस्व व्यय का समायोजन होने तक व्यवस्था किया जाता है ।

9.4 इस्क्रो लेखा में जमा राशि माईन क्लोजर प्लान स्कीम के अधीन जमा होने के कारण स्वतंत्र रूप से उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होती है। सभी 93-चालू खदानों के लिए इस्क्रो लेखा खोला गया है । इस्क्रो खाता के शेष के लिए टिप्पणी 21.3 को संदर्भित करें ।

9.5 तदन्तर, दावे एवं अन्य प्राप्य में रेल कोरिडोर परियोजना से संबंधित कार्यों को प्रारंभ करने के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को दिया गया सीईआरएल का रू. 0.17 करोड़ (रू. 0.17 करोड़) शामिल है ।

टिप्पणी-10 : अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां

(रू. करोड़)

		31.03.2020		31.03.2019	
(i)	**पूंजी अग्रिम** 10.1	**176.51**		**245.90**	
	घटाईए : संदेहात्मक ऋण व अग्रिम के लिए भत्ते	0.45	176.06	0.45	249.45
(ii)	**पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिम**				
	(क) जन उपयोगी सेवा के लिए प्रतिभूतित जमा	-		-	
	घटाईए : संदेहात्मक जमा के लिए भत्ते	-	-	-	-
(ख)	**अन्य जमा एवं अग्रिम** 10.2	**220.92**		**192.14**	
	घटाईए : संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	0.77	220.15	0.79	191.35
(ग)	**सम्बद्ध पार्टियों को अग्रिम**		**-**		**-**
कुल			**396.21**		**400.80**

10.1 पूंजी अग्रिम रू. 176.51 करोड़ (रू. 249.9 करोड़) समेत एसईसीआर को भूमि अधिग्रहण करने के लिए दिया गया सीईआरएल का रू. 380.42 करोड़ (रू. 380.35 करोड़) तथा सीईडब्लूआरएल का रू. 346.54 करोड़ (रू. 346.54 करोड़) ब्याजमुक्त वापसी योग्य अग्रिम शामिल है ।

इंड एएस-109 के अनुसार, सीईआरएल एवं सीईडब्लूआरएल द्वारा उक्त अग्रिम पर रू. 350.82 करोड़ (355.53 करोड़) एवं 324.38 करोड़ (रू. 326.68 करोड़) क्रमशः के आस्थगित उचित मूल्य हानि के लिए प्रावधान शामिल है । तदन्तर, इरकान को डिपाजिट कार्यों के लिए सीईआरएल द्वारा रू. 84.13 करोड़ (रू.98.69 करोड़) एवं सीईडब्लूआरएल द्वारा 29.49 करोड़ (रू.39.00 करोड़) अग्रिम दिया गया ।

10.2 अन्य अग्रिम में कर प्राधिकारियों एवं अन्य को प्रतिरोध स्वरूप जमा रू. 220.15 करोड़ (रू. 191.35 करोड़) शामिल है।

टिप्पणी-11 : अन्य चालू परिसम्पत्तियां

(रू. करोड़)

		31.03.2020		31.03.2019	
(क)	पूंजी के लिए अग्रिम	-		-	
	घटाईए : संदेहात्मक अग्रिम के लिए भत्ते	-	-	-	-
(ख)	राजस्व के लिए अग्रिम	34.09		50.81	
	घटाईए : संदेहात्मक अग्रिम के लिए भत्ते	-	34.09	-	50.81
(ग)	सांविधिक देयक का अग्रिम भुगतान	-		-	
	घटाईए : संदेहात्मक अग्रिम के लिए भत्ते	-	-	-	-
(घ)	सम्बद्ध पार्टियों को अग्रिम		-		-
(ङ.)	अन्य अग्रिम तथा जमा 11.1	18.28		6.22	
	घटाईए : संदेहात्तक अग्रिम के लिए प्रावधान	.	18.28	.	6.22
(च)	इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य योग्य		1355.11		954.52
कुल			**1407.48**		**1011.55**

11.1 अन्य अग्रिम व जमा में कर्मचारियों को अग्रिम तथा पूर्वप्रदत्त व्यय शामिल है ।

टिप्पणी-12 : निवेश

(रू. करोड़)

		31.03.2020		31.03.2019	
(क)	कोयले का स्टॉक [12.2 व 12.3]	796.35		469.67	
	विकास के अधीन कोयला	10.35		-	
	कोयले का स्टॉक(निवल)		806.70		469.67
(ख)	स्टोर्स एवं स्पेयर्स का स्टॉक (लागत पर) [12.1]	278.61		278.75	
	पारगमन में स्टोर्स	3.04		14.18	
	स्टोर्स एवं स्पेयर्स का निवल भण्डार (लागत पर)		281.65		292.93
(ग)	केन्द्रीय चिकित्सालय में दवाई का भण्डार		1.13		1.41
(घ)	**वर्कशॉप जॉब का निवल स्टॉक**				
	कार्य में प्रगति एवं निर्मित सामान		163.56		171.84
	कुल		**1253.04**		**935.85**

12.1 केन्द्रीय एवं आंचलिक भण्डार में सामानों के इति भण्डार (निवल प्रावधान) को प्रगामी मासिक भारित औसत पद्धति के आधार पर वित्तीय लेजर में दिखाए जा रहे शेष के अनुसार लेखा में माना गया है।

12.2 सम्पत्ति सूची का मूल्य कारोबार के साधारण अनुक्रम में उगाही राशि के लगभग बराबर है, जैसा कि वर्णित है ।

12.3 कोयला स्टॉक के मात्रात्मक विवरण के लिए टिप्पणी-12 के परिशिष्ट को संदर्भित करें ।

टिप्पणी-12 का परिशिष्ट (31.03.2020)

तालिका : ए

लेखा स्कंध के साथ लेखा में लिए गए कोयले के इति-भण्डार का समाधान (मात्रा लाख टन में) (मूल्य रू. करोड़ में)

	विवरण	चालू अवधि/वर्ष						पिछले वर्ष					
		कुल भण्डार-बिक्री योग्य		डीसीसी (कोयला, कोयला चूर्ण, गैस इत्यादि)		कुल		कुल भण्डार-बिक्री योग्य		डीसीसी (कोयला, कोयला चूर्ण, गैस इत्यादि)		कुल	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	(क) प्रारंभिक भण्डार	92.56	464.28	0.22	9.89	92.78	474.17	79.37	485.75	1.18	52.97	80.55	538.72
	(ख) प्रारंभिक भण्डार में समायोजन												
	कुल	**92.56**	**464.28**	**0.22**	**9.89**	**92.78**	**474.17**	**79.37**	**485.75**	**1.18**	**52.97**	**80.55**	**538.72**
2	उत्पादन*	1505.46						1573.49					
	उप-योग (1+2)	1598.02						1652.86					
3	उठाव (ऑफटेक)												
	(क) बाह्य प्रेषण**	1419.03	16838.93	-	11.15	1419.03	16850.08	1560.21	19724.12	-	37.87	1560.21	19761.99
	(ख) बाह्य प्रेषण विकास खदान	0.23											
	(ग) स्वयं का खपत [1]	0.10	3.56			0.10	3.56	0.09	3.21			0.09	3.21
	उप-योग (3)	**1419.36**	**16842.49**	**-**	**11.15**	**1419.13**	**16853.64**	**1560.30**	**19727.33**	**-**	**37.87**	**1560.30**	**19765.20**
4	प्राप्त भण्डार#	178.66	801.43	0.23	10.24	178.89	811.67	92.56	464.28	0.22	9.89	92.78	474.17
5	मापित भण्डार#	174.96	784.13	0.22	10.12	175.18	794.25	91.02	456.05	0.22	9.87	91.24	465.92
	अंतर (4-5)	3.70	17.30	0.01	0.12	3.71	17.42	1.54	8.23	-	0.02	1.54	8.25
6	**अंतर का ब्यौरा :**												
	(क) कमी 5% के भीतर	3.01	13.25	0.01	0.12	3.02	13.37	0.85	4.44	-	0.02	0.85	4.46
	(ख) अधिकता 5% के अंदर	0.10	0.92	-	0.00	0.10	0.92	0.09	0.71	-	0.00	0.09	0.71
	(ग) कमी 5% से ऊपर##	0.79	4.97	-	-	0.79	4.97	0.78	4.50	-	-	0.78	4.50
	(घ) अधिकता 5% से ऊपर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	**लेखा में इति भण्डार (5+6क-6ख)**	**177.87**	**796.46**	**0.23**	**10.24**	**178.10**	**806.70**	**91.78**	**459.78**	**0.22**	**9.89**	**92.00**	**469.67**

* उत्पादन में गारे पेलमा IV/2 व 3 खुली खान से 26.59 लाख टन तथा गारे पेलमा IV/1 से 7.62 लाख टन शामिल है ।

** बाह्य प्रेषण में गारे पेलमा IV/2 व 3 खदान से संबंधित 28.88 लाख टन (32.00 लाख टन) कोयला विक्रय की राशि रू. 338.35 करोड़ (रू. 550.83 करोड) तथा गारे पेलमा IV/1 खदान से 8.21 लाख टन (18.39 लाख टन) कोयला विक्रय की राशि रू. 70.45 करोड़ (रू. 300.78 करोड) शामिल है, जिसके लिए कोल इंडिया लि. को दिनांक 01.04.2015 से पदनामित नियंत्रक के रूप में नियंत्रक नामित किया गया है

\# स्टाक में 3.99 करोड़ राशि का 1.57 लाख टन कोयला गारे पेलमा IV/2 व 3 में रखा हुआ है तथा रू. 0.00 करोड़ राशि का 0.00 लाख टन कोयला गारे पेलमा IV/1 में रखा हुआ है, शामिल है, जिसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड को पदनामित नियंत्रक के रूप में नामित किया गया है तदन्तर, इति भण्डार में रायगढ़ क्षेत्र के जामपाली ओसी से संबंधित रू. 1.41 करोड़ राशि का 0.29 लाख टन आग प्रभावित कोयले का स्टॉक शामिल है।

\#\# प्राप्य कोयला की तुलना में मापित भण्डार की कमी 5-प्रतिशत के ऊपर है, जिसमें आमगाव खुली खदान (बिश्रामपुर क्षेत्र) का रू. 2.50 करोड़ राशि का 0.11 लाख टन तथा जामपाली खुली खदान (रायगढ़ क्षेत्र) का रू. 2.47 करोड़ राशि का 0.68 लाख टन कोयला शामिल है ।

टिप्पणी-12 का परिशिष्ट (31.03.2020)

तालिका : बी

कोयले के इति-भण्डार का सारांश **(मात्रा लाख टन में) (मूल्य रू. करोड़ में)**

विवरण	चालू अवधि/वर्ष						पिछले वर्ष					
	कच्चा कोयला नान-कोकिंग		डीसीसी (कोयला, कोयला चूर्ण, गैस इत्यादि)		कुल		कच्चा कोयला नान-कोकिंग		डीसीसी (कोयला, कोयला चूर्ण, गैस इत्यादि)		कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिक भण्डार	92.56	464.28	0.22	9.89	92.78	474.17	79.37	485.75	1.18	52.97	80.55	538.72
घटाईए- गैर-बिक्री योग्य कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजित प्रारंभिक भण्डार (बिक्री योग्य)							-	-	-	-	-	-
उत्पादन	1505.46						1573.49					
उठाव (ऑफटेक)												
(क) बाह्य प्रेषण	1419.26	16838.93		11.15	1419.26	16850.08	1560.21	19724.12		37.87	1560.21	19761.99
(ख) वाशरी को कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
(ग) स्वयं खपत [1]	0.10	3.56			0.10	3.56	0.09	3.21			0.09	3.21
कुल	**1419.36**	**16842.49**		**11.15**	**1419.36**	**16853.64**	**1560.30**	**19727.33**		**37.87**	**1560.30**	**19765.20**
इति भण्डार *	178.66	801.43	0.23	10.24	178.89	811.67	92.56	464.28	0.22	9.89	92.78	474.17
घटाईए- कमी	0.79	4.97	-	-	0.79	4.97	0.78	4.50	-	-	0.78	4.50
इति भण्डार *	**177.87**	**796.46**	**0.23**	**10.24**	**178.10**	**806.70**	**91.78**	**459.78**	**0.22**	**9.89**	**92.00**	**469.67**

* गैर-बिक्री योग्य भण्डार - शून्य

टिप्पणी-13 : व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी 38(1) को संदर्भित करें)

(रू. करोड़)

		31.03.2020		31.03.2019	
चालू					
(i)	व्यापारिक प्राप्य				
	- प्रतिभूतित उचित समझा गया [13.2]	44.67		34.50	
	- अप्रतिभूतित उचित समझा गया [13.1 व 13.3]	1609.13		353.17	
	- क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	385.79		292.90	
		2039.59		680.57	
	घटाईए : अशोध्य एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	385.79	1653.80	292.90	387.67
	कुल		**1653.80**		**387.67**

13.1 कारोबार के साधारण अनुकम में प्रतिभूतित व्यापारिक प्राप्य उगाही मूल्य राशि के लगभग बराबर है, जैसा कि वर्णित है।

13.2 व्यापारिक प्राप्य या तो जमा द्वारा या बैंक गारंटी के माध्यम से उपलब्ध सीमा तक प्रतिभूतित है।

13.3 कोई भी व्यापार या अन्य प्राप्य कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से या किसी भी अन्य व्यक्तियों के साथ पृथक-पृथक या संयुक्त रूप से देय नहीं है और कोई भी व्यापार या अन्य प्राप्य किसी भी प्रतिष्ठान या निजी कम्पनियों से क्रमशः देय नहीं है, जिसमें कोई भी निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य हो।

13.4 कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता के लिए रू. 100.67 (रू. 1013.20 करोड़) के प्रावधान को व्यापारिक प्राप्य के विरूद्ध में समायोजित किया गया है।

टिप्पणी-14 : नगद एवं नकद समकक्ष

(रू- करोड़)

	31-03-2020	31-03-2019
(क) बैंक में शेष [14-1 व 14-2]		
- जमा खाता में	-	-
- चालू खाता में		
(क) ब्याज संबंधी (सीएलटीडी खाता आदि)*	49.23	28.50
(ख) गैर ब्याज संबंधी**	2.37	130.97
- नकद क्रेडिट खाता में	-	-
(ख) स्वयं के पास चेक,ड्राफ्ट और स्टाम्प		
(ग) स्वयं के पास नकदी	-	-
(घ) पारमगन में भेजा गया धन	-	-
(ङ) अन्य	-	-
घटाईए : ओव्हरड्राफ्ट	-	-
कुल	**51.60**	**159.47**

* चालू खाता में (ब्याज संबंधी) सीएलटीडी, स्वीप खाता, आरएलटीडी आदि का समावेश है ।

** चालू खाता (गैर ब्याज संबंधी) में बैंकिंग अवधि/घंटा की समाप्ति पश्चात प्राप्त रू. 2.31 करोड़ (रू. 85.68 करोड़) शामिल है।

14.1 नकद एवं नकद समकक्ष में स्वयं के पास एवं बैंक में नकदी, स्वीप खाता एवं टर्म डिपाजिट, जो तीन माह या कम की मूल परिपक्वता के साथ बैंक में रखा हुआ है, समावेशित है ।

14.2 उधार, गारंटी, अन्य प्रतिबद्धताओं के विरूद्ध मार्जिन मनी या सुरक्षा निधि के रूप में रखी गई सीमा तक बैंक में शेष ''शून्य'' है । कंपनी के नगद एवं बैंक-शेष के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं है ।

टिप्पणी-15 : अन्य बैंक शेष

(रू. करोड़)

	31-03-2020	31-03-2019
बैंक में शेष		
जमा खाता में [15.2 व 15.3]	4115.63	4691.87
माईन क्लोजर प्लान	-	-
अप्रदत्त लाभांश खाता	-	-
कुल	**4115.63**	**4691.87**

15.1 जमा राशि के रूप में बैंक में शेष के अंतर्गत बैंक में शेष शामिल है, जिसकी परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक किंतु 12 माह से कम है ।

15.2 बैंक में जमा खाता के अंतर्गत कंपनी द्वारा रखी गई रू. 519.48 करोड़ (रू. 464.05 करोड़) की राशि को एक अलग बैंक खाता में जमा किया गया है, जिसे आपूर्तिकर्ताओं के विस्फोटक बिलों से तथा उपभोक्ताओं से टर्मिनल कर के लिए वसूला गया है ।

15.3 जमा खाता में जमा राशि में बैंकों से ओव्हरड्राफ्ट सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए गिरवी मियादी जमा रू. 3443.39 करोड़ (रू. 2125.93 करोड़) शामिल है, जो गिरवी रखे गए मियादी जमा के विरूद्ध समायोजन-योग्य है। तुलन पत्र तारीख को ओव्हरड्राफ्ट की बकाया शेष राशि रू.1724.93 करोड़ (रू.730.47 करोड़) थी।

टिप्पणी-16 : इक्विटी अंश पूंजी

(रू. करोड़)

		31-03-2020	31-03-2019
	अधिकृत		
(i)	प्रत्येक रू. 1000/- का 1,00,00,000(1,00,00,000) इक्विटी शेयर	1000.00	1000.00
		1000.00	**1000.00**
	निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
	प्रत्येक रू. 1000/- का 6680561 (6680561) इक्विटी शेयर	668.06	668.06
		668.06	**668.06**

16.1 5-प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक अंशधारकों द्वारा रखे गए कंपनी में शेयर

अंशधारक का नाम	**रखे गये शेयरों की संख्या (रू. 1000 प्रत्येक का अंकित मूल्य)**
कोल इंडिया लिमिटेड ''नियंत्रक कम्पनी'' एवं इसके नामिनी	
31.03.2020	6680561
31.03.2019	6680561

16.2 लेटर ऑफ ऑफर दिनांक 28.01.2019 के अनुसार कंपनी ने टेण्डर ऑफर के माध्यम से पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक रू. 1000 अंकित मूल्य के अपने 490039-नग इक्विटी शेयरों को वापस खरीदा तथा 2018-19 (09.02.2019 को) में इन शेयरों को विलोपित/निष्प्रभावी किया। इस तरह वापस खरीदी पश्चात पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों की दिनांक 31.03.2019 को संख्या 66,80,651 है।

16.3 वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने 7:5 अनुपात (वर्तमान 5 शेयरों को 7 बोनस शेयर) में वर्तमान इक्विटी अंश धारकों को 41,82,850 बोनस इक्विटी शेयर जारी किये, जिसकी आबंटन तारीख 21.03.2018 थी।

16.4 अवधि के दौरान, कंपनी ने कोई शेयर जारी नहीं किया। हालाकि, लेटर ऑफ आफर दिनांक 12.03.2017 के अनुसरण में कंपनी ने वर्ष 2016-17 में निविदा प्रस्ताव (टेंडर आफर) के माध्यम से पूर्णतः प्रदत्त रू. 1000/- प्रति अंकित मूल्य के अपने 6,09,250 इक्विटी शेयरों को वापस खरीदा तथा इन शेयरों को निष्प्रभावी किया। इस तरह वापस खरीदी के बाद 31.03.2017 को पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या 29,87,750 हो गई।

16.5 कंपनी के पास रू. 1000/- प्रति अंकित मूल्य का केवल एक श्रेणी का ही इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर धारक समय-समय पर यथा-घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं तथा वे अंशधारकों की बैठक में अपने शेयर-होल्डिंग के लिए मताधिकार के हकदार हैं।

टिप्पणी-17 : अन्य इक्विटी

(रू. करोड़ में)

	तरजीह अंश पूंजी	पूंजी विमोचन संचय	पूंजी संचय	सामान्य संचय	प्रतिधारित अर्जन				कुल
					कर पश्चात लाभ	उचित मूल्य पर पसिम्पत्ति या देयताओं के मापन पर लाभ	अन्य व्यापक आय	कुल प्रतिधारण अर्जन एवं ओसीआई	
01.04.2018 को शेष	**-**	**-**	**-**	**2176.03**	**72.88**	**-**	**271.93**	**344.81**	**2520.84**
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	-			-
लेखा नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-			-
पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-	-	-			-
01.04.2018 को शेष-पुनःवर्णित	**-**	**-**	**-**	**2176.03**	**72.88**	**-**	**271.93**	**344.81**	**2520.84**
अन्य संचय/प्रतिधारित अर्जन से अंतरित	**-**	**-**	**-**	**180.58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**180.58**
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	-	3611.37	-	12.89	3624.26	3624.26
गैर-नियंत्रित का निवेश									
विनियोग								-	-
सामान्य संचय में अंतरित	-	-	-	-	(180.58)	-	-	(180.58)	(180.58)
अन्य संचय में अंतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	(2326.61)	-		(2326.61)	(2326.61)
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कार्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	(478.24)	-	-	(478.24)	(478.24)
इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इक्विटीशेयरों की वापस खरीदी[17.3]	-	49.00	-	(426.28)	-	-	-	-	(377.28)
31.03.2019 को शेष	**-**	**49.00**	**-**	**1930.33**	**698.82**	**-**	**284.82**	**983.64**	**2962.97**
01.04.2019 को शेष	**-**	**49.00**	**-**	**1930.33**	**698.82**	**-**	**284.82**	**983.64**	**2962.97**
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	-			-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-			-
लेखा नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-			-
01.04.2019 को पुनःवर्णित शेष	**-**	**49.00**	**-**	**1930.33**	**698.82**	**-**	**284.82**	**983.64**	**2962.97**
प्रतिधारित अर्जन में अंतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य संचय/प्रतिधारित अर्जन से अंतरित	-	-	-	86.75	-	-	-	-	86.75
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	-	1719.16	-	(352.43)	1366.73	1366.73
विनियोग									
सामान्य संचय में अंतरित	-	-	-	-	(86.75)	-	-	(86.75)	(86.75)
अन्य संचय में अंतरित	-	-	-	-	-	-			
अंतरिम लाभांश	-		-	-	(1617.52)	-	-	(1617.52)	(1617.52)
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कार्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	(332.49)	-	-	(332.49)	(332.49)
इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.09.2019 तक शेष	**-**	**49.00**	**-**	**2017.08**	**381.22**	**-**	**(67.61)**	**313.61**	**2379.69**

17.1 अधिकृत तरजीह अंश पूंजी :

प्रत्येक रू. 1000/- के 30,00,000 (30,00,000) का 10-प्रतिशत संचित विमोच्य तरजीह शेयर जिसकी राशि रू. 300.00 करोड़ (रू. 300.00 करोड़) है - वर्ष 2003-04 में पूर्वतम परिशोधन शर्तो के अनुसार परिशोधित किया गया ।

17.2 निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त तरजीह अंश पूंजी : शून्य

17.3 रू. 426.28 करोड़ में वापस खरीदी मान्य रू. 355.19 करोड़ एवं आयकर अधिनियम,1961 की धारा 115क्यूए के अधीन रू. 71.28 करोड़ कर शामिल है।

टिप्पणी-18 : उधार

(रू. करोड़)

	31.03.2020	31.03.2019
गैर-चालू		
आवधि ऋण		
बैंकों से [18.2]	1760.04	1249.28
सम्बद्ध पार्टियों से ऋण [18.1]	63.04	58.35
अन्य ऋण		
कुल	**1823.08**	**1307.63**
वर्गीकरण 1		
प्रतिभूतित	1760.04	1249.28
अप्रतिभूतित	-	-
चालू		
मांग पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण		
बैंक से [18.3]	1724.93	730.47
कोल इंडिया लिमिटेड से	-	-
सम्बद्ध पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	**1724.93**	**730.47**
वर्गीकरण 1		
प्रतिभूतित	1724.93	730.47
अप्रतिभूतित	-	-

18.1 संबद्ध पार्टियों से गैर-चालू ऋण

सम्बद्ध पार्टियों का नाम	**31.03.2020**		**31.03.2019**	
	मूलधन	**ब्याज**	**मूलधन**	**ब्याज**
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	39.00	6.52	39.00	3.13
सीएसआईडीसीएल	15.00	2.52	15.00	1.22
कुल	54.00	9.04	54.00	4.35

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से ऋण

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से ऋण में मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड(सीईडब्लूआरएल) का रू. 39.00 करोड़ (रू.39.00 करोड़) शामिल है, जो उधार लेने वाले के सभी आगामी प्राप्य तथा सृजित/विकसित किए जाने वाले सभी संरचनाओं पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूतित है । ऋण की पुनर्भुगतान अवधि 5-वर्ष होगी जिसमें ऋण अनुबंध/करार के हस्ताक्षर होने की तारीख से 5-वर्ष से अधिक की ऋण-स्थगन अवधि शामिल नहीं है । ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 12-प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

सीएसआईडीसीएल से ऋण

सीएसआईडीसीएल से ऋण में मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल) का रू. 15.00 करोड़ (रू. 15.00 करोड़) शामिल है, जो उधार लेने वाले के सभी आगामी प्राप्त तथा सृजित/विकसित किए जाने वाले सभी संरचनाओं पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूतित है । ऋण की पुनर्भुगतान अवधि 5-वर्ष होगी जिसमें ऋण अनुबंध/करार के हस्ताक्षर होने की तारीख से 5-वर्ष से अधिक की ऋण-स्थगन अवधि शामिल नहीं है। ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 12-प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

18.2 सीईआरएल ने इंडियन बैंक के एक वर्षीय एमसीआरएल + 0.75 बीपी की ब्याज दर पर रू. 2443.00 करोड़ के रूपी टर्म लोन (आरटीएल) के लिए दिनांक 24.11.2017 को इंडियन बैंक द्वारा बैंक की कंसोर्टियम के साथ टर्म लोन फाइनेंसिंग डाक्यूमेंट निष्पादित किया । ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि होगी :- (1) मूलधन राशि, 2-वर्ष की ऋण-स्थगन के पश्चात, 14-वर्ष की अवधि के लिए है, (2) ब्याज राशि मासिक आधार पर भुगतान की जानी होगी। टर्म लोन निम्नलिखित द्वारा सुरक्षित/प्रतिभूतित है :- (क) परियोजना दोनों प्रथम एवं भविष्यगत, की सभी अचल स्थाई परिसम्पत्तियों पर प्रथम मार्टगेज (भू-स्वामित्व व पट्टायुक्त सहित), जिसमें परियोजना की परिसम्पत्तियां शामिल नहीं है, सुरक्षित है । (ख) परियोजना, दोनों प्रथम व भविष्यगत से संबंधित समस्त मूर्त चलायमान पर हाईपोथिकेशन के माध्यम से, प्रथम दर्जे की पैरी पेस्सु प्रभार द्वारा सुरक्षित है, जिसमें परियोजना की परिसम्पत्ति शामिल नहीं है । (ग) रियायत अनुबंध द्वारा नियंत्रित सीमा के अधीन बीमा करार कार्य के साथ, परियोजना के संबंध में बाध्यता/दायित्व तथा ब्याज, समस्त अधिकारों के विषय में हाईपोथिकेशन द्वारा प्रथम दर्जा का पैरी पेसु प्रभार, (घ) परियोजना के संबंध में, सीईआरएल की समस्त खाता व चालू परिसम्पत्तियों पर प्रथम दर्जा का पैरी पैसु प्रभार तथा प्राप्तियों पर प्रथम प्रभार, (ड.) रियायत अनुबंध एवं इस्क्रो अनुबंध में विनिर्दिष्ट प्राथमिकता के अनुसार अनुज्ञेय सीमा के अधीन परियोजना के संबंध में सीईआरएल की समस्त अमूर्त परिसम्पत्तियों के विषय में हाईपोथिकेशन के माध्यम से प्रथम दर्जा पैरी पैसी प्रभार, (च) सीईआरएल का 51-प्रतिशत समस्त शेयरहोल्डिंग के लिए नान-डिस्पोजल अंडरटेकिंग, इस आशय के साथ कि डिफाल्टर होने की स्थिति में सुरक्षा ट्रस्टी के पक्ष में 24-प्रतिशत समस्त शेयरहोल्डिंग रेहन रहेगा, (छ) परियोजना की परिसम्पत्ति प्रतिभूतित का भाग नहीं होगा ।

18.3 बैंकों से ऋण में बकाया राशि ओव्हरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए रेहन/गिरवी रू. 3443.39 करोड़ (रू.2125.93 करोड़) की मियादी जमा (एफडी) से संबंधित है,जो रेहन/गिरवी एफडी के विरूद्ध समायोजनयोग्य है ।

टिप्पणी-19 : व्यापारिक देय

(रू. करोड़ में)

चालू	31.03.2020	31.03.2019
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए व्यापारिक देय 19.1	3.08	4.34
अन्य व्यापारिक देय के लिए		
- स्टोर्स एवं स्पेयर्स	144.96	149.06
- बिजली एवं ईंधन	79.80	78.96
- वेतन मजदूरी एवं भत्तों के लिए देयता	441.35	431.25
- अन्य	1351.09	1138.97
कुल	**2020.28**	**1802.58**

19.1 अन्य में संविदा कार्य एवं अन्य व्यय से संबंधित देयताएं शामिल हैं ।

19.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विलंबित भुगतान की देय मूलधन राशि रू. 3.08 करोड़ (रू. 4.34 करोड़) है तथा उस पर देय ब्याज रू. 0.00 (रू. 0.00 करोड़) है ।

अवधि के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सभी विलंबित भुगतानों पर भुगतान किया गया कुल ब्याज रू. 0.00 करोड़ (रू. 0.00 करोड़) है।

अवधि/वर्ष के दौरान नियत तारीख के बाद भुगतान की गई मूल राशि पर देय ब्याज किंतु इस अधिनियम के अधीन बिना ब्याज राशि रू. 0.00 करोड़ (रू. 0.00 करोड़) है ।

प्रोद्भूत ब्याज जो देय नहीं है, रू. 0.00 करोड़ है (वर्ष/अवधि की समाप्ति/ अंत में परिलक्षित प्रौद्भूत ब्याज जो ब्याज के रूप में देय नहीं है, का परिकलन नियत तारीख से मासिक बकाया दर पर किया जाता है)

सकल देय ब्याज जिनका भुगतान नहीं किया गया है, वह रू. 0.00 करोड़ (0.00 करोड़) है, पूर्व के वर्ष (वर्षो) से उस दिनांक तक जबकि वास्तव में लघु उद्यमों को ब्याज का भुगतान किया गया था, तक की अवधि का सकल ब्याज बकाया देय राशि परिलक्षित करता है।

टिप्पणी-20 अन्य वित्तीय देयताएं

(रू. करोड़ में)

गैर-चालू	31.03.2020	31.03.2019
सुरक्षा जमा	252.34	275.33
बयाना जमा राशि	-	-
अन्य [20.1]	593.84	534.48
	846.18	**809.81**
चालू		
सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड के साथ चालू खाता	-	27.83
दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता	-	-
अप्रदत्त लाभांश	-	-
सुरक्षा जमा	347.83	265.20
बयाना राशि	35.09	86.58
अंतरिम लाभांश	-	-
पूंजीगत सामानों के लिए देयता	245.14	283.51
अन्य [20.2]	304.66	285.15
कुल	**932.72**	**948.27**

20.1 रू. 593.84 करोड़ (रू. 534.48 करोड़) में विभिन्न न्यायालयों/मध्यस्थ के समक्ष मामला लंबित होने के कारण ग्राहकों एवं कर्मचारियों से प्राप्त/वसूल की गई राशि व उक्त देयताओं से संबंधित बैंक में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि रू. 587.62 करोड़ (रू. 527.92 करोड़) शामिल है।

20.2 अन्य में पूंजी सामानों,पीएफ/पेंशन प्राधिकारियों को भुगतान से संबंधित देयताएं तथा उपभोक्ताओं द्वारा कम-लदाई एवं गुणवत्ता आदि के लिए दावा के कारण उपलब्ध कराई गई देयता शामिल है ।

टिप्पणी-21 : प्रावधान

(रू. करोड़ में)

गैर-चालू	31.03.2020	31.03.2019
कर्मचारी लाभ		
- ग्रेच्युटी	-	-
- अवकाश नकदीकरण	373.25	346.34
- अन्य कर्मचारी लाभ [21.4]	475.77	312.43
स्थल भरण/माईन क्लोजर [21.3]	1283.71	1213.37
स्ट्रीपिंग कार्यकलाप समायोजन [21.1]	11688.89	10052.23
अन्य	-	-
कुल	**13821.62**	**11924.37**
चालू		
कर्मचारी लाभ के लिए		
- ग्रेच्युटी	295.34	133.82
- अवकाश नकदीकरण	76.15	61.75
- अनुग्रह राशि	357.59	331.08
- कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	218.55	169.46
- कर्मचारी अन्य लाभ [21.2]	94.03	183.06
- एनसीडब्लूए-10 [21.4]	-	-
- वेतन पुनरीक्षण - अधिकारी [21.5]	-	-
कोयले के इति भण्डार पर उत्पाद शुल्क के लिए	-	-
अन्य	-	-
कुल	**1041.66**	**879.17**

21.1 स्ट्रीपिंग कार्यकलाप समायोजन में आस्थगित स्ट्रीपिंग कार्यकलाप व्यय एवं अन्य स्ट्रीपिंग कार्यकलापों का समायोजन शामिल है ।

21.2 अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान में 9.84 प्रतिशत की दर पर अधिवर्षिता लाभ से संबंधित रू. 25.22 करोड़ (रू. 141.58 करोड) शामिल है, जो तुलन पत्र तारीख तक गैर-निधिक है । तुलन पत्र तारीख तक रू. 353.14 करोड़ (रू. 180.91 करोड़) की निधि सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए है ।

21.3 माईन क्लोजर के लिए प्रावधान :

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सरफेस एवं भूमिगत दोनों खानों के लिए बनी संरचनाओं की डिकमीशनिंग करने एवं भूमि पुनरुद्धार का दायित्व कंपनी का है। अपेक्षित कार्य के निष्पादन में भविष्य में लगने वाले समय एवं धनराशि के विस्तृत तकनीकी आकलन एवं गणना के आधार पर माईन क्लोजर, स्थल पुनरूद्धार तथा डिकमीशनिंग के लिए दायित्व का तत्पश्चात आकलन किया जाता है। माईन क्लोजर व्यय अनुमोदित माईन क्लोजर योजना के अनुसार ही किया जाता है। व्यय का आकलन मुद्रास्फीति के लिए किया जाता है और तब छूट की दर पर छूट (8-प्रतिशत की दर पर) दी जाती है जो धनराशि के सामयिक मूल्य तथा जोखिमों के वर्तमान बाजार निर्धारण को इस प्रकार परिलक्षित करती है कि प्रावधान की राशि दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित आवश्यक खर्चों के वर्तमान मूल्य को परिलक्षित करे। प्रावधान के मूल्य में समय के साथ उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, क्योंकि डिस्काउंटिंग अनवाईंडिंग का प्रभाव, वित्तीय व्यय के रूप में मान्य व्यय का सृजन करना है । उपर्युक्त दिशानिर्देशों के संदर्भ में, माईन क्लोजर योजना तैयार करने के लिए, इस्क्रो एकाउंट खोला गया। (संदर्भ टिप्पणी-9)

टिप्पणी-21 : प्रावधान (क्रमशः)

भूमि सुधार/स्थल पुनरूद्धार भराई/माईन क्लोजर का समाधान :	**31.03.2020**	**31.03.2019**
इति दिनांक को स्थल पुनरूद्धार परिसम्पत्ति का समग्र मूल्य	782.74	782.74
	568.65	487.96
जोड़िए : चालू वर्ष के लिए प्रभारित प्रावधान की अनवाईंडिंग (पूंजीकृत सहित)	80.48	80.69
इति दिनांक तक समायोजित इस्क्रो खाता से आहरण	(148.16)	(138.02)
माईन क्लोजर प्रावधान	1283.71	1213.37

इस्क्रो खाता शेष	**31.03.2020**	**31.03.2019**
प्रारंभिक दिनांक को इस्क्रो खाता में शेष (चालू/गैर-चालू)	1331.59	1122.69
जोड़िए : चालू वर्ष के दौरान जमा किया गया अतिशेष	119.20	179.21
जोड़िए : वर्ष के दौरान क्रेडिट की गई ब्याज	71.27	60.18
घटाईए : चालू वर्ष के दौरान आहरित राशि	(10.14)	(30.49)
इति तारीख को इस्क्रो खाता में शेष (चालू/गैर-चालू)	1511.92	1331.59

21.4 कंपनी ने पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल लाभ के लिए रू. 106.24 करोड़ (रू. 106.24) का अंशदान/योगदान कोल इंडिया लिमिटेड में बनाए गए अधिकारियों के सीपीआरएमएस निधि में दिया। वर्ष/अवधि के दौरान सीपीआरएमएस निधि से रू. 1.37 करोड के चिकित्सा लाभ दावे की प्रतिपूर्ति क़ी गई ।

कंपनी ने 01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल लाभ हेतु कोल इंडिया लिमिटेड में बनाए गए अधिकारियों के सीपीआरएमएस निधि में रू. 19.59 करोड़ (रू. 19.59 करोड़) का अंशदान/योगदान दिया । वर्ष/अवधि के दौरान रू. 3.14 करोड के चिकित्सा लाभ दावे की प्रतिपूर्ति सीपीआरएमएस निधि से क़ी गई ।

टिप्पणी-22 : अन्य गैर-चालू देयताएं

(रू. करोड़)

	31.03.2020	**31.03.2019**
आस्थगित आय	0.40	0.46
शिफ्टिंग एवं पुनर्स्थापना निधि	-	-
	0.40	**0.46**

टिप्पणी-23 : अन्य चालू देयताएं

(रू. करोड़ में)

	31.03.2020	31.03.2019 तक
पूंजी व्यय	-	-
सांविधिक देयक	1204.59	1290.64
ग्राहक/अन्य से अग्रिम [23.1]	4544.41	4125.08
अन्य देयताएं [23.2]	-	-
कुल	**5749.00**	**5415.72**

23.1 ग्राहकों व अन्य से अग्रिम में रजगामार डिप साईड (देवनारा कोल ब्लॉक) के गवेषण की प्राप्य लागत के संबंध में देवनारा कोलफील्ड्स लिमिटेड से प्राप्त रू. 15.48 करोड़ शामिल है ।

23.2 अन्वेषक शिक्षा एवं संरक्षा निधि में भुगतान के लिए कोई अप्रदत्त लाभांश राशि देय नहीं है ।

टिप्पणी-24 : संचालन से राजस्व

(रू. करोड़)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
क	**कोयला/सेवाओं की बिक्री**		27086.06		31368.72
	उत्पाद-शुल्क				
	घटाईए : सांविधिक लेवी		10235.98		11606.73
	कोयला इत्यादि की बिक्री (कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता के समायोजन पश्चात निवल) (क) [24.1 व 24.2]		**16850.08**		**19761.99**
ख	**अन्य संचालन संबंधी राजस्व**				
	बालू भराई व संरक्षा कार्यो के लिए सहायता		0.76		7.64
	लदाई एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार	777.83		873.42	
	घटाईए : लेवी	37.05	740.78	43.21	830.21
	निकास सुविधा प्रभार	**617.18**		**678.41**	
	घटाईए : लेवी	**29.40**	**587.78**	**32.73**	**645.68**
	अन्य संचालन संबंधी राजस्व निवल (ख)		**1329.32**		**1483.53**
	संचालन से राजस्व (क+ख)		**18179.40**		**21245.52**

24.1 चालू वर्ष के निवल विक्रय (निवल लैवी) में गारे पेलमा IV/2 व 3 खदान से संबंधित 28.88 लाख टन (32.00 लाख टन) कोयला बिक्री की राशि रू. 338.35 करोड़ (रू.550.83 करोड़) तथा गारे पेलमा IV/1 खदान की 8.21 लाख टन (18.39 लाख टन) कोयला बिक्री की राशि रू. 70.45 करोड़ (रू.300.78 करोड़) शामिल है, जिसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड को दिनांक 01.04.2015 से पदनामित नियंत्रक के समरूप नियंत्रक नियुक्त किया गया है ।

24.2 विसमूहन/गैर-एकीकृत राजस्व सूचना - अगले पृष्ठ पर टिप्पणी-24 के अनुलग्नक को संदर्भित करें।

24.3 कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता से संबंधित प्रावधान का समायोजन विक्रय रू. -912.53 करोड़ (रू. 204.76 करोड़) के विरूद्ध किया गया।

टिप्पणी-24 : का अनुलग्नक (31.09.2019)

विसमूहन राजस्व सूचना

(रू. करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
सामान या सेवाओं का प्रकार		
- कोयला	16838.93	19724.12
- अन्य	11.15	37.87
ग्राहकों के साथ संविदा से कुल राजस्व	16850.08	19761.99
ग्राहकों का प्रकार		
- पावर सेक्टर	10769.60	12842.91
- गैर-पावर सेक्टर	6069.33	6881.21
- अन्य या सेवाएं (सीएमपीडीआईएल)	11.15	37.87
ग्राहकों के साथ संविदा से कुल राजस्व	**16850.08**	**19761.99**
संविदा का प्रकार		
- एफएसए	14510.26	17106.37
- ई-आक्शन	2328.67	2617.75
- अन्य	11.15	37.87
ग्राहकों के साथ संविदा से कुल राजस्व	**16850.08**	**19761.99**
सामान या सेवा का समय		
- समय पर स्थल में स्थानांतरित माल	16850.08	19761.99
- समयोपरि स्थानांतरित माल	-	-
- समय पर स्थल में स्थानांतरित सेवाएं	-	-
- समयोपरि स्थानांतरित सेवाएं	-	-
ग्राहकों के साथ संविदा से कुल राजस्व	**16850.08**	**19761.99**

टिप्पणी 25 : अन्य आय

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	525.11	408.87
म्यूचुअल निधि से लाभांश	21.27	43.85
अन्य गैर-संचालित आय	-	
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	3.72	1.73
लीज किराया	19.20	12.95
लायबिलिटी राईट-बैक	219.19	78.13
भण्डार में कमी पर उत्पाद शुल्क		-
अन्य	44.03	65.68
कुल	**832.52**	**611.21**

टिप्पणी 26 : खपत सामग्री की लागत

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	298.52	327.19
टिम्बर	4.96	3.66
आयल एवं लुब्रिकेंट्स	539.31	551.19
एचईएमएम स्पेयर्स	211.57	213.11
अन्य खपत योग्य सामग्री एवं अतिरिक्त पुर्जे	429.49	453.48
कुल	**1483.85**	**1548.63**

टिप्पणी 27 : विनिर्मित सामानों, कार्य में प्रगति की सम्पत्ति सूची में परिवर्तन

(रू. करोड़)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क	**कोयला**		
	प्रारंभिक भण्डार	469.67	525.50
	घटाईए :		
	इति भण्डार	796.35	469.67
	कोयले की सम्पत्ति सूची में परिवर्तन (क)	**(326.68)**	**55.83**
ख	वर्कशाप विनिर्मित सामानों एवं कार्य में प्रगति		
	प्रारंभिक भण्डार	171.84	161.40
	घटाईए :		
	इति भण्डार	163.56	171.84
	वर्कशाप की सम्पत्ति सूची में परिवर्तन (ख)	**8.28**	**(10.44)**
	व्यापारिक स्कंध की सम्पत्ति सूची में परिवर्तन (क+ख) (कमी/(वृद्धि)	**(318.40)**	**45.39**

टिप्पणी 28 : कर्मचारी लाभ व्यय

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन,मजदूरी, भत्ते,बोनस इत्यादि	5776.54	5832.04
पीएफ एवं अन्य निधि में अंशदान	1650.35	1558.96
कर्मचारी कल्याणकारी व्यय	756.71	784.10
	8183.60	**8175.10**

टिप्पणी 29 : निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
सीएसआर व्यय	84.65	83.55
कुल	**84.65**	**83.55**

कंपनी अधिनियम, 2013 एवं अन्य संबंधित अधिसूचनाओं की विशेषताओं का समावेशन कर कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सीएसआर नीति बनाई गई । सीएसआर के लिए निधि तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के औसत निवल लाभ का 2-प्रतिशत या पिछले वर्ष के कुल कोयला उत्पादन का रू. 2.00 प्रतिटन, जो भी अधिक हो, रू. 83.85 करोड़ (रू. 81.04 करोड़) होता है। तदन्तर, रू. 182.72 करोड़ की राशि समाप्त योग्य नहीं है ।

टिप्पणी 30 : मरम्मत

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
भवन	22.41	21.49
संयंत्र एवं मशीनरी	153.04	139.16
अन्य	3.28	4.24
कुल	**178.73**	**164.89**

30.1 अन्य में भवन व संयंत्र तथा मशीनरी के अलावा मरम्मत मद पर हुआ मरम्मत व्यय शामिल है ।

टिप्पणी 31 : संविदा/ठेका व्यय

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन प्रभार		
- बालू		
- कोयला	924.47	928.01
- स्टोर्स एवं अन्य	-	-
वैगन लदाई	27.29	28.84
पीएंडएम का किराया	650.62	673.25
अन्य ठेका संबंधी कार्य	1008.68	967.09
कुल	**2611.06**	**2597.19**

टिप्पणी 32 : वित्त लागत

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज व्यय		
उधार	2.54	1.97
ब्याज की अनवाईंडिंग	80.47	(6.43)
विनिमय दर में भिन्नता के कारण हानि	-	-
अन्य	58.45	0.68
अन्य उधार लागत		-
कुल (क)	**141.46**	**(3.78)**

टिप्पणी 33 : प्रावधान (निवल अभिशून्यन)

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) निम्नलिखित के लिए प्रावधान/भत्ते		
संदेहात्मक ऋण	92.89	-
संदेहात्मक अग्रिम एवं दावे	-	-
स्टोर्स एवं स्पेयर्स	-	5.99
अन्य	10.14	-
कुल (क)	**103.03**	**5.99**
(ख) अभिशून्यन प्रावधान/भत्ता		
संदेहात्मक ऋण	-	80.24
संदेहात्मक अग्रिम एवं दावे	2.10	-
स्टोर्स एवं स्पेयर्स	6.89	-
अन्य	-	36.06
कुल (ख)	**8.99**	**116.30**
कुल (क-ख)	**94.04**	**(110.31)**

टिप्पणी 34 : बट्टा खाता (पिछले प्रावधान का निवल)

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
संदेहात्मक ऋण	-	-
घटाईए : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
संदेहात्मक अग्रिम	-	-
घटाईए : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
कोयले का भण्डार	-	-
घटाईए : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
अन्य	0.40	-
घटाईए : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
	0.40	-
कुल	**0.40**	**-**

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय	32.02	31.05
प्रशिक्षण व्यय	12.73	7.11
टेलीफोन एवं पोस्टेज	15.35	17.17
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	11.52	10.24
भाड़ा प्रभार	0.27	0.37
विलम्ब शुल्क	48.32	47.62
सुरक्षा व्यय	109.93	100.12
कोल इंडिया का सेवा प्रभार [35.3]	150.55	157.35
किराया प्रभार	61.12	58.51
सीएमपीडीआईएल प्रभार [35.2]	57.25	46.27
विधि व्यय	2.26	4.93
परामर्श प्रभार	9.61	7.55
कम लदान प्रभार	84.08	111.79
बिक्री/डिस्कार्ड/सर्वे-ऑफ परिसम्पत्तियों पर हानि	0.18	0.91
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक एवं व्यय		
- लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	0.62	0.33
- कराधान मामलों के लिए	0.06	0.06
- अन्य सेवाओं के लिए	0.64	0.26
- व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.29	0.30
आंतरिक एवं अन्य लेखा परीक्षा व्यय	2.85	2.97
पुनर्वास प्रभार [35.1]	85.16	93.62
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	-	-
दर एवं कर	13.48	19.95
बीमा	0.18	0.01
लीज किराया व अन्य किराया [35.4]	2.74	2.73
बचाव/खान सुरक्षा व्यय	17.96	12.32
डीड-किराया/सतह किराया	0.90	0.95
सायडिंग अनुरक्षण प्रभार	7.58	7.89
अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	0.22
पर्यावरणीय एवं वृक्षारोपण व्यय	73.84	74.32
विविध व्यय	79.22	85.26
कुल	**880.71**	**902.18**

35.1 कोयला मंत्रालय के निर्णयानुसार, ईसीएल एवं बीसीसीएल में असुरक्षित क्षेत्रों की बसाहट व आग से निपटने के लिए, शिफ्टिंग व पुनर्स्थापना के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु निधि के संग्रहण (मोबलाईजेशन) के संबंध में रू. 85.16 करोड़ (रू. 93.62 करोड़) की राशि पुनर्स्थापना व्यय में डेबिट की गई है ।

35.2 सीएमपीडीआईएल प्रभार सीएमपीडीआईएल द्वारा राजस्व स्वरूप के कार्यों से संबंधित है ।

35.3 सीआईएल का सेवा प्रभार, सीआईएल द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं से संबंधित है ।

35.4 लीज किराया में दानकुनी कोल काम्पलैक्स के लिए सीआईएल को किया गया भुगतान रू. 1.80 करोड़+ कर, किराया शामिल है ।

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	615.15	1792.93
आस्थगित कर	249.81	353.01
पूर्वतम वर्ष	(67.08)	(186.82)
कुल	**797.88**	**1959.12**
भारत के घरेलू कर दर पर गुणित लेखांकरण लाभ तथा कर व्यय का संराधन कर पूर्व लाभ/(हानि)	**2510.20**	**5570.40**
भारत का सांविधिक आयकर दर 25.168% (31 मार्च, 2019 : 34.994%)	**631.77**	**1946.52**
जोड़िए/घटाईए : पिछले वर्ष के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	122.84	(33.97)
घटाईए : कर मुक्त आय	(5.35)	(15.18)
घटाईए : सहायक एवं संयुक्त उद्यम के परिणामों का अंश	-	-
जोड़िए : कर उद्देश्य के लिए गैर-कटौती योग्य व्यय	48.62	61.75
लाभ और हानि विवरणी में रिपोर्टेड आयकर व्यय	**797.88**	**1959.12**
प्रभावी आयकर दर :	**31.785%**	**35.170%**
निम्नलिखित से संबंधित आस्थगित कर देयता :		
आस्थगित कर देयता		
सम्पत्ति, संयंत्र एव उपस्कर से संबंधित	167.91	246.92
अन्य		
कुल आस्थगित कर देयता (क)	**167.91**	**246.92**
आस्थगित कर परिसम्पत्ति		
प्राप्य/अग्रिम से संबंधित	186.41	551.37
कर्मचारी लाभ	186.05	239.91
अन्य	89.72	(0.28)
कुल आस्थगित कर परिसम्पत्ति (ख)	**462.18**	**791.00**
कुल आस्थगित कर परिसम्पत्ति/देयताएं (ख-क)	**294.27**	**544.08**

टिप्पणी 37 : अन्य व्यापक आय

(रू. करोड़)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) (i) मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएगी		
परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन	(470.96)	19.81
	(470.96)	**19.81**
(ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएगी		
परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन	(118.53)	6.92
	(118.53)	**6.92**
कुल (क)	**(352.43)**	**12.89**
(ख) (i) मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत की जाएगी		
विदेशी संचालन के वित्तीय विवरण में परिणत करने में विनिमय की भिन्नता	-	
	-	-
(ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत की जाएगी		
विदेशी संचालन के वित्तीय विवरण में परिणत करने पर विनिमय की भिन्नता		
कुल (ख)	**-**	**-**
कुल (क+ख)	**(352.43)**	**12.89**

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

1. उचित मूल्य मापन

(क) केटेगरी रूप में वित्तीय विलेख

(रू. करोड़)

	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2020			31 मार्च 2019		
		एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसम्पत्तियां-गैर चालू							
निवेशःइक्विटी शेयर सहायक कम्पनियां	7	-	-	0.00	-	-	0.00
ऋण	8	-	-	4.68	-	-	6.36
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	9	-	-	1774.45	-	-	1650.02
वित्तीय देयताएं- गैर चालू							
उधार	18	-	-	1823.08	-	-	1307.63
व्यापारिक देय	19	-	-	0.00	-	-	0.00
प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि	20	-	-	252.34	-	-	275.33
अन्य देयताएं	20	-	-	593.84	-	-	534.48

(रू. करोड़)

	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2020			31 मार्च 2019		
		एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसम्पत्तियां-चालू							
निवेश : म्यूचुअल निधि	7	0.29	-	-	0.20	-	-
व्यापारिक प्राप्य	13	-	-	1653.80	-	-	387.67
नकद एवं नकद समकक्ष	14	-	-	51.60	-	-	159.47
अन्य बैंक शेष	15	-	-	4115.63	-	-	4691.87
ऋण	8	-	-	0.89	-	-	0.58
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	9	-	-	1071.41	-	-	920.31
वित्तीय देयताएं- चालू							
उधार	18	-	-	1724.93	-	-	730.47
व्यापारिक देय	19	-	-	2020.28	-	-	1802.58
प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि	20	-	-	382.92	-	-	351.78
अन्य देयताएं	20	-	-	549.80	-	-	596.49

(ख) उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय विलेख के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु बनाए गए अनुमान व लिए गए निर्णय को दर्शाती हैं, जो- (क) उचित मूल्य पर मान्य और आकलित है, और (ख) परिशोधित लागत पर आकलित उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणी में प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में प्रयुक्त इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में सूचित करने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणियों को लेखा मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

(रू. करोड़)

उचित मूल्य पर आकलित वित्तीय परिसम्पत्ति और देनदारियां-आवर्ती उचित मूल्य मापन	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2020			31 मार्च, 2019		
		स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसम्पत्तियां							
निवेश :							
म्यूच्युअल निधि	7	0.29	-	-	0.20	-	-
वित्तीय देनदारियां							
कोई अन्य मद		-	-	-	-	-	-

(रू. करोड़)

वित्तीय सम्पत्तियां और दायित्वों को परिशोधित लागत पर आकलित किया जाता है जिसके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया।	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2020			31 मार्च, 2019		
		स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
वित्तीय परिसम्पत्तियां-गैर चालू							
निवेश : इक्विटी शेयर सहायक कम्पनियां	7	-	-	-	-	-	-
ऋण	8	-	-	4.68	-	-	6.36
जमा एवं प्राप्तियां	9	-	-	1774.45	-	-	1650.02
वित्तीय देयताएं-गैर चालू							
उधार	18	-	-	1823.08	-	-	1307.63
व्यापारिक देय	19	-	-	0.00	-	-	0.00
प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि	20	-	-	252.34	-	-	275.33
अन्य देयताएं	20	-	-	593.84	-	-	534.48
वित्तीय परिसम्पत्तियां-चालू							
व्यापारिक प्राप्य	13	-	-	1653.80	-	-	387.67
नकद एवं नकद समकक्ष	14	-	-	51.60	-	-	159.47
अन्य बैंक शेष	15	-	-	4115.63	-	-	4691.87
ऋण	8	-	-	0.89	-	-	0.58
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	9	-	-	1071.41	-	-	920.31
वित्तीय देयताएं-चालू							
उधार	18	-	-	1724.93	-	-	730.47
व्यापारिक देय	19	-	-	2020.28	-	-	1802.58
प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि	20	-	-	382.92	-	-	351.78
अन्य देयताएं	20	-	-	549.80	-	-	596.49

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त सार नीचे दर्शित है।

स्तर 1 : स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों के उपयोग द्वारा आकलित वित्तीय विलेख शामिल हैं। इसमें म्युचुअल फंड शामिल है, जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग दिनांक को क्लोजिंग एनएवी का उपयोग करते हुए किया गया है।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

स्तर 2 : वित्तीय विलेख, जोकि एक सक्रिय बाजार में कारोबार में नहीं है, के उचित मूल्य का निर्धारण, मूल्यांकन तकनीकों के उपयोग द्वारा किया जाता है, जो दृष्टिगत बाजार डेटा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम भरोसा करने की ओर इंगित करता है। यदि विलेख के उचित मूल्य के लिए जरूरी सभी महत्वपूर्ण इनपुट दृष्टिगोचर होते हैं तो विलेख को स्तर-2 में शामिल किया जाता हैं ।

स्तर 3 : यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट परिलक्षित बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं है, तो विलेख को स्तर-3 में शामिल किया जाता है। यह निवेश, प्रतिभूति जमा तथा स्तर-3 में शामिल किए गए अन्य देयताओं जैसे मामलों के लिए हैं ।

(ग) उचित मूल्य निर्धारित करने में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय विलेखों को महत्व देने के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में म्युचुअल फण्ड में निवेश के संबंध में विलेखों के उद्धृत बाजार मूल्यों (एनएवी) का उपयोग शामिल हैं :

(घ) महत्वपूर्ण गैर-दृष्टिगत इनपुट का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य मापन

वर्तमान में महत्वपूर्ण गैर-दृष्टिगत इनपुट का प्रयोग करते हुए कोई उचित मूल्य मापन नहीं किया जाता है।

(ड.) परिशोधित लागत पर आकलित वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य

- व्यापारिक प्राप्य, लघु अवधि जमा, नकद और नकद समकक्ष, व्यापारिक देय की वहनीय राशि को उनके अल्पकालिक स्वरूप के कारण उनके उचित मूल्यों के समरूप माना जाता है ।
- कंपनी यह मानती है कि सुरक्षा/प्रतिभूति जमा में एक महत्वपूर्ण वित्त पोषक घटक शामिल नहीं है । सुरक्षा जमा कंपनी के कार्य निष्पादन के संपाती हैं और अनुबंध/संविदा को वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से बनाए रखने के लिए राशि की आवश्यकता होती है। ठेकेदार की ओर से अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को समुचित रूप से पूरा करने में विफल रहने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक महत्वपूर्ण भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकने का इरादा कंपनी के हित की रक्षा करना है । तदनुसार, सुरक्षा/प्रतिभूति जमा के संव्यवहार लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के रूप में माना जाता है और तत्पश्चात परिशोधन लागत पर मापा जाता है ।

महत्वपूर्ण अनुमान : वित्तीय विलेख जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार में नहीं है, के उचित मूल्य का निर्धारण/मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए किया जाता है। कंपनी कार्य-विधि का चयन करने के लिए अपने निर्णय का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त अभिधारणा बनाती है।

2. जोखिम विश्लेषण और प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार व अन्य देयताएं शामिल है। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्य-संचालन को वित्त पोषित करना और अपने कार्य संचालन का समर्थन करने के लिए गारंटी प्रदान करना है । कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसम्पत्तियों में, ऋण, व्यापार व अन्य प्राप्य, तथा नकद व नकद समकक्ष, जोकि इसके कार्य-संचालन से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, शामिल है।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम को प्रकट करती है । कंपनी के वरीय प्रबंधक इन जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी/पर्यवेक्षण करते हैं। कंपनी के वरीय प्रबंधक, जोकि जोखिम समिति द्वारा समर्थित हैं, अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के वित्तीय जोखिमों व उचित वित्तीय जोखिम स्वशासन ढांचे पर सलाह देते है । जोखिम समिति, निदेशक मण्डल को यह आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उचित नीतियों और कार्य-प्रक्रियाओं द्वारा शासित हैं और कंपनी की नीतियों व उद्देश्यों के अनुरूप वित्तीय जोखिमों की पहचान, आकलन व प्रबंधन करती है । निदेशक मण्डल इन सभी जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा कर सहमति देते हैं, जिसका सार नीचे दर्शित है।

यह नोट जोखिम के उन स्रोतों को स्पष्ट करता है, जिसे कंपनी को प्रकट करना होता है कि कंपनी किस तरह वित्तीय विवरणियों में जोखिम एवं सुरक्षित लेखा (हेज एकाउंटिंग) के प्रभाव का प्रबंधन करती है ।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

जोखिम	से उत्पन्न जोखिम	मापन	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, परिशोधित लागत पर आकलित व्यापारिक प्राप्य वित्तीय परिसम्पत्ति	एजिंग विश्लेषण/ क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा की क्रेडिट सीमा एवं अन्य प्रतिभूतियों की विविधता
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देयताएं	आवधिक रोकड़ प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईनों और उधार सुविधा की उपलब्धता
बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा/ विनिमय	आगामी वाणिज्यिक लेनदेन, मान्य वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताएं, जोकि आईएनआर में नहीं होती है	रोकड़ प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधक और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फण्ड	रोकड़ प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधक और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी के जोखिम प्रबंधन का अनुपालन किया जाता है। बोर्ड द्वारा समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अधिरेक तरलता के निवेश में शामिल नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत (रिटन प्रिंसिपल) निर्धारित किया जाता है।

क. क्रेडिट जोखिम :

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से प्राप्त होती है। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सूक्ष्म-आर्थिक सूचना (जैसे-नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफएसए) व ई-नीलामी शर्तों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफएसए)

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की शर्तों के अनुपालन एवं उसकी अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी अपने ग्राहकों या राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ कानूनी तौर पर प्रयोज्य एफएसए का पालन करती हैं जो वास्तविक ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था में अनुबंधित होते हैं। हमारे एफएसए को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है:-

- बिजली जन उपयोगी सेवा सेक्टर से जुड़े हुए ग्राहकों, समेत राज्य बिजली जन उपयोगी सेवा, निजी बिजली जन उपयोगी सेवा ("पीपीयू") और स्वतंत्र बिजली उत्पादकर्ता ("आईपीपी") के साथ एफएसए
- गैर बिजली उद्योगों (कैप्टिव पावर प्लांट ("सीपीपी") सहित), से जुड़े हुए ग्राहकों के साथ एफएसए और
- राज्य नामित एजेंसियों के साथ एफएसए

ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों को कोयला मुहैया कराने के लिए प्रारंभ की गयी है, जो विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की मांग को पूरा करने के लिए समर्थ नहीं हो पाते हैं। उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के अधीन जिनकी मात्रात्मक मांग पूरे आबंटन से कम होती है, उनकी कोयले की मांग यथाकाल होती है, तथा कोयले की मांग सीमित होती है, और जिनके पास दीर्घकालिक लिंकेज का समादेश नहीं होता है। ई-नीलामी के तहत आफर की जाने वाली कोयले की मात्रा की समय-समय पर कोयला मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाती है।

क्रेडिट जोखिम की स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब प्रतिपक्षी पार्टी संविदा के शर्तों का अनुपालन नहीं कर पाती है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि : कंपनी आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) के माध्यम से संदेहात्मक/ क्रेडिट कमी-हानि संबंधी परिसम्पत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि हेतु प्रबंधन करती है।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

सरलीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यापारिक प्राप्य के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि :

31.03.2020 को

(रू. करोड़)

अवस्था (एजिंग)	टिप्पणी संख्या	2 माह के लिए देय	6 माह के लिए देय	1 वर्ष के लिए देय	2 वर्ष के लिए देय	3 वर्ष के लिए देय	3 वर्ष से अधिक के लिए देय	कुल
सकल वहनीय राशि	13	432.63	199.47	297.49	224.11	600.77	385.79	2140.26
अपेक्षित नुकसान दर	-	-	-	-	-	-	100.00%	
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	-	-	-	385.79	385.79

31.03.2019 को

(रू. करोड़)

अवस्था (एजिंग)	टिप्पणी संख्या	2 माह के लिए देय	6 माह के लिए देय	1 वर्ष के लिए देय	2 वर्ष के लिए देय	3 वर्ष के लिए देय	3 वर्ष से अधिक के लिए देय	कुल
सकल वहनीय राशि	13	936.42	15.48	74.71	191.58	182.68	292.90	1693.77
अपेक्षित नुकसान दर		-	-	-	-	-	100.00%	
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)		-	-	-	-	-	292.90	292.90

हानि भत्ता प्रावधान का समाधान/संराधन - व्यापारिक प्राप्य

प्रावधान	टिप्पणी संख्या	राशि
01.04.2018 को हानि भत्ता	13	373.14
हानि भत्ता में परिवर्तन		(80.24)
31.03.2019 को हानि भत्ता	13	292.90
हानि भत्ता में परिवर्तन		92.89
31.03.2020 को हानि भत्ता	13	385.79

वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि के संबंध में महत्वपूर्ण अनुमान एवं निर्णय

ऊपर प्रदर्शित वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए हानि-कमी के संबंध में प्रावधान डिफाल्ट के जोखिम, उपभोक्ता दावों व अपेक्षित हानि दर के बारे में अभिधारणाओं पर आधारित होता है । कंपनी, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में इन अभिधारणाओं को बनाने एवं हानि-कमी की गणना व इनपुट का चयन करने, मौजूदा बाजार की स्थितियों व फारवर्ड लूकिंग इस्टीमेट के बारे में निर्णय कंपनी के अतीत के इतिहास के आधार पर लेती है।

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का आशय समुचित रूप में नकद व विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना तथा देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधा के माध्यम से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अंतर्निहित व्यवसाय के क्रियाशील/गतिशील स्वरूप का होने के कारण, कंपनी का ट्रेजरी प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईन के तहत उपलब्धता कायम करते हुए निधि के निर्माण में लचीलेपन को बनाए रखता है ।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

प्रबंधन, कंपनी की तरलता स्थिति (गैर-आहरित उधार सुविधा युक्त) के पूर्वानुमानों व अपेक्षित रोकड़ प्रवाहों के आधार पर नकद एवं नकद समकक्ष का मानिटर करती है। आम तौर पर इसका अनुपालन कंपनी द्वारा स्थापित कार्य-प्रकिया व सीमाओं के अनुरूप स्थानीय स्तर पर किया जाता है ।

(रू. करोड़)

विवरण	31.03.2020 तक			31.03.2019 तक		
	एक वर्ष से कम	एक से पांच वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	एक वर्ष से कम	एक से पांच वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां/ देयताएं						
उधार सहित ब्याज दायित्व	-	-	-	-	-	-
व्यापारिक देय	2020.28	-	-	1802.58	-	-

ख. बाजार जोखिम

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भावी वाणिज्यिक संव्यवहार और मान्यता प्राप्त परिसम्पत्तियों या देनदारियों/देयताओं से उत्पन्न होती है जो एक अभिधानित मुद्रा है, न कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (आईएनआर) है । कंपनी, विदेशी मुद्रा संव्यवहार से होने वाले विदेशी विनिमय के जोखिम से भलीभांति परिचित है । विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी विनिमय के जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है तथा नियमित व निरंतर अनुसरण के माध्यम से जोखिम को व्यवस्थित भी करती है। कपनी की नीति है, जिसे उस समय क्रियान्वित किया जाता है, जब विदेशी मुद्रा/विनिमय में जोखिम महत्वपूर्ण होता है।

(ख) रोकड़ प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर की जोखिम

कंपनी के मुख्य ब्याज दर की जोखिम, ब्याज दर में बदलाव के फलस्वरूप बैंक में जमा से उत्पन्न होती है, जो कंपनी के रोकड़ प्रवाह संबंधी ब्याज दर के जोखिम को प्रकट करती है । कंपनी की नीति निश्चित दर पर अपनी अधिकांश जमा को बनाए रखना है ।

कंपनी, सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग करते हुए, बैंक में जमा की क्रेडिट लिमिट व अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण संबंधी जोखिम को व्यवस्थित करती है ।

(ग) पूंजी प्रबंधन

कंपनी एक सरकारी संस्था होने के नाते, वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश एवं सार्वजनिक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी की व्यवस्था करती है ।

कम्पनी की पूंजी संरचना निम्नानुसार है-

(रू. करोड़ में)

	31.03.2020	31.03.2019
इक्विटी शेयर पूंजी	668.06	668.06
दीर्घकालिक ऋण	-	-

3. कर्मचारी लाभ : मान्यता एवं मापन (संदर्भ टिप्पणी-28) (इंड एएस-19)

क) ग्रेच्युटी :

ग्रेच्युटी एक पारिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना के रूप में कायम है और इसका अंशदान भारतीय जीवन बीमा निगम को जाता है। पारिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना के संबंध में तुलन-पत्र में जो देयता या परिसम्पत्ति मान्य होती है, वही योजनागत परिसम्पत्तियों के रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य से कम करके पारिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य होता है। पारिभाषित लाभ दायित्व का प्रतिवर्ष अनुमानित यूनिट

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकक द्वारा गणना की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापित लाभ और हानि को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे प्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यापक आय में शामिल होते हैं ।

ख) अवकाश नकदीकरणः

अर्जित अवकाश के लिए देनदारियों का निपटान/समाधान कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद अपेक्षित होता है । अतः अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अनुमानित भविष्यगत भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापित/गणना किया जाता है । रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार से प्राप्ति का उपयोग कर लाभ छूट दी जाती है जो संबंधित दायित्व की शर्तों के अधीन होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनः मापन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

(ग) भविष्य निधिः

कंपनी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के संबंध में नियत अंशदान का भुगतान पूर्व-निर्धारित दरों पर एक पृथक ट्रस्ट-कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) को करती है, जोकि निधि को अनुज्ञाप्राप्त प्रतिभूतियों में निवेश करती है। वर्ष/अवधि के दौरान निधि के संबंध में रू. 885.18 करोड़ (रू. 942.14 करोड) ़की अंशदान राशि को लाभ व हानि विवरणी (टिप्पणी-28) में मान्य किया गया है।

कम्पनी नीचे दर्शाए अनुसार कुछ परिभाषित लाभ योजनाओं का संचालन करती है, जो बीमांकिक आधार पर मूल्यांकित है -

(क) निधिक -

- ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदीकरण
- चिकित्सा लाभ
- पेंशन योजनाएं

(ख) गैर-निधिक -

- जीवन बीमा योजना
- व्यवस्थापन भत्ता
- समूह कार्मिक दुर्घटना बीमा
- अवकाश यात्रा रियायत
- खान दुर्घटना लाभ अंतर्गत आश्रितों को मुआवजा/क्षतिपूर्ति

बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर, 31.03.2020 तक कुल देयता रू. 5738.67 करोड़ (रू. 5271.67 करोड़) का विवरण नीचे दर्शित है ।

(रू. करोड़)

शीर्ष	प्रारंभिक बीमांकिक देयता	वृद्धिशील देयता	इति बीमांकिक देयता
ग्रेच्युटी	4361.42	182.00	4543.42
अर्जित अवकाश	510.96	136.65	647.61
अर्ध-वैतनिक अवकाश	96.42	31.50	127.92
अवकाश यात्रा रियायत - अधिकारी	-	-	-
अवकाश यात्रा रियायत - कर्मचारी	38.30	3.84	42.14

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

शीर्ष	प्रारंभिक बीमांकिक देयता	वृद्धिशील देयता	इति बीमांकिक देयता
व्यवस्थापन भत्ता - अधिकारी	11.20	1.76	12.96
व्यवस्थापन भत्ता -कर्मचारी	29.48	(0.04)	29.44
जीवन बीमा योजना - अधिकारी	0.81	0.01	0.82
जीवन बीमा योजना - कर्मचारी	14.27	0.25	14.52
समूह कार्मिक दुर्घटना बीमा योजना	0.21	-	0.21
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ/सुविधा - अधिकारी	148.18	61.42	209.60
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ/सुविधा - कर्मचारी	28.14	37.16	65.30
खान दुर्घटना में निधन के मामले में आश्रितों को क्षतिपूर्ति	32.27	12.46	44.73
योग	5271.66	467.01	5738.67

बीमांकक के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

बीमांकक के प्रमाणपत्र के अनुसार ग्रेच्युटी (निधिक) एवं अवकाश नकदीकरण (निधिक) के लिए कर्मचारी लाभ हेतु प्रकटीकरण नीचे दर्शित है -

दिनांक 31.03.2020 को ग्रेच्युटी एवं अर्जित अवकाश/अर्ध वैतनिक अवकाश देयता का बीमांकिक मूल्यांकन

इंड एएस 19 के अनुसार प्रकटीकरण

(रू. करोड़ में)

तालिका 1 : प्रकटीकरण मद	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
पिछले मूल्यांकन के समय दायित्व का वर्तमान मूल्य	4361.42	4381.63	607.38	614.29
चालू सेवा लागत	191.79	173.14	162.22	152.80
ब्याज लागत	262.61	310.33	33.91	36.64
भागीदार योगदान	-	-	-	-
योजना संशोधन : अवधि के अंत में निहित भाग (पिछली सेवा)	-	-	-	-
वित्तीय अभिधारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	240.56	39.24	50.11	6.74
जनसांख्यिकीय अभिधारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-
अनापेक्षित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	252.08	(0.28)	109.21	54.93
अन्य कारणों की वजह से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-
विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	765.04	542.64	187.31	258.02
अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
दायित्व का निपटान/अंतरण	-	-	-	-
कांटछांट लागत	-	-	-	-
व्यवस्थापन लागत	-	-	-	-
अन्य (मूल्यांकन तिथि के अंत में अनिश्चित देयता)	-	-	-	-
मूल्यांकन तिथि को दायित्व का वर्तमान मूल्य	4,543.42	4,361.42	775.52	607.38

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

(रू. करोड़)

तालिका 2: प्रकटीकरण मद	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
अवधि के प्रारंभ में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	4,227.60	3,258.87	201.48	431.18
ब्याज आय	279.02	246.05	13.30	32.55
नियोक्ता अंशदान	484.82	1,206.55	301.65	-
भागीदार अंशदान	-	-	-	-
अधिग्रहण/व्यवसाय संयोजन	-	-	-	-
व्यवस्थापन लागत	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	765.04	542.64	187.31	258.02
परिसम्पत्ति की सीमा का प्रभाव	-	-	-	-
विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	-
प्रशासनिक व्यय और बीमा प्रीमियम	-	-	-	-
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसम्पत्ति पर प्रत्यावर्तन/लाभ	21.68	58.77	2.51	(4.23)
मापन अवधि के अंत में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	4,248.08	4,227.60	331.63	201.48

(रू. करोड़)

तालिका 3: प्रकटीकरण मद	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
तुलन पत्र में समाधान दर्शाने वाली तालिका	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
निधिक स्थिति	(295.34)	(133.82)	(443.89)	(405.90)
अमान्य पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
अवधि के अंत में अमान्य बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-
पोस्ट मेजरमेंट दिनांक को नियोक्ता का योगदान (अपेक्षित)	-	-	-	-
अनिधिक प्रोद्भूत/पूर्वदत्त पेंशन लागत	-	-	-	-
निधि परिसम्पत्ति	**4248.08**	**4227.60**	**331.63**	**201.48**
निधि देयता	**4543.42**	**4361.42**	**775.52**	**607.38**

(रू. करोड़ में)

तालिका 4: प्रकटीकरण मद	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
योजनागत अभिधारणा दर्शाने वाली तालिका	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
छूट दर	6.60%	7.55%	6.60%	7.55%
योजनागत परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित लाभ	6.60%	7.55%	लागू नहीं	लागू नहीं
क्षतिपूर्ति-वृद्धि का दर (वेतन वृद्धि)				
- अधिकारी	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

तालिका 4: प्रकटीकरण मद	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
योजनागत अभिधारणा दर्शाने वाली तालिका	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
- कर्मचारी	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%
पेंशन वृद्धि दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
औसत संभावित भविष्यगत सेवा (शेष कार्यशील जीवन)	10	10	10	10
देयताओं की औसत अवधि	10	10	10	10
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम 2006-2008 अंतिम	आईएएलएम 2006-2008 अंतिम	आईएएलएम 2006-2008 अंतिम	आईएएलएम 2006-2008 अंतिम
अधिवर्षिता आयु - पुरूष	60	60	60	60
अधिवर्षिता आयु - महिला	60	60	60	60
पूर्वतम सेवानिवृत्ति एवं दिव्यांगता (सभी संयुक्त कारण)	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%

(रू. करोड़ में)

तालिका 5: प्रकटीकरण मद	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
लाभ/हानि के विवरण में मान्य व्यय	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
चालू सेवा लागत	191.79	173.14	162.22	152.80
पिछली सेवा लागत (निहित)	-	-	-	-
पिछली सेवा लागत (गैर-निहित)	-	-	-	-
निवल ब्याज लागत	(16.41)	64.28	20.61	4.09
व्यवस्थापन पर लागत (हानि/(लाभ)	-	-	-	-
कांटछाट पर (हानि/(लाभ) लागत	-	-	-	-
केवल पिछले वर्ष के लिए लागू बीमांकिक लाभ हानि	-	-	156.81	65.90
कर्मचारी अपेक्षित योगदान	-	-	-	-
विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का निवल प्रभाव	-	-	-	-
लाभ लागत (लाभ/हानि विवरण में मान्य व्यय)	**175.38**	**237.42**	**339.64**	**222.79**

तालिका 6: प्रकटीकरण मद	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
अन्य व्यापक आय	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
वित्तीय अभिधारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	240.56	39.24	-	-
जनसांख्यिकीय अभिधारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-
अप्रत्याशित बहुदर्शिता/अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	252.08	(0.28)	-	-

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

तालिका 6: प्रकटीकरण मद	**ग्रेच्युटी**		**अवकाश नकदीकरण**	
अन्य व्यापक आय	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
अन्य कारणों की वजह से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-
कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	492.64	38.96	-	-
योजनागत परिसम्पत्ति पर लाभ, ब्याज आय को छोड़कर	21.68	58.77	-	-
परिसम्पत्ति की सीमा का प्रभाव	-	0.00	-	-
अवधि के अंत में शेष	470.96	(19.81)	-	-
ओसीआई में मान्य अवधि के लिए निवल (आय)/व्यय	**470.96**	**(19.81)**	**-**	**-**

तालिका 7: प्रकटीकरण मद	
मृत्यु-दर तालिका	
आयु	**मृत्यु-दर (प्रतिवर्ष)**
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.017009
70	0.025855

तालिका 8: प्रकटीकरण मद	**ग्रेच्युटी**		**अवकाश नकदीकरण**	
	31.03.2020		**31.03.2020**	
संवेदनशीलता विश्लेषण	**वृद्धि**	**कमी**	**वृद्धि**	**कमी**
छूट दर (-/+0.5 प्रतिशत)	4,413.94	4,680.27	748.36	804.59
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में प्रतिशत में बदलाव	-2.850%	3.012%	-3.502%	3.748%
वेतन बढ़ोतरी (-/+0.5 प्रतिशत)	4,611.26	4,469.99	804.08	748.58
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में प्रतिशत में बदलाव	1.493%	-1.618%	3.682%	-3.474%
कमतर दर (-/+0.5 प्रतिशत)	4,546.29	4,540.56	776.99	774.05
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में प्रतिशत में बदलाव	0.063%	-0.063%	0.190%	-0.190%
मृत्युदर (-/+10 प्रतिशत)	4,566.64	4,520.21	779.52	771.52
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में प्रतिशत में बदलाव	0.511%	-0.511%	0.516%	-0.516%

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

(रू. करोड़)

वर्ष	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
1	**706.77**	**78.61**
2	609.48	86.22
3	598.87	86.35
4	537.90	87.97
5	534.44	94.17
6 से 10	2081.63	381.46
10 वर्ष से अधिक	2213.22	610.11
पिछली व भविष्यगत सेवा से संबंधित कुल गैर-छूटयुक्त भुगतान		
पिछली सेवा से संबंधित कुल गैर-छूटयुक्त भुगतान	728.23	1424.89
ब्याज के लिए कम छूट	273.89	649.37
अनुमानित लाभ बाध्यता	**454.34**	**775.52**

(रू. करोड़)

अंतिम मापन में योजनागत परिसम्पत्ति पर अपेक्षित प्रत्यावर्तन/ लाभ दर्शाने वाला विवरण	**ग्रेच्युटी**		**अवकाश नकदीकरण**	
	31.03.2020	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
चालू देयता	684.54	635.84	76.14	61.75
गैर-चालू देयता	3858.88	4361.43	699.38	545.63
निवल देयता	4543.42	4361.43	775.52	607.38

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ/सुविधा

कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। अधिकारी एवं गैर-अधिकारी के लिए अलग-अलग सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना सुविधा है। दिनांक 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त अधिकारियों के चिकित्सा लाभ हेतु योजना को अधिकारी ट्रस्ट के लिए पृथक अभिदाता सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना के माध्यम से प्रबंधित/व्यवस्थित किया गया है। चिकित्सा लाभ के लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

कंपनी ने सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ के लिए अधिकारियों हेतु सीआईएल में बनाए गए सीपीआरएमएस निधि में रू. 106.24 करोड़ (रू. 106.24 करोड़) अंशदान दिया है । आगे, कंपनी ने दिनांक 01.01.2007 के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों हेतु सेवानिवृत्त पश्चात चिकित्सा लाभ के लिए सीआईएल में बनाए गए सीपीआरएमएस निधि के संबंध में रू. 19.59 करोड़ (रू.19.59 करोड़) का अंशदान दिया ।

पेंशन

कंपनी की अपने कर्मचारियों के लिए एक पारिभाषित योगदान पेंशन योजना है जो सीआईएल अधिकारी पारिभाषित योगदान पेंशन योजना 2007 ट्रस्ट के माध्यम से प्रबंधित है। दिनांक 31.03.2020 को उपलब्ध निधि की स्थिति रू. 353.14 करोड़ (रू.180.91 करोड़) तथा दिनांक 31.03.2020 को इस हेतु गैर-निधिक देयता रू. 25.22 करोड़ (रू.141.58 करोड़) है।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

4. अस्वीकार्य मदें :

क. आकस्मिक देयताएं, प्रतिबद्धता व आकस्मिक परिसम्पत्तियां (इंड एएस-37)

i) आकस्मिक देयताएं : कम्पनी के विरूद्ध विभिन्न फोरम में निम्नलिखित अर्जी/याचिका लंबित है। वित्तीय समाघात, जहां कहीं उपलब्ध है, उसे नीचे आकस्मिक देयताओं के अधीन लिया गया है, हालांकि, अन्य मामलों के लिए, प्रबंधन ने कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण समाघात नहीं देखा है।

(रू. करोड़ में)

स. क्रं	विवरण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार एवं अन्य हल्का	सीपीएसई	अन्य	कुल
1	01.04.2019 को प्रारंभिक	11295.53	721.66	49.03	580.34	12646.56
2	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	1338.95	59.69	-	135.98	1534.62
3	वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे					
	क. प्रारंभिक शेष से	356.89	5.67	-	103.49	466.05
	ख. वर्ष के दौरान जोड़े गए दावे	-	-	-	-	-
	ग.वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल दावे (क+ख)	356.89	5.67	-	103.49	466.05
4	31.03.2020 को शेष	12277.59	775.68	49.03	612.83	13715.13

आकस्मिक देयताओं का विस्तृत विवरण नीचे दर्शित है -

(रू. करोड़)

स. क्रं	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1	केन्द्रीय सरकार		
	आयकर	11550.19	10595.79
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	438.69	433.29
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	-
	केन्द्रीय विक्रय कर	-	-
	सेवा कर	288.71	266.45
	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-
	उप-योग	**12277.59**	**11295.53**
2	राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी		
	रायल्टी	242.89	242.89
	पर्यावरण अनुमति	-	-
	विक्रय कर/वैट	232.74	196.04
	प्रवेश कर	298.94	281.63
	विद्युत शुल्क	-	-
	एमएडीए	-	-
	अन्य (सम्पत्ति करं)	1.10	1.10
	उप-योग	**775.67**	**721.66**

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

स. क्रं	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
3	**केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम**		
	विवाचन कार्यवाही	-	-
	मुकदमेबाजी के अंतर्गत कंपनी के विरूद्ध याचिका	-	-
	अन्य (ऋणी द्वारा दावा)	49.03	49.03
	उप - योग	**49.03**	**49.03**
4	**अन्य : (यदि कोई हो)**		
	विविध - कंपनी के विरूद्ध याचिका जोकि ऋण के रूप में स्वीकार्य नहीं है	612.84	580.34
	उप - योग	612.84	580.34
	पूर्ण योग	**13715.13**	**12646.56**

ii) तुलन पत्र तारीख को बकाया साख-पत्र राशि रू. 7409.07 करोड़ (रू. 35.26 करोड़) ।

iii) कम्पनी ने रू. 24.42 करोड़ (रू. 25.13 करोड़) की बैंक गारंटी कम्पनी की चालू परिसम्पत्तियों पर चल पूंजी प्रभार (फ़्लोटिंग चार्ज) के लिए दिया है ।

iv) कलेक्टर-रायगढ़, कोरबा एवं कोरिया ने पर्यावरण अनुमति, खनन प्लान एवं एमएमडीआर अधिनियम आदि की धारा 21 (5) की अधिकतम सीमा से परे अधिक उत्पादन के लिए रू. 10182.63 करोड़ की मांग से संबंधित कारण बताओ/मांग सूचना जारी की है। कुछ नोटिसों के उत्तर/अपील संबंधित कलेक्टरों को जमा/प्रस्तुत किए गए तथा कुछ के उत्तर विधिक टिप्पणी के लिए प्रक्रियाधीन है।

ख. प्रतिबद्धता :

(i) पूंजीगत लेखा पर निष्पादित की जाने वाली बकाया राशि,जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया है,रू.1012.44 करोड (रू.964.53 करोड़) है।

(ii) राजस्व लेखा पर निष्पादित की जाने वाली बकाया राशि,जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया है,रू.4387.71 करोड़ (रू. 3204.51 करोड़) है।

ग. अन्य मामले :

(i) हसदेव क्षेत्र में यात्रा देयक बिलों के जालसाजी/अतिरिक्त भुगतान के कुछ मामले प्रकाश में आए थे। आंतरिक अंकेक्षण विभाग/सतर्कता विभाग द्वारा विस्तृत जांच-पड़ताल करने पर वर्ष 2005-06 से जुलाई, 2012 तक लगभग 0.37 करोड़ के यात्रा देयक बिलों के संबंध में अतिरिक्त/अनियमित भुगतान किए जाने की जानकारी मिली । इस संबंध में गलती करने वाले कर्मचारी (स्टॉफ) के विरूद्ध विभागीय जांच कार्रवाई पहले ही प्रारंभ कर दी गई तथा इसमें शामिल व्यक्तियों/कर्मियों अर्थात एक कैशियर और एक लागत सहायक को निलंबित कर दिया गया। इस जांच-पड़ताल के आधार पर इस मामले को सीबीआई, भिलाई को अग्रेषित कर दिया गया है । मामले के ट्रायल के लिए सीबीआई, रायपुर के स्पेशल कोर्ट से दण्ड अवार्ड किया गया है ।

(ii) सोहागपुर क्षेत्र में एक लिपिक द्वारा वेतन/मजदूरी बिल में किए गए रू. 0.16 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें से रू. 0.09 करोड़ की राशि उसके द्वारा जमा कर दी गई है। अभी तक शेष राशि की वसूली नहीं हो पाई है । इसमें शामिल व्यक्ति को सेवा से निष्कासित किया जा चुका है। इस मामले की सीबीआई, जबलपुर के द्वारा छानबीन की जा रही है तथा यह सीबीआई ट्रायल कोर्ट जबलपुर में ट्रायल, अभियोजन साक्ष्य स्तर के अधीन है ।

(iii) बिश्रामपुर क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसी को रू. 1.21 करोड़ अधिक भुगतान करने की जानकारी प्राप्त हुई। यह मामला सीबीआई, रायपुर में है तथा यह ट्रायल स्तर पर है।

(iv) कोरबा क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसी को 0.32 करोड़ अधिक भुगतान करने की जानकारी प्राप्त हुई। यह मामला सीबीआई, रायपुर में है तथा यह ट्रायल स्तर पर है ।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

v) जमुना कोतमा क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों को रू.1.40 करोड़ अधिक भुगतान करने की जानकारी प्राप्त हुई। यह मामला सीबीआई, जबलपुर में है तथा यह ट्रायल के अधीन, अभियोग साक्ष्य स्तर पर है।

vi) जोहिला क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों को रू. 1.10 करोड़ अधिक भुगतान करने की जानकारी प्राप्त हुई। यह मामला सीबीआई, जबलपुर में है तथा यह ट्रायल प्री-चार्ज स्तर पर है ।

vii) बिश्रामपुर क्षेत्र के अमेरा खुली खदान में अधिभार ठेकेदार के नियोजन/तैनाती में अनियमितता के अंतर्गत रू.0.28 करोड़ का भुगतान शामिल है। यह मामला सीबीआई, रायपुर में छानबीन के अधीन है ।

5. अन्य सूचना

क. सरकारी सहायता (इंड एएस-20) (टिप्पणी सं.-24 को संदर्भित करें)

कोयला नियंत्रक विकास प्राधिकारी से राजस्व स्वरूप के कार्यों के लिए प्राप्त रू. 0.76 करोड़ (रू. 7.64 करोड़) के अनुदान/आस्थगित अनुदान को अन्य आय के अधीन दर्शाया गया है।

ख. प्रावधान

दिनांक 31.03.2020 को, विभिन्न प्रावधानों की स्थिति एवं प्रवृत्ति का बीमांकिक मूल्यांकन कर्मचारी लाभ से संबंधित मामलों को छोड़कर किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

(रू. करोड़ में)

प्रावधान	टिप्पणी संख्या	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान राईट-बैक/ समायोजन	अन-वाईंडिंग छूट	इति शेष
सम्पत्ति,संयंत्र और उपस्कर	3					
परिसम्पत्तियों के अवमूल्यन एवं हानि-कमी के लिए प्रावधान		2,914.91	764.73	0.06	-	3,679.70
पूंजीगत कार्य में प्रगति :	4					
पूंजीगत कार्य में प्रगति के लिए :		16.95	1.19	(6.24)	-	11.90
अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसम्पत्तियां :	5					
प्रावधान एवं हानि-कमी		-	-	-	-	
अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	6					
प्रावधान एवं हानि-कमी		-	-	-	-	
ऋण :	8					
संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान		0.07	-	-	-	0.07
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	9					
जमा		-	-	-	-	-
प्राप्य योग्य दावे		7.13	-	(0.71)	-	6.42
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	9					
प्राप्य योग्य दावे		-	-	-	-	-
अन्य प्राप्य योग्य		2.97	-	- 1.48	-	1.49
अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	10					

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

प्रावधान	टिप्पणी संख्या	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान राईट-बैंक/ समायोजन	अन-वाईंडिंग छूट	इति शेष
पूंजीगत अग्रिम		0.45	-	-	-	0.45
राजस्व के लिए अग्रिम		**0.79**	-	(0.02)	-	0.77
अन्य चालू परिसम्पत्तियां :	**10**					
राजस्व के लिए अग्रिम	**-**	-	-	-		-
अन्य प्राप्य	**-**	-	-	-		-
सम्पत्ति सूची :	**12**					
कोयले का भण्डार	**-**	-	-	-		-
स्टोर्स एवं स्पेयर्स का भण्डार		58.77	-	(6.89)		51.88
व्यापारिक प्राप्य :	**13**					
अशोध्य एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान		292.90	92.89	0.00		385.79
गैर-चालू प्रावधान	**21**					
कर्मचारी लाभ						
- ग्रेच्युटी	**-**	-	-	-	-	
- अवकाश नकदीकरण		346.34	26.91	-	-	373.25
- अन्य कर्मचारी लाभ		312.43	163.34	-	-	475.77
स्थल भराई/माईन क्लोजर		1,213.37	80.47	(10.13)	-	1,283.71
स्ट्रीपिंग कार्यकलाप समायोजन		10,052.23	1,636.66	-	-	11,688.89
अन्य		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
चालू प्रावधान :	**21**	**-**	**-**			
- ग्रेच्युटी		133.82	170.74	(9.22)	-	295.34
- अवकाश नकदीकरण		61.75	14.40	0.00	-	76.15
- अनुग्रह राशि		331.08	26.51	0.00	-	357.59
- कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन		169.46	49.09	-	-	218.55
- अन्य कर्मचारी लाभ		183.06	-	(89.03)	-	94.03
- एनसीडब्लूए - X		-	-	-	-	-
- तृतीय वेतन पुनरीक्षण - अधिकारी		-	-	-	-	-
माईन क्लोजर		-	-	-	-	-
कोयले के इति भण्डार पर उत्पाद शुल्क हेतु		-	-	-	-	-
कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता के लिए प्रावधान		**-**	-	-	-	-
अन्य		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

(ग) निम्नलिखित के अधीन प्रति शेयर अर्जन :

i) निवल लाभ

स.क्रं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	इक्विटी अंशधारकों को रोप्य कर पश्चात निवल लाभ	1719.16	3611.37
ii)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	6680561	7100786
iii)	रूपए में प्रति शेयर मूल एवं तरलीकृत अर्जन (अंकित मूल्य रू. 1000/- प्रति शेयर)	2573.38	5085.87

(घ) सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण

➢ **कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी निम्नलिखित अनुषंगी कम्पनियां**

1) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)

2) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)

3) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)

4) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्लूसीएल)

5) नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)

6) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)

7) सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

➢ **संयुक्त उद्यम कम्पनियां**

1) छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड

2) छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड

➢ **रोजगार पश्चात लाभ निधि**

1) एलआईसीआई के साथ समूह उपदान नकद संचयन योजना (ग्रुप ग्रेच्युटी कैश एक्युमुलेशन प्लान)

2) एलआईसीआई के साथ नई उपदान नकद संचयन योजना (न्यू ग्रुप ग्रेच्युटी कैश एक्युमुलेशन प्लान) (01.04.2014 पश्चात कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के लिए)

3) एलआईसीआई के साथ नई समूह अवकाश नकदीकरण योजना (न्यू ग्रुप लीव इंकेशमेंट स्कीम)

4) कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)

5) अधिकारी ट्रस्ट के लिए अभिदाता सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (कंट्रीब्यूटरी पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम फॉर एक्जीक्यूटिव ट्रस्ट)

6) सीआईएल अधिकारी पारिभाषित योगदान पेंशन योजना-2007 (सीआईएल एक्जीक्यूटिव डिफाईंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम-2007)

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

➢ **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (अवधि 2019-20)**

नाम	पदनाम	कैफियत
श्री ए.पी. पण्डा	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	28.12.2018 से
डा. आर.एस. झा	निदेशक (कार्मिक)	29.09.2014 से
श्री आर.के. निगम	निदेशक (तकनीकी) संचालन	01.05.2019 से
श्री एम.के. प्रसाद	निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना	18.06.2019 से
श्री आर.के. निगम	निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना	28.12.2018 से 30.04.2019 तक
श्री कुलदीप प्रसाद	निदेशक (तकनीकी) संचालन	01.06.2016 से 30.04.2019 तक
श्री संजीव सोनी	निदेशक (वित्त)	04.04.2019 से 10.07.2019 तक
श्री एन.के. अगरवाला	निदेशक (वित्त)	16.08.2019 से 11.10.2019 तक
श्री एस.एम.चौधरी	निदेशक (वित्त)	12.10.2019 से
श्री एस.एम. युनुस	कम्पनी सचिव	17.08.2010 से

सरकार नामित एवं स्वतंत्र निदेशक

नाम	पदनाम	कैफियत
श्री आर.के. सिन्हा	अंशकालिक कार्यालयीन/सरकार नामित निदेशक	29.11.2019 से
श्री संजीव सोनी	अंशकालिक कार्यालयीन/सरकार नामित निदेशक	29.10.2019 से
श्री आशीष उपाध्याय	अंशकालिक कार्यालयीन/सरकार नामित निदेशक	11.01.2019 से 28.11.2019 तक
श्री एस.एन. प्रसाद	अंशकालिक कार्यालयीन/सरकार नामित निदेशक	10.12.2018 से 28.10.2019 तक
सीए श्री एस.के. देशपांडे	अंशकालिक गैर-कार्यालयीन/स्वतंत्र निदेशक	25.07.2019 से
डा. सुनील कुमार	अंशकालिक गैर-कार्यालयीन/स्वतंत्र निदेशक	17.11.2018 से 16.11.2019 तक
डा. बी.एस. सहाय	अंशकालिक गैर-कार्यालयीन/स्वतंत्र निदेशक	17.11.2018 से 16.11.2019 तक
सीए श्री विनोद जैन	अंशकालिक गैर-कार्यालयीन/स्वतंत्र निदेशक	19.02.2019 से 16.11.2019 तक

अनुषंगियों के अन्य केएमपी

1. श्री आर.के. निगम, चेयरमैन
2. डा. आर.एस. झा, निदेशक
3. श्री एम.के. प्रसाद, निदेशक (19.07.2019 से)
4. श्री कुलदीप प्रसाद, निदेशक (30.04.2019 तक)
5. श्री एम.के. सिंह, निदेशक (01.11.2019 से)
6. श्री दीपक सभलोक, निदेशक
7. श्री एस.एल. गुप्ता, निदेशक
8. श्री अरूण प्रसाद पलानीसामी, निदेशक
9. श्री अभिजीत नरेन्द्र, निदेशक

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

10. श्री शैलेश कुमार मिश्रा, निदेशक
11. श्री जगतानंद झा, मुख्य कार्य पालन अधिकारी
12. श्री रजनीश नारायण, मुख्य वित्त अधिकारी
13. श्री विनीत कुमार सिंह, सीएफओ
14. श्री आनन्द ए. जोसेफ, कम्पनी सचिव
15. श्री अनुप अग्रवाल, कम्पनी सचिव

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

(रू. करोड़)

स.क्रं.	अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक एवं कम्पनी सचिव को पारिश्रमिक	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	**अल्पकालिक कर्मचारी लाभ (एसटीबी)**		
	समग्र वेतन	2.99	2.21
	चिकित्सा लाभ	-	-
	अनुलाभ एवं अन्य लाभ	0.51	0.22
	अवकाश का नकदीकरण	0.38	0.13
	ग्रेच्युटी एवं अवकाश का प्रावधान (बीमांकिक)	0.06	0.05
ii)	**रोजगार पश्चात लाभ**		
	पीएफ एवं अन्य निधि में अंशदान	0.78	0.34
iii)	**पर्यवसान (टर्मिनेशन) लाभ**	**-**	**-**
	कुल	**4.72**	**2.95**

टिप्पणी:

(i) उपर्युक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को सेवा-शर्तों के अनुसार प्रतिमाह रू. 2000/- भुगतान करने पर 1000 कि.मी. की अधिकतम सीमा तक निजी यात्रा के लिए कार उपयोग करने की अनुमति दी गई है ।

स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

(रू. करोड़)

स.क्रं.	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1	बैठक शुल्क	0.12	0.19

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

31.03.2020 को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पास बकाया शेष

स.क्रं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	देय राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ii)	प्राप्य राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं

समूह के भीतर सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार

एसईसीएल ने अपनी अनुषंगियों (सीईआरएल एवं सीईडब्लूआरएल) तथा कोल इंडिया लिमिटेड (समूह) के साथ संव्यवहार किया है, जिसमें अपैक्स प्रभार, पुनर्वास प्रभार, लीज किराया, अनुषंगियों द्वारा रखी गई निधि पर ब्याज, आईआईसीएम प्रभार तथा सीआईएल के साथ चालू खाता के माध्यम से सीआईएल की ओर से या उसके द्वारा तथा सीईआरएल एवं सीईडब्लूआरएल की ओर से या उनके द्वारा उनकी चालू खाता के माध्यम से हुआ अन्य व्यय है।

इंड एएस 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण संव्यवहार की राशि एवं प्रकृति के संबंध में प्रकटीकरण निम्नलिखित है-

(रू. करोड़)

संबंधित पार्टी का नाम	अपैक्स प्रभार	पुनर्वास प्रभार	प्रदत्त लाभांश	लीज किराया	सीआईएल के पास रखी निधि पर ब्याज	चालू लेखा शेष	
						प्राप्य	देय
कोल इंडिया लिमिटेड	150.55	85.16	1617.52	1.80	-	1.16	0.00
	(157.35)	(93.62)	(2326.61)	(1.80)		(0.00)	(27.83)

संयुक्त उद्यम अनुषंगियों का नाम	इक्विटी अंशदान	ऋण	चालू लेखा शेष	
			प्राप्य	देय
छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	121.47	0.00	0.44	0.00
	(96.00)	(0.00)	(0.40)	(0.00)
छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल)	0.00	45.00	0.44	0.00
	(0.00)	(51.00)	(0.40)	(0.00)
कुल	**121.47**	**45.00**	**0.88**	**0.00**
	(96.00)	**(51.00)**	**(0.80)**	**(0.00)**

कोल इंडिया से पट्टा :

कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कम्पनी) ने कोलकाता में दानकुनी कोल काम्पलैक्स की लीज भूमि, भवन और संरचनाओं, संयंत्र और मशीनरी पर 01.04.1995 से निर्माण और अपने उत्पादों सहित गैस व उप उत्पादों को बेचने का पूर्ण अधिकार दिया है । दिनांक 01.04.2016 से सीआईएल को देय लीज किराया रू. 1.80 करोड़ प्रतिवर्ष है।

उसी सरकार के नियंत्रणाधीन कम्पनियां

कंपनी सरकार से संबंधित कंपनी होने के नाते सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार और नियंत्रित सरकार और उसी सरकार के अधीन एक अन्य कंपनी के साथ शेष बकाया राशि के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण से मुक्त होती है। निम्नलिखित संव्यवहार/लेनदेन को उसी सरकार के नियंत्रण में कंपनी के साथ आर्म लेंग्थ प्राईज पर दर्ज किया गया है ।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

कम्पनी (इंटिटी) का नाम	लेनदेन/व्यवहार	31.03.2020 को समाप्त अवधि	31.03.2019 को समाप्त अवधि
एनटीपीसी	कोयले की बिक्री (शुद्ध लेवी)	5110.28	5734.53

(च) पट्टा (इंड एएस-17) :

i) भवन- (अपोलो हास्पिटल) :

कम्पनी ने मेसर्स अपोलो हास्पिटल इंटरप्राईजेज लिमिटेड,चेन्नई के साथ किए गए अनुज्ञा-अनुबंध दिनांक 19.03.2001 के मुताबिक 2,97,099.74 वर्ग फीट (27611.50 वर्ग मी0) में पूर्ण रूप से निर्मित मुख्य अस्पताल भवन तथा 55,333 वर्ग फीट (5142.47 वर्ग मी.) में निर्मित आवासीय क्वार्टर व उसके साथ जमीन पर निर्मित अन्य संरचना जैसे सब-स्टेशन भवन, अशुद्ध जल शुद्धिकरण संयंत्र एवं पम्प हाउस को अपने अधिकार में लेने व प्रयोग करने का अधिकार दिया है।

अनुज्ञा अनुबंध, नवम्बर, 2001 अर्थात पट्टा प्रारंभ होने की प्रभावी तिथि से 30 वर्षों की पट्टा-अवधि के लिये है।

अपोलो हास्पिटल द्वारा देय पट्टा किराया का लेखा-जोखा अनुबंध के अनुसार किया जाता है। अनुबंध के अनुसार, तुलन पत्र तारीख को मुख्य अस्पताल भवन के लिए अपोलो हास्पिटल से प्राप्य पट्टा किराया प्रतिमाह रू.4/- प्रतिवर्ग फीट (रू. 4/- प्रतिवर्ग फीट प्रतिमाह) की दर पर प्रतिमाह रू.1.43 करोड़ या अनुज्ञप्तिधारी को अस्पताल के इस डिवीजन के संचालन से प्राप्त निवल लाभ का 1/3, जो भी अधिक हो, है । यह आवासीय मकानों के लिए रू. 2/- प्रतिवर्ग फीट (रू. 2 प्रतिवर्गफीट प्रतिमाह) की दर पर रू. 0.13 करोड़ प्रतिमाह होता है। तुलन पत्र तारीख को समाप्त वर्ष हेतु अपोलो अस्पताल द्वारा रू. 1.17 करोड़ (रू. 1.17 करोड़) राशि का भुगतान पट्टा किराया के रूप में किया गया, जो न्यूनतम किराया है।

अपोलो हास्पिटल इंटरप्राईजेज लिमिटेड को पट्टे पर दी गई समग्र सम्पत्ति की लागत जिसे स्थायी परिसम्पत्ति की अनुसूची के अधीन दर्शाया गया है वह रू. 31.32 करोड़ (रू. 31.32 करोड़) है तथा तुलन पत्र तारीख को संचित अवमूल्यन 11.36 करोड़ (रू. 10.82 करोड़) है, लाभ और हानि विवरण में मान्य मूल्यहास रू. 0.54 करोड़ (रू 0 0.54 करोड़) है ।

31.03.2020 को समस्त प्राप्य आगामी न्यूनतम पट्टा किराया रू. 17.13 करोड़ (रू. 18.69 करोड़) होता है, निम्नलिखित प्रत्येक की अवधि नीचे दी गई है :

(रू. करोड़ में)

		31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
(i)	एक वर्ष के अंदर	1.56	1.56
(ii)	एक वर्ष के बाद तथा पांच वर्ष के अंदर	6.23	6.23
(iii)	पांच वर्ष के बाद तथा पट्टा अवधि तक	9.34	10.90

लाभ व हानि लेखा में आय के रूप में कोई आकस्मिक किराया मान्य नहीं किया जाता है।

ii) रेलवे सायडिंग :

(क) कंपनी ने मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशंस प्रायवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ निष्पादित अनुज्ञा अनुबंध दिनाक 03.01.2007 एवं 16.05.2008 के निबंधन में दिनांक 23.05.2006 से 20-वर्षो की अवधि के लिये पट्टे पर गेवरा क्षेत्र में पूर्णतः निर्मित रेलवे सायडिंग जूनाडीह नं.-3 के उपयोग का अधिकार-पत्र प्रदान किया है। चालू अवधि/वर्ष के लिए 1.81 करोड़ (1.65 करोड़) पट्टा किराया प्राप्य है/प्राप्त हुआ।

(ख) कम्पनी ने मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशंस प्रायवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ निष्पादित अनुज्ञा अनुबंध दिनांक 03.01.2007 एवं 16.05.2008 के निबंधन में दिनांक 23.08.1999 से 20-वर्षो की पट्टा-अवधि के लिए गेवरा क्षेत्र में पूर्णतः निर्मित रेलवे सायडिंग जूनाडीह नं.-4 के उपयोग का अधिकार पत्र प्रदान किया है। चालू अवधि/वर्ष के लिए रू. 1.84 करोड़ (1.67 करोड़) पट्टा किराया प्राप्य है/प्राप्त हुआ । लीज-अनुबंध का नवीनीकरण प्रक्रियाधीन है ।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

(ग) कम्पनी ने मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड (जिसे औपचारिक रूप से एसटीसीएलआई कोल वाशरी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) के साथ निष्पादित पट्टा अनुबंध दिनांक 15.10.2007 के निबंधन में पत्र सं. 13-14/81 दिनांक 18.07.14 के तहत अक्टूबर, 2007 से 30-वर्षों की प्रयुक्त पट्टा-अवधि के लिए पूर्णतः निर्मित रेलवे सायडिंग लाईन नं.-2 दीपका क्षेत्र के उपयोग का अधिकार पत्र प्रदान किया है । चालू वर्ष/अवधि के लिए रू. 2.09 करोड़ (रू.1.90 करोड़) पट्टा किराया प्राप्य है/प्राप्त हुआ।

(घ) पट्टे पर दी गई परिसम्पत्ति (जूनाडीह-3,4), जिसका मूल्य तुलन-पत्र तारीख को रू. 80.19 करोड़ (रू. 8.02 करोड़) निर्धारित है तथा संचित मूल्यह्रास रू. 16.48 करोड़ (रू. 7.57 करोड़) है, अवधि के लिये लाभ और हानि विवरणी में मान्य मूल्यह्रास रू. 7.02 करोड़ (0.01 करोड़) है।

(ड.) मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड (जिसे औपचारिक रूप से एसटीसीएलआई कोल वाशरी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को रू. 19.21 करोड़ की परिसम्पत्तियां पट्टे पर (लाईन नं.-2) दी गई, जिसका तुलन-पत्र तारीख को संचित मूल्यह्रास रू. 13.74 करोड़ (रू. 12.93 करोड़) है ।

वर्ष के अंत में समस्त प्राप्य आगामी न्यूनतम पट्टा किराया रू0 117.24 करोड़ (रू.118.93 करोड़) होता है, निम्नलिखित के प्रत्येक की अवधि नीचे दी गयी है :

(रू. करोड़ में)

अवधि	31.03.2020 तक				31.03.2019 तक
	जूनाडीह सायडिंग-3 (ए)	जूनाडीह सायडिंग-4 (बी)	लाईन नं. 2 (डी)	कुल	
एक वर्ष के अंदर	3.81	1.11	2.30	7.22	4.62
एक वर्ष के बाद तथा पांच वर्ष के अंदर	10.18	-	11.73	21.91	19.91
पांच वर्ष के बाद तथा पट्टा अवधि तक	3.71	-	84.40	88.11	94.40
	17.70	**1.11**	**98.43**	**117.24**	**118.93**

लाभ व हानि लेखा में आय के रूप में कोई आकस्मिक किराया मान्य नहीं किया जाता है।

iii) भूमि :

कम्पनी ने मेसर्स गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वडोदरा, गुजरात के साथ निष्पादित अनुज्ञा अनुबंध दिनांक 17.10.2005 के निबंधन में दिनांक 17.10.2005 से 20-वर्षों की अवधि के लिए गेवरा क्षेत्र में पूर्णतः निर्मित रेलवे सायडिंग जूनाडीह लाईन नं.-5 के उपयोग का अधिकार-पत्र प्रदान किया है। चालू अवधि/वर्ष के लिए रू. 1.11 करोड़ (रू. 1.01 करोड़) पट्टा किराया प्राप्त किया गया।

कम्पनी ने मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड (जिसे औपचारिक रूप से एसटीसीएलआई कोल वाशरी लिमिटेड नाम से जाना जाता है) के साथ निष्पादित पट्टा अनुबंध के निबंधन में दिनांक 01.11.1996 से 30-वर्षों की अवधि के लिए दीपका परियोजना में सायडिंग की सुविधा तथा वाशरी निर्माण के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार पत्र पट्टे पर प्रदान किया है। चालू वर्ष/अवधि के दौरान रू. 3.21 करोड़ (रू. 2.92 करोड़) पट्टा किराया प्राप्त हुआ/प्राप्य है ।

मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड (जिसे औपचारिक रूप से एसटीसीएलआई कोल वाशरी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों के भूमि का मूल्य रू. 0.82 करोड़ (0.83 करोड़) है तथा तुलन पत्र तारीख को संचित मूल्यह्रास रू. 0.50 करोड़ (रू. 0.42 करोड़) है।

वर्ष के अंत में एकीकृत रूप में प्राप्य आगामी न्यूनतम पट्टा किराया रू. 38.68 करोड़ (रू. 39.96 करोड़) होता है, निम्नलिखित के प्रत्येक की अवधि नीचे दी गई है :

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

(रू. करोड में)

	अवधि	31.03.2020 तक			31.03.2019 तक
		जूनाडीह सायडिंग-5 के लिए भूमि (क)	वाशरी एवं सायडिंग के लिए भूमि (ख)	कुल (क+ख)	
(i)	एक वर्ष के अंदर	1.23	3.53	4.76	4.22
(ii)	एक वर्ष के बाद तथा पांच वर्ष के अंदर	6.26	18.05	24.31	20.46
(iii)	पांच वर्ष के बाद तथा पट्टा अवधि तक	1.07	8.54	9.61	15.28
		8.56	**30.12**	**38.68**	**39.96**

लाभ और हानि लेखा में आय के रूप में कोई आकस्मिक किराया मान्य नहीं किया जाता हैं।

iv) दानकुनी कोल कॉम्पलेक्स :

कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 30 मार्च, 2019 की अधिसूचना के अनुसार भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 116 के अनुसार पट्टे इंड. एएस 17 को प्रतिस्थापित कर दिनांक 01.04.2019 से कंपनी के लिए प्रभावी माने जाएंगे । पट्टों पर लेखा नीति को एंड एएस 116 के अनुसार बदल दिया गया है । इंड एएस 116 में प्रमुख परिवर्तन, पट्टागृहीता के वर्तमान पट्टों को प्रभावी, जिसमें प्रमुख परिवर्तन उनकी लेखा नीति है, जिसके द्वारा वर्तमान में प्रभावी पट्टों की लेखा नीति में परिवर्तन किया गया है। कंपनी पट्टागृहीता होने की स्थिति में सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार और भविष्य में देयता के भुगतान के लिए पट्टों के करार को मान्यता दी गई है ।

कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कम्पनी) ने प्रारंभिक रूप से दिनांक 01.04.1995 से पांच वर्षों के लिए कोलकाता में दानकुनी कोल काम्पलेक्स की संयंत्र व मशीनरी और अन्य संरचना को विनिर्माण के संपूर्ण अधिकार के साथ उसके उत्पाद जिसमें गैस व उप-उत्पाद शामिल है, बिक्री हेतु पट्टे पर दिया है। दिनांक 01.04.2016 से कोल इंडिया लिमिटेड को देय संशोधित/पुनरीक्षित पट्टा-किराया प्रति वर्ष रू.1.80 करोड़ है।

इंड एएस 116 के पैरा 5 (सहपठित परिशिष्ट-बी का पैरा बी-3 से बी-9 तक) को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने मूल्यांकन किया है कि क्या दानकुनी कोल काम्पलैक्स की परिसम्पत्तियों का सही आधार पर मूल्यांकन किया है कि क्या इसकी कथित परिसम्पत्तियों का मूल्य निम्न है और निष्कर्षतः पाया है कि दानकुनी कोल काम्पलेक्स की परिसम्पत्तियां अवमूल्यन के आधार पर अपनी आयु पूर्ण कर चुकी है और अपने मूलतः मूल्य के 5-प्रतिशत मूल्य के बराबर ही शेष है जिनका पट्टागृहीता की आकार, प्रकृति अथवा परिसम्पत्तियों से कोई संबंध नहीं है और उन्हें निम्न मूल्य की परिसम्पत्ति माना जा सकता है ।

अतः, कंपनी ने दानकुनी कोल काम्पलैक्स की निम्न मूल्य की परिसम्पत्तियों पर इस मानक के पैरा 22-49 की शर्तों को लागू करने का चयन नहीं किया है और प्रतिधारित अर्जन के प्रारंभिक स्कंध को समायोजित कर शून्य कर लिया है ।

छ. कराधान (इंड एएस. 12)

चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल) रू. 8458.57 करोड़ (रू. 6990.60 करोड़) का विवरण नीचे दिया गया है -

विवरण	चालू वर्ष	पिछली वर्ष
स्रोत पर काटा गया अग्रिम आयकर/कर (प्रतिरोध स्वरूप जमा कर रू. 6067.83 करोड़ (रू. 5204.36 करोड़ सहित)	6990.60	5964.15
जोड़िए : 97-98 से 03-04 की धन-वापसी (रिफण्ड) पर ब्याज के विरूद्ध समायोजित पूर्वतम वर्षों की डिमांड	166.05	-
जोड़िए : 2016-17 के लिए पेनाल्टी/डिमांड		155.79

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

विवरण	चालू वर्ष	पिछली वर्ष
जोड़िए : 2017-18 के लिए पेनाल्टी/डिमांड		198.20
जोड़िए : 2018-19 का डिमांड	530.10	-
घटाईए : पूर्वतम वर्षो के लिए समायोजित धन-वापसी (रिफण्ड)		(183.99)
घटाईए : पूर्वतम वर्षो के लिए धन वापसी (रिफण्ड)	67.08	186.82
कुल (प्रतिरोध स्वरूप जमा कर रू.7140.42 करोड़ (रू.6067.83 करोड़) सहित	7,753.83	6,320.97
जोड़िए : अग्रिम कर/टीडीएस - चालू वर्ष	1201.41	2469.48
घटाईए : आयकर का प्रावधान - चालू वर्ष	(496.67)	(1799.85)
कुल (निवल)	**8458.57**	**6,990.60**

ज. अनुषंगियों की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सामानों की खरीदी

प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, अनुषंगियों की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खरीदे गए सामानों का लेखा जोखा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित अनुषंगी कम्पनियों के बही में की जाती है ।

झ. बीमा एवं वृद्धि दावे

बीमा एवं वृद्धि संबंधी दावे का लेखा-जोखा, प्रवेश/अंतिम व्यवस्थापन के आधार पर किया जाता है।

ट. लेखा में किया गया प्रावधान

धीमी चलन/अचलन/अप्रचलित स्टोर्स, प्राप्य दावें, अग्रिम, संदेहात्मक दावे आदि के लिए लेखा में किए गए प्रावधान को संभावित घाटे को नियंत्रित (कवर) करने के लिए पर्याप्त माना गया ।

ठ. चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि

प्रबंधन की राय में, स्थाई परिसम्पत्तियों एवं गैर-चालू निवेश के अलावा परिसम्पत्तियों का मूल्य कारोबार के साधारण अनुक्रम में उगाही के लगभग बराबर है, जिसमें वह वर्णित है ।

ड. चालू देयताएं

जहां वास्तविक दायित्व का आकलन नहीं किया जा सकता, वहां अनुमानित देयता उपलब्ध कराया गया।

ढ. शेष का पुष्टिकरण :

कर्जदार, नकद व बैंक-शेष, कपितय ऋण व अग्रिम, दीर्घकालिक देयताओं एवं चालू देयताओं के लिए शेष का पुष्टिकरण/समाधान आवधिक रूप से किया गया । सभी संदेहात्मक अपुष्ट शेष के लिए प्रावधान किया गया है।

त. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (4) के अधीन दिए गए ऋण, किए गए निवेश एवं दी गई गारंटी का विवरण

दिये गये ऋण एवं किये गये निवेश को संबंधित शीर्ष के अधीन दर्शाया गया है ।

थ. गैर-नियंत्रित ब्याज

सहायक कम्पनियों के निगमन पश्चात, दो रेल कोरिडोर अर्थात ईस्ट कोरिडोर एवं ईस्ट वेस्ट कोरिडोर की स्थापना के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा छत्तीसगढ़ शासन (छ.ग.शा.) के मध्य दिनांक 03.11.2012 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एसईसीएल की दो सहायक कम्पनियॉं यथा-मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) एवं मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल) ने पूंजी एवं अन्य व्यय के लिए राशि जमा की/डेबिट ट्रांसफर की ।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2020 तक निवेश एवं अन्य चालू खाता की स्थिति नीचे दर्शित है -

सहायक कम्पनी का नाम	सहायक कंपनी में पण	निगमन की तारीख	पता	31.03.2020 को समेकित लेखा के अनुसार गैर-नियंत्रित ब्याज/हित
मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	70.56 प्रतिशत	12.03.2013	महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर 492013	रू. 132.25 करोड़
मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट- वेस्ट रेलवे लिमिटेड (''सीईडब्लूआरएल'')	64.06 प्रतिशत	25.03.2013	महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर 492013	रू. 180.97 करोड़
				रू. 313.17 करोड़

(रू. करोड़)

समूह में कंपनी का नाम	निवल परिसम्पत्तियां		निवल लाभ		अन्य व्यापक आय		कुल व्यापक आय	
	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि
संरक्षक -एसईसीएल*	90.72	3064.35	100	1734.92	100	(352.43)	100	1382.49
सहायक कंपनियों में शेयर :								
सीईआरएल**	-	(16.16)	-	(15.69)	-	-	-	(15.69)
सीईडब्लूआरएल**	-	(0.44)	-	(0.07)	-	-	-	(0.07)
गैर-नियंत्रित ब्याज सहायक कंपनी :								
सीईआरएल	**3.92**	**132.25**	**-**	**(6.80)**	**-**	**-**	**-**	**(6.80)**
सीईडब्लूआरएल	**5.36**	**180.92**	**-**	**(0.04)**	**-**	**-**	**-**	**(0.04)**
		3360.92		**1712.32**		**(352.43)**		**1359.89**

* संरक्षक कम्पनी के एकल वित्तीय विवरणी के अनुसार ।

** संरक्षक एवं सहायक कम्पनी के अन्योन्य (म्यूचुअल) परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के समायोजन पश्चात सहायक कम्पनियों के निवल परिसम्पत्तियों में शेयर ।

द) कोरोना वायरस (कोविड-19) का प्रकोप भारत सहित पूरी दुनिया को प्रभावित कर आर्थिक गतिविधियां के मंदी का कारण बन रहा है। कंपनी ने अपने व्यावसायिक कार्यों के संबंध में इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। समीक्षा तथा आर्थिक स्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों और उसके व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तनों की बारीकी से निगरानी कर रही है ।

ध) महत्वपूर्ण लेखा नीति

कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अधीन कार्पोरेट कार्य मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति (टिप्पणी-2) का मसौदा तैयार किया गया है ।

उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सम्पत्ति सूची के लागत की गणना पद्धति को फीफो (एफआईएफओ) पद्धति से भारित औसत पद्धति में बदल दिया गया है। हालांकि, पिछले वर्ष 2018-19 के इति भण्डार के मूल्यांकन पर नगण्य प्रभाव रहा, इसलिए पिछले वर्ष के लिए रिपोर्टेड आंकड़ों को पुनःवर्णित नहीं किया गया है ।

टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियां

अन्य

(क) पिछले वर्ष/अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनःवर्णित, पुनर्गठित व पुनर्नियोजित किया गया।

(ख) टिप्पणी सं.-3 से 38 में पिछले वर्ष/अवधि के आंकडों को कोष्ठक में दर्शाया गया हैं।

(ग) टिप्पणी 1 एवं 2 क्रमशः कार्पोरेट से संबंधित सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का वर्णन करती हैं, टिप्पणी 3 से 23 तक, तुलन पत्र का एक भाग है, तथा टिप्पणी 24 से 37 तक, तुलन पत्र दिनांक को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण का एक भाग है। टिप्पणी-38 वित्तीय विवरणी की अतिरिक्त टिप्पणियों का वर्णन करती है ।

टिप्पणी 1 से 38 के लिए हस्ताक्षर ।

हस्ता./-
(सीएस एस.एम. युनुस)
कंपनी सचिव

हस्ता./-
(सीए बी.के. झा)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-
(सीए एस.एम. चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 07478302

हस्ता./-
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06664375

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुरूप
कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.-000734सी

हस्ता./-
(सीए एस.के. आचार्या)
भागीदार
सदस्यता सं.-078371

दिनांक : 10.06.2020
स्थान : बिलासपुर

प्रपत्र एओसी-1

(कम्पनीज (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 सहपठित धारा 129 की उप-धारा (3) के प्रथम प्रावधान के अनुसरण में)

अनुषंगियों के वित्तीय विवरणी के मुख्य बिन्दुओं में निहित विवरण

भाग ''ए'' : अनुषंगी कंपनियां

(रू. करोड में)

स.क्रं.	विवरण	अनुषंगी कम्पनियों के नाम	
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड
1	रिपोर्टिंग अवधि	01.04.2019 से 31.03.2020	01.04.2019 से 31.03.2020
2	रिपोर्टिंग मुद्रा	रूपया	रूपया
3	अंश पूंजी	473.00	504.06
4	संचित कोष एवं अधिशेष	(23.20)	(0.70)
5	कुल परिसम्पत्तियां	2370.56	695.72
6	कुल देयताएं	2370.56	695.72
7	निवेश	0.00	0.00
8	टर्न-ओव्हर	0.00	0.00
9	कराधान के पूर्व लाभ	(11.16)	(0.11)
10	कराधान के लिए प्रावधान	11.33	0.00
11	कराधान पश्चात लाभ	(22.49)	(0.11)
12	प्रस्तावित लाभांश	0.00	0.00
13	**दिनांक 31.03.2020 को शेयर होल्डिंग का प्रतिशत**	**70.56**	**64.06**

हस्ता./-
(सीएस एस.एम. युनुस)
कंपनी सचिव

हस्ता./-
(सीए बी.के. झा)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-
(सीए एस.एम. चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 07478302

हस्ता./-
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06664375

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुरूप
कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.-000734सी

हस्ता./-
(सीए एस.के. आचार्या)
भागीदार
सदस्यता सं.-078371

दिनांक : 10.06.2020
स्थान : बिलासपुर

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यता एवं प्रकटीकरण शर्त) नियमन, 2015 के नियमन 33 का अनुलग्नक- I एवं IX

नियमन 33 का अनुलग्नक- I

31.03.2020 को समाप्त तिमाही, 31.12.2019 को समाप्त तिमाही, 31.03.2019 को समाप्त तिमाही, 31.03.2020 को समाप्त वर्ष एवं 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित गैर-लेखा परीक्षित/लेखा परीक्षित परिणामों का विवरण

भाग-I

(रू. करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 को समाप्त तिमाही हेतु	31.12.2019 को समाप्त तिमाही हेतु	31.03.2019 को समाप्त तिमाही हेतु	31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2019 को समाप्त वर्ष हेतु
		गैर-लेखा परीक्षित	गैर-लेखा परीक्षित	गैर-लेखा परीक्षित	गैर-लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
1	**संचालन से आय**					
	सकल विक्रय	7791.71	6077.71	7994.76	27086.06	31368.72
	घटाईए - लेवी	2858.68	2273.25	2930.94	10235.98	11606.73
	(क) संचालन से आय/निवल विक्रय	**4933.03**	**3804.46**	**5063.82**	**16850.08**	**19761.99**
	(ख) अन्य संचालन संबंधी आय	377.69	319.43	385.28	1343.27	1483.53
	संचालन से कुल आय (निवल)	**5310.72**	**4123.89**	**5449.10**	**18193.35**	**21245.52**
2	**व्यय**					
	(क) खपत सामग्री की लागत	488.38	353.42	495.96	1483.85	1548.63
	(ख) स्टाक-इन-ट्रेड की खरीदी	-	-	-	-	-
	(ग) विनिर्मित सामानों, कार्य में प्रगति एवं स्टाक-इन-ट्रेड की सम्पत्ति सूची में परिवर्तन	(593.57)	4.72	(291.37)	(318.40)	45.39
	(घ) उत्पाद शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ड.) कर्मचारी हित-लाभ व्यय	2213.39	2057.84	1927.03	8183.60	8175.10
	(च) अवमूल्यन एवं हानि-कमी	194.78	197.75	210.14	761.04	790.78
	(छ) बिजली और ईंधन	200.48	211.47	180.98	777.87	746.74
	(ज) सीएसआर व्यय	80.28	2.60	76.76	84.65	83.55
	(झ) मरम्मत	58.33	59.19	44.52	178.73	164.89
	(ट) ठेका संबंधी व्यय	789.74	710.38	668.71	2611.06	2597.19
	(ठ) अन्य व्यय	284.42	206.35	209.45	880.71	902.18
	(ड) प्रावधान/बट्टा खाता (निवल)	132.27	40.31	(8.08)	94.44	(110.31)
	(ढ) आस्थगित स्ट्रीपिंग कार्यकलाप व्यय	727.66	374.28	479.81	1636.66	1345.97
	(ण) अन्य स्ट्रीपिंग कार्यकलाप व्यय	-	-	-	-	-
	कुल व्यय (क से ढ)	**4576.16**	**4218.31**	**3993.91**	**16374.21**	**16290.11**
3	अन्य आय, वित्त लागत एवं अपवादित मदों के पूर्व संचालन से लाभ (हानि) (1-2)	734.56	(94.42)	1455.19	1819.14	4955.41
4	अन्य आय	318.23	169.99	198.22	832.52	611.21
5	वित्त लागत एवं अपवादित मदों के पूर्व साधारण कार्यकलापों से लाभ/(हानि) (3+4)	1052.79	75.57	1653.41	2651.66	5566.62
6	वित्त लागत	36.47	64.53	(12.85)	141.46	(3.78)
7	वित्त लागत पश्चात किंतु अपवादित मदों के पूर्व साधारण कार्यकलापों से लाभ/ (हानि) (5-6)	1016.32	11.04	1666.26	2510.20	5570.40

	विवरण	31.03.2020 को समाप्त तिमाही हेतु	31.12.2019 को समाप्त तिमाही हेतु	31.03.2019 को समाप्त तिमाही हेतु	31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2019 को समाप्त वर्ष हेतु
		गैर-लेखा परीक्षित	गैर-लेखा परीक्षित	गैर-लेखा परीक्षित	गैर-लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
8	अपवादित मदें	-	-	-	-	-
9	कर पूर्व साधारण कार्यकलापों से लाभ (+)/हानि (-) (7+8)	1016.32	11.04	1666.26	2510.20	5570.40
10	कर व्यय	278.47	(9.11)	726.28	797.88	1959.12
11	अवधि के लिये निवल लाभ (+)/हानि(-) (11+12)	737.85	20.15	939.98	1712.32	3611.28
12	संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी (इंटिटी) व एसोसिएट्स के लाभ/(हानि) का शेयर					
13	गैर नियंत्रित ब्याज	(4.17)	(2.61)	(0.03)	(6.84)	(0.09)
14	न्यून ब्याज के बाद कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी(इंटिटी) व एसोसिएट्स के शेयर (क)	742.02	22.76	940.01	1719.16	3611.37
15	अन्य व्यापक आय/(हानि) (ख)	(160.12)	(7.47)	(96.72)	(352.43)	12.89
16	संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी (इंटिटी) व एसोसिएट्स के लाभ/(हानि) के शेयर	-	-	-	-	-
17	गैर-नियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-
18	न्यून ब्याज के बाद अन्य व्यापक आय एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी (इंटिटी) व एसोसिएट्स के लाभ/(हानि) के शेयर (ख)	(160.12)	(7.47)	(96.72)	(352.43)	12.89
19	कुल व्यापक आय/(हानि) (क+ख)	581.90	15.29	843.29	1366.73	3624.26
20	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर रू. 1000/- अंकित मूल्य के पूर्णतः प्रदत्त 66,80,561 (71,70,600) इक्विटी शेयर)	668.06	668.06	717.06	668.06	717.06
21 i	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (असाधारण मदों के पूर्व) (प्रत्येक रू.----- जिसका वार्षिकी नहीं किया गया है)					
	(क) मूल	1110.72	34.07	1360.44	2573.38	5085.87
	(ख) तरलीकृत ईपीएस	1110.72	34.07	1360.44	2573.38	5085.87
21 ii	प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों के बाद) (प्रत्येक रू. -- जिसका वार्षिकी नहीं किया गया है)					
	(क) मूल	1110.72	34.07	1360.44	2573.38	5085.87
	(ख) तरलीकृत ईपीएस	1110.72	34.07	1360.44	2573.38	5085.87

हस्ता./-
(सीएस एस.एम. युनुस)
कंपनी सचिव

हस्ता./-
(सीए बी.के. झा)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-
(सीए एस.एम. चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 07478302

हस्ता./-
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06664375

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुरूप
कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.-000734सी

हस्ता./-
(सीए एस.के. आचार्या)
भागीदार
सदस्यता सं.-078371

दिनांक : 10.06.2020
स्थान : बिलासपुर

समेकित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का विवरण

(रू. करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
परिसम्पत्तियां		
गैर-चालू परिसम्पत्तियां		
(क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर	6603.94	6049.10
(ख) पूंजी कार्य में प्रगति	2767.00	2796.50
(ग) गवेषण एवं निरूपण परिसम्पत्तियां	1457.26	1174.29
(घ) अमूर्त परिसम्पत्तियां	10.27	10.27
(ड.) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	-	-
(च) निवेश सम्पत्ति	-	-
(छ) वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-
(1) निवेश	-	-
(2) ऋण	4.68	6.36
(3) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	1774.45	1650.02
(ज) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल) **(संदर्भ टिप्पणी-38)**	294.27	544.08
(झ) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	396.21	440.80
कुल गैर-चालू परिसम्पत्तियां (क)	**13308.08**	**12671.42**
चालू परिसम्पत्तियां		
(क) सम्पत्ति सूची	1253.04	935.85
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-
(i) निवेश	0.29	0.20
(ii) व्यापारिक प्राप्य	1653.80	387.67
(iii) नकद एवं नकद समकक्ष	51.60	159.47
(iv) अन्य बैंक अधिकोश	4115.63	4691.87
(v) ऋण	0.89	0.58
(vi) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	1071.41	920.31
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल) **(संदर्भित टिप्पणी-38)**	8458.57	6990.60
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	1407.48	1011.55
कुल चालू परिसम्पत्तियां (ख)	**18012.71**	**15098.10**
कुल परिसम्पत्तियां	**31320.79**	**27769.52**

(रू. करोड़ में)

विवरण			31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
इक्विटी एवं देयताएं				
इक्विटी				
(क)	इक्विटी अंश पूंजी		668.06	668.06
(ख)	अन्य इक्विटी		2379.69	2962.97
(ग)	कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को प्राप्य योग्य (एट्रीब्यूटेबल) इक्विटी		3047.75	3631.03
	गैर-नियंत्रित ब्याज		313.17	320.01
	कुल इक्विटी (क)		**3360.92**	**3951.04**
	देयताएं			
	गैर-चालू देयताएं			
क	**वित्तीय देयताएं**			
	(i)	उधार	1823.08	1307.63
	(ii)	व्यापारिक देय	-	-
	(iii)	अन्य वित्तीय देयताएं	846.18	809.81
ख	प्रावधान		13821.62	11924.37
ग	आस्थगित कर देयताएं (निवल)		-	-
घ	अन्य गैर-चालू देयताएं		0.40	0.46
कुल गैर-चालू देयताएं (ख)			**16491.28**	**14042.27**
चालू देयताएं				
क	**वित्तीय देयताएं**			
	(i)	उधार	1724.93	730.47
	(ii)	व्यापारिक देय	-	-
		एमएसएमई के क्रेडिटरों का कुल बकाया देयक	3.08	4.34
		एमएसएमई के अलावा क्रेडिटरों का कुल बकाया देयक	2017.20	1798.24
	(iii)	अन्य वित्तीय देयताएं	932.72	948.27
ख	अन्य चालू देयताएं		5749.00	5415.72
ग	प्रावधान		1041.66	879.17
घ	चालू कर देयताएं (निवल)		-	-
कुल चालू देयताएं (ग)			**11468.59**	**9776.21**
			-	-
कुल इक्विटी एवं देयताएं (क+ख+ग)			**31320.79**	**27769.52**

हस्ता./-
(सीएस एस.एम. युनुस)
कंपनी सचिव

हस्ता./-
(सीए बी.के. झा)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-
(सीए एस.एम. चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 07478302

हस्ता./-
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06664375

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुरूप
कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.-000734सी

हस्ता./-
(सीए एस.के. आचार्या)
भागीदार
सदस्यता सं.-078371

दिनांक : 10.06.2020
स्थान : बिलासपुर

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणीकरण

प्रति,

निदेशक मण्डल,

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,

मैं, ए.पी. पण्डा, अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक एवं एस.एम. चौधरी, निदेशक (वित्त) वित्तीय कार्य हेतु जवाबदेह है, यह प्रमाणित करते हैं कि -

(क) हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिये कंपनी के वित्तीय विवरणियों के साथ लेखा नीतियों एवं उस पर अतिरिक्त टिप्पणियों एवं सेबी (सूचीबद्ध बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं), नियमन 2015 के नियमन 33 के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि/वर्ष के वित्तीय परिणामों की समीक्षा की है तथा यह हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में, कोई महत्वपूर्ण-वस्तुपरक असत्य कथन नहीं है,या कोई महत्वपूर्ण-वस्तुपरक तथ्य नहीं छुपाया गया है या कोई ऐसी विवरणियां नहीं है, जिनसे भ्रम हो ।

ii. ये विवरण समेकित रूप में कम्पनी के कार्य मामलों की सही एवं सत्य जानकारी देते है तथा ये वर्तमान लेखाकरण मानकों, प्रयोज्य कानूनों व विनियमों का अनुपालन करते हैं ।

(ख) हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास में, कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि/वर्ष के दौरान ऐसा कोई भी लेनदेन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ी, गैर-कानूनी या कम्पनी के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता हो ।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिये आंतरिक नियंत्रण को स्थापित करने एवं उसे बनाए रखने की जवाबदेही स्वीकार करते हैं तथा हमनें वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बद्ध कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण पद्धति की प्रभाविता का मूल्यांकन किया है तथा हमनें इसके डिजाईन अथवा उक्त आन्तरिक नियंत्रण के संचालन कार्य में पाई गई कमी-अपूर्णता, यदि कोई हो, जो उनकी जानकारी में है, लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को प्रकट किया है तथा उन्हें इन खामियों को दूर करने हेतु उठाए गए कदमों या प्रस्तावित कदमों से भी अवगत करा दिया है।

(घ) हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को इंगित किया है कि-

i. सन्दर्भाधीन अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किये गये है ।

ii. अवधि के दौरान लेखाकरण नीतियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किये गये है, जिसे महत्वपूर्ण लेखा नीतियों व वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में यथोचित स्थानों में पर्याप्त रूप से प्रकट किया गया है ।

iii. हमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की ऐसी किसी भी घटना की जानकारी नहीं है, जिसमें प्रबंधन अथवा कोई कर्मचारी शामिल हो या उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका हो।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**
(सीए एस.एम. चौधरी)	**(ए.पी. पण्डा)**
निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक

स्थान : बिलासपुर

दिनांक : 10.06.2020

वार्षिक आम बैठक की सूचना

यह सूचना दी जाती है कि साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 34-वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 18 अगस्त, 2020, मंगलवार को प्रातः 10.00 बजे निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु विडियो कान्फरेंसिग/अन्य आडियो विजुअल साधनों (वीसी) के माध्यम से आयोजित की जाएगी :

सामान्य कार्य :

01. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के निबंधनों में वर्ष 2019-20 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों (एकल एवं समेकित) के साथ अनुषंगियों के वित्तीय विवरणियों के मुख्य बिन्दुओं में अन्तर्निहित विवरण, बोर्ड-रिपोर्ट, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्राप्त करना, विचार करना और उसे अपनाना।

02. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निदेशक मण्डल द्वारा घोषित 242.123% (रू. 2421.23 प्रति शेयर) के अतंरिम लाभांश के भुगतान, तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम लाभांश के रूप में, कम्पनी के पात्र अंशधारकों को किए गए भुगतान, की पुष्टि करना ।

03. श्री ए.पी. पंडा (डीआईएनः06664375), जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के निबंधन में रोटेशन प्रक्रिया से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, एवं पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र/उपयुक्त हैं, तथा पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दिया है, निदेशक नियुक्त करना ।

04. श्री आर.के.निगम (डीआईएनः08321825),जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के निबंधन में रोटेशन प्रक्रिया से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, एवं पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र/उपयुक्त हैं तथा पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दिया है, को निदेशक नियुक्त करना ।

विशेष कार्य :

05. निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करते हुए, लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा-अनुशंसित तथा एसईसीएल के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कम्पनी की लागत लेखा परीक्षा निष्पादित करने हेतु नियुक्त लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना ।

    यह संकल्प किया जाता है कि लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित तथा एसईसीएल के निदेशक मण्डल द्वारा उनकी दिनांक 25.09.2019 (मद संख्या-292ः4ः3) को आयोजित 292-वी बैठक तथा दिनांक 03.11.2019 (मद संख्या-293ः4ः17) क्रमशः, को आयोजित 293-वीं बैठक में एसईसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एसईसीएल के संबंधित क्षेत्रों का लागत लेखा परीक्षा निष्पादित करने हेतु प्रमुख लागत लेखा परीक्षक एवं शाखा लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु एतद्द्वारा अनुसमर्थित है।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

हस्ता./-
(एस.एम. युनुस),
कम्पनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :

सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)-495 006

दिनांक : 14 अगस्त, 2020

टिप्पणियां :

1. वर्तमान कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 सहपठित परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020 व 13 अप्रैल, 2020 (सामूहिक रूप से "एमसीए" परिपत्र के रूप में संदर्भित) के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विजुअल साधन ("ओएवीएम") के माध्यम से एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"/"बैठक") बुलाने की अनुमति दी है। एमसीए परिपत्रों, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्ध विनियमन"), के अनुसार कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम के लिए डीम्ड स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

2. अंशधारकों से अनुरोध है कि वे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के प्रावधानों के अनुसरण में अल्प सूचना पर वार्षिक आम बैठक बुलाने हेतु लिखित में या इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा अपनी सहमति दें।

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसरण में, विशेष कार्य से संबंधित संगत विवरण, जैसा कि उपर्युक्त अनुसार निश्चित किया गया है, एतद्द्वारा **अनुलग्नक-ए** के रूप में संलग्न है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के संदर्भ में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति एवं पुनर्नियुक्ति के पात्र निदेशकों का विवरण भी **अनुलग्नक-ख** के रूप में एतद् द्वारा संलगन है।

4. कार्पोरेट सदस्य (यों) से अनुरोध है कि वे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 113 के अनुसरण में, अपने प्रतिनिधि को वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने व मत देने के लिए अधिकृत कर "प्राधिकार पत्र" की विधिवत सत्यापित प्रति कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय भेजें ।

5. एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में, एजीएम की सूचना समेत वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते कंपनी/निक्षेपागार में पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कंपनी की वेबसाइट www.secl-cil.in पर भी उपलब्ध होगी।

6. कंपनी एजीएम में भाग लेने वाले अपने सदस्यों को वीसी/ओएवीएम सुविधा उपलब्ध कराएगी। बैठक से संबंधित अपेक्षित सुविधा एजीएम के निर्धारित समय से तीस मिनट पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी और यह सुविधा एजीएम की पूरी कार्यवाही के दौरान उपलब्ध रहेगी ।

7. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अधीन गणपूर्ति (कोरम) के उद्देश्य के लिए माना जाएगा।

8. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 171 (1) (बी) एवं 189 (4) के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी के प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में रजिस्टर व नोटिस में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए रखा जाना आवश्यक है, एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध रहेगा। नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज बिना किसी शुल्क के इस नोटिस के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख तक सदस्यों द्वारा निरीक्षण/पर्यवेक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध रहेंगे। सदस्य इन दस्तावेजों का निरीक्षण के लिए ईमेल compsecy.secl@coalindia.in पर भेज सकते हैं ।

9. लेखा (एकाउंट्स) के संबंध में या एजीएम में रखे जाने वाले किसी विषय के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी को compsecy.secl@coalindia.in पर ई-मेल के माध्यम से दिनांक 18 अगस्त, 2020, मंगलवार को या इसके पूर्व पत्र लिखें। इस संबंध में कंपनी द्वारा समुचित रूप में जवाब दिया जाएगा।

वितरण :

(इस अनुरोध के साथ कि वे अपनी सुविधा अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित हों) :

01. मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता **(सदस्य)**

02. श्री प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता **(सदस्य)**

03. श्री संजीव सोनी,निदेशक(वित्त),कोल इंडिया लिमि.,कोलकाता एवं सरकार नामित निदेशक **(सदस्य)**

04. श्री ए.पी. पण्डा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,एसईसीएल **(सदस्य)**

05. श्री एस.के. देशपाण्डे, स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति, एसईसीएल बोर्ड

06. डा. आर.एस. झा, निदेशक (कार्मिक), एसईसीएल

07. श्री आर.के. निगम, निदेशक (तकनीकी) संचालन, एसईसीएल

08. श्री एम.के. प्रसाद, निदेशक (तकनीकी) (योजना एवं परियोजना), एसईसीएल

09. श्री एस.एम. चौधरी, निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी, एसईसीएल

10. मेसर्स ओ.पी. तोतला एंड कंपनी, सीए, प्रमुख साविधिक लेखा परीक्षक

11. मेसर्स नरसिम्हा मूर्ति एंड कम्पनी, प्रमुख लागत लेखा परीक्षक

12. मेसर्स डी. हनुमंता राजु एंड कम्पनी, सचिविक लेखा परीक्षक

अनुलग्नक-क

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) एवं सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसरण में विवरण

लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के अनुसमर्थन से संबंधित मद संख्या-5

एसईसीएल बोर्ड ने दिनांक 25.09.2019 (मद संख्या 292:4:3) को आयोजित अपनी 292-वीं बैठक तथा दिनांक 03.11.2019 (मद संख्या-293:4:17) को आयोजित 293-वीं बैठक में वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए कंपनी की लागत लेखा परीक्षा निष्पादित करने के लिए, प्रमुख लागत लेखा परीक्षक एवं शाखा लागत लेखा परीक्षकों, क्रमशः, के रूप में लागत लेखा परीक्षा प्रतिष्ठान को नियुक्त करने के साथ-साथ उनकी लेखा परीक्षा शुल्क, ओपीई एवं प्रयोज्य करों के लिए लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसाओं को अनुमोदित किया है।

हालांकि, बाद में कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि दिनांक 24.02.2020 को आयोजित अपनी 142-वीं बैठक में कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड द्वारा यह सलाह दिया गया कि वित्त वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए नया ईओआई जारी किया जाए । तदनुसार, दिनांक 27.06.2020 को ईओआई जारी की गई और यह प्रक्रियाधीन है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) में यह प्रावधान है कि "धारा 148 उपधारा (2) के तहत लेखा परीक्षा एक लागत लेखाकार द्वारा निष्पादित की जाएगी तथा जिनकी नियुक्ति बोर्ड द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर की जाएगी।

आगे, कंपनीज (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 को निम्नानुसार पढ़ा जाए-

14, लागत लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक - खण्ड 148 के उप-खण्ड (3) के प्रयोजन के लिए,-

(क) उन कंपनियों के मामले में जिन्हें लेखा परीक्षा समिति का गठन करना अपेक्षित है-

i. बोर्ड एक व्यक्ति, जो एक लागत लेखाकार है या व्यावहारिक रूप में लागत लेखाकार की एक फर्म है, को लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों पर लागत लेखा परीक्षक के रूप में, नियुक्त करेगा तथा जो इस तरह के लागत लेखा परीक्षक के लिए पारिश्रमिक की भी सिफारिश करेगा",

ii. (i.) के तहत लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित पारिश्रमिक को दृष्टिगत रखते हुए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और तत्पश्चात अंशधारकों द्वारा अनुसमर्थन किया जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2019-20 के लिए लागत लेखा परीक्षा निष्पादित करने हेतु लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक, जो कि लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित एवं एसईसीएल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, को निम्नानुसार विशेष संकल्प के तौर पर, आम बैठक में अंशधारकों द्वारा अनुसमर्थित होना आवश्यक है :

यह संकल्प किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एसईसीएल के संबंधित क्षेत्रों का लागत लेखा परीक्षा निष्पादित करने के लिए प्रमुख लागत लेखा परीक्षक एवं शाखा लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक जोकि लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा-अनुशंसित है तथा एसईसीएल के निदेशक मण्डल द्वारा उनकी दिनांक 25.09.2019 (मद संख्या-292:4:3) को आयोजित 292-वी बैठक तथा दिनांक 03.11.2019 (मद संख्या-293:4:17) क्रमशः, को आयोजित 293-वीं बैठक में एसईसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित है, के अनुसार एतद्द्वारा अनुसमर्थित किया गया है।

उपर्युक्त संकल्प के संबंध में, कोई भी निदेशक, प्रबंधक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, या उनके संबंधियों का वित्तीय रूप से अथवा अन्यथा न तो कोई सम्बध है और न ही उनका कोई हित जुड़ा हुआ है।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

हस्ता./-
(एस.एम. युनुस),
कम्पनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :
सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) - 495 006
दिनांक : 14 अगस्त, 2020

अनुलग्नक-ख

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के निबंधन में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति व पुनर्नियुक्ति के पात्र निदेशकों का विवरण

1. **श्री ए.पी. पण्डा (डीआईएन : 06664375)**

संक्षिप्त परिचय :

श्री ए.पी. पण्डा (डीआईएन : 06664375) (52 वर्ष), ने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पदभार दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को ग्रहण किया । इस पद के पूर्व, आप अगस्त 2013 से निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यरत रहे तथा पद की रिक्तता के कारण आपने जुलाई 2018 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया । आप एसईसीएल की दो अनुषंगी कम्पनी यथा-छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) एवं छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल) के अगस्त 2013 से जनवरी 2019 तक चेयरमेन भी थे । इस अवधि के दौरान, दोनों सहायक कंपनियों यथा- सीईआरएल द्वारा ईस्ट रेल कॉरिडोर (फेज-I) परियोजना के लिए प्रारंभिक अवस्था से वित्तीय क्लोजर की प्राप्ति तक और सीईडब्लूआरएल द्वारा ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरिडोर के मामले में सारभूत/प्रभावशाली प्रगति के लिए विकसित किया गया था। श्री पण्डा इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य है तथा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हैं।

विशेष कार्यक्षेत्रों में विशेषज्ञता का स्वरूप : वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण, लेखा एवं लेखा परीक्षा, कास्टिंग एवं बजटिंग, ट्रेजरी एवं फॉरेक्स प्रबंधन, वाणिज्यिक एवं कर मामले इत्यादि ।

उनकी निदेशक-पद/समिति में पद की स्थिति नीचे दर्शित है :

प्रमुख निदेशक पद :

1. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

समिति में अध्यक्षता :

1. निदेशकों की अधिकारिता समिति (ईसीओडी), एसईसीएल
2. कार्यकारी निदेशकों की समिति (सीओएफडी), एसईसीएल

समिति में सदस्यता :

कुछ नहीं ।

2. **श्री आर.के. निगम (डीआईएन : 08321825)**

संक्षिप्त परिचय :

श्री आर.के. निगम (डीआईएन : 08321825) (59 वर्ष), ने 28 दिसम्बर, 2018 को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) (योजना एवं परियोजना) का पदभार ग्रहण किया और दिनांक 01.05.2019 से निदेशक (तकनीकी) (संचालन), एसईसीएल का प्रभार ग्रहण किया। श्री निगम बी.ई. (माईनिंग) में स्नातक है तथा खान अधिनियम के अधीन फ्रस्र्ट क्लास माईन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ काम्पीटेंसी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। श्री निगम ने कोल इंडिया में वर्ष 1981 से अपने कैरियर की शुरूआत की। आपने कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनियों यथा-बीसीसीएल एवं एसईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों/ परियोजनाओं/कार्पोरेट मुख्यालय में विभिन्न क्षमताओं/पदों पर कार्य किया। आपको भूमिगत के साथ-साथ खुली खदानों में आधुनिक यंत्रीकरण के साथ कार्य करने का उच्च तकनीकी दक्षता प्राप्त है। निदेशक (तकनीकी) संचालन, एसईसीएल के पद पर अपनी वर्तमान क्षमता के अतिरिक्त, श्री निगम दिनांक 28.01.2019 से एसईसीएल की संयुक्त उद्यम कम्पनीं एवं अनुषंगी यथा- छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) तथा छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन भी हैं ।

विशेष कार्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता का स्वरूप : भूमिगत एवं खुली खनन, परियोजना प्रबंधन, उत्पादन प्रबंधन इत्यादि ।

उनकी निदेशक-पद/समिति में पद की स्थिति नीचे दर्शित है :

प्रमुख निदेशक पद :

1. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
2. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
3. छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड

समिति में अध्यक्षता

कुछ नहीं ।

समिति में सदस्यता :

1. एसईसीएल बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
2. एसईसीएल बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
3. एसईसीएल बोर्ड की परियोजना उप-समिति
4. एसईसीएल बोर्ड के निदेशकों की अधिकारिता समिति (ईसीओडी)
5. कार्यकारी निदेशकों की समिति (सीओएफडी), एसईसीएल

Notes

Notes

SOUTH EASTERN COALFIELDS LTD

इसईसीएल को अनुसरण करें :

@southeasterncoalfields @secl_cil

स्कैन करें :

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम)

सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) - 495006
दूरभाष : 07752-246379-399 फैक्स : 07752-246451
वेबसाईट : www.secl-cil.in, www.secl.gov.in

Printed at RMOSS PRINTS PVT. LTD.